# भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुबानी

# भ्रष्टाचार की कहानी
# मेरी जुबानी

सदाचारी सिंह तोमर

शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद

**प्रकाशक : शेखर प्रकाशन**
101, चक जीरो रोड, इलाहाबाद। मो. 8005092718

**© सदाचारी सिंह तोमर**

संस्करण : 2017

**ISBN :** 978-81-89570-79-8

**मूल्य :** तीन सौ पचास रुपये मात्र

**लेजर सेटिंग :** ग्लोबलटेक ग्रुप-9151855615

**मुद्रक :** शारदा ऑफसेट, जीरोरोड, इलाहाबाद-9307631886

**BHRASTACHAR KI KAHANI MERI JUBANI**

By Sadachari Singh Tomar

# शीर्षक

इस कृति ''भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुबानी'' पर मैं लेखक डॉ. सदाचारी सिंह तोमर को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के समय में भी अधिकारियों को भ्रष्टाचार उजागर करने पर इतनी प्रताड़ना दी जाती है वह पढ़कर मुझे दुःख हुआ। डॉ. सदाचारी को दिल्ली कार्यालय से सहायक महानिदशेक पद से उनकी खराब चरित्रावलि (उन्हीं के अधिकारियों एवं मंत्री द्वारा लिखी) के कारण सेवा से टर्मिनेट कर देना, जबकि चरित्रावलि पर अभी अपील करने की समयावधि ही बाकी थी और ऐसे कि उसी दिन-चरित्रावलि निराकरण की सूचना, उसी दिन टर्मिनेशन, तुरत फुरत परिषद मुख्यालय कृषि भवन से रिलीव कर देने के आदेश और फिर उनके बैठक कक्ष में ताला जड़कर उनके दस्तावेज छिपा लिए गये जो आज तक अपील पर अपील करने पर नहीं दिये गये एक अजीब स्थिति है। नियमानुसार वार्षिक प्रगति (चरित्रावलि) खराब होने पर टर्मिनेशन करने का कोई प्रावधान ही नहीं था। फिर कार्यालय से बाहर कर, आवास से सामान फेंक कर बाहर करने के आदेश एवं पुलिस से घर खाली करा देने के बर्बर प्रयत्न को क्या कहा जाए। लेखक के सामान्य भविष्य निधि में लाखों रुपये शेष थे किंतु किसी भी मद के लिए (यहाँ तक की बीमारी की स्थिति में दवाइयों के लिये भी) एक वर्ष तक राशि न निकालना, वेतन न देना एक अंधाधुंध गुंडागर्दी थी। पैसों की आवश्यकता ऐसी थी कि घर में खाने हेतु उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.) दिल्ली के 'दाने लगे मक्के के उन भुट्टों' को खरीदकर दाने निकालकर जीविका चलानी पड़ी जो सामान्यतयः पशुओं के लिये ही स्थानीय व्यक्ति खरीदते थे। दिल्ली से टर्मिनेशन के एक वर्ष बाद भोपाल की सेवा संस्थान से उन्हें पुनः दिल्ली (भा.कृ.अ.सं.) में बिना उनके आवेदन के स्थानांतरण करना और आदेश में यह झूठा लिखना कि यह डॉ. तोमर की मांग पर किया गया एक घृणित कृत्य था। लेखक को परिषद मुख्यालय की सेवा से टर्मिनेट करने के बाद भा.कृ.अ.सं. (पूसा संस्थान) दिल्ली में आना और उसके द्वारा प्रधान वैज्ञानिक के रूप में उसी खर्च किये रु. 2000 करोड़ के प्रकरणों को जिससे देश भर में कम्प्यूटर, प्रिंटर, मोडम, वी सैट-क्रय करके नेटवर्क पैदा करने में भ्रष्टाचार किया गया था उसी पर 5 वर्षीय शासकीय अनुसंधान परियोजना प्रभावी



आकलन लेकर उसे पूर्ण करके भ्रष्टाचार कितना हुआ इसकी सत्यता निकालना यह भी एक अजब-गजब बात रहीं।

ऐसी पुस्तकों को शासन भी उपयोग में लाकर भ्रष्टाचार दूर करने में सहयोग ले सकता है। इतना ही नहीं चूंकि पूरे दस्तावेज उपलब्ध हैं तथा सभी भ्रष्ट पात्र जीवित हैं तो सही जांच करके उन सभी भ्रष्टाचारियों को दंड दे सकता है जो आज भ्रष्ट होकर भी मूछों पर ताव देकर घूमते हैं एवं बड़े-2 पदों पर बैठे हैं। इस पुस्तक का उपयोग तब है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा पढ़ी जाए। आज इंटरनेट का युग है। मैं लेखक से अपेक्षा रखता हूं कि रायल्टी का लाभ छोड़कर इस पुस्तक को समुचित बनाकर ऐसी वेबसाइट में तुरंत डालें जो मुफ्त हों जिससे संसार भर में इसे न केवल भारतीय बल्कि किसी भी प्रमुख भाषा में किसी भी समय इसे पढ़ा जा सके तथा डाउनलोड कर पुस्तकालय में रखा जा सके, जैसे इन्होंने अपनी पूर्व पुस्तक भ्रष्टाचार का बोलबाला को www.corruptions and corrupt.com में रखी है। इसके साथ ही लेखक से अपेक्षा है कि वह भ्रष्टाचार के प्रकरणों को जिसे वह 40 वर्षों की शासकीय सेवा में उभाड़ा है उन सभी पर भी पुस्तक लिखकर विश्व की जनता को लाभान्वित करें। लेखक ने जिस तरह भ्रष्टाचार उभाड़ने के समय सावधानी बरतते हुए अपने आपको जीवित बचाये रख सका है, उसे इन पुस्तकों के लेखन-प्रकाशन के बाद भी सावधानी बरतनी होगी जिससे वह अपने आप को बचाये रख सके जिससे दुनियाँ का आगे भी ज्यादा हित होगा।

लेखक, सहायक महानिदेशक बनकर महानिदेशक एवं भारत सरकार के सचिव बनने के मुहाने में खड़ा था, तब भी यह चिंता न करे कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने से उसके सभी पदोन्नति के दरवाजे बंद हो सकते हैं और ऐसा हुआ भी। भ्रष्टाचार उजागर करते ही उसके बाद 15 वर्ष की सतत सेवा में उसे विभागीय जांच में तीन बार उलझाकर उसका एक बार भी पदों पर चयन नहीं किया गया जबकि वह समकक्ष पदों पर भी सतत आवेदन देता रहा।

पुनः शुभकामनाओं सहित
मातृभूमि की सेवा में अकिंचन

**- दीनानाथ बत्रा**
**अध्यक्ष**
**शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, दिल्ली**

# आपकी अनुभूति

हमारे देश में व्यापक भ्रष्टाचार का आलम है, वह इससे भी समझ में आता है कि जब कुछ इमानदार अधिकारियों ने अपने विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा अपने वरिष्ठों के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उनको तरह-तरह से प्रताणित किया गया। सत्येंद्र दुबे जैसे तो कई मार दिए गए, लेकिन ज्यादातर विभागीय जांच में उलझ कर उनके आगे पदोन्नति नहीं होने दी गई ताकि वे चुप बैठ जाएं या चुपचाप भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएं। दुर्भाग्य यह है कि आमतौर पर ऐसे इमानदार अफसरों जिन्होंने जोखिम उठाकर भ्रष्टाचार रोकने की कोसिस की उनके समर्थन में सरकारी तंत्र खड़ा नहीं होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को व्हिसल ब्लोवर्स की नोडल एजेंसी बनाया गया था उसका रिकॉर्ड भी इसमें बहुत खराब है।

सदाचारी सिंह तोमर भी उन अफसरों में एक हैं जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भा.कृ.अ.प.) में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी कोसिस की लेकिन उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यह गर्व की बात है कि इतनी प्रताड़ना के बाद वे इमानदारी के पथ से टस से मस नहीं हुए और आज इस पुस्तक 'भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुबानी' में उन्होंने इस संस्था में उनके समक्ष हुए भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया है। इसके लिए देश-वासियों को उनके प्रति आभार प्रगट करना चाहिए। मुझे आशा है कि जो लोग इस देश में चल रहे भ्रष्टाचार के तरीके समझना चाहते हैं और खासकर भा.कृ.अ.प. की भ्रष्ट व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो उनको यह पुस्तक पढ़ना चाहिए।

**प्रशान्त भूषण**
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया

# प्रस्तावना

आपा-धापी भरी जिंदगी में मनुष्य अपनी-अपनी डफली अपना राग अलापता है। संयुक्त परिवार भी अपनी अंतिम सांसे गिन ही रहा है। एकाकी परिवार भी टूट रहे हैं। परिवार के सदस्य भी अपने स्वार्थ के लिये जुड़ने में अपनी भलाई मानते हैं। भ्रष्टाचार रहित जीवन, सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य को लोग ढकोसला समझने लगे हैं। ऐसे में एकला चलो की आदत पड़ जाय तो किसी को अप्रत्याशित नहीं लगना चाहिये। यद्यपि अब समय बदल रहा है किंतु जिस अवधि का विवरण इस पुस्तक 'भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुबानी' में किया गया है वह उस अवधि की है जब राजनीतिज्ञ यह समझते थे कि वे जितना खर्च चुनाव में कर सकेंगे या उनके पास जितनी ज्यादा राशि चुनाव के समय होगी उतनी ज्यादा सीटें वे चुनाव में जीत सकेंगे। देश में एक पार्टी की सत्ता के दिन लद चुके थे। क्षेत्रीय पार्टियां जहां तहां वर्चस्व बनाये हुए थी एवं हर एक क्षेत्रीय दल का मुखिया अपने आपके प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहा था। बड़े-बड़े घोटाले जैसे चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2 जी घोटालों आदि का अंबार था जो जहां, जिस जगह मंत्री का पद पा लेता था वहीं भ्रष्टाचार की धारा बहा देता था। ऐसे समय में ब्यूरोक्रेट, अधिकारी-कर्मचारी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे । भ्रष्टाचार करने में किसी को हिचकिचाहट न थी, ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझ रहे थे। ऐसे समय में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भ्रष्ट को भ्रष्टाचार न करने दे तो अजीब स्थिति पैदा हो जाती थी। पूरी की पूरी प्रणाली यथा मंत्री से संत्री तक उसके विरोध में खड़े जो जाते थे। सहयोग की बात तो दूर ईमानदार अधिकारी का माखौल उड़ाया जाता था। यह स्थिति वैसे आज भी है यद्यपि सत्ता बदलने से कुछ राहत व्यक्तियों को मिली है। अच्छी सोच बनी है अन्यथा तब तो भ्रष्ट लावी ईमानदार अधिकारी को रास्ते से हटाने के लिये उसकी हत्या तक करा देते थे और हत्यारों का पता लगाना किसी के बल बूते की बात न रहती थी। किसी भी तरह भारत सरकार का सचिव भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया तो मंत्री, तुरंत क्रियाशील होकर उसे बचा लेता है जिससे उसके ऊपर भ्रष्टाचार की बात न आने पाये। इसके लिये वह प्रधानमंत्री पर भी अपने ज्यादा सांसद



सदस्यों का हवाला देकर प्रधानमंत्री को सत्ताच्युत कर देने की हिम्मत रखता था। ऐसे माहौल में जान तो बचा ली, भारत सरकार का सचिव बनने की तमन्ना तो धरी की धरी रह गई, अपना पद भी न बचा सका था। पद से हटाने का वह भी इतने घृणित तरीके से कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन्हीं वरिष्ठों में से ने मेरी चारित्रावलि (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन) खराब लिखी, डॉ. राजेंद्र पड़ौदा सचिव तथा महानिदेशक ने इसे सही कहा, अनुशासन अधिकारी श्री नितीश कुमार मंत्री को अभ्यावेदन देने पर उसने भी अमान्य कर उसकी जानकारी मुझे दे इसके पहल मुझे पद से हटाया फिर जानकारी दी। जबकि यह सबको मालूम था कि इस अनुशासन अधिकारी के अमान्य कर देने के बाद कई महीना का समय मेरे पास था जब मैं अपील प्रस्तुत करता। यदि वह अपील भी खारिज हो जाती तो भी इस आधार पर टर्मिनेट करने का नियम न था।

दूसरी तरफ इसी वा.प्र.प्र. (चरित्रावलि) के षड्यंत्र पूर्वक लिखने की जांच इन्हीं लोगों ने 4.8.2000 के आदेश जांच अधिकारी श्री किरण सिंह को सौंप दी थी। किंतु जांच अधिकारी की रिपोर्ट की भनक लगते ही उससे रिपोर्ट लेने की जगह इसके पूर्व मुझे हटा दिया। बाद में मेरे पक्ष में जाँच रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मेरे द्वारा इनको भ्रष्टाचार में नंगा कर देने पर खराब वा.प्र.प्र. लिखा गया था। इस तरह जिस डॉ. पड़ौदा को मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नंगा करने पर शासन ने हटाया था। उसने डा. आलम और मंत्री श्री नितीश को भ्रष्टाचार का साथी होने के जोर से मुझे हटाया था। इस त्रुटि पूर्ण होने के मुद्दे पर मैंने, श्री एन. विट्ठल देश के सतर्कता आयुक्त, 50 से ज्यादा सांसदों (जिनमें सत्ता पक्ष के भी के थे) तथा श्री नाना जी देशमुख जो उस समय सत्ता पक्ष के समक्ष जोर देकर पक्ष रख सके थे, की भी कुछ न सुनी गई। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम के समक्ष रखी गई सब बाते नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला था वह भी शायद इसके इतिहास में अपने आप में एकाध ही रहा होगा। कैसे दो ईमानदार राष्ट्रध्यक्षों (सर्वश्री वाजपेयी प्रधान मंत्री एवं श्री कलाम राष्ट्रपति) को भी कुछ न कर पाने की स्थिति में ला दिया था। ऐसी स्थिति में भी मुझे डा. पडौदा को सचिव पद से हटवा देने तथा डॉ. ए.सी. सक्सेना को मुअतिल (सस्पेंड) करा देना ही बड़ी बात थी।

यद्यपि इन दोनों पर लगाई गई जांचों की लीपा-पोती कर दी गई। डॉ. पडौदा तो हटने के बाद 40 दिवस में ही वापस आ गया था और भरपूर भ्रष्टाचार चालू कर दिया था किंतु भयवश इसका कोई कुछ बिगाड़ने का यत्न भी नहीं कर रहा था। ऐसे समय में मैंने एक वकील को अपने दस्तावेज दिये और सी.बी.आई. पर उच्च न्यायालय में प्रकरण डालकर जनहित याचिका के माध्यम से जांच पूरी कर डा. पडौदा को हटाने की प्रक्रिया चालू की। यद्यपि यह प्रकरण सी.बी.आई. पर था किन्तु न्यायालिन वकील का खर्च परिषद से देने का

घपला किया गया। इस प्रकरण को यहाँ एक ओर डा. पडौदा के कारनामों को अखबारों ने उछाला तो दूसरी ओर सरकार पर भारी दवाब बना, फलस्वरूप इसे भारत छोड़ विदेश भागना पड़ा था। किन्तु भागने के पूर्व उसने मेरे ऊपर दूसरी विभागीय जांच लगा दी थी और बाद में उसमें एक ऐसा जांच अधिकारी बना दिया था जिसके रु. 6 लाख के घपले मैने वर्षों पूर्व उजागर किये थे। इस तरह परिषद से एक तानाशाह की विदाई हुई थी इसका एक लाभ मुझे भी तुरन्त मिला था कि वर्षों से चली आ रही विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में मैने भाग लिया एवं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने मुझे चयनित किया जो डा. पडौदा के रहते कठिन थी। मुझे मेरी योजना कम्प्यूटर नेटवर्क देशभर के कृषि क्षेत्र में लगाकर इसे सफल बनाकर दिखाने की थी। डा0 पडौदा ने इस योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार फैलाकर पहले तो तहस-नहस किया किन्तु जब मैने भ्रष्टाचार को रोकने की सफलतापूर्व कोशिश की तो मुझसे सारा का सारा काम तथा स्टाफ छीन लिये। फिर भी मैने अपने तथा अपने इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर (नेटवर्क) के माध्यम से इसका प्रबोधन चालू रखने में सफलता पाई तो मुझे मेरे परिषद के मुख्यालय से ही सेवा से टर्मिनेट करा दिया। क्योंकि इससे उसको भ्रष्टाचार की राशि कमानी थीं। परिषद मुख्यालय के बाहर होने पर भी मुझे अपनी योजना के तहस-नहस होने खबरें मिल रहीं थीं और मन में एक टीस-सी बनी रहती थी। चूंकि मैं 1वर्ष तक कहीं पदस्थ नहीं हुआ था अतः जैसे ही मैं पुनः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंजीनियर संभाग में पदस्थ हुआ पुनः एक बड़ी परियोजना इसी कम्प्यूटर नेटवर्क के प्रभावी आंकलन में ले ली थी। इसका लाभ भी मिला था क्योंकि पूरे देश में इसका प्रचार भ्रष्ट लाबी ने इस धमकी के साथ दिया था कि इससे संबंधित जानकारी मुझे न दी जाय। किंतु इसका प्रभाव उल्टा रहा था और इसके भय के कारण ही भ्रष्टाचार कम हो गया था।

पुस्तक लेखन के लिये हजारों पृष्ठों की प्रमाणित प्रतियां परिषद तथा अन्य जगहों से सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लगभग 10 आवेदन देकर लिये गये और वर्तमान में लिये जा रहे हैं जिससे तथ्यों को सटीकता से प्रस्तुत किया जा सके।

इस घटनाक्रम के प्रकाशन की मेरी योजना बनी। पहले प्रयास में 'भ्रष्टाचार का बोलबाला' में एक कालांश का वर्णन देकर छापा। इसकी लगभग एक हजार प्रतियां बिकते-बिकते इसे मैने अपनी बेवसाइट www.corruptions and corrupt.com में इस पूरी पुस्तक को डाल दिया। इसका उद्देश्य था कि इसे मुफ्त में जब, जहाँ एवं जैसी भाषा में चाहे पढ़ें, इसकी प्रतियाँ निकालें और इससे लाभांवित हों। अभी भी अपेक्षा है कि बदली हुई सत्ता इन प्रकरणों की जांच सही-सही सी.बी.आई. या अन्य तंत्र से कराकर दोषियों को दण्डित करे।

प्रस्तुत पुस्तक में जितना आ सका उतना दिया जा रहा है शेष आगामी अंकों में चलता रहेगा। इस पुस्तक के टंकण हेतु अश्वनी कुमार सिंह तोमर तथा चंचल तोमर ने सहयोग



किया साथ ही परिजन अग्रज श्री ब्रह्मचारी सिंह, पत्नी श्रीमती सरला तोमर, पुत्र अनुराग तथा पुत्री अंकिता का भी अनेक तरह से सहयोग रहा, उनका आभार। इस संघर्ष के समय साथ देने वाले सर्वश्री ठाकुर रणधीर सिंह, बाबूलाल जांगीडा, नरेश चंदर सूदन, स्व. रामरेखा सिंह निशंक का मैं सदा आभारी रहूंगा जिन्होंने समय-समय पर संबल दिया। पुस्तक लेखन में समय-समय पर मार्गदर्शन करने वाले विख्यात वकील सर्वश्री प्रशांत भूषण, दीनानाथ बत्रा, अतुल कोठारी एवं डा. जयदीप आर्य का भी आभारी हूँ। मित्र गण जो सहयोग देते रहे सर्वश्री दयाशंकर सिंह, सिद्धेश्वर प्रसाद, वी.टी. प्रभाकरण, जनार्दन-सुंदरेशन पिल्लई, नरेश चंदर सूदन, डा. विनोद कुमार पांडेय तथा डा. हरशिंकर शर्मा के सहयोग के लिये साधुवाद।

**सदाचारी सिंह तोमर**
**Sadacharisingh@gmail.com**
www.corruption-and-corrupts.com
Mo. 09868037736/08368753280

# अनुक्रम


- शीर्षक (iii)
- आपकी अनुभूति (v)
- प्रस्तावना (vii)
- भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुवानी 1
- विश्व बैंक की राशि कृषि पशुपालन, पर्यावरण आदि की परियोजनाओं एवं कप्यूटरीकरण हेतु 5
- चित भी मेरी पट भी मेरा 12
- जाँच और इस पर भी हेरा फेरी 13
- पूरे देश के 437 एक मद के एवं 327 दूसरे मद के केन्द्रों की जगह मुख्यालय के कम्प्यूटर नेट तक सीमित करने का षड्यंत्र 14 15
- राजनीति से इतर बाह्यशक्तियों को खुश रखने की चाले 16
- बंदर घुड़कियों को श्री नितीश कुमार के मंत्री पद पर बैठते ही वास्तविकता में बदलने की साजिश 17
- सभी प्रावधानों, समितियों की संस्तुति तथा नियमों को रौंदते हुए भ्रष्टाचारियों ने जारी किये आदेश 18
- मुझे नेस्तनाबूद करने की धमकियाँ 21
- माँ की मृत्यु मुझे असहनीय वेदना दी गई 21
- कम्प्यूटरीकरण में भ्रष्टाचार के पालन पर जोर 23
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सर्वर, प्रिंटर, मोडम, नोटबुक कम्प्यूटर खराबी रिपोर्ट पर दण्ड 26
- कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि के प्रशिक्षण, रख-रखाव आदि में कमी का परिणाम 27
- इलिटेक्स वर्कशाप में भाग लेने की लालसा 28
- लोकल नेटवर्क एरिया की समस्या 29





- कृषि विज्ञान केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण को सही चलाने हेतु श्री नाना जी देशमुख की सलाह 30
- कम्प्यूटरनेट पत्रिका द्वारा प्रशंसा से चौकड़ी को जलन 33
- मंत्री श्री अरुण शौरी, हुकुमदेव नारायण यादव तथा समाज सेवी श्री नाना जी देशमुख की कम्प्यूटरीकरण पर सुझाव 35
- अतिथि गृह में रहते हुए मकान किराया लेने पर कारवाई 37
- इमानदारों को तुरत-फुरत हटाने की कारवाई 40
- निष्पक्ष लोगों को कम्प्यूटरीकरण से हटाने के दुष्परिणाम 45
- मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव के लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं 47
- मंत्री श्री सुंदर लाल पटवा द्वारा कम्प्यूटरीकरण के भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास 52
- कम्प्यूटरीकरण के ईमानदारों से बदला लेने हेतु पत्राचार कर फाइल मोटी करने के प्रयास 58
- भुक्तभोगी पत्नी द्वारा कम्प्यूटरीकरण की शुद्धता बनाने हेतु पत्राचार 65
- कम्प्यूटरीकरण पर राजनेता श्री कुशाभाऊ ठाकरे से चर्चा एवं सलाह 76
- अखबार के प्रतिनिधि सुश्री कूमी कपूर द्वारा कम्प्यूटरीकरण घपले, टाइपिंग सुविधा बंद करने आदि का प्रकाशन एवं बदमाश टाइपिस्टों से शिकायत लेकर परेशान करने के षड्यंत्र 86
- मुझे हटाने के अफवाह का बाजार गरम 90
- कम्प्यूटरीकरण जाली प्रोफार्मा एवं हटाने के षड्यंत्रों 97
- जालसाजी पर दण्डात्मक कार्यवाही की आवश्यकता एवं अपेक्षा 104

- कम्प्यूटर के घपलों पर कार्यवाही हेतु कृषि राज्य मंत्री हुकुम देव नारायण यादव का कृषि मंत्री को पत्र 108
- द इण्डियन एक्स प्रेस का खुला समाचार जो सचिव पड़ौदा को ले डूबा 119
- भ्रष्ट चौकड़ी को मेरा खुला पत्र जिसे दोहराने में उन्हें शर्म लगती थी 121
- एक ईमानदार अवर सचिव के कारण भ्रष्टों को अनियमितताओं से घोर अनियमितताओं की ओर बढ़ना पड़ा 136
- महानिदेशक एवं सचिव पर कार्यवाही करने हेतु जनहित याचिका 145
- प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के नंगा नाच का खुला चिट्ठा
- सतर्कता विभाग से सतर्क चौकढ़ी 149
- कृषि मंत्री श्री नीतिश कुमार को भ्रष्टाचार खुलासे का खुला पत्र एवं कार्यवाही की मांग 151
- चापलूस निदेशकों में एक निदेशक की यथा-कथा 153
- मुझे गलत साबित करने के लिए उप निदेशक ने खोला पत्रों का पिटारा 160
- मुझ पर अवैधानिक कार्यवाही करने के लिए सांसद से अनैतिक एवं झूठा पत्र लिखवाने की कुकृत्य चाल 168
- आगे न बढ़ने देने के लिए चक्रव्यह की रचना 173
- डॉ. आलम उपमहानिदेशक द्वारा मेरी जासूसी करने का कुत्सित प्रयत्न, लालच एवं धमकी 174
- परिषद में महानिदेशक तथा सचिव बनने के लिए मेरी प्रोफेशनल स्थिति तथा चुनौती 175
- महानिदेशक तथा सचिव पद की स्पर्धा के नाम से तथा ये दोनों पद अलग-अलग व्यक्तियों को देने से भ्रष्टाचार में कमी 180





- महानिदेशक, उपमहानिदेशक तथा राष्ट्रीय निदेशक पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप 181
- भ्रष्ट और चोर दोनों तरह के व्यक्ति अन्यों को भी ऐसा ही समझकर पत्रों (मेमो) की भरमार 188
- इसका उत्तर उसी पत्र के ऊपर ही लिखते हुए मैंने लिखा 192
- अग्रसोची सदा सुखी 206
- सबसे अमोघ अस्त्र गोपनीय चरित्रावली या वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन लेखन 208
- किसी तरह दोष ढूँढ़ना 214
- सूचना अधिकार अधिनियम से महाझूठ का खुलासा 215
- तथ्य, कृत्य से सारांश की ओर 219
- श्री नितीश कुमार मंत्री का जाहिलपन एवं षड्यंत्रकारी कृत्य 220
- कैसे हुआ और होगा समस्या (भ्रष्टाचार) का हल 223


❖❖

# भ्रष्टाचार की कहानी मेरी जुबानी

लगभग 40 वर्षों की शासकीय सेवा में भ्रष्टाचार से जूझने का मौका मिला था। यह एक सुअवसर था जिसे भोगकर मैं यथार्थ में विवरण प्रस्तुत कर सकूं। मैं इस सुअवसर को भोगने के पश्चात अनुभव कर इसे ऐसे छोंड़ने वाला नहीं हूँ। इसे पाठकों को पुस्तक के माध्यम के साथ ही बेबसाइट (http://www.corruption-and-corruption.com) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर जाता है पर इसे नीचे वाले भी (यदि ऊपर वाले व्यक्ति दृढ़ न हों तो) ऊपर तक चढ़ा देते हैं। तात्पर्य यह कि भ्रष्टाचार कहीं भी फल-फूल जाता है। इसमें यदि अंकुश न लगाया गया तो यह मानव सभ्यता को भी लील जायेगा। चाहे पर्यावरण की परियोजनायें हों, आतंकवादी गतिविधियाँ हों या अन्य कोई शासन द्वारा चलाये जा रहे विकास के कार्य हों, सभी भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं। मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि कोई भी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्ति पाता है तो वह सरलता से भ्रष्टाचार की ओर झुकता है। चूंकि आज बहुमत भ्रष्ट अधिकारियों का है। अतः यदि कोई ईमानदार शासकीय सेवक होता है तो उसे कठिनाईयां झेलनी पड़ती हैं। ईमानदारी का रास्ता दूभर लगता है और सरल रास्ता भ्रष्टाचार का ही उसे सूझता है और वह उसी रास्ते पर चल पड़ता है।

शासकीय सेवा के अंतिम पड़ाव में जब मुझे सेवा निवृत्त होने के 25 वर्ष शेष थे तब मैं भोपाल (मध्य प्रदेश) से दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) में सहायक महानिदेशक के पद पर पदस्थ होने चला था। ऐसी गुंजाइस थी कि मैं भारत सरकार के सचिव एवं भा.कृ.अ.प. का महानिदेशक बन सकता हूँ। किंतु राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 'जो प्रत्येक लगभग एक-एक हजार करोड़ रु. की थी' के लिए चुने जाने के बाद मॉनीटरिंग के लिए पदस्थ किया गया था, इसमें अत्यधिक भ्रष्टाचार फलफूल रहा था। मेरी पदस्थापना के बाद वहां बड़े-बड़े सचिव, उप महानिदेशक, जैसे सर्वश्री डॉ. राजेन्द्र पड़ौदा, मंगला राय, अनवर आलम, एस.एल. मेहता (तात्कालीन चौकड़ी) आदि जानकारों में हड़कम्प मच गया था। मेरी पदस्थापना वाला क्षेत्र





जिसमें कम्प्यूटर, प्रिंटर, मोडम, वी सैट, यू.पी.एस., ए.सी. आदि का क्रय करके पूरे देश के कृषि क्षेत्र में नेटवर्क खड़ा करना था। मेरे चरित्र को जानने वाले भ्रष्टाचारियों ने मेरी पदस्थापना का भरपूर विरोध किया था। किंतु भला हो तात्कालीन कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र का जिन्होंने मेरी नियुक्ति का आदेश दिया। भले ही वर्ष 1997 के चयन को 1998 तक लटकाये रखा गया हो, किंतु अंततः मैं पदस्थ हो गया।

पदस्थ होते ही पूरी योजना के काम का मूल्यांकन कराने के मेरे निर्णय ने सभी भ्रष्टाचारियों में कंपकंपी फैला दी थी। भोपाल स्थित राज्य शासन में संयुक्त संचालक रहते हुए उजागर किये गये भ्रष्टाचार से कुपित लोगों से अपनी जान बचाने के लिए मुझे लायसेंस लेकर रिवाल्वर तक खरीदना पड़ा था। राज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में संचालक के पद पर उजागर किये भ्रष्टाचार का इतना प्रभाव हुआ था कि परिषद के महानिदेशक डॉ. पड़ौदा को दिल्ली से वहां (भोपाल) मेरे खिलाफ झूंठी जांच कराने की अनुमति देनी पड़ी थी। भा.कृ.अ.प. दिल्ली में जब तक श्री चतुरानन मिश्र एवं श्री अटल विहारी वाजपेयी अध्यक्ष एवं मंत्री थे, तब-तक ज्यादा समस्या मेरे ऊपर नहीं आने पाई। किंतु जैसे ही श्री नितीश कुमार कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, वैसे ही चौकड़ी ने अपना असली भ्रष्टाचारी रूप दिखाया। यद्यपि बीच में थोड़े समय के लिए ईमानदार श्री सुन्दरलाल पटवा जी मंत्री बने, तब पुनः इस चौकड़ी ने अपनी दुम-दबाकर छिपना ही उचित समझा किंतु इसके बाद तो भ्रष्ट मंत्रियों के आने की झड़ी लग गई। मेरे पूरे सेवा काल में एक-से-एक भ्रष्ट कृषि-मंत्री आते रहे और मैं उनमें ईमानदारी ढूंढ़ता रहा। ये सभी परिषद को चारागाह समझते रहे, किसी ने भी ईमानदारों को संरक्षण या न्याय देने की कोशिश नहीं की।

योजना के प्रारंभिक अवस्था का जिक्र पूर्व की पुस्तक ''भ्रष्टाचार का बोलबाला'' में प्रस्तुत किया गया है। आगे का विस्तृत विवरण इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि यह देश के विकास की आंतरिक राशि मात्र नहीं बल्कि विदेशों एवं विश्व बैंक से लिए गये विकास के ऋण पर भी डाका डाल रहा है।

कहते हैं जब ''बाड ही खेत खाने लगे'' तो खेत की सुरक्षा तो की ही नहीं जा सकती। पहले परिषद के अध्यक्ष सर्वश्री चतुरानन मिश्र एवं अटलविहारी वाजपेयी जी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जो कि ईमानदार छवि वाले थे। अतः जब मैं वेंडर पर दण्डात्मक कार्यवाई करता था तो 'चौकड़ी' मेरे ऊपर कार्यवाई नहीं कर पा रही थी एवं मन मसोस कर रह जाती थी। किंतु अब तो मंत्री श्री नितीश कुमार जी आ गये थे और इन्होंने 'चौकड़ी' के साथ समभाव स्थापित कर लिया था, तो फिर 'चौकड़ी' क्यों डरती। अब वह 'चौकड़ी' मेरे ऊपर कार्यवाई कराने पर उतर आई थी। मैंने राष्ट्रीय निदेशक डॉ. मंगलाराय को दि. 06.09.1999 को, कम्प्यूटर आदि की आपूर्ति में फर्मों द्वारा जो देरी की जा रही थी उस पर दण्डात्मक कार्यवाई (लिक्वीडेटेड डैमेज के अंतर्गत) करने को कहा और पत्र की प्रतिलिपि उपमहानिदेशक डॉ. आलम, परिषद के सचिव श्री बी.के. चौहान, वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी, परिषद के वित्तीय सलाहकार श्री राकेश और फर्मों

को दी थी। किंतु जब कोई कार्यवाई नहीं हुई तब मैं उन्हें प्रशिक्षण पर हो रही अनियमितता आदि बावद दिनांक 21.09.99 के पत्र से लिखा। इस पर भी कार्यवाई न होने से फर्मों पर दण्डात्मक कार्यवाई करते हुए रू. 1.3 करोड़ का लिक्वीडेटेड डैमेज आदि का दण्ड लगाया। इस पत्र की प्रति भी 'चौकड़ी' को दी थी। अब 'चौकड़ी' श्री नितीश कुमार के आते ही खुश हो गई थी। अतः दि. 07.12.99 को 'लेटर ऑफ क्रेडिट' खोलने की अवधि बढ़ाने के बावद मुझे पत्र लिखकर मेरे कमेंट तुरंत राष्ट्रीय निदेशक को मार्क किया, क्योंकि 'लिक्वीडेटेड डैमेज' वाले पत्र मैने डॉ. मंगलाराय को ही लिखे थे।

मैंने 'लेटर ऑफ क्रेडिट' को बढ़ाकर खोलने की बात, 'लिक्वीडेटेड डैमेज' में (जो मैंने दण्डात्मक कार्यवाही की थी) जोड़ दी और परियोजना इकाई को इस पर अपने विचार देने के लिए कहा। इसमें 'चौकड़ी' फंस गई, क्योंकि देरी से प्रदाय पर दण्ड एवं 'लेटर ऑफ क्रेडिट' की खोलने की अवधि बढ़ाना (जिसके खोलने के बाद माल आपूर्ति की अवधि स्वतः ही बढ़ जाती और उन पर लगाया दण्ड खत्म हो जाता) उनके लिए हितकर था और मेरी अनुमति भिन्न हो जाती तो इससे इनकी सुविधाजनक स्थिति बन जाती। किंतु जब मैंने अपनी अनुमति देने के पूर्व उनकें कमेंट मांग लिया तो उप महानिदेशक डॉ. आलम बौखला गये, अब काम गड़बड़ा गया था। उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसे ही हस्ताक्षर कर पत्र वापस कर दूंगा और 'चौकड़ी' 'लेटर ऑफ क्रेडिट' बढ़ा लेगी, पर ऐसा न हुआ, अतः मुझ पर गुस्सा उतारते हुए उन्होने कहा कि लिक्वीडेटेड डैमे़ज पर कमेंट मैने क्यों मांग लिया। ऐसा करते हुए डॉ. आलम सीधे परिषद के महानिदेशक डॉ. आर.यस पड़ौदा के चैम्बर में गये और उन्हें बताया। तुरंत ही डॉ. पड़ौदा का मुझे फोन आया, जिसके द्वारा उन्होने मुझे परिषद से निकालने एवं अन्य समस्या उत्पन्न करने की धमकी दी। दि. 07.12.1999 को उनके द्वारा जो धमकी मुझे दी गई थी जिससे मैं भी समझ चुका था कि अब परिषद के अध्यक्ष श्री. नितीश कुमार की सहमति से यह काम हो रहा था। क्योंकि मुझे सेवा से निकालने का अधिकार मात्र अध्यक्ष के पास था, वह भी जांच में कोई दोष साबित हो जाने पर।

अब मैं इस पूरी 'चौकड़ी' की चाल समझ चुका था। मैं दि. 07.12.99 को श्री. यन विट्ठल सतर्कता आयुक्त दिल्ली से (उनके कार्यालय के कमरे में) जाकर दिये समय में मिला। उनके आज्ञा अनुसार 10 मिनट में उन्हें पूरे भ्रष्टाचार की बात संक्षेप में बताई। उन्होंने अपने कार्यक्रम का एजेंड़ा तय किया। उसके बाद मैं कार्यालय वापस आ गया। यह दूसरी बार था जब 'चौकडी' ने मेरे ऊपर वह कार्यवाही (मुझे हटाने की) करने की बात उस स्तर पर की थी जो उनके अर्न्तगत नहीं आता था, बल्कि यह अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र था। इस तरह अध्यक्ष के अधिकार का वह 'चौकडी' दुरुपयोग कर रही थी। प्रथम जब श्री नितिश कुमार कृषि मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष पर पदासीन हुए तो दि. 22.11.99 को ही डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने पूर्व मंत्री द्वारा स्वीकृत मेरे बैंकाक भ्रमण कार्यक्रम को बिना मंत्री के आदेश (मौखिक आदेश शायद दिया हो) के पूर्व के मंत्री के द्वारा निकाले गये भ्रमण आदेश पर (भूत लक्षी प्रभाव से) अतिक्रमण करते हुए मुझे न केवल विदेश जाने से रोकने



का प्रयास किया बल्कि उसी बिन्दु पर विभागीय जांच भी मुझे सेवा से हटा देने के लिये की गयी थी । यह सब श्री नितीश कुमार के सम्मुख एवं उनके आदेश से होता रहा। जबकि उन्हें मालुम था कि पूर्व के मंत्री द्वारा मेरा बैंकाक का भ्रमण का आदेश यथावत था, उन्होंने भी इस आदेश को रद्द नहीं किया था फिर श्री डॉ. आलम ने इस आदेश के विपरीत कैसे मुझे विदेश जाने से रोका था। इसके लिये अध्यक्ष श्री नितीश कुमार को डॉ. आलम के ऊपर जांच बैठाकर उन्हें पद से हटा देना चाहिये था। पर श्री नितीश कुमार जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि 'चौकड़ी' तो उनके मन माफिक काम कर रही थी, जिससे उनका अनैतिक काम हो रहा था।

दि. 30.11.99 को मे. सीमेंस ने उपमहानिदेशक डॉ. आलम को जो पत्र लिखा था वह *''उल्टाचोर कोतवाल को डांटे''* की स्थिति को चरितार्थ कर रहा था। इसमें मे. सीमेंस ने काम में देरी का कारण लिखा था, मोडम का परीक्षण नहीं हो सकने का कारण था कि परीक्षण एजेंसी ने 'आन लाइन' परीक्षण हेतु टेलीफोन लाइनें चाही थी, किंतु उनके बार-बार कहने पर भी परिषद की संस्थान 'नेशनल ब्यूरों आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स' ने मात्र दो लाइने दी। उनमें भी टेलीफोन एक्सचेंज पुराना होने के कारण ये लाइनें मोडम परीक्षण हेतु उचित नहीं पाई गईं। 'जबकि 'चौकड़ी' ने नियमों का उलंघन करते हुए यह स्थान (परीक्षण हेतु) अवैध रूप से मे. सीमेंस को उपकृत करने एवं भ्रष्टाचार की राशि वसूलने के लिये दिया था। जबकि दस्तावेज में प्रावधान था कि परीक्षण, आपूर्तिकर्ता फर्म या उसके सहयोगियों के ठिकाने में हो सकता है जिसमें पूर्ण सुविधायें एवं सहयोग फर्म द्वारा दिया जायेगा। इसमें क्रेता (परिषद) की कोई भी राशि खर्च नहीं होगी। इसके बावजूद भी 'चौकड़ी' ने न केवल अवैधानिक रूप से अपनी संस्थान का स्थान उन्हें परीक्षण हेतु मुफ्त में दिया बल्कि सभी सुविधायें भी दी, जो पूर्णतयः अवैध थीं। इसके बावजूद आपूर्ति एवं परीक्षण में देरी होने का कारण फर्म हमारे ऊपर ही मढ़ रही थी। हमारे ऊपर मिथ्या दोषारोपण फर्म कर रही थी, अपनी जिम्मेवारी हमारे सर मढ़ रही थी, और हम उस पर कार्यवाही भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 'चौकड़ी' कमीशन खा रही थी। इस पत्र का सही जवाब न मिले इसलिए फर्म ने मुझे पत्र की प्रतिलिपि नहीं दी थी।

यह फर्मो का षडयंत्र जो 'चौकड़ी' के सहयोग से पनप रहा था। इसके प्रारंभ में जानबूझकर विज्ञापन में की गई, देरी के कारण जो कम्प्यूटर नेट उपकरण वर्ष 1998 के अंत तक आ जाने चाहियें थे वह दि. 09.02.99 के क्रय आदेश हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं मिल रहे थे। इस कारण जिन परिषद सहयोगी संस्थाओ ने परिषद के माध्यम से कम्प्यूटर मंगवाये थे वे तड़फड़ा रहे थे, उनकी योजनायें धराशाई हो रही थीं (इसके बारे में मैं भी परियोजना प्रबंधन समिति में सतत यह बात उठा रहा था। जिससे आगामी क्रय में विकेंद्रीकृत खरीदी करने का र्निणय हुआ)। उनमें से एक श्रीमती रीता शर्मा संयुक्त सचिव भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 02.12.99 को सीधा पत्र परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक डॉ. मंगलाराय को लिखा गया था, जिसकी प्रति परिषद के उपमहानिदेशक

डॉ. आलम विश्व बैंक 'टास्क मैनेजर' डॉ. अशोक सेठ एवं 'कसंलटेंट' श्री. डी. बक्सी को दी गई थी। इसमें संयुक्त सचिव ने लिखा था :–

''आपको ज्ञात है कि आवश्यकतानुसार हमारे विभाग ने आपकी परियोजना क्रियान्वयन इकाई के केंद्रीयकृत क्रय योजना के तहत हमारे 4 अवयवों हेतु उपकरणों के क्रय परिषद से करने का प्रावधान किया गया था एवं विश्व बैंक द्वारा निंधारित क्रय राशि आपको हस्तांतरित की गई थी। किंतु हमें *'पेंटियम-2 पी.सी.'* ही मिला है। इस परिस्थिति में और हमारी सूचना प्रणाली के समयबद्ध विकास के लिये हमने परियोजना प्रबंधन समिति का जो दि. 13.11.99 का विकेंद्रीकृत का निंणय लिया है उसके तहत विश्वबैंक के *'टास्क मैनेजर'* (श्री. अशोक सेठ) एवं कंसलटैंट (श्री बक्शी) से सहकारिता विभाग के श्री सदामतें, एसी (इयम) की बातचीत हुई है।

चर्चा कर यह तय हुआ है कि कम्प्यूटरों के आगामी क्रय की राशि जो लगभग $20,000 आती है उससे हम विकेन्द्रीकृत कर क्रय स्वयं करेंगे। इसलिए निवेदन है कि हमारी जो आपसे आगामी वर्ष 1999-2000 के कम्प्यूटर क्रय हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई थी उसे अपने क्रय दस्तावेज से हटा दें, और यथानुरूप विश्व बैंक से इस मुद्दे पर चर्चा कर लें।''

## विश्व बैंक की राशि कृषि पशुपालन, पर्यावरण आदि की परियोजनाओ एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु उपलब्धता :-

इस तरह 'चौकड़ी' द्वारा किया गया घपला न केवल परिषद को हानि पहुंचा रहा था बल्कि इससे जुड़े देश भर के कृषि विश्वविद्यालय, 'मैनेज', 'आत्मा', कृषि एवं सहकारिता विभाग आदि संस्थायें प्रभावित हो रही थीं और इस नवीन सूचना तकनीकी की भ्रूण हत्या परिषद में बैठी 'चौकड़ी' और उसके आका श्री नितीश कुमार (मंत्री) अपना हित साधने के लिए कर रहे थे। ये संस्थायें तथा अन्य संस्थायें जिन्होंने पशुपालन, मछलीपालन, पर्यावरण, औषधि, रसायन एवं खाद, धातु, जल संसाधन, भूविज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन, लघु एवं सीमांत उद्योग, खनन, ऊर्जा संरक्षण,अयस्कों से बीमारी एवं बचाव, ऊर्जा के नवीकरणीयस स्रोत, ग्राम्य एवं पंचायत विकास, फालतू पड़ी जमीन जैसे ऊसर, रेलवे के आसपास आदि का विकास, महिला एवं शिशु विकास, भोज्य संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार क्रय आदि से संबंधित परियोजनायें ली। वहाँ के लिये भी इन विश्व बैंक की दोनों परियोजनाओं से राशि दी गई थी। अप्रत्यक्ष रुप से ये परियोजनायें तथा उनसे सम्बन्धित विषय वस्तु, कोयला, संचार, उपभोक्ता, संस्कृति,रक्षा,उत्तर पश्चिम क्षेत्र विकास, जल-मल कार्यक्रम, वैदेशिक गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन, भारी उद्योग, रोजगार, परिवर्तन, पर्यटन, आदिवासी क्षेत्र, युवक कार्यक्रम आदि सभी आज के कम्प्यूटरीकरण एवं उसे इंटरनेट से जोड़ने के कार्यक्रम एक था इसके रूप से प्रभावित हैं। इन सभी के कम्प्यूटरीकरण से भ्रष्टाचार में काफी गुंजाइश थी और वह की भी जाती रही। वैसे भी



कम्प्यूटरीकरण या सूचना प्रौद्योगिक प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ गया है एवं भ्रष्टाचार से प्रभावित रहा है। मैं इनके कृत्य को सभी के समक्ष 'परियोजना प्रबंधन समिति' में उजागर कर देता था, जिससे सब अवगत हो गये थे। इसी कारण कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अपने विभागों एवं शाखाओं से संबंधित सभी कम्प्यूटर क्रय, जो परिषद में 'चौकड़ी' के बदमासी के अंतर्गत किये जा रहे थे, उनको उपरोक्त पत्र लिखकर उनसे अलग कर अपनी खुद की क्रय व्यवस्था अलग से करने का ठान लिया एवं आगामी वर्षों से अपना अलग क्रय करना चालू कर दिया। विश्व बैंक के कर्मचारी सर्वश्री सेठ एवं बक्सी भी तो भारतीय ही थे जिनसे 'चौकड़ी' अपने अच्छे संबंध बनाये थी। विश्व बैंक के अधिकारी भी 'चौकड़ी' के कदम-से-कदम मिलाते रहे और इसका विरोध नहीं किये, जबकि मैं उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराता रहा।

दिनांक 04.02.99 को कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल से प्रधान वैज्ञानिक (कृषि में कम्प्यूटर का उपयोग) के चयन का एक विज्ञापन निकला था, जिसमें इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान में पीएच.डी. योग्यता मांगी गई थी। इसमें चुने गये वैज्ञानिक का कार्य मुझे (सहायक महानिदेशक, कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) सहयोग करना था। इस वैज्ञानिक का चयन हुआ एवं मेरे साथ काम भी करने लगा, किंतु जैसे ही 'चौकड़ी' को आभास हुआ कि वह तल्लीन होकर मेरे साथ कार्य कर रहा है तभी 'चौकड़ी' ने उसे मेरे पास से हटाकर अन्यत्र लगा दिया। यही नहीं उसके द्वारा जो कार्य करने लायक नहीं भी था या जो उसकी ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता था वह कार्य भी उससे सम्पन्न कराया गया। तात्पर्य यह था कि वह कोई भी कार्य करे किंतु हमारी योजना से संबंधित जो कार्य आवश्यक था और मेरे द्वारा इन्हें दिया जा रहा था उसे न करें। ऐसा इसलिए भी था कि योजना में जो गल्तियाँ हो रही थीं उनको रोकने हेतु कार्यवाई मेरे द्वारा कराई जा रही थी, जबकि 'चौकड़ी' चाह रही थी कि हो रही गल्तियाँ सतह पर न आयें और ऐसा कार्य कराया जाय जिससे उनका भ्रष्टाचार चलता रहे।

इधर 'बाड खेत खा रही थी' उधर मैं तड़फड़ा रहा था। मेरी नियति में अपनी योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को सहन करने की आदत ही नहीं थी। तब भी नहीं जब राज्य सरकार में इतने ज्यादा एवं बड़े भ्रष्टाचार से लड़ते वक्त मुझे अपनी जान की कुर्बानी की स्थिति बन गई थी और मुझे सुरक्षा के लिए *'रिवाल्वर का लायसेंस लेकर'* रिवाल्वर खरीदकर जान बचाने की योजना क्रियान्वित करनी पड़ी थी। यहां पर जब मैंने समझ लिया कि परिषद के ऊपर तक के लोग इसमें अपना हाथ साफ करने में लगे हैं, तब मैंने देश भर के ईमानदारी के लिए विख्यात व्यक्ति एवं मंत्रियों को पत्र लिखना चालू किया। ऐसे ही एक कार्यालयीन पत्र का तुरंत जवाब मुझे दि. 06.12.99 को श्री अरुण शौरी (राज्यमंत्री योजना), पब्लिक ग्रीवांस का प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने मुझे लिखा ''प्रिय डॉ. तोमर आपके पत्र के लिए बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे लिखित में कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी दें। इससे आगे की कार्यवाई में समय की चहुंओर बचत होगी।'' इस पत्र को पाकर मुझे बहुत खुशी हुई थी

क्योंकि कई पत्रों के लिखने के बाद यह एक जवाब मिला था। और यह उस व्यक्ति से था जिसके बारे में तथा उसके परिवार की ईमानदारी के बारे में बात मैंने सुन रखी थी। मुझे एक आधार सा मिल रहा था कि जो वास्तव में ईमानदार हैं वे मंत्री बनने के बाद भी ईमानदार रहते हैं। ऐसे पत्रों से मुझे सम्बल मिलता था, संतोष होता था।

जब 235 केन्द्रों में (रू. 1000 करोड़ के खर्च की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना से) एवं 437 केन्द्रों में (रू. 1000 करोड़ की अन्य राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना से) आंतरिक खर्च में भ्रष्टाचार की तथा कम्प्यूटर के आद्यतन बनाने की 100 से ज्यादा केन्द्रों की शिकायतें मेरे पास एकत्रित हो गईं इनके ऊपर जवाबी कार्यवाई हेतु पत्र लिखने की सुविधा (मेरे टाइपिस्ट) मुझसे छीन ली गयी तब मैंने दि. 06.12.99 को इस हेतु नोटशीट प्रस्तुत की। किंतु इसका कोई जवाब या टायपिस्ट की माकूल व्यवस्था परिषद के सचिव द्वारा नहीं की जा सकी। और दोनों ही परियोजनाओं में अधूरी आपूर्ति, नेटवर्क को लगाने (चालू) करने की समस्या, 'लैन' गाइड लाइन, कनेक्टीविटी का माध्यम, चौबीसों घंटे सर्वर को चालू रखना, रख-रखाव, नेट को बहुभाषी बनाने का कार्य, वेब साइट का निर्माण इत्यादि समस्याओं के समाधान हेतु पत्रोत्तर भी देना कठिन कर दिया गया था। मेरी टीप पर सचिव, उप महानिदेशक आदि सभी ने टीप दी किंतु मुझे टाइपिस्ट नहीं दिया गया। वहीं श्री राम निवास टाइपिस्ट (जो पागलों की तरह कोरीडोर के चौरास्तों पर घंटो खड़ा रहता था, जिसे जांच अधिकारी ने भी (जाँचकर) अकर्यमण्ड बताया था) को मेरे साथ कागजों में जोड़े रखा जिसने न कभी कोई फाइल रखी, न ही कभी वह मेरे कमरे में आया एवं न ही कोई टाइपिंग का काम किया। केवल नाम मात्र के लिये उसको मेरे साथ जोड़े रखा गया। मेरे बार-2 कहने पर कि वह अवसाद में है कभी भी उसकी डाक्टरी जांच नहीं कराई गई। कहा तो यह भी जाता था कि जब ईमानदार अधिकारियों को परेशान करना होता था तब इसे उन लोगों के पास पदस्थ कर दिया जाता था।

दि. 07.12.99 को *'लेटर आफ क्रेडीट'* के बढ़ाने के बाबद जो पत्र मुझे मिला उसमें उपमहानिदेशक डॉ. आलम से चर्चा हुई थी। मैने इस पत्र को राष्ट्रीय परियोजना को भेजा तो था इसमें दण्ड (Liquidated Damage) लगाने के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करने की बात लिखी थी और यही डॉ. आलम को भी बताया था। इस पर डॉ. आलम, महानिदेशक (डॉ. राजेन्द्र सिंह पडौदा) के पास गये एवं उन्हें भी बताया, तब डॉ. पड़ौदा ने मुझे फोन कर कहा कि मैं परिषद के लाइन में रहूँ अन्यथा समस्या पैदा होगी। मैंने महानिदेशक को बताया कि बिना 'परियोजना' के मत के हमारे मत का कोई महत्व नहीं होगा इसीलिये श्री कन्हैया आदि के मत के लिये इसे वहां भेजा गया था। डॉ. पडौदा गुस्साये हुए थे ऐसा लगता था कि वह बहुत जल्दी मुझे परिषद या नौकरी से बाहर कर देंगे।

दिनांक 08.12.99 को विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक में वर्ष 2000 कम्प्यूटर संसोधन (Y2K) की आवश्यकता बताते हुए मैनें बताया कि कैसे हम सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग लेकर Y2K (Year 2000) के बाद के लिए कम्प्यूटर ठीक कर रहे



हैं, जो यदि दि. 31.12.99 तक नहीं हुआ तो कम्प्यूटरों में ऐसी समस्या की आशंका है जिसकी कल्पना मात्र से हम सिहर उठते हैं। हमारा पूरा नेट धारासायी हो सकता है। अतः अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारा सहयोग करें और देशभर के नेटवर्क को 31.12.99 के पूर्व ठीक करा लेवें। इसी अवधि में श्री कन्हैया चौधरी को कहा गया था कि वह 'लेटर ऑफ क्रेडिट' ठीक कराने का काम पूर्ण कर ले, जिससे कुलपतियों को कम्प्यूटर आपूर्ति के बारे में बताया जा सके। मैंने दृढ़ता के साथ कुलपतियों को कहा था कि यदि दि. 31.12.99 तक यह नहीं हुआ तो हम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। दिनांक 10.12.99 को परिषद मुख्यालय में यह अफवाह फैल गई थी कि मुझे अपराधी बनाकर पद से हटाया जा रहा है। दिनांक 13.12.99 को श्री अरुण सौरी एवं श्री एन. बिट्ठल मुख्य सतर्कता आयुक्त भारत सरकार को भ्रष्टाचार का विवरण लिखते हुए मेरे द्वारा पत्र भेजे गये।

दिनांक 08.12.99 को मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर 'चौकड़ी' का ध्यान आकर्षित किया था। बिंदु था वर्ष 2000 आने को हो रहा था और देश भर के सम्पूर्ण कम्प्यूटर एवं उनके नेटवर्क उपकरणों की दि. 31.12.99 की मध्य रात्रि के बाद कम्प्यूटर को खुद ही अपना अस्तितत्व समझने की क्षमता निश्प्रभावी हो रही थी। मेरी तकनीकी प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी थी, कि मैं कम्प्यूटर नेटवर्क पर आई इस समस्या से निजात दिला पाऊँ ताकि यह आगे भी ठीक ढंग से कार्य करते रहें। इस कार्य हेतु सभी से मिलकर प्रयत्न करके सम्पूर्ण कृषि कम्प्यूटर नेट को ठीक करना था (Y2K उपयुक्त बनाना) और इसलिये 'चौकड़ी' ने खुद के लाभ के लिये *'राष्ट्र द्रोह'* जैसा कार्य किया था। उसने अपने लाभ के लिये एवं अपने भ्रष्टाचार के षड़यंत्रकारी कुकृत्य को छिपाये रखने हेतु मुझे (जो पूरे राष्ट्र के कृषि कम्प्यूटर नेट का प्रभारी था) अपनी ड़यूटी से ही दि. 18.11.99 को कार्य से (एक बैठक कर) हटा दिया था। चूंकि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी जो कि एक ईमानदार नेता थे तथा प्रधान मंत्री के साथ ही वे इस परिषद कें अध्यक्ष भी थे एवं उन्हें ही यह अधिकार था कि मुझे मेरे पद से हटा सकते थे। अतः 'चौकड़ी' के अंदर यह साहस नहीं था कि उस बैठक (जिसमें मुझे हटाया गया) का वृत्त निकाल दें। क्योंकि ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो पुराना खेल खेला गया था उसमें 'चौकडी' को अपने पद से हाथ धोना पड़ता एवं उन्हें तथा अन्यों को (जो कि इस बैठक में थे) जेल की हवा खाना पड़ती। इस नोटशीट में मैने लिखा था ''प्रकरण बहुत ही आवश्यक है इसमें मुझे देशभर के विश्वविद्यालयों, परिषद इत्यादि को लिखकर कहना होगा कि दि. 31.12.99 की मध्य रात्रि तक इसे ठीक कर लें। चूंकि दि. 08.11.99 के पत्र के बिन्दु क्र. 1 के तहत जो बैठक दि. 18.11.99 को परिषद के महानिदेशक एवं भारत सरकार के सचिव (डॉ. पड़ौदा) की अध्यक्षता में हुई थी (जिसमें प्रशासनिक सेवा के वित्त सलाहकार (श्री राकेश), उपमहानिदेशक (डॉ. आलम एवं डॉ. मंगलाराय), सहायक महानिदेशक (डॉ. भाटिया एवं तोमर), सर्वश्री जे.पी. मित्तल, टी.व्ही. अंसारी, एन.एस. रंधावा, एस.पी. सनवाल, कन्हैया चौधरी थे,) यह निर्णय लिया था कि कृषि सूचना के सहायक महानिदेशक तभी कोई पत्र लिखेंगे जब उपमहानिदेशक (इंजीनियरी)

उन्हें कहेंगे। इस बैठक का वृत अभी तक नहीं निकला है। चूंकि Y2K अत्यधिक आवश्यक है, अतः यदि आप सहमत हों तो आज की बैठक में जो कुलपति आये हैं उन्हें पत्र लिखकर यहीं मार्गदर्शन दे दिया जाये। यह स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।'' बैठक का वृत्त भी नहीं लिखा (तैयार किया) था उस समय (चूंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष थे) इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। ये लोग मुझे अनुमति भी नहीं देना चाहते थे। साथ ही अपने इस कुकृत्य का प्रेस में भंडा फूटने के डर से आशंकित थे, इसलिए नोटशीट रोके हुए थे। इसमे उपमहानिदेशक डॉ. आलम ने दि. 13.12.99 में अपनी टीप ''यह मेरे हस्ताक्षर से जा सकता है'' देकर मुझे नोटशीट वापस कर दी थी। परन्तु इन सबके (दि. 08.12.99 को देश भर के समस्त कुलपति जोकि उस समय दिल्ली बैठक में उपलब्ध थे) चले जाने के बाद यह टीप डॉ. आलम द्वारा लिखी गई। इन्होंने पूरे देश के नेट के गड़बड़ाने का ध्यान नहीं रखा बल्कि अपने स्वार्थ के लिये पूरे देशहित की आहुति दे-दी थी। क्या इनको 'देशद्रोही' नहीं कहेंगें। जैसे मानव रक्त का स्वाद पाये खूनी शेर शिकारी को सामने पाकर आक्रमण कर देता है चाहे फिर उसकी जान ही क्यों न चली जाय, ठीक उसी प्रकार जब आदमी भ्रष्ट हो जाता है तो वह राष्ट्रद्रोह करने से नहीं चूकता। यदि 'चौकड़ी' यह (राष्ट्रहित) ध्यान रखती तो क्रय आदेश देने के पूर्व निंधारित परीक्षण कराती और में. सीमेंस (अक्षम विदेशी फर्म) को कम्प्यूटर आपूर्ति आदेश न मिलकर न्यायिक रूप से सक्षम किसी भारतीय फर्म को मिल सकता था। अब चूंकि मैं हर स्तर पर इनका भांडा फोड़कर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता था और ये लोग यह बात समझ चुके थे कि वे अब जाल में घिर गयें हैं। अतः एक समिति बनाकर दि. 18.11.99 की बैठक में ऐसा निंणय लिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था और मुझे अधिकारच्युत कर दिया तथा इस बैठक का वृत भी नहीं लिख रहे थे, क्योंकि यह इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था इससे इन पर आघात हो जाता। यह जानते हुए भी कि यह समय कम्प्यूटरनेट की राष्ट्रीय आपदा का है, देश भर का प्रभारी होने के कारण मैं हर स्तर पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भारत सरकार की अन्य संस्थाओं के साथ अपने देश भर के 437 केन्द्रों एवं अन्य कृषि क्षेत्रों को Y2K (Year 2000) वर्ष 2000 के उपयुक्त बनाने में लगा था। किंतु उनके मन में देश हित नहीं था बल्कि उन्हें खुद के जल मरने का भय था। क्योंकि मैं लगभग 437 एवं 327 कम्प्यूटर केन्द्रों (दो फेज) में दिये गये उपकरणों के घपलों को अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, देश के ईमानदार छवि वाले व्यक्तियों, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। संभव था यदि श्री अटलविहारी वाजपेयी परिषद के अध्यक्ष बने रहते तो दि. 18.11.99 की बैठक का वृत ही न निकलता और यदि निकलता तो मेरे अधिकार रहित कर देने की बात नहीं लिखी जाती किंतु श्री नितीश कुमार के अध्यक्ष बन जाने पर और मेरे द्वारा बार-बार उन्हें यह लिखने पर कि मेरे अधिकारच्युत करने की बात के वृत नहीं बनें। अतः उन्होंने समझ लिया था कि अब मैं उनकी इस बात का कि मुझे अधिकारच्युत किया गया है मानने वाला नहीं। अतः वर्तमान परिस्थति में समझबूझ कर उन्होंने यह वृत निकालने की ठानी।



'चौकड़ी' के मास्टर माइंड श्री कन्हैया चौधरी ने दि. 08.12.99 को एक वृत पत्र तैयार किया था जो दि. 19.11.99 की बैठक का था अप्रत्यक्ष रूप में यह 'लेटर ऑफ क्रेडिट' को बढ़ाने का था। पर प्रत्यक्ष रूप में उसमें लिखा गया था कि वेंडर की गलती से परीक्षण अभी तक नहीं हो सका, आपूर्ति में वेंडर की गलती के कारण देरी हो रही है आदि। इसी आधार पर बैठक हुई थी जिसमें श्री कन्हैया ने वृत के रूप में लिखा था ''महानिदेशक ने जैसा दि.18.11.99 की समीक्षा बैठक में कहा था कि तदनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो देरी हुई है उसका मुख्य कारण और विवरण यहां दिया है। *'लेटर ऑफ क्रेडिट'* दि. 31.03.99 को खोली गई थी किंतु इसमें चार त्रुटियां थीं, जिनमें परीक्षण एजेंसी का नाम बदलना, 7 दिवस में दस्तावेज प्रस्तुत करना, बैंक के नोटीफिकेशन में अनियमितता एवं बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जाना था। परियोजना अधिकारी प्रमाण दि. 30.07.99 को जारी हुआ, जो दि. 09.02.99 के आदेश के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। इससे जिसमें गलत प्रभाव हुआ वह था–संदर्भ एवं ग्राहता परीक्षण रिपोर्ट, संदर्भ परीक्षण आदि को दि. 09.07.99 तक होना, बेंचमार्क के लिए फर्म द्वारा स्थान देरी से दिया जाना तथा परीक्षण एजेंसी द्वारा परीक्षण देरी से करना। इसमें वस्तुस्थिति थी कि 'लेटर ऑफ क्रेडिट' दि. 09.02.99 के बाद तुरंत खुल जानी थी जिसे 'चौकड़ी' ने वेंडर्स को पुराने कम्प्यूटरों की आपूर्ति करने का अवसर देने के गलत उद्देश्य से बढ़ाया था, परियोजना अधिकारी ने जानबूझकर देरी से (दि. 30.07.99) प्रमाण पत्र जारी किया था। 'बेंचमार्क' परीक्षण करके क्रय आदेश देना था किंतु वेंडर के उपकरण स्तरहीन थे जो बेंचमार्क में खरे ही न उतरते जिससे उनको आपूर्ति आदेश नहीं मिलता अतः बिना 'बेंचमार्क' के ही क्रय आदेश दिया गया था। प्रारम्भ में ही 'बेंचमार्क' के लिए टेक्निकल एवं फाइनेंसियल (दो) बोली दस्तावेज मंगाये गये थे जिनका उपयोग नहीं किया गया था (परीक्षण-बेंचमार्क नहीं कराया था)। अब मनमाने ढंग से औपचारिकता पूर्ण करने के लिए अन्य परीक्षण कराये जा रहे थे।

अब संसोधन से होने वाली हानि की राशि वेंडर से ली जानी थी, क्योंकि इसकी देरी से आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। वेंडर की गल्तियों को छिपाते हुए यह कहा गया था कि 'लेटर ऑफ क्रेडिट' को (परियोजना क्रियान्वयन के हित में इसे पूर्ण करने हेतु) बढ़ा दिया जाय, जिससे 'लेटर ऑफ क्रेडिट' के खुलने के 12 सप्ताह बाद तक वेंडर्स आपूर्ति कर सकें, एवं उसे अवैधानिक को वैधानिक करने का समय मिल जाय। इसमें उप सचिव वित्त को भी मार्गदर्शन देते हुए लिखा गया था कि बढ़ायी गई अवधि को मानें। देरी होने से 'लिक्वीडेटेड डैमेज' के बावद् भी उनको सीख दी गई थी। आगे लिखा गया कि सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) के विचार हैं कि ''लेटर ऑफ क्रेडिट'' बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे सामान समय पर मिल सके जिसमें (1) परिषद का कोई दोष नहीं है (2) परीक्षण एजेंसी ने परीक्षण के उपकरण मांगे जो समय पर नहीं दिये गये (3) आपूर्ति आदेश दि. 09.02.99 को दिया गया किंतु आपूर्ति में अत्यधिक देरी हुई अभी भी आपूर्ति नहीं हुई (4) कई पत्र जो वहां लिखे गये थे वह सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) की जानकारी में नहीं

हैं। अतः विधि सहायक, राष्ट्रीय निदेशक को भेजने के पूर्व इस वृत को देखें।'' इसमें श्री कन्हैया चौधरी ने हस्ताक्षर कर मुझे भिजवाया उसमें मैंने इनकी सराफत का पर्दाफास करते हुए लिखा- ''दि. 09.02.99 के आदेश के तहत तुरंत जानकारी भेजनी चाहिए थी। मेरे उपरोक्त बिंदुओं को मेरे द्वारा दि. 03.11.99 को लिखे नोट देखें'' जो इन के भ्रष्टाचार का पर्दाफास करता है। यद्यपि यह माना गया था कि देरी के कारण संसोधन हो रहा है अतः इसकी राशि वेंडर से ली जाय तो फिर स्पष्ट हो गया था कि वेंडर इस बदमासी के लिए उत्तरदायी है, इन पर दण्डात्मक कार्यवाई करनी चाहिए। इस नोट में मैंने आगे लिखा कि ''श्री कन्हैया मेरे पास आये एवं अलग-अलग फाइलें तथा इनके अलग-अलग वृत्त दिखाये जो कि दि. 18.11.99 की बैठक से सम्बद्ध थे। इन बैठकों के वृत्त में बहुत अंतर था। दि. 18.11.99 के बैठक में जो बिन्दु चर्चा में भी नहीं आये थे उनको यहां लिखकर निर्णय दिया गया है। मैं नहीं जानता कि श्री कन्हैया बार-बार बैठक के वृत्त को क्यों परिवर्तित कर रहे हैं। मैंने साथ मिलकर दि. 08.12.99 को जो वृत्त बनाया है उसे ही आगे की कार्यवाही हेतु ग्राह्य किया जाय।'' इसके बाद मैने नस्ती आगे परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक को कार्यवाही हेतु बढ़ा दी। 'चौकडी' के मास्टरमाइंड़ श्री कन्हैया की आदत थी कि वह अलग-अलग नोटशीट बनाता था, उसमें कमेंट लेता था तथा जो आवष्यक होती थी उसे रखता था शेष को छोड़ देता था या नष्ट कर देता था। इसी कारण वह नस्तीबद्ध नोटशीट नहीं लिखता था न ही पृष्ठों पर पेजिंग करता था। अलग-अलग परिस्थितियों में नोटशीट लेकर उन्हें लगा लेता था एवं बार-बार काट-पीट कर पृष्ठ संख्या लिखता रहता था। इस पर क्या कार्यवाही हुई यह तो ज्ञात नही है किंतु वेंडर के हितकारी (एवं परिषद के विनाशकारी) लेटर ऑफ क्रेडिट संसोधन के आदेश निकाल दिये गये।

मैं भ्रष्टाचार की शिकायतें जिन देश के ईमानदार व्यक्तियों को करता था उनमें एक श्री नानाजी देशमुख थे। जो राज्य सभा के लिये मनोनीत किये गये थे तो मैने उन्हें बधाई पत्र दिया था। उसका जवाब देते हुए उन्होंने दि. 09.12.99 के पत्र से मुझे लिखा था ''प्रिय श्री सदाचारी सिंह जी गैर राजनितिक व्यक्ति के नाते ही मैने राज्य सभा का नामांकन स्वीकार किया है। राज्य सभा सदस्य के नाते मैंने गत 22 वर्ष से विकास के कार्यो द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किये हैं उन्हें राज्यसभा के माध्यम से शासकों एवं आम लोगों की नजर में लाने का प्रयत्न करूंगा। सदियों से गुलामी में रहे स्वतंत्र भारत में परस्पर सहयोग के द्वारा नव निर्माण की आवश्यकता थी। किंतु हर बात में असहयोग का ही वातावरण गहराता जा रहा है, उसे बदलने में यह सहायक बनेगी, यह सोचकर ही मैंने यह कदम बढाया है''। यह पत्र मेरे लिये भी प्रेरणादायक था क्योंकि श्री नानाजी ने अपना बहुत बड़ा समय राजनिति से दूर ग्रामीणों की सेवा में लगाया था और उन्होंने शांति एवं संतोष की प्राप्ती की थी। अब-तक मैंने 20 पुस्तकें, पुस्तिकायें लिखी थी, अधिकांश में श्री नानाजी ने प्रस्तावना लिखी थी। श्री नानाजी के मेरे 20 वर्षों से अच्छे सम्पर्क थे।



## चित भी मेरी पट भी मेरी :-

एक तरफ डॉ. आलम उपमहानिदेशक मुझे कहते थे कि मैं उनको बताये बिना बहुत से काम (पत्र लिखना) करता रहता हूँ एवं दूसरी तरफ लिखते थे कि मैं हर पत्र पर उनकी सलाह लेता हूँ। यही नहीं उन्होंने अध्यक्ष के माध्यम से इसी बात पर नियमों के विपरीत मेरे ऊपर विभागीय जांच बैठा दी थी। यह जांच श्री नितीश कुमार के अध्यक्ष पद पर रहते हुए बिठाई गयी थी और इस जांच में जांच अधिकारी ने उन्हीं पर जांच की रिपोर्ट देते हुए तमाचा जड़ा था कि यह दोमुही बातें करते हैं कि एक ओर तो मुझे कहते हैं कि सभी पत्र उनके माध्यम से भेजूं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि मैं सब पत्रों में उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ। ऐसा ही एक पत्र (फैक्स) मुझे क्रय हेतु बनाये गये दलाल (Procurement Agent) राइट्स का दिनांक 13.12.99 का आया था, इसमें इसने आगामी कम्प्यूटर खरीदी में 'बेंचमार्क' कराने की आवश्यकता एवं प्रक्रिया के बारे में लिखा था। यह फैक्स मिलते ही मैंने डॉ. आलम को उसी पर दि. 15.12.99 को लिखा कि ''दलाल को कार्य देने की स्वीकृति के विवरण की प्रति मुझे चाहिए, इसके लिए अनुमति दें। इस पर डॉ. आलम ***''खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचती है''*** कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी पर दि. 15.12.99 को ही टीप दी ***''क्या मैं तुम्हारा सहायक हूँ?*** कृपया परिषद के लिए उपयोगी बनने की कला सीखें, बिना ज्यादा काम के इतना ज्यादा कागजी कार्यवाही, मैं समझ नहीं पा रहा।'' इसे मैं और स्पष्ट करते हुए टीप दी - ''जैसा मैंने ऊपर लिखा है, दलाल बनाने की शर्तें आदि की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय निदेशक के पास ही है। यदि आप स्वीकृति देवें तो मैं उनसे मांगू।

इस पर पुनः उपमहानिदेशक डॉ. आलम ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा- ''यह प्रकरण भी एक फालतू पत्राचार का प्रकरण है। तुम ज्यादा विवरण के लिए परियोजना कार्यालय जा सकते हो,'' ''मतलब जाकर बातचीत करो किंतु रिकार्ड लिखा-पढ़ी करके मत मंगवाओ, इसे गोपनीय ही रहने दो।'' इन टिप्पणियों का स्पष्ट मतलब था कि परिषद के लिए उपयोगी बनना है तो भ्रष्टाचार करो। ज्यादा कागजी कार्यवाही करने से भ्रष्टाचार का ***'पेंडोराबॉक्स'*** खुल जायेगा, क्योंकि लिखा-पढ़ी करने से रिकार्ड बना रहता है। यहां सब इसलिए भी चुपचाप करने की सलाह थी क्योंकि 'राइट्स' का चुनाव भी गोलमाल पद्धति से किया गया था, इसमें मेरा मत भी नहीं लिया गया था। इतने पर भी 'राइट्स' ने भी जो अत्यावष्यक था 'बेंचमार्क' कराने की बात लिखी थी, उसकी प्रक्रिया बतायी थी। इससे 'चौकड़ी' और भन्ना गई थी क्योंकि यदि 'बेंचमार्क' करके आगामी आदेश दिया जायेगा तो 'चौकड़ी' के मनमानी करने की गुंजाईस कम हो जायेगी। इस पत्र का जवाब देने में भी वर्तमान में जो क्रय मे. सीमेंस के द्वारा चल रहा था उसमें बार-बार बेंचमार्क न कराने की बात आती थी और यह भ्रष्टाचार सामने आता रहता था। अतः 'बेंचमार्क' कराने के शब्द से ही 'चौकड़ी' में एलर्जी पैदा हो जाती थी (जैसे उसके नाजुक अंग में बिच्छू ने डंक मार दिया हो)। इस पूरे दो पृष्ठ के पत्र में 'बेंचमार्क' महत्ता, प्रक्रिया एवं किस समय कराने आदि की उल्लेख था।

## जाँच और इस पर भी हेराफेरी :-

इस तरह एक ओर 'चौकड़ी' मुझे कह रही थी कि पत्राचार के बिना वहां जाकर बातचीत करो और सलाह लो एवं दो समस्या का हल हो या न हो इससे तालुक नहीं रखो और लिखा-पढ़ी के बगैर ही सभी कार्य सम्पन्न करने का नाटक करते रहो एवं दूसरी तरफ मेरे कोई पत्र टाईप न हों (जिससे इनका भ्रष्टाचार न खुले) इसका षडयंत्र भी कर रही थी। मतलब साफ था ***'न रहेगा बांस न बजेगी बंसी'*** तात्पर्य यह कि पत्र टंकित करने वाला ही नहीं रहेगा तो पत्र कैसे लिखोगे। या ऐसा व्यक्ति (टाइपिस्ट जो पागलपन की अवस्था में रहेगा, कमरे में आयेगा तो कागजात फाड़फूड़ कर फेंकेगा और बाहर जाकर कॉरीडोर के चौरस्ते पर घंटो ध्यानावस्था में या पागलपन की अवस्था में खड़ा रहेगा (जिसे देखकर सब डर से एक तरफ से कटकर जाते थे) तो टंकड़ का काम तो दूर आप उससे सहमें रहेंगे। ऐसे ही व्यक्ति श्री रामनिवास को कार्यालयीन आदेश दि. 13.12.99 के द्वारा मेरे पास पदस्थ कर दिया गया था। इसके पागलपन को परिषद में सभी जानते थे और जब जांच हुई तब मैंने इस बात को जांच अधिकारी के समक्ष रखा और उनसे बताया कि आप स्वतः देख लें कि यह व्यक्ति पागल है या ठीक। लम्बी जांच चली और जांच अधिकारी ने भी लिखा कि इसे जानबूझ कर, कार्य न हो इस कारण से ही मेरे पास पदस्थ किया गया था। यह काम न करने वाला (Non performer) है। इसके साथ ही अन्य जाँच अधिकारी श्री पवन रैना ने भ्रष्टाचार के मामले की जाँच की जिससे डॉ. पड़ौदा को महानिदेशक के पद से हटना पड़ा था। किन्तु बाद में श्री भास्कर वरूआ के कथनानुसार यही जाँच प्रधानमंत्री जी द्वारा उससे कराई गई थी (जबकि इसे सीबीआई से करानी थी) जिससे डॉ. पड़ौदा को पुनः पद पर बैठाया गया था।

दि. 13.12.99 को जहां मुझे हटाने की अफवाह थी, वहीं दि. 14.12.99 को श्री कन्हैया चौधरी ने एक बैठक का वृत्त मेरे सामने प्रस्तुत किया जो कि पूर्व के मेरे द्वारा हस्ताक्षरित वृत्त से मिला था और इसमें ऐसी बातों का समावेश था जिनकी चर्चा भी बैठक में नहीं हुई थी। उससे मैंने कहा कि पूर्व में ही मैने वृत्त पर हस्ताक्षर किये हैं अब यह अलग कैसे बन रहा है। उसने बैठक के इस वृत्त पर बाद में दोनों उपमहानिदेशकों (डॉ. मंगलाराय एवं डॉ. आलम) से हस्ताक्षर कराकर महानिदेशक से हस्ताक्षर करवा लिये हैं, अतः परिवर्तन नहीं होगा। दि. 15.12.99 को मैंने श्री नानाजी देशमुख (जो अब राज्य सभा के बिना पार्टी के सदस्य नामित हो चुके थे तथा हमारे नेटवर्क के एक 'कृषि विज्ञान केंद्र' के मालिक थे) से फोन पर चर्चा की एवं श्री नानाजी को कम्प्यूटर नेटवर्क में हुए भ्रष्टाचार का विवरण बनाकर दिया।

दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 1999 को फैजाबाद विश्वविद्यालय (जहां मैं प्रबंधन बोर्ड का सदस्य था) की बैठक में गया। यह बैठक फार्म की प्रगति एवं समीक्षा के बाबद थी। यहां भ्रष्टाचार भरपूर तो था ही, साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने अत्यधिक (जहां 20-



25 की आवश्यकता थी वहां हजार की संख्या में) कर्मचारी खेत के काम के लिये नियुक्त कर लिये थे। यहां उन्होंने अपने गांव, अपने समाज, अपने हितैषियों आदि को लगाया हुआ था।

## पूरे देश के 437 एक मद के एवं 327 दूसरे मद के केन्द्रों की जगह मुख्यालय तक सीमित करने का षड्यंत्र :-

'चौकड़ी' बड़ी समझबूझकर पत्ते खेल रही थी। उसने दि. 18.11.99 को परिषद के सर्वोच्च बड़ी हस्तियों (अधिकारी) की बैठक कर मेरे काम को देश भर से हटाकर परिषद मुख्यालय तक सीमित कर दिया था एवं एक भी पत्राचार बिना उपमहानिदेशक डॉ. आलम की अनुमति के न लिखने के साथ ही अन्य निर्णय भी लिये गये थे। किंतु खुद पर गाज गिरने की आशंका को देखते हुए इसका वृत्त तब-तक नही निकाला जब-तक उनके मन माफिक अध्यक्ष नहीं मिल गया। उनको पता था कि तथाकथित बड़े राजनेता अपना हाथ बचाकर काम करते हैं और उनके द्वारा मेरे ऊपर शीघ्र कार्यवाही संभव न थी। अतः उन्होंने श्री नितीश कुमार के अध्यक्ष पद पर पदस्थ होने के बाद उनसे कहा होगा कि मुझे मेरी ड्यूटी से अलग कर रहे हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ। तब संभवतः उनकी मौखिक स्वीकृति मिली हो एवं जिसके मिलते ही दिनांक 15.12.99 को दि. 18.11.99 की बैठक का वृत निकाला गया। चूंकि इस बैठक का उद्देश्य (जैसा नोटशीट में पूर्व में लिखा था) ही मुझे ड्यूटी से हटाना था, अतः इसमें लिखा गया ''सहायक महानिदेशक (सूचना) परिषद के मुख्यालय का काम देखेंगे एवं जब आवश्यकता होगी तब उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को सहयोग करेंगे।''

इस तरह पूरे देश भर के कृषि नेट को प्रबंधन करने की अधिकृत ड्यूटी की जगह मुझे दिल्ली में परिषद मुख्यालय तक सीमित कर दिया गया था। यह उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिनको यह अधिकार ही नहीं था। इस पर श्री नितीश कुमार से कुछ-न-कुछ कार्यवाही करने की अपेक्षा थी किन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही इस पर नहीं की। श्री अटल विहारी वाजपेयी जी परिषद अध्यक्ष पद से यदि न हटते तो शायद यह वृत कभी भी न निकलता और यह बैठक भी बंदर घुड़की होती।

किंतु यहां तो बाड ही खेत खा रही थी। 'चौकड़ी' ने अध्यक्ष के साथ एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उन्होंने समझ लिया था कि अब ***'सांप मरे न लाठी टूटे'*** वाली बात हो गई। मुझे मात्र परिषद के मुख्यालय तक कार्य करने को कहा गया (जो देश भर के कुल 437 केन्द्रों में से एक केन्द्र था) एवं कोई भी पत्र न लिखने को कहा गया। मेरे पास टंकण करने वाले की व्यवस्था नहीं रही, इससे इन्हें स्पष्ट हो गया था कि अब मैं भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर सकूंगा। मैं टुकुर-टुकुर यह सब देखता रहा एवं इनकी चाल समझता रहा। क्योंकि विगत 20 वर्षों में भ्रष्टाचार से लड़ते हुए मैं यह सब देखने, सुनने, सहने का अभ्यस्त हो चुका था। जब से बैठक (दि.18.11.99 से) हुई थी तब से (इन्हें उद्वेलित होने के लिए मैं पत्र पर कमेंट लिखता था जिससे कि वे वृत बनाकर दें और मैं अध्यक्ष को दे दूं) सैकड़ों पत्रों में (जो मेरे पास केन्द्रों

से आये थे) मैं 'चौकड़ी' के सदस्यों को पत्र के ऊपर लिखता रहा, उन्हें उद्वेलित करता रहा कि दि. 18.11.99 को आपने मुझे मेरे काम से दूर कर दिया है, मुझे कोई पत्र न लिखने की हिदायत दी है आदि-आदि। फिर भी किसी भी पत्र पर 'चौकड़ी' जो कमेंट लिख रही थी उससे साफ जाहिर होता था कि जिस बात पर उन्होंने मुझे ड्यूटी से दूर करने का निर्णय लिया है वह निर्णय उन्होंने लिया है ऐसा प्रतीत न हो। किसी भी पत्र में 'चौकड़ी' ऐसे कमेंट लिखती थी जिससे उनके निर्णय की पुष्टि न हो पाये, कहीं ऐसा न हो कि इस गलत निर्णय के लिए उन्हें खुद अध्यक्ष (श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी) द्वारा दण्डित होना पड़े। किंतु श्री नितीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही 'चौकड़ी' ने न केवल खुलकर कमेंट लिखना चालू किया बल्कि दि. 15.12.99 को बैठक का वृत बनाकर सबको बांट दिया। इससे स्पष्ट हो गया था कि वे परिषद के अध्यक्ष से सांठ-गांठ कर चुके थे। श्री नितीश कुमार के क्रियाकलाप एवं 'चौकड़ी' पर कार्यवाही न करने की प्रक्रिया से स्पष्ट हो गया था कि यह सब कुछ अध्यक्ष श्री नितीश कुमार की मंशा से हो रहा था। इससे पूर्व कई बार मुझे घुड़कियां दी गई थीं, किंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष रहते किसी को क्रियान्वित करने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब तो जब से श्री नितीश जी आये थे यह आभास भी न हो रहा था कि वह क्या गुल खिलायेंगे। वर्तमान घटना तो 'रिहल्सल' मात्र थी। नाटक तो बाद में खेला जाने वाला था। सांप मरे लाठी न टूटे की तरकीब तो चला दी थी, किंतु यदि यह न चले तो क्या करना होगा, इस बात पर शायद विचार न किया रहा होगा।

## राजनीति से इतर बाह्य शक्तियों को खुस रखने की चाल :-

'चौकड़ी' अपने द्वारा खेले जा रहे पत्ते को ठीक चल रही थी, साथ ही संरक्षकों को भी खुश करने में खूब माहिर थी। इन्हें पता था कि डॉ. नार्मन वोरलाग, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आदि जो प्रसिद्ध हस्तियां थीं उनको हमेशा खुश रखना उचित है और इसकी विशेष व्यवस्था की जाती थी। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन चेन्नई को वेतहासा राशि रिलीज की जा रही थी। रु. 1000 करोड़ की राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान परियोजना से तो राशि की व्यवस्था की ही जा रही थी परिषद से भी 4 वर्षों (1995-99) में 15.12.99 तक रू. 37 लाख से ऊपर इस फाउण्डेशन को दिये गये थे। यह सब इसलिए किया जाता था कि बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए तथा विवाद के समय अपने आप को बचाना हो तो ऐसी हस्तियां जो सामने आकर खड़ी हो जायें जो सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दें। इस प्रकार से राशि का देना मुझे उचित नहीं लगता था। मैं स्वामीनाथन फाउण्डेशन जाकर भी देख आया था। ऐसी हस्तियां अपने सहयोग में रहें, इस लिए भी इनको अकूत राशि दी जाती थी और यह सब तब सिद्ध हो गया जब डॉ. पड़ौदा को पद से हटाया गया। उस समय इन हस्तियों ने डॉ. पड़ौदा को वापस लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। यह भी नहीं देखा कि वास्तव में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी ही समझ यह 'चौकड़ी' सांसदों तथा वैज्ञानिक फोरम से भी बनाये रखती थी एवं इन लोगों ने भी आवश्यकता में इनका भरपूर साथ निभाया।



## बंदर घुड़कियों को श्री नितीश कुमार के मंत्री पद पर बैठते ही वास्तविकता में बदलने की साजिस :-

दि. 18.11.99 की बैठक का वृत दि. 15.12.99 को जारी हुआ था, जो मुझे दि. 21.12.99 को सायंकाल 5.30 बजे दिया गया था, वह बहुत सोच-समझकर किया गया था। क्योंकि इसी अवधि में पूर्व के रू. 1000 करोड़ की कृषि अनुसंधान परियोजना जिसके घपले मैंने उजागर किये थे तथा जिसके कारण पूर्व के कम्प्यूटर प्रभारी जिन्होंने लगभग रू. 200 करोड़ खर्च कराकर कार्य कराया था उन्हें निलंबित कर बर्खास्त करने हेतु जांच प्रक्रिया चालू हो गई थी। इसके साथ ही इसमें सी.बी.आई. जांच भी चल रही थी जिसमें हुए घपलों के दस्तावेज मैं जुटा-जुटा कर प्रस्तुत कर रहा था। ऐसी स्थिति में 'चौकड़ी' ऐसा कोई कदम बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं उठा सकती थी, जिसमें घपलों के उजागर करने वाले व्यक्ति (मुझे) को ही उसके कर्तव्य से हटा दिया जाय। इसी कारण 'चौकड़ी' अब तक घुड़की तो देती थी पर लिखित में कुछ नहीं करती थी, जिससे सी.बी.आई. कहीं 'चौकड़ी' जो पूर्व की राशि के घपलों (जिसके नायक डॉ. पड़ौदा थे) को दबाकर अभी भी फर्मों से कमाई कर रही थी ही, पकड़ में आकर जेल की सीखचों के अंदर न पहुंच जाय। कई ऐसी पूर्व में दी गई घुड़कियों में से मात्र इसे ही क्रियान्वित किया था। जिससे परिषद के अध्यक्ष को ही मुझे इधर-उधर हटाने की शक्ति निहित थी। फिर भी 'चौकड़ी' ने दि. 18.11.99 की बैठक का वृत जिसमें मुझे पूरे देश के कार्य से हटाकर परिषद मुख्यालय मात्र का कार्य करने को कहा गया था, एवं डॉ. आलम को सूचना प्रणाली का नोडल अधिकारी बनाया गया था। यह कार्य निश्चित ही बिना अध्यक्ष श्री नितीश कुमार मंत्री भारत सरकार के सलाह-मसविरा के बिना संभव न हुआ होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि इस बात की जानकारी मिलने पर भी श्री नितीश कुमार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की थी। लगभग 1 माह बाद अवसर पाकर बैठक का वृत्त बनाया गया था एवं मुझे इसे देने के पूर्व चारो तरफ देख समझकर बैठक के एक माह बाद दिया गया था। क्योंकि 'चौकड़ी' भी जानती थी कि मिली जुली सरकार में प्रधान मंत्री भी किसी मंत्री के निर्णय के खिलाफ समान्यतयः नहीं बोलते और सी.बी.आई को कब्जे में रखने का कार्य मंत्री आसानी से कर लेता था। श्री नितीश कुमार तो एक बड़े गुट का प्रतिनिधित्व करके संविदा सत्ता (शासन) का सुख शेग रहे थे। उनके खिलाफ तो मुखिया (प्रधान मंत्री) श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी कुछ बोलने एवं करने में संकोच करते या ड़रते थे। क्योंकि उनके विरोध से पूरी की पूरी सरकार ही चली जाती और फिर से चुनाव होता फिर सत्ता किसको मिलती यह किसी को मालूम नहीं था। डॉ. पडौदा तो सचिव बने ही रहते। इस बैठक के वृत्त में आगे ड़ॉ. आलम के बारे में लिखा था कि वह कम्प्यूटर से जुडे ़सभी तकनीकी मामलों के लिये जिम्मेदार होंगे। तकनीकी मामलों के लिये मुझे सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) चुना गया था। ड़ॉ. आलम कृषि इंजिनियरी हेतु चुने गये थे। उनकी योग्यता मुझसे अलग थी, उनको कम्प्यूटर का अनुभव नहीं था।

किंतु इस बैठक में उन्होंने अपने आप को कम्प्यूटर विशेषज्ञ बना लिया था। यदि ऐसी नियुत्ति जो ड़ॉ. पड़ौदा द्वारा इस तरीके से की जाती थी वह नियमानुसार मान्य होती, तो देशभर के लिये चुनाव हेतु 'कृषि वैज्ञानिक चयन मंड़ल' को भंग कर दिया जाना था।

दि. 17.02.99 का भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक का एक पत्र श्री कन्हैया के नाम आया था जिसकी प्रति मेरे साथ ही परिषद तथा सूचना केन्द्र के उपमहानिदेशक, परीक्षण करने वाली संस्था के तकनीकी निदेशकों और कार्यकारी निदेशक को दी गई थी। इसमें लिखा था - ''पूर्व के आपके ग्राह्यता परीक्षण के अनुरोध (दिनांक 21.09.99) के अनुसार कम्प्यूटर उपकरणों का परीक्षण परिषद के नई दिल्ली स्थित ब्यूरो को वेंडर मे. सीमेंस ने उपलब्ध कराये थे और परीक्षण कर परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यह ग्राह्यता परीक्षण 24.09.99 को शुरू किया गया था किंतु परीक्षण के लिए पॉवर प्वाइंट की अनुपलब्धता थी। इसमें वेंडर मे. सीमेंस को 150 स्थल (प्वाइंट) देने थे किंतु प्रारंभ में 31 स्थल (प्वाइण्ट) ही दिये गये थे। इस बात पर परिषद में दि. 21.10.99 को उपमहानिदेशक डॉ. आलम की अध्यक्षता में बैठक की गई तब भी 60 बिंदु ही दिये गये इसके कारण परीक्षण में 65 दिन लग गये थे। दूसरे वेंडर के द्वारा परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये यू.पी.एस. में बुरी तरह से ट्रिप होने की गड़बड़ी पायी गयी। परीक्षण रिपोर्ट विवरण में बताया है कि, सर्वर की सनसोलारिस त्रुटि के बारे में दि. 17.11.99 को वेंडर से स्पष्टीकरण मांगा गया था जो अभी तक नहीं आया। 25 मल्टीमीडिया कम्प्यूटर अभी आये हैं, उन पर परीक्षण चल रहा है, नोट बुक कम्प्यूटर का स्पष्टीकरण 24.11.99 को मांगा गया था, परंतु फर्म ने अभी तक कुछ नहीं बताया। डॉट मैट्रिक्स, बबलजेट, मोनोइंक जेट एवं मोनो इंकजेट लेजर प्रिंटर में 2 मीटर की केबल चाहिए थी, परंतु मात्र 1.5 मीटर केबल दी गई है। 263 मोनो लेजर प्रिंटर परीक्षण में मात्र 5 में ही प्रिंटर शेयरर दिये गये। मॉडम में केबल दिया ही नहीं गया। यदि वेंडर हमारे द्वारा चाहा गया स्पष्टीकरण दे देता है तो दि. 23.12.99 तक हमारा परीक्षण पूर्ण करने की योजना है। हमारा ग्राह्यता परीक्षण 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अतः रू. 36 लाख दि. 23.12.99 तक हमें दे देवें।

## सभी प्रावधानों, समितियों की संस्तुति तथा नियमों को रौंदते हुए भ्रष्टाचारियों ने जारी किये आदेश :-

इस परीक्षण के बाद दी गई रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया था कि यदि 'बेंचमार्क' परीक्षण हो गया होता तो यह दोनों वेंडर्स (मे. सीमेंस एवं मे. विनीटेक) स्पर्धा से ही बाहर हो गयी होतीं। इस 'बेंचमार्क' हेतु न केवल बोली दस्तावेज के पृष्ठ 34 एवं 106 में टेक्निकल एवं फाइनेंसियल विड अलग-अलग बंद लिफाफों में मंगाये गये थे, बल्कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त बोली दस्तावेज मूल्यांकन समिति (Bid Evaluation Committee) ने सर्वसम्मति से जोर देकर कहा था कि बिना 'बेंचमार्क' परीक्षण कराये कोई क्रय आदेश न निकाला जाये,



साथ ही भारत सरकार के कम्प्यूटर विशेषज्ञ रा.सू.के. एवं परिषद के विशेषज्ञों की दस्तावेज तैयार करने से मूल्यांकन समिति की बैठक तथा इसके बाद भी सतत बैठकों एवं लिखने का क्रम जारी रखने पर भी, भ्रष्ट 'चौकड़ी' ने अपनी फर्मों को बचाने हेतु एवं उनसे लाभ प्राप्त करने हेतु तानाशाही प्रवृत्ति अपनाकर बिना बेंचमार्क परीक्षण किये क्रय आदेश का तुगलकी फरमान जारी किया था। यही नहीं मेरे द्वारा इस हेतु फाइल, सतत मूल्यांकन समिति के निर्णय के बाद उसकी संस्तुति के क्रियान्वयन करने की फाइल चलाकर 'चौकड़ी' के कमेंट लिये जा रहे थे और वह 'बेंचमार्क' कराने की बात भी कर रही थी, उधर चुपचाप क्रय आदेश बना दिये गये। इतना ही नहीं क्रय आदेश बहुत बाद में बनाये गये किंतु उसमें पहले की तिथि 09.02.99 डाली गई थी। इस तिथि के बाद की तिथि में भी मेरे द्वारा पत्र एवं नोटशीट लिखे गये थे उसमें चौकड़ी की टीप थी कि बेंचमार्क कराया जायेगा तत्पश्चात् क्रय आदेश दिया जायेगा जबकि उल्टा किया गया।

## मुझे नेस्तनाबूद करने की धमकियाँ :-

दिनांक 20.12.99 को पुनः उपमहानिदेशक डॉ. आलम धमकी पर उतर आये थे जब मैंने उनके द्वारा गलत रूप से प्रमाणीकरण प्रोफार्मों में संसोधन को नहीं माना, उसमें हस्ताक्षर नहीं किया तो उन्होंने कहा अब तुम्हे अपने पास रखने में मुझे कठिनाई होगी। यह वही डॉ. आलम थे जो मेरे शिक्षक थे और जो मुझे कहा करते थे कि तुम्हारा बायोडाटा भी अच्छा है, कम उम्र पर सहायक महानिदेशक बन गये हो तो आगे बढ़ जाओगे। तब मैं अपना बायोडाटा की तुलना महानिदेशक बनने की उम्मीद वाले डॉ. पंजाब सिंह, डॉ. मंगलाराय एवं अन्य सभी जो समकक्ष थे, से करता था एवं यह उम्मीद करता था कि यदि न्याय हुआ तो मैं भी शीघ्र ही महानिदेशक एवं भारत सरकार का सचिव पद पा लूंगा। दि. 21.12.99 को दि. 15.11.99 की बैठक का वृत (जो यदि श्री नितीश कुमार जी न आते तो कभी न निकलता) मुझे मिल गया था जिसमें मुझे पूरे देश के कार्य से हटाकर परिषद मुख्यालय, दिल्ली कार्यक्षेत्र में सीमित कर दिया गया था।

दि. 24.12.99 की वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति ने एक ईमानदार निदेशक डॉ. तेजवानी की सम्मत्ति से सतत दिलाये जाने वाले पुरस्कार को परिषद से न कराकर अपने एक संस्था 'पूसा' से स्थापित होने का निर्णय लिया था जबकि परिषद से मिलने वाले पुरस्कारों में ऐसे कई व्यक्तियों के नाम थे जो ईमानदार नहीं थे।

दि. 28.12.99 को Y2K (वर्ष 2000 का नेट संसोधन) जोरों से चल रहा था, मैं उसमें अन्यों से सहयोग लेकर काम कर रहा था किंतु मेरी फाइल आने पर ज्ञात हुआ कि परिषद के महानिदेशक, सचिव, उपसचिव ने मुझे वैयक्तिक सहायक नहीं दिया।

दि. 20.12.99 की 10 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में डॉ. आलम उप महानिदेशक ने बेशर्मी की हद पार करते हुए वेंडर को अवैध लाभ पहुंचाने हेतु बोली का फार्म, कीमत की प्रक्रिया और अन्य फार्मेट का क्रेता द्वारा कम्प्यूटरों के सफलतापूर्वक लगाकर चालू कर

देने के बाद जारी करने वाला प्रमाणीकरण के प्रारूप में ही परिवर्तन कर दिया था, जबकि यह अधिकार अब किसी के पास नहीं था, क्योंकि क्रय आदेश पारित हो चुका था। इसका मैंने पूर्ण विरोध किया था क्योंकि जिस हिस्से, पुरजों, उपकरणों की केन्द्रों को आपूर्ति नहीं हुई, उनमें कितनी राशि की वापसी (Recovery) हो (जो दूरस्थ केन्द्र द्वारा समान पहुंचने पर देखकर कमी बतानी थी), यह सब दिल्ली में स्थित परियोजना इकाई को दी गई थी जो अपने त्रिनेत्र (विशेष पद्धति) से देखकर जादुई छड़ी से यह देखने में सफल हो जाता कि कहां तथा क्या नहीं दिया गया और इसमें कितनी राशि वसूलनी है। यही नहीं प्रशिक्षण प्रमाणीकरण प्रोफार्मा (कम-से-कम एक व्यक्ति प्रति कम्प्यूटर प्रत्येक जगह 3 दिनों तक) बदल कर ऐसा किया गया था कि एक स्थान में एक व्यक्ति की जगह 12 व्यक्तियों तक को (कितने भी दिनों तक) प्रशिक्षण दिया जाना लिखा था जबकि मूल दस्तावेज में जहां कहीं भी कम्प्यूटर सेट की आपूर्ति की गई थी, उसके प्रत्येक साइट पर प्रशिक्षण देना था (इसमें परिषद को करोड़ों रूपयों की हानि होनी थी बल्कि तकनीकी हानि भी हुई)। जब इसका विरोध किया गया तब भी डॉ. आलम ने इसे स्वीकृत लिखते हुए अपने हस्ताक्षर कर 20.12.99 की तिथि लिख दी और उसके पहले मनोनीत राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. जे.पी. मित्तल ने ''उपमहानिदेशक द्वारा बैठक में स्वीकृत किया गया था'' लिखा और उसमें 20.12.99 की तिथि बैठक होते वक्त ही डाली थी।

यह भ्रष्टाचार का नंगा नाच उस बैठक में हुआ था, जिसमें दोनों फर्मों के प्रतिनिधि श्री विपिन ढौंढियाल (मे. सीमेंस), श्री अहमद (मे. विनीटेक), वित्तीय सलाहकार (श्री राकेश), मैं तथा परिषद के सर्वश्री जे.पी. मित्तल, ए.के. कुशलपाल, कन्हैया चौधरी तथा एस.पी.सनवाल थे। इतनी बड़ी गलती के लिए जहां फर्मों के प्रतिनिधि गदगद हो रहे थे (क्योंकि उनको करोड़ों रूपयों का फायदा था) वहीं अन्य परिषद अधिकारी मूक बने बैठे थे (जो चौकड़ी के हितैषी थे या डरे सहमे थे)।

इस बैठक में प्रबंधन समिति का मैं सदस्य सचिव था, अतः इसके वृत मुझे तैयार करने थे। किंतु तुरत-फुरत डॉ. ए.के. जैन, जिनका वृत से कोई लेना देना न था, अपनी चापलूसी दिखाने के लिए और आगे पद पाने की लालसा में डॉ. आलम के सहयोग से दिनांक 22.12.99 को वृत्त प्रस्तुत कर दिया। यह वृत बड़ा बेतुका था अतः तुरंत ही मैंने यह लिखकर उसे लौटाया- ''उपमहानिदेशक ने वेंडर्स से यह बात पूछी थी कि पर्याप्त संख्या में परीक्षण बिंदु परीक्षण एजेंसी को क्यों नहीं उपलब्ध कराये थे, जिसका उत्तर वेंडर्स द्वारा नहीं दिया जा सका था, इसको भी रिकार्ड करना (जोड़ना) होगा। इसी तरह मैंने भी प्रोफार्मा के प्रारूप को बदलने से होने वाली हानियों एवं उलझनों का जिक्र किया था। विशेषकर एक क्लाज को हटा देना, समय सारणी परिवर्तन, उपकरणों के समय पर लगाने या चलाने की व्यवस्था, देरी से आपूर्ति, राशि की वेंडर्स से वसूली, प्रशिक्षण का विभक्तीकरण, प्रमाणीकरण वास्तविक 437 केन्द्रों से प्राप्ति की जगह ''दिल्ली स्थित



परियोजना इकाई'' जोड़ना आदि गलत नोट देना उचित नहीं होगा। इसी तरह देरी होने पर भी पेंटियम -II ही देना (पेंटियम-III न देना), प्रिंटर शेयरर की आपूर्ति में देरी करना आदि जो मेरे द्वारा मुद्दे उठाये गये थे, भी जोड़ना होगा। केन्द्रीयकृत (12 व्यक्तियों को एक जगह) प्रशिक्षण की जगह एक-एक स्थान पर लगे कम्प्यूटरों पर प्रशिक्षण देना (न कि 12 व्यक्तियों को एक जगह बुलाकर प्रशिक्षण पूर्ण कराना) भारी-भरकम यात्रा-भत्ता का प्रशिक्षण मद में प्रक्रिया बदलने के कारण हानि आना आदि मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दे थे, उन्हें भी जोड़ा जाये। यदि ये जो बिंदु मेरे द्वारा उठाये गये थे नहीं लागू किये तो परिषद को बहुत बड़ी हानि होगी एवं वेंडर्स को फायदा होगा। अतः बोली दस्तावेज के प्रावधान के अनुसार कार्य किया जाये। और मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों को ''सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) ने मुद्दे उठाये थे यह लिख दिया जाय'' यह लिखा था।

यह नस्ती पुनः मैंने डॉ. जैन की ओर बढ़ाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो परिवर्तन मेरे स्तर से करना है वह कर लिया जाय। तब मैंने डॉ. आलम उपमहानिदेशक की ओर नस्ती यह लिखते हुए दि. 23.12.99 को बढ़ाई कि मेरे द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिंदुओं, मुद्दों को यथावत लिखकर आप अपनी चाही बैठक का वृत समझ लें।

इस पर डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने मेरे बिंदुओं का समावेष न करते हुए डॉ. जैन द्वारा बनाई गई बैठक के वृत को 'स्वीकृत' लिखकर मेरी ओर वृत बढ़ा दिया।

यह नोटशीट मिलते ही मैंने देखा तो पाया कि मेरे द्वारा कहे गये बिंदुओं का समावेष नहीं किया गया था। बैठक के समय इनके विरोध में जो मुद्दे मैंने उठाये थे, मैं तो चाहता था कि मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं यह मात्र लिख दें। अतः मैंने पुनः डॉ. आलम को दि. 27.12.99 को यही टीप भेजी- ''मेरे द्वारा उपरोक्त लिखित एवं कहे गये बिंदुओं में कोई भी बिंदु नहीं जोड़े गये। कृपया स्पष्टता देखें एवं स्वीकृति देवें।'' इसे देखते ही तुरंत डॉ आलम, उपमहानिदेशक ने टीप दी- ''मैं तुम्हारे मत को स्वीकृति नहीं देता, सामूहिक निर्णयों का आदर करें''।

मैं डॉ. आलम का यह निर्णय सुनकर स्तब्ध रह गया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली बातें यदि सामूहिक निर्णय के माध्यम से आई हैं तो उनका आदर करना चाहिए। यह तो सुनता ही था कि भ्रष्टाचार आपसी सहयोग से ही बढ़ता है (Corruption requires Cooperation) किंतु अब सामने भी आ गया था।

यद्यपि अब इसके विरोध में लिखना अपनी आफत मोल लेना था किंतु मेरा जमीर मुझे झुक जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। यह देश की बहुत बड़ी हानि थी, यदि इसमें मैं चुप हो गया तो यह देश द्रोह होगा और मैं देशद्रोही बन जाऊँगा। मुझे नौकरी जाने का डर नहीं था, मुझे यह भी भय नहीं था कि भ्रष्ट लाबी मुझे शारीरिक हानि पहुंचायेगी। परंतु मैं (कैसे एवं क्या लिखा जाय), इस पर गंभीर मंथन कर रहा था। मैं कटी पतंग बन जाऊँ या पथ-भ्रष्ट हो जाऊँ, यह मुझे कतई मंजूर नहीं था।

## माँ की मृत्यु मुझे असहनीय वेदना दे गई :-

अचानक 03.01.2000 को मेरी माताजी (श्रीमती रमाबाई) का निधन हो गया। माँ सबको सबसे प्यारी होती है, वे मेरे भी लिए अत्यधिक प्रिय थीं। मैं माँ की ठीक से सेवा नहीं कर पर रहा था, वह बीमार चल रहीं थीं। मैं कार्यालय के कार्य में न केवल सुबह आफिस जाकर रात्रि देर में लौटता, बल्कि फाइलें लाकर रात्रि में भी निपटाता रहता। माता जी अपने पास बुलातीं तो कुछ समय बैठता, फिर फाइलों को निपटाने में लग जाता। माताजी ने कभी कर्तव्यच्युत होने को नहीं कहा था वहां भी जब मैं मध्यप्रदेश (भोपाल) में संयुक्त संचालक रहते हुए भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था और मेरे जान पर बन बैठी थी। किंतु वे सचेत करती रहती थीं कि कुछ करने के लिए जीना भी आवश्यक है। मेरी माँ मेरी माँ-बाप सब-कुछ थी। पिताजी का देहांत मेरी 10 माह की उम्र में हो गया था और तुरंत ही हमारे आय का स्त्रोत जो लगभग 100 गायें थीं उनको शेर और जंगली जानवर खा गये थे, क्योंकि माँ को भरमार (देशी बंदूक) चलाने में तकलीफ होती थी। उनके देखते-देखते पशुधन लगभग खत्म हो गया। तब वह जिला शहडोल (मुख्यालय स्थल) से जंगल में जहां व्याही गईं आ गई थीं अपनी और अपने 3 बच्चों एवं 2 बच्चियों के उदर पोषण हेतु सिर पर चूड़ियों की टोकरी लेकर गांव-गांव, गली-गली जाने लगी थीं। वे बूढ़ी भी नहीं हुई थीं, सुन्दर भी थीं, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखती थीं, अतः उन्हीं गांव में चूड़ियां बेंचने जाती थीं जहां दबंग नहीं रहते थे। और हमारा उदर पोषण किया, कपड़े दिये, पढ़ाया और बाद में हमेशा मेरे साथ जब से मैं नौकरी में आया तब से मेरे साथ रहती रहीं। मैं भ्रष्टाचार से लड़ता था, पत्नी ही उनका ध्यान रखती थीं। मैं उनके बिना भोजन नहीं लेता था, हम साथ खाते थे। उनकी मृत्यु का सदमा ने मुझे उद्वेलित कर दिया था।

## कम्प्यूटरीकरण में भ्रष्टाचार के पालन पर जोर :-

डॉ. आलम की इस टीप की बात पर कि कम्प्यूटरीकरण के कार्य में भ्रष्टाचार करने का सामूहिक निर्णय हुआ है उसका आदर करें, के मत पर मैंने अपना मत लिखा और दिनांक 03.01.2000 डालकर नोटशीट उनकी ओर बढ़ा दी (जिससे वह अपना मत दे सकें) जिसमें मैंने लिखा था -''यह गंभीर निर्णय, प्रकरण है, और यह इस समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यदि हम वेंडर को प्रशिक्षण मात्र 75 जगहों पर करने का अधिकार दे देते हैं (कम्प्यूटर की प्रत्येक साइट की जगह के प्रावधान के विपरीत) जैसा उपमहानिदेशक की अपनी इस स्वीकृति वृत में लिखा है। 'नार्म (प्रावधान) किया है कि कम से कम 5 कम्प्यूटर और अधिक से अधिक 12 प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर हों' इससे वेंडर्स को तो बहुत फायदा होगा किंतु हमारे कृषि पद्धति को रू. 10000000/- की हानि होगी। प्रत्येक साइट पर प्रशिक्षण देने का प्रावधान दस्तावेज में सबकी स्वीकृति के बाद इस धारणा से बनाया गया था कि उपयोगकर्ता प्रत्येक साइट पर लाभ लें (जिससे उपयोगकर्ता को कम्प्यूटर में कार्य



करने का प्रशिक्षण मिले)। उपमहानिदेशक इंजीनियरी कृपया अपने इस निर्णय पर (कि 449 की जगह 75 जगहों पर ही प्रशिक्षण हों) पुनः सोचें। इसी तरह यह बिंदु प्रत्येक बैठक में स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्था (भारत सरकार का सूचना केन्द्र) द्वारा 5-7 सदस्यों की पूरी टीम कम्प्यूटर परीक्षण 10 दिवसों में करने हेतु रखी गई है, जिसमें वे निर्धारित दिवसों में परीक्षण पूर्ण कर दें, परंतु उन्हें वेंडर्स द्वारा कम्प्यूटर उपकरण तथा सुविधा दी ही नहीं जा रही, परिणामस्वरूप वह अब परीक्षणकर्ता इंजीनियरों की टीम में 2-3 लोग ही काम कर रहे हैं और इस तरह परीक्षण में देरी हो रही है।

इस बिंदु को जब बैठक में वेंडर्स से पूछा गया कि क्यों ऐसा हो रहा है तब वे इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि कम्प्यूटर उपकरण के देने में देरी क्यों कर रहे हैं। यदि यह इस बैठक के वृत में नहीं लिखा गया तो यह वृत अधूरा होगा। और पूर्व की बैठक वृत के जैसी उलझन पैदा हो जायेगी जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्त निदेशक श्री बाबूलाल जागीड़ा अपने उठाये गये भ्रष्टाचार के बिंदु वृत (Minutes) में रिकार्ड कर लें, किंतु मेरे द्वारा उठाये गये बिंदुओं को भी रिकार्ड (लिखा) किया जाय।''

इसे देखकर निश्चत ही डॉ आलम थर्राये और वह डॉ. आर.एस. पड़ौदा (भारत सरकार के सचिव तथा परिषद के महानिदेशक) से मिले एवं 31.01.2000 को अपनी टीप दी-

''महानिदेशक से चर्चा की। उन्होंने इसको परियोजना प्रबंधन समिति के समक्ष रखने की सलाह दी है''

परियोजना प्रबंधन समिति (Project Management Committee) में प्रस्ताव रखने की यह नाटकीय व्यवस्था थी, जिसमें डॉ. पड़ौदा जो और जैसा चाहते थे करा लेते थे। कोई चूँ-चपड़ नहीं करता था। दिनांक 09.02.99 के आदेश पारित होने के बाद जनवरी 2000 तक आपूर्ति नहीं हुई थी, इसमें दूसरे विभाग के आदमी भी थे और मैं वास्तविकता भी हर बैठक में प्रस्तुत करता था, किंतु दण्डात्मक कार्यवाही वेंडर के ऊपर नहीं की गई थी। बल्कि जैसा डॉ. पड़ौदा और उनकी 'चौकड़ी'' चाहती थी वैसे ही फर्म को और बढ़ाकर सुविधायें दी जा रही थी। डॉ. पड़ौदा (सचिव भारत सरकार एवं परिषद महानिदेशक) ही 'चौकड़ी'' के हीरो (नायक) थे और उन्होंने ही ऐसी फर्म को आदेश दिलाया था जो 'बेंचमार्क' में ही स्पर्धा से बाहर होती। इस फर्म (मे. सीमेंस) के पास न तो प्रशिक्षण की अपनी कोई व्यवस्था थी न ही कम्प्यूटरों को नेटवर्क से जोड़कर चलाने वाला तथा इसके रखरखाव करने वालों का कोई केन्द्र या टीम थी। इन कारणों से भी मूल्यांकन करने पर यह फर्म स्पर्धा से बाहर हो गई होती किंतु विडम्बना यह थी कि फर्म ही अपने आप में सब कुछ (मालिक) बन चुकी थी और इसे नाम देने की औपचारिकता के लिए डॉ. आलम इसे डॉ. पड़ौदा के पास ले गये थे तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि इसे परियोजना प्रबंधन समिति के समक्ष ले जायेंगे।

## सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सर्वर, प्रिन्टर, मोडम, नोटबक कम्प्यूटर खराबी रिपोर्ट पर दण्ड :-

यह सबको पता था कि यह कुचेष्ठा है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि अपना (परिषद का) नुकसान किया जाय एवं फर्म को अवैध फायदा कराया जाय। फिर भी तुगलकी फरमान था (डॉ. पड़ौदा का) कि इसे वहां ले जाकर कुछ बतायेंगे एवं वृत में नोट कर देंगे कि लाभ के लिए प्रशिक्षण केन्द्र कम कर रहे हैं एवं प्रोफार्मा बदल रहे हैं। कोई चूँ-चपड़ करे ऐसी हिम्मत ही किसी में नहीं थी और नीचता की हद पार करते हुए मुझे भी इस बैठक से दूर करने की व्यवस्था कर ली गई थी। उनके द्वारा किया गया संसोधन यदि भूतकाल से (जब दस्तावेज बने थे) लागू माना जाता तभी कुछ संभव था। क्योंकि तब सभी फर्मों को इसका फायदा मिलता और उनके दस्तावेज ठीक हो जाते। दस्तावेज में यह पूर्व में (बनने के समय) ही लिख दिया गया था कि ऐसे समय में इस तरह का कोई संशोधन नहीं होगा। यह दस्तावेज के प्रावधान 'चौकड़ी'' की पूर्ण जानकारी में थे। फिर भी 'चौकड़ी'' बहुमत का निर्णय कह कर ऐसे प्रावधान लागू करने जा रही थी। और अब तो उनके मनमाफिक परिषद के अध्यक्ष श्री नितीश कुमार जी आ गये थे। इसी कारण मात्र औपचारिकता करने के लिए परिषद के महानिदेशक डॉ. पड़ौदा ने डॉ. आलम को समिति के सामने यह गलत प्रस्ताव रखने की सलाह दी थी।

दिनांक 30.12.99 को एक पत्र परीक्षण एजेंसी भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिल्ली के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक से प्राप्त हुआ था, जिससे स्पष्ट हुआ था कि परीक्षण में देरी होने का कारण मे. सीमेंस (आपूर्तिकर्ता फर्म) द्वारा देरी से कम्प्यूटर प्रदाय करना था। इससे इस बात की पुष्टि हुई कि इतनी देरी से आपूर्ति के कारण वेंडर को बहुत बड़ा दण्ड दिया जाना आवश्यक है। इसी दण्ड से बचाने के लिए 'चौकड़ी' ने चाल चली थी कि 'लेटर ऑफ क्रेडिट' को देर से खोला जाय जिससे उसी बहाने फर्म को दण्ड न दिया जाय। इस पत्र के अनुसार परीक्षण की स्थिति बताई गई कि 'सर्वर' में जो स्पष्टीकरण मांगे गये थे वह अभी भी मे. सीमेंस ने नहीं दिये। ''नोट बुक'' कम्प्यूटर की भी यही स्थिति है। इसलिए परीक्षण संभव नहीं हुआ। डॉटमैट्रिक्स प्रिंटर के ड्रायवर फ्लापी में दिये गये थे वह सी.डी. रोम से भिन्न थे। डॉटमैट्रिक्स, इंकजेट, बबलजेट एवं मोनो लेजर प्रिंटर सभी में दो मीटर की जगह 1 मीटर के केबल दिये गये। 263 में से मात्र 5 प्रिंटर शेयरर ही दिये गये। मोडम में आर.एस.232 (R.S.232) केबल उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ मोडम खराब भी पाये गये एवं खराब मोडम को बदला भी नहीं गया। वेंडर ने प्रिंटर्स में 1.5 मीटर केबल (तार) दिया है जबकि दो मीटर का चाहा गया था। आगे लिखा गया था कि जैसे ही नोट बुक कम्प्यूटर एवं सर्वर के बारे में चाहा गया स्पष्टीकरण वेंडर दे देगा, वह परीक्षण पूरा कर देगी।

इस रिपोर्ट से स्पष्ट था कि वेंडरों के पास सही समान नहीं था वह किसी तरह से रो-धोकर इधर-उधर से ढूंढ़कर माल देते थे, परीक्षण एजेंसी उनकी कमियां बताती थी, उसे



ये बदलते थे फिर एजेंसी परीक्षण करके किसी तरह उनके जांच की रिपोर्ट पूर्ण करती थी। पूरे के पूरे 461 प्रिंटर (डॉटमैट्रिक्स प्रिंटर-टी.व्ही.एस.ई-345, इंकजेट प्रिंटर मोनो एवं कलर, बबल प्रिंटर CGA-1000 और मोनो लेजर प्रिंटर-1250) में दो मीटर समानांतर तार देना था किंतु वेंडर ने मात्र 1.5 मीटर वाले तार दिये थे फिर भी एजेंसी परीक्षण करने के बाद 2 मीटर वाले तार नहीं मंगाये बल्कि रिपोर्ट में लिखा कि यह लम्बाई भी काम करने लायक है। प्रिंटर के ड्रायवर के साफ्टवेयर जो फ्लॉपी में सप्लाई किये गये थे वह सी.डी. रोम दिये गये वर्जन (प्रारूप) से अलग थे। फिर भी परीक्षण एजेंसी ने इसे स्वीकार कर लिया था। सीधे प्रिंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसकी जगह पुराने मॉडल के प्रिंटर दिये गये थे, जिन्हें किसी तरह नेटवर्क एडॉप्टर एवं प्रिंटर शेयरर लगाकर परीक्षण पूर्ण किया गया था, वह भी 263 की जगह मात्र 5 में दिया गया था। तात्पर्य यह कि गुणवत्ता के उपकरण न होते हुए भी परीक्षण के समय जोड़तोड़ कर उन्हें ऐसा किया गया था कि काम करने योग्य बन जायें। परीक्षण के लिए सर्वर, कम्प्यूटर आदि पर स्पष्टीकरण के बाद ही परीक्षण होना था, कई मोडम तो खराब पाये गये थे किंतु उन्हें बदला भी नहीं गया था। इन सब परिस्थितियों के रहते हुए भी परीक्षण का काम पूरा करने को कहकर एजेंसी अपनी परीक्षण राशि रू. 36 लाख की मांग की थी। यदि यही साफ-साफ 'बेंचमार्क' परीक्षण हो गया होता तो फर्म को स्पर्धा से बाहर निकालने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, फिर चाहे 'चौकड़ी' कितने ही पैर पटकती। इसी कारण 'चौकड़ी' ने सभी नियमों, निर्णयों, प्रावधानों को धता बताते हुए बिना 'बेंचमार्क' कराये ऐसी फर्म को आदेश थमा दिया था जिसका न केवल माल खराब था बल्कि प्रावधान के अनुसार न तो उनके पास देश भर में माल बेंचने के बाद सेवा की व्यवस्था थी न वार्षिक रखरखाव की व्यवस्था जो आवश्यक आवश्यकता थी, उपलब्ध न थी। उसके बाद 'चौकड़ी' बेशर्मी की हद पारकर वेंडर को ऐसी सुविधा (प्रशिक्षण केन्द्र देना, परीक्षण के लिए अपना केन्द्र देना, दण्ड आदि) जो परिषद को हानिकारी था दे रही थी क्या यह देशद्रोह नहीं था?

फर्म द्वारा हमारे ऊपर थोपे गये माल में इतनी खराबियां थीं फिर भी डॉ. आलम ने मेरे मना करते हुए एवं वास्तविक धरातल से दूर (यहां तक कि मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों का जिक्र न करते हुए) दिनांक 20.12.99 की बैठक के वृत (जो बाद की तिथियों से वृत के रूप में आये) में समिति की बैठक में लिये सर्वमान्य निर्णय के रूप में लिखा :- वेव सर्वर कम्प्यूटर (नोटबुक) को छोड़कर सभी का लगभग परीक्षण हो चुका है। चार कलर लेजर प्रिंटर का परीक्षण बाकी है जो शीघ्र पूर्ण हो जायेगा। केबल (तार) जो छोटी (2 मी. की जगह 1.5 मी.) दी गई है (वह स्तरीय नहीं है तब भी) मान्य की जा सकती है। यू.पी.एस. के लिए फर्म मे. विनीटेक को कहा गया कि वह परीक्षण की पूर्ण सुविधा दे जिससे परीक्षण शीघ्र पूर्ण हो जाय। प्रशिक्षण के बारे में यह निर्णय लिया कि एक जगह पर 5-12 प्रतिभागियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है (अलग-अलग प्रत्येक साइट की जगह समूह में)। स्थानीय साइट्स की सुविधा के लिए प्रमाणीकरण प्रोफार्मा में बदलाव लाया गया है आदि-2।

इतनी देरी से माल देने के लिए मेरे द्वारा नियमानुसार इनपर की गई दण्डात्मक कार्यवाही करने का कहीं जिक्र भी नहीं किया गया था, जबकि 1 वर्ष की देरी हो रही थी। तात्पर्य यह कि गलत प्रिंटरों को स्वीकार कर लेना, अभी तक न लाये गये उपकरणों हेतु यह नहीं कहना कि फर्म की गलती है (जिससे उसे दण्ड न लगे), एक अजीब तरीके का प्रशिक्षण जो हितग्राहियों के साथ उनके कम्प्यूटरों में अलग-अलग होना था उसे उनके कम्प्यूटरों से दूर समूह में लाकर व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, जिससे हमारी रू. 1 करोड़ की राशि भी फालतू में खर्च हो जाय, उपकरणों के कलपुर्जों की पूरी सप्लाई हुई यह प्राप्त करने वाला नहीं हो बल्कि हजारों कि.मी. दूर बैठा व्यक्ति दैवीय शक्ति से ज्ञात कर उसकी कीमत बतायेगा आदि को सही बताया गया था। और इन्हीं सब बुराईयों पर मत आने पर यह कहना कि इसे अब परियोजना प्रबंधन समिति में ले जायेंगे एक गंभीर बात थी।

इस भ्रष्टाचार के कार्य करने में डॉ. पड़ौदा और उनकी 'चौकड़ी' को इसलिए भी सुविधा होती थी क्योंकि वह (डॉ. पड़ौदा) परिषद के महानिदेशक थे और भारत सरकार के सचिव भी अपने विभाग के थे। अतः जो भ्रष्टाचार करना होता था उसे खुद करके आगे समिति की ओर बढ़ा देते थे जिसके अध्यक्ष वह स्वयं भारत सरकार के सचिव होने के कारण रहते थे। ऐसे समय में उनकी वरिष्ठता भी काम आती थी, क्योंकि परिषद का बहुत समय तक महानिदेशक होने के कारण लम्बी अवधि तक सचिव रहने से वह सरकार के वरिष्ठ सचिव हो गये थे, बैठकों में बड़े-बड़े प्रशासनिक सेवा के सचिवों के समक्ष वह वरिष्ठ होने के कारण तथा खुले हाथ धन लुटाने के कारण सम्मानित रहते थे। इसी कारण अन्य सचिव या प्रशासनिक अधिकारी भी इनका विरोध नहीं कर पाते थे। इनकी बुराईयों या घपलों की जांच कराने या इन्हें हटाने के लिए भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाना पड़ता। महानिदेशक अलग और सचिव अलग (भले ही वह कृषि सेवा क्षेत्र का अधिकारी हो) होने से यह घपले कम हो सकते थे। इसी कारण भ्रष्ट मंत्री जब परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करता था, तब इनके सांठगांठ में सुविधा रहती थी।

दिसम्बर 99 की बैठकों में स्पष्ट रूप से किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार न होने देने के लिए मेरे द्वारा दी गई ताकीद तथा बैठक के वृत में मेरे द्वारा कही गई बातों (जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता था) का उल्लेख कराने पर जोर, वेंडरों पर मेरे द्वारा की गई दण्डात्मक कार्यवाही से कुपित होकर 'चौकड़ी' ने मुझे पद से हटाने या अन्य जगह स्थानांतरित करने की योजना बनाई (चूंकि अध्यक्ष पद से एक इमानदार व्यक्ति के हटजाने एवं उनके स्थान पर श्री नितीश कुमार के पद पर आने से 'चौकड़ी' की हिम्मत बढ़ गई थी)। यह योजना थी कि मुझे तुरंत कार्य से हटाया जाय, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार उघाड़ने की बातें नोटशीट के माध्यम से सामने आ रही थीं। अतः उपमहानिदेशक डॉ. आलम ने मुझ पर कार्य न करने, कार्य में अवरोध लगाने आदि की बातें लिखते हुए मुझे हटाने की बात नोटशीट में लिखी एवं आगे बढ़ाई। इसमें श्री सोधी सिंह अवर सचिव ने दि. 13.01.2000 को तीन बातों की सलाह देते हुए नोटशीट आगे बढ़ाई। इसमें प्रथम थी कि डॉ. आलम द्वारा बातों पर



स्पष्टीकरण मांगते हुए मुझ पर विभागीय जांच बैठाकर कार्यवाही की जाय। इंजीनियरी (कम्प्यूटर) से हटाते हुए मुझे मेरे पद के साथ विस्तार विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाय या मेरे सेवा को परियोजना विभाग को दे दी जाय। यह नोट परिषद के सचिव से होते हुए परिषद के महानिदेशक एवं सरकार के सचिव डॉ. पड़ौदा के पास पहुंची। चूंकि इस नोटशीट में मुझे पद या कार्य से हटाने की बात थी अतः यह परिषद के अध्यक्ष के पास जानी थी, किंतु श्री नितीश कुमार के अध्यक्ष पद पर आ जाने से 'चौकड़ी' में उनसे भले ही चर्चा कर ली होगी पर खुद को ताकतवर समझते हुए उन्हें नस्ती न देकर दिनांक 14.01.2000 को नस्ती निदेशक, अवर सचिव को चर्चा करने हेतु लिखकर नोट उन्हें दे दिया। 'चौकड़ी' समझ बना चुकी थी कि वह कुछ भी करे किंतु श्री नितीश कुमार इस पर हस्ताक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब उनकी मूक सहमति से चल रहा था।

## कप्यूटर साफ्टवेयर आदि के प्रशिक्षण, रख-रखाव आदि में कमी का परिणाम

दिनांक 19.01.2000 को प्रशिक्षण लगभग 75 जगहों पर ही हो, इसकी फाइल का निराकरण हो गया। जबकि इसके विरोध इतनी लिखा-पढ़ी एवं इतना हो-हल्ला हुआ। इसमें नुकसान की बात थी और हुआ भी वही जिसकी आशंका थी। प्रत्येक जगह पर प्रशिक्षण न होने पर कई जगह तो कम्प्यूटर ठीक से लगाये ही नहीं गये (क्योंकि प्रशिक्षण की पहली ही बात थी कि कम्प्यूटर लगाने के बाद उनके साफ्टवेयर डालकर उन्हें चला दिया जाय)। जो कम्प्यूटर लगाये गये वह भी ठीक से नहीं चले। क्योंकि हमारे व्यक्ति उतने जानकार नहीं थे। अलग से वार्षिक रखरखाव कराना पड़ा, कम्प्यूटर नेटवर्क को बंद कर देना पड़ा आदि-आदि। यही तो चाहती थी 'चौकड़ी' एवं श्री नितीश कुमार जी उनको अपने भ्रष्टाचार पूर्ति के काम से मतलब था न कि देश हित से। दिनांक 21.01.2000 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से एक फोन आया था, जिससे मुझे बताया गया था कि मुझे कुछ पत्र मिलने वाला है। मेरे यह समझ में नहीं आया था कि यह मेरे पत्राचार का जवाब है या कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही का। दिनांक 01.02.2000 को सूचना तकनीकी की 'इलीटेक्स' संगोष्ठी में मुख्य सतर्कता आयुक्त भारत सरकार श्री एन विट्ठल जो (सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे) से मैंने पूछा था कि जिस लेख का विवरण वह बता रहे थे उसका बिंदु 10 जो भ्रष्टाचार से संबंधित था आपने सबके समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया। यद्यपि फिर इस विषय पर चर्चा विस्तार से हुई एवं मैंने उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने तुरंत स्वीकार करते हुए कहा कि मैं चर्चा के लिए उनके पास आऊँ।

उपरोक्त दिनांक 21.01.2000 को जो सतर्कता आयुक्त के कार्यालय से मुझे एक पत्र आने का फोन आया था, जिसके बारे में क्या मजमून है यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था। किंतु जब 19.01.2000 का आयुक्त का यह पत्र जो बाद में मुझे मिला उससे स्पष्ट आभास था कि यह पत्र उसी फोन से संदर्भित होगा। फिर भी मुझे ज्यादा ध्यान देने का मौका न मिला था। मैं तो अपने अभियान में जुटा था। दिनांक 19.01.2000 के पत्र से यह तो साफ हो चुका था

कि सतर्कता आयुक्त मेरे पत्रों पर कार्यवाही करेंगे। यह भी स्पष्ट था कि छोटे अदना कर्मचारी अधिकारी पर ही नहीं यह भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यवाही बड़े-से-बड़े अधिकारी पर हो सकती है। किंतु राजनीतिक परिवेश कुछ ऐसा था कि कुछ सही में घट सके इसकी संभावना कम ही थी। क्योंकि जीवन के शासकीय सेवा के 20 वर्षों में जो कुछ घपलों को मैंने उजागर किये थे, विधानसभा समिति ने इनका सत्यापन कर सही पाया था, दूसरे प्रकरण में लोकायुक्त एवं मुख्य सचिव ने इसे सही पाया था, किंतु किसी पर कार्यवाही नहीं हुई थी। इसी कारण कहीं कोई दूर-दूर तक यह गुंजाइस नहीं दिख रही थी कि भ्रष्ट लोगों पर कार्यवाही हो पायेगी, फिर भी मेरा जो नैतिक कर्तव्य था उससे मैं विचलित होने की सोच भी नहीं सकता था।

## इलिटेक्स वर्कशाप में भाग लेने की लालसा

मैंने दिनांक 01.02.2000 को 'इलिटेक्स 2000' नामक इलेक्ट्रानिक वर्कशाप में भाग लिया एवं सत्र के अध्यक्ष श्री यन. विट्ठल सतर्कता आयुक्त भारत सरकार से प्रश्न किया कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भ्रष्टाचार से संबंधित बिंदु क्र. 10 क्यों नहीं पढ़ा (क्यों छोंड़ा) जिस पर चर्चा होती। इस पर उन्होंने चर्चा की एवं विस्तार से चर्चा करने के लिए अपने कार्यालय में आने का समय दे दिया। 'इलिटेक्स' मुफ्त में तकनीकी जानकारी प्राप्ति को एक प्रमुख श्रोत था जो प्रत्येक वर्ष में अटेंड करता था इससे आकलन की जानकारी मिलती थी।

दिनांक 02.02.2000 को मुझे 27.01.2000 का कार्यालयीन आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें न केवल कार्यालयीन परम्पराओं, नियमों आदि का उल्लंघन हुआ था, बल्कि यह भी ज्ञात नहीं था कि यह किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से निकाला गया था। इस आदेश से रू. 1000 करोड़ खर्च की इस परियोजना के उन-उन कार्यों से मुझे हटा दिया गया था जिन-जिन में मैं भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। ऐसा आदेश न तो अध्यक्ष श्री नितीश कुमार द्वारा निकाला जा सकता था न सचिव एवं महानिदेशक डॉ. पड़ौदा द्वारा और न ही अन्य द्वारा। क्योंकि नियमों का इसमें उल्लंघन था, कि इसी कारण भी किसकी अनुमति से हुआ है इसका जिक्र तो था नहीं, बल्कि इसकी प्रति भी अध्यक्ष को नहीं दी गई थी। अब प्रष्न था कि जिस व्यक्ति ने यह कार्यालयीन आदेश निकाला था वह 'चौकड़ी' का मास्टर माइंड श्री कन्हैया चौधरी अवर सचिव का अदना सा कर्मचारी या अधिकारी क्या मुझे रू. 1000 करोड़ रूपयों की परियोजना प्रबंधन समिति की बैठकों से अलग कर सकता था। राष्ट्रीय परियोजना के सूचना विकास प्रणाली के टास्क फोर्स के सदस्य सचिव ही मुझे पद से हटा सकता था। मासिक मूल्यांकन समिति जो पूरे देशभर के कम्प्यूटरीकरण का मूल्यांकन करती थी उसके सदस्य सचिव पद से हटा सकता था। नियमानुसार कोई ऐसा नहीं कर सकता था।

कम्प्यूटर नेटवर्क के उपकरणों के क्रय एवं उनके वितरण जिनकी योजना बनाने, उसका दस्तावेज तैयार करने से वितरण क्रय से लेकर उनके विक्रय के बाद के रखरखाव समीक्षा आदि की जिम्मेवारी के लिए मैं कार्य कर रहा था और इसी पद पर मात्र देश भर में मेरी ही प्रभारी के रूप में नियुक्ति हुई थी, क्या उसे एक अदना कर्मचारी हटा सकता



था। यही नहीं आदेश के बाद में मेरे ही वैज्ञानिकों को आदेश दिया गया था कि मेरे मातहत वैज्ञानिक मेरी इकाई की फाइलें मेरे माध्यम से न भेजकर सीधे-ही आगे उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को भेजेंगे। क्या मेरे मातहत वैज्ञानिकों को भी आदेश देने का अधिकार इस मास्टर माइंड श्री कन्हैया को था। इतना ही नहीं इसके आगे आदेश में लिखा गया था मेरे मातहम मुझसे 3 रैंक में छोटा मेरा वैज्ञानिक डॉ. ए.के. जैन जिसमें ऐसे पदों पर आवेदन तक की पात्रता नहीं थी, वह न केवल रू. 1000 करोड़ की परियोजना प्रबंधन समिति का, इसके टास्क फोर्स का, मासिक मूल्यांकन समिति का सदस्य सचिव होगा, बल्कि वह मेरी अनुमति के बिना ही यह सब कार्य करेगा और मुझे बिना बताये फाइलें भी सीधे आगे भेजेगा। इस आदेश का विवरण एवं प्रतिलिपि मात्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भर में ही नहीं, बल्कि कृषि सहकारिता विभाग, विश्व बैंक आदि को भेजी गई थीं। बाद के अभ्यावेदनों से स्पष्ट हुआ था कि इसमें मंत्री, सचिव, महानिदेशक आदि सबकी मूक सहभागिता थी, किंतु भ्रष्टाचार खुलने पर उन पर उत्तरदायित्व न डाल दिया जाय, इस कारण लिखित में कहीं नहीं था। इससे इन भ्रष्टाचारियों को दो फायदे थे कि रोड़ा न अटकाने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और इन पर मुझे कार्यच्युत करने का दोषारोपण भी नहीं लगेगा। इन्होंने समझ लिया था कि इनके इस आदेश से मैं नतमस्तक हो जाऊँगा।

क्या यह कर्मचारी अपने आप में इतना शक्तिशाली हो गया था कि मुझे कार्य से हटाने का आदेश पारित कर विश्व बैंक तक को सूचना दे दे। इसने पत्र की प्रतिलिपि को उपमहानिदेशक (विस्तार एवं इंजीनियरी), विशेष कर्तव्य अधिकारी, संयुक्त सचिव (विस्तार), परिषद के सचिव, परिषद के विभिन्न निदेशक, कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद, कृषि आर्थिक एवं योजना अनुसंधान राष्ट्रीय केन्द्र दिल्ली, राष्ट्रीय तकनीकी परियोजना दिल्ली, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान दिल्ली एवं वित्त निदेशक (मुख्यालय), राष्ट्रीय परियोजना के समस्त अधिकारी, परिषद के सहायक महानिदेशक (योजना, कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाई), परिषद के उप सचिव (प्रशासन) एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ए.के. जैन, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के (वित्त सलाहकार तथा सचिव) एवं परिषद के महानिदेशक, श्री डी.जे. बक्सी, खरीद विशेषज्ञ, विश्व बैंक कार्यालय नई दिल्ली आदि को दी थी। जिसका तात्पर्य था कि तुरंत ही मुझे कोई भी जानकारी इनके स्तर से मिलना बंद हो जाय। इसमें श्री कन्हैया चौधरी निमित मात्र था, मुख्य हाथ 'चौकड़ी' और उसके आका श्री नितीश कुमार, परिषद के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री भारत सरकार का था। जो बाद में इनको बार-2 प्रतिवेदन देने एवं वास्तविकता बताने पर भी कोई उत्तर तक नहीं दिया।

## लोकल नेटवर्क एरिया की समस्या :-

दिनांक 29.01.2000 को श्री कन्हैया ने कम्प्यूटरों के लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के लिए दिये गये देश भर के केन्द्रों में से 13 केन्द्रों द्वारा समय सीमा में खर्च न किये जाने पर, समयावधि बढ़ाने एवं कुछ केन्द्रों द्वारा और राशि की मांग की पूर्ति हेतु 'नोटशीट' तैयार

की थी। यह नोटशीट राष्ट्रीय निदेशक डॉ. मंगला राय एवं उप महानिदेशक (इंजीनियरी) डॉ. अनवर आलम से होते हुए तकनीकी कमेंट हेतु मेरे पास (सहायक महानिदेशक-कम्प्यूटर के पास दिनांक 03.04.2000 को) भेजी गई। संभवतयः चौकड़ी ने यह पहले सोचा होगा कि मेरे मत के बिना इसे निपटा लिया जायेगा, किंतु बाद में इतनी बड़ी (कई करोड़ रूपयों की) राशि में तकनीकी मत न लेने से आडिट पैरा बन जायेगा, इस कारण मुझे इतनी देर बाद मत देने का मन बनाया होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया कि 'चौकड़ी' और श्री नितीश कुमार (मंत्रीजी) राशि खर्च की अनुमति में मुझे पूछते थे, किंतु राशि में किस तरह के घपले हो रहे हैं उन्हें कैसे दूर किया जाय उससे मुझे दूर रख रहे थे। इसी तरह अन्य सभी कार्यों में ये 'चौकड़ी' मनमाने काम कर लेती थी। ऐसा ही एक प्रकरण राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र 'पूसा' (भा.कृ.अ.सं.) में बनाने हेतु रू. 44.70 करोड़ की अनुमति वित्त मंत्रालय से तब मांगी गई थी जब यह कार्य लगभग पूर्ण हो गया था। इस पर वित्त मंत्री ने कार्य अधूरा न छूटे इसलिए स्वीकृति तो दी किंतु 31.01.2000 को लिखा कि इसकी जांच कराई जाय जिससे यह जिम्मेवारी निर्धारित की जाय कि किसने यह अनियमितता की है। और एक माह में वित्त मंत्रालय को सूचित किया जाय। इसमें भी राशि इसी 'चौकड़ी' के माध्यम से व्यय की गई थी। इस पर श्री नितीश कुमार के मंत्री रहने से न कोई कार्यवाही हुई न किसी पर जिम्मेवारी निर्धारित हो सकी। इस राशि के खर्च में जो-जो घपले हुए थे वे राष्ट्रीय अखबारों में छपते रहे किंतु कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई, इनके साथ अन्य सब में लीपा-पोती होती रही।

## कृषि विज्ञान केन्द्रों के कम्प्यूटरीकरण को सही चलाने हेतु श्री नाना जी देशमुख की सलाह :-

इसके (मुझे कार्य से हटाने के) बाद दिनांक 02.02.2000 को श्री अरुण शौरी, भारत सरकार के एक इमानदार राज्यमंत्री से चर्चा हुई जिन्होंने मार्गदर्शन दिया कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से मिलूं। वे ही इस प्रकरण को हल करने में सहयोगी हो सकते हैं।

मेरे साथी डॉ. एस.एम. इलियास ने (जो सहायक महानिदेशक थे एवं पड़ोस में रहते थे), मेरे कर्तव्य रहित कर देने वाले आदेश को देखा एवं इसका जवाब लिखवाया। इसी दिन मैंने समाज सेवी एवं राज्य सभा सांसद एवं मझगवां (सतना) कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख श्री नानाजी देशमुख जी से भी चर्चा की, जिन्होंने बाद में मुझे मिलने को बुलाया। इसके साथ ही सतर्कता आयुक्त के वयैक्तिक सहायक से चर्चा हुई। उन्होंने आगामी तिथि में आयुक्त से चर्चा करने की बात की। 3 एवं 4 फरवरी 2000 को डॉ. इलियास के साथ में बैठकर मैंने ही, अपने कर्तव्य से हटाने वाला पत्र (कार्यालयीन आदेश) जो श्री कन्हैया चौधरी ने लिखा था का जवाब लिखवाया।

दिनांक 03.02.2000 को परिषद के उप सचिव (प्रशासन) ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को मेरे आवास का फोन 5820192 को बी-5 से (मेरे घर सी-101 में) स्थानांतरित करने को लिखा। यहां यह तो ज्ञात नहीं कि वह एक ओर तो मुझे पद से हटा रहे थे दूसरी ओर काफी समय बाद टेलीफोन लगवा रहे थे। क्या 'चौकड़ी' की मंशा मेरा



टेलीफोन वार्तालाप रिकार्ड करने की योजना थी (ऐसी आशंका बलवती भी हुई थी) या अन्य कोई बात। हाँ इतना अवश्य है जब प्रारंभ में मैं इस कालोनी में आया था (मैं इस नई कालोनी में आने वाला प्रथम व्यक्ति था) तब इस नवीन कालोनी के सभी घर टेलीफोन रहित थे और मात्र मेरे घर में फोन रखा गया था। मेरे दो बच्चे छोटे-छोटे थे और हर एक बाहरी काल पर बच्चों सहित हमारा पूरा परिवार पूरी कालोनी वालों के कॉल्स आने पर उन्हें बुलाने जाते थे, आने पर वे फोन पर बात करते थे हम उनको चाय पिलाते थे। किंतु बाद में जिस दिन (31.01.2001) से मुझे 'चौकड़ी' एवं श्री नितीश कुमार ने अवैध रूप से हटाया था उसी दिन से सभी कालोनी वासी ने हमसे केवल बात करना बंद कर दियो बल्कि कहीं से किसी के यहां मेरा कॉल आता था तो ये फोन काट देते थे, हमें कभी बुलाया भी नहीं। जिससे हम अपना कॉल सुन लेते। ऐसे में गांव में प्रचलित कहावत याद आती थी कि कभी-कभी आदमी से कुत्ता भला साबित होता है।

## कम्प्यूटरनेट पत्रिका द्वारा प्रशंसा से चौकड़ी को जलन :-

घटनाक्रम तेजी से घटता जा रहा था। इसी बीच देश की मानी-जानी कम्प्यूटर नेट संबंधित पत्रिका डाटाक्वेस्ट (Data Quest) ने देश के कृषि नेट पर कम्प्यूटरीकरण के लाभ के बावद एक परिचर्चा दिनांक 07.02.2000 को दिल्ली में आयोजित की। जिसमें देश के कृषि में नेटवर्क का जिम्मेवार मानते हुए मुझे विशेष रूप से आमंत्रित कर बोलने को कहा गया। इसमें मैंने देश भर में कम्प्यूटरीकरण से कृषि के विकास के महत्व पर विवरण प्रस्तुत किया। जिसका जिक्र इस पत्रिका में प्रतिनिधि लेख के रूप में संक्षेप में किया गया। 'चौकड़ी' मेरी प्रधानता कहीं भी देखना नहीं चाहती थी। वह इससे कुपित भी हुई थी। दिनांक 08.02.2000 की सायंकाल मैं परिषद के महानिदेशक एवं 'चौकड़ी' के नायक डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा सचिव भारत सरकार से मिलकर चर्चा की एवं उनसे कहा कि मेरी जिम्मेदारियों से वर्तमान परिस्थितियों में मुझे दूर कर देने से कम्प्यूटर की हानि होगी। मुझे क्यों जिम्मेवारियों से अवैध तरीके से हटाया जा रहा है। कैसे एक अदना सा कर्मचारी श्री कन्हैया एक आदेश बिना किसी सक्षम व्यक्ति की अनुमति के निकालकर विश्वबैंक तक उसकी प्रतियाँ भेज रहा है। किंतु डॉ. पड़ौदा ने कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दी। उसका तो यही उद्देश्य ही था और उसकी चाल भी ऐसी रहती थी कि बिना किसी को जिम्मेवार ठहराये ऐसा आदेश निकलवा दे और फिर कोई कार्यवाही भी न करें।

अपनी कमाई का साधन भ्रष्ट लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़ते साथ ही उनको यदि ऊपरी संरक्षण मिल जाये तो कहना ही क्या। डॉ. पड़ौदा महानिदेशक को जब 08.02.2000 को मेरे हटाने के गलत आदेश को न करने का निवेदन मैंने किया और उनको जूं तक नहीं रेंगी, तब मैंने 08.02.2000 को ही अभ्यावेदन पत्र उन्हें प्रस्तुत किया। जिसमें 27.01.2000 के आदेश (जिसमें मेरे अधिकार छीने गये थे) को वापस लेने की बात लिखी जो संक्षेप में इस प्रकार थी।

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

डॉ. सदाचारी सिंह तोमर सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर सूचना प्रणाली)- दिनांक 08.02.2000

प्रति- महानिदेशक भा.कृ.अ.प. द्वारा उचित मार्ग, विषय- निर्णय पर पुर्नविचार हेतु आवेदन।

महानिदेशक जी अवर सचिव द्वारा निर्गत संलग्न कार्यालयीन आदेश दिनांक 27.01.2000 का अवलोकन करें जिससे मेरे सहायक महानिदेशक पद की जिम्मेवारियों एवं कर्तव्य से मुझे अलग किया गया है। यही नहीं बल्कि ये मेरे पद की जिम्मेवारियां मेरे कनिष्ठ एवं अधीनस्थ डॉ. ए.के. जैन को दी गई हैं। इस आदेश से मेरे अधीनस्थ सभी वैज्ञानिकों को यह आदेषित किया गया है कि वे सभी नस्तियां मेरे माध्यम से न देते हुए सीधे आगे उपमहानिदेशक को देवें। यहां यह बताना है कि ये मेरे अधीनस्थ वैज्ञानिक 'कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल' तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मुझे सहयोग करने हेतु नियुक्त किये गये हैं। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों एवं कार्यों से क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि इससे यह निश्चित है कि जो घपले (रू. 1.6 करोड़ के होने से) मैंने रोके हैं। जिसमें मैंने फर्म (मे. सीमेंस एवं मे. विनीटेक) को दण्डारोपण किया, देरी से हो रही कम्प्यूटर उपकरण (माल) की आपूर्ति से रोका, प्रशिक्षण के घपलों को उजागर किया। जो भ्रष्ट प्रणाली को सुधारने का एक उदाहरण है। मैंने प्रारंभ में ही गलत फर्म (मे. सीमेंस जिसने बोली सुरक्षा निधि सही नहीं दिया था) को आदेश न देने की चेतावनी दी थी। इससे भी आगे मैंने आपको बताया कि नियम के विपरीत तथा क्रय समिति के निर्णय को दरकिनार रखते हुए बिना 'बेंचमार्क' किये हुए इन फर्मों को ही क्रय का आदेश दिया गया। मैंने अधिकारियों से यह भी निवेदन किया था कि उन सभी कम्प्यूटर नेटवर्किंग उपकरणों को अग्राह्य कर दिया जाय जो निक्सी (परीक्षण एजेंसी) द्वारा गलत पाये गये या संतोषजनक नहीं पाये गये। मैंने आगे वेंडर्स से कहा था कि वे परीक्षण एजेंसी को पर्याप्त सुविधा दें, जो नहीं दी गई। परन्तु वे संविदा के विपरीत काम करते रहे एवं आपूर्ति में देरी करते रहे। यहां यह जिक्र करना उचित होगा कि मैने पूर्व की परियोजना में दिये गये कम्प्यूटर उपकरण के प्रशिक्षण की कमी एवं आपूर्ति की त्रुटि को ठीक कराकर नियमानुकूल बनाया। मैंने एक अखिल भारतीय योजना बनाकर कम्प्यूटरों की स्थिति का अध्ययन कर गलत आपूर्ति, कम आपूर्ति, अधूरी आपूर्ति के साथ ही उन स्थलों का पता लगाया, जहां प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। जिसके लिए बहुत बड़ी राशि अदा की गई थी। इस अध्ययन में यह रहस्य खुला था कि संविदा की शर्तें क्रय में पूरी नहीं की गईं, साथ ही मॉनीटरिंग भी ठीक से नहीं हुई। मेरे इस प्रयत्न के फलस्वरूप लगभग 200 प्रकरणों को ठीक किया गया एवं प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। यह पूरा काम महानिदेशक की सम्पूर्ण जानकारी में सम्पन्न किया गया। मेरे इस अध्ययन के कारण भ्रष्टाचार में नंगे हुए पूर्व के सहायक महानिदेशक



(कम्प्यूटर सूचना प्रणाली) को निलंबित (Suspend) कर दिया गया था, जो इसके खिलाफ न्यायालय गये। किंतु इसीलिए जीत नहीं पाये थे क्योंकि कि मैंने अध्ययन में त्रुटियों के ठोस प्रमाण लगाये थे। और भी कई प्रकरण हैं जो मेरी समर्पिति एवं दृढ़ कार्य के द्योतक हैं। जिससे कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली में सुधार हुआ है। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मेरी जिम्मेवारियों एवं कर्तव्य से मुझे हटाया जाय एवं मेरी जिम्मेवारियां मेरे अधीनस्थ कनिष्ठ को दे दी जायें। इस कार्यवाही से अधीनस्थों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिससे कम्प्यूटर प्रणाली में एक अस्वस्थ स्थिति पैदा होगी। मैं निवेदन कर जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा कारण था, आवश्यकता थी। जिसके कारण ऐसा आदेश जारी करना पड़ा। इससे संभावना है कि कम्प्यूटरनेट कार्यक्रम अप्रभावी बन जाये जिससे राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के इस सूचना विकास प्रणाली को गहरा अघात लगे। इससे भी आगे यह है कि एक बहुत कनिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ए.के. जैन को परियोजना की सूचना विकास प्रणाली का, मासिक विवेचना समिति का एवं परियोजना प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। जिसे समझना काफी कठिन है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण कार्य को इतने कनिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक को नहीं देना चाहिए था। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परिषद के हित संरक्षण हेतु सिद्धांतों के साथ संबंधित मुद्दों पर दृढ़ता से चल रहा था जिसका परिणाम था कि गुणवत्ता वाले समान जल्दी पहुंच रहे थे जिससे कई करोड़ों रूपयों की बचत हो रही थी। सामान्यतः ऐसे सपर्पित कार्य के लिए अपने वरिष्ठों से मैंने कुछ प्रशंसा की आशा रखी थी किंतु इस कार्यालयीन आदेश ने मेरी रही-सही कार्य एवं न्याय की आस्था को हिलाया है।

महोदय आपसे मेरी विनम्र विनती है कि मुझे विस्तार से स्पष्टीकरण उन बिंदुओं और मुद्दों पर दें (यदि कोई भी हों जिन्हें आप चाहते हो) जिनसे कोई गलत समझ बनी है। जिसके कारण यह कार्यालयीन आदेश निकाला है। आगे यह प्रार्थना है कि जब तक मेरे चाहे बिंदुओं पर विस्तार से स्पष्टीकरण न मिल जाये तब तक इस कार्यालयीन आदेश का क्रियान्वयन न किया जाये और मेरी सभी जिम्मेवारियां यथावत बनाये रखी जायें। मामले की गम्भीरता को देखते हुए, आपके तुरंत हस्ताक्षेप की विनती है। धन्यवाद, आपका शुभेक्षु - (सदाचारी सिंह तोमर)''

इस पत्र पर कोई जवाब देने की न मुझसे बात हुई न जवाब ही मिला।

गलत आदेश को रद्द करने-स्थगित कर विचार करने का मेरा अभ्यावेदन दिनांक 08.02.2000 को डॉ. पड़ौदा द्वारा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था (इस पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था)।

दिनांक 17.02.2000 को मैंने विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की बैठक हेतु 25-27 फरवरी 2000 को कुमार गंज (फैजाबाद-उ.प्र.) जाने तथा वहां के स्थानीय कम्प्यूटर केन्द्रों को भ्रमण करने का एक भ्रमण कार्यक्रम उपमहानिदेशक डॉ. आलम को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

किया था। डॉ. आलम तो 'चौकड़ी' के नियंता सदस्य थे उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि 27.01.2000 का मुझे हटाने का आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से नहीं निकाला गया। बल्कि वह खुश थे कि मुझे मेरी ड्यूटी से हटा दिया गया है और उनके राह का काँटा हट गया है, अब खुलकर अनियमितता-भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो सकेगा। और इसी के चलते उन्होंने जैसे ही भ्रमण कार्यक्रम उनके हाथ में आया उन्होंने मेरे कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण को एक तरफ करते हुए मात्र विश्वविद्यालय कार्य की अनुमति हेतु लिखा-

''नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रबंधन मण्डल की बैठक हेतु भ्रमण स्वीकृत''

इतना लिखकर उन्होंने उसी समय नोटशीट मुझे वैसे ही वापस कर दी जैसे मैं उनका ही आज्ञाकारी शिष्य था।

## मंत्री श्री अरुण शौरी, हुकुमदेव नारायण यादव तथा नाना जी देशमुख की कम्प्यूटरीकरण पर सुझाव :-

दिनांक 20.02.2000 को श्री अरुण शौरी मंत्री भारत सरकार को मैंने फोन किया था, उन्हें बताया था कि आपके बताये अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार मिलने का समय नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे यह बताया कि सचिव स्तर पर कार्यवाही का मामला भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकते और अब मुझे बार-बार परेशान न करें। वह पूर्व में भी बोल चुके हैं। श्री नानाजी देशमुख से चर्चा हुई। उन्होंने मंत्री श्री नितीश कुमार से मिलने की बात कही जहां वे कम्प्यूटरीकरण योजना एवं मेरे बारे में चर्चा करेंगे किंतु भ्रष्टाचार के बावद् चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह उपयोगी नहीं होगा। श्री बी.के. चौहान परिषद के सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुझे सहयोग करना चाह रहे थे। उन्होंने आज कहा कि मैं मंत्री श्री नितीश कुमार एवं श्री हुकुमदेव नारायण यादव तथा उनके वयैक्तिक सहायकों से मिलूं।

मेरी ड्यूटी से मुझे अलग करने संबंधी दिनांक 27.01.2000 का जो आदेश निकला था वह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से था, जिसका कोई आधार नहीं था। फिर भी कार्य से मुझे वंचित कर दिया गया था, इस पर मैं कार्यवाही चाह रहा था। दिनांक 21.02.2000 को में परिषद के उपाध्यक्ष एवं कृषि राज्यमंत्री श्री पी.के. पटनायक के सहायक व्यक्तिगत सचिव श्री शांताराम से मिला जिन्होंने पूरे प्रकरण को शांत भाव से पूर्णरूपेण सुना। उन्होंने राज्यमंत्री से मिलवाने का विश्वास दिलाया। इसी दिन मैं कृषि मंत्री के प्रमुख सचिव श्री आर.जी.पी.सिंह से मुलाकात की उनसे (मंत्रीजी को बताने के लिए भ्रष्टाचार की कहानी एवं मुझे हटाने की बात बताई) चर्चा पर आभाश हुआ कि वह चतुर एवं भ्रष्ट अधिकारी हैं। बाद में जहां हमने कम्प्यूटर दिये थे एक कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी एवं राज्य सभा सांसद श्री नानाजी देशमुख से चर्चा हुई जिन्होंने दूसरे दिन कृषि मंत्री श्री



नितीश कुमार से बातचीत करने का आश्वासन दिया।

दिनांक 21.02.2000 को ही लगभग 100 शिकायतों के जवाब हेतु मुझे टायपिस्ट या स्टेनों की आवश्यकता थी जो मेरे पास नहीं था। इसकी (टायपिस्ट देने की) नोटशीट परिषद सचिव को प्रस्तुत किया किंतु मात्र टीप पर टीप लिखे गये पर टंकण की व्यवस्था नहीं की गई। 'चौकड़ी' का परिषद मुख्यालय में इतना दबदबा था कि परिषद के सचिव के चाहने पर भी मुझे टायपिस्ट की सुविधा नहीं मिली एवं 100 शिकायती पत्र ज्यों-के-त्यों रखे रहे। जैसा कि 'चौकड़ी' चाहती थी कि इस बात का प्रचार-प्रसार न हो कि वेंडर्स परिषद को लूट रहे हैं और शिकायतें आ रही हैं। इसलिए ये टायपिस्ट भी नहीं दे रहे थे।

दिनांक 22.02.2000 को मैं श्री शांताराम से मिला जिन्होंने मंत्री के सहायक श्री विनोद कुमार से मिलवाया और हम श्री आर.सी.पी सिंह से मिले। दोनों को ही मंत्री जी की जानकारी के लिए भ्रष्टाचार की कहानी एवं मुझे हटाने की बात बताई किंतु मंत्री श्री नितीश कुमार से मिलने का कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाया।

दिनांक 23.02.2000 को पुनः मैं श्री नानाजी देशमुख जो इस आपूर्ति में हो रहे भ्रष्टाचार से प्रभावित हो रहे थे और बदमासी को जान रहे थे से मिला। उन्होंने कृषि राज्य मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव से मिलकर चर्चा करने की बात कही। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री बिट्ठल के वयैक्तिक सहायक से भी चर्चा हुई। उन्होंने 4-5 दिन बाद आयुक्त से मिलने के लिए वक्त देने हेतु चर्चा करने को कहा। मैं कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष श्री नितीश कुमार एवं राज्यमंत्री से मिलने के अवसर की खोज में था जिससे उनको भ्रष्टाचार के बारे में बताऊँ एवं पत्र हाथ में दे सकूँ। किंतु वह अवसर मिल नहीं रहा था।

मेरे एक अभ्यावेदन का जवाब देने के लिए डॉ. आलम उपमहानिदेशक एवं 'चौकड़ी' के सदस्य ने एक नोटशीट 23.02.2000 को तैयार की थी जिसका थोथापन अपने आप झलक रहा था। इसमें इनके कमेंट एवं कोर्ट (न्यायालय) में दिये शपथ पत्र के विपरीत थे। इन्होंने एक बिंदु में लिखा कि पूर्व के कम्प्यूटरों की आपूर्ति एवं प्रबंधन में मेरे द्वारा अध्ययन में पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामले जिससे पूर्व के सहायक महानिदेशक डॉ. ए.के. सक्सेना का निलंबन हुआ था वह स्तरीय अध्ययन नहीं था। मेरे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान प्रबंधक स्तर पर पदस्थ होने के नाते यह अध्ययन और सटीक होना चाहिए था। जबकि इसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने डॉ. पड़ौदा के साथ मिलकर प्रकरण पूर्व परिषद के अध्यक्ष के समक्ष रखा था और डॉ. सक्सेना सहायक महानिदेशक को निलंबित कराया था। इतना ही नहीं जब डॉ. सक्सेना ने न्यायालय में 'वाद' दायर किया था तब इन दोनों 'चौकड़ी' के सदस्यों ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि जो भ्रष्टाचार के प्रकरण मेरे अध्ययन से सामने लाये गये हैं वह सत्य हैं और अब यहां लिखे गये कमेंट में 'थूंककर चाटने' वाली बात कह रहे थे। डॉ. सक्सेना के हटने के उपरांत भी पूरे देश के कम्प्यूटरों का रखरखाव आपूर्तिकर्ता फर्म को बहुत कम दाम में करना था। अतः मे. एच.सी.एल. (फर्म)

यह कार्य नहीं करना चाह रही थी (क्योंकि इसमें इसके कई करोड़ रूपये लग जाते) तब इन दोनों ने उससे सांठगांठ कर उसे शर्तों में उल्लंघन की छूट दी थी उससे काम नहीं लिया था और अन्यत्र से ज्यादा दरों पर रखरखाव कर या कम्प्यूटरों को भगवान भरोसे छोड़कर करोड़ों रूपयों का न्यारा-वारा किया था। इस भ्रष्टाचार के लिए जब फर्म को मैंने काली सूची (Black List) में रखने को लिखा था तब इससे मना कर दिया गया था। और यहां नोटशीट में लिखा कि रखरखाव करने के गंभीर प्रयत्न मेरे द्वारा नहीं किया गया था। वेंडर्स को आपूर्ति में देरी करने पर मैंने जो दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए रू. 1 करोड़ का दण्ड इन वेंडरों पर आरोपित किया था इसके बारे में इन्होंने यहां लिखा कि मुझे स्वतः आपूर्ति जल्दी करवानी चाहिये थी, दण्डात्मक कार्यवाही नहीं। इससे वेंडर्स वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी देते रहे और आपूर्ति में देरी करते रहे। मेरे द्वारा रू. 1000 करोड़ की इस परियोजना के भ्रष्टाचार उजागर करके सुधार लाने पर वरिष्ठों की प्रशंसा मिलने की बात पर इन्होंने नोटशीट में लिखा। मुझे सेवा देने का वेतन मिलता है अतः व्यवसायिक तरीके से काम करना चाहिए। जिससे कोई वैधानिक कार्यवाही न कर सके। जबकि वास्तविकता यह थी कि मेरे द्वारा उजागर किये गये भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वेंडर्स ने न कभी वैधानिक चेतावनी दी न ही कोर्ट में गये अन्यथा वेंडर्स के साथ ही 'चौकड़ी' के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा सकती थीं। अभ्यावेदन पर मेरी बात सुनी जाय इस बात पर इन्होंने लिखा कि निर्णय मेरे सामने लिखा गया। जबकि इसमें गोपनीयता इतनी थी कि कुछ भी बाहर पता नहीं चला था। आगे कमेंट में लिखा था। ''मुझे दण्ड दिया जाय एवं मेरा परिवेक्षा (Probation) निर्णित न किया जाय। मुझे परिषद से बाहर किया जाय, क्योंकि मुझमें अनुशासन में कमी थी। इस तरह अभ्यावेदन निराकरण के कमेंट पर डॉ. पड़ौदा ने 25.02.2000 को लिखा ''वयैक्तिक विभाग इसे देखकर कार्यवाही करे'' जबकि प्रोवेशन की बात मेरे लिए लागू नहीं होती थी। यह सर्वश्री डॉ. पड़ौदा, आलम के लिए थी जो परिषद में घुसपैठियों की तरह थे।

यह थी 'चौकड़ी' की नीति ''चोरी और सीनाजोरी''

## अतिथि गृह में रहते हुए मकान किराया लेने पर कारवाई :-

दिनांक 23.02.2000 को एक विशेष संदेशवाहक द्वारा अतिथि गृह के प्रभारी का पत्र मुझे आया था। लगभग 50 वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार जो भी परिषद में वरिष्ठ अधिकारी आते थे वे तब-तक परिषद के दिल्ली स्थित अतिथि गृह में रहते थे जब तक उन्हें सरकारी आवास न मिल जाय। 'चौकड़ी' ने भी यही किया था। इस अवधि (वर्तमान) में भी नव नियुक्त परिषद के 50 प्रतिशत अधिकारी मेरे साथ की पूरी अवधि अतिथि गृह में रहे थे। इनमें नियमानुसार कुछ अवधि बाद अतिथि गृह बदलना होता था जो मैं और अन्य लोग भी कर रहे थे। इसकी सूचना मैं न केवल अतिथि गृह में अधिकारियों को दर्ज कराता था बल्कि परिषद मुख्यालय में भी इसकी सतत जानकारी देता था। यद्यपि अतिथि गृह नियमानुसार कुछ समय रहकर छोड़ना पड़ता था किंतु इसकी इंद्रराज (Entry)



रजिस्टर में नहीं हो पा रही थी क्योंकि अधिकारी के अस्पष्ट आदेश थे। इस पत्र में अधिकारियों, कर्मचारियों की इस गलती को स्वीकार भी किया गया था। इसमें पहले मैं अकेले रहता था या जब खाली कर देता था, या जब कमरे में दो लोग रहते थे, उसका इंद्रराज समय-समय पर नहीं किया जा सका था। क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों ने रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया था। इसकी गलती को स्वीकारते हुए अतिथि गृह के पत्र में कहा गया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा जिससे ज्यादा भुगतान (पेमेंट) की स्थिति आपके समक्ष न आये। आगे पत्र में लिखा था कि यद्यपि गलती अतिथि गृह तरफ से थी फिर भी लेखा परीक्षण समस्या न आये अतः पूरी दिखाई राशि (ज्यादा) ही नगद या चेक से रू. 13440/- भुगतान कर दें।

यद्यपि यह राशि ज्यादा थी। किंतु रजिस्टर में इद्रराज नहीं हो पाया (अधिकारियों/ कर्मचारियों की गलती से) था और रसीद बुक को भी समय पर समायोजन कर बंद करना था। इस स्थिति को देखते हुए समायोजन समयावधि में हो जाये, कोई लेखा परीक्षण में गड़बड़ी न हो इसलिए अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा इंद्रराज न करने से सम्पूर्ण अवधि की (जब मैं अतिथि गृह में नहीं भी ठहरा था) राशि का पूरा चेक 27.02.2000 को जमा कर दिया था। यद्यपि मुझे ज्यादा राशि देनी पड़ी थी किंतु अधिकारी/ कर्मचारियों के द्वारा गलती को स्वीकार कर लेने के बाद अधिक राशि का भार यदि मैं वहन न करता तो छोटे अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही होती। जिसमें उनसे न केवल राशि वसूली जाती बल्कि उनकी नौकरी भी जा सकती थी। इस पत्र की प्रति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक को भी दी गई थी। परिषद मुख्यालय को भी समय-समय पर अतिथि गृह में रहने संबंधी जानकारी दी जाती रही। जिसमें नियमों का कहीं कोई उल्लंघन न हो। इस बार नये पदस्थ सभी अधिकारियों को ज्यादा समय तक अतिथिघर में इसलिए भी रुकना पड़ा था कि सभी के आवास यहीं पर 800 मीटर दूरी (एन.ए.एस.सी.) में तैयार हो रहे थे एवं बैठकों में यह कहा जाता रहा कि आप सभी बाहर (भारत सरकार के आवासों में) न जायें अन्यथा परिषद के ये नये बने आवास खाली रह जायेंगे और लम्बी अवधि तक सुविधा ठीक न होने से यहां अभी कोई आयेगा भी नहीं। हम सभी भी सामान ढोने का बार-बार झंझट भी नहीं उठाना चाह रहे थे।

दिनांक 24.02.2000 को कृषि राज्य मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी से चर्चा हुई, उन्हें भ्रष्टाचार की कहानी बताई, मैंने अपने कार्यरहित कर देने का षडयंत्र भी बताया। किंतु श्री यादव जी ने बताया कि कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार ने उनके (राज्य मंत्री के) अधिकार ही वापस ले लिये हैं। मतलब श्री नितीश तानाशाह बन गये थे। मुझे बचपन की वह कहावत याद आने लगी ''जहां कबीरदास मट्ठा लेने जायें, वहां पड़ा वा भैंस पहले मर जायें''। मैंने फिर श्री नानाजी देशमुख को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वे समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं तात्पर्य था कि वह श्री नितीश कुमार के सम्पर्क में हैं। दिनांक 25.02.2000 को भी सोमपाल जी ने मुझसे चर्चा की एवं परिषद के कम्प्यूटर क्षेत्र के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री को लिखने को कहा।

दिनांक 26.02.2000 को पूरे दिन (8 बजे सुबह से 6 बजे सायंकाल तक) श्री नितीश कुमार, अध्यक्ष परिषद एवं कृषि मंत्री के आवास में उनसे मिलने की प्रतीक्षा में बीता। सायं 3.30 बजे उन्हें मैंने अपना कार्ड मिलने हेतु भेजा किंतु इसे अस्वीकार यह कहते हुए बतला गया कि उनके पास मिलने का समय नहीं है। इसमें इस बात की भी पुष्टि हो गई कि श्री नितीश कुमार (भ्रष्ट एवं ढोंगी) के इसारे से सब कार्य (भ्रष्टाचार बढ़ाने की एवं मुझे मेरे कार्य से हटाने की) 'चौकड़ी' कर रही थी। दिनांक 28.02.2000 को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री बिट्ठल को एक ई-मेल भेजकर आवश्यक रूप से उनसे पांच मिनट का समय देने का आग्रह किया। कृषि राज्य मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव से मुलाकात कर उनको दस्तावेज दिये। श्री सोमपालजी से मुलाकात की। कृषि मंत्री को लिखने का आग्रह किया किंतु सब निरर्थक रहा क्योंकि जब बाड ही खेत खाने लगती है तब विनास से कौन रोक सकता है।

उपकुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय (जिसमें हमारे कम्प्यूटर उपकरण दिये जा रहे थे) से डॉ. श्याम सुन्दरन नायर का दिनांक 28.02.2000 को एक पत्र मेरे पास आया था। इन्होंने सूचना तकनालॉजी, उपयोग, धारणायें आदि पर भारत सरकार के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें हमारे तरफ से भी भागीदारी चाही गई थी। इस पत्र पर मैंने टीप चाहा था कि मैं इसमें भाग लूं। जिसपर उपमहानिदेशक डॉ. आलम ने टीप दी- ''यह वर्ष का वित्तिय माह है। हमें मुख्यालय में उपस्थित रहना चाहिए''। वैसे तो मेरी ड्यूटी हटा ली गई थी फिर भी तकनीकी कार्यशाला में जाने पर मुझे मना किया जा रहा था। क्योंकि तब मैं उनके लिए जिम्मेवार अधिकारी था। एक तरफ तो परिषद का जिम्मेदार अधिकारी मानते थे दूसरी तरफ वही 'चौकड़ी' मुझे मेरे कर्तव्य से च्युत कर दी थी। इसके आगे मैंने पुनः अनुमति हेतु टीप लिखी- ''यदि उचित समझें तो वित्तिय वर्ष के मार्च पूर्ण होने पर मैं कुछ कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण करूँ'' इस पर उपमहानिदेशक ने लिखा- ''जहां न्यायसंगत होगा वहीं मान्य किया जायेगा'' इसका स्पष्ट मतलब था कि जहां डॉ. आलम चाहेंगे या उनकी प्रिय वेंडर ठीक-ठाक काम किये होंगे या जहां सेटिंग हो गई होगी वहीं भ्रमण की अनुमति डॉ. आलम देंगे। मैं अपने मन से भ्रमण स्थल (केन्द्र) में नहीं जा सकता या जाऊँगा। क्योंकि मैं उनके वेंडर्स पर दण्डारोपण कर दूंगा। इससे सभी भ्रष्ट लोगों का कमीशन बंद हो जायेगा।

## इमानदारों को तुरत-फुरत हटाने की कार्यवाई :–

दिनांक 29.02.2000 को भारत सरकार के वित्तमंत्रालय से स्वीकृत के उपरांत परिषद ने कार्यालयीन आदेश के तहत हमारी राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना हेतु निदेशक (वित्त) का एक पद सृजित किया था। और परिषद ने तुरत-फुरत एक झटके में श्री बाबूलाल जांगीरा निदेशक (वित्त) को परिषद से दिनांक 29.02.2000 के कार्यालयीन आदेश से हटाकर विश्वबैंक द्वारा पोषित परियोजना में पदस्थ कर दिया गया। यह आदेश जनहित में किया



जाना लिखा गया था, जबकि यह 'चौकड़ी' के हित (निर्वाध भ्रष्टाचार चलाने) हेतु था। यह आदेश तुरत-फुरत लागू करते हुए उन्हें 'स्टैंड रिलीव' करने के लिए दि. 29.02.2000 को ही श्री जहांगीरा को परिषद से हटाकर परियोजना में दि. 01.03.2000 की सुबह तक पदस्थ हेतु लिख दिया गया था। ध्यान देने वाली बात तो थी कि उसी दिन दि. 29.02.2000 को परिषद के उपसचिव (प्रशासन) श्री एन.एस. रंधावा ने इस पद के सृजन का आदेश निकाला था और उसी दिन अवर सचिव (प्रशासन) श्री ए.सी.घोष ने श्री बाबूलाल जांगीरा को परिषद मुख्यालय से हटाकर परियोजना में डाल दिया था। इस पद का सृजन वित्त मंत्रालय की सहमति से किया गया था। यह रहस्यमय बात सामने आई कि इस पद के सृजन के लिए जब वित्त मंत्रालय में फाईल गई थी तब वित्त मंत्री ने एक परिषद में वित्त निदेशक के दो पद न रखने की दृष्टि से इसे स्वीकृत करने से मना कर दिया था। किंतु बाद में 'चौकड़ी' ने रहस्यमय प्रयत्न कर सचिव स्तर के अधिकारी से दूसरी नोटशीट लिखाकर। इसे स्वीकृत करवाकर यहां लागू कराया था। 'चौकड़ी' का मूल मकसद श्री बाबूलाल जांगीरा को परिषद मुख्यालय से हटाना था। जिससे अवाध गति से भ्रष्टाचार चलता रहे। 'चौकड़ी' ने परिषद में यह प्रक्रिया अपना ही रखी थी कि मंत्रीजी तक नोटशीट ले जाओ और यदि अपने लायक निर्णय न मिले तो बाद में इसे नष्ट कर दें (फेंक दें) और उचित अवसर पाकर दूसरी मनचाही नोटशीट तैयार कर लें। फिर भी न बने या विरोधभासी मत हो तो मनमाना काम करा लें। परिषद मुख्यालय में रहते हुए अन्य मंत्रालयों से मेरा सम्पर्क होता रहा एवं मैंने पाया कि यहां सचिव और यहां तक अन्य अधिकारी भी मंत्री जी से कुछ फाईलों पर लिखते रहें वह मन माफिक नोटशीट तैयार करा लेते हैं। यही नहीं मंत्री एक निर्णय देता है सचिव उसके विपरीत निर्णय लेने में नहीं हिचकते।

वर्तमान प्रकरण में जो कुछ हुआ था वह श्री जांगीरा को रास्ते से हटाने के लिए हुआ था। वह आगे के घटनाक्रम से भी स्पष्ट होता है। जैसे ही आदेश पारित हुआ कि वित्त वर्ष (मार्च माह) में वित्त निदेशक को हटाया जा रहा है तुरंत ही भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार (जो परिषद का भी कार्य देख रहे थे) श्री दास ने इसी आदेश के ऊपर लिखा ''इन्हें 31.03.2000 तक रिलीव नहीं किया जा सकता, आदेश को तदनुरूप संसोधित किया जाय'' यह टीप लिखते हुए उन्होंने परिषद के सचिव तथा वित्त निदेशक को यह नोटशीट मार्क कर दी। स्पष्ट रूप से उन्हें अन्यत्र न जाने के लिए कह भी दिया। श्री जहांगीरा काम करते रहे किंतु इस 'चौकड़ी' ने सब प्रमाण होते हुए उनका वेतन रोक दिया। यह वेतन वर्षों तक नहीं दिया गया। जब तक 'चौकड़ी' छिन्न-भिन्न नहीं हो गई, वह भी जब अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन देते रहे, एवं मंत्री, सचिव, महानिदेशक बदल गये ।तब भी जो अवकास अवधि शेष हो वह लेकर ही वेतन दिया। यह भी 'चौकड़ी' और उसके महानायक डॉ. पड़ौदा की प्रवृत्ति थी, वे जो ठान लेते थे करते थे, नियम कायदे उनके जूते की नोक पर होते थे। मंत्रियों तक को रास्ते में लाने की हिम्मत वे रखते थे। और श्री नितीश कुमार के मंत्री के रूप में आते ही उनकी ताकत बढ़ गई थी।

श्री बाबूलाल जहांगीरा को हटाने के बारे में, जब मैं जनवरी 98 में पदस्थ हुआ था तब से 'चौकड़ी' के रुख से हमेशा इन्हें हटाने की योजना सुनता था। क्योंकि वह भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे थे। कई बैठकों में मैंने श्री जहांगीरा को सही बात जोर देकर कहते हुए सुना था। वह हमेशा यही कहते थे कि आप कुछ अनाप-सनाम निर्णय लें किंतु उनके द्वारा कही गई बात को मिनट्स (वृत) में रिकार्ड अवश्य करें। 'चौकड़ी' यही नहीं करती थी तब उन्होंने नोटशीट पर कमेंट दिया था कि अब वे किसी बैठक में जब तक भाग नहीं लेंगे जब-तक उन्हें आश्वासन न दिया जाये कि उनके द्वारा कही गई बात बैठक वृत में लिखी जायेगी। इसके बाद वह कभी बैठक में नहीं आये। और 'चौकड़ी' का यही उद्देश्य था। 'चौकड़ी' इतने में भी संतोष नहीं करती थी। वह तो इमानदार व्यक्तियों को नेस्तनाबूद करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। यहां श्री जहांगीरा के लिए तुरंत नया पद सृजित किया, तुरत वहां पद में भेजा (आदेश जारी किया) एवं तुरंत ही रिलीव कर दिया। आगे भी प्रताड़ित करने की भ्रष्टाचार बढ़ाने की योजना बना ली थी।

श्री बाबूलाल जहांगीरा (जांगीड़ा) वित्त निदेशक ने परिषद में हो रहे सभी खर्च तथा रू. 1000 करोड़ की राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना में (विशेषकर-कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली) में हो रहे घपलों को विभिन्न बैठकों में उठाकर, यदि बैठक वृत में उनके द्वारा उठाये गये बिंदु न भी लिखें तो उनके ऊपर नोटशीट लिखकर बैठक वृत में लिखने पर जोर दे रहे थे। इस राशि के खर्च में ठीक-ठाक व्यवस्था बनाये रखने हेतु वित्त निदेशक के रूप में हर तरह से योगदान दे रहे थे और 'चौकड़ी' के गलत कार्यों (भ्रष्टाचार) का पर्दाफास कर रहे थे। अतः वे उनके हिट लिस्ट में अग्रणी पंक्तियों में थे। श्री नितीश कुमार के मंत्री बनने के बाद 'चौकड़ी' ने अपना पहला लक्ष्य इन्हें परिषद से हटाने का किया था। पूरे मुख्यालय के वित्त के कार्य से हटाकर श्री जांगीड़ा को मात्र एक परियोजना पर सीमित कर रखा था। जबकि यदि परियोजना वाले वित्त निदेशक का पद भरना ही था तो वे किसी कनिष्ठ को लाते। इन्हें मुख्यालय कार्यालय से हटाकर तुरंत ताला ठोंक दिया गया था। यह ताला तुरंत तोड़ा भी गया था। इसके बाद जब जहांगीरा वहां नियमित बैठ रहे थे तो दूसरा ताला जड़ दिया गया, शीघ्र ही यह देखा गया कि इस ताले पर दूसरा ताला जड़ा हुआ है। श्री जहांगीरा इधर-उधर भटकने लगे। कभी कहीं, कभी कहीं बैठते रहे। मैंने इन्हें अपने कमरे में बैठने का निवेदन किया था साथ ही कमरे की एक चाभी भी देने के लिए कहा था। किंतु श्री जहांगीरा इधर-उधर लोगों के कमरे में बैठकर वित्त निदेशक का काम करते रहे। इसी बीच अचानक एक परिवर्तन आया, श्री नितीश कुमार कृषि मंत्री का पद छोड़कर बहुमत न होते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठ गये। कुछ दिन वहां बहुत हांथ पांव मारे, जोड़-तोड़ की। जोर अजमाइस की किंतु बहुमत साबित न कर सके। और ''लौट के बुद्धू घर को आये'' की कहावत चरितार्थ हुई। इनके बिहार जाने पर दिनांक 06.03.2000 से 26.05.2000 तक श्री सुन्दरलाल पटवा जी को कृषि मंत्री एवं परिषद का अध्यक्ष का पदभार दे दिया था। इस अवधि में श्री जांगीरा और मैं श्री पटवाजी से मिला और 'चौकड़ी'



के भ्रष्टाचार की बात बताई। श्री पटवाजी ने बात की गंभीरता समझते हुए श्री पड़ौदा से स्पष्टीकरण मांगा था। किंतु इसका स्पष्टीकरण लेकर श्री पड़ौदा पर कोई कार्यवाही होती या श्री जांगीरा को वापस लाया जाता। इसके पूर्व ही मुख्य मंत्री पद से हटा दिये जाने के कारण श्री नितीश कुमार ने वापस दिल्ली आकर कृषि मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष का पद सम्भाल लिया। फिर 'चौकड़ी' की ''पौ बारह'' हो गई। परिस्थितियां देखकर ही श्री जहांगीरा ने परियोजना में ही वित्त निदेशक का कार्य संभाल लिया था। यहां भी नस्तियों में वह सही टीप करते थे एवं बैठकों में अपने उठाये गये सही बिंदुओं को वृत में रिकार्ड के लिए जोर देते थे। अब रूपये 1000 करोड़ की परियोजना में भी भ्रष्टाचार की गुंजाइस कम हो रही थी। 'चौकड़ी' ने पुनः चाल खेली एवं श्री जहांगीरा को वापस मुख्यालय में स्थानांतरित करने का नाटक किया। उधर स्थानांतरण आदेश दिया इधर उन्हें पद पर पदस्थ नहीं होने दिया। मतलब साफ था कि न वह मुख्यालय में ही काम कर सकेंगे न ही परियोजना में। अधर में लटके रहेंगे और वेतन लेते रहेंगे। यह थी श्री नितीश कुमार एवं चौकड़ी की चालबाजी।

यह स्थिति तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक थी। श्री जहांगीरा को एक ओर मुख्यालय पर रखने से पूरे परिषद के वित्त वाले कार्य में गलती करने पर अडंगा लगता था। तो दूसरी ओर परियोजना में वित्त निदेशक बनाने पर तात्कालिक भ्रष्टाचार जो रू. 1000/- करोड़ (के खर्च) में हो रहा था, बंद हो रहा था, इससे 'चौकड़ी' को हानि हो रही थी। इनके स्थानांतरण के बाद पदस्थापना ले लेने से ''भई गति सांप छछूंदर केरी। उगलत लीलत प्रीति घनेरी'' बन रही थी। इसी कारण चालबाजी एवं तानाशाही प्रवृत्ति अपनाकर परियोजना से मुख्यालय स्थानांतरित कर लम्बी अवधि तक इन्हें मुख्यालय में कोई चार्ज नहीं दिया गया और यह स्थिति तब-तक बनी रही जब तक डॉ. पड़ौदा को ही पद से हटा नहीं दिया गया। नवम्बर-दिसम्बर 2000 में (16.12.2000 से 23.12.2000) में जब श्री पड़ौदा पद से हटाये गये थे। इसके आसपास ताबड़तोड़ 'क्षति नियंत्रण' (Damage Control) कार्य हुए। श्री जहांगीरा को पद का कार्यभार सौंपा गया। यह ऐसी स्थिति थी जब श्री नितीश कुमार भी किंकर्तव्य विमूढ़ थे। क्योंकि डॉ. पड़ौदा जैसी उनकी कामधेनु को ही उनसे अलग कर दिया गया था। श्री जांगीरा सुचारु रूप से वित्त निदेशक कार्य परिषद में चालू कर दिये किंतु यह क्षणिक ही रहा। राजनीतिक एवं भ्रष्ट आकाओं ने डॉ. पड़ौदा का प्रकरण सी.बी.आई. को न भेज यहां ही रफादफा करके डॉ. पड़ौदा को यहीं पुनः बुला लिया। वापस आते ही डॉ. पड़ौदा ने चालाक एवं खूंखार भेड़िये की तरह इमानदारों को नेस्तानाबूद करने का उद्देश्य हाथ में लिया।

## निष्पक्ष लोगों को कम्प्यूटरीकरण से हटाने के दुष्परिणाम :-

चूंकि इनके साथ श्री नितीश कुमार थे। अतः इनको ऐसे अनैतिक कार्यों को करने में कोई डर नहीं था जो ये उस समय नहीं कर पा रहे थे जब श्री अटलविहारी वाजपेयी या श्री चतुरानन मिश्र कृषि मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष थे। डॉ. पड़ौदा ने श्री जहांगीरा को तो पद से हटाया ही। उन अधिकारियों को भी हटवा दिया जिनको हटाने का इस व्यक्ति

को अधिकार ही नहीं था क्योंकि तब श्री नितीश कुमार आंखमूंद कर इसके सहयोग में ऐसा कार्य किये जो अनैतिक थे, भ्रष्टाचार फैलाने वाले (उनका हित साधने वाले) थे। साथ ही इनके नीचे (परिधि) में भी नहीं आते थे। श्री नितीश कुमार जो परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का अनैतिक कार्य इस 'चौकड़ी' से करा रहे थे, अब प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हो गये थे। श्री जहांगीरा का भविष्य पुनः अधर में लटक गया था, इनकी पद की शक्तियाँ छीन ली गई थीं। इन अधिकारियों के हटाने से श्री नितीश कुमार इसलिए भी ज्यादा खुश हुए होंगे कि अब पार्टी फण्ड में भ्रष्टाचार से अच्छी राशि मिल सकेगी। क्योंकि भ्रष्टों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक दुधारू गाय रही है। विशेषकर डॉ. पड़ौदा के महानिदेशक पदस्थ होने के बाद। यदि देश में भ्रष्टाचार को रोकना है तो पार्टी फंड की राशि एवं विदेशी बैंकों की जमा, दोनों ही राशि की जांच की जानी योग्य होगी। साथ ही उनके पास उपलब्ध संपत्ति की जांच भी करनी होगी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी राजनीति से दूर लाना होगा। क्योंकि सी.बी.आई. काफी भ्रष्ट हो चुकी है। सी.बी.आई. अधिकारियों को भी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए एवं कुकृत्य करने के लिए दंडित करना होगा।

दिनांक 29.02.2000 को मुझे कार्य रहित कर देने के 27.01.2000 के आदेश के विपरीत अभ्यावेदन 'चौकड़ी' के साथ ही श्री नितीश कुमार मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष को मेरे द्वारा दिया गया था। यह इसलिए भी और ज्यादा आवश्यक हो गया था क्योंकि मुझे कार्य से हटाने के बाद उत्तरोत्तर कम्प्यूटर प्रणाली एवं रू. 1000 करोड़ की परियोजना में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। प्रश्न मुझे हटाने मात्र का नहीं था, प्रश्न यह भी था कि क्या कोई अधिकारी, मंत्री या प्रधानमंत्री का अधिकार अपने हाथ में ले सकता है (चाहे भले ही उसने अपने चमचों के साथ बैठक में सामूहिक यह निर्णय लिया हो और कह रहा हो कि यह सामूहिक निर्णय है हमें इसे मानना चाहिए)। श्री नितीश कुमार जी (मंत्री एवं अध्यक्ष) को यह लिखित में देना आवश्यक था, क्योंकि डॉ. पड़ौदा और उनकी मण्डली मंत्री के अधिकार अपने हाथ में लिये हुए थी। और श्री नितीश कुमार देख रहे थे कि कैसे मुझे हटाकर उनके भ्रष्टाचार करने का रास्ता साफ हो रहा है और उनके ऊपर मुझे हटाने का लांक्षन भी नहीं लगेगा। क्योंकि यह पत्र एक अदना से कर्मचारी ने बिना किसी स्वीकृति के लिखा है।

अतः दि. 29.02.2000 को संक्षेप में मैंने एक पत्र इस प्रकार लिखा-

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) नई दिल्ली-100011, दिनांक 29.02.2000

प्रति,

डॉ. आर.एस. पड़ौदा, महानिदेशक भा.कृ.अ.प.

कृषि भवन, नई दिल्ली

महोदय,

मुझे एक कार्यालयीन आदेश 12(6)/99-एन.ए.टीपी, दिनांक 27.01.2000 श्री



कन्हैया चौधरी (अवर सचिव-राष्ट्रीय परियोजना) द्वारा मिला है। जिसके अनुसार महानिदेशक ने मुझे कुछ कार्यों से हटा दिया है। जिसके लिए मैं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल से चुना जाने के बाद परिषद के अध्यक्ष द्वारा चुना गया था (इस प्रकार माननीय अध्यक्ष ही मुझे हटा सकते हैं)। इस आदेश के खिलाफ मैंने आपको एक अभ्यावेदन दिनांक 08.02.2000 को डॉ अनवर आलम उप महानिदेशक (इंजीनियरी) के माध्यम से दिया था, जो ले तो लिया गया था। पर उनके वयैक्तिक सहायक श्री वाय.आर.सिंह ने इसकी पावती देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि मैं उन बिंदुओं को पत्र में लिख रहा हूँ। जिनकी आवश्यकता नहीं है या जो पसंद नहीं हैं, इसलिए इसकी पावती नहीं दी जायेगी। इस कारण अब सीधे ही यह पत्र पूर्व के पत्र के साथ के बिंदुओं को विस्तार से लिखते हुए तथा इसकी प्रति संबंधित जनों को देते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिससे भ्रष्टाचार और स्पष्ट हो जायेगा।

महोदय यह प्रकरण राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (रा.कृ.अ.प.) (रू. 20 करोड़) सूचना विकास प्रणाली (सू.वि.प्र.) (रू.200 करोड़) तथा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना रू. 100 करोड़ से संबंधित हैं जिसमें-

1. मैने रा.कृ.अं.प. का अध्ययन के बाद बहुत सारी अनियमितताओं का खुलासा किया था जिन्हें संलग्न कर परिषद के अध्यक्ष (माननीय भारत सरकार के प्रधान मंत्री) को प्रस्तुत किया था। जिससे संस्थान के अधिकारी ने जिम्मेवार अधिकारी को (08.02.99) को मुअतिल कर दिया था। इसके खिलाफ वह अधिकारी न्यायालय में गया था, जहां मेरे द्वारा खुलासा की गई अनियमितताओं को परिषद ने प्रस्तुत किया था और उसका प्रकरण 16.11.99 को खत्म हो गया ( उसको कोई राहत न्यायालय ने नहीं दी)।
2. वर्तमान के रा.कृ.अं.प.(सू.वि.प्र.) की खरीद एवं आपूर्ति वेंडर्स की चालाकियों को आप को मौखिक एवं लिखित पत्रों दि.09.09.98, 10.09.98, 15.02.99, 08.12.99 इत्यादी से (एवं श्री.कन्हैया चौधरी) अवर सचिव को कई बार विषेषकर आपको पत्र दि.03.11.99 जो करीबन रू.5 करोड़ की अनियमितता से सम्बद्ध था आपके समक्ष रखा गया था। किंतु आपके स्तर से कोई भी कार्यवाही अज्ञात है।
3. रू.1.4 का करोड़ का दण्ड (लिक्वीडेटेड डैमेज) जो देरी से आपूर्ति और अन्य सम्बद्ध बिन्दुओं पर दी गई थी जिससे डा.मंगालाराय राष्ट्रीय निदेशक (रा.कृ.त.प) को पत्र 06 एवं 21 सितम्बर तथा अक्टूबर 99 से मेरे द्वारा सूचित किया गया था पर क्या कार्यवाही हुई मुझे अज्ञात है। यद्यपि वेंडर्स अपनी इच्छानुसार (मनमौजी) कर रहे हैं।
4. जब उप महानिदेशक (इंजीनियरी) ने अपने अधिकार के बाहर जाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा का बोली दस्तावेज को न मानते हुए प्रमाणीकरण का मूल प्रारूप बदल

ड़ाला और उसमें निंधारित प्रशिक्षण स्थलों को कम कर दिया, जिससे लगभग रू. 2 करोड की हानि हुई। इस बार उन्हें मैं पुनः सोचने के लिये दि. 03.01.2000 को लिखा था।

5. जब बैक (Back)आफिस (कम्प्यूटर साफ्टवेयर) गलत रूप से खरीदा जा रहा था। तब मैने चेतावनी दी थी। इसके लिये श्री.कन्हैया चौधरी ने आपूर्ति का आदेश पत्र दि.07.04.98 को दिया था कि वह रू. 60000 की दर से खरीदा जाय और मैने बताया था कि यह मात्र रू. 12000 की दर में उपलब्ध हैं। इससे रू. 20 लाख हमारे पास बच गये थे। और भी ऐसे प्रकरण दिये थे।

6. अनियमितताओं (नियमों के विपरीत बिना 'बेंच मार्क किये क्रय आदेश देना वह भी खराब स्तर की फर्म को, अस्वीकृत एवं ऐसे मद की संस्तुती नहीं हुई उसे ग्रहय करना, प्रशिक्षण देने में अनियमितता, वेंडर्स को दण्ड़ से बचाना, जिससे अपनी रू. 2 करोड़ की हानि हुई, पुराने मॉडल पेंटियम-II की अपूर्ति हुई, खराब प्रिंटर इत्यादि जिनमें बड़ी राशि खर्च हुई है, इनके मुद्दों को मैंने खोलकर सामने रखा था। एवं -

7. भविष्य की खरीदी हेतु जो खरीदकर्ता एजेंट जिसे हम लगभग रू. 5 करोड़ देंगे पर इसकी संविदा शर्तों को इतना छुपाकर रखा गया है कि मेरे द्वारा सभी संबद्धजनों के लिखने तथा पूरी कोशिश के बाद, संविदा शर्तें मुझे दिखाई तक नहीं गईं (जबकि मैं ही सभी कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली समन्वयक के नाते इस कम्प्यूटरीकरण का पूर्ण जिम्मेवार था)। मैंने इन मुद्दों को सम्पूर्ण परियोजना की 'परियोजना प्रबंधन समिति में चर्चा हेतु उठाया जिसको श्री कन्हैया चौधरी अवर सचिव ने मोड़ दिया और उसकी जगह परिषद के महानिदेशक और अन्य अधिकारियों की 18.11.99 की अलग बैठक आहूत कर दी। इसमें भी मैंने सभी मुद्दे रखे किंतु ये सुने ही नहीं गये।

महोदय, यदि आप तैयार हों तो यह उचित होगा कि यह प्रकरण जांच के लिए माननीय श्री एन. विट्ठल केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिया जा सकता है।

महोदय क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप पत्र के साथ संलग्न पत्र को भी देखें एवं समुचित दृष्टिकोण अपनायें तथा अस्पष्टता (Confusion) को दूर करने के लिए प्रकरण का तुरंत निराकरण करें। जब तक मामला विचाराधीन है तब तक इस कार्यालयीन आदेश का क्रियान्वयन न किया जाय।

आदर के साथ,

आपका सच्चा

(सदाचारी सिंह तोमर)



संलग्न - यथोपरि

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली-01
2. माननीय राज्य मंत्री (ए.एच.डी.एन.डी.ए.आर.आई) तथा उपाध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली-01
3. डॉ. मंगला राय, राष्ट्रीय निदेशक (रा.कृ.त.प.) नई दिल्ली
4. डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भा.कृ.अ.प. कृषि भवन, नई दिल्ली-01
5. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

उचित चिंतन हेतु एवं निवेदन है कि वेंडर्स पर रू. 500 प्रतिदिन प्रति मद के हिसाब से दण्ड दस्तावेजी प्रावधान के अनुसार उन मदों में लगायें जो बदलने के लिए अथवा त्रुटि सुधार करने हेतु पड़े हैं, प्रत्येक साइट पर प्रशिक्षण दिलायें, मूल दस्तावेजी प्रमाणीकरण प्रारूप प्रयोग करायें, वसूली करायें आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा दस्तावेज के प्रावधान अनुसार (जो मेरे पत्र दिनांक 02.06.99, 20.09.99 आदि से भी भेजे गये हैं) और ऊपर भी वर्णित हैं तथा संलग्न-1 में भी दिया है, पूर्ण करायें।''

इस तरह इस पत्र से स्पष्टरूप से मैंने श्री नितीश कुमार मंत्री जी एवं 'चौकड़ी' के सदस्यों के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों एवं मंत्रियों से निवेदन किया था एवं उस समय रू. 1000 करोड़ की परियोजना, पूर्व की रू. 20 करोड़ की खरीदी एवं आगे की इतनी ही राशि की खर्च में हो रहे एवं हुए घपलों का विवरण उनके समक्ष रख दिया था। मैंने यह भी बताया था कि मुझे हटाने का अधिकार मात्र परिषद के अध्यक्ष को है वह भी जांच में दोषी पाये जाने के बाद, जब भारत का कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल जांच रिपोर्ट देखकर संस्तुति देवे एवं अध्यक्ष उसके आधार पर पद से हटायें। पत्र से यह भी स्पष्ट किया गया था कि सरकारी कार्यालय होते हुए भी किस तरह भ्रष्ट अधिकारी पत्र लेने से एवं पावती देने से मना कर देते हैं। किस तरह मुझे इन भ्रष्टों द्वारा पत्र लेकर पावती न देने के कारण पंजीकृत डॉक से पत्र भेजने पड़े। पत्र से यह भी स्पष्ट था कि जब परिषद के अध्यक्ष एवं इमानदार व्यक्ति श्री अटल विहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब मेरे द्वारा उघाड़े गये भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्ति को पद से हटाया गया था। वहीं अब जबसे श्री नितीश कुमार जी आये हैं उसी तरह से भ्रष्टाचार उघाड़ने पर मुझे ही दण्डित किया जा रहा है। किंतु यहां तो 'रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। श्री नितीश कुमार के सामने सब रखा जा रहा था और वह आनंद से मस्ती कर रहे थे, मेरे पत्र का उत्तर तक नहीं दिया। यहां तक यह भी नहीं बताया गया कि किसके आदेश से यह आदेश निकाला गया था। भविष्य में जो खरीदी होनी थी उस पर भी हमारा ही खरीदी वाला दलाल (Procurement Agent) हमें पैसा खाने की तरकीब बता रहा था। पत्र में मैंने स्पष्ट किया था कि रू. 1000 करोड़ खर्च की परियोजना प्रबंधन समिति में जब घपले रखे थे तब इसे

अलग से बैठक कर विवेचना की बात कही गई। और जब यह बैठक हुई तो सभी चमचों ने (मुझे हटाओ की बात करते हुए) हटाने का निर्णय लिया। मैंने पत्र में लिखा था कि भारत सरकार के सतर्कता आयुक्त को या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से यह जांच की जाय, उसकी बात पर विचार करने की जगह मुझे हटाने की एक मात्र बात की गई। पत्र में संलग्न पत्र दिनांक 08.02.99 को लेने से क्यों मना किया गया इस पर भी श्री नितीश कुमार चुप्पी मारे रहे। यह था श्री नितीश कुमार कृषि मंत्री भारत सरकार का राक्षसी राज, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही थी। इससे यह आशंका सच्चाई में बदल गई थी कि जो कुछ भ्रष्टाचार का षडयंत्र या कुकर्म हो रहा था वह सब श्री नितीश कुमार जी के इशारे से हो रहा था। कुछ राजनीतिज्ञ इतनी चतुराई से भ्रष्टाचार करते हैं कि सामने वाले को समझ में आये कि मंत्री जी तो इमानदार हैं नीचे के अधिकारी भ्रष्ट हैं। इससे उनके आधीन इमानदार अधिकारी रास्ते से हट जायें और उन पर लांक्षन भी न लगे कि इन्होंने निकाला है बल्कि अधिकारियों पर दोषारोपण होता रहे। यही नीति श्री नितीश कुमार अपना रहे थे। जिससे मैं वेतन लेता रहूं, नाम के लिए पद पर बना रहूं और मेरी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर राशि का गोलमाल चलता रहे। परंतु मैंने भी ठान रखा था कि मैं अपनी कम्प्यूटर योजना में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। ऐसे लोग यह भी चाहते थे कि मैं क्षमा मांगूं या मान लूं उनका कथन कि मात्र तुम अपने पद पर रहो, चुप बैठो, हमें अपना काम करने दो। अन्यथा हम तुम्हें बरखास्त कर देंगे, कहीं के लायक नहीं रहोगे। अब तक की 20 वर्ष की नौकरी में मैं ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ, मंत्री, कर्मचारी, अधिकारी देख चुका था।

## मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं :-

दिनांक 29.02.2000 को 12 बजे कृषि राज्य मंत्री एवं परिषद के उपाध्यक्ष श्री हुकुमदेव नारायण यादव से मुलाकात की और उन्हें सर्वश्री आर.एस. पड़ौदा महानिदेशक, मंगला राय राष्ट्रीय निदेशक (परियोजना), अनवर आलम उप महानिदेशक एवं कन्हैया चौधरी अवर सचिव के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विवरण प्रस्तुत किये। इस पर उन्होंने उचित जांच कराने के लिए लिखा और अपने सहयोगी कर्मचारी से समुचित कार्यवाही करने हेतु कहा किन्तु कोई कार्यवाई नहीं हुई।

दिनांक 01.03.2000 को मैंने मंत्री श्री नितीश कुमार से बात करने का काफी प्रयत्न किया किंतु उनसे मिलने ही नहीं दिया गया।

एक पत्र दिनांक 02.03.2000 को सिंधु अतिथि गृह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से जारी हुआ था। जिससे वर्ष 1998 एवं 1999 में मेरे वहां नियमानुसार रहने तथा उनके द्वारा आज तक रजिस्टर में इंदराज (जो उनकी गल्ती से कुछ ज्यादा दिनों का हो गया था) की अवधि जो कुछ ज्यादा राशि मांगी गई थी, इसका चेक मेरे द्वारा उन्हें दिये जाने के बाद इसे कार्यालय में जमा कराने के लिए प्रमुख वित्त एवं लेखाधिकारी को कहा गया था।



यह चेक उनके द्वारा स्वीकार करने के बाद मेरे द्वारा जारी हुआ था कि इंद्रराज के लिए समय-समय पर रजिस्टर मुझे उपलब्ध न कराने के बाद अब एक साथ ज्यादा दिनों के लिए इंद्रराज उनसे हो गया है। अतः मैंने समायोजन को समुचित एवं समय पर हो जाये इसलिए ज्यादा राशि अदा कर दी थी। इस तरह समय पर समायोजन हो गया था यद्यपि इसके लिए उनकी गलती थी तब भी मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े थे। यह इसलिए भी करना पड़ा था कि उन कर्मचारियों से जो भूल-चूक हुई थी उसका बड़ा दण्ड उन्हें मिलता (यदि मैं इसकी जांच कराने को कहता)।

बड़ी संख्या में कम्प्यूटरों के अधूरी या गलत आपूर्ति के पत्र आ रहे थे। केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अंविकानगर (राजस्थान) ने भी दिनांक 02.03.2000 को एक पत्र मुझे भेजा था जिसमें लिखा गया था कि वहां वेंडर्स द्वारा अधूरी आपूर्ति की गई है। इस कारण मुझसे निवेदन किया गया था कि अधूरी आपूर्ति को पूरा करवाऊँ जिससे संस्थान वांछित ''माल निकासी सह स्थल तैयारी प्रारूप'' प्रपत्र भरक प्रस्तुत करें।

चूंकि ऐसी अधूरी आपूर्ति, गलत आपूर्ति आदि के पत्र कई संस्थानों से आये थे और उनके उत्तर भी उन्हें एवं संबंधित वेंडर्स से लेने थे। इस वावद् पत्राचार करना था और मेरे पास कोई टाइपिस्ट (लिपिक) नहीं था, अतः मैंने डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक को इसी पत्र पर ही लिखा- ''हम बड़ी संख्या में ऐसे पत्र प्राप्त कर रहे हैं, मेरे पास कोई स्टेनो, वयैक्तिक सहायक या टायपिस्ट उपलब्ध नहीं है जिससे समयबद्ध उत्तर नहीं जा सकते। कृपया समुचित कार्यवाही हेतु सलाह देने की कृपा करें''।

तुरंत ही दिनांक 08.03.2000 को उपमहानिदेशक ने पत्र बनाने हेतु सहयोगी देने की जगह पत्र पर लिखा- ''वह खुद पत्र टाईप करना नहीं चाहता- देख सकते हैं'' ऐसी टीप लिखकर उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव की ओर पत्र बढ़ा दिया। जैसे मैं टायपिस्ट के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। वहां से भी कोई टायपिस्ट की व्यवस्था नहीं की गई। उपमहानिदेशक ने एक शिकायत भरे लहजे में यह टीप दी थी कि मैं खुद पत्रों का जवाब टाईप करूं और भेजूं। अलग से कोई व्यवस्था नहीं होगी। मतलब साफ था कि पत्रों का जब जवाब ही नहीं जायेगा तो वेंडर्स को कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। 'चौकड़ी' द्वारा मुझे ही टायपिस्ट समझ लिया गया था। जबकि न केवल परिषद मुख्यालय में टायपिस्ट की भरमार थी बल्कि परियोजना में संविदा में भी बड़ी संख्या में टायपिस्ट रखे गये थे जो दिनभर मटरगस्ती करते और अपना वेतन लेते रहते थे। कई अधिकारियों के पास ऐसे 2-2 व्यक्ति थे। मुझे टायपिस्ट देने पर कमेंट दिये गये कि मेरे पास श्री रामनिवास व्यैक्तिक सहायक पदस्थ है। जबकि न केवल पूरी परिषद जानती थी कि वह दिमागी रूप से अक्षम है बल्कि इस पर 'जांच अधिकारी' ने भी उसे कार्य न करने योग्य बताया था। किंतु उसे पद से हटाया नहीं गया था बल्कि उन इमानदार अधिकारियों को परेशान करने के लिए जो भ्रष्ट अधिकारियों को नंगा कर रहे हैं, श्री रामनिवास को नौकरी में बनाये रखा गया था। इसमें 'चौकड़ी' की षडयंत्र वाली चाल थी। 'चौकड़ी' की नशा मंडली जब शराब

के नशे में बैठती थी तब रस ले-लेकर यह बताते थे कि कैसे किसी इमानदार अधिकारी के पास एक पागल श्रीराम निवास को पदस्थ कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके दस्तावेज भी वह फाड़ देता है।

## मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा द्वारा कम्प्यूटरीकरण के भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास :-

श्री सुन्दरलाल पटवा ने कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सम्भाल लिया और दिनांक 06.03.2000 को अचानक पता चला कि 'चौकड़ी' के आका श्री नितीश कुमार मंत्री पद छोड़कर बिहार में मुख्य मंत्री के पद जोड़तोड़कर प्राप्त करने के लिए दिल्ली से पटना चले गये थे। एवं मुझे नौकरी से हटाने की गति में कमी आई थी क्योंकि 'चौकड़ी' अकेले (बिना मंत्री की सहमति के) मुझे नौकरी से हटा नहीं सकती थी। दिनांक 07.03.2000 को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री विट्ठल से मेरी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनके कक्ष में बैठक हुई और इन्होंने मुझे श्री यस.एन.पी.एन. सिंहा से मिलने को कहा। श्री सिंहा जो सतर्कता आयोग के बड़े अधिकारी थे, मुझे लगभग 20 मिनट तक सुना एवं मैंने उनको जो 198 पृष्ठीय दस्तावेज (भ्रष्टाचार खुलासे के) उन्हें दिये उसकी पावती उनके वयैक्तिक सहायक ने मुझे दी। यह श्री विट्ठल से तीसरी बैठक थी। मंत्री श्री पटवाजी से मिलने के लिए लोकसभा सांसद डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया जी से सम्पर्क किया साथ ही श्री नानाजी देशमुख से भी इस बावद् मिला। श्री नानाजी ने बताया कि मेरे बारे में श्री पटवा जी से वह बता चुके हैं।

मेरे दैनिक जीवन का उतार-चढ़ाव, भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्य ने परिवार को भी प्रभावित किया है। मेरी भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रक्रिया में अब पत्नी (श्रीमती सरला तोमर) भी उतर आईं थीं। दिनांक 07.03.2000 को उन्होंने श्री एन.विट्ठल केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार को एक पत्र लिखा। विषय में वर्तमान खरीदी (रू. 50 करोड़) के घपले तथा विश्व बैंक की तकनीकी परियोजना (रू. 1000 करोड़) जिसमें परिषद का मानव संसाधन विकास आदि से संबंधित घपले थे भी जोड़े गये। संदर्भ में मेरे द्वारा श्री एन.बिट्ठल, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को लिखे पत्र, मेरी उनसे हुई बैठकें एवं उनके द्वारा मुझे लिखे गये पत्र (विशेष रूप से उनके 19.01.2000 का पत्र जिसमें उन्होंने बड़े (सर्वोच्च) स्तर पर बैठे अधिकारी पर भी कार्यवाही की मेरी मांग पर सहमति जाहिर की थी) का जिक्र था। आगे लिखा था- ''महोदय, मुझे साहस एवं प्रोत्साहन आपके ऊपर लिखे संदर्भित पत्र दिनांक 19.01.2000 से मिला। महोदय, मेरे पति डॉ. सदाचारी सिंह तोमर सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर एवं सूचना प्रणाली), इंजीनियरी विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भ्रष्ट एवं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना जिसमें रू. 1000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। वहां वही एक मात्र उचित रूप से कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल से चुने जाने के बाद परिषद के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय परियोजना सूचना विकास प्रणाली में पदस्थ किये गये हैं बांकी सब इंतजाम वाले एवं प्रतिनियुक्ति के हैं। जो सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पड़ौदा



(महानिदेशक), मंगला राय (उपमहानिदेशक-फसल विज्ञान), अनवर आलम (उपमहानिदेशक-इंजीनियरी) और कन्हैया चौधरी (अवर सचिव परियोजना) द्वारा लाये गये हैं। जिन्हें (परेशान लोगों को) दूरदराज, कठिन, दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तरी-पूर्व तराई क्षेत्र, आतंकी क्षेत्र आदि जगहों से लाया गया है। जिससे वे बिना हिचक या अवरोध के अधिकारियों द्वारा बतायी जा रही रीति से भ्रष्टाचार करते रहें। सूचना विकास प्रणाली (राष्ट्रीय परियोजना) का वरिष्ठतम अधिकारी होने पर भी मेरे पति को कभी भी परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक का प्रभार नहीं दिया गया। जबकि अन्य अपात्र (असम्बद्ध) अधिकारी डॉ. जी.एल. कौल को कहीं से लाकर प्रारंभिक अवस्था में ही उसे प्रभारी बनाया गया। उसके सेवानिवृत्त होते ही अन्य अपात्र (असम्बद्ध) अधिकारी डॉ. मंगलाराय जो डॉ. पड़ौदा की चापलूसी के लिए प्रसिद्ध हैं को उस परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक का प्रभार दिया गया है। इस तरह भ्रष्टाचार करने के लिए एक अच्छा दल निर्मित किया गया है। बंधनकारी होने के कारण सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर एवं सूचना प्रणाली) को परियोजना प्रबंधन समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में कम्प्यूटर उपकरणों की खरीदी एवं वितरण कार्य में, सूचना विकास प्रणाली के कार्यदल का काम दिया गया था।

2. वर्ष 1998-2000 के दौरान रू. 40 करोड़ लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), रू. 20 करोड़ कम्प्यूटर हेतु एवं रू. 100 करोड़ परियोजना में राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना कोष द्वारा दिये गये थे। इनमें से लगभग रू. 50 करोड़ इन भ्रष्ट प्रबंधकों द्वारा खा लिये गये। इनमें से रू. 15 करोड़ जो भ्रष्टाचार में डॉ. तोमर द्वारा अनावृत कर परियोजना प्रबंधन समिति के समक्ष गये। वह सूचना विकास प्रणाली एवं परियोजना से संबद्ध थे।
3. सूचना विकास प्रणाली में जो विभिन्न मदों में भ्रष्टाचार की राशि कमाई गई वह है :- बिना 'बेंचमार्क' किये अपात्र वेंडर को क्रय (आपूर्ति) आदेश देने के बदले में घूंस में ली गई राशि, खराब पाये गये कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरणों को अस्वीकृत न करते हुए उन्हें स्वीकृत करके ले लिया गया (बदले में भ्रष्टाचार की राशि ली गई), दस्तावेज के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर ऐसे कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण जो अप्रचलित (Obsolete) हो गये थे। उनको भी ग्राह्य (मान्य) कर क्रय कर लिया गया, माल आपूर्ति जो तुरंत करनी थी। उसमें इतना अधिक समय (एक वर्ष) दिया गया जिससे कम्प्यूटर पेंटियम-II मॉडल इतना पुराना हो गया (और नया रूपांतरण पेंटियम-III बाजार में आ गया) जिसमें कि इसकी कीमत घटकर रू. 30,000/- प्रति नग आ गई जबकि हमने इसके लिए प्रति नग रू. 54000/- भुगतान किया था। मूल प्रावधानों के अनुसार हमने वायुयान से माल परिवहन करके लाने का आदेश दिया था। उसकी जगह जलपोत से सामान ढोने (लाने)की छूट दे दी गई,फर्म को उन देशों से माल लाने की छूट दी गई जो मूल संविदा में ही नही थे, देशभर में फैले 2500 केंद्रो में प्रशिक्षण देना था। जिसको घटाकर मात्र 54 में

ही प्रशिक्षण करने की छूट दे दी गई, उपकरण प्राप्त करने के बाद जिस प्रोफार्मा में प्रमाणीकरण करना था उसमें ऐसा अवैध बदलाव कर दिया गया जिससे वेंडर को लाभ हो एवं हमारी (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली) हानि हो। परियोजना राशि से दिये जाने वाली अच्छी परियोजनाओं को अस्वीकृत किया गया और उन खराब परियोजनाओं को राशि (स्वीकृत किया) किया जिनसे भ्रष्टाचार में राशि की कमाई हो इत्यादि। इस तरह पैसा खाने की लूट-खसोट के रू. 15 करोड़ की राशि का घोटाला मेरे पति द्वारा उजागर किया गया था। क्योंकि यह भ्रष्टाचार कम्प्यूटर राष्ट्रीय कृषि परियोजना से जिसमें वे कार्यरत थे से सम्बद्ध था, भ्रष्टाचार सुगमता से चले इसलियें उन्हें यहाँ हटाया गया क्योंकि इनके प्रत्येक भ्रष्ट आचरण की घटना का मेरे पति ने कठोर पत्र लिखकर इसका प्रतिवाद किया ।

4. बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के लिये इन भ्रष्ट अधिकारियों ने एक आदेश निकाला कि राष्ट्रीय कृषि तकनिकि परियोजना (सूचना विकास प्रणाली) की फाइलें सहायक महानिदेशक कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ही वैज्ञानिकों को भेजी जायें जिससे वैज्ञानिक अपना टीप, (फाइलें) सीधे ही (बिना सहायक निदेशक को दिखायें)। बिना उचित माध्यम के उपमहानिदेशक (इंजिनियरों) को भेंजेंगें यह उनकी भ्रष्टाचार करने की प्रक्रिया को सरल कर देगा।
5. इस भ्रष्टाचार में सर्व श्री. राजेन्द्र सिंह पडौदा (महानिदेशक), मंगलाराय (उपमहानिदेशक-फसलविज्ञान तथा परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक), डा.अनवर आलम (उपमहानिदेशक इंजीनियरी), कन्हैया चौधरी (अवर सचिव) इत्यादि गहराई से जुड़े हुए (सम्बद्ध) हैं। ये बहुत चतुर हैं एवं इस तरह कार्य करतें हैं कि इन्हें कोई छू भी नही सकता।
6. परिषद के कृषि मानव संसाधन विकास के अर्न्तगत एक पुस्तकालय जो सूचना विकास प्रणाली (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) का हिस्सा है का विकास करना था। इसका भी प्रभार सहायक महानिदेशक कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली को नहीं दिया गया था। क्योंकि सहायक महानिदेशक कम्प्यूटर ने जैसे ही पद ग्रहण किया था तुरंत ही मानव संसाधन में कम्प्यूटर क्रय का एक बोली दस्तावेज का संसाधन चालू किया गया था। चूकि इसकी क्रय पद्धति में काफी कमियां थी इस कारण इन्होने इस क्रय में नियम, पद्धति, अधिनियम सही तरीके से लागू करने के लिये अपने अभिमत दिये। तब इन्हें (डॉ.तोमर का) न तो इनकी परियोजना का प्रभार दिया गया और न ही उनको आगे की किसी भी क्रय प्रकिया पद्धति में जोडा गया। इतना ही नहीं इस कारण इन्हें इनकी योजना का कोई तकनीकी कार्य कभी भी भविष्य में भी नहीं दिया गया।
7. विश्वभर में कम्प्यूटर लाबी इतनी मजबूत है कि यदि उनके भ्रष्ट विचार नहीं



अमल में लावें तो वे देशों की सरकारें भी बदलवा सकती हैं ऐसे में एक अदने से शासकीय सेवक की क्या औकात है।

मैं चार पृष्ठीय पत्र जो कृषि मंत्री भारत सरकार, परिषद के महानिदेशक, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना इत्यादि को लिखा गया है के साथ 192 पृष्ठीय दस्तावेजों का एक सेट (जो आप के पास समय-समय पर पूर्व में भी भेजे गये हैं ) जो ऊपर वर्णित हैं, संलग्न कर रही हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया दस्तावेजों का अवलोकन करें और उन सबको बुलायें जो इनमें लगे हैं, उनसे स्पष्टीकरण ले एवं उन्हें (अपराधियों) को दण्डित करें।

कृपया मुझे पत्र पंजीकृत डाक से लिखें

संलग्न - यथोपरि

आपकी सच्ची

(सरला तोमर)

सी-101, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र कैम्पस,

पूसा परिसर (टोड़ापुर की ओर) नईदिल्ली-110012

इस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि 'चौकड़ी' अपने काम के लिये कैसे समस्या ग्रस्त दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले, आतंकियों के मध्य परेशानी के साये में जीनेवाले (जिनको भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाया गया है। ऐसे कर्मचारीयों /अधिकारियों से) अपने फेवर में काम करने के लिये वहां से दिल्ली स्थानांतर करवा लाती थी जिसस वे एहसान से दबे रहते थे और वे उनके मन माफिक भ्रष्टाचार का काम करते थे। 'चौकडी' (सर्वश्री पडौदा, मंगलाराय, आलम एवं कन्हैया) बड़ी तल्लीनता से कार्य कर रही थी। वेंड़र को गलत तरीके से लाभ देकर भ्रष्टाचार फलफूल रहा था। मेरी भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्य प्रणाली को देखकर कृषि का मानवसंसाधन कम्प्यूटर इकाई जो उपमहानिदेशक (शिक्षा) के तहत कार्य कर रही थी, मेरे द्वारा उनके क्रय प्रक्रिया की खामियों को उजागर करने के कारण उस विभाग के कार्य का प्रभार ही मुझे कभी नही सौपा गया। जबकि मेरे पद के सृजन के मूल दस्तावेज में भी इसका समावेश था। इसमें मूल कारण था कि वहां कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार था। कम्प्यूटर लावी (वह भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां) विशेषकर विश्व बैंक की वित्त-पोषित परियोजनाओं में भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं, मंत्रियों से इतना समन्वयन बनाती हैं कि किसी भी इमानदार अधिकारी की हत्या न सही उसको पद से तो हटाया ही जाता है। मेरी पत्नी का यह पत्र केंद्रीय सर्तकता आयोग से उसी परिषद में जांच करने भेजा गया था जिन पर लांक्षन था। मतलब साफ था कि भ्रष्टाचार भी करो और उसकी शिकायत का निराकरण भी अपने आप करो। केंद्रीय सर्तकता आयोग एक बिना नाखून एवं दात का शेर हैं। यह एक डाक घर की तरह काम करता है। फिर भी श्री.यन.विठ्ठल जब तक आयुक्त रहे सब भ्रष्ट उनसे डरते रहे। उन्होने कम-से-कम जांच में दोषी पायें गये भ्रष्ट अधिकारियों का नाम

वेबसाइट में डलवा दिया था। रू. 54000 के कम्प्यूटर के पूराना होने से जब रू. 30000 कीमत हो गई तब तमाम कबाड़खाने एवं विभिन्न देशों से वे पुराने कम्प्यूटर लाकर हमारें यहां पटक दिये गये। ऐसे भ्रष्टाचार मे सहयोगी ड़ॉ. जी.यल. कौल को डॉ.पड़ौदा ने बाद में कृषि विश्वविद्यालय का उप कुलपति बनाकर उपकृत किया था। उपकृत करने की यह प्रक्रिया पूरे परिषद में अपनाई गई थी।

दि. 8.03.2000 को वित्तनिदेशक श्री बाबूलाल जांगीरा ने बताया था कि उनके कार्यालयीन कमरे में ताला लगा दिया गया है। और उन्होंने उसके ऊपर अपना एक और ताला जड़कर उसे सील कर दिया है। मैं अपने कार्यालय गया एवं शांत रहा तथा विश्राम कक्ष खोलकर बैठा रहा। कुछ कागजात आने थे उन्हें मैंने प्राप्त किया।

## कम्प्यूटरीकरण में भी फूट डालना या राज करो की कुरीति

दिनांक 09.03.2000 को एक पत्र मैंने परिषद के सचिव को लिखा था। जो 'चौकड़ी' की ''फूट डालो और राज करो'' की नीति से अपना काम कर रही थी के बारे में था। मैं सहायक महानिदेशक होने के कारण परिषद मुख्यालय के कम्प्यूटर केन्द्र का प्रभारी भी था। जिसके लिए पूर्व से ही सक्षम अधिकारी ने भी कार्यालयीन आदेश जारी कर रखा था। किंतु 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ जब से मैंने किया था तब से वह मेरे मातहत कर्मचारियों (वैज्ञानिकों) को अपना स्वामीभक्त बनाने के लिए अवैध गतिविधियाँ जारी कर रखी थीं। ऐसा ही एक कार्यालयीन आदेश रू. 5000/- के खर्च (Imprest) का था जो प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र दिल्ली के द्वारा संचालित होना था। चूंकि अधिकृत रूप से यह पद मेरा था परन्तु एक कनिष्ठ वैज्ञानिक से यह खर्च (Imprest) संचालित कराया जा रहा था। जबकि उससे भी वरिष्ठ वैज्ञानिक कम्प्यूटर केन्द्र में थे। नियमानुसार यह मेरे द्वारा यदि नहीं कराना था तो मेरी अनुमति लेकर मेरे आधीन कम्प्यूटर केन्द्र के वरिष्ठ डॉ. ए.के. जैन थे जिनको यह कार्य दिया जाना था। किंतु उनसे भी कनिष्ठ श्री.आर.पी. जैन को यह कार्य दिया गया था। मेरी अभिमति भी नहीं ली गई थी। इस पर मैंने परिषद के महानिदेशक एवं उपमहानिदेशक से चर्चा की थी एवं 'चौकड़ी' को कई पत्र एवं नोट लिखे थे। इन सबका हवाला देते हुए मैंने इस अनियमितता का जो मेरे आधीन के कम्प्यूटर केन्द्र में हो रही थी को साफ एवं नियमानुसार करना चाह रहा था। अतः इस पत्र की प्रति 'चौकड़ी' के साथ-साथ परिषद के वित्त सलाहकार, वित्त निदेशक, अवर सचिव (प्रशासन), लेखा एवं वितरण अधिकारी, खजांची, डॉ. ए.के. जैन एवं डॉ. आर.पी. जैन को दी थी। इन सर्वोच्च पदों के अधिकारियों को मैंने यह पत्र पावती लेकर दिया जिससे अनियमितत दूर हो जाय। पर उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं किया। मैं जानता था जो भ्रष्टाचार की वैतरणी पार करने मे शर्म नहीं कर रहा है, वह छोटे-छोटे जुल्मों-अनियमितताओं पर क्यों ध्यान देगा। जबकि आगे-पीछे मैंने 16 पत्र लिखे थे। बाद में इन्होंने डॉ. ए.के. जैन को भी पटा लिया था शायद यह कहते हुए कि तुम्हे अभी तक जो दिया है उससे बड़ा पद भी देंगे, (अभी अवैध रूप से) सहायक महानिदेशक के कई कार्य तो सौंप ही चुके हैं। यह तभी होता है जब अध्यक्ष भी अपने



कब्जे में हों। क्योंकि कहावत है ''सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का''। यह सब होता रहा, श्री आर.पी. जैन को ही यह कार्य करने दिया गया, सही आदमी को कार्य (Imprest) नहीं दिया।

दिनांक 09.03.2000 को इन्दौर के श्री टी.जी.के. मेनन (जो एक वरिष्ठ समाजसेवी थे तथा पदम भूषण जैसी उपाधि से अलंकृत थे) से चर्चा हुई एवं उनको अपने परिषद से हटाने के बारे में चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि वह 14.03.2000 को आ रहे हैं एवं श्री पटवाजी से चर्चा करेंगे। इन्होंने मुझसे कुछ दस्तावेज भी मांगे। उप महानिदेशक डॉ. आलम ने मुझसे मेरे अलमारी की चाबी मांगा। जिसमें मैंने बताया कि चाबी उपलब्ध नहीं है। यह शायद मेरा लैपटॉप लेने के लिए था, किंतु मैं चाहता था कि वह लिखित में देवें कि मेरा लैपटॉप ले रहे हैं।

## कम्प्यूटरकरण के इमानदारों से बदला लेने हेतु पत्राचार कर फाइल मोटी करने के प्रयत्न :-

भ्रष्टाचार में फंसने के बाद कोई भी व्यक्ति फंसाने वाले से बदला लेता है। इसमें हानि भी होती है यह भी सास्वत सत्य है। आज के इस भ्रष्ट वातावरण में जिसमें नीचे से ऊपर (मंत्री से संत्री) तक भ्रष्ट हैं तो हानि इमानदार की ही होती है। इसी तारतम्य में 'चौकड़ी' मुझे किसी तरह गिरफ्त में लेकर बदला लेना चाह रही थी। साथ ही मेरे स्पष्टीकरण में ऐसे कुछ बिंदु पकड़ लेना चाहती थी कि नये मंत्री को मेरी गलती बता सके। नये मंत्री जी आ गये थे। 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार की शिकायतें उनके पास पहुंच रहीं थीं। 'चौकड़ी' अपनी बचत की सोच रही थी। इसके लिए मुझसे स्पष्टीकरण लेकर कुछ करना चाह रही थी। इसी कारण एक ही दिन (13.03.2000 को) में कई स्पष्टीकरण के पत्र डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने मुझे लिख डाले। दिनांक 13.03.2000 को उपमहानिदेशक डॉ. आलम के कई पत्र मुझे मिले। जिसमें एक पत्र था जिसमें मुझे लिखा गया था कि ''मेरे पास उपलब्ध प्रोजेक्टर एवं लैपटॉप जिन्हें पूर्व में किसी और को देने का निर्देश जो उन्होंने जारी किया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपको सलाह दी जा रही है कि इसका पालन करें।''

कहते हैं ''खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचती है''। उपलब्ध प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप सेट लेकर मैं पूरे देश के अपने कम्प्यूटर केन्द्रों में जाकर अपनी योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रदर्शन दे रहा था, इसी कार्य के लिए यह सेट खरीदा गया था। यह कदम बहुत प्रभावित और लोकप्रिय हुआ था। देशभर में फैले वर्तमान के 437 एवं पूर्व के 321 केन्द्रों से इसकी मांग की जा रही थी। जिससे काफी सुधार भी हो रहा था। किंतु 'चौकड़ी' किसी भी हालत में मेरे कार्य की सराहना एवं लोकप्रियता सहन नहीं कर पा रही थी और इसे ऐसे व्यक्ति के पास रखना चाह रही थी, जो मुझे ऐसे काम के लिये दें ही नहीं। इस सेट को मैं अपने अधीनस्थ वैज्ञानिक के पास रखा था एवं भ्रमण में जाते वक्त इसे ले जाता था। जिससे संस्थानों, विश्वविद्यालयों के सभी सम्बद्ध स्टाफ को बुलाकर कम्प्युटर योजना एवं तकनीकी जानकारी संगोष्ठी के माध्यम से दी जाती थी। मेरे द्वारा इन प्रदर्शनों में

भागीदारों की उपस्थिति संख्या कभी-कभी एक हजार लगभग तक भी पहुंच जाती थी। इस तरह इस नवीन कम्प्यूटर नेटवर्क विधा एवं यल.सी.डी.प्राजेक्टर (लैपटाप) के साथ जोड़कर दिया गया प्रदर्षन काफी प्रभावकारी हो रहा था। यही कारण था चौकड़ी को मेरे इस कार्य को बंद करने में रुचि थी, और मंत्री को मेरी कुछ शक्तियां बतानी थी (क्योंकि इससे इन्हें जलन मच जाती थी) फिर भी मैने ड़ॉ.आलम उपमहानिदेशक के इस पत्र का उनके पत्र के ऊपर ही उसी दिन ही नोट लिखकर जवाब दिया जिसमें लिखा-

''मेरे पास कोई स्टेनो वैयक्तिक सहायक नहीं है इसलिये ये हस्त लिखित उत्तर प्रस्तुत हैं। मेरे कम्प्यूटर केंद्र का वैज्ञानिक डॉ. कुसल पाल जिससे आप सीधे काम ले रहें हैं के पास काफी समय से यल.सी.डी. प्रोजेक्टर एवं लैपटाप हैं। उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) कृपया इसमें उचित कार्यवाही करें जिससे अच्छी मंशा पूर्ण हो। न तो मेरे पास लैपटाप रखा है और न ही प्रोजेक्टर। यहां तक की आज भी जब यल.सी.डी. प्रोजेक्टर की डॉ. जी.बी. सिंह उपमहानिदेशक (प्राकृतिक साधन प्रबंधन) को जरूरत थी। मैने श्री. आर.पी.जैन एवं श्री लोकेश को कहा था कि इसकी व्यवस्था करें। जिन्होने इसकी व्यवस्था की भी। क्योंकि उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) कम्प्यूटर केंद्र के कम्प्यूटर स्टाफ से सीधे ही सम्पर्क कर रहें हैं इस लिये ये मेरे द्वारा दिये गये निर्देश की तब तक परवाह नहीं करते जब तक उनकी खुद की आवश्यकता न हो। मुझे जो भी निर्देश उपमहानिदेशक ने दिये उनको पूर्णतया माना गया और उनका तुरंत उत्तर दिया गया। जहां तक दक्षता का एवं तकनीकी तरह की उपयोगिता से संबंधित बात है डॉ. कुशलपाल इंजीनियर होने के कारण और इस सेट को लम्बे समय से चलाने के कारण इसकी ज्यादा सावधानी से ध्यान दे सकते हैं। आवश्यक जानकारी के लिए प्रस्तुत''

ऐसा लिखते हुए मैंने यह पत्र उपमहानिदेशक तथा वैज्ञानिक डॉ. कुशलपाल को प्रस्तुत कर दिया गया। इस उत्तर से उनको ज्यादा संतोष होने की गुंजाइस नहीं थी। क्योंकि वह तो ऐसे अधिकारी के पास इन्हें (प्रोजेक्टर तथा लैपटॉप को) रखना चाह रहे थे। जो मेरी आवश्यकता पर मुझे देने से इंकार कर दे। उनको यह भी ख्याल नहीं आ रहा था कि उनके इस कृत्य से नवीन कम्प्यूटर-वर्क की भ्रूण हत्या हो जायेगी। उनको तो मात्र इससे मतलब था कि उनका भ्रष्टाचार बिना अवरोध के अवाध रूप से चलता रहे एवं भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय में न बचें। इस समय वे (उपकरण) श्री.आर.पी.जैन के पास रखना चाह रहें थे किंतु ज्यादा जोर जबरदस्ती करने में भी हिचकिचा रहे थे क्योंकि इस समय उनके आका श्री नितीश कुमार यहां से हटकर पद छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर पदस्थ हो गये थे। इसी कारण मुझे नौकरी से निकालने या पद से हटाने की कार्यवाही जो क्रमशः 'चौकड़ी' द्वारा चालू की गई थी की गति में कमी आई थी। वे यह भी जानते थे कि श्री नितीश कुमार जहाँ मुख्यमंत्री पद पर (बिहार) गये हैं, वहां ज्यादा दिन तक रहने की कम ही गुंजाइश हैं, क्योंकि वहां इनकी पार्टी या बनाये गये कुनबे का बहुमत नहीं है। मात्र इनका जोड़-तोड़ जिसमें ये अपने आप को माहिर समझतें हैं वहां काम कर



गया तो वहां रहेंगे अन्यथा 'लौट के बुद्धु घर को आयें' वाली कहावत चरितार्थ होगी और उन्हें परिषद के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री के रूप में ही राजनितिक ठिकाना मिलेगा। इसलिये चौकड़ी मेरे विरोध मे मेरी फइल मोटी कर रही थी कि जैसे ही उसके आका आयेंगे मुझे चलता किया जाय। मैं भी समय के थपेडे से, 20 वर्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते सरकारी नौकरी पूर्ण कर चुका था और सरकारी नौकरी से चुटकी बजाते मुझे नौकरी से हटा दिया जा सकता है समझ चुका था। फिर भी पहाड़ के पत्थरों पर सर मारता जा रहा था। मैं अनुसंधान कर्त्ता वैज्ञानिक था किंतु यहां तो जीवन के साथ प्रयोग (अनुसंधान) चल रहा था। जिसका दुष्परिणाम मेरी हत्या या नौकरी से हटाने की कार्यवाही भी हो सकती थी।

अभी एक घंटा भी नही हुआ था। पहले का जवाब ही पूर्ण कर पाया था कि डॉ. आलम उपमहानिदेशक का दूसरा स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 13.03.2000 को प्राप्त हुआ। इसमें इन्होने मेरे पास फाइलों की उपलब्धता एवं उनके रखरखाव आदि की सारणी बनाकर एक प्रारूप (फार्मेट) में जानकारी चाही थी। इसमें इन्होने लिखा था ''मै आशा करता हूं कि कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली 'इकाई' की फाइलों का रख रखाव हो रहा हैं। कृपया इकाई की 'कम्प्यूटर क्रय एवं इसके लगाने, लोकल एरिया नेटवर्क (लैब) महाविद्यालयों के कम्प्यूटर केंद्रो में इसे स्थापित करना, प्राप्त शिकायतों एवं इस पर कार्यवाही आदि की फाइलों की क्रम संख्या, फाइल का विषय, पृष्ठों की संख्या, उन व्यक्तियों के नाम जिसने फाइलें रखी हैं, के विवरण देवें।''

इसका जवाब लेकर वे एक तो कोई बिन्दु मेरे खिलाफ ढूंढ रहे थे। दूसरे भ्रष्टाचार की शिकायतें जो विभिन्न केंद्रो से मेरे नाम से मिली थी जिसमें यह सिद्ध होता था कि वेंड़र्स चालबाजी कर रहें हैं एवं अनियमितता कर रहें हैं, उससे सम्बद्ध फाइल को ही गायब कर देने से कोई शिकायत ही नहीं दिखेंगी, या इसका षड़यंत्र जो अन्य सोचे हों। बाद में कुछ स्त्रोतो से यह भी ज्ञात हुआ था कि शायद नये मंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डॉ. पड़ौदा सचिव भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। संभव था कि इसमें ईमानदारों को प्रताड़ित करने का कारण भी पूछा हो और डॉ. पड़ौदा की 'चौकड़ी' को पसीना छूटने लगा हो। इसके जवाब में मैंने लिखा था -

''कोई टाइपिस्ट मेरे पास नहीं है। अतः हस्तलिखित जवाब प्रस्तुत है। कम्प्यूटर केंन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा फाईलों का रखरखाव हो रहा है। विभिन्न वैज्ञानिकों, तकनीशियनों के पास विभिन्न विषयों की फाईलें हैं जो कम्प्यूटर केन्द्र से संबंद्ध हैं। सी.बी.आई. जांच से संबद्ध फाईलें, राष्ट्रीय परियोजना की प्रबंधन समिति, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें इत्यादि की फाईल उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के वयैक्तिक सहायक एवं पदस्थापना, प्रशिक्षण भ्रमण आदि की फाईलें अवर सचिव एवं इंजीनियरी शाखा में संसद में उठे प्रश्नों की फाईले हैं।''

यह लिखते हुए मैंने इससे संबद्ध फाईलों के रखने वालों को एवं उपमहानिदेशक को यह टीप मार्क प्रस्तुत कर दी। जिससे उनकी टीप मिली और पुनः मेरी टीप के बाद, अवर सचिव आदि की टीप मिली, जिससे नस्तियां, फाईलें सुरक्षित हो सकें। किंतु इसमें भी मेरे खिलाफ कोई बिंदु 'चौकड़ी' को नहीं मिले। हां इतना जरूर हुआ कि अवर सचिव जो जिम्मेवारी से दूर भाग रहे थे, उनको (श्री सी.एस. भाटिया) को भी काम में लगकर फाईलों की व्यवस्था में लाना

पड़ा। भ्रष्टाचार की मिलने वाली शिकायतों वाली नस्ती (फाईल) भी ठीक से नस्तीबद्ध हो गई। किंतु 'चौकड़ी' को तो मेरे खिलाफ कुछ सबूत भी जुटाना था जो उन्हें उनकी स्पष्टीकरण वाले पत्रों से मिल नहीं पाया, उलटा शिकायतों वाली फाइल की सुरक्षा बढ़ी थी। अभी यह जवाब दिया ही था कि थोड़ी देर में दि. 13.03.2000 का एक और स्पष्टीकरण वाला पत्र डॉ. आलम की तरफ से आ गया। इसमें उन्होने (और सोच समझ कर कई बिन्दु) इस प्रकार लिखे थे-

''प्रिय डॉ. तोमर

आज मुझे एक आवश्यक फोन-काल उपमहानिदेशक (शिक्षा) से 10 बजे सुबह मिला था जिसमें आपको एवं डॉ. कुसलपाल को एक ड्राफ्ट बनाने हेतु शिक्षा विभाग में जाना था। आपके कमरे में ताला बंद था, यल.ड़ी.सी. जो जुड़ा था वह भी नही मिला। सुबह 11.15 तक ड़ॉ. कुसलपाल भी उपलब्ध नहीं थे। महानिदेशक आड़िट पैराग्राफ के मसौदे का जवाब त्वरित चाह रहें हैं। बिना सूचना के बैठक के सत्र की जगह से अनुपस्थित रहने पर असहज विस्मय पैदा होता है, मतलब इधर उधर घूमने से कार्य पद्धति प्रभावित होती हैं।

आदर सहित

आपका सच्चा

(अनवर आलम)

डॉ. यस.यस.तोमर,

सहायक महानिदेशक (कृषि सूचना प्रणाली)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन नई दिल्ली-110001

इसका तुरंत उत्तर देते हुए मैने उनको इसी पत्र में लिखा-

मैं हस्तलिखित उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टेनो की सुविधा उपलब्ध नही हैं। आज सुबह करीब 10 बजे ड़ॉ. पी.यस. पाठक, सहायक महानिदेशक एक कम्प्यूटर एक्सपर्ट को लेकर मेरे कमरे में आये और मुझसे डॉ. जी.पी.सिंह के कमरे में एल.सी.डी. लगाने को कहा। मैंने श्री आर.पी. जैन को इसे लगाने को कहा, किंतु उसने ऐसा करने से अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद मैंने श्री लोकेश उच्च श्रेणी लिपिक (कम्प्यूटर केन्द्र) को एल.सी.डी. लाने को कहा। तदोपरांत मैं डॉ. जी.पी. सिंह के कमरे में गया और उनसे पूछा कि क्या वह अपने कमरे में प्रस्तुतीकरण के लिए इसे लगाना चाहते हैं। वहां उचित स्थान का चुनाव करने के बाद मैंने उनके समूह से एक व्यक्ति को चाहा जिसे एल.सी.डी. लाने को कहा। इसके बाद श्री लोकेश को बुलाकर एल.सी.डी. प्रस्तुतीकरण योग्य बनाया। चूंकि कल विज्ञान भवन में पूरा प्रस्तुतीकरण होना था, इसी कारण डॉ. पी.एस. पाठक, सहायक महानिदेशक एवं उनकी टीम ने हमसे एक लैपटॉप चाहा। इसलिए मैंने श्री लोकेश और डॉ. कुशलपाल को फोन करके बुलाकर उसे एल.सी.डी. में जोड़कर, स्लाईडों को इसमें स्थानांतरित कर इसे विज्ञान भवन में चलाने योग्य बनाने को बताया। मैं खुद सहायक महानिदेशकों एवं उप महानिदेशकों से सम्पर्क कर कल के विज्ञान भवन में प्रस्तुतीकरण की



चर्चा की। इस तरह इस कार्य में समय भी लगा। इस मध्य में मैं अपने कक्ष एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन भी बार-बार आता-जाता रहा। यह दूरी मुश्किल से 20 मीटर है, कोई भी अपनी आवश्यकता पर मुझे बुला सकता था, किंतु किसी ने भी सम्पर्क नहीं किया। किंतु इसके बावजूद कि मुझे कोई बुलाये या सम्पर्क करें यह पत्र एक घंटे के अंदर जारी कर दिया गया। महोदय, मेरे कमरे में उपस्थिति के बारे में यह विनती है कि भविष्य में ऐसे झूठे पत्र लिखने के पूर्व आप मुझे इंटरकाम फोन से पूछ सकते हैं। मेरी यहां उपस्थिति के बारे में आप उपमहानिदेशक, सहायक महानिदेशक एवं अन्य उपस्थित मेहमानों से पूछ सकते हैं, जो वहां थे। यह स्थल आपके बैठक कक्ष से मात्र 10 मीटर दूर (बताये गये अवधि में) था।

महोदय मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ करोड़ रूपयों की अनियमिततायें कृषि मंत्री तथा परिषद के अध्यक्ष, राज्यमंत्री आदि के समक्ष रखे हैं उसकी बजह से ही यह झूठे पत्र लिखे जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका व्यैक्तिक सहायक श्री वाय.आर.सिंह भी खेल खेलने का हिस्सा अदा कर रहा है। उसने भी झूठा इस पत्र में लिखा गया है कि मैं यहां-वहां फालतू घूमता रहा। मुझे यह भी सूचित करें कि इस प्रक्रिया में जब मैं आपके 10-20 मीटर की दूरी में घूमता रहा मुझे तो और किसे सूचित करना चाहिए था। समुचित जानकारी हेतु ।

(एस.एस. तोमर) सहायक महानिदेशक

प्रति, डॉ. अनवर आलम

उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी)

प्रतिलिपि :-

डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक''

यह पत्र कोरी लफ्फाजी एवं हवाई कल्पनाओं पर लिखा गया था। जिसमें मुझे उपमहानिदेशक (शिक्षा) के पास जाकर काम करने की कल्पना की गई थी। मेरे साथ जुड़े निम्न श्रेणी लिपिक को 'चौकड़ी' ने मेरे पास इस उद्देष्य से पदस्थ किया था कि वह मेरा काम न करे बल्कि मेरी सूचना 'चौकड़ी' को देता रहे, उसके बारे में यहां लिखा था कि वह भी नहीं था। जबकि इन्हें मालूम था कि वह मनमाना आता जाता था। मेरा बैठक कक्ष न केवल खुला था, बल्कि वहां बैठकर इनके पत्रों का जवाब भी बनाते हुए इनको भेजता जा रहा था एवं डॉ. जी.पी. सिंह के कक्ष में लगातार आ-जा रहा था जो डॉ. आलम के कक्ष के पास था। मैंने जवाब में लिखा कि मेरे कक्ष में उपस्थित रहने की बात एक बड़े समूह जहाँ मैं काम कर रहा था, से पूछा जाय। किंतु 'चौकड़ी' ने न कुछ किसी से पूछा और न ही मुझे इसका जवाब दिया, क्योंकि वह झूठे थे। आडिट पैराग्राफ क्या था हम सभी को ज्ञात था किंतु उसके जवाब की बात डॉ. आलम ने लिखी थी कि महानिदेशक तुरंत जवाब के लिए दबाव दे रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता था कि 'चौकड़ी' के नायक डॉ. पड़ौदा की सहमति से स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण (दिनांक 13.03.2000 को) हर घंटे में मांगे जा रहे थे। मैंने जवाब में भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह आपकी 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार

उजागर का प्रतिफल है कि आप एक दिन में इतने स्पष्टीकरण ले रहे हैं किंतु इसके बारे में कोई जवाब 'चौकड़ी' ने नहीं दिया क्योंकि ये पूर्णतयः भ्रष्टाचार मे लिप्त थे। आडिट पैरा हमसे कैसे निपटता और कैसे झूठमूठ बात लिखी गई थी यह आगे के लेखन से स्पष्ट हो जायेगा। इसका भी डॉ. आलम ने जवाब नहीं दिया कि क्या कक्ष में रहते हुए भी किसी को बैठने के बारे में सूचित करना चाहिए तो फिर किसे सूचित करना था?

इस पत्र का स्पष्टीकरण डॉ. आलम के पास पहुंचा ही होगा कि अगला (चौथा) स्पष्टीकरण पत्र उनके द्वारा मुझे जारी हो गया। इस पत्र दिनांक 13.03.2000 के पत्र का मसौदा था :-

''विषय :- 'नार्प' प्रोजेक्ट में कम्प्यूटर उपकरण खरीदने पर बना 'आडिट नोट' का जवाब बावद्।

यह एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, कृपया मुझे बतायें कि वर्तमान में क्या स्थिति है। (अनवर आलम) उपमहानिदेशक 13.03.2000''

इसका जवाब भी मुझे तुरंत बनाकर प्रस्तुत करना उचित था, अतः मैंने लिखा-

''मेरे पास स्टेनो या वयैक्तिक सहायक की कोई सुविधा नहीं दी गई है अतः उत्तर हस्तलिखित दिया जा रहा है। मुझे डॉ. कुशलपाल के साथ 'आडिट नोट' पर श्री के.एल. बकोलिया से प्रकरण पर चर्चा हेतु जाने का कार्य उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा निर्देशित किया गया था। इसलिए हम दोनों वहां गये एवं विषय पर उनके कक्ष में चर्चा की एवं उनके रिकार्ड से दस्तावेज ढूंढ़े। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वह उपलब्ध दस्तावेज पर उत्तर बनायें और यदि आवश्यकता हो तो वह हमारे पास कृषि भवन में आयें। दिनांक 10.03.2000 को जब वह महानिदेशक से बैठक के लिए, जो बजट से संबंधित थी, आये तब उनसे पुनः उत्तर तैयार करने हेतु कहा गया। आज भी मैंने अपरान्ह में उपमहानिदेशक (शिक्षा) को फोन किया था तब सहायक से ज्ञात हुआ कि वह बैठक में गये हैं एवं 5 बजे बाद आयेंगे।

हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं हैं, यह रिकार्ड उनके पास हैं। अतः उप महानिदेशक (शिक्षा) या उप सचिव उत्तर बना सकते हैं न कि इंजीनियरी विभाग। संबंधित फाइल भी उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को भेजी गई है। उन्हीं को आगे की कार्यवाही करने का निश्चय करना है।

समुचित जानकारी हेतु प्रस्तुत। (सदाचारी सिंह तोमर) हस्ता./ 13.03.2000
उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी)''

इस तरह यह जवाब (स्पष्टीकरण) भी पहुंचा दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया था कि इस नस्ती पर आगे की कार्यवाही उपमहानिदेशक डॉ. अनवर आलम के स्तर पर ही करनी है न कि मेरे स्तर से। इस तरह इस आडिट नोट की तैयारी में जो भी दोष था उनका



था न कि मेरा। पूर्व के पत्र में डॉ. आलम का यह लिखना कि उनसे उपमहानिदेशक (शिक्षा) से बात की है कि हम वहां जाकर उत्तर बनाये गलत था क्योंकि उपमहानिदेशक (शिक्षा) को स्वयं पूरे दिन बैठक में जाना था और वह गये भी थे। और यदि कनिष्ठ कर्मचारियों या अधिकारियों की बात थी तो वह मेरे पास आकर या चर्चाकर उत्तर बनाते न कि मैं और मेरा वरिष्ठ वैज्ञानिक वहां जाकर लिपिक, उप सचिव से चर्चा करता। इस तरह इस पत्र के जवाब से उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल पाया और उल्टा उनके द्वारा छोड़ा गया तीर उन्हें ही बेध गया था। 'चौकड़ी' के नायक डॉ. पड़ौदा को इन्होने क्या मेरे खिलाफ दिया और उन्होंने (ड़ॉ.पडौदा ने) मंत्रीजी को क्या बताया होगा ज्ञात नहीं। किंतु इससे इतना संदेश तो कृषि मंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा तक तो पहुंच ही गया था कि भ्रष्टाचार खूब फल-फूल रहा है और 'चौकड़ी' उसकी जननी है। आगे की कार्यवाही भी उन्होंने चालू की थी, जो उनके इमानदारी की द्योतक थी।

## भुक्तभोगी पत्नी द्वारा कम्प्यूटरकरण की शुद्धता बनाने हेतु पत्राचार

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही थी। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था तब मेरी पत्नी सरला तोमर भी इस लड़ाई में सामने आ गई थी। पूर्व में इन्होंने 07.03.2000 को सतर्कता आयुक्त को लिखे पत्र के बाद जब श्री सुन्दरलाल पटवा भारत सरकार के मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष हुए तब इन्होंने मंत्री जी को भी पत्र लिखा था। दिनांक 14.03.2000 को इन्होंने श्री पटवा जी को पत्र लिखा वह विषेष रूप से भ्रष्टाचार का था। इसमें लिखा था-

''द्वाराः- श्रीमती सरला तोमर, सी-101, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, पूसा कैम्पस (टोडापुर तरफ) नई दिल्ली-110012

प्रति,

कृषि मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय :- रू. 50 करोड़ की कम्प्यूटर खरीदी एवं दूसरी रू. 1000 करोड़ की विश्व बैंक ऋण की अनियमितता, भ्रष्टाचार से संबद्ध परियोजना एवं परिषद के मानव विकास के मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने के बावद।

संदर्भः- 1. कृषि मंत्री को मेरे पति द्वारा लिखित पत्र दिनांक 29.02.2000।
2. बैठक एवं चर्चा दिनांक 29.02.2000।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित पत्र का संदर्भ लें। मेरे पति डॉ. सदाचारी सिंह तोमर, सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर सूचना प्रणाली) अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने परिषद में खर्च की जा रही राशि में भ्रष्टाचार न हो इस हेतु भ्रष्टों एवं भ्रष्टाचार से संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के अंतर्गत रू. 1000

करोड़ खर्च हो रहे हैं। जहां एक मात्र वही (मेरे पति) अधिकारी हैं जो सही रूप से नियुक्त हुए हैं, जिन्हें कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल ने चुना एवं परिषद अध्यक्ष ने परियोजना के सूचना विकास प्रणाली में पदस्थ किया है। शेष सभी अधिकारी या तो 'प्रबंध' किये गये या कि प्रतिनियुक्त किये गये। ये सभी सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पड़ौदा महानिदेशक, मंगलाराय उपमहानिदेशक-कृषि विज्ञान, अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) एवं कन्हैया चौधरी परियोजना अवर सचिव द्वारा ऐसे जगहों से लाये गये हैं, जो आतंकवादी क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र आदि के दुर्गम एवं कठिन स्थल से हैं और जिससे अहसान तले दबकर बिना अवरोध के भ्रष्टाचार करने में सुगमता से सहयोग देते रहें। मेरे पति जो सूचना विकास प्रणाली के वरिष्ठतम अधिकारी हैं उन्हें कभी भी परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक का कार्य नहीं सौंपा गया जबकि एक दूसरा असंबद्ध अधिकारी डॉ. जी.एल.कौल को प्रारंभिक अवस्था में परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक का प्रभार दिया गया। उनके सेवा निवृत्ति होने पर एक दूसरे असंबद्ध अधिकारी डॉ. मंगला राय जो डॉ पड़ौदा की चमचागिरी (चापलूसी) के लिए विख्यात हैं को परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक का प्रभार सौंपा गया है। इस तरह भ्रष्टाचार करने के लिए एक अच्छी टीम का निर्माण किया गया है। सहायक महानिदेशक हेतु मात्र बंधनकारी होने के कारण उन्हें परियोजना प्रबंधन समिति का आमंत्रित सदस्य कम्प्यूटर खरीदी एवं वितरण हेतु सूचना प्रणाली विकास के टास्कफोर्स का दायित्व ही उन्हें दिया गया है। अब इस कार्य को भी उनसे इसलिए छुड़ाया जा रहा है जिससे अविरल, अवाध तथा सुरक्षापूर्वक भ्रष्टाचार से राशि हड़पी जा सके।

2. वर्ष 1998-2000 के दौरान रू. 40 करोड़ नेटवर्क (LAN), रू. 20 करोड़ कम्प्यूटरों में एवं रू. 100 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय परियोजना से निकाले गये। इसमें से रू. 50 करोड़ इन लोगों द्वारा (भ्रष्टाचार द्वारा) खा लिया गया, जिसमें से रू. 15 करोड़ का खुलासा डॉ. तोमर द्वारा किया गया। यह राशि सूचना विकास प्रणाली के हिस्से, परियोजना प्रबंधन समिति की परियोजनाओं से संबद्ध है।

3. सूचना विकास प्रणाली के अंतर्गत वेंडर्स से करायागया भ्रष्टाचार खूब छुपाया-दबाया गया और बदले में उस वेंडर को क्रय का आदेश दे दिया जो पात्र ही नहीं (Nonresponsive) था। वह भी बिना कम्प्यूटर के बेंचमार्क किये ही, खराब गुणवत्ता के कम्प्यूटरों को रिजेक्ट नहीं किया गया, दस्तावेज के प्रावधान के विपरीत उन कम्प्यूटर उपकरणों को ले लिया गया जो पुराने पड़ चुके थे, वेंडर को माल आपूर्ति हेतु इतना अधिक समय (1 वर्ष) दिया गया कि कम्प्यूटर पेंटियम-II इतना पुराना हो गया (और पेंटियम-III कम्प्यूटर बाजार में आ गया था) जिससे बाजार में इसकी कीमत लगभग आधी हो गयी रू. 54000/- प्रति नग भुगतान किया गया था जबकि प्रदाय के समय इसकी कीमत रू. 30000/-तक गिरकर आ गई थी, वेंडर को माल वायुयान से लाने के प्रावधान के विपरीत जलपोत से लाने की छूट दी गई, दूसरे देशों



से कम्प्यूटरों को लाने की इजाजत दी गई (जो संविदा में नहीं थे)। प्रशिक्षण स्थल जो 2500 जगहों पर देने थे को कम करके मात्र 54 कर दिया गया। अवैध रूप से लाभ पहुंचाने हेतु माल प्रदाय के निर्धारित प्रमाणीकरण प्रोफार्मा में बदलाव किया गया जिससे कृषि प्रणाली को हानि हुई। अच्छी परियोजनाओं को रिजेक्ट कर खराब परियोजनाओं को इसलिए अनुमति दी गई कि उनसे (भ्रष्टाचार की राशि) कमाई जा सके। इस तरह रू. 15 करोड़ की राशि जो भ्रष्टाचार में खाई गई, उसका मेरे पति द्वारा खुलासा किया गया। क्योंकि यह उजागर किया भ्रष्टाचार अन्य परियोजनाओं की कम्प्यूटर खरीदी आदि से संबद्ध था जहां मेरे पति पदस्थ थे अतः अपना रास्ता साफ करने हेतु इन्होंने मेरे पति को इसके मुख्य कार्य से हटा दिया क्योंकि इनकी प्रत्येक भ्रष्ट गतिविधियों के खुलासा हेतु, इनके द्वारा कड़े पत्र उच्चाधिकारियों को हर बार लिखे गये थे।

4. बड़े स्तर पर भ्रष्टचार करने हेतु इन भ्रष्टाचारियों ने एक ऐसा आदेश निकाला कि मेरे पति की योजना राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की सूचना विकास प्रणाली, जिसमें फाईलें इनके अधीनस्थ कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा इनको (सहायक महानिदेशक) को एक तरफ करते हुए सीधे ही उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को (उचित माध्यम का उल्लंघन करते हुए) प्रस्तुत की जायें।

यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार की पद्धति को बढ़ायेगी।

5. इस भ्रष्टाचार में सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पड़ौदा (परिषद के महानिदेशक), डॉ. मंगला राय उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान) एवं परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक, डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), कन्हैया चौधरी परियोजना के अवर सचिव इत्यादि आकंठ (गहराई से) जुड़े हुए हैं। ये बहुत व्यक्ति चतुर हैं और इस तरह कार्य करते हैं कि इन्हें कोई छू भी नहीं सकता।

6. सूचना विकास प्रणाली का वह अंग जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि मानव संसाधन विकास के अंतर्गत है। उसका प्रभार सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) को दिया ही नहीं गया। यद्यपि पदस्थापना के तुरंत बाद उन्हें एक बोली दस्तावेज को जो कम्प्यूटरों के क्रय से संबद्ध था उसके निराकरण हेतु बुलाया गया था, जहां उन्होंने नियम, कायदे एवं पद्धति को पूरी तरह लागू करने हेतु कहा (टीप दी), तबसे न तो उन्हें अपने इस कार्य का प्रभार दिया गया और न ही उन्हें पुनः बोली दस्तावेज के मूल्यांकन या किसी भी तकनीकी कार्य हेतु अपनी ही (इस) शाखा में बुलाया गया।

7. पूरे संसार में कम्प्यूटर लॉबी इतनी दृढ़ (मजबूत) है कि वे यदि उनके भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को न माना जाये तो ये उस देश की सरकार ही बदल सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक अदना से कर्मचारी की क्या औकात।

8. मैं कृषि मंत्री भारत सरकार परिषद के महानिदेशक, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक को लिखे 4 पृष्ठीय पत्र को संलग्न कर रही हूँ, जिसके साथ 192 पृष्ठीय ऐसा दस्तावेज जुड़े हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों में जोड़ा जा सकता है (ये पूर्व में भी विभिन्न अवसरों पर आपको भेजे गये हैं)।
9. आपसे विनती है कि कृपया दस्तावेजों को गहराई से देखें और उन्हें बुलायें जो इसमें संलिप्त हैं, इनसे स्पष्टीकरण लेवें और अपराधियों को दण्डित करें। अब यह आशंका है कि मेरे पति की हत्या सकते है, जिससे उनका कोई राज न खोल सके। कृपया मुझे पंजीकृत डॉक से शीघ्र लिखें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

आपकी विश्वासपात्र
(सरला तोमर) ''

यह पत्र पूरे रू. 1000 करोड़ जो परियोजना में हो रहे भ्रष्टाचार को इंगित कर रहा था। मेरे समकक्ष या मुझसे भी कनिष्ठ अधिकारी को जहां प्रभारी बनाकर राष्ट्रीय निदेशक (विशेष कर्तव्य अधिकारी) बनाया था। वहीं मुझे मेरे सूचना तंत्र का पूरा प्रभार भी नहीं दिया गया था। अपात्र व्यक्तियों को कठिन स्थलों से लाकर उन्हें एहसान तले दबाकर परियोजना के कार्य पर रखा गया, जिससे अवाध रूप से भ्रष्टाचार चलता रहे। फर्मों से अवैधानिक लाभ लेने के बदले उन्हें गलत लाभ विभिन्न मदों में दिया गया। मेरे अधीन कार्यरत अमले को सीधे (मुझे एक तरफ करते हुए) आगे फाईलें प्रस्तुत करने को कहा गया। भ्रष्ट 'चौकड़ी' में कौन-2 थे, वे कितनी चालाकी से भ्रष्टाचार करते थे जिससे वे फंस भी न सकें, इसका विवरण इस पत्र में किया गया था।

आदेश देने के तुरंत बाद आपूर्ति हो जानी थी, जिसे बढ़ाते हुए वर्षों बाद भी आपूर्ति चलती रही। पुराने हो गये माडल की कीमत आपूर्ति के समय की कीमतों से आंकी गई थी। प्रावधान तथा मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को दरकिनार करते हुए 'बेंचमार्क' किये बिना ही क्रय आदेश दिये गये। इसमें इन्होंने करोड़ों का वारा-न्यारा किया, साथ ही परिषद की हानि हुई, कम्प्यूटर केन्द्रों का भट्ठा बैठ गया। अपनी ही परिधि में आने वाले दूसरे कार्य का प्रभार भी मुझे इस लिए नहीं दिया गया था कि प्रारंभ में ही मैंने उसमें हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया था। संसार भर में कम्प्यूटर लॉबी की ताकत चुनी हुई सरकार तक को गिरा देने की थी, कोई अदना व्यक्ति उसका विरोध कैसे कर सकता है, का भी जिक्र था। मेरी हत्या कर देने की भी आशंका बताई गई थी। अंत में कहा गया था कि दस्तावेजों को देखकर जांच कराया जाय एवं भ्रष्टों को दण्डित किया जाय।

दिनांक 15.03.2000 को हमारी रक्षा करने, रू. 1000 करोड़ में हो रहें घपलों की जाच के.अ.ब्यू.से कराने बाबत एक पत्र तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी को मेरी पत्नी श्रीमती सरला ने लिखा था। जिसमें इस भ्रष्टाचार सहित उसे उघाड़ने



के कारण मेरी हो रही दुर्गति के बारे में उन्होने वैसा ही लिखा था जैसे 14.03.2000 को उन्होने कृषि मंत्री को लिखा गया था।

इसमें लिखा ''माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, कृपया मेरे एवं मेरे पति के साथ आपसे भ्रष्टाचार के बारें में हुई लम्बी चर्चा का स्मरण करें। यह चर्चा 23.06.96 को भोपाल में उस समय हुई थी जब आपने मेरे पति की 18 वीं पुस्तक का विमोचन किया था। कृपया आप अपने पत्र दिनांक 21.01.98 (संलग्न) का भी स्मरण करें, जिसमे आपने मेरे पति जिन्होने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था को इन भ्रष्टों से बचाने हेतु लिखा था। महोदय मेरे पति जिसे दो बार भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, डा. राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार के साथ ही अन्य कई राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं की इसलिये हत्या की कोशिश की जा रही है क्योंकि उन्होने कम्प्यूटर उपकरणों के मद में रू. 50 करोड़ के घपलों को उजागर किया है।

दिनांक 15.03.2000 को उनके (प्रधानमंत्री) कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री जी का पत्र दिया गया और इस पत्र की प्रतिलिपि मंत्री श्री अरुण शौरी जी एवं सर्तकता आयुक्त श्री विठ्ठल को दी गई थी। कृषि मंत्री को लिखे पत्र दि. 14.03.2000 की प्रति श्री नानाजी देशमुख को भी भेजी गई।

दि. 15.03.2000 को सुबह घूमने निकलने पर जो अचानक मोरों के भागने एवं वहां किसी की उपस्थिति से जो मुझे मार ड़ालने या मेरी हत्या के भय की स्थिति आई थी, उसके बारे में कृषि मंत्री के सहायक श्री चतुर्वेदी जी से बताई थी। मैं रोज सुबह 'पूसा' के उन जंगली (आच्छादित) जगहों पर घूमने जाता था जहां किसी की आसानी से हत्या कर अपराधी बेफिक्र होकर भाग सकते थे।

इन सभी व्यक्तियों से भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बंद कराने के प्रयत्न करने तथा भ्रष्टों को दण्ड देने की बात उच्च अधिकारियों,मंत्रियों से की गई।

इधर मैं तथा मेरी पत्नी भ्रष्टाचार की शिकायतें कर रहे थे, उधर 'चौकड़ी' ने दिखाने के लिए मेरे पास एक टाइपिस्ट के रूप में क्लर्क श्री जोशी की पदस्थापना कर दी जो मरे यहां के भ्रष्टाचार उघाड़ने वाले पत्रों की जानकारी जासूसी करके 'चौकड़ी' तक पहुंचाता था। मेरा कुछ भी काम नहीं करता था। कहता था कम्प्यूटर से टाइप करना उसको नहीं आता। शिकायती पत्रों का जब ढेर लग गया मैं तब उनका जवाब देता था। दिनांक 15.03.2000 को इस बावद् मैंने लिखकर एक बार उससे पूछा था कि कृपया यह बतायें कि यदि कम्प्यूटर से टाईप नहीं कर सकते तो आप किस तरह से क्या काम कर सकते हैं। यदि आप किसी तरह थोड़ा भी टाईप कर सकते हैं तो हम कम-से-कम कुछ शिकायतों के निराकरण हेतु पत्राचार कर सकते हैं। इस पर उसने (श्री जोशी) ने लिखा था- ''मैं मैनुअल टाइप राइटर पर हिन्दी टाइप जानता हूँ''। उसे मालूम था कि परिषद में मैनुअल टाइप राइटर तो क्या इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर तक नहीं बचे थे। सभी लोग कम्प्यूटरों से ही टाइप कर

पत्र निकालते थे। इस तरह ''न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी'' वाली कहावत चरितार्थ हुई। न मैनुअल टाइप राइटर परिषद दे पाया और न ही श्री जोशी एक पत्र भी टाइप किये। 'चौकड़ी' यही चाहती थी। परिषद में ज्यादातर चापलूसों को प्रशासन में रखा गया था। ये सभी मेरी मजबूरी का उपहास उड़ाते थे, किंतु जो इमानदार थे दुखित होते थे (यद्यपि ईमानदारों की संख्या नगण्य थी)।

दिनांक 15.03.2000 को एक पत्र डॉ. आलम का मुझे मिला था, जिसमें उनके द्वारा उनके किसी पत्र का स्पष्टीकरण जो मैंने दिया था उसे न मानते हुए उन्होंने लिखा था कि उनके दो पंक्तियों के पत्र का मैंने लम्बा चौड़ा जवाब दिया है। जबकि उनके निर्देष का पालन करना था जिसे नहीं माना। इसमें जानबूझकर उन्होंने यह भी लिखा था कि उनके किस पत्र के जवाब में मेरा यह कौन सा पत्र था जिसके बारे में वह लिख रहे थे।

दिनांक 15.03.2000 का डा॑. अनवर आलम का एक और पत्र मिला था जो मेरे द्वारा उनके पत्र के उत्तर में था जिसमें मेरे अधीनस्थ वैज्ञानिकों द्वारा मुझे बगल में रखते हुए भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली नस्तियां सीधे ही आगे उच्च अधिकारियों को देवें, आपूर्ति एजेंसियों को दस्तावेजों में हेरा-फेरी कर (बदलकर) उन्हें गलत लाभ दिलाने, कम्प्यूटर केन्द्र की राशि गलत खर्च करने आदि के षडयंत्र का पर्दाफास था। उसका विवरण लिखित एवं मौखिक रूप से डॉ. आलम को मैंने दिया था, उसके जवाब में उन्होंने 15.03.2000 के पत्र से मुझे लिखा -

''प्रिय श्री तोमर,

मेरे पत्र दिनांक 09 मार्च के पत्र का दिया हुआ तुम्हारा उत्तर दो अधिकारियों के प्रति तुम्हारे इमानदारी के संदेह को स्थापित नहीं करता। इन दोनों के प्रति तुम्हारी नापसंदगी मुझे ज्ञात है।''

इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए न केवल 'चौकड़ी' ने मेरे अधीनस्थों से सीधे फाइल मंगवाई बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली इन फाइलों के नियंताओं को सच्चाई का प्रमाणित पत्र दिया एवं मुझे इसका लिखित जवाब भी दिया कि उनकी इमानदारी पर संदेह नहीं है। इसमें एक यह श्री आर.पी. जैन को अपात्र होते हुए भी कम्प्यूटर केन्द्र का प्रभारी बनाया तथा इसे पेशगी (Imprest) की राशि चलाने का अधिकार दिया एवं दूसरे डॉ. ए.के. जैन को अपात्र होते हुए भी रिकार्ड तोड़ 5-10 वर्षों तक सहायक महानिदेशक (स.म.) का प्रभार भी दिये रहे एवं मेरे पद पर उसे बैठाकर कम्प्यूटर नेट में भ्रष्टाचार कराते रहे। यद्यपि श्री जैन को भ्रष्टाचार में सहयोग देने के लिये नियमित स.म. बनाने के लिये विज्ञापन भी दिया था किंतु मेरे द्वारा न्यायालय के सज्ञान में यह बात लाने पर विज्ञापन स्थगन तो क्या उसमें गलत किये संशोधन तक को भी इन भ्रष्टों को रद्द करना पड़ा था।

दिनांक 16.03.2000 को डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक ने एक पत्र मुझे जारी किया जो मेरे द्वारा उनको दिये गये जवाब से संबंधित था। इस पत्र से उनकी भावी योजना की गंध मिल रही थी। इसमें उन्होंने लिखा-



''प्रिय डॉ. तोमर

मुझे तुम्हारा 16.03.2000 का पत्र मिला उसमें पुनः विचार किया गया एवं इसे निरस्त (अमान्य) कर दिया गया। तुम्हारे पत्रों में लिखा हुआ कुछ भी असमान्य नहीं है। तुम अपने वरिष्ठों के खिलाफ लिखने वालों में जाने जाते हो, पत्र लिखकर उनकी छवि खराब करना, महात्वाकांक्षायें पालने वालों में से हो। यह डराने का ज्ञात तरीका है। तुम्हारा लिखना मुझे किसी भी प्रकार आश्चर्य में नहीं डालता। यद्यपि यह मेरे उद्देश्य को कमजोर नहीं करेगा।

आदर सहित,

तुम्हारा

अनवर आलम

प्रति,

डॉ. एस.एस. तोमर, सहायक महानिदेशक (सूचना प्रणाली),

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001''

यहां इन्होंने पत्र में इन्हें डराने की बात लिखी, क्योंकि ''चोर की दाढ़ी में तिनका'' वाली कहावत थी। डर उन्हें था तभी तो स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण लेकर कोई बिंदु मेरे खिलाफ ऐसा ढूढ़ रहे थे जिसे अपने आकाओं को बता सकें कि क्यों ऐसे हो रहा है। मुझे भी ज्ञात था कि मुझे ये नौकरी से एक इसारे में निकाल सकते हैं, या किसी भी तरह मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मैं तो जीवन के साथ प्रयोग (Experiment with life) कर रहा था। इसके परिणाम पूर्व में भी भुगत चुका था। उनका यह लिखना कि मेरी लिखा-पढ़ी से उनके उद्देश्य कमजोर नहीं होंगे भी स्पष्ट थे। क्योंकि उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार करके राशि कमाना था और यह उद्देश्य वे नहीं छोड़ना चाहते थे और इस उद्देष्य को पूरा करने के लिए मुझे नौकरी से या रास्ते से हटाना उनके लिए आवश्यक था। जहां तक मेरे पत्र में लिखे जवाब को निरस्त करने की बात थी तो वह बिना पत्र देखे ही वह ऐसा कर देते थे जो उनके लिए अपरिहार्य भी था। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार न तो 'चौकड़ी' भ्रष्टाचार बंद कर सकती थी और न मैं अपना संघर्ष (भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद) रोक सकता था। यह डॉ. आलम बखूबी जानते थे जो मेरे शिक्षक के रूप से अभी तक के मेरे कार्यकलाप से परिचित थे। उनके इस पत्र के या इसके बारे में उनको अब पुनः लिखने का तुक नहीं था। अतः इसके बारे में जवाब स्वरूप मैने पत्र परिषद के सचिव को लिखकर (22.03.2000 के पत्र से) इस 'चौकड़ी' को प्रतिलिपि दी थी। मेरे ऊपर कार्यवाही करने की इस समय मुझे कम आशंका थी क्योंकि वर्तमान में एक इमानदार कृषि मंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा पद पर थे। अतः 'चौकड़ी' समय का भी इंतजार कर सकती थी।

दिनांक 16.03.2000 को कृषि राज्य मंत्री के सचिव (सहयोगी) श्री पटनायक जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे से मेरी चर्चा हुई, मैंने उनसे भ्रष्टाचार के साथ यह भी बताया कि 'चौकड़ी' मेरी हत्या करना चाहती है। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना

देने की बात कही किंतु मैंने इसे इतना उपयुक्त नहीं समझा (मैं चाहता था कि सबको यथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री आदि को मौखिक या लिखित में अपनी हत्या की आशंका और इनके कुत्सित प्रयास के बारे में सूचित कर दूँ जिससे यह खुद ही कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे ही जिससे 'चौकड़ी' कम से कम मेरी हत्या की बात न सोचे या ऐसे कुत्सित विचार ही न मन में लाये)। श्री पटनायक मंत्रीजी से मिलने का समय नहीं दे पाये। मेरे पास काम में लगाये गये श्री एच.के. जोशी के आज देर से 9.45 बजे आने के कारण उपस्थिति रजिस्टर में यह मेरे द्वारा अंकित किया गया तो उसने महानिदेशक से चर्चा की एवं मेरे बारे में कुछ लिखकर दिया क्योंकि उसके आने जाने का हिसाब अब होने लगा था। डॉ. अनवर आलम को एक शिकायती मिल जाने से उन्हें भी आनंद आया था।

दिनांक 17.03.2000 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार से सुश्री कूमी कपूर ने सम्पर्क किया था। उन्हें किसी माध्यम से कम्प्यूटर नेटवर्क के इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की सूचना मिली थी।

## कम्प्यूटरीकरण पर राजनेता श्री कुशाभाऊ ठाकरे से चर्चा एवं सलाह :-

दिनांक 22.03.2000 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे से मुलाकात हुई थी। उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र में हो रहे कम्प्यूटर नेट के भ्रष्टाचार के बारे में पूछा था। किन्तु उनके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई फिर भी उचित सलाह दी नहीं।

आज ही श्री यच.के. जोशी क्लर्क जो विगत में ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' वाली रणनीति चालू की जाय, ने मेरे यहां से कार्यालय छोड़कर मेरे पास के रजिस्टर में हस्ताक्षर करना भी बंद कर दिया। इसके पूर्व उसने कई पत्र जिनमें मुझे बैठकों में जाना था इधर-उधर कर दिया था (हेरा फेरी की थी) और जिससे मैं बैठकों में भी नहीं जा पाया था।

प्रशासकीय स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर की प्रक्रिया परिषद के सचिव को अवगत करानी आवश्यक थी। यद्यपि यह पद एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पास था जो डॉ. पड़ौदा विभाग के सचिव के अंतर्गत था। अतः दिनांक 22.03.2000 को मैंने वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु उन्हें एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है-

''प्रति,

''सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001

विषय :- राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की वर्तमान आपूर्ति, स्थापना, कम्प्यूटर उपकरणों के प्रशिक्षण में अनियमितता (रू. 3 करोड़), पूर्व परियोजना का वार्षिक रखरखाव, गुमे हुए माल की सूचना, वयैक्तिक सहायक या स्टेनों के लिए निवेदन, पेशगी (Imprest) की राशि का सही उपयोग, मेरे अभ्यावेदन दिनांक 29.02.2000 पर निर्णय आदि पर कार्यवाही के बावद्।



महोदय,

वर्तमान में मैं देशभर से कम्प्यूटर भरे पड़े डिब्बों को न लगाने, उनके साफ्टवेयर एवं सी.डी. मीडिया की कमी, आपूर्ति की कमी, अधूरी आपूर्ति, गलत आपूर्ति, दक्षतापूर्वक नेटवर्क जुड़ाव में कमी, स्थापना हेतु सर्विस इंजीनियर की नियुक्ति न करना, प्रत्येक निर्धारित जगह पर प्रशिक्षण न देना (जो कि आवश्यक आवश्यकता एवं अनिवार्य है), जाली प्रमाणीकरण प्रोफार्मा आदि की शिकायते मिल रही हैं जिससे राष्ट्रीय कृषि प्रणाली में रू. 3 करोड़ की हानि हो रही है। कुछ लोगों ने अवैधानिक एवं संदिग्ध रूप में प्रमाणीकरण प्रोफार्मा में ऐसे परिवर्तन किये हैं जो वेंडर्स को लाभ पहुंचाते हैं किंतु हमारी राष्ट्रीय कृषि प्रणाली को करोड़ों रूपयों की हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि इस तरह के प्रोफार्मा में परिवर्तन करना अवैधानिक है, किंतु विभागाध्यक्ष (उपमहानिदेशक-इंजीनियरी) एवं परियोजना द्वारा यह किया गया है, जिसमें कम्प्यूटरों के आपूर्ति की कमियां जो संबंधित आपूर्ति केन्द्रों को करनी थी, अब दिल्ली में स्थित परियोजना क्रियान्वयन इकाई अपने आप कर लेगी। प्रशिक्षण भी प्रत्येक स्थान में निर्धारित रूप से करना था किंतु उसमें कमी कर दी गई है। जो परीक्षण चल रहा है, 1 वर्ष देरी हो गई परंतु लैपटॉप एवं सर्वर का अभी भी परीक्षण पूर्ण नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण अभी भी दिये नहीं गये, जो उपकरण दिये भी गये हैं अभी क्रियाशील नहीं बनाये गये इत्यादि में कई करोड़ों रूपयों का दण्डारोपण (लिक्वीडेटेड डैमेज) आवश्यक है। इतनी शिकायतों आदि का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक तो स्टेनो (टायपिंग) की सुविधा नहीं है, दूसरी इसकी बाधक वर्तमान का जारी, कार्य न करने का अवरोधक ऐसा कार्यालयीन आदेश है। यद्यपि यही मेरा कार्य है।

2. विगत 2-3 सप्ताह से मैं अपनी आलमारी की चाभी खोज रहा हूँ जिसे मैं यहीं रखता था किंतु वह मिल नहीं पा रही है। कमरे (बैठक कक्ष) की चाभी जो मेरे पूर्व वयैक्तिक सहायक को दी गई थी, लौटाई नहीं गई। इसीलिए मेरे कमरे से सामान (दस्तावेज) गुमने की संभावना बनी है एवं कम्प्यूटर के डाटा में गलत छेड़छाड़ हुई। मेरे कमरे से बाहर रहते वक्त तथा क्लर्क की उपस्थिति में कमरे में किसी ने मेरे टेलीफोन की तार खराब किया है। मेरा निम्न श्रेणी लिपिक श्री जोशी आवक-जावक पत्रों का विवरण रखता है, किंतु कुछ पत्र उसने मुझे दिखाया भी नहीं। दिनांक 21.03.2000 को उसने पत्र क्रम संख्या 321 में चढ़ाया किंतु यह पत्र मुझे नहीं दिया, यह आवश्यक पत्र विश्व बैंक से था। यह पत्र कहां गया का उत्तर वह नहीं दे सका। बाद में उस पत्र की प्रतिलिपि डॉ. ए.के. जैन के पास भी प्राप्त हुई, इस तरह मुझे ज्ञात हुआ कि यह पत्र श्री वाय.आर. सिंह उपमहानिदेशक के व्यैक्तिक सचिव द्वारा दिनांक 22.03.2000 की उपमहानिदेशक से बैठक हेतु लिखा गया था। जब मैंने लिपिक को भविष्य में ऐसा न करने को कहा तब वह कार्यालय छोड़कर (सामान्यतः जहां वह गप्पे मारता है) श्री वाय.आर.सिंह वयैक्तिक

सचिव के पास जाकर बैठ गया। मेरे कमरे की फोटोकॉपी मशीन भी तोड़ दी गई, जिसे आज तक बार-बार शिकायत करने पर भी दुरस्त नहीं किया गया। मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे कमरे की ताला-चाभी बदल दी जाय।

3. दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे एक स्टेनो दे दिया जाय जो टाइपिंग का कार्य निपटा दे। मेरे स्टेनो (वयैक्तिक सहायक) का स्थानांतरण काफी समय पूर्व कर दिया गया था एवं उसके एवज में एक लिपिक श्री जोशी की स्थापना मेरे पास की गई थी जो आवक-जावक का काम करता है, किंतु कोई भी पत्र टंकण का काम नहीं करता, उसने लिखकर दिया है कि वह मात्र हिन्दी टंकण का काम, वह भी मानव चलित पुराने मैनुअल टाइपराइटर से कर सकता है, इस तरह वह कोई लिखने का इमला नहीं ले सकता साथ ही उसे अंग्रेजी आती ही नहीं।चूकिं वह बता रहा हैं कि उसे परिषद में मैनुअल हिन्दी टाइप राइटर मिल ही नहीं रहा अतः जब से वह पदस्थ हुआ उसके द्वारा कोई भी पत्र टाइप (तैयार) नहीं किया जा सका। इसके उपरांत भी कि इस बाबद अनेकों बार मैने परिषद के सचिव, महानिदेशक उप महानिदेशक (अभियंत्रण),उपसचिव (प्रशासन) इत्यादि को लिखा जिसमें उन सब वर्णित अधिकारियों ने टीका टिप्पणी भी की है, इन सब ने चर्चा कर इस पर सहमति भी दी है पर आज तक मुझे स्टेनों नही मिला फलस्वरूप विगत कुछ माह में उन पत्रों को छोड़कर जिन्हें मैने स्वतः टाइप किया है एक भी पत्र नहीं भेजा गया। इस संदर्भ में मैने परिषद के उपसचिव (प्रशासन) श्री.यन.यस.रंधावा, और डा आलम (उपमहानिदेशक) से चर्चा भी की और उन्हें दिन में कम-से-कम 1-2 घंटे के लिये टंकण सुविधा हेतु कहा किंतु कोई भी मुझे टंकण में सहयोग नहीं दे रहा। यह कम्प्यूटर आपूर्ति का संकट कालीन (क्रांतिक) समय है, जब गहनता से देखभाल की आवश्यकता है और बहुत सारी शिकायतें, समस्यायें जो (आपूर्ति से सम्बंधित हैं) जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ उन्हें मै दूर नहीं कर पा रहा, सलाह नहीं दे पा रहा, पत्र उत्तर उन केंद्रो को नही दे पा रहा हूँ और वेंड़र अपनी मनमानी चलाये जा रहा हैं।

दूसरी तरफ इस संदर्भ में जो फाइल जिसमें 100 शिकायती पत्र जो कम्प्यूटर केंद्रो से आये थे आगे बढायें गई थी कि मुझे वैयक्तिक सहायक दिया जाय जिससे 100 पत्रों का उत्तर दिया जा सके, यह फाइल गुम हो गई या खोजी नहीं जा रही। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि यह फाइल उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के पास आई और वहां से यह बताया जा रहा है, कि यह फाइल मेरे (सहायक महानिदेशक-कम्प्यूटर) पास दिनांक 10.02.2000 को भेजी गई। जबकि मैं 9-16 फरवरी 2000 तक यहां से बाहर दूर अवकाश में अपने पैत्रिक गांव गया था। यहां आने के बाद से मैं लगातार उस फाइल की खोज कर रहा हूँ, किंतु उनके कर्मचारी मुझे इसका कोई ऐसा रिकार्ड या सम्पर्क



सूत्र नहीं दे रहे है जिससे फाइल कहां है होने का प्रमाण मिल सके। यहां तक कि 16.03.2000 को मैंने उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को नोट लिखा था, वह नोट भी मुझे लौटाया नहीं गया। इसी तरह कुछ और नस्तियां भेजी गई थी वह वापस नहीं लौटाई गईं। वर्तमान में यह अत्यावश्यक है कि हम कम्प्यूटर केन्द्रों को परामर्श दें अन्यथा वेंडर उन्हें धोखा देंगे। यदि मुझे कोई टाईप करने वाला व्यक्ति दे दिया जाय जो हिन्दी-अंग्रेजी में उचित तरीके से टंकण करे तो मैं इन कम्प्यूटर केन्द्रों को सही मार्गदर्शन जल्दी ही दे सकूंगा। मेरी प्राप्त शिकायतों वाली फाइल भी शीघ्र मुझे वापस कराने की कृपा करें।

4. मुझे रू. 15173 का एक चेक दिनांक 07.03.2000 मिला है, जो 'बैंक ऑफ अमेरिका' नई दिल्ली से देय' है, इसके ऊपर एक डॉ. आर.एस. पड़ौदा कार्यकारी सचिव, अपारी का नोट दिनांक 09.03.2000 लगाकर भेजा गया है, यह मुझे बिना डॉ. पड़ौदा कार्यकारी सचिव 'अपारी' के हस्ताक्षर के दिया गया। इस पत्राचार के प्राप्त होने पर मैंने इसमें हस्ताक्षर कर इसे विश्वसनीय बनाने हेतु लिखा किंतु आज तक इसे लौटाया ही नहीं गया। इसी तरह डॉ. अनवर आलम ने अध्यक्ष भारतीय कृषि इंजीनियरी सोसायटी की हैसियत से तथा उनके सहयोगी ने कई वर्षों के सोसायटी के हिसाब-किताब के बारे में उनके पत्रों दिनांक 18.11.99, 19.01.2000, 11.02.2000, 24.02.2000 से पूछा। जिसका जवाब उन्हें समय-सीमा पर दे दिया गया और उनसे (अध्यक्ष से) मुझे मेरे रू. 1 लाख वापस करने को मेरे द्वारा कहा गया। आज तक न तो वह उत्तर दे रहे है एवं न ही मेरा रू. 1 लाख वापस कर रहे है। डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक ने अपने पत्रांक दिनांक 16.03.2000 से मुझे भयाक्रांत करने का पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं उनके साख पर भट्टा लगा रहा हूँ (उनकी तस्वीर खराब कर रहा हूँ), यहां मैं खुलासे हेतु सभी को वे दस्तावेज दिखाना चाहता हूँ जिनका जिक्र मैंने अपने पत्र दिनांक 29.02.2000 में किया है। इसी तरीके से 'द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) भोपाल' से उनका पत्र दिनांक 08.03.2000 मुझे भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि परिषद के महानिदेशक (डॉ. पड़ौदा) को भेजी है, जिसमें मुझे कुछ ऐसी राशि का समायोजन करने को कहा गया है जो मुझसे सम्बद्ध ही नहीं है, इसका भी उन्हें जवाब दे दिया गया है। इसी पत्र में एक ऐसे अधिकारी के नाम का जिक्र है जिसके भ्रष्टाचार के लिए मैंने न्यायालय में प्रकरण दायर किया था, इसका निर्णय भी देखा जा सकता है। इन सबको एक बिंदु से देखा जाय तो ये सभी गतिविधियां विस्मयकारी एवं संदेहात्मक भी हैं।

5. इनके कार्यालयीन आदेश दिनांक 27.01.2000, जो मेरे अधीनस्थ वैज्ञानिकों को मुझसे छिपाते हुए सीधे ही नस्तियों (फाइलों) को आगे बढ़ाने से संबद्ध है के

फलस्वरूप अब मुझे उचित सहयोग नहीं मिल रहा है। दिनांक 29.02.2000 को मैंने इस पर एक अभ्यावेदन भेजा था जिसका कृपया उत्तर दिलायें और मेरे कार्य को यथा स्थिति बनाये रखें। क्योंकि यह भी अपने कम्प्यूटर केन्द्रों को मार्गदर्षन (सलाह) देने में एक अवरोध है।

6. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली से देशभर में पूर्व की राष्ट्रीय परियोजना से दिये गये कम्प्यूटरों के वार्षिक रखरखाव की आवश्यकता है। हमारे अनेकों प्रयत्न के बाद भी प्रबंधन ने वार्षिक रखरखाव पर निर्णय नहीं लिया।

7. यहां पर उल्लेख करना उचित होगा कि तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के लिए मैं कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण पर जाना चाहता हूँ, किंतु उपमहानिदेशक वहां भ्रमण पर जाने की अनुमति नहीं देते। यहां तक कि जब मैं दिल्ली से बाहर कहीं बैठकों में जाता हूँ और मैं वहीं आस-पास के कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण करना चाहता हूँ, और मैं इसका भ्रमण कार्यक्रम यह लिखते हुए प्रस्तुत करता हूँ कि यहां आसपास स्थित अपने कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण भी मैं करना चाहता हूँ तब उपमहानिदेशक मात्र बैठक में उपस्थित होने का भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत करते हैं एवं वहीं स्थित मेरे कम्प्यूटर केन्द्रों को भ्रमण करने की मनाही हर बार कर देते हैं, एवं लिखते हैं कि कम्प्यूटर केन्द्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि इन केन्द्रों का भ्रमण उसी बैठक अवधि के मध्य ही करने का प्रस्तुत किया जाता है, यह योजना इस दृष्टि से है कि वहां की अनियमितता जो वर्तमान कम्प्यूटर आपूर्ति, लैन (LAN) पर है देखी जाय एवं उस पर कार्यवाही की जाय। एक ऐसे ही कम्प्यूटर केन्द्र का भ्रमण से संबंधित कार्यक्रम जो दिल्ली के पास स्थित हिसार का था में उन्होंने लिखा ''मैं इसमें कोई विषेष सदगुण नहीं देखता हूँ'' दूसरे भ्रमण कार्यक्रम में वह लिखते हैं- ''यह वित्तीय वर्ष का अंत है हमें मुख्यालय में रहना चाहिए'' जबकि वह स्वयं भ्रमण में जाते रहते हैं।

उनकी अत्यधिक संख्या में भ्रमण की आदत और मेरी कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण शून्य कर देना भी एक जांच का मुद्दा है। ऐसा करने में तथ्य यह है कि पूर्व में जब मैं कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण किया तो दोनों ही परियोजनाओं में अनियमितता पाई एवं इनका खुलासा किया और वेंडरों (बेंचने वालों) की त्रुटियों को दस्तावेज में दिये प्रावधान के अनुसार ठीक कराने के लिए बाध्य किया। इतना ही नहीं उपमहानिदेशक उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृत भ्रमण को भी रद्द किया। इस तरह मेरी भ्रमण में जाकर जांच न करने से अब वेंडर (विक्रेता) अपना लाभ एक या अन्य तरीके से लेने के लिए जैसे वे चाहेंगे वैसा कर लेंगे, मुझे केन्द्रों के भ्रमण जांच में जाने से रोककर उपमहानिदेशक विक्रेताओं को अवैधानिक लाभ लेने की रुचि की रक्षा कर रहे हैं। अन्य रुचिकर विचार जो उपमहानिदेशक के दिखे हैं उनमें है कि जब मैं अपने भ्रमण कार्यक्रम किसी केंद्र में परिक्षा लेने जाने तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन



मंडल की बैठक में जाता हूँ और वहाँ भ्रमण में यदि आगे का दिन शनिवार पड़ता है। ( जो परिषद मुख्यालय में अवकाश का दिन है किंतु देशभर के संस्थाओं में यह कार्य दिवस हैं) और मै कम्प्यूटर केंद्र का निरीक्षण करना चाहता हूँ तो उसमें भी डॉ.आलम अड़ंगा लगाते हुए 'मण्डल के काम के भ्रमण स्वीकृत कर केंद्रो के भ्रमण हेतु अनुमति नहीं देते और कहते हैं कि अवकाष होते हुए भी आप वापस मुख्यालय आ जायें। एक बार चर्चा के दौरान उपमहानिदेशक (इंजीनियरी)ने केंद्रो के भ्रमण मद में सीमित वित्त की समस्या (कमी) बताई तब मैंने दिल्ली से हैदराबाद एवं कोयम्बटूर के कम्प्यूटर केंद्रो का भ्रमण द्वित्तीय श्रेणी रेल (अनाराक्षित टिकट) से किया और अनियमितता पकड़ा। आज भी मैं केंद्रो की आपूर्ति में भ्रष्टाचार रोकने के लिये ऐसा पुनः करने को तैयार हूँ। वह (डॉ.आलम) सीधे ही वेंडर्स को सम्पर्क करके जैसा चाहतें हैं (नियमों के विपरीत) करते हैं। जबकि मैं कम्प्यूटरों के कार्य के लिये ही नियुक्त हुआ हूँ किंतु वह मुझे वेंडरो की अनियमितता को रोकने के लिये पत्र तक लिखने से मना करते हैं।

8. कृपया उस कार्यालयीन आदेश का संदर्भ लें जिसमें परिषद मुख्यालय के कम्प्यूटर केंद्र के लिये रू.5000 की पेशगी का प्रावधान किया गया है और इसके क्रियान्वयन का दायित्व प्रभारी कम्प्यूटर सेल को दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि कौन अधिकारी इसे करेगा। क्योंकि पत्र की प्रति सहायक महानिदेशक तथा प्रभारी कम्प्यूटर केंद्रो को दी गई है। सक्षम अधिकारी कार्यालयीन आदेश दि.23.05.97 में कहा गया है ''कम्प्यूटर केंद्र, सहायक महानिदेशक (सूचना प्रणाली या कम्प्यूटर) के प्रभार में रहेगा''। यद्यपि यदि अन्य कोई को इस पेशगी के क्रियान्वयन के लिये निंधारित होता है तो वह वरिष्ठता के क्रय में होगा (जिसके लिये सहायक महानिदेशक के विचार लिये जा सकते हैं)। सहायक महानिदेशक के बाद वैज्ञानिकों की वरिष्ठता मे ड़ॉ.ए.के.जैन की बारी कम्प्यूटर केन्द्र में आती है और इसके बाद दूसरों का क्रम आयेगा।

यद्यपि किसी तरह भी यदि उपमहानिदेशक, डॉ.आर.पी.जैन का ही नाम पेशगी के क्रियान्वयन हेतु चाहते हैं तो कृपया वह उन अनियमितताओं को देखे जिनके बारे में परिषद के महानिदेशक, उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी),श्री. आर. पी.जैन और आपसे (जैसा मेरे पत्र दि.09.03.2000 में लिखा हैं) साथ ही इस बावत उपमहानिदेशक एवं राष्ट्रीयनिदेशक से भी चर्चा की थी।

9. विदेशों में उच्च पदो में जाने के लिये मेरे आवेदन, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) द्वारा अग्रेशित न किये जाने की प्रथा तो नित्यकर्म में आगई हैं जबकि सभी सहायक महानिदेशकों के ऐसे आवेदन उनके विभागाध्यक्षों द्वारा अग्रेशित कर दिये जाते हैं।

10. कम्प्यूटरों से सम्बंधित प्रशिक्षण, कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के लिये अधिकारियों के लिए अत्यावश्यक है और ये नवीन क्षेत्रों के लिये नित्यकर्म से

स्वीकृत किये जाते हैं। ऐसे सभी अधिकारियों के लिए (मुझे छोड़कर) उपमहानिदेशक एवं राष्ट्रीय परियोजना द्वारा भेजा जा रहा है। मुझे इसलिए ये नहीं भेज रहे क्योंकि इनके प्रिय वेंडरों की अनियमितता पर मैं इन्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे प्रशिक्षणों में भेजने से वंचित कर दिया गया है।

11. परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी आशंका है कि ये मेरे ऊपर कोई भी अवैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा, क्योंकि आपके समक्ष इनकी अनियमितता का खुलासा मैं दिनांक 29.02.2000 को कर चुका हूँ। समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस पत्र के बिंदुओं पर 'परियोजना प्रबंधन समिति' में चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, परिषद के सचिव होने के नाते, बिंदुओं का निराकरण करें अथवा आप इन सभी बिंदुओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही के लिए रख सकते हैं। यदि कोई दस्तावेज या प्रमाणीकरण करना चाहते हैं तो कृपया मुझे लिखें।

धन्यवाद सहित

आपका सच्चा,

(सदाचारी सिंह तोमर)

सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर)

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ

1. डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
2. डॉ. अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
3. डॉ. मंगला राय, राष्ट्रीय निदेशक (राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना), लालबहादुर शास्त्री बिल्डिंग पूसा, नई दिल्ली-110012''

यह पत्र सचिव को लिखकर उसे अध्यक्ष तक भेजने का आग्रह नियमानुकूल होने के कारण ही उनसे अनुरोध किया गया था कि वह मंत्री जी (अध्यक्ष) को इस पर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।

पत्र में स्पष्ट किया गया था कि 'वेंडरों को दण्डात्मक कार्यवाही के पत्र न लिखे जायें' इसी कारण मेरे पत्राचार के अधिकार को अक्षम अधिकारी द्वारा एक आदेश निकालकर मना कर दिया गया था, साथ-ही पत्र न लिखे जा सकें इसी कारण टंकण करने वाले व्यक्ति मुझसे छीन लिये गये थे। मेरे कमरे एवं अलमारी की चाभी चुरा लिया जाना एवं कमरे के दस्तावेजों तथा कम्प्यूटर से छेड़छाड़ करने की बात जो हो रही थी, उस पर भी कार्यवाही चाही गई थी, किंतु कोई कार्यवाही तो दूर पूछतांछ तक नहीं की गई। निम्नश्रेणी लिपिक श्री जोशी द्वारा जासूसी करने की बात तो 'चौकड़ी' की योजनानुसार थी अतः इस पर कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठा, उल्टे उससे शिकायत लेकर मेरे ऊपर जांच लगाई, गई। मेरे कक्ष की फोटोकॉपी मशीन को ठीक न कराना 'चौकड़ी' की साजिश थी, क्योंकि इसके द्वारा



मेरे पत्राचार का काम आसान हो रहा था। लिपिक श्री जोशी से जानबूझ कर यह लिखवाकर मुझे दिया गया था कि वह मात्र मैनुअल टाईप राइटर से टंकण कर सकता है जबकि परिषद में न तो इस तरह के टाइप राइटर बचे थे और न ही बाद में परिषद ने इसकी व्यवस्था की थी। लगभग 100 शिकायती पत्रों की फाईल इन्होंने छिपा दी और यह बताया कि मुझे भेजी गई है, जबकि उस तिथि में मैं दिल्ली से दूर सतना में था। परिषद के महासचिव डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा ने रू. 15173 का अमेरिका बैंक का एक चेक मुझे भेजकर (हस्ताक्षर रहित) एक जाल फेंका था कि यदि मैं इस चेक को जमा करूंगा तो उससे मुझे फंसा सकते थे। बाद में इसके बारे में उन्हें लिखा तो ये चुप्पी मारकर बैठ गये। डॉ. आलम ने केवल 10 वर्ष पुराने इंजीनियरी सोसायटी, जिसके वह वर्तमान में अध्यक्ष थे का हिसाब मांगा था बल्कि दूसरी संस्थाओं से भी ऐसा करने को कहा था। जब मैंने इसका खुलासा डॉ. आलम एवं डॉ. पड़ौदा को करते हुए अपने ही खुद के लगभग 1 लाख रूपये खर्च करने की राशि मांगी तो इस पर जवाब ही नहीं दिया। सामान्यतः जब प्रोफेसनल सोसायटी के काम मैं लेता था तब अपने जेब से पैसा खर्च कर देता था जिससे सुचारु रूप से कार्य हो जाय। यह राशि पड़ी रहती थी। अतः जब इन्होंने पुराने (अन्य) संस्थाओं के भी विवरण मांगे तब मैं इनके द्वारा संचालित सोसायटी में अपने जेब से खर्च 1 लाख रूपये वापस चाहे थे जो नहीं दिये गये। मैंने इस मद में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के प्रकरण न्यायालयों में चलाने की बात बताई तब 'चौकड़ी' और डर गई थी। पुराने कम्प्यूटरों के वार्षिक रखरखाव के लिए आपूर्तिकर्ता वेंडर मे. एच.सी.एल. को कम दर पर काम करने को बाध्य करने हेतु एवं ऐसा न करने पर इस फर्म को 'काली सूची' में डालने की योजना प्रस्तुत की तो उन्होंने इसे अमान्य कर दिया और अपनी (परिषद को) करोड़ों रूपयों की खुदखर्च कर हानि करा ली तथा जिससे वेंडर को फायदा हुआ। पत्र में यह भी खुलासा किया गया था कि वेंडरों को दण्ड न देना पड़े, इसलिए मुझे ये अपने केन्द्रों का निरीक्षण (भ्रमण) भी नहीं करने देते थे। भ्रमण में खर्च कम हो इसलिए जब मैंने रेल (ट्रेन) से सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) से दूर-दूर तक केन्द्रों की यात्रा कर कम खर्च मे ही निरीक्षण किये जाने एवं आगे भी स्वयं ऐसा करने की बात लिखी तो 'चौकड़ी' को सांप सूंघ गया था। क्योंकि यहां तो भ्रमण के लिए अपार राशि उपलब्ध थी, एवं ज्यादा-से-ज्यादा हवाई यात्रा (रेल, सड़क छोड़कर) करने के निर्देश जारी किये गये थे। पेशगी की राशि अवैध रूप से ऐसे चहेते आदमी को दी गई थी जो 'चौकड़ी' की इच्छानुसार काम करे। यह सब वरिष्ठता उल्लंघन करके किया गया था। कम्प्यूटर प्रशिक्षणों की इस विधा में विशेष आवश्यकता रहती है विशेषकर मुझ जैसे प्रबंधन वाले अधिकारी के लिए ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत रहती है जिससे वेंडर कम्प्यूटर के आंतरिक अंगों एवं साफ्टवेयर में बदमाशी न करे किंतु 'चौकड़ी' ऐसा प्रशिक्षण मुझे बिल्कुल ही नहीं दिलाना चाहती थी। जिससे नवीन विधा की आंतरिक जानकारी मुझे न रहे। अतः मुझे छोंड़कर सभी को प्रशिक्षण में भेजती थी। भले ही इस मद की राशि खर्च भी न हो पाये। इसका खुलासा करते हुए पत्र में लिखा गया था किंतु 'चौकड़ी' इसका जवाब

देने की जगह आनंद लेती रही। ऐसे पत्र तो अध्यक्ष या मंत्री जी तक पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि इस समय श्री नितीश कुमार की जगह श्री सुन्दरलाल पटवा मंत्री थे। फिर भी सचिव के पद पर बैठे व्यक्ति से आशा थी कि वह यह पत्र श्री पटवा जी तक पहुचायेंगे।

दिनांक 23.03.2000 को आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात हुई थी। आज ही देश भर के कृषि के कुलपतियों के सम्मेलन में भाग लेकर नेटवर्क के विषय पर चर्चा की तथा उन्हें समय पर सब विवरण भेजने को कहा। 24.03.2000 को कोई श्री ए.वी. महापात्र, फ्री प्रेस जनरल के विशेष संवाददाता मुझ से मिले थे।

एक तरफ तो 'चौकड़ी' मुझे देश भर में फैले मेरे कम्प्यूटर केन्द्रों में जाकर देखभाल करने में जाने से मना कर रही थी तो दूसरी ओर विदेशों में भेजने के लिए तैयार बैठी रहती थी। इसी तारतम्य में इसने मुझे बैंकाक की कम्प्यूटर संबंधी कार्यशाला में भेजा था। ऐसे कार्यशाला में भ्रष्ट लोग कई स्त्रोतों से खर्च के पैसा की व्यवस्था कर कमाई कर लेते हैं, जो भ्रष्ट होता है वह सभी को ऐसा ही मानता है, यही मानते हुए मेरे बैंकाक भ्रमण के बाद परिषद के महानिदेशक तथा भारत सरकार के सचिव डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा ने अपने 'अपारी' कार्यकारी सचिव पद का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.03.2000 को एक जाली (बिना हस्ताक्षर का) चेक भेजा था जिसे मैंने उन्हें लौटाते हुए स्पष्टीकरण में चाहा था जो न तो वे दे सकते थे और न ही दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जालसाजी का भण्डा फूट जाता। किंतु बाद में उनके गुर्गे डॉ. अनवर आलम ने मुझे फंसाने के लिए दिनांक 24.03.2000 के सीधे पत्र से मुझे लिखा-

''प्रिय डॉ. तोमर, कृपया मुझे बतायें कि आपने 'बैंकाक' भ्रमण में भाग लेने हेतु विभिन्न स्त्रोतों यथा इसनार (ISNAR), एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (AIT), अपारी (APARI) आदि से ली गई वित्तीय राशि को मदद का विस्तार से विवरण देवें। यदि आपने परिषद से भी कोई दावा मांगा हो तो उसका भी विवरण मुझे देवें।

आदर सहित,

तुम्हारा सच्चा

(अनवर आलम)''

इन मेरे सच्चे डॉ. अनवर आलम को एक-एक पाई की मिली राशि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए मैंने बताया था कि अभी भी हजारों रूपये जो मैंने जेब से इस भ्रमण में खर्च किये हैं वे विभिन्न मदों से मिलने शेष हैं वह दिलाये जायें। वह राशि देने का तो इनका उद्देष्य ही नहीं था और न ही वह राशि मुझे कभी मिली। किंतु जब उस स्पष्टीकरण से उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उस यात्रा जो उन्हीं डॉ. आलम, डॉ. पड़ौदा के शिफारिस पर मंत्री से स्वीकृत हुई थी (क्यों की गई) इस पर जांच बैठा दी। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से बैंकाक का टिकट लेकर जब मैं बैंकाक की तरफ जा रहा था तो बीच में कलकत्ता से मुझे एयर पोर्ट के बाहर से कोई चिल्ला-चिल्ला कर बैंकाक न जाने को कह रहा था



और मैं रुका नहीं। इस पर भी 'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार से मिलकर नियमों के तहत जांच बैठा दी। क्योंकि मेरे भ्रमण की सभी स्वीकृतियां (मंत्री से विभागाध्यक्ष तक) सही थी अतः उनके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी डॉ. किरण सिंह ने रिपोर्ट दी कि चूंकि मैंने 'चौकड़ी' सहित मंत्री से संत्री तक के घपले उजागर किये हैं इस कारण यह मिथ्या आरोप मुझपर लगाया गया। किंतु 'चौकड़ी' इस पर संतुष्ट नहीं हुई तब नियमों के विपरीत जाकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी डॉ. मिश्रा जो मेरा कनिष्ठ था जिसके लाखों रूपये के घपले मैंने पकड़े थे, उसे नियमों को धता बताते हुए सेवा में पुनः लाने के प्रयत्न हुए और उससे जांच शुरू कराई किंतु उसने तब-तक जांच नहीं की जब-तक परिषद से पुनः एक नई नौकरी का आदेश लेकर पद में पदस्थ नहीं हो गया। उसने यह मान लिया कि बहुत दूर खड़े व्यक्ति ने मुझे कलकत्ता एअरपोर्ट में रुकने की आवाज दी थी और मैंने यात्रा चालू रखी थी, इसलिए मैं दोषी था। उस जांच अधिकारी ने यह भी नहीं देखा कि जब मंत्री जिसने जाने की स्वीकृति दी थी उसने न जाने को कभी कहा ही नहीं साथ ही एयरपोर्ट से दूर खड़े व्यक्ति ने जहाज में घुंस व्यक्ति तक कैसे चिल्लाकर न जाने की आवाज सुना दी तो कैसे वह असंभव को संभव बना रहा था।

दिनांक 24.03.2000 को इलाहाबाद कृषि संस्थान के लिए रवाना होकर दिनांक 25.03.2000 को वहां स्नातक (कृषि इंजीनियरी) छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा ली थी एवं अधिकारियों से अपने कम्प्यूटर नेट के बारे में चर्चा की थी।

विक्रेताओं को अवैध लाभ दिलाने हेतु 'चौकड़ी' सीमा लांघकर सामने आ गई थी। उनका एक ही ध्येय था कि किस तरह वेंडर्स को प्रसन्न रखकर उनसे सांठगांठ बनाये रखी जा सके। इसी तारतम्य में श्री नितीश कुमार के मंत्री रहते दस्तावेजों में इन्होंने कुछ हेर-फेर करके ऐसे परिवर्तन कर लिये थे जो वेंडर्स को तो लाभदायी थे किंतु परिषद या देश के लिए विनाशकारी थे। इसी में एक मद प्रशिक्षण का था। जिसमें दस्तावेज के अनुसार उस प्रत्येक कम्प्यूटर साइट (स्थान) पर प्रशिक्षण देना था जिस जगह कम्प्यूटर दिये गये थे। इसके बावजूद डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक ने देश भर की संस्थाओं को पत्र लिखते हुए मुझे भी दिनांक 24.03.2000 को एक पत्र लिखा था जिसके अनुसार-

वेंडर मे. सीमेंस के सहयोगी फर्म मे. एन.आई.आई.टी. के द्वारा आपूर्ति किये गये कम्प्यूटरों बावद प्रशिक्षण देना था। जिसमें लिखा तो यह गया था कि मूल दस्तावेज के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण देना है, किंतु आगे लिखा था कि प्रत्येक कम्प्यूटर पर एक उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करना है। इसमें चतुराई पूर्वक यह वाक्य कि 'प्रत्येक साइट' पर प्रशिक्षण देना है निकाल दिया गया था। आगे की सारणी में लिखा गया था एक बैच जिसमें अधिकतम 12 लोग हों प्रशिक्षण हेतु लिये जायेंगे। इस तरह प्रत्येक कम्प्यूटर साइट में न जाकर अलग से निर्धारित स्थान पर 12 लोगों को बुलाया गया था। इसमें हानि यह हुई की उन्हीं के कम्प्यूटर साफ्टवेयर को हार्डवेयर में डालकर प्रशिक्षण की चलाने की तकनीक का जो तत्काल लाभ मिलना था वह नहीं मिले। फलस्वरूप कुछ कम्प्यूटर तो ज्यों का त्यों

(बिना चले) पड़े रह गये। कुछ में प्रशिक्षण लेकर लौटे प्रशिक्षणार्थी अपने कम्प्यूटरों को चला ही नहीं सके। विशेषकर पिछड़े इलाकों जैसे कश्मीर के दुर्गम स्थल, म.प्र., झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों आदि के स्थान में प्रत्येक साइट में प्रशिक्षण न देने से हुई हानि की छतिपूर्ति होनी भी संभव न थी क्योंकि इन स्थानों में उपयोगकर्ताओं का ज्ञान बहुत कम था तो वहां कम्प्यूटरों को बंधे-बंधे ही पड़े रहने दिया गया।

इस प्रक्रिया का विरोध मैंने लिखित में एवं चर्चा करके किया था। किंतु इसको 'चौकड़ी' ने किसी भी स्थिति में परिवर्तन न करने का मन बना लिया था। क्योंकि 1472 साइट्स की जगह उस 54 स्थलों में प्रशिक्षण देने का लाभ वेंड़र को मिला, वह इन्हें दे दिया गया। अतः हमारा विनाश होता रहा वेंडर के विकास के लिए 'चौकड़ी' ने दस्तावेजी प्रावधान की बलि दे दी। डॉ. आलम द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु दिया हुआ विषयवस्तु एक दस्तावेजी प्रावधान भी स्पष्ट कहता है कि प्रशिक्षण उसी जगह पर हितग्राही है,जहां कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रावधान है। यह प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद भी मैंने भ्रमण करके देखा था और पाया था कि कई जगह प्रशिक्षण हुआ नहीं और कुछ जगहों में प्रशिक्षण पूर्ण कर वापस आये हितग्राही कम्प्यूटरों को चला भी नहीं पाये (क्योंकि साफ्टवेयर को हार्डवेयर में लगाने की छोटी सी तकनीकी भी उनसे नहीं बन पाई)। राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक अनुसंधान परियोजना में भी यही बात पाई गई थी।

यही नहीं आगे यह भी पाया गया था कि 'चौकड़ी' ने देशभर में एक जाली प्रोफार्मा (मूल प्रारूप को बदलते हुए) सभी 437 केन्द्रों को भेजा था, जिसमें केन्द्रों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणीकरण की मूल धारणा ही खत्म हो गई थी। इससे संबद्ध पत्र भी मुझे प्राप्त हुए थे। ऐसा ही एक पत्र कृषि विज्ञान केन्द्र इलाहाबाद कृषि संस्थान दिनांक 25.03.2000 को प्राप्त हुआ था। इसमें इन्होंने एम.एस. विंडोज 98 (ऑपरेटिंग सिस्टम) तथा एम.एस. ऑफिस 97 प्रो भी प्राप्त करना बताया था। ये कम्प्यूटर केन्द्रों में दिये तो गये थे। किंतु इन्हें कम्प्यूटर में डालने की व्यवस्था न होने के कारण कम्प्यूटर चलाने में समस्या थी। लगाने एवं चालू करके हमें (मुख्यालय) रिपोर्ट भेजने के संदर्भ में उन्होंने लिखा था यह काम उन्हें खुद करना पड़ेगा क्योंकि वेंडर मे. सीमेंस को बार-बार निवेदन एवं स्मरण पत्र देने पर वह कोई उत्तर नहीं दे रहे है। उनके (वेंडर) द्वारा दिये गये फोन तथा फैक्स नम्बर से भी कोई संवाद नहीं हो पा रहा था। ऐसी ही समस्यायें अन्यत्र भी थीं किंतु इनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 'चौकड़ी' ऐसा करने ही नहीं दे रही थी। झूंठे फोन, फैक्स, पता आदि देना एक अपराधिक षडयंत्र था, फिर भी 'चौकड़ी' की कृपा दृष्टि के कारण उनका कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता था और वह खुले आम ऐसा कर रही थी।

इस पत्र में (दिनांक 25.03.2000) उन्होने यह भी लिखा था कि उन्हें यहां से प्राप्त पत्र में जो संलग्नक दिये गये हैं, उनकी प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जा रही हैं। इन संलग्नकों में प्रमाणीकरण प्रोफार्मा जाली संलग्न किया गया था। इसमें उपयोगकर्ताओं के लिये जो



मार्गदर्शक पत्रक संलगन था वह फर्म में.सीमेंस द्वारा अपने मन माफिक तैयार किया गया था। 'चौकड़ी' के सहयोग से पूरे देश में न केवल कम्प्यूटर नेट प्रशिक्षण में घपले बाजी चल रही थी बल्कि जाली प्रमाणीकरण प्रोफार्मा चालू हो गया था। में. सीमेंस ने अपने मन माफिक कम्प्यूटर उपकरण की स्थापना एवं ग्राह्यता प्रमाण पत्र के प्रारूप, मार्गदर्शन बनाकर सभी कम्प्यूटर केंद्रों को भेजे थे जबकि ये सब हमारे मूल दस्तावेज में उपलब्ध थे और उसके अनुसार ही होने थे। कुल 6 जगहों पर अधिकृत सेवा केंद्रो का विवरण दिया गया था जबकि दस्तावेज की पात्रतानुसार इनसे कई गुना अधिक केंद्र होने चाहिये थे। कई केंद्रो से सूचना आई थी कि इन केंद्रो के दिये गये पते,फोन, फेक्स में कोई सुनता ही नहीं या ये गलत थे।

**अखबार के प्रतिनिधि सुश्री कूमी कपूर द्वारा कम्प्यूटरीकरण घपले, टाइपिंग सुविधा बंद करने आदि का प्रकाशन एवं बदनाम टायपिस्ट से शिकायत लेकर परेशान करने के षड्यंत्र**

दि. 27 एवं 28 मार्च 2000 को फ्री प्रेस जर्नल के श्री.ए.वी. महापात्रा एवं 'द इंड़ियन एक्सप्रेस की सुश्री.कूमी कपूर को परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार की बू मिलने से उन्होने यहा (परिषद में) सम्पर्क साधा था।

दि. 27.03.2000 को मैने डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक को उनके पूर्व के पत्र द्वारा चाहे गये प्रारूप में सभी उपलब्ध फाइलों का विवरण प्रस्तुत करके विषय पर उन्हें जवाब देते हुए लिखा –

''प्रति,

डॉ. अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली,

महोदय,

कृपया अपने पत्र (नोट) दिनांक 24.03.2000 का संदर्भ लें, इस नोट से फाइलों का विवरण दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना था। इसके बारे में बहुत पूर्व में भी आपने पूछा था जिसका जवाब मैने आपको 15.03.2000 के पत्र से दिया था। चूकि अब मेरे मातहत सभी कर्मचारी सीधे आपके मातहत एवं मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, अतः आप कृपया दबाव डालकर उनसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि दिनांक 27.02.2000 के आदेश के कारण अब वे मेरे निंदेश का पालन नहीं कर सकते। यहां तक कि मेरा निम्न श्रेणी लिपिक भी बिना मुझे सूचना दिये हटा लिया गया है, इसलिए मेरे पास कोई कर्मचारी या व्यैक्तिक सहायक नहीं है जो टाइपिंग कर पत्र चढ़ा कर भेजे एवं ऐसे कार्यों में सहयोग करे, इसकी अनुपस्थिति में जो पत्राचार आता है वह अव्यवस्थित पड़ा है। दया कर समुचित कार्यवाही करें।

आदर सहित ।

(सदाचारी सिंह तोमर)''

इस समय 437 वर्तमान कम्प्यूटर केन्द्रों एवं 231 पुराने कम्प्यूटर केन्द्रों से सैकड़ों की संख्या में शिकायतें एवं सलाह संबंधी पत्र आये थे, जिनका जवाब देना आवश्यक था। मेरे अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से सीधे पत्राचार उपमहानिदेशक कार्य करा रहे थे फिर भी उलटा फाइलों का विवरण ये मुझसे मांग रहे थे और मेरी कोई सुनता भी नहीं था, जिससे पूरे देश का कम्प्यूटर नेट प्रभावित हो रहा था। तब भी इन पर जूं नहीं रेंग रही थी।

जब 'चौकड़ी' ने स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण मांगे और ऐसे उनके लगभग 15 पत्रों के मेरे जवाब में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसपर 'चौकड़ी' मेरी गलती कहती, तब उन्होंने उस लिपिक को जिसकी ड्यूटी मेरी जासूसी कराने हेतु लगायी थी उसको पकड़ा। जब यह टंकण का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था तो मैंने पूछा था कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तब इसने लिखकर दिया था कि वह मात्र मैनुअल टाइप राइटर में केवल हिन्दी टंकण कर सकता है। मैनुअल टंकण की व्यवस्था परिषद ने भी नहीं की (क्योंकि वे तो उसे जासूस के रूप में रखे थे)। और उसके कार्यालय न आने या देरी से आने का विवरण उपस्थित रजिस्टर में मैं रिकार्ड करने लगा जिससे काम न करने पर इसका वेतन रुकवा दिया जाय। तो इससे 'चौकड़ी' ने मेरी शिकायत लिखवाई और इसमें जो घटना हुई ही नहीं थी, उसका जिक्र कराया। बात उसके देरी से आने पर अनुपस्थिति चिन्ह लगाने का था किंतु इसने 22.03.2000 को अलग ही शिकायत भेजी। इस शिकायत को लिखकर तुरंत ही डॉ. आलम ने इसे परिषद के महानिदेशक को प्रस्तुत किया। शिकायत मिलते ही डॉ. राजेन्द्र पड़ौदा महानिदेशक ने एक जांच कमेटी उन व्यक्तियों की गठित कर दी जो उनके खासम-खास व्यक्ति थे और मेरे विरोधी थे। तथा एक मुझसे बहुत कनिष्ट भी था। दूसरा मेरे समकक्ष पद का जो मेरे साथ पहले था और मेरे इस पद पर आने से जलता था। जांच के बावत् श्री. सोधी सिंह अवर सचिव (वैयक्तिक) द्वारा कार्यालयीन आदेश दिनांक 31.03.2000 को निकाला गया था जिसमें लिखा था -

''श्री हरिंदर कुमार जोशी निम्न श्रेणी लिपिक से सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) द्वारा गलत बर्ताव करने की शिकायत पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) एवं श्री.जे.रवि उपसंचालक (वैयक्तिक) को रखकर एक समिति का गठन किया गया हैं। कमेटी से अनुरोध है कि वह विषय पर जांच करे एवं 4 अप्रेल 2000 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री हरिंदर कुमार जोशी द्वारा सहायक महानिदेशक के खिलाफ की गई शिकायत की प्रतिलिपि यहां संलग्न है।

(सोधी सिंह)
अवर सचिव (वैयक्तिक)

वितरण :

1. ड़ॉ. आर.पी. काचरू, सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) ,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प) नई दिल्ली।



2. श्री. जे.रवि, उपसंचालक (वैयक्ति), भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली। ''

सामान्यतय अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायतों पर सम्बद्ध अधिकारी से चर्चा की जाती है (विशेषकर और ऐसे कर्मचारी जो काम न कर बदमासी करता था), किंतु यहां चर्चा करना दूर बिना सोचे समझे तुरत-फुरत जांच समिति भी गठित कर दी गई। क्योंकि यह उनके द्वारा विशिष्ट कार्य के लिये नियुक्त व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। या यूं कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि उनके द्वारा नियुक्त जासूस मुझ पर कार्यवाही करने बाबद् किसी तरह की शिकायत लेने के उद्देष्य से किया गया था। इस बात का खुलासा भी आगे के घटनाक्रम से हो जायेगा। इस आदेश की प्रति भी मुझे नहीं दी गई थी (छिपाई गई थी)।

इसके बाद श्री. जे. रवि ने 03.04.2000 को एक मेरे लिए सूचना पत्र (तुरंत एवं गोपनीय) निकाली जिसमें लिखा था -

''भारतीय कृ.अ.परिषद के महानिदेशक ने ड़ॉ.आर.पी.कचरू सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) एवं मुझे मिलाते हुए एक समिति बनाई हैं जो श्री हरींदर कुमार जोशी निम्न श्रेणी लिपिक ने सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प्र.) पर कुछ गलत व्यवहार करने के आक्षेप लगायें हैं कि जांच करेगी । इस समिति की रिपोर्ट 04 अप्रेल 2000 तक प्रस्तुत करती है। तदनुसार डॉ. एस.एस तोमर सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प्र.) को सूचित किया जाता हैं कि वह बताई गई समिति के समक्ष दिनांक 03.04.2000 को 15:30 बजे सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) के कक्ष में उपस्थित हों।

(जे. रवि )
उपसचिव (वैयक्तिक)

डॉ. यस.यस. तोमर, सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-11012 ''

डॉ. आर.पी.काचरू द्वारा, श्री.जे.रवि से ऐसी सूचना दिनांक 03.04.2000 को ही निकालना, उसी दिन जाच पूर्ण करना जबकि उसी दिन ड़ॉ.आलम द्वारा दिया गया कार्य प्रशिक्षण कराने हेतु मुझे भेजना सब अप्रत्याषित था।

डॉ. आलम ने अपने दिनांक 25.04.2000 के पत्र से मुझे परिषद मुख्यालय में कम्प्यूटरों की तीन दिवसीय प्रशिक्षण (दिनांक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2000) जो प्रत्येक साइट पर होनी थी (उसकी अवहेलना करते हुए 12 व्यक्तियों के समूह) को देखने हेतु (दिनांक 03.04.2000) मुझे भेज दिया था। इधर ईर्ष्या से खार खाये डॉ. काचरू (जो विगत 20 वर्षों से मेरे साथ थे, वरिष्ठ थे किंतु मुझे दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कार मिलने से मैं उनके समकक्ष पद पर पहुंच गया था, साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति मेरे विरोधी विचार से वे असहमत थे) ने 03.04.2000 को ही बैठक रखवा दी। कई लोग बिन पेंदी के लोटे की तरह होते हैं, अपनी सुविधानुसार लाभ लेकर किसी ओर भी झुक जाते

हैं। श्री जे. रवि को संभवतयः यह मालूम रहा हो कि मैं प्रशिक्षण कराने गया था अन्यथा सायंकाल तुरंत मैंने उन्हें लिखकर भी दिया था कि मैं प्रशिक्षण में व्यस्त था। अतः अब आया हूँ मेरी सुनलो फिर उन्होंने जो निश्चय किया था उस अनुसार बैठक कर लिया। अतः मैं प्रशिक्षण पूर्ण कराकर लौटते ही (लगभग 5 बजे) डॉक में देखा कि पत्र मुझे इनके पास (3.30 सायं) जाने के लिए लिखा रखा है तब तुरंत ही मैंने उन्हें लिखा-

''श्री जे. रवि उपसंचालक (व्यैक्तिक) दिनांक 03.04.2000
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
महोदय,

आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैं कार्यक्रम चला रहा था, उसके बाद 5 बजे आकर देखा तो आपकी यह सूचना दिनांक 03.04.2000 मेरे टेबल में मिली जिसके अनुसार सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) ने मेरी उपस्थिति उनके पास 3.30 सायंकाल चाही। चूंकि यह समय खत्म हो चुका है, अतः मुझे आगे क्या करना है सूचित करने की कृपा करें।

(सदाचारी सिंह तोमर)

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।
1. उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
2. सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
3. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद''

कहते हैं भ्रष्टाचार में सहयोग की आवश्यकता होती है (Corruption requires co-operation)। डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा ने छांट-छांट कर अपनी निति के चपरासी प्रशासनिक एवं सहयोगी समूह के लोगों को परिषद मुख्यालय में रखा था। यदि कोई विषम व्यक्ति आ जाता था तो उसको तुरंत बाहर खदेड़ दिया जाता था। सब काम सर्वसम्मति से होता था। चूंकि मैंने पत्र दिनांक 03.04.2000 मिलने पर भी उनको वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया था और उन्हें मेरा पत्र सायं 5 बजे के लगभग मिल गया था, चाहते तो उसी दिवस या दूसरे दिन (यदि 04.04.2000 को ही रिपोर्ट देनी थी) मुझे सुन सकते थे। किंतु यहां तो बिजली की गति या प्रकाश के वेग से काम निपटाना था, क्योंकि यह डॉ. तोमर की जांच थी जिसे डॉ. पड़ौदा (जिनके खिलाफ डॉ. तोमर ने सभी स्तर पर यथा मंत्री, सतर्कता आयोग, अन्वेषण ब्यूरो आदि के पास भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ा था) ने लगाया था और उन्हीं के मन माफिक काम होना था। सामान्यतः डाक मेरे व्यैक्तिक सहायक को दी जाती थी, वह मेरे पास नहीं था। अतः डाक मुझे दी जानी थी। किंतु यहां डाक एक चपरासी को दी गई बताई गयी थी, जो कई अधिकारियों का काम देखता था। उसका डाक लेने देने



से कोई वास्ता भी नहीं था। किंतु यहां तो डॉ. पड़ौदा का काम था तो सब उनके बताये अनुसार होगा। वह भी डॉ. तोमर की जांच। 'अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह-चीन्ह कर देय' वाली कहावत थी। जब मैंने खुद लिखकर उसी दिन उसी समय, समय बीत जाने के बाद सूचना मिली तब और किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे की बात माननी थी या मेरी? किंतु यहां तो षडयंत्र चल रहा था और उसके प्रतिभागी हमेशा सत्ताधारी के साथ चिपके से रहने वाले डॉ. आर.पी. काचरू, जे. रवि आदि ऐसा व्यवहार कर रहे थे जिससे यह बात स्पष्ट हो रही थी कि वे पूर्णतः पक्षपात कर डॉ. पड़ौदा को दिखा रहे थे कि वे उनके बहुत शुभचिंतक एवं नजदीकी हैं व उनके लिए कितने नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर भी डॉ. पड़ौदा या 'चौकड़ी' को खुश रख सकते हैं। नियमों को तोड़कर मेरे प्रति यदि कार्यवाही करते हैं तो 'चौकड़ी' में प्रशंसा होगी। ऐसे में उनका कुछ लाभ तो होगा ही।

मैं भी श्री जोशी द्वारा डाक हेरा-फेरी का आभास कर रहा था। पूर्व में काम पर देर से आने के कारण उपस्थिति रजिस्टर में देरी से आने पर समय से अनुपस्थिति दिखाने लगा था। बैठक के जरूरी कागजात न मिलने पर मैंने उसे डांटा भी था, उसने जब यह समझा कि अब देरी से आने पर उसका वेतन कटेगा तब उसने स्थानांतरण करने का आग्रह भी प्रशासन में लिखकर दिया था। कारण लिखना भी एक आवश्यकता थी, अतः थोड़ी बात को बढ़ाकर उसने लिखा था कि मैंने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया था। अतः वह स्थानांतरण चाहता था क्योंकि हमेशा वह देर से आता था, और मैंने उसकी अनुपस्थिति (वस्तुस्थिति) उपस्थिति रजिस्टर में लिखना चालू कर दिया था और उसकी यह शिकायत दिनांक 22.03.2000 जो अवर सचिव को दी गई थी को डॉ. आलम ने उसी दिन गंभीर मामला मानते हुए फोटो कॉपी लेकर जांच के लिए आगे बढ़ा दिया था। पत्र किसी और को (अवर सचिव को) लिखा गया था, उसने तो कोई कार्यवाही की नहीं, डॉ आलम जिसका इससे कोई लेना-देना ही न था ने अपनी टांग अड़ा दी थी। डॉ. पड़ौदा ने भी आंख मूंदकर इसकी जांच बैठा दी, यहां तक नहीं देखा कि जिसे पत्र लिखा गया है उसके क्या विचार हैं वह तो किसी तरह के अवसर की प्रतिक्षा मे था।

इसका पत्र दिनांक 22.03.2000 ऐसा था-

''सेवा में,
अवर सचिव (प्रशासन) कृषि भवन, नई दिल्ली
विषय :- हरिंद्र कुमार जोशी, एल.डी.सी. के स्थानांतरण हेतु प्रार्थना।
महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं डॉ. एस.एस. तोमर सहायक महानिदेशक (एरिस) के साथ कार्यरत हूँ।

आज प्रातः 22.03.2000 को 10 बजे सहायक महानिदेशक (एरिस) जी ने मुझसे

कल (दिनांक 21.03.2000) की डाक फाइलें मांगी। मैंने उन्हें बताया कि 21.03.2000 शाम 5.30 बजे तक की सभी डाक फाइलें उन्हें कल साम दी जा चुकी हैं।

इसके पश्चात् डॉ. तोमर जी अपनी मेज पर कागज खोजना शुरू किये और कागज में डाक में न मिलने पर मुझे डांटकर और गुस्से में चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके इस व्यवहार से मैं आश्चर्यचकित एवं भयभीत हो गया। जिसकी सूचना मैंने प्रातः ही उपसचिव (प्रशासन) एवं अवर सचिव (प्रशासन) को दे दी।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं वातावरण के चलते मेरा डॉ. तोमर के साथ काम करना अत्यधिक कठिन है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मानवीय आधार पर मेरा स्थानांतरण अन्यत्र में तुरत प्रभाव से करने की कृपा करें।

मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा।

धन्यवाद।

आपका कर्मचारी
(हरिंद्र कुमार जोशी),
एल.डी.सी''

इस पत्र के बगल में लिखा था ''फोटोकापी उपमहानिदेशक (इंजीनियरिंग)'' जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इसकी फोटोकॉपी करके किसी ने उपमहानिदेशक (इंजीनियरिंग) को दी थी। कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा था जिससे यह स्पष्ट होता की इस पत्र की कोई प्रतिलिपि उपमहानिदेशक (इंजीनियरिंग) को कार्यवाही हेतु दी गई हो। फिर भी इस पत्र की फोटोकॉपी कराकर उसमें डॉ. आलम ने अवर सचिव (इंजीनियरी) को लिखा, ''यह अच्छे व्यवहार का नमूना नहीं है। इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाय''।

चूंकि यह एक तानाशाही आदेश था। इस पर अंधानुकरण करते हुए उनके परम भक्त श्री ए.एल. भाटिया, अवर सचिव ने 23.03.2000 को एक नोटशीट बनाकर आगे जांच के लिए डॉ. आर.पी. काचरू एवं श्री जे. रवि की एक समिति बनाने का सुझाव दिया। यहां इस महान आदमी ने यह भी नहीं देखा कि यह पत्र इन लोगों को लिखा गया है या नहीं। या इस पर कोई जांच करनी है, तो वह सतर्कता शाखा का काम है न कि इंजीनियरी का। कम-से-कम यह नस्ती अवर सचिव (प्रशासन) को भेजनी थी जिनको संबोधित यह पत्र लिखा गया था, किंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। चूंकि डॉ. आलम के सलाह से यह नस्ती बनवायी गई थी अतः स्वाभाविक तौर पर यह उनके माध्यम से निदेशक (वैयक्तिक), फिर अवर सचिव (व्यैक्तिक), परिषद के सचिव से होती हुई महानिदेशक के पास गई। उनके हस्ताक्षर हो गये। किसी महान हस्ती ने यह नहीं लिखा कि यह पत्र जिसको लिखा गया है कम-से-कम उसके विचार तो लेवें या जांच हेतु सतर्कता विभाग है उनको यह नस्ती दे देवें। यह सच है मदांध व्यक्ति अपना उद्देश्य देखता है। डॉ. आलम एवं डॉ. पडौदा का उद्देश्य तो मेरे ऊपर जांच बैठाकर मुझ पर दोषारोपण करना था। इसलिए इस नस्ती को



सतर्कता विभाग तक को नहीं दिया गया। सभी इन व्यक्तियों ने तानाशाह की तरह व्यवहार किया। और जांच के लिए अपने अंध भक्तों को लिया जिन्होंने षडयंत्रपूर्वक मेरी अनुपस्थिति में मुझे हटाने हेतु जांच का आदेश निकाला और 2-3 घंटे में जांच पूर्ण कर रिपोर्ट बना दी। संभवतः यह रिपोर्ट उन्हें नये आये अध्यक्ष (कृषि मंत्री) श्री सुन्दरलाल पटवा को देनी थी जो 'चौकड़ी' पर लगे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने पर उतारू थे। अतः मेरे बिना विचार लिये धोखाधड़ी पूर्वक मेरे जांच में उपस्थित (पहुचने) का आदेश निकालकर अपना रिकार्ड पूर्णकर उसी दिन बनी रिपोर्ट को 04.04.2000 को जारी करते हुए श्री सोधी सिंह अवर सचिव (व्यैक्तिक) को पत्र भेजा था।

इस रिपोर्ट में इनके जांचकर्ता सिपहसलारों ने क्या गुल खिलाया था, कैसे अपने आकाओं को खुश करने के लिए झूठ का सहारा लिया था, कैसे उन्हें खुश करके अपने लाभ की लालसा रखी थी, चरित्रावली ठीक रखने की लालसा थी आदि। वह इस रिपोर्ट की चीर-फाड़ से स्पष्ट है।

डॉ. कचरू एवं श्री रवि ने अपनी संयुक्त (सम्मिलित) रिपोर्ट में झूठा लिखा था कि सहायक महानिदेशक (एरिस) ने श्री जोशी को शारीरिक (Physically) रूप से कुर्सी से उठा लिया और धक्का देकर कमरे के बाहर धकेल दिया जबकि न तो शिकायत में और न ही जांच के समय लिखे गये दस्तावेज में श्री जोशी ने ऐसा लिखा था। श्री जोशी ने अपनी शिकायत में लिखा था कि हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। रिपोर्ट में जांच समिति ने लिखा कि पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि मेरे कमरे में ताला बंद रहा और न तो मैं आया और न ही अपने अनुपस्थिति की सूचना दी। जबकि इस बावद् सायं 03.04.2000 को ही उन्हें मेरे द्वारा इसकी सूचना देकर पत्र पावती भी ली गई थी। आगे लिखा गया कि श्री जोशी ने अपने सेवाकाल में कभी कोई शिकायत नहीं की। वह अच्छा एवं योग्य कार्यकर्ता है जबकि इस बावद् क्या आधार है नहीं लिखा गया। इनके द्वारा दी गई सूचना पत्र को प्राप्त करने के बारे में बताया गया था कि श्री योगेश चपरासी ने इसे लिया था जबकि चपरासी को डाक देने का कोई तुक या अधिकार नहीं था। वैसे भी यह चपरासी कई अधिकारियों के लिये काम करता था अतः डाक नही लेता था। इन्होंने एक ओर लिखा था कि मैं उपस्थित न होकर चालबाजी कर रहा था, दूसरी ओर लिखा था कि मैंने खुद ही संध्याकाल पहुंचकर उन्हें पत्र दिया था। अपनी चालबाजी, नाकामी एवं नाइंसाफी को छिपाते हुए इन्होंने आगे लिखा था कि ''मेरी इमानदारी संशयपूर्ण है।'' यह विरोधाभाष इनकी जालसाजी का प्रतीक था। क्योंकि जब इन्हें मेरी अनुपस्थिति के कारण बावद् पत्र उसी दिन (दिनांक 03.04.2000 को ही) मिल गया था (जबकि रिपोर्ट 04.04.2000 को बनाई) तो ये मेरे विचार ले सकते थे, ऐसा नियम भी था किन्तु अपने आकाओं की चापलूसी करने हेतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद इनको ''थोड़ा ज्ञान खतरनाक चीज है'' (Little knowledge is dangerous thing) वाली कहावत याद नहीं थी। इन्हें पता था कि किसी भी व्यक्ति की विभागीय जांच में यदि ''इमानदारी संशयपूर्ण'' पाई जाती है तो उसे नौकरी

से बरखास्त किया जा सकता है। इसी तुक्ष्य ज्ञान (विभागीय जांच क्या होती है इन्हें पता नहीं था) का आत्मसात करते हुए इन्होंने पूरी रिपोर्ट का नतीजा मेरी इमानदारी संशयपूर्ण लिखा था। जबकि इनका जांच करने का मुद्दा था कि क्या मैंने अपने लिपिक को हाथ पकड़कर कमरे से बाहर किया था या नहीं, पर इस जांच में इन्होंने लिखा था ''मेरी इमानदारी संशयपूर्ण है''। इनको यह पता था कि यह मुद्दे से बाहर जांच नहीं कर सकते, किंतु इमानदारी पर यह जानबूझकर लिखा गया था। क्योंकि जबसे श्री नितीश कुमार मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हुए थे 'चौकड़ी' कई बार मुझे काम से हटाती रही थी और 'चौकड़ी' इस बात पर चर्चा करती थी कि किस तरह मुझे नौकरी से बरखास्त किया जा सकता है। बरखास्त करने की कपोल कल्पना में डॉ. काचरू को जांच अधिकारी बनाकर मेरी ''इमानदारी को संशयपूर्ण'' लिखना था, जिस आधार पर श्री नितीश कुमार मुझे सेवा से निकालकर निष्कंटक भ्रष्टाचार चलाते रहते। यह ''इमानदारी संशयपूर्ण'' शब्द उन्होंने (डॉ. काचरू) रट तो रखा था किंतु उन्हें सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों का ज्ञान नहीं था। ये परिषद की सेवा में ही सेवा प्राप्त कर आये थे कभी भी सरकारी विभाग में अधिकारी नहीं बन पाये थे। साथ ही अखिल भारतीय वैज्ञानिक परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर आये नहीं तो राष्ट्रीय अकादमी में कुछ सीख लेते। अतः नियमों पर अपने सीमित (तुक्ष्य) ज्ञान से इन्होंने इस जांच को ही पूर्ण विभागीय जानकारी समझ रखी थी और समझ रहे थे कि उनकी इस रिपोर्ट से उनके आका मेरी नौकरी खा जायेंगे। यद्यपि यह असंभव तब संभव भी था यदि श्री नितीश कुमार परिषद अध्यक्ष बने रहते। किंतु अब तो आंखों से देखने वाले एवं कानों से सुनने वाले श्री पटवा जी मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष पद पर बैठे थे। इस समिति ने तब अपनी इमानदारी नहीं देखी जब अपना पत्र सही व्यक्ति को न देकर एक चपरासी जिसे पत्र लेने एवं पावती देने का अधिकार ही नहीं था दिया, मेरा इस बावद् पत्र भी उन्हें मिला था फिर भी यह माना कि मैं वहाँ उपस्थित था जानबूझकर जाँच में नहीं गया था। अपनी इमानदारी को कूड़े में फेंकते हुए मेरी इमानदारी पर संशय लिखते हुए उन्होंने अपने बास को रिपोर्ट दे दी कि लेलो मेरे आका और मन माफिक डॉ. तोमर को कर दो बरखास्त। इन्हें कोई भी गवाह ऐसा नहीं मिला जिसने हाथ पकड़कर श्री जोशी को बाहर निकालते हुए मुझे देखा हो (यह उन्होंने रिपोर्ट में लिखा) फिर भी लिखा कि मैंने भौतिक रूप से श्री जोशी को उठाया और कमरे से बाहर धकेल दिया। श्री जोशी से यह भी नहीं पूंछा कि तुम पत्रों को कैसे गुमाते थे या जासूसी करते थे जिससे उसकी इमानदारी पर जानकारी प्रस्तुत करते। किंतु यह तो उनके आकाओं के विपरीत जा सकता था। अतः कुंए के मेढक की तरह अपने सीमित ज्ञान से इन्होंने अपने जांच मुद्दे से हटकर मेरी इमानदारी पर संशय प्रकट कर दिया था जिसके आधार पर कोई पक्षपाती ही कार्यवाही करता अतः इस गलत रिर्पोट पर न कोई भी कार्यवाही होनी थी और न हुई (क्योंकि यह नियमानुसार विभागीय जांच ही नहीं थी)। साथ ही इसने मेरी इमानदारी की जगह 'समिति के सदस्यों की 'इमानदारी पर संदेह' सिद्ध होता, जिन्होंने यह जानते हुए कि मैं उनके सामने पत्र पाते ही उसी दिन उपस्थित हो गया



हूँ,उस पर कार्यवाही न कर जालसाजी की एवं 03.04.2000 को जांच पूर्ण कर दिया एवं 04.04.2000 की जांच रिपोर्ट में सब झूठों का पुलिंदा बना दिया। इस व्यक्ति ने अपने चहेते चपरासी के पत्र के बारे में तमाम ऊल-जुलूल प्रश्न पूंछे, पर यह नहीं पूंछा कि क्या पत्र लेने का अधिकार उसे था। या कि क्या दबाववष अथवा लालच देकर तुमसे यह लिखवाया जा रहा है कि तुमने यह पत्र प्राप्त किया। यदि इस अवधि में श्री नितीश कुमार अध्यक्ष होते तो मुझे सेवा से बरखास्त कर दिया जाता (जैसा उन्होंने बाद में अपनी वापसी पर बिना किसी जांच के भी मुझे सेवा से इस पर तब हटा दिया था) कि मेरी वार्षिक प्रगति ठीक नहीं जबकि इस पर अपील करने की अवधि शेष थी और मैं प्रशासनिक ट्रिबुनल, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में 20-30 वर्ष तक दौड़ता रहता और सर्वोच्च न्यायालय से संभवतयाः निर्णय तब होता जब मेरी मृत्यु हो गई होती। जैसा कि बिना जांच के श्री नितीश कुमार द्वारा मुझे सेवा से हटाने (Terminate) वाले दिनांक 31.01.2001 के आदेश पर अभी सर्वोच्च न्यायालय पर प्रकरण चल रहा है, कब निर्णय हो पायेगा पता नहीं, जबकि इसमें प्रषांत भूषण जैसे विख्यात एवं जुझारू वकील पैरवी कर रहे हैं।

'चौकड़ी' यह मन माफिक रिपोर्ट अपने परमभक्त डॉ.राजेन्द्र प्रसाद काचरू से प्राप्त करके भाव विह्वल होकर अति प्रसन्न हुई थी। उसने इससे मुझे रास्ते से हटाने का एक अच्छा अस्त्र मान लिया था। उसे खुशी थी कि अब वह अपने रास्ते के कांटे को हटाकर निस्कंटक भ्रष्टाचार करती रहेगी। इसकी एक झलक डॉ. आलम द्वारा मेरे उस पत्र के लिखे जवाब से मिलता है जिसे मैंने 03.04.2000 को श्री जे. रवि को लिखकर बताया है कि मुझे उस दिन पत्र सायंकाल लगभग 5 बजे मिला था जबकि श्री रवि ने अपने पत्र से मुझे जांच समिति के कक्ष में सायंकाल 3.30 बजे उपस्थित होने के लिए कहा था। इस पत्र की प्रतिलिपि में डॉ. आलम सहित डॉ. काचरू एवं डॉ. पड़ौदा को भी दी थी। इसमें डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने 05.04.2000 को मुझे लिखा था-

''प्रिय श्री तोमर

तुम्हारा श्री जे. रवि उपनिदेशक को लिखा पृष्ठांकित पत्र मुझे मिला। तुम्हारा यह पत्र संचार के उद्देष्य हेतु बहुत छोटा है। मुझे तुम्हारे द्वारा आयोजित किये जा रहे दिनांक 03.04.2000 के किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। कृपया अपना मुद्दा उपसंचालक (व्यैक्तिक) से ठीक करें। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हे 3.30 बजे सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) के पास दिनांक 03.04.2000 को उपस्थित होना था, तुम्हारे पत्र से ज्ञात होता है कि तुम्हें समय पर पत्राचार नहीं मिला। इस पर उपनिदेशक (व्यैक्तिक) को तथ्यों को देखना है एवं उसके अनुसार कार्यवाही करना है।

आदर सहित,

तुम्हारा सच्चा
(अनवर आलम)

प्रति,

डॉ. सदाचारी सिंह तोमर,

सहायक महानिदेशक, भा.कृ.अ. परिषद, नई दिल्ली''

उनके जवाब से मुझे यह भी आधार मिलना था कि उनके द्वारा मुझे जो कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 03.04.2000 को दिया गया था उसको मैं संचालित कर रहा था इस कारण सुबह से पूरे दिन वहां व्यस्त रहने के कारण मेरे कार्यालय का ताला बंद रहा और मैं वहां प्रशिक्षण चलवाता रहा। किंतु ड़ॉ.आलम ने अपने द्वारा दिये गये आदेश कि मुझे कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराना हैं कि जगह यह झूठ लिख दिया कि उसे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। इस कारण जब मैं सायंकाल लगभग 5 बजे आया तब पत्र लिया और उसका जवाब दिया। किंतु डॉ. आलम के मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उघाड़े थे इस कारण वह साफ झूठ बोल गये कि उनके जानकारी में ऐसा कोई कार्यक्रम मैं नहीं कर रहा था। जबकि इसके पूर्व जो इस प्रशिक्षण का कार्य मुझे 03.04.2000 को सुबह से सायं तक सम्पन्न कराना था न केवल उसको मौखिक रूप से बल्कि पूर्णतयाः लिखित देते हुए परिषद मुख्यालय में कोई समस्या न आये ऐसा बढ़िया प्रशिक्षण कराने की उन्होंने मुझे सलाह दी थी। फिर भी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुझे नौकरी से हटाया जा सके, इसलिए वे साफ झूंठ बोल गये थे। मैं समझता हूँ यह झूंठ लिखवाने के लिए उनको 'चौकड़ी' के अन्य सदस्यों ने सलाह दी होगी। कहा होगा आपके एक झूठ से डॉ. तोमर का सारा काम तमाम हो जायेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा आधार नहीं रहेगा जो सिद्ध कर सके कि वह शासकीय कार्य में अन्यत्र व्यस्त था। इस प्रशिक्षण की पूरी रिकार्डिंग भी मेरे पास थी किंतु डॉ. काचरू आदि ने इसे सुना ही नहीं।

चोर-चोर मौसेरे भाई तो होते ही हैं, किंतु कुछ भ्रष्ट लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वे इमानदारों से इसलिए ईर्ष्या, द्वेष या घृणा रखते हैं कि सामने वाला भ्रष्ट क्यों नहीं है, या भ्रष्ट लोगों के खिलाफ क्यों बोलता है। मेरे सहायक महानिदेशक के पद पर चुने जाने के बाद एक वैज्ञानिक डॉ. जे.पी. मित्तल जो अधिकारियों की खुसामदी के लिए एवं अनाप-सनाप कार्य के लिए ख्याति प्राप्त थे ने 15.01.1998 को मेरे खिलाफ एक झूठा पत्र परिषद के महानिदेशक एवं उसकी प्रति अध्यक्ष व सचिव को देते हुए लिखा था कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक को सहायक महानिदेशक के पद के साक्षात्कार के लिए चुना गया हो (जबकि ऐसा होता था), उसको जो पुरस्कार दिये गये उसके लिए कभी उसका चयन नहीं हुआ (जबकि भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा मुझे दो बार सम्मानित किया गया) आदि। यह झूठा पत्र मेरे परिषद में पदस्थ होने के दिन (दि. 15.01.98 को) डॉ. मित्तल द्वारा सीधे (बिना उचित माध्यम के) दिया गया था। यह पत्र डॉ. काचरू (जो यहां सहायक महानिदेशक था) को न तो लिखा गया था और न उसको प्रतिलिपि ही दी गई थी, किंतु उसने इस पत्र को परिषद के महानिदेशक को अग्रेषित किया था, जो नियमों का पूर्णतयः उल्लंघन था। यदि जांच होती



तो डॉ. काचरू को इस षडयंत्र के लिए न केवल सेवा से बरखास्त किया जाता बल्कि, उसे जेल भी जाना पड़ता। यह मैंने सबसे बताया था कि डॉ. काचरू को चुन तो लिया गया था किंतु वह एक भी किताब का लेखक नहीं था, जबकि मैंने 22 पुस्तकें लिखी थी। यह व्यक्ति मुझसे द्वैष रखता था इसी कारण इसने यह षडयंत्र रचा था। किंतु डॉ. पड़ौदा ने पूंछा तक नहीं कि डॉ. काचरू ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसे इसका क्या अधिकार था। ऐसे विद्वेष वाले व्यक्ति को चुनकर डॉ. पड़ौदा ने उसे मेरी जांच का अधिकारी बनाया था। इस षडयंत्र में डॉ. आलम भी शामिल थे क्योंकि उन्होंने मुझे दि. 03.04.2000 को अत्यावश्यक कार्य में लगा दिया था और यहां लिख दिये थे कि उन्हें मालुम नहीं है कि मैं किस कार्य में लगा था। इस षडयंत्र में सर्वश्री पड़ौदा, आलम, काचरू, रवि, जोशी सभी सम्मिलित थे। अन्यथा मुझे सुनने का अवसर अवश्य दिया जाता। इस 'चौकड़ी' की खुसी तब फुस्स हो गई थी जब तमाम प्रयत्न करने के बावजूद इस जांच से मुझे नहीं हटाया जा सका था। उल्टे उन पर तमाचा पड़ा था कि अपनी अज्ञानता जाने कि विभागीय जांच वह होती है जो सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों से हो, चार्जशीट जारी हो, गवाहों का समावेश हो आदि-आदि। किंतु न तो डॉ. काचरू जो वैशाखियों पर चढ़कर चलना जानता था को मालुम था और न ही डॉ. पड़ौदा या डॉ. आलम को। तत्कालीन कृषि मंत्री श्री पटवाजी से उन्हें कुछ सीख मिली हो या नहीं उन्हें नियमों से चलने की सीख जरूर मिल गई थी और भविष्य में मेरे ऊपर लगाई गई जांचों में इस 'चौकड़ी' ने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा ध्यान रखा।

जांच में दूसरा सदस्य श्री जे. रवि था जिसके रहते परिषद में मेरे सहायक महानिदेशक के पद पर चुने जाने के बाद लगभग 5 माह मेरी इस पद पर नियुक्ति में देरी हुई थी जो शायद नियुक्ति में देरी का एक इतिहास है।

## मुझे हटाने के अफवाह का बाजार गर्म

डॉ. काचरू द्वारा 03.04.2000 को की गई जांच होते ही गदगद 'चौकड़ी' ने संभवतयाः देश भर में फैले 437 कम्प्यूटर केन्द्रों में यह प्रचार चालू कर दिया था कि मुझे सेवा से निकालने की नस्ती मंत्रीजी से स्वीकृति हो रही है और आदेश निकलने वाला है। क्योंकि इसके तुरंत बाद ही दिनांक 03.04.2000 को इलाहाबाद कृषि संस्थान से श्री मैथ्थू प्रसाद का मुझे फोन आया था कि मुझे मुअत्तिल (Suspend) किया जा रहा है, ऐसी जानकारी उन्हें परिषद से मिली है। किंतु जब उन्हें इस षडयंत्री जांच पर ऊपर से सहयोग न मिलकर मुंह की खानी पड़ी तो इस जांच सूचना को 'चौकड़ी' ने ठंडे बस्ते में डाल दिया (खत्म नहीं किया)। और जैसे ही मई 2000 में श्री नितीश कुमार जी पुनः मंत्री पद पर आये तो इसको आगे बढ़ाने की सोचा। 'चौकड़ी' को इसका (अवसर का) बहाना भी शीघ्र मिल गया। जब ''द इंडियन एक्सप्रेस'' के 15.05.2000 के अंक में एक भ्रष्टाचार का समाचार छपा जिसका शीर्षक था ''परिषद के वैज्ञानिक को घोटाला उजागर करने के कारण बाहर कर दिया गया (Scientist is shunted out of highlighting ICAR 'SCAM')''। इसमें घपला उजागर करना मेरे द्वारा बताया गया था। इस पर डॉ. आलम से संवाददाता श्री देवेन्द्र

कुमार की बात हुई थी, जिसमें इस उपमहानिदेशक ने धमकाते हुए कहा था कि डॉ. तोमर जो घपलों जो उजागर कर रहा है उसे हम अपने तरीके से निपटेंगे। डॉ. आर.एस. पड़ौदा ने भी अखबार वाले से कहा था मैं इसे सीधे नहीं निपटाता हूँ, विश्व बैंक के अपने नियम हैं हम उससे काम करते हैं। इस समाचार पर कृषि मंत्री के सचिव श्री आर.सी.पी. सिंह ने 19.06.2000 को परिषद के महानिदेशक से विवरण देने को कहते हुए लिखा था कि कम्प्यूटर देने में इतनी देरी हुई कि कीमत आधी हो गई में दण्डात्मक कार्यवाही क्या हुई, जांच नहीं हुआ, प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कम कर दी गई, उन देशों जहां से खरीदी का आदेश न था वहां से खरीदी गई। इस पर 'चौकड़ी' ने लम्बी चौड़ी टीप दी जिसको मानते हुए श्री नितीश कुमार मंत्री ने अपनी दि. 18.07.2000 एवं दि. 29.07.2000 की टीप से सी सी एस (सीसीए) नियमों के तहत जांच बैठाई जिसका आदेश दिनांक 04.08.2000 को निकाला गया। मंत्री की टीप में लिखा गया था कि एक और केंद्रीय सतर्कता आयोग से जांच कराई जाय और साथ ही डॉ. तोमर (मेरी) की प्रेस में सीधे जाने की जांच की जाय एवं इसके साथ ही डॉ. तोमर द्वारा जो घपले कम्प्यूटर के क्रय में किया गया है उसकी भी जांच सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों के तहत की जाय। डॉ. तोमर की जांच डॉ. किरण सिंह उपमहानिदेशक (पशुविज्ञान) करेंगे। इस जांच के चार्ज क्र. 16 में इस लिपिक श्री जोशी के प्रकरण की जांच भी पूरी तरह करने को कहा गया एवं इसके साथ डॉ. काचरू की रिपोर्ट भी लगाई गई।

'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार के द्वारा लगाई गई जांच में वह भी बिंदु लिखा था जिसपर डॉ काचरू ने मेरी 'ईमानदारी पर संदेह' पाया था और उसी आधार पर नियमों के तहत मुझे नौकरी से बरखास्त कराते। किंतु ईमानदार जांच अधिकारी जिसे बार-बार परिषद के सचिव ने जल्द-से-जल्द जांच पूर्ण कराने का न केवल दबाव बनाया बल्कि बीच में ही जांच के बिंदु (मुद्दा) बदलने के पत्र पर पत्र लिखे गये। ऐसे पत्रों पर परिषद सचिव श्रीमती शीष मिश्रा ने जांच अधिकारी को दवाब बना कर एवं गुमराह करके तुरंत जांच रिपोर्ट देने की जिद की थी। किंतु जांच अधिकारी डॉ. किरण सिंह किसी भी हालत में नहीं झुके, तब 'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार से मिलकर एक ऐसा घृणित नाटक रचा जो शायद इतिहास में कम ही ढूंढ़ने को मिलेगा। 'चौकड़ी' की जासूसी कराने की हमेशा ही रणनीति रही थी और इस बार की जासूसी से जब उसे यह ज्ञात हो गया कि डॉ. किरण सिंह जो बिना दबाव के जांच रिपोर्ट देने वाले हैं उसमें 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार का पर्दाफास होगा। तब इस 'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार मंत्री के सहयोग से षडयंत्रकारी योजना बनाकर एक चाल चली। इस योजना के तहत मुझे सहायक महानिदेशक पद से बिना जांच के ही सेवा से (Terminate) हटा दिया गया। और श्री नितीश ने इस हेतु जो कारण दिया वह यह था कि मेरी दो वर्षों की वार्षिक प्रगति-चरित्रावली (जो 'चौकड़ी' सदस्यों ने यहां खराब की थी) खराब है। जबकि नियमानुसार चरित्रावली खराब होने पर किसी को भी सेवा से नहीं निकाला जा सकता। वह भी उस चरित्रावली को खराब लिखने वाले यही डॉ. आलम एवं डॉ पड़ौदा



थे, जिनके भ्रष्टाचार को मैंने उघाड़ा था। और उसी चरित्रावली की जांच का एक बिंदु डॉ. किरण सिंह को जांच के लिए इसी श्री नितीश कुमार ने इसी 'चौकड़ी' के सहयोग से दिया था (करा रही थी)। किंतु जैसे ही सही जांच रिपोर्ट आने की जासूसों से खबर मिली तो श्री नितीश कुमार ने 'चौकड़ी' से मिलकर मुझे दि. 31.01.2001 को हटा दिया, जांच रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा नहीं की गई एवं जब दि. 21.05.2001 को जांच पूर्ण कर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इस खराब चरित्रावली को लिखना ही षडयंत्र पाया एवं 'चौकड़ी' की भ्रष्टाचार की निंदा की तब भी श्री नितीश कुमार ने मुझे सेवा में वापस नहीं लिया, जबकि इस हेतु मैं 5 माह तक श्री नितीश कुमार को लिखता रहा कि जांच अधिकारी ने पाया है कि सभी मुद्दे आधार हीन एवं गलत इरादों से लगाये गये हैं। इसके अधीनस्त कर्मचारी से दुर्व्यहार वाले लांक्षन को भी गलत पाया था। ऐसा था श्री नितीश कुमार का गुण्डा राज।

यही इस 'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार के सहयोग से ऐसी वकीलों वाली संस्था मेरे प्रकरण में लगाई थी जो गड़बड़ झाला के लिए प्रसिद्ध थी। जिसक पूर्व संचालक मे एक इसी उच्च न्यायालय में जज थे और उसके साथ प्रत्येक पेशी के लिए एडीशनल सॉलीसीटर जनरल का उच्च पद वाला वकील लगाने का प्रावधान बना दिया जैसा कि मैं कोई आतंकवादी हूँ या देश द्रोही हूँ। इस समूह के प्रमुख वकील श्री राव ऐसे-2 दाव खेलकर पेशियों पर पेशियां बढ़ाते रहे जिसे देखकर मैं दंग रह जाता था एवं कोर्ट के इमानदार जज झल्लाकर अपना गुस्सा इन पर उतारते थे और इनके गुड़कतान पर इन्हें बार-बार डांटते एवं लांक्षित करते थे। एक घटना का जिक्र करना उचित है जब पेशियों पर पेशियां बढ़ाने का अनुचित साधन श्री राव बढ़ाते जा रहे थे तब न्यायधीसों की टीम ने रू. 5000 का दण्ड जुर्माना परिषद पर लगाया था जिसे परिषद मुझे देती। इससे परिषद के कर्मचारियों को एक तरफ से दण्ड मिलता किंतु श्री राव ने ऐसी चाल खेला कि परिषद से पैसा न दिलाकर स्वतः की कुछ व्यवस्था करा दी। तब इस राशि के गलत भुगतान के मुद्दे को मैंने उच्च न्यायालय में मानहानि का मामला उठाया था। कि श्री राव के कारण कभी भी मेरा प्रकरण सुना जायेगा इसमें मुझे संदेह हो रहा था क्योंकि ये ऐसा तिकड़म करते थे कि न्यायधीश भी दंग रह जाते थे। परिषद द्वारा की गई अकूत राशि के भुगतान की व्यवस्था एवं श्री राव जैसे तिकड़मी वकील की वजह से मेरा प्रकरण उच्च न्यायालय में ही एक युग (लगभग 10 वर्ष) तक चलता रहा। यही नहीं एक दिन ऐसा आया जिसे देखकर शायद मैंने अपना होश-हवास ही खो दिया था जब मेरे प्रकरण में पेशी के दिन मैं न्यायालय कक्ष में घुसा तो पाया कि न्यायधीस की कुर्सी पर यही श्री राव विराजमान थे। मेरे मन में आया था कि मैं चीख पड़ूं और कहूं कि श्री राव कैसे वकील थे जो न्यायालय में न्याय होने ही नहीं देना चाहते थे। भरशक प्रयत्न कर इसमें देरी कराने के लिए विख्यात थे और इस देरी में येन-केन प्रकारेण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इन श्री राव के क्रिया-कलाप का चीड़-फाड़ अभी नहीं अन्यत्र लिखा जायेगा। यहां तो मुख्य रूप से श्री नितीश कुमार जी एवं इनकी 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी एवं जंगलराज का वर्णन ही काफी है।

इसमें डॉ. आर.पी. काचरू ने जो 'चौकड़ी' के हितकारी रिपोर्ट मेरे क्लर्क श्री जोशी के बारे में दी थी वह डॉ. किरण सिंह ने जांच में भी गलत पाया था। इससे जो लाभ डॉ. काचरू ने सोच रखा था कि उसे उच्च पद पर डॉ. पड़ौदा बैठा सकेंगे या रिटायरमेंट के बाद सेवा में किसी तरह बढ़ोत्तरी करेंगे नहीं मिल सका और यह कहावत चरितार्थ हुई ''दोनों दीन से गये पांड़े, हलुवा मिला न माड़े''। तात्पर्य यह कि पंडित जी दोनों ही स्थितियां न पा सके उन्हें हलुआ तो मिला नहीं, चावल के माड़ का प्रसाद भी नहीं मिल पाया।

डॉ. काचरू किसी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी नहीं बन पाये जिसको रेवड़ियों की तरह डॉ. पड़ौदा बांटने में माहिर थे। यदि उसकी रिपोर्ट पर मैं पद से हटा दिया जाता या बरखास्त कर दिया जाता तो निश्चित ही उसे (ड़ॉ.काचरू को) उसके मन माफिक न केवल पद मिल जाता बल्कि यदि डॉ. पड़ौदा रहते तो उसको सेवामुक्ति के बाद सेवा में वृद्धि या सहयोगी पद मिल जाता। और डॉ. पड़ौदा भी वर्षों अपनी सेवा में वृद्धि इसलिए लेते रहते कि मैं दिल्ली में न रहता बल्कि अपने पैत्रिक गांव की जमीन पर हल जोतकर खेती करता होता। इस कारण न तो उनसे संबंधित पी.आई.एल. (जनहित याचिका) डाली जाती न ही अख़बारों में सतत् समाचार से उनके कारनामों का खुलासा होता रहता। डॉ. पड़ौदा ठीक उसी तरह सेवा वृद्धि लेते रहते जिस तरह उनके 'चौकड़ी' के प्रमुख सदस्य डॉ. मंगला राय एक बार जब महानिदेशक एवं सचिव बन गये तब भारत सरकार के सचिव एवं परिषद के महानिदेशक के पद पर रिकार्ड तोड़ सेवावृद्धि ली जो उनके आका श्री शरद पवार जो माने हुए देश के तथाकथित (भ्रष्ट) नेता रहे। जिन्होंने उन्हीं की सेवा में वृद्धि की जो उनकी राह पर चले।

डॉ. किरण सिंह की इस जांच रिपोर्ट (जो डॉ. काचरू की रिपोर्ट का समर्थन नहीं करती थी) से डॉ. आलम भी बहुत आहत हुए थे जिन्होंने डॉ. काचरू द्वारा मेरी अनुपस्थिति में ही जांच पूरी कर दी थी। जबकि मैंने उन्हें लिखित में बताया था कि मैं डॉ. आलम द्वारा सौंपे गये प्रशिक्षण कार्य में उस दिन सुबह से सायंकाल तक व्यस्त था। इस पर डॉ. आलम जिन्हें मेरा समर्थन यह कहते हुए करना चाहिए था कि वे लिखित में मुझे पूर्व से ही यह कार्य सौंप चुके हैं। पर उन्होंने इसमें लिखा था कि मेरे द्वारा आयोजित किये जा रहे किसी कार्य की उनको उस दिन की जानकारी नहीं थी। डॉ. आलम को ऐसा झूठ लिखने का एकमात्र उद्देष्य था कि डॉ. काचरू की रिपोर्ट यथावत मेरे विपरीत बनी रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि मुझे जांच के समय बुला लिया गया तो श्री जोशी से घुमा-फिरा कर प्रश्न पूछ मैं सच निकलवा लूंगा, जिससे यह साफ हो जायेगा कि मैं गलत नहीं था बल्कि 'चौकड़ी' के समझाने पर उसने जासूसी की अब मुझे फंसा रहा था। डॉ. आलम जिन्होंने मुझसे वेशर्मी से कहा था कि 03.04.2000 को ''तुम क्या कर रहे थे यह मालुम नहीं'' जबकि उन्होंने ही इस प्रशिक्षण कार्य को (जो उन्होंने 03.04.2000 के लिए) मुझे सौंपा था तथा उसके सम्पन्न होने के प्रमाण पत्र पर श्री आर.पी.जैन के (06.04.2000 को) हस्ताक्षर होने के बाद उस पर प्रमाणीकरण प्रतिहस्ताक्षर डॉ आलम ने 09.05.2000 को किया था। यह प्रशिक्षण



प्रत्येक साइट में नहीं किया गया था साथ ही प्रमाणीकरण का गलत प्रोफार्मा उपयोग में लाया गया था।

## कम्प्यूटरीकरण जाली प्रोफार्मा एवं हटाने के षड्यंत्र :-

दिनांक 06.04.2000 को मैंने उनके पत्र दिनांक 04.04.2000 का जवाब लिखा था। इस दिनांक 04.04.2000 के पत्र में श्री सोंधी सिंह अवर सचिव (व्यैक्तिक) ने मुझसे मेरी पत्नी द्वारा मंत्री, सतर्कता आयुक्त आदि को 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ करते हुए जो पत्र लिखा गया था उसके बारे में जानकारी मांगी थी। इसका जवाब लिखते हुए मैंने श्री सोंधी सिंह को बताया था कि यह भ्रष्टाचार खुलासा का पत्र जो मेरी पत्नी ने लिखा है इसके बारे में आप ही उनसे दिये हुए पते पर पत्राचार करके उनका विचार ले सकते हैं। इस भ्रष्टाचार की जांच कर अपराधियों को तुरंत दण्ड दिया जाना आवश्यक है।

दिनांक 07.04.2000 को डॉ. अनवर आलम ने मुझे बुलाया और मुझे प्रशिक्षण समूह में जो मैं करा रहा था वहां न बैठने के लिए कहा। मैंने उन्हें बताया कि यह न केवल मेरा कर्तव्य है बल्कि इस बावद् आपने (डॉ. आलम) भी मुझे दिनांक 24.03.2000 के पत्र से लिखकर मुझे दिया है और मैं पूरे प्रशिक्षण समूह का संयोजन कर रहा हूँ। पूरे कम्प्यूटर सेंटर के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे। पत्र तैयार करने हेतु न कोई स्टेनो था न कोई टायपिंग करने वाला। यहां डॉ. आलम संभवतयाः दो कारणों से संयोजन न करने की बात कर रहे थे। एक तो मेरे संयोजन न किये जाने से प्रशिक्षण पूर्ण होता तो उनको कहने को रहता कि मेरे बिना वह काम हो रहा था फिर भी मैं फालतू के काम में वहां गया था, इसीलिए 03.04.2000 का जांच का पत्र मुझे नहीं दिया गया था, बल्कि चपरासी को दिया था। दूसरा कारण था कि मे. सीमेंस जिसके पास प्रशिक्षण की व्यवस्था न थी एवं इसके बावजूद भी उसे प्रतिष्पर्धा से न हटाकर रू. 20 करोड़ का क्रय आदेश दे दिया गया था और वह (मे. सीमेंस) किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षण करवा रहा था जिसका स्तर यथायोग्य नहीं था (यह प्रशिक्षण को सतत् देखने से मैं कह सकता था)। इस स्तरहीन प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कौन कर रहा था, उसका भण्डाफोड़ हो जाता।

दिनांक 10.04.2000 को मैंने परिषद के अध्यक्ष तथा कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरा कार्य यथावत बनाये रखें जो इस प्रकार था-

''प्रति,

माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

''विषयः- मेरा कार्य यथावत बनाये रखने बावद्।

प्रिय महोदय,

जब मैं अपना कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कर रहा था और कुछ करोड़ रूपयों के भ्रष्ट आचरण का विरोध करते हुए महानिदेशक, उपमहानिदेश, राष्ट्रीय निदेशक के समक्ष

अनियमितता को रख रहा था तब मुझे मेरी उस निर्धारित ड्यूटी से अवैध रूप से 27.01.2000 के आदेश से अलग कर दिया गया था। इसीलिए मैंने अपना अभ्यावेदन फरवरी 8 एवं 29, 2000 (प्रतियां संलग्न) को दिया था। इस विषय में आपको भी 14.03.2000 को बताया गया था तब आपने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। वर्तमान में उचित प्रबंध न होने से हमारे कम्प्यूटर नेटवर्क की हानि हो रही है। इस अनियमितता का जो विवरण मुझे मिला था वह लगभग रू. 3 करोड़ का था जिससे मैंने परिषद के सचिव को 22.03.2000 को सूचित किया था (प्रतिलिपि संलग्न)। अतः आपसे निवेदन है कि तुरंत कार्यवाही करें जिससे मेरी ड्यूटी यथावत हो जाये।

आदर सहित,

आपका सच्चा,

(सदाचारी सिंह तोमर)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कृषि राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
2. डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
3. डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. डॉ. मंगला राय, राष्ट्रीय निदेशक परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
5. श्री बी.के. चौहान, सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।''

इस पत्र पर कार्यवाही की संभावना थी क्योंकि मंत्री जी से चर्चा के बाद यह आश्वासन दिया गया था। किंतु इस पर कार्यवाही पूर्ण होती इससे पहले ही श्री पटवाजी चले गये एवं श्री नितीश कुमार जी वापस कृषि मंत्री के पद पर 26.05.2000 को बैठ गये। और 'चौकड़ी' की 'पौ-बारह' हो गई।

मेरे टंकण का काम न होने की बार-बार शिकायत पर 10.04.2000 को शाखा से टीप लिखी गई थी कि मुझे श्री एच.के. जोशी को काम के लिये दिया गया था किंतु वह मेरे द्वारा बाहर किया गया है, इस कारण उसे 'सामान्य पूल' में कार्य में लगा दिया गया है और कमी होने के कारण मुझे क्लर्क नहीं दिया जा सकता। जबकि यह नहीं लिखा गया था कि उसकी जासूसी करके मेरे पत्र गायब करने की (जिससे मुझे परिषद गलत रूप से दण्डित करे) आदत के कारण मैंने इसे बाहर किया था।

इसी नोटशीट पर आगे स्थापना शाखा ने लिखा था कि मुझे दिसम्बर 99 से व्यैक्तिक सहयोगी श्री राम निवास दिया गया है जो अभी भी मेरे पास हैं। किंतु यह नहीं लिखा कि वह अर्द्धविक्षिप्त है, कोई काम करना तो दूर वह परिषद के कोरीडोर में ही घंटों खड़ा रहता है या कार्यालय में घुसकर हानि पहुंचाता है। टीप के लिये इस बिंदु को मुझे भेजा गया था।



मैंने उनको लिखकर बताया था कि स्थिति ऐसी है। बाद में इस मुद्दे की जांच सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम के विषय में हुई थी और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि श्री राम निवास कोई काम करने के योग्य था ही नहीं।

सभी क्षेत्रों (केन्द्रों) में कम्प्यूटर अन्य उपकरणों के साथ में बांटे जा रहे थे तथा उनको संस्थाओं से लगाने एवं चलाने का प्रमाण पत्र हमें प्राप्त करना था, प्रशिक्षण देना था आदि। इसमें गुमराह कर जाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 'चौकड़ी' आतुर थी एवं जाली प्रमाण पत्र बनाकर उसमें हस्ताक्षर लेकर मामला रफा-दफा करना चाहती थी, क्योंकि उसे भी डर हो गया था कि मामला अंतिम छोर तक पहुंचाकर मैं कार्यवाही कराऊँगा। ऐसी स्थिति में केन्द्रों को मार्गदर्शन देना मेरा काम था जिससे वे भ्रमित न हों। इधर मेरी टंकण की सुविधा छीनी जा चुकी थी, अतः मार्गदर्शन का एक माध्यम मैंने ढूंढ़ा था (ई-मेल) क्योंकि कोई पत्र लिखकर भेजने में आवक-जावक (मार्ग) में भी रोक लेने की आशंका थी, अतः इन सबको देखते हुए मैंने 17.04.2000 को एक ई-मेल वाला पत्र देशभर के सभी केन्द्रों को लिखा जो ऐसा था-

''प्रति, दिनांक 13.04.2000

निदेशक, उप कुलपति, कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी,

अखिल भारतीय परियोजना समन्वयक/प्रमुख केन्द्र उपयोगकर्ता

विषय :- कम्प्यूटर उपकरणों, लोकल एरिया नेटवर्क (LAN), नेटवर्क का जुड़ाव आदि का प्रबंधन बावद्।

मैं सभी (अधिकांश) कम्प्यूटर केन्द्रों के प्रभारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा 20.09.99 के पत्र से चाही गई जानकारी प्रस्तुत की। अब आप बोली दस्तावेज (1998-99) में वर्णित सभी कम्प्यूटर उपकरण प्राप्त कर चुके होंगे और उनका मूल रिकार्ड से मिलान कर लिया होगा। यदि अब इनमें कोई बदलाव, एवं मेरे द्वारा 02.06.99 के पत्र में दर्षित खराबी/त्रुटि मिल रही हो तो आपूर्तिकर्ता फर्मों को तथा राष्ट्रीय निदेशक परियोजना को रजिस्टर्ड डाँक से सूचित करते हुए मुझे पत्र की प्रतिलिपि भेजें।

वर्तमान में मुझे बड़ी संख्या में पूरे देश के कम्प्यूटर केन्द्रों से शिकायत मिल रही हैं जिससे आभास हो रहा है कि हमें रू. 2-3 करोड़ की छति हुई है जो अधूरी आपूर्ति, बिल्कुल ही आपूर्ति नहीं, गलत आपूर्ति, साफ्टवेयर की माध्यम (सी.डी. ड्राइव) का न होना, दक्षतापूर्वक नेट-जुड़ाव में कमी, स्थापना के लिए इंजीनियर को न भेजना, प्रत्येक जगह (साइट) पर प्रशिक्षण न देना, कम्प्यूटरों के डिब्बों का बुरा हाल (कई प्रकरणों में कम्प्यूटर बंद डिब्बों में पड़े हैं, खुले भी नहीं), बोगस एवं जाली प्रमाणीकरण प्रोफार्मा जो वेंडर आदि कहीं से आपके पास भेजा गया है इत्यादि।

यह बहुत गम्भीर बात या सूचना है कि किसी ने प्रोफार्मा अवैध एवं संदेहात्मक तरीके से बनाकर भेजा है जो न केवल वेंडर्स को अवैध लाभ देंगे बल्कि हमें करोड़ों रूपयों की हानि हो

रही है। इसके साथ ही पूरे देश के सम्पूर्ण कम्प्यूटर नेटवर्क प्रभावित होगा। यहां कुछ बिंदुवार उनकी सूचना दी जा रही है जिन बिंदुओं को अवैधानिक कांटाछांटा गया है। ये बिंदु हैं-

बिंदु 1(डी) जहां कम्प्यूटर उपकरणों की तादाद लिखनी है वहां अब जाली प्रोफार्मा के अनुसार इसे परिशिष्ट में जोड़ना है जिसमें परिवर्तन की आशंका है, क्योंकि यहां कहीं हस्ताक्षर नहीं करना है। अन्य सभी बिंदुओं के लिए (बिंदु 3 को छोड़कर) जो स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की पूर्ति न होने पर राशि वसूलने से संबंधित है, समय पर आपूर्ति एवं स्थापना के लिए बाध्यता, प्रशिक्षण के उपरांत दिये जाने वाला प्रमाण पत्र, देरी से प्रदाय के समय को और बढ़ाना (इन बिंदुओं को मूल प्रोफार्मा में खाली छोड़ा गया था जिसमें कम्प्यूटर प्राप्त करने वाले इसे ठीक से भर सकें) आदि को अब यह लिखा गया है ''दिल्ली स्थित परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसे पूर्ण भरेगी।'' यह क्या जादू है कि प्राप्तकर्ता के द्वारा पाई गई कमी जो सुदूर केन्द्रों (जैसे गोवा, पोर्ट ब्लेयर, झरनापानी, श्रीनगर, कुरसम्वापेट, सीधी आदि) में पाई गई है। दिल्ली में बैठा व्यक्ति या केन्द्र अपने आप कैसे जान पायेगा जब तक उन्हें यह लिखने की छूट न दे दी जाय कि वह स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित प्रोफार्मा में इसे भर सके। किंतु इस जालसाजी की कार्यवाही से हमारे कम्प्यूटर केन्द्रों से जो अंतिम बिंदु पर कम्प्यूटर प्राप्तकर्ता है नहीं भरेंगे बल्कि उनसे मात्र यह कहा गया है कि प्रोफार्मा में हस्ताक्षर कर इसे वापस भेज दें। यद्यपि मूल प्रोफार्मा में कोई परिवर्तन अवैधानिक है, पर यहां यह रुचिकर (देखने योग्य है) है कि इस प्रोफार्मा में सभी कुछ परिवर्तित कर दिया गया है। प्रमाण पत्र देने के पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करना था, वह भी इस जाली प्रोफार्मा के द्वारा अब नहीं होगा।

अतः आपसे निवेदन है कि आप मूल प्रोफार्मा जो आपको (कम्प्यूटर केन्द्रों को) 02.06.99 के पत्र से हमने भेजा है उसका उपयोग करें। सुविधाओं की कमी के कारण मैं आपकी सभी पूंछतांछ का उत्तर नहीं लिख सकता। इसे तथा समस्या की गम्भीरता को देखते हुए कृपया सावधानीपूर्वक ऐसे सभी उपाय करें और अपने से संबंधित एवं जानकार अधिकारियों को इन सही उपयोग को बतायें। कुछ कम्प्यूटर केंन्द्रो द्वारा यह सही प्रमाणीकरण का प्रोफार्मा जो मेरे द्वारा दिनांक 02.06.99 को भेजा गया था कम्प्यूटर प्रदाय एवं प्रशिक्षण के बाद भर दिया गया होगा। यह प्रमाणीकरण एवं अन्य विवरण कृपया मुझे जल्द ही भेज दें। उन जिन लोगो ने उचित प्रोफार्मा का उपयोग नही किया वे भी यही फार्म भरकर हमें भेज दें। कम्प्यूटर उपकरणों में जो त्रुटियां हैं वे वेंडर्स द्वारा शीघ्र ही ठीक की जानी हैं। यदि तुरंत सुधारनें या बदलने में देरी होती हैं तो उसमें रू.500 प्रति दिन प्रतिनग के हिसाब से दिसम्बर से दण्ड़ देय होगा। यह दण्ड़ वारंटी या वार्षिक रखरखाव अवधि में बैंक ग्यारंटी से लिया जायेगा। इस बिंदु पर कार्यवाही करें। किसी त्रुटि या समस्या बाबद हमें भी सूचित करें।

अभी तक आपने ईमेल या इंटरनेट से कम्प्यूटर नेट की सफलता जो हमारा मूल उद्देश्य है का जुड़ाव (Connection) स्थानीय राष्ट्रीय सूचना केंद्र या दूसरे सेवा प्रदाता से लिया होगा। कृपया हमें 'नेट' के सेवा प्रदाता का पता भेजें। आपके स्तर से ईमेल मिलने



पर हम देश के दूसरे कम्प्यूटर केंद्रो का एवं 'लिस्टसर्व' का पता भेजेगें जिससे आप अपनी तकनीकों की जानकारी जो नेटवर्क से सम्बद्ध हैं का विवरण ले सकेंगे।

एक बहुत ही आवश्यक निर्देश जो पूर्व के पत्र से आपको भेजा गया था वह था कि प्राप्त हुए कम्प्यूटर उपकरणों के वेंड़र्स से मिलते ही जितना जल्द हो सके स्थापित करालें। यदि इसमें देरी होती हैं तो यू.पी.यस. की बैटरी, प्रिटंर के टोनर काट्रेज आदि में खराबी आ सकती है। इस तरह समय पर कम्प्यूटरों की स्थापना उतनी ही आवश्यक है जितनी उनका ईमेल या इंटरनेट से जुड़ाव। उचित अर्थिंग,साकेट,विद्युत जुड़ाव इत्यादि कम्प्यूटर उपकरणों के लियें रीढ़ की हड़्ड़ी हैं इसलियें कृपया उन्हें सही बनायें रखें।

इसी तरह प्रणाली से प्रत्येक साइड़ पर कम्प्यूटरों से जुड़ा प्रशिक्षण वेंडर से ले लें, जो संविदा की एक मूल शर्त है इसके बाद ही पूर्णता प्रंमाण पत्र देना है। (जिसको जाली प्रमाण पत्र में जारी करने हेतु, इसमें सही का चिन्ह लगाने हेतु कि 'प्रशिक्षण अभी भी होना शेष है' ये विकल्प दे दिया गया है)। इससे उचित प्रमाणीकरण प्रोफार्मा में दें, इससे कार्य चलायें रखने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण या कम्प्यूटरों की आपूर्ति तथा स्थापना में देरी हो तो फर्मो को लिखकर उस पत्र की प्रतिलिपियां हमें दें। इस प्रशिक्षण की कीमत (भुगतान) स्वतः ही कम्प्यूटर उपकरणों की खरीदी आदेश के साथ ही जोड़कर दे दी गई हैं। कृपया याद रखें की सूचना टेकनालाजी एक नई विधा होने के कारण इसके प्रशिक्षण में या इसके प्रशिक्षण प्राप्त करने में किसी भी तरह की लापरवाही बरतना आपके पूरे नेटवर्क के असफल होने का कारण बन सकता है। यह प्रशिक्षण बोली दस्तावेज के संविदा की विशेष शर्त' ''25'' के आधार पर है, जिसमें लिखा है ''प्रत्येक हार्ड़वेयर एवं साफ्टवेयर के स्थापना हेतु आपूर्तिकर्त्ता फर्म निंधारित क्रेता के तकनीकी एवं अंतिम छोर में बैठे उपयोगकर्त्ता व्यक्ति को पूर्ण प्रणाली के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु प्रशिक्षण देगा।''

ऊपर वर्णित प्रशिक्षण के साथ ही और भी उपयोगकर्त्ता का प्रशिक्षण आवश्यक है। कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी, पुस्तकालय प्रभारी या अन्य योग्य कार्यकर्ता (अधिकारी) भी अपने स्टॉफ हेतु आंतरिक प्रशिक्षण देने के लिए सहयोगी हो सकते हैं जिससे समुचित नेटवर्क चलता रहेगा। इस तरह सुरक्षा कवच की दूसरी पंति भी बनी रहेगी।

उन कम्प्यूटरों में जहां लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) कार्यरत है वहां कम्प्यूटरों की जांच करें कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा या दूसरे कार्यकारी चीजें हस्तांतरित हो सकती हैं। या यदि यह क्रियाशील न हो हो कृपया वेंडर्स से सम्पर्क (जिन्होंने यह कार्य किया है) करें और इसे क्रियाशील बनायें, जिसके प्रत्येक बिंदु (नोड) से कम्प्यूटर नेटवर्क उचित रीति से चलता रहे। यदि लैन में कुछ भी गड़बड़ियां आती हैं और उन्हें प्रारंभिक स्थिति में ठीक नहीं किया जाता तो इससे नेटवर्क को लोकप्रिय एवं नेट को उपयोगी बनाने हेतु लम्बी दूरी (अवधि) का प्रभाव डालेगा। पुस्तकालय किसी भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन की रीढ़ की हड्डी है अतः यहां नेटवर्क का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें।

पुस्तकालय के साहित्य का नेटवर्किंग से जुड़ने से वैज्ञानिक, अध्यापक, विद्यार्थी आदि को लाभ मिलेगा। उपयोगी साहित्य और संगठन के संदर्भित सामग्री को नेटवर्क से जोड़ने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी को यह सुनिष्चित करना है कि उसके कर्मचारियों के लाभ के लिए सर्वोत्तम नेटवर्क उपलब्ध हो।

कम्प्यूटर नेटवर्क को ऐसा क्रियाशील बनाने हेतु प्रयत्न आवश्यक हैं, जिससे अंतिम रूप से किसान एवं अन्य अंतिम छोर के उपयोगकर्ता इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सकें। प्रावधान के अनुसार पूरे देश के कृषि क्षेत्र में इस कम्प्यूटर नेट का लाभ लेना चालू हो, इस हेतु रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य विस्तारकर्ता माध्यमों का सहयोग लिया जा सकता है।

अब क्योंकि हम आगामी वर्षों के लिए आपूर्ति की योजना बना रहे हैं अतः आपके पास जो कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण उपलब्ध हैं, उसमें किस तरह की त्रुटियां आई हैं और उनकी स्थिति क्या है और प्रत्येक कम्प्यूटर उपकरण जो आपके पास उपलब्ध हैं उसका विवरण समुचित प्रोफार्मा जो मेरे पत्र दिनांक 02.06.99 में संलग्न किया गया था, उसमें भेजें। इस बावद आपकी किस तरह की आवश्यकता है यह भी बतायें।

यह पत्र (ई-मेल) आपके पास इस अवधारणा के साथ भेजा जा रहा है जिससे आप और आपका कार्यालय जहां हम कम्प्यूटरों की आपूर्ति कर रहे हैं वहां कार्यक्रम का क्रियान्वयन विशेष सावधानी के साथ करें। क्योंकि ऐसी कुछ विशेष न रोकी जा सकने वाली परिस्थितियां एवं सुविधाओं में कमी आ गई हैं जिससे इस पत्र को सभी के पास जिनके पास ई-मेल की सुविधा नहीं है या जहां ई-मेल कार्य नहीं कर रहा है, मैं वहां पर यह पत्र नहीं भेज पा रहा हूँ, इसलिए यह भी निवेदन है कि कृपया इसका प्रिंट निकालकर या छापकर या इसे अग्रेषित कर अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुसंधान एवं क्षेत्रीय स्टेशनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, अखिल भारतीय समन्वयन अनुसंधान परियोजनाओं, संयुक्त संचालकों, विस्तार विभागों जहां हम कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण भेज रहे हैं, या कम्प्यूटर नेटवर्क हेतु लोकल एरिया नेटवर्क की राशि भेज रहें हैं, को यह विवरण पत्र भेज देवें। आपकी ओर से शीघ्र कार्यवाही आपेक्षित है।

धन्यवाद,

आपका सच्चा (सदाचारी सिंह तोमर)''

यह पत्र जब मुझे टंकण के लिए कोई व्यक्ति न दिये जाने या टंकित पत्रों को आवक-जावक से निकालने आदि की समस्या पैदा हो गई थी तब धीरे-धीरे मैंने खुद कम्प्यूटर में टायपिंग करके ई-मेल से निर्देश भेजना आवश्यक समझकर ऐसे पत्र भेजने लगा था। इससे यह भी लाभ था कि अपने कम्प्यूटर केन्द्र के 'सर्वर' तक मेरी पहुंच थी अतः ई-मेल के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने में कठिनाई नहीं थी। साथ ही मेरे साथ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की एक इकाई जुड़ी थी उससे तकनीकी सहयोग भी मिल जाता था। किंतु पत्रों के द्वारा जो सुदूर केन्द्रों तक सूचना भेजी जा सकती थी वह अब वहीं तक सीमित हो गई थी,



जहां कम्प्यूटर नेट ई-मेल भेज सकता था। यद्यपि इससे भी शनैःशनैः अवरोध होने लगा था फिर भी मुझे सेवा से हटाने तक यह आश्रय कुछ-न-कुछ काम करता रहा। प्रमाणीकरण का 'जाली' प्रोफार्मा जो 437 केन्द्रों तक पहुंचाकर वेंडर को अवैधानिक लाभ पहुंचाया गया था, इसकी जानकारी मंत्री, सचिव, महानिदेशक आदि तक भेजकर मैंने इन सबको इसका जिम्मेवार बना दिया था। इससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि यदि सही जांच हुई तो ये सब लपेटे में आ जायेंगे।

दिनांक 13.04.2000 को लोकसभा प्रश्न का उत्तर बनाना था साथ ही पिछले दिनों की कई नस्तियों को आवक-जावक रजिस्टर के माध्यम से भेजना था। इसी कारण मैंने अपने अधीन कम्प्यूटर केन्द्र के स्टॉफ को बार-बार बुलाया किंतु किसी ने न तो सुनना चाहा और न ही काम के लिए आये। यह 'चौकड़ी' का षडयंत्र था जिससे लोकसभा प्रश्न का उत्तर समय पर न जाने का दोष मुझ पर मढ़ा जा सके। क्योंकि प्रश्न का उत्तर तभी दिया जा सकता था जब मेरे कम्प्यूटर केन्द्र की नस्तियां मुझे मिलें। अतः मैंने स्वतः आवक-जावक संभाग और जो जैसा बन पड़ा उसका विवरण बनाकर परिस्थितियां लिखकर आगे नस्तियां, लोकसभा प्रश्नोत्तर बढ़ाते हुए उनसे पावती ले ली। प्रमाणीकरण प्रोफार्मा पर 24.04.2000 को डॉ. आलम से काफी चर्चा हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वह पुनः पुराना प्रोफार्मा चालू कर लेंगे किंतु ऐसा नहीं हुआ।

दिनांक 13.04.2000 को डॉ. प्रेमलाल गौतम निदेशक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, परिषद मुख्यालय में नेशनल डायरेक्टर (एन.ए.टी.पी.- राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना) के पद पर पदस्थ हुए।

वस्तु या सामान (कम्प्यूटर) कई जगह पहुंच चुके थे, केन्द्रों से इन्हें स्थापित करने के पत्र लिखे गये थे, किंतु वेंडर्स इनकी स्थापना करना ही नहीं चाहते थे। वे सोच रहे थे कि इनके देरी करने से केन्द्रों के प्रभारी स्थानीय जानकारों से कम्प्यूटर उपकरण चालू करा लेंगे, वेडर्स 'चौकड़ी' से मिलकर प्रशिक्षण न करायेंगे तथा वार्षिक रखरखाव किये बिना ही एवं आधा अधूरा प्रशिक्षण देकर ये सम्पूर्ण राशि डकार जायेंगे। ऐसा ही उन्होंने पूर्व की परियोजना के समय किया था। न तो पूरी तरह कम्प्यूटर उपकरण स्थापित किया, न प्रशिक्षण दिया और न ही रखरखाव किया। सबसे ज्यादा चतुराई रखरखाव वाले मद में की जाती है। इससे बोली लगाते समय रखरखाव की राशि सबसे कम रखी जाती थी, जिससे उनका बोली दस्तावेज सबसे कम मान लिया जाय और उसको क्रय आदेश मिल जाय। बाद में रखरखाव करते ही नहीं थे पर मुख्यालय से इसकी राशि डकारने की प्रक्रिया चालू कर लेते थे। इनके इस पूरी जालसाजी का अनुभव मैं पूर्व की परियोजनाओं की समीक्षा कर, यही बात ''राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना'' की सबके सामने रखी थी, किंतु यहां 'चौकड़ी' को अपने लाभ से मतलब था। कम्प्यूटर जहां पहुंच चुके थे, वे सभी केन्द्र बार-बार मुझे लिख रहे थे कि उनके बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वेंडर इन्हे लगाने (स्थापित करने) नहीं आ रहे। यद्यपि लगाने में देरी करने से दण्ड का प्रावधान था।

## जालसाजी पर दण्डात्मक कार्यवाही की आवश्यकता एवं अपेक्षा :-

किंतु यहां 'चौकड़ी' को अपने लाभ से मतलब था। कम्प्यूटर जहां पहुंच चुके थे वे सभी केन्द्र बार-बार मुझे लिख रहे थे कि उनके बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वेंडर इन्हें लगाने (स्थापित करने) नहीं आ रहा है। यद्यपि लगाने में देरी करने से दण्ड का प्रावधान था। पर 'चौकड़ी' का बरदहस्त होने से कोई हांथ भी नहीं लगा रहा था। ऐसे समय में बड़ी संख्या में हमारे केन्द्रों से न केवल मुझे पत्र आ रहे थे बल्कि टेलीफोन से भी चर्चाकर दबी जुबान से कई यह कह रहे थे कि वेंडर बिना दण्डात्मक कार्यवाही किये कभी भी कम्प्यूटरों की न तो स्थापना करेंगे और न ही पूरा प्रशिक्षण या वार्षिक रख-रखाव करेंगे। मेरे यहां रहते प्रशिक्षण का काम तो कुछ हुआ, किंतु बाद में रख-रखाव में ऐसा नाटक हुआ कि वह भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार का इतिहास हो गया। दिनांक 25.04.2000 को अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मैने दण्ड़ात्मक कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय निदेशक को पत्र लिखा जो इस प्रकार है-

''प्रति दिनांक : 25.04.2000

डॉ.पी.यल.गौतम,

राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि टेक्नोलाजी परियोजना,

लालबहादुर शास्त्री बिल्डिंग, भा.कृ.अ.सं.परिसर (नई दिल्ली),

विषय :- वेंड़र से ऐसे उपकरण (कम्प्यूटर) के लिये रू.1करोड़ का दण्ड़ रोपण जो उपलब्ध कम्प्यूटरों को वेंड़र द्वारा (अक्षमता) न चलाने के कारण है। (बोली दस्तावेज की विषेष संविदा शर्तो का बिन्दु 10 रख-रखाव खंड़ 15.7, सेक्शन V)।

महोदय,

मैने पूर्व में अपने पत्रों दिनांक 21.09.99, 01.10.99 आदि से परियोजना को सूचित किया था कि वेंड़र्स से लिक्वीड़ेटेड़ ड़ैमेज एवं पेनाल्टीज इत्यादि के मद में रू.1.4 करोड़ की राशि वसूली (वापसी) (recovery) करनी है। इसको तब-तक बढ़ाना है जब तक वे कम्प्यूटर उपकरणों की आपूर्ति नहीं कर देते। इसी तरह अन्य पत्र से संबंधित टीप दिनांक 09.09.98, 15.02.98 आदि से अनियमितता के प्रकरण की सूचना परिषद के महानिदेशक,उपमहानिदेशक (इंजीनियरी),परियोजना के लिये संदर्भ को भी देखा जाय।

वर्तमान में मैं आपके समक्ष दूसरे दण्डों की वापसी (वसूली) जो वेंड़र्स से करनी है, जो कम्प्यूटरों को स्थापित किये जाने से संबंधित है तथा जिसका संबंध प्रमुख रूप से कम्प्यूटर आपूर्ति के बाद भी महीनों तक नहीं लगाये जाने से है,साथ ही अनुबंध 15.73 में रख-रखाव सेवा खंड के अनुरूप दुरस्ती न कर सकने के कारण प्रस्तुत है। कम्प्यूटर उपकरणों की स्थापना जो कि वेंड़र की अक्षमता के कारण नहीं हो पाई और यहां ज्यादातर अनुपयोगी पड़े हुए हैं जिसमें दण्ड़ का प्रावधान रू.500 प्रतिदिन प्रति नग की दर से है। यद्यपि ये सेवा रख रखाव के अन्तर्गत हैं, परंतु यहां पर यह ''कम्प्यूटर अनुपयोगी पड़े हैं



एवं वेंड़र इनकी स्थापना ही नही कर रहा'' के मद मे आते हैं, जिसका परिणाम कम्प्यूटरों की अक्रियशीलता है और यह वेंडर के कारण है। विभिन्न कम्प्यूटर केंद्रों जहां से हमें शिकायती विवरण मिले हैं उनमें से सुल्तानपुर, रानीपूल, सोजिवा, राहुरी, धारवाड़, कोयम्बटूर, वाराणासी, इलाहाबाद, नागपुर, उदयपुर, गोनिकाप्पल (कर्नाटक), रानीताल, सीधी, कानपुर, रांची, मुरैना, सोलन, ईज्जतनगर, इंदौर, फरह, उमियम, अकोला, झालावाड़, हैदराबाद, मुम्बई, परभनी, पांडीचेरी, बैरकपुर, कलकत्ता, हिसार, फुलवाड़ी सरीफ, पंतनगर, जबलपुर, करनाल, खुर्द, हेब्बाल, दीसा, चोमू, दुर्ग, परिषद मुख्यालय दिल्ली, सिंधेवाती, पेड़ाभेगी, फैजाबाद, गोवा आदि केन्द्र हैं, जिनमें निंधारित दर से रू. 89.32 लाख का दण्ड़ आरोपित किया जाता हैं।

यद्यपि मुझे बड़ी संख्या में शिकायतें विभिन्न केंद्रो से प्राप्त हो रही हैं जिनका विवरण ऊपर दिया गया हैं, किंतु मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई क्लर्क सेक्शन,वैयक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर या अन्य कोई भी व्यक्ति नही हैं जिसके कारण मैं इन प्रकरणों का निराकरण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंर्तगत आनेवाले कम्प्यूटर केंन्द्र का स्टाफ जो अधिकृत रूप से मेरे अर्न्तगत है वह अब सीधे ही कार्यालयीन आदेश निकालने से सीधे ही उपमहानिदेशक को रिपोर्ट कर रहा है। अतः कोई भी सहायक महानिदेशक को (मुझे) नहीं सुन रहा है। यह प्रक्रिया तब से चालू की गई है जब से मैंने वेंड़र्स पर उनकी अनियमितता हेतु दण्ड़ारोपण चालू किया है। अतः परियोजना से ही पूर्व की तरह कोई जनशक्ति दे दी जाय (जैसा कि पूर्व में थोड़े समय के लिये एक क्लर्क भेजा गया था) यह भी परियोजना हेतु उचित होगा, वह सीधे भी कम्प्यूटर केंद्रो से कम्प्यूटरों की स्थिति के बारे मे सूचना भेजे (जैसा कि मैंने कम्प्यूटरों की अंतिम फेस की आपूर्ति के समय किया था)। यद्यपि इन प्रकरणों को निपटाने हेतु उपमहानिदेशक मुझे लिखतें हैं ''यह कार्य हमें नहीं दिया गया'' (जबकि यही मूल ड्यूटी सहायक महानिदेशक की है)। यदि हमें सुविधायें दी जायें तो हम इसे ज्यादा आसानी से कर सकते हैं (जैसा कि पूर्व में मेरे द्वारा किया भी गया हैं)। एम.एस. ऑफिस (साफ्टवेयर) को सी.डी.रोम में नहीं दिया जाना एक गम्भीर शिकायत है। वेंडर को प्रत्येक एम.एम. ऑफिस को सूट 97 प्रोफेशनल के साथ हो अथवा वर्तमान सी.डी.रोम माध्यम जो पूर्ण स्तरीय मैनुअल के साथ हो को प्रदाय करना था परंतु ऐसा नही किया गया।

यह दण्ड बढ़ेगा और जितने और दिनों की देरी से स्थापना होगी उस पर निर्भर करेगा। अतः उपरोक्त दण्ड का संशोधन होगा। वर्तमान में मेरे पास सुविधाओं की कमी होने के कारण मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ। अभी यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक कम्प्यूटर केन्द्र से मेरे द्वारा दिनांक 20.09.99 को भेजा गया प्रोफार्मा पूर्णरूप से भरवाकर पूरा विवरण मंगा लिया जाये।

फर्म मे. सीमेंसे द्वारा प्रदाय किये जा रहे कम्प्यूटर डिब्बों के साथ में जो जाली **प्रोफार्मा** (प्रमाणीकरण हेतु) **मूल प्रमाणीकरण प्रोफार्मा** की जगह भेजा जा रहा है उसको देखते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करने की तुरंत आवश्यकता है। इस प्रमाणीकरण प्रोफार्मा से प्राप्तकर्ता को पंगु बना दिया गया है जिसमें न तो प्राप्ति का विवरण है और न ही इसमें उसको (प्राप्त कर्त्ता) अपना मत देना है। इसमें प्राप्तकर्ता को मात्र हस्ताक्षर कर

वापस उसे देना है। इसकी सूचना मिलते ही मैंने कम्प्यूटर केन्द्रों को ई-मेल भेजा है।

यह निवेदन किया गया है कि हमारे कम्प्यूटर केन्द्र सतर्क रहें। इसमें हमारे द्वारा जारी पत्रों दिनांक 02.06.99 एवं 20.09.99 को देखा जाये।

कम्प्यूटर केन्द्रों से यह अपेक्षा है कि वे वर्तमान में प्राप्त कम्प्यूटर आदि की स्थिति का विवरण उस मूल प्रमाणीकरण प्रोफार्मा में भेजें जो इसके साथ हमारे द्वारा दिया गया है। प्रत्येक पत्र जो भेजा जा रहा है में यदि ई-मेल पता उपलब्ध है तो उसे लिखा जाये। वेंडरों को कोई भी राशि भुगतान के पूर्व पूरी-2 दुरुस्ती करा लेना योग्य होगा।

आपके स्तर से शीघ्र कार्यवाही आपेक्षित है।

आदर सहित,

आपका सच्चा

(सदाचारी सिंह तोमर)

प्रतिलिपिः-

1. माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
2. माननीय कृषि राज्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
3. डॉ. आर.एस. पड़ौदा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
4. श्री बी.के. चौहान, सतर्कता अधिकारी एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
5. सभी संबंधित कम्प्यूटर केन्द्र, वित्त निदेशक परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
6. डॉ. अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद''

इस पत्र का जवाब चौकड़ी ने इतना तक नहीं दिया कि जाली प्रमाणीकरण प्रोफार्मा नहीं भेजना चाहिये । यह इसलिए कि परिषद में ही 'चौकड़ी' द्वारा यह जाली प्रोफार्मा, मूल प्रोफार्मा से तब बनाया गया था जब वेंडर्स ने उसे आदेशित किया था। आदेश इसलिए कि वेंडर जैसा चाहते थे वह चौकड़ी कर देती थी तभी वेंडर उन्हें संतुष्ट (खुश) करते थे। मूल प्रमाणीकरण प्रोफार्मा बोली दस्तावेज में इसको बनाते समय ही निर्धारित कर लगा दिया जाता था, जिससे वेंडर घपला न कर सकें। किंतु यहां तो उलटी गंगा बह रही थी। चारों तरफ भ्रष्टाचार का ताण्डव था। मुझे देश भर में फैले 417 कम्प्यूटर केन्द्रों में से अधिकतर से मिलने वाले शिकायतों का अम्बार लग गया था, किंतु लिपकीय तथा टंकण की व्यवस्था नहीं मिल पाई थी, तब दिनांक 26.04.2000 को मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री. बी.के. चौहान, सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को एक पत्र पुनः लिखा जिसमें लिखा था-

विषय - सहायक महानिदेशक-कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के लिए व्यैक्तिक सहायक, टायपिस्ट की व्यवस्था करने हेतु निवेदन।

प्रिय महोदय,

दिसम्बर 1999 में श्री राम निवास व्यैक्तिक सहायक को मेरे साथ पदस्थ करने के



बाद ही उसने कोई भी टायपिंग कार्य करने से मना कर दिया था। इसकी चर्चा आपसे तथा उप सचिव (प्रशासन) से हो गई थी। तब सीघ्र ही उसे लिपिक श्री एच.के. जोशी से बदल दिया गया था। श्री जोशी को देरी से आने के कारण दि. 15.03.2000 से सतत उपस्थिति रजिस्टर में मैं अनुपस्थित चिन्हित करता रहा। इस तरह उसने दि. 22.03.2000 को मेरे यहां से काम छोड़ दिया। श्री जोशी के मेरे पास पदस्थ होने के बाद श्री राम निवास मेरे पास कभी भी नहीं आया। क्योंकि मुझे पत्रों को भेजने हेतु टंकण करने वाले की व्यवस्था चाहिए है, अतः मुझे काम करने वाले टायपिस्ट की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जब मैंने आपसे चर्चा की तब उप सचिव प्रशासन ने दि. 20.04.99 को अवर सचिव, शाखा अधिकारी आदि के साथ ही टीप दी कि ''श्री राम निवास वैयक्तिक सहायक अभी भी सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) के साथ पदस्थ हैं।'' यह एक अनदेखी (Eyewash) है क्योंकि जब उसे श्री जोशी से बदल दिया गया था, तब वह मेरे साथ कैसे हो सकता है?

कृपया आप, श्रीनिवास कहाँ है, यह देखें और उस पर जो भी कार्यवाही करना चाहें करें एवं मुझे काम करने के लिए कोई स्टॉफ देवें, क्योंकि मेरे पास काम हेतु कोई भी सहायक उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदन है कि रामनिवास को पुनः मेरे पास पदस्थ न करें क्योंकि उसको काम करना आता ही नहीं और वह स्वतः ही काम करने से मना कर चुका है। कृपया अपने उप सचिव (प्रशासन), अवर सचिव, शाखा अधिकारी आदि को यह निर्देशा दें कि वह भविष्य में यह न लिखें कि श्रीनिवास मेरे पास पदस्थ है, क्योंकि दिसम्बर में ही आपने चर्चा के बाद उसे बदल दिया था।

आदर सहित,

आपका सच्चा

(सदाचारी सिंह तोमर)

**प्रतिलिपि :-**

1. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. उप महानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3. सर्वश्री एन.एस. रंधावा, उपसचिव (प्रशासन), ए.सी.घोष, अवर सचिव (प्रशासन), शाखा अधिकारी स्थापना-2 एवं 3, सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) एवं श्री जे. रवि-

कृपया आप अपने पत्र एवं मेरे जवाब दिनांक 03.04.2000 पर शीघ्र कार्यवाही करें''

मेरे इस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि 'चौकड़ी' की परिषद में इतनी मजबूत पकड़ थी कि उसकी सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। चौकड़ी ने अनाप-सनाप बिना वरिष्ठता के भी कई कर्मचारियों को पदस्थ कर रखा था। यह 'चौकड़ी' किसी भी तरह मुझे काम करने वाला व्यक्ति नहीं देना चाहती थी, जिससे भ्रष्टाचार (अनियमितता) की शिकायतों पर कोई कार्यवाही न हो सके और उसके वेंडर्स बचे रहें। इसी तरह सहायक महानिदेशक (डॉ. आर.पी. काचरू) एवं श्री रवि को भी अपनी जांच रिपोर्ट एवं मेरे द्वारा उनको दिये गये दिनांक 03.04.2000 के पत्र पर कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर अपने आका को खुश करने हेतु यह नाटकीय रिपोर्ट प्रस्तुत

की थी, जिससे मुझे परिषद की सेवा से बरखास्त किया जा सके। इसलिए मेरी ईमानदारी पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर रिपोर्ट दी थी। अर्धविक्षिप्त श्री राम निवास को मेरे साथ पदस्थ किया था जो कभी आता तो कमरे के कागजात भी गडबड करने में नहीं हिचकिचाता था। वह हमेषा परिषद के गलियारों के चौराहे पर घंटों एक जैसी स्थिति में खड़ा रहता था।

'चौकड़ी' के हौसले इतने बुलंद थे कि वह अपने किसी भी काम को अंजाम देने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती थी तथा इतने बड़े भ्रष्टाचार से खुलकर खेल रही थी। यह वह समय था जब वर्ष 1995 के इसी तरह के भ्रष्टाचार जो 231 केन्द्रों में कम्प्यूटर उपकरणों के घपलों को मैं यहां आते ही उघाड़कर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.), भारत सरकार के समस्त संबंधित मंत्री-गण तक पहुंचा चुका था एवं यह आशंका बलवती हो गई थी कि अब सी.बी.आई. इस पर जांच करके प्रकरण को पंजीबद्ध कर सकती है। किंतु 'चौकड़ी' के प्रमुख घाघ डॉ. आर.एस. पड़ौदा इस सी.बी.आई. को एक कठपुतली समझते थे और उससे उनको कोई डर नहीं था। उनको विश्वास था कि वे इसे जैसा चाहें नचा सकते हैं। इनके भ्रष्टाचार का तरीका बड़ा ही रोचक था, ये दूसरों पर हावी रहते थे। अपने अधीनस्थों की शिफारिसी टीप बनवाने में माहिर थे, और मनमाफिक टीप लेकर अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर देते थे। खुद ही महानिदेशक और उसी विभाग का भारत सरकार का सचिव होने के कारण इनको असीमित अधिकार रहते थे। और सभी फाइलों में हेरा-फेरी होती रहे पर जब उनके पास ऐसी नस्ती उनके मनमाफिक बनकर आ जाती थी कि उनका हाथ न फंसे तभी निर्णय करते थे। सहायक महानिदेशकों आदि का चुनाव कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल करता था पर ऐसे पदों में वह पूर्व में ही तानाशाह की तरह उन्हें सीधे नियुक्त कर देते थे और बाद में 'मण्डल' से मात्र औपचारिकता कराकर इन्हें नियमित कर लेते थे। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बिना निरंकुश के चलता रहता था। वहीं परिषद मुख्यालय में एक लिपिक श्री भगवान शर्मा थे जो सेंट्रल ज्वाइंट स्टॉफ कौंसिल के 10-15 वर्ष तक सचिव बने रहे थे। उन्होंने डॉ. पड़ौदा के भ्रष्टाचार को भी उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी थी और पहले कम्प्यूटर क्रय की परियोजना के घपले जब मैंने उघाड़कर सामने रखे तब इनके कारण सी.बी.आई की जांच चालू हुई थी।

दिनांक 26.04.2000 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (के.अ.व्यू.) की जांच, कम्प्यूटरीकरण के पहले फेज के लिए पंजीकृत हुई थी। इसमें भी डॉ. पड़ौदा ने काम के लिए वैसी ही 'चौकड़ी' बनाई थी जिसमें सर्वश्री डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा, महानिदेशक, एस.एल. मेहता, उपमहानिदेशक (शिक्षा), गजेन्द्र सिंह उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) तथा ए.पी. सक्सेना सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विभाग) थे। इसमें एक श्री के.के. वाजपेयी उपसचिव को विषेष रूप से जोड़ा गया था। यह परियोजना भी कुल राशि रूपये 1000 करोड़ (लगभग) की थी। यद्यपि सी.बी.आई द्वारा जांच के लिए संदेहास्पद व्यक्तियों की सूची में नाम डॉ. आर.एस. पड़ौदा का नहीं लिखा गया था फिर भी वह एक प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति



थे जिनके इसारों से ही सभी संदेहास्पद काम किये गये थे। डॉ. पड़ौदा ने ''कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती का कुनबा जोड़ा'' की तर्ज पर कम्प्यूटरीकरण के लिए एक टीम बना रखी थी। डॉ. ए.पी. सक्सेना जिनका कम्प्यूटर के काम से दूर-दूर का संबंध नहीं था, को इस कार्य को प्रमुखता से देखना था। उपसचिव की हैसियत से चतुर खिलाड़ी श्री के.के. वाजपेयी फाईलों को 'मैनेज' करते थे। जैसा ज्ञात था कि सी.बी.आई. की जांच भी यहां लीपा-पोती के लिए ही हो रही थी। सामान्यतः यह जांच दूसरे विभागों के लिए कितनी अच्छी हो किंतु भारत सरकार की यह एजेंसी भारत सरकार के लिए ही कैसे कार्य करती है, कैसी लीपा-पोती करती है उसका जीता-जागता प्रमाण थी यह जांच। इसमें कम्प्यूटर संबंधी उपकरणों के लिए रू. 12.89 करोड़ खर्च करने थे। जिसमें 50 प्रतिषत की राशि तब देनी थी जब सामान की आपूर्ति करके यह प्रमाणीकरण कर लिया जाय कि आपूर्ति सही हो गई। किंतु 'चौकड़ी' ने श्री. के बाजपेयी के साथ ऐसा षड़यंत्र किया कि यह 50 प्रतिशत राशि आदेश देने के साथ ही फर्म को दे दी गई। 50 प्रतिशत शेष राशि जो कम्प्यूटर स्थापित कर प्रशिक्षण देने के बाद पूरा काम होने पर देनी थी वह भी कार्य सम्पन्न होने के पूर्व दे दी गई। शेष इस 50 प्रतिशत राशि को भी जब वेण्डर अग्रिम पा गया तो देखा था परिणाम यह हुआ था कि जब 1998-99 में जब मैने देशभर के 231 केंद्रो का सत्यापन किया तो पाया था कि न तो प्रशिक्षण ठीक दिया गया और न ही आपूर्ति पूरी हुई साथ ही बहुत सारे केंद्रो पर कम्प्यूटर ड़िब्बो में ही बंद पड़े थे जबकि इनकी स्थापना 1996 में होनी थी। इसके साथ ही बहुत सारी अनियमितताओं से सम्बंधित 100 से ज्यादा केंद्रो की शिकायतें लेकर मैने सर्वश्री पड़ौदा, सक्सेना एवं मेहता को लिखा था, एवं सी.बी.आई., सी.बी.सी आदि के पास विवरण दिया था। सी.बी.आई. के जांच अधिकारी श्री यस. के. लाल इंसपेक्टर 'सी.बी.आई.ए.सी.वी., नई दिल्ली ने वर्षो जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि इसमें बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। इसमें चौकड़ी के साथ ही श्री बाजपेयी आदि को इसका दोषी भी पाया गया था। किंतु इसमें जब जादुई छड़ी घुमाई गई तो न केवल जांच अधिकारी श्री यस.के.लाल की दुर्दशा की गई बल्कि जब उन्होंने जांच रिर्पोट में कोई बदलाव करने से मना कर दिया तो उनको सी.बी.आई. से हटाकर ऐसी दूसरी जगह स्थानांतरण तुरत-फुरत कर दिया गया जहां वह जाने के इच्छुक भी न थे। इसके साथ ही इनकी जगह ऐसे शुभेक्षु श्री अजय कुमार को पदस्थ किया गया, जो वर्षो घूम-घूम कर केंद्रो का निरीक्षण करके एक बड़ी टीप एवं श्री लाल ने जांच कर घपले उजागर कर लोगों को दोषी बताया था वह कुछ ही दिनों में अपनी जादुई छड़ी से (श्री कुमार ने) सब गलत कहते या बताते हुए सभी दोषियों को बरी (दोष रहित) कर दिया। जब ऐसी रिर्पोट बन गई तभी उसे नये सी.बी.आई. निदेशक जो कुछ समय के लिये प्रभार में थे ने स्वीकार किया। यद्यपि यह रिर्पोट पूर्व में श्री लाल द्वारा दोषियों को सजा देने के लिये ऐसे निदेशक की ओर बढ़ाई गई थी जो दण्डारोपण कर दोषियों को सजा दिलाते थे किंतु बीच में यह फाइल तब-तक रोकं रखी गई जब-तक यह निदेशक सेवा निवृत नही हो गये। इस तरह की लीपापोती सी.बी.आई. द्वारा की गई

जिससे यह बात सामने आ गई थी कि सी.बी.आई उन्हीं बातों की जांच ठीक से करती थी जिन्हें वह करना चाहती थी अन्यथा लीपा पोती की ही व्यवास्था सी.बी.आई. अपने विषेषकर केंद्रीय सरकार के प्रकरणों में करती हैं। इस जांच के बारे में अन्यत्र जगह विस्तृत वर्णन किया गया हैं।

दिनांक 28.04.2000 को उदयपुर की राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, एक तकनीकी स़त्र की अध्यक्षता की एवं नेटवर्किंग एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत विषय पर लेख भी प्रस्तुत किया, तदोपरांत विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान तकनालाजी,कृषि इंजिनियरी,कृषि गृह विज्ञान के महाविद्यालयों में स्थित कम्प्यूटर केन्द्रों का निरीक्षण भी किया। दिनांक 29.04.2000 को भी सत्र की अध्यक्षता के साथ ही चितौड़गढ़ एवं स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के कम्प्यूटरों का निरिक्षण किया। दिनांक 30.04.2000 को बूंदी,कोटा,झालावाड़ के कम्प्यूटर केन्द्रों का निरीक्षण कर दिल्ली लौटा।

दिनांक 07.05.2000 को कार्यालय वापस आ गया था।आज ही सत्ताधारी पार्टी के सतना संसदीय क्षेत्र से लोक सभा सांसद श्री रामानंद सिंह जी से मिला था। उन्होंने परिषद के कम्प्यूटर के प्रकरण को संसद में उठाने की बात कही थी। श्री सोधी सिंह अवर सचिव (वयैक्तिक) ने एक नोटशीट मुझे मुअत्तल करने के लिये दि. 01.05.2000 को प्रस्तुत की थी, जिसमें मेरे कार्य,मेरा दृष्टिकोण, और मेरी अर्कमण्डयता के बारे मे जैसा ड़ॉ. आलम ने लिखा था उसे सही मानते हुए अनुशासन के प्रदर्शन हेतु मुझे न केवल मुअत्तल करने की बात लिखी थी बल्कि बडे ़दण्ड़ारोपण हेतु अनुशंसा की थी। इसमें परिषद के अध्यक्ष को इसके लिये सक्षम मानते हुए इसमें लिखा गया था कि परिषद के उप महानिदेशक, सचिव, महानिदेशक अध्यक्ष की अनुमति को प्रस्तुत करने के पूर्व इसे देख लें। तदोंपरांत इस नोटशीट पर परिषद के निदेशक (वैयक्तिक),उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के हस्ताक्षर के बाद परिषद के सचिव के पास प्रस्तुत हुई तो उन्होने इसे निदेशक (सतर्कता) को यह लिखते हुए कि इसको देखें एवं परीक्षण करके समुचित आदेश के लिये सक्षम अधिकारी को भेजने के लिये प्रस्तुत करें।

चौकड़ी का यह षड़यंत्र उन सभी जगहों पर चलता था जहांपर वे अपनी राह का रोड़ा हटाने के लिये हमेशा लालायित रहते थे और उसे हटाकर ही दम लेते थे, और इसी अभिलाषा से चौकड़ी के नायक डॉ.राजेन्द्र पड़ौदा ने यह नोट प्रस्तुत कराया था। पर वे यह भूल गये थे कि अभी श्री नितीश कुमार नहीं बल्कि श्री पटवा कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष हैं। इस पर सब कुछ (साम, दाम, दण्ड़, भेद) दाव पर लगा दिया था 'चौकड़ी' ने पर श्री पटवा ने उल्टा ही चौकड़ी से पूंछ लिया था कि क्या गड़बड़ झाला हैं और 'चौकड़ी' मन मसोस कर रह गई थी। यदि उस समय मुझे मुअत्तल (Suspend) कर दिया गया होता तो संभव था डॉ. पड़ौदा को खुद (अपने) को हटाये जाने का दंश न झेलना पड़ता।

दिनांक 02.05.2000 को कृषि राज्य मंत्री के संयुक्त सचिव श्री लोकेन्द्र ठक्कर से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार पर उचित कार्यवाही का वादा किया था। इसके साथ ही कृषि मंत्री श्री पटवा के प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव से मुलाकात कर मंत्रीजी हेतु पत्र दिया



था। मई 3 एवं 4 को कार्यालय के कागजात निपटाने के बाद घर गांव गया था जहां से 09.05.2000 को वापस आया था।

## कम्प्यूटर के घपलों पर कार्यवाही हेतु कृषि राज मंत्री श्री हुकुम देव नारायण यादव का कृषि मंत्री को पत्र

दिनांक 04.05.2000 को कृषि राज्य मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी ने कृषि मंत्री श्री पटवा को एक नोट भेजा था। इस नोट में भ्रष्टाचार पर लिखा था-

''मैं डॉ. सदाचारी सिंह तोमर, सहायक महानिदेशक (एरिस-कम्प्यूटर सूचना प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत पत्र की प्रति भेज रहा हूँ, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के खरीदी के बारे में दुखद स्थिति का विवरण है।

इस पत्र में डॉ. तोमर ने अपने द्वारा खोजे गये प्रकरणों का विस्तार दिया है, जिसमें रूपये 1 करोड़ के लगभग का दण्डारोपण का जिक्र है जिसे वेंडरों के द्वारा परिषद को प्रस्तुत करना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इसकी वसूली पर विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसका सर्वोत्तम कारण क्या है, यह उन्हीं को पता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. तोमर को अपना काम नियमबद्ध करने के लिए उन्हें स्टेनोग्राफर तथा क्लर्क का सहयोग नहीं उपलब्ध कराया गया। जो परियोजना का कार्य उन्हें दिया गया था वह भी वापस ले लिया गया है। मेरे विचार से डॉ. तोमर को उनकी ड्यूटी एवं जिम्मेवारी पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए। जिसके लिये वह चुने गये हैं एवं उचित पाये गये हैं। कम्प्यूटरों की स्थापना एवं आपूर्ति में जो अनियमितता हुई है और उनके जैसे वरिष्ठ सेवा के द्वारा बताई गई है उनकी जांच करके उपयुक्त उपाय किये जाने की शीघ्र आवश्यकता है। इससे लोकहित में बड़ी हानि होने से बचा जा सकेगा।

कृपया सूचना एवं आदेश हेतु देखें। (हुकुमदेव नारायण यादव)
कृषि राज्य मंत्री''

यह न केवल मेरे द्वारा की गई शिकायत थी, बल्कि कृषि राज्य मंत्री जिन्हें जगह-2 से आये अधिकारियों ने मिलकर भी कम्प्यूटर में घपलों की जानकारी दी थी और इससे प्रभावित एवं व्यथित होते हुए राज्यमंत्री जी ने बड़े मंत्री श्री पटवा को लिखा था। इस पर कार्यवाही भी चालू हो गई थी किंतु दुःख की बात यह रही कि इसी माह में श्री पटवाजी की जगह श्री नितीश जी मंत्री पद पर आ गये थे, जिन्हें 'चौकड़ी' बहुत चाहती थी और उनसे सामंजस्य से काम करती थी।

दिनांक 10.05.2000 को श्री बाबूलाल जांगीरा निदेशक (वित्त) ने बताया कि उनको सूचना मिली है कि मुझे मुअत्तल करने की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है। बाद में मैं संसद में गया जहां से 'शून्यकाल' का वह विवरण ले आया जो सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर)-मेरी प्रताड़ना बावद था। दिनांक 11.05.2000 को सूचना मिली थी कि कोई श्री देवेंदर जो 'द इंडियन एक्सप्रेस' के संवाददात थे आये थे जो कम्प्यूटर नेट में हुए भ्रष्टाचार की

सूचना एकत्रित किये थे। श्री रामानंद सांसद ने बताया था कि वह आगामी सत्र में प्रयत्न कर संसद में मामला उठायेंगे। दिनांक 13.05.2000 को मेरे आवास में टेलीफोन लगाया गया था।मेरे आवास में टेलीफोन लगवाने में 'चौकड़ी' को यह डर सताता रहा था कि मैं ज्यादा लोगों से सम्पर्क करूंगा, जिससे उनकी पोल खुलेगी।

दिनांक 15.05.2000 को दो प्रमुख बातें (घटनायें) हुईं, जिनमें एक ऐसी थी, जिसके कारण भ्रष्टाचार का प्रकरण ऐसे मोड़ पर आ गया था कि जिसमें डॉ. पड़ौदा पद से हटा दिये गये थे। और यदि राजनीतिक जोड़-तोड़ न चलती एवं श्री अटल विहारी वाजपेयी की सरकार स्पष्ट बहुमत में रहती तो डॉ. पड़ौदा और उसकी 'चौकड़ी' न केवल नौकरी से बरखास्त होती बल्कि उन्हें जेल के सीखचों के अंदर जिंदगी गुजारनी पड़ती, किंतु इसे राजनीति की मजबूरी कहा जाय या भाग्य की विडंबना कि डॉ. पड़ौदा को पद से हटाया तो गया किंतु उन्होंने सब अपने राजनीतिक आकाओं के चलते 'मैनेज' करके एक सफेद पोष की जिंदगी जी रहे हैं। यह धारणा थी कि इस पूरी परियोजना जो रू. 1000 करोड़ खर्च की थी में घपलों का सिलसिलेवार विवरण ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' पत्र के दि.15.05.2000 के तथा अगले अंकों में घपला जिससे इन घपलों में सर्वश्री डॉ. पड़ौदा, आलम एवं मंगलाराय का नाम घपलेकारों के रूप में छपना और इसे उघाड़ने के कारण मुझे काम न करने देना एवं सतत प्रताड़ित करना था। इसका विस्तृत वर्णन से पूर्व मैं उस दिन की दूसरी बात (पत्र) का जिक्र कर रहा हूँ। यह पत्र परिषद के सचिव को दि.15.05.2000 को मैंने लिखा था जिसमें लिखा था -

''प्रति,

श्री बी.के. चौहान, सचिव,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी,

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

विषय :- भ्रष्टाचार के प्रकरणों को उघाड़ने के कारण मुअत्तल करने की धमकी बावत्।

महोदय,

परिषद के अध्यक्ष (मंत्री), उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री), महानिदेशक, उप महानिदेशकों, सचिव परियोजना आदि को ढाई वर्ष से लिखे पत्रों को देखें, जिसमें परिषद की कम्प्यूटर की परियोजना में लगभग रू. 7 करोड़ के घपलों को मेरे द्वारा उजागर किया गया है। इन पत्रों के पाने के बाद डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने बार-बार ऐसे पत्र न लिखने या भ्रष्टाचार उजागर न करने के लिए कहा अन्यथा या तो मुझे मुअत्तल कर दिया जायेगा या स्थानांतरित किया जायेगा। इसके बावजूद भी जब मैंने भ्रष्टाचार उघाड़ना चालू रखा तब वह इस सीमा तक चले गये कि उन्होंने अपने सीधे पत्र दिनांक 16.03.2000 से मुझे मेरे भ्रष्टाचार के पत्र के बारे में लिखा ''तुम्हारे इस पत्र से मुझे किसी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि यह मेरे उद्देश्य को कमजोर नहीं कर सकता''। इसी तरह पूर्व राष्ट्रीय निदेशक (परियोजना) डॉ. मंगलराय, डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा परिषद महानिदेशक ने भी मुझे



धमकी दी। डॉ. अनवर आलम इससे भी आगे निकल गये। वह मेरे खिलाफ झूठे मामले बनाने लगे। अपने वयैक्तिक सहायक (सचिव) से उन्होंने मेरे निम्न श्रेणी लिपिक से उस पर झिड़कने या चिल्लाने का मुद्दा लिखवाया और उस पर डॉ. आर.एस. पड़ौदा के सहयोग से जांच बैठवाई। जिसका दि. 03.04.2000 को मुझे जांच समिति के समक्ष जाने का आदेश निकाला गया, जिसमें दि. 03.04.2000 को ही जांच पूर्ण करने एवं दि. 04.04.2000 को रिपोर्ट पूर्ण करने को कहा गया। अतः दि. 03.04.2000 को सूचना निकाली गई कि उसी दिन 15.30 बजे समिति के समक्ष मुझे जाना है। दूसरी तरफ डॉ. अनवर आलम ने मुझे अपने पत्र दिनांक 24.03.2000 से दि. 03.04.2000 को एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कराने हेतु जाने के लिए लिखा था। इसलिए मैं दि.03.04.2000 को पूरे दिन सभी प्रशिक्षणार्थियों के साथ आवश्यक व्यवस्था हेतु सायंकाल तक व्यस्त था, एवं सायं 5.00 बजे लौटकर आया तो मुझे जांच समिति के समक्ष सायं 15.30 बजे जाने का पत्र मिला (इस समिति के सदस्य मुझसे बहुत कनिष्ठ थे)। इसलिए यह स्थिति उनके समक्ष दिनांक 03.04.2000 के पत्र से रखी गई और कहा कि आगे की कार्यवाही की जाये। इस पत्र पर अपना मत व्यक्त करते हुए डॉ. आलम ने अपने पत्र दिनांक 05.04.2000 से मुझे लिखा 'मुझे दि. 03.04.2000 को आपके द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है''। यह डॉ. आलम के दृष्टिकोण का एक नमूना है। यहाँ भी वह ''थूक कर चाट'' गये थे। वह और भी कई ऐसे जाली प्रकरण मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लिखते हैं। कृपया इन अधिकारियों द्वारा मेरे ऊपर कार्यवाही का प्रकरण आये तो उसमें मेरे विचार भी लेवें।

महोदय, आपको पूर्णतः उपरोक्त एवं अन्य भ्रष्टाचार के परिषद के प्रकरणों का ज्ञान है, जिनको मैंने उघाड़ा है। इस कारण कुछ अधिकारी जैसे सर्वश्री आर.एस. पड़ौदा परिषद महानिदेशक, मंगला राय उपमहानिदेशक (परियोजना के पूर्व राष्ट्रीय निदेशक), अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), कन्हैया चौधरी परियोजना के अवर सचिव इत्यादि हैं। आपने मेरी सभी लिखित शिकायतों को प्राप्त कर लिया होगा, किंतु अभी तक इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये मुझे परिणाम भुगतने के लिए खुले रूप से धमकी दे रहे हैं कि जो मैंने कम्प्यूटर घपले उजागर किये हैं उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। मेरे स्टेनो, वयक्तिक सहायक, वयैक्तिक सचिव को हटा दिया गया है। मेरे आधीन कम्प्यूटर केन्द्र के वैज्ञानिकों को आदेश दिया गया है कि वे मुझे ध्यान न देते हुए या नस्तियां न देते हुए सीधे उपमहानिदेशक को दें, जबकि उनका चुनाव ही मेरे (सहायक महानिदेशक) मातहत कार्य करने के लिए हुआ है। अब वे अधिकारी मुझे कह रहे हैं कि किसी भी तरह मुझे मुअत्तल कर देंगे। चूंकि ये ऊँची पहुंच वाले हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे इनके प्रताड़ना एवं शिकार होने से बचायें।

महोदय, आप मेरे जांच एवं अध्ययन से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिससे इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है जो पूर्व की कम्प्यूटर परियोजना से सम्बद्ध है। इसका कुछ हिस्सा

सी.बी.आई. को उनकी मांग पर दिया गया है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वह वर्तमान कम्प्यूटर परियोजना से सम्बद्ध है और बहुत बड़ा प्रकरण है।

आपसे निवेदन है कि आप तुरंत कार्यवाही करें, विषेषकर राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का प्रकरण सी.बी.आई और सी.वी.सी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) को दिया जाय। वर्तमान में प्रत्येक माह में परियोजना के मुद्दे करोड़ो का भ्रष्टाचार जो बड़े स्तर पर हो रहा हैं उस पर मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ वह यह दिखाता है कि विश्व बैंक के ऋण का दुरुपयोग कितना एवं कैसे हो रहा है।

आप कृपया 'बैक ऑफिस' की खरीदी सम्बंधित मेरे द्वारा परिषद को लिखे गये पत्र एवं प्रस्तुत नोट (वर्ष 1998 में 9,10 व 21 सितम्बर,वर्ष 1999 में 15 फरवरी, 1, 3 एवं 18 नवम्बर तथा दिसम्बर में, दि. 08.12.1999 को एवं वर्ष 2000 में जनवरी 3, फरवरी 8 व 29,मार्च 9 एवं 22 तथा अप्रैल 6,10,25 व 26 को, वर्ष 2000 में, दि.02.05.2000 इत्यादि) जिसमें कई करोड़ रूपयों के भ्रष्टाचार के बारे मे दिया गया हैं, देखें एवं उस पर उचित कार्यवाही करें ।

इसलिये मै आपसे विनती करता हूँ कि उपरोक्त तथ्यों को देखें और उन सभी के खिलाफ कठोर कारवाही करें जो इन अनियमितताओं के लिये जिम्मेवार हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि मेरे द्वारा तथ्यों को इंगित करने के कारण मेरी प्रताड़ना न की जाय ।

आदर सहित,

आपका सच्चा

(सदाचारी सिंह तोमर)

प्रतिलिपि : इस निवेदन के साथ कि तुरंत आवष्यक कार्यवाही करें-

1. महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नईदिल्ली-11001
2. श्री.सुंदरलालजी पटवा अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नईदिल्ली-110001
3. श्री.हुकुमदेवनारायण यादव उपाध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नईदिल्ली-110001
4. वित्त निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन,नईदिल्ली-110001
5. उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नईदिल्ली-110001''

यदि इस पत्र के बाद प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दिया जाता तो संभव था आरोपियों को दण्ड़ मिल जाता। किंतु हुआ यह कि एक जांच के बाद ड़ा.पडौदा महानिदेशक को हटाया गया। फिर दूसरी जांच का नाटक कर उन्हें वापस पद पर लाया गया। तब प्रकरण सी.बी.आई को दिया गया। यदि अपराधी को अपराध से मुक्तमान कर पद पर पुनः



वापस लाया जाता है तो सरकार का नैतिक दायित्व भी था कि उसे सी.बी.आई. भी जांच में निंदोष सिध्द करे। अन्यथा यह सरकार की भारी बदनामी का कारण होता कि सरकार ने एक अपराधी को निकाला फिर वापस लाकर अनैतिक काम किया। इस तरह सरकार सी.बी.आई से ऐसी ही जांच चाह रही थी कि वह चौकड़ी को निंदोष साबित करें। क्या अपराधी को वापस पद पर बैठाकर जांच सी.बी.आई से कराना उचित था। फिर जांच की नौटंकी श्री.नितीश कुमार द्वारा क्यों की गई। यह नौटंकी कैसी थी यह सी.बी.आई की नोट सीटों से स्पष्ट हुआ हैं। (सूचना अधिकार अधिनियम के फाइलो के देखने से स्पष्ट हुआ कि सी.बी.आइ. ने डॉ.पड़ौदा के बचाने के लिये अवैधानिक कार्य किये )।

सचिव के लिखे इस पत्र की प्रति श्री सुंदरलाल पटवा अध्यक्ष एवं मंत्री जी तथा अन्य संबंधितजनों को इस कारण दी गई थी कि सबकी आंखें खुलें एवं प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सही सी.बी.आई. जांच हो। श्री पटवा से यह उम्मीद भी थी और यह योजना क्रियान्वित भी हो जाती कि डॉ. पड़ौदा और 'चौकड़ी' को पदों से हटाकर सी.बी.आई. से जांच कराकर इन्हें दण्डित किया जाता। किंतु अचानक श्री पटवा के हट जाने एवं श्री नितीश कुमार के आते ही स्थिति ने 180° के कोण पर पलटी मार दी। प्रारंभिक जांच में दोषी पाये जाने पर श्री राजेन्द्र सिंह पड़ौदा को पद से हटाया गया और बारी आई थी सर्वश्री मंगला राय, अनवर आलम एवं कन्हैया चौधरी को हटाकर सतर्कता आयोग एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच देना, किंतु अचानक ही स्थिति बदली और डॉ. पड़ौदा को न केवल बिना सी.बी.आई. जांच के वापस पद पर परिषद में बुला लिया गया बल्कि सर्वश्री मंगला राय, अनवर आलम एवं कन्हैया चौधरी को छुआ तक नहीं गया। इस पर मैंने देश के सतर्कता आयुक्त श्री एन. बिट्ठल से चर्चा की थी तो उन्होंने बताया था कि डॉ. पड़ौदा को पद से निकालते वक्त तो उनसे पूछा गया था किंतु बिना सी.बी.आई. जांच के वापस लेते वक्त उनसे सम्पर्क भी नहीं किया गया।

## द इण्डियन एक्सप्रेस का खुला समाचार जो सचिव डॉ. पड़ौदा को ले डूबा :-

दिनांक 15.05.2000 को प्रथम बार इस 1000 करोड़ रू. की परियोजना के घपलों के बारे में अखबारों में समाचार आना चालू हुआ था। इसके बाद तो कोई राष्ट्रीय अखबार न बचा होगा जिसमें यह समाचार न आया हो। कोई-कोई अखबार तो डॉ. पड़ौदा के भ्रष्टाचार को न केवल मुख्य पृष्ठ का समाचार बनाये थे, बल्कि लगभग पूरा-पूरा प्रथम पृष्ठ इसी समाचार से भर देते थे। इंटरनेट में भी इसके समाचार भर गये थे, एवं विश्व भर में यह समाचार चला गया था। कुछ टी.वी. चैनल में भी पीछे न रहते हुए इस समाचार को अपना हिस्सा बनाया था। प्रथम बार यह समाचार जब आया था तब श्री सुन्दरलाल पटवा कृषि मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष थे एवं इस मुद्दे पर जांच कर भ्रष्ट लोगों पर कार्यवाही के आसार बन गये थे। किंतु 5-10 दिनों के बाद ही श्री नितीश कुमार पुनः कृषि मंत्री बन

गये तब इन्होंने तो जांच के दो पक्ष (हिस्से) बना दिये थे। एक था मेरे खिलाफ कि मैं अखबार में क्यों सीधे गया एवं भ्रष्टाचार का पर्दाफास किया। दूसरा था कि घपला क्या हुआ एवं किसने किया। दोनों ही जांचों के जांच अधिकारी की नियुक्ति श्री नितीश कुमार निचली शिफारिसों को दरकिनार (बदलते) करते हुए स्वयं-भू होकर अन्यों को नियुक्त किया था। हालांकि जांच रिपोर्ट मेरे पक्ष में आई तो भी मुझे निकाल दिया गया जबकि डॉ. पड़ौदा के विरोध में आई फिर भी उनको पद से हटाने के बाद भी पुनः बिना सी.बी.आई. की जांच पूर्ण किये वापस पद पर ले आया गया। यह था श्री नितीश कुमार का जंगल राज जो रू. 1000 करोड़ की हेराफेरी से लाभ लेने के लिए उल्टी गंगा बहाकर लागू किया गया था।

यह 'द इंडियन एक्सप्रेस' (सभी संस्करणों) दि. 15.05.2000 के मुख्य पृष्ठ का समाचार श्री देविंदर कुमार द्वारा 14 मई 2000 को बनाया गया था जो इस प्रकार था-

''वैज्ञानिक को परिषद के घोटाला उजागर करने के कारण बाहर कर दिया गया (Scientist is shunted out for highlighting an ICAR 'Scam')

**देविंदर कुमार, नई दिल्ली-मई 14**

सदाचारी सिंह तोमर सहायक महानिदेशक (स.म.नि.) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) अपने कृषि भवन स्थित कक्ष में अकेले बैठ रहे हैं। उनके वयैक्तिक सहायक एवं निम्न श्रेणी लिपिक भी हटा दिये गये हैं। उन्हें सहयोग के लिए कभी-कभी एक चपरासी आ जाता है। उन्हें लगभग कोई भी काम नहीं दिया गया है।

डॉ. तोमर को फाईल आदेश दि. 27.01.2000 से सूचना विकास प्रणाली (सू.वि.प्र.) टास्क फोर्स, मासिक समालोचना समिति और इन सबके ऊपर सम्पूर्ण क्रय एवं वितरण जो कम्प्यूटर नेटवर्किंग उपकरणों से संबंधित था से हटा दिया गया है। तथ्य यह है कि उन्हें उन सभी मूल कार्यों से हटा दिया गया है जिनके लिए उन्हें भा.कृ.अ.प. में पदस्थ किया गया था।

इसका कारण डॉ. तोमर द्वारा परत दर परत कई ऐसी परिषद की विशाल वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करना है, जहां अनुसंधान कार्य के अलावा प्रशासनिक कार्य, बंद एवं गोपनीय रखा जाता है। इसमें भी आगे उन्होंने बताया कि उनके ही वरिष्ठ अधिकारी इसमें लिप्त हैं।

विश्व बैंक के कृषि मंत्रालय से समझौते में रू. 1000 करोड़ भा.कृ.अ.प. को ऋण के रूप में इसकी राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना (रा.कृ.त.प.) को 5 वर्ष के लिए मिले थे। इसका एक हिस्सा सघन अनुसंधान एवं विस्तार कार्य के लिए राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली हेतु उपयोग किया गया। इसमें कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरणों की खरीदी हेतु लगभग रू. 20 करोड़ रखे गये थे। यहां उनके प्रमुख संयोजक व्यक्ति की हैसियत से काम करने पर उन्होंने अपने वरिष्ठों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को खोजा। तोमर ने कहा कि उन्होंने इसके दस्तावेजों सहित प्रमाण कृषि मंत्री एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) को दिए एवं बताया कि-



- कम्प्यूटर एवं उनके उपकरणों की खरीदी में में जानबूझ कर देरी की गई, जिससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ दिया जा सके, जिसके तहत उन्होंने पेंटियम-II कम्प्यूटर पूरे दामों में तब प्रदाय किया जब मार्केट में पेंटियम-III आ गया और पुराने कम्प्यूटर पेंटियम-II की कीमत आधी रह गई।
- आपूर्तिकर्ता ने समझौते में दिये दण्ड के प्रावधान को जानबूझकर बदल दिया।
- रू. 20 करोड़ के कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण जो कृ.अ.सू.प्र. नेटवर्क हेतु खरीदे गये थे उनमें 50 प्रतिशत ग्राह्यता परीक्षण में सफल नहीं हुए, यह परीक्षण शासन के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की एजेंसी द्वारा कराया गया था। इसके बाद भी किसी को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाया गया।
- समझौते के आधार पर 2500 कृ.अ.सू.प्र. के केन्द्रों में प्रशिक्षण देना था किंतु इसे मात्र 54 केन्द्रों तक सीमित कर दिया गया एवं उसी अनुरूप प्रमाणीकरण का प्रोफार्मा भी बदल दिया गया।
- फर्म को उन देशों के बाहर से भी कम्प्यूटर लाने की अनुमति दी गई जो संविदा के बाहर थे। एवं हवाई जहाज से माल लाने के समझौते प्रावधान को बदलकर जल मार्ग से माल लाने की अनुमति दी गई, जिससे फर्म को लाभ मिल सके।
- तोमर स.म.नि. (कृ.अ.सू.प्र.-कम्प्यूटर सूचना प्रणाली) ने भा.कृ.अ.परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मिलित होना बताया जिसमें महानिदेशक एवं दो उपमहानिदेशक को इस घोटाले में जुड़ा बताया गया।
- तोमर ने कहा : परिषद ने निविदा अनुसार माल नवम्बर 1998 में मंगाया था और इसकी आपूर्ति फरवरी 99 में पूरी हो जानी चाहिए थी किंतु जानबूझकर आपूर्ति एवं स्थापना में 12 माह से ज्यादा देरी की गई, जिससे फर्म को लाभ हो।
- पेंटियम-II कम्प्यूटरों के लिए आदेश दिये गये थे किंतु जब-तक आपूर्ति होती, पेंटियम-III बाजार में आ गया था और पेंटियम-II की कीमत बहुत गिर गई थी फिर भी पेंटियम-II ही (जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रचलित हो गया था) वहां से लेकर पहले वाली बढ़ी कीमत पर ही देरी से दिया गया'' ऐसा उन्होंने बताया।
- तोमर ने बताया कि महानिदेशक एवं उप महानिदेशक ने फर्म को दण्ड से बचाने के लिए प्रोफार्मा में ऐसा परिवर्तन कर दिया, जिससे भा.कृ.अ.प. फर्म को दण्ड न दे सके। फर्म ने सीधे रू. 15 करोड़ का लाभ लिया जो सीधे शासन की हानि थी। तोमर ने ऐसे वरिष्ठों हेतु अपने पत्राचार के दस्तावेजों को तथा उनके जवाब जो बदले में मिले थे को दिखाते हुए खुले जवान से कहा।
- अपने अनुसंधान लेखों के लिए दो बार (1991-92 एवं 1993-94) भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरुस्कृत एवं अपनी सर्वोच्च पीएच.डी. थिसिस (इंजीनियरी एवं

टेक्नोलॉजी) के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरुस्कार प्राप्त तोमर की उपलब्धियों पर उसके गुस्साये वरिष्ठों द्वारा प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है।

- इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी उपयोगी चीज नहीं पैदा किया, वह हमेशा परिषद को एक घेरे के अन्दर जाने का रास्ता दिखायेगा ऐसा उप महानिदेशक (इंजीनियरी) डॉ अनवर आलम ने कहा। जब उनसे महानिदेशक एवं उनके द्वारा बोली दस्तावेज में दोषयुक्त परिवर्तनों के करने का कारण पूछा गया तो आलम ने कहा ''यह व्याख्या का प्रश्न है, हमने प्रत्येक चीज स्थापित विधियों के आधार पर किया है। अभी भी कम्पनी के पास 20 प्रतिशत राशि भुगतान हेतु बाकी है। हम उन पर देरी से आपूर्ति के लिए दण्ड ले सकते हैं।
- तोमर एक मातहत अधिकारी है। वह अपने वरिष्ठों का अधिकार लेता रहा है एवं प्रत्येक बार भ्रष्टाचार के जोशीले पत्र लिखता रहा है। उसे उसके खुद के तरीके से निपटाया जायेगा। हम उसके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा बना रहे हैं'' आलम ने कहा।
- जब आलम का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि पेंटियम-II कम्प्यूटर बाजार में पुराने हो गये हैं और परिषद को इसके खरीद से बड़ी हानि होगी तो उन्होंने उत्तर दिया ''वह अभी भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। जो कोई यह कहता है कि पेंटियम-II खराब है वे गलत हैं। यह तोमर परिषद पर बोझ हो गया है यह एक हल्की रूकावट या निश्वास छोड़ते हुए उन्होंने कहा।
- दूसरी तरफ महानिदेशक आर.एस. पड़ौदा ने (जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं) पूरी तरह भ्रष्टाचार के दोषारोपण का खण्डन किया। मैं इसे सीधे नहीं देखता। विश्व बैंक की अपनी स्वयं की विधियां हैं। ''तोमर की तरह कोई भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत कर सकता है'' पड़ौदा ने कहा।
- लोहे की तरह अडिग एक मात्र व्यक्ति जिसने तोमर का समर्थन किया वह था बी.एल. जांगीरा और वह भी अपने कार्यालय से हटा दिया गया है। जहांगीरा को उसके कृषि भवन के कार्यालय से हटा दिया गया है और उसे नये निर्मित निदेशक वित्त का पद जो 'राष्ट्रीय कृषि टेक्नोलॉजी परियोजना' में बना है उसमें जाने को कहा गया है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त निदेशक का पद पूरे भा.कृ.अ.प. में केवल एक ही है। इसलिए सभी बहुत जरूरी काम के कागजात उसके मार्गदर्शन में रखे जाते हैं। मैं बार-बार वित्तीय लेखा-जोखा के बारे में हो रही बड़ी अनियमितताओं के बारे में वरिष्ठों को बताता रहा हूँ। इस मद में मैने किसी तरह के समझौता करने से इंकार किया है, जाहंगीरा ने कहा।''

इस समाचार पर मेरे और श्री जहांगीरा के खिलाफ अखबार से बात करने पर सेवा



नियमों के तहत जांच लगाई गई थी। जिसके आधार पर हमें नौकरी से हटाया जा सकता था। जबकि डॉ. आलम एवं डॉ. पड़ौदा से भी संवाददाता श्री देविंदर ने चर्चा की थी, उनकी बात भी अखबार में लिखी थी, उन पर श्री नितीश कुमार ने सेवा नियमों के तहत कोई जांच नहीं लगाई। इससे श्री नितीश कुमार और 'चौकड़ी' के बीच कितने गहरे सम्बंध थे यह साबित होता है। यही नहीं डॉ. मंगलाराय के खिलाफ भी सेवा नियमों के तहत कोई भी जांच श्री नितीश कुमार ने नहीं लगाई, जबकि इसी अखबार ने परिषद के आगे दिनांक 03.05.2000 के समाचार के खण्डन के लिए निवेदन पर लिखा था कि श्री मंगला राय ने वह विवादास्पद आदेश तथा एक अन्य आदेश पारित किया था जिससे तोमर को अपने पद पर कार्य से अलग किया गया था। यह आदेश उसने क्यों कराया था जबकि उसका तोमर की पदस्थापना से कोई लेना-देना नहीं था। वह स्वयंभू क्यों बन बैठा था। किंतु श्री नितीश कुमार का चहेता होने के कारण इन्होंने इसके खिलाफ कोई जांच नहीं लगाई। श्री नितीश कुमार ने यह भी जांच नहीं लगाया था कि भ्रष्टाचार के परत दर परत घोटालों के उजागर करने पर 'चौकड़ी' ने कैसे धोखाधड़ी की एवं कैसे इससे इमानदार अधिकारियों (मुझे एवं श्री जांहगीरा) को षडयंत्र करके बिना अधिकार होते हुए अपनी ड्यूटी से अलग कर दिया। मेरी ड्यूटी से अलग करने का अधिकार मात्र अध्यक्ष को था जबकि उनकी बिना जानकारी से मुझे मेरे काम से हटाया गया था। घोटाला कुल रू. 1000 करोड़ (परियोजना की राशि) में था जबकि जांच मात्र कम्प्यूटर क्षेत्र के घोटाले पर लगाई गई, जिसके कारण शेष राशि पर किये जाने वाले घपले यथावत चलते रहे और श्री नितीश कुमार लाभ लेते रहे। मैं रू. 1000 करोड़ खर्च की परियोजना प्रबंधन समिति का सदस्य था और उसमें होने वाली अनियमितता उजागर किया था, अतः जांच पूरी राशि पर होनी चाहिए थी जिसे श्री नितीश कुमार ने रोक लिया था। यद्यपि सचिव डॉ.पडौदा ने व्यंगात्मक दृष्टि से भ्रष्टाचारा प्रकरण को सी.वी.सी. में ले जाने का चैलेन्ज किया था, किन्तु सी.वी.सी. उन्हें में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लील गई।

अंधे को अंधा कहें या चोर को चोर कहें तो वह तिलमिला उठता है। अखबार में भ्रष्टाचार का न केवल विवरण छपा था बल्कि चोरों ने चोरी कैसे की एवं भ्रष्टाचार के क्या माध्यम थे आदि के नाम पद सहित विवरण छप गये थे। सफेदपोश जब सबके सामने नंगे हो जाते हैं तब उनकी तिलमिलाहट देखने योग्य होती है। यह समाचार मिलते ही कोहराम मच गया था। एक ओर इसके खण्डन के लिये (अखबार वाले से किसी भी हालत में) कराने के प्रयत्न हो रहे थे तो दूसरी ओर परिषद मुख्यालय में सभी बड़े अधिकारी एकत्रित होकर किंकर्तव्यविमूढ़ एक दूसरे की ओर टुकुर-टुकुर देख रहे थे। इनमें एक बहुत छोटा सा समूह सच्चाई छप जाने से प्रसन्न भी था। इस दिन (दि.15.05.2000) को जितनी बड़े-2 अधिकारियों ने एक साथ मिल बैठकर जितनी नोटशीट तैयार की थी संभवतः परिषद के इतिहास में यह एक रिकार्ड होगा। पहले खण्डन करने वाले विषय पर जिक्र करना योग्य होगा। यद्यपि इसके लिए लम्बे-चौड़े पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' को भेजे गये थे (जिनका

विवरण अन्यत्र है) किंतु जो खण्डन प्रकाशित हुआ था, वह बहुत सटीक था। दिनांक 23.05.2000 को अखबार में जो छपा वह है-

संदिग्ध परिकल्पना

महोदय, मुझे दुःख है कि आप के द्वारा 'द इंडियन एक्सप्रेस' 15 मई 2000 के अंक में **''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक घोटाले उजागर करने के कारण वैज्ञानिक को बाहर कर दिया गया''** शीर्षक समाचार पूर्ण तथ्य दिये बिना प्रकाशित किया गया है।

1) यह कहना गलत है कि डॉ. सदाचारी सिंह तोमर सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) का वयैक्तिक सहायक एक निम्न श्रेणी लिपिक को हटा दिया गया है।
2) यह बताना है कि तोमर ने अपने आप उसे कार्य से अलग कर लिया है जिसके लिये उन्हें परिषद में नियुक्त किया था।
3) यह अमान्य है कि परिषद ने कम्प्यूटरों की आपूर्ति देरी से हुई है। यह जो देरी हुई है वह तोमर के गलत दृष्टिकोण का परिणाम है।
4) यह भी गलत है कि दण्ड वाला प्रावधान जानबूझकर परिवर्तित किया गया है।
5) यह भी गलत है कि जो कम्प्यूटर उपकरण विभिन्न केन्द्रों में भेजे गये हैं उनकी विशिष्टतायें गलत हैं एवं इनमें कोई भी त्रुटि है।
6) यह भी गलत है कि फर्म को सीधे ही रू. 15 करोड़ का लाभ हुआ है क्योंकि यह रू. 13 करोड़ के क्रय में असंभव है। ऐसी जानकारी देकर तोमर को अपने परियोजना की क्या जानकारी है यह ज्ञात है।

केन्द्रीय लोक सम्बंधी अधिकारी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-12

**देविन्दर कुमार का जवाब :** लेख में जो बिंदु दिये हैं वे मूल रूप से नियम न पालन करने के हैं, जो कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरणों के क्रय हेतु रहे हैं, उनका खण्डन नहीं किया गया। खण्डन पत्र ने अपना स्वभाव ही बदल दिया है। हमारे लेख में मुद्दा था कि अनियमिततायें हुई हैं न कि तोमर मुद्दा हैं।

1. आज दिनांक तक कोई भी निम्न श्रेणी लिपिक तोमर के पास नहीं दिया गया।
2. तोमर को परियोजना से हटा दिया गया है और आदेश दिनांक 27.01.2000 का है जो विभाग प्रमुख मंगलाराय द्वारा किया गया है।
3. तोमर ने बार-बार इस देरी बावद लिखा है जिसमें यह आशंका जताई थी कि मार्च महीने का बहाना बनाकर तुरत-फुरत भुगतान किया जायेगा किंतु इसे नहीं सुना गया।



4. मूल प्रोफार्मा एवं हस्तलिखित परिवर्तन जो किया गया है उसकी मूल प्रति अखबार के अधिकार में है।
5. यू.पी.एस. का बेंच मार्क परीक्षण से यह साबित हुआ है कि बहुत सारे उपकरण दोषयुक्त थे।
6. संसोधित प्रोफार्मा को धन्यवाद जिसके कारण फर्म के प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान कम हो गये हैं। भा.कृ.अ.परि. को प्रशिक्षण हेतु अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और उसके लिए करोड़ों रूपये खर्च करने होंगे। पूर्ण हानि का आकलन न केवल कम्प्यूटर क्रय की है बल्कि पूर्ण अन्य मदों की भी है जिसमें रू. 200 करोड़ का बजट है और उसमें रू. 70 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

इस खण्डन ने 'चौकड़ी' को और ज्यादा चोर साबित कर दिया था। 'चौकड़ी' ने हमेशा साम, दाम, दण्ड भेद से काम चलाया था। उसने सी.बी.आई. को भी अपने बायें हांथ की कठपुतली समझा था। फिर अखबारों को मैनेज करना उसके बांए हांथ का खेल था। ऐसा सोचकर ही वह काम करती थी, तभी तो एक तरफ एक कम्प्यूटर डील का सी.बी.आई. प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका था फिर भी वह निस्कंटक भ्रष्टाचार करती चली जा रही थी। उसने कभी सोचा भी न था कि यह खण्डन वाला तुरुप का पत्ता भी असफल हो जायेगा। फिर भी वह असफलता को मानने वाली न थी। अतः इस बार एक चतुर प्यादे को जिसकी वरिष्ठता एवं योग्यता न होते हुए भी 'चौकड़ी' के अधिनायक डॉ. पड़ौदा ने उसकी कुटिल नीति में माहिर होने के कारण अन्यों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए (उस श्री एन.एस. रंधावा) को उप सचिव (प्रशासन) बनाया था और अखबार को मैनेज करने के काम में लगाया था। यह प्यादा किस तरह तन, मन, धन एवं साम, दाम, दण्ड भेद का सहारा लेकर 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अमले से मिला किंतु अंत तक श्रीमती कूमी कपूर जो एक ईमानदार महिला 'द इंडियन एक्सप्रेस' में इस समाचार की प्रभारी थी, का कैसे उनके साथ इस प्यादे से कुछ नहीं बन पाया यह एक अलग कहानी है।

'चौकड़ी' के सिपहसलार और बड़े प्यादे को अपनी जी हुजूरी भी दिखानी थी साथ ही एहसान भी उतारना था (क्योंकि उसे बिना वरिष्ठता के ही उप सचिव का पद देकर उपकृत किया गया था), इसलिए खण्डन के लिए एक बड़ा लम्बा चौड़ा पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' को देते हुए वहां जाकर उसने बड़े से बड़े वछोटे से छोटे व्यक्तियों तक से उसने सम्पर्क किया था एवं उसके ऐन-केन-प्रकारेण खण्डन के लिए भी एक पिद्दी सा पत्र (उनके बड़े पत्र की जगह) बनाकर उसकी हद पार कर दी थी 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने जो पत्र उनके अंक दि. 27.05.2000 में छपा वह इस प्रकार था-

## अंतिम वृत :-

महोदय, यह देखकर दुर्भाय का पता चला कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' को जो स्पष्टीकरण भा.कृ.अ.प. द्वारा दिया गया था और जो परिषद के उप सचिव (प्रशासन) के

माध्यम से प्रस्तुत किया गया था उसे सम्पादित कर प्रकाशन के समय सूक्ष्म कर दिया गया जिससे महत्वपूर्ण बिंदु छूट गये हैं। अब हम आपके संवाददाता द्वारा उठाये गये बिंदुओं का स्पष्टीकरण संलग्न कर रहे हैं-

यह एक बार पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि इस परियोजना के इस खरीदी हेतु लागू स्तरीय बोली दस्तावेज बनाया गया था जो विश्व बैंक का था जो भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृत था। भुगतान जो फर्म को करना था उसकी पूर्ति इस संविदा में वर्णित थी।

यह प्रोफार्मा एक सूचक प्रोफार्मा था जो आपूर्ति को सत्यापित एवं कमियों के बताने के लिए था। इसमें मात्र प्रशासकीय सीमा जो कुछ सूचनायें देता है,उसे वर्णित किया गया है। किसीभी मूल धारणा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

माल (यू.पी.एस.) का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत परीक्षण किया गया,सही पाये जाने के उपरांत ही निर्धारित केन्द्रों को भेजा गया है। प्रशिक्षण बावद दिये गये कथन भी सही नहीं हैं। अभी दिल्ली मात्र में प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है।

एन.एस. रंधावा

उप सचिव (प्रशासन), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

**देविंदर कुमार का उत्तर :** खंडन की मांग मात्र अंधेरा करना है। इसमें मूल रूप से परिषद के खिलाफ मूल-लेख में लगाये गये आरोप का मूल-रूप से कोई खण्डन नहीं हो रहा है। मैंने दस्तावेज में वर्णित बिंदुओं पर प्रश्न नहीं किया। तथ्य है कि 'बेंचमार्क'नहीं किया गया जिससे फर्म को बहुत बड़ा लाभ मिला। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को कम्पनी जिसने परीक्षण किया था उसने अपने पत्र जून 2, 1999 एवं दिसम्बर 30, 1999 से उपकरणों की कमियां (त्रुटियों) को बताया था। तथ्य है कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी मात्र एक जगह दिल्ली में ही प्रशिक्षण हुआ वह भी जो 75 में से एक है जिससे मेरी धारणा बलवती हुई है।

इस तरह श्री एन.एस. रंधावा का यह दाव भी **'द इंडियन एक्सप्रेस'** अखबार में नहीं चल पाया। किंतु यह प्यादा अपने आका डॉ. पड़ौदा को खुस करने हेतु इस पर हुई जांच में खुद गवाह बन बैठा। यह जांच जब जांच अधिकारी डॉ. किरण सिंह के समक्ष प्रस्तुत हुई तब इसने अपनी नोटशीट पर नोटशीट बनाई किंतु डॉ. किरण सिंह ने इसे झूठा पाया और उल्टे उसकी चापलूसी के लिए भी लिखा। डॉ. किरण सिंह जांच अधिकारी ने श्री एन.एस. रंधावा को जब सीधे लिखा तो श्री रंधावा ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि श्री रंधावा ने ही अखबार वाली बात पर बिना किसी कारण गवाह बने थे। तब जांच अधिकारी ने पाया था कि जो डॉ. तोमर पर आक्षेप लगाया गया वह आधार रहित एवं जानबूझकर किया गया है, क्योंकि इन्होंने बड़ों के ऊपर गंभीर घपले उजागर किये हैं। यही श्री रंधावा अपनी वफादारी दिखाने के लिए जब डॉ. पड़ौदा ने अवैध रूप से दूसरी जांच इसी बात पर बैठाई और उसमें जब मैं मेडिकल अवकास में होने के कारण उपस्थित न था तब यही श्री रंधावा ने उसमें झूठा-मूठा बयान दिया क्योंकि उसे मालूम था यहां मेरी (आक्षेपित अधिकारी) अनुपस्थिति के कारण बाहर तर्क-वितर्क, कूट-परीक्षण (Cross Examination) नहीं होगी, और इस तरह उसका पर्दाफास न होगा।



राष्ट्रीय अखबारों में सीधे आक्षेप लगाते हुए रू. 1000 करोड़ के घपले छापना भारत सरकार के एक सचिव (डॉ. पड़ौदा महानिदेशक) पर शायद इतिहास की उस समय एकमात्र ऐसी घटना थी। इसके छपते ही दि. 15.05.2000 को परिषद में भू-चाल आ गया था। फलस्वरूप पुराने प्रकरण जिनका निराकरण फाइलों में हो चुका था कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण ही नहीं बनता था। फिर भी उसे तोड़-मरोड़ कर (दि. 15.05.2000 का समाचार छपते ही) उस पर कार्यवाही करने के लिए बड़ी बेदर्दी से नोटशीट चलाई गई थी। यद्यपि यह अवधि वह थी जब परिषद के अध्यक्ष श्री नितीश कुमार नहीं थे। तब ही नोटशीट चलानी पड़ी थी क्योंकि घपलों की फेहरिस्त अखबारों में आ रही थी और उसके खण्डन का निवेदन और अखबार उनको नंगा करता जा रहा था। इनकी ('चौकड़ी') की स्थिति इस तरह असमंजस की थी जिसमें ''भई गति सांप छछूंदर केरी उगलत लीलत प्रीति घनेरी'' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। क्योंकि यदि खण्डन हेतु नोट लिखा जाय तो 'चौकड़ी' फंस रही थी और यदि लिखा-पढ़ी नहीं होती तो 'चौकड़ी' पर सीधे-सीधे आरोप लगा था। इसलिए नस्ती तो चलानी ही थी। अतः पूर्व में जो एक फाइल डॉ. अनवर आलम की शिकायत दि. 02.09.1999 पर दि. 01.05.2000 को 55 पृष्ठीय नोटशीट (जो एक झूठ का पुलिंदा था) श्री सोधी सिंह, अवर सचिव (व्यैक्तिक) द्वारा मुझे दण्डित करवाने हेतु बनाकर मुझे मुअत्तल करने के साथ ही बड़े दण्ड हेतु आरोप पत्र प्रस्तावित था। मेरे बारे में इस नोटशीट दि.01.05.2000 मे जो झूठी बाते थी वह ऐसी थी उसको जवाब सहित यहां दिया जा रहा हैं-

1. मैं जिम्मेवारियों से भागता हूँ, जबकि प्रत्येक जिम्मेवारी यहां तक भ्रष्ट लोगों पर दण्डारोपण भी मैंने किया था।
2. यदि अनियमितता होने पर भ्रमण में न जाने दिया जाय तो वह आकस्मिक अवकाश पर जाता है, जबकि वास्तविकता थी कि मेरा भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत करने में 'चौकड़ी' को कंपकपी आ जाती थी, क्योंकि मैं उनके प्रिय वेडर्स के भ्रष्टाचार जो उनकी सहमति से चल रहा था 'भ्रमण वापसी रिपोर्ट' में लिख देता था। ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं आकस्मिक अवकाश लेकर भ्रमण में न गया हूँ। यह सत्यता भी कि प्रत्येक भ्रमण के समय खाली अवधि में मैं कम्प्यूटर नेटवर्क के भ्रष्टाचार उजागर करने हेतु साथ लगे केन्द्रों का भ्रमण कर लेता था।
3. वह अपने भ्रमण की स्वीकृति से बाहर जाकर काम करता है।
4. मैंने अपने टेबल का ड्रावर (दराज) डॉ. ए.पी. सक्सेना द्वारा महानिदेशक के सामने उनके द्वारा लिखित देने के बाद भी नही खोला, जबकि सच्चाई यह थी उस छोटे दराज में सब कुछ भरे होने की बात ड़ॉ. सक्सेना ने लिखाकर दी थी अतः मेरे समिति से इसे खुलवाने की बात की थी। यदि यह दराज मैं खोल लेता तो सभी दस्तावेज मेरे पास होने की (बात) दावा ड़ॉ.सक्सेना सी.बी.आई. से करते। आगे लिखा था कि मैं प्रत्येक बात पर उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के माध्यम से भेजा करता हूँ, जबकि सत्य यह हैं कि मैं कम-से-कम उनके माध्यम

से पत्र भेजा करता था, अपने आप पत्र बनाता था क्योंकि प्रत्येक भ्रष्टाचार वालें मुद्दों (चूकि उनसे सम्बद्ध थे) पर वह पत्र नही लिखने देते थे।

5. भावुक पत्रों को लिखने के पूर्व वह उपमहानिदेशक (इंजीनियरी)से सम्पर्क नहीं करता था।

6. एवं 7. अर्न्तराष्ट्रीय बोली दस्तावेज बनाने में 'मे. एच.सी.एल.' को लाभ न मिले इसलिये उपमहानिदेशक को (डॉ. ए.के. जैन को) भी लगाना पड़ा था क्योकि मेरा और भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के निदेशक से मिलने-जुलने से संबंध था। वास्तविकता थी कि मैंने मे. एच.सी.एल. को काली सूची (Black List) में डालने की संस्तुति की थी। किंतु डॉ. आलम ने इससे अपना हित साध लिया था और लिखा था कि इस पर कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारत सरकार के निदेशक को मिलने जुलने से संबंध की बात थी वह तो अत्यावश्यक थी क्योंकि वही 'चौकड़ी' द्वारा बदमासी पूर्वक ऐसे बिंदुओं के समावेश कराने की बात करते थे जो वेंडर विशेष के थे। इसी बदमासी के कारण 'चौकड़ी' ने अपने से जो अंतर्राष्ट्रीय बोली दस्तावेजों में बदमाशी पूर्वक समावेश कराया था जो मेरे विरोध के कारण पूरी-की-पूरी बोली दस्तावेज वर्ष 2000 निरस्त हो गया था। यह बात यहां जानबूझकर छिपाई गई।

8. जब विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने बिना 'बेंचमार्क' कि संविदा बना ली तब मैंने समस्या पैदा की क्योंकि मात्र भारत सरकार का राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ही वह कार्य करता था। यह भी बिल्कुल गलत था कई संस्थायें बेंचमार्क एवं ग्राह्यता परीक्षण करती थीं, कई नहीं करती थीं। यह 'बेंचमार्क' जिसे 'चौकड़ी' ने बार-2 बैठकें करके निविदा जारी करने के पूर्व इसका करना आवश्यक समझा था। मूल्यांकन समिति ने सिफारिस की थी कि बिना 'बेंचमार्क' किये क्रय का आदेश न दिया जाय। वैसे भी बड़ी खरीदी में शासन की भी नीतियां थी कि 'बेंचमार्क' अवश्य किया जाय। किंतु 'चौकड़ी' ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तब कर दी जब चुपचाप बिना 'बेंचमार्क' किये ऐसी फर्म को क्रय आदेश दिया जिसमें यदि माल का 'बेंचमार्क' करा दिया जाता तो वह इतना त्रुटिपूर्ण था कि ये फर्में (मे. विनीटेक एवं मे. सीमेंस) स्पर्धा से ही बाहर हो जातीं। यही पहली भ्रष्टाचार की खेप थी जिसे 'चौकड़ी' ने प्राप्त की थी और दोनों फर्मों को बिना बेंचमार्क किये ही क्रय आदेश देकर उपकृत किया था, जिससे देश के 'कम्प्यूटरनेट' को एक बड़ा आघात पहुंचा था।

9. यह कि मैंने रूचिपूर्वक बाद वाले परीक्षण पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण सर्वश्री डॉ. कुशल पाल एवं ए.के.जैन को काम में लगाया गया। जबकि यहां यह झूठ छिपाया गया कि यू.पी.एस. का परीक्षण कहां हो रहा था उसको किसी को विशेषकर मुझे (जिसका यह काम था) बताया तक नहीं गया जबकि मैं बार-बार लिखित में इसके बारे में पूछता रहा।



10. अगला आक्षेप था कि मैंने कृषि भवन में फर्मों से आने वाले सामान को लेने से मना किया बल्कि श्री आर.पी. जैन प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र या उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को इसके भण्डारण के लिए कहा। जबकि सच्चाई यह थी कि महानिदेशक एवं उप महानिदेशक खलनायक की तरह मुझे एक भण्डारण अधिकारी बनाना चाहते थे और बाध्य कर रहे थे कि मैं किसी भी स्थिति में सभी कम्प्यूटरों को ले लूँ। जबकि नियमानुसार व्यवस्था यह थी कि सभी माल भण्डार कक्ष में जाना चाहिए था। पर 'चौकड़ी' का उद्देश्य था कि मैं सभी माल ले लूँ और अन्य अधिकारी मुझसे यह कम्प्यूटर लेने से मना कर दें और ये (भ्रष्ट) मुझ पर ही जांच लगायें। ऐसा हुआ भी कि जब आने वाले कुछ कम्प्यूटरों को मैंने ले लिया एवं संबंधित अधिकारियों को देना चाहा तब मुझे उनसे लिखित में यह जवाब आया कि मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं उन्हें यह कम्प्यूटर उपकरण दूँ। यह उसे मात्र भण्डार प्रभारी से लेंगे न कि सहायक महानिदेशक से। इस तरह का षडयंत्र था 'चौकड़ी' का।

11. आगे आक्षेप लगाते हुए लिखा गया कि मैं कुछ काम न करके वेतन भत्ते लेते हुए मात्र पदोन्नति लेना चाहता हूँ , जबकि सच्चाई यह थी कि इन सभी से मैं ज्यादा काम करता था और इसी बिंदु पर जब जांच अधिकारी ने जांच की तो कार्य के आंकलन का तुलनात्मक चार्ट बनाकर यह निष्कर्ष (जांच का) निकाला कि मेरी तुलना में न तो डॉ. आलम और न ही डॉ. पड़ौदा कुछ काम कर रहे हैं और न ही इनकी उपलब्धियां मेरे बराबर रहीं। यदि मुझे मात्र पदोन्नति का लाभ लेना होता तो मैं भी 'चौकड़ी' के साथ मिल जाता और जैसे मेरे समकालीन समकक्ष पद वाले सर्वश्री डॉ. पंजाब सिंह, मंगलाराय, अययप्पन भारत सरकार के सचिव एवं महानिदेशक बन बैठे थे, मैं भी इस पद पर पहुंच सकता था। पर यहां तो सैद्धांतिक लड़ाई चल रही थी। किंतु 'चौकड़ी' जो परिषद में मात्र इसी उद्देश्य से काम कर रही थी कि वह भ्रष्टाचार से अपने हित साधे, मिलने वाली सुख-सुविधा और अधिकार को भोगे और अपने पद पर वर्षों बना रहे जिससे वह ऊँचे पद पर भी पहुंच जायें, मुझे भी वह ऐसा ही समझ रही थी। जबकि मुझे इन बातों की कोई भी परवाह नहीं थी।

12. लिपिक या सहायक न होने के बहाने पत्र पावती नहीं देता था। अगला आक्षेप था कि मैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए विभिन्न गैर जरूरी (Extraneous) बिंदु उठा रहा था जबकि तथ्य यह था कि भ्रष्टाचार की शिकायतें जो मैं देश भर में फैले कम्प्यूटर केन्द्रों से प्राप्त कर रहा था वही 'चौकड़ी' को बता रहा था और उसी के आधार पर दण्डारोपण कर रहा था। आक्षेप था कि मैंने अपने लिपिक श्री जोशी को शारीरिक रूप से उठाकर कमरे के बाहर कर दिया था जबकि तथ्य यह था कि मैंने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा था, इस जांच

में डॉ. काचरू एवं श्री रवि ने अति जल्दी की थी। दि. 03.04.2000 को ही सूचना जारी की एवं उसी दिन जांच कर ली, उसी दिन मैंने उनको अभ्यावेदन दिया कि मुझे सुन लिया जाय किंतु इन्होंने डॉ. पड़ौदा को प्रसन्न करने के लिए मुझे बिना सुने ही रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दिया जो कि अनियमितता की एक पराकाष्ठा थी। ये दोनों ही बिना पेंदी के लौटे थे। आक्षेप था कि मैंने अपने स्टेनो की चरित्रावली खराब की थी किंतु मैं अपने हस्ताक्षर से उसे यह बात सूचित नहीं किया बल्कि प्रशासन को ऐसा करने को कहता रहा जो भारत सरकार के नियम का उल्लंघन था, तथ्य यह था कि सभी चरित्रावलियां यहां तक कि मेरी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जिसे डॉ. पड़ौदा एवं डॉ. आलम ने खराब की थी उसे भी इन्होंने नहीं बल्कि निदेशक (वयैक्तिक) ने मुझे सूचित किया था। आक्षेप था कि मैंने स्टेनोग्राफर के सहयोग न मिलने पर इसे प्राप्त करने हेतु मैंने उप सचिव (प्रशासन) को अभ्रद्र भाषा का प्रयोग किया था । जबकि तथ्य यह था कि जब नाकारा व्यक्तियों को मेरे पास कार्य हेतु भेजा एवं मुझे स्टेनोग्राफर का सहयोग बिल्कुल बंद हो गया तब मैं खुद अपना टायपिंग, आवक-जावक, रजिस्टर में इंद्राज आदि कर रहा था कभी भी मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आक्षेप था कि मैंने श्रीनगर से वापसी में वायुयान के टिकिट को रिन्यू (नवीनीकरण) कराने हेतु रू. 100 लिये थे जबकि तथ्य यह था कि ऐसे प्रत्येक नवीनीकरण जब 'चौकड़ी' करती थी, वह शासन से यह राशि वसूलती थी, किंतु मैंने अपने से यह राशि लगाई थी जिसका बार-बार स्पष्टीकरण भी दिया था किंतु चोर दूसरों को अपने जैसा चोर ही समझता है और इन्होंने इसको पढ़ा तक नहीं और मेरे ऊपर रू.100 शासन से लेने की अनियमितता करने की जांच बैठाई जिसमें जांच से लाखों रूपये खर्च हुए और अंत में 10 माह की मैराथन के बाद जांच अधिकारी ने इनकी बदमासी पर ऐसी रिपोर्ट दी थी कि इनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा था। उसने कहा था कि मैंने इनकी अनियमितता उघाड़ी थी इसी कारण इन्होंने यह झूठा आक्षेप लगाया। अगला आक्षेप था कि मैंने देश भर में फैले 437 कम्प्यूटर केन्द्रों से सम्बद्ध निदेशकों, उपकुलपतियों, कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारियों, परियोजना समन्वयकों, प्रमुख कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं जिन्हें परिषद ने कम्प्यूटर दिये हैं को भ्रष्टाचार बावद् लिखा- ''यह बहुत गम्भीर बात है, सूचना है कि किसी ने अवैध रूप से, संदेहास्पद तरीके से प्रमाणीकरण का प्रोफार्मा बदल दिया है जिससे न केवल (अवैध रूप से) वेंडर्स को फायदा होगा और हमारी प्रणाली को कुछ करोड़ों की हानि होगी बल्कि यह पूरे देश के 'कम्प्यूटर नेटवर्क' को आघात देगा।''

### भ्रष्ट चौकड़ी को मेरा खुला पत्र जिसे दुहराने में उन्हें शर्म लगती थी

यहां 'चौकड़ी' ने जांच के लिए यहीं बात तक सीमित रखा था, क्योंकि आगे के पत्रों के पैराग्राफ में जो इन अधिकारियों को लिखा था उसे लिखने से उन्हें शर्म आती थी क्योंकि



यह 'चौकड़ी' को भ्रष्ट साबित करता था जिसे मैंने पत्र दिनांक 23.08.2000 को ऐसा लिखा था-

''मैं उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अवैधानिक सलाह और आदेश की परवाह नहीं करता। जैसा डॉ. आलम ने कहा है कि मेरे द्वारा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक को भ्रष्टाचार के बारे में नहीं लिखना चाहिए, जिसे डॉ. आलम कहते हैं कि वह उनकी सलाह की अवज्ञा है और सीधे ही उनके लिखित आदेश की अवहेलना है, सही नहीं है। यह अनुशासन की अवहेलना नहीं है बल्कि यह प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए भ्रष्टाचार को खोल देना है। इसी तरह वह मुझे तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का इलजाम लगा रहे हैं, जबकि सत्यता है कि जहां से शिकायतें आती हैं, मैं पहले वहां भ्रष्टाचार को सत्यापित करता हूँ और फिर मदवार अपने पत्रों में भ्रष्टाचार को देता हूँ''

यह पत्र अंग्रेजी में था एवं जैसा मैंने डॉ. आलम एवं डॉ. पड़ौदा हेतु लिखा वह हूबहू यह था-

"I do not care for any illegle advice and orders of DDG (Engg.) as well as DG, ICAR, As stated by Dr. Alam that I should not write to ND, NATP corruption which he feels non-compliance of his advice and blantantly violates the written order is incorrect. It is not indiscipline but it is exposing the corruption in the system to attain the transperancy. Similarly he is writing to me to regret for attempting to falsifying of the facts it is to state that what ever comlaint was recived I had validated and also shown item wise corrupt practices in my letter." इस पूरे पत्र को देखकर प्रकरण में जांच अधिकारी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं पाया बल्कि यह टीप भी दी कि भ्रष्टाचार उजागर किये जाने के कारण मुझे परेशान किया गया। इसी आक्षेप में लिखा गया था कि मैंने परिषद के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाये जबकि आगे हुई जांच में डॉ. पड़ौदा को भ्रष्टाचार के कारण पद से हटाया गया था। अगले आक्षेप में बताया था कि उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने बताया था कि मैं फाईलें ठीक से नहीं रखता हूँ। विशेषकर किन्हीं दो व्यक्तियों के प्रशिक्षणों की राशि देर से भुगतान से सूचना न मिलने संबंधित थीं जबकि सच्चाई यह थी कि इंजीनियरिंग विभाग में एक अवर सचिव था जिसकी ड्यूटी इस शाखा की फाईलों को रखना था एवं साथ ही रोजमर्रा की फाईलों को रखने हेतु मेरे तहत कार्यरत एक कम्प्यूटर केन्द्र था। 'चौकड़ी' ने जब कम्प्यूटर केन्द्रों के स्टॉफ को मेरे मातहत काम न करने एवं सीधे नस्तियां ऊपर भेजने को कह दिया तो मेरे पास कोई नस्ती रहने का प्रश्न ही नहीं था। क्लर्क, स्टेनो आदि कोई सहयोगी न होने से फाईलों की निगरानी का कोई प्रश्न ही न था फिर भी स्पष्टीकरण के पत्र डॉ. आलम ने लिखे थे क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि यदि मुझ पर कार्यवाही करनी हो तो मेरी फाइल में विरोधी कागज भरने पड़ेंगे। इस बिंदु पर भी जांच बैठी थी एवं जांच अधिकारी ने भी पाया था कि

जब स्टॉफ को ही मुझसे छीन लिया गया तो कैसे नस्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे उनका रख-रखाव होगा।

अगला आक्षेप था कि जब मुझे कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (कृ.वै.च.मं.) ने चुनकर भा.कृ.अ.प. के पास नियुक्ति के लिए भेजा तब परिषद ने नियुक्ति में देरी की। इस पर मैंने 'भारत के राष्ट्रपति' को धमकी दी कि यदि मुझे नियुक्ति नहीं दी गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तथ्य यह था कि परिषद में कृ.वै.च.मं. के साक्षात्कार के तुरंत बाद डॉ. मंगला राय आदि ऐसे ऊँची पहुंच या प्रभावशील या चापलूस लोग थे जो चुनाव के दूसरे दिन ही परिषद में नियुक्ति ले रहे थे एवं पदस्थ हो जाते थे जबकि दूसरी ओर मेरे प्रकरण में 5-6 माह तक कृ.वै.च.मं. की संस्तुति प्राप्त होने के बाद भी परिषद से मुझे नियुक्ति नहीं मिली थी, इस बावद् मैंने उच्च अधिकारियों को बार-बार लिखा था कि चूंकि मैंने अभी तक की 20 वर्ष की शासकीय सेवा में बड़े-2 घपले उजागर किये थे उनमें कुछ प्रभावशाली व्यक्ति परिषद के मुख्यालय में बैठे हुए हैं जो मेरी नियुक्ति में रोड़ा बने हुए हैं। किंतु मैंने कभी भी 'भारत के राष्ट्रपति' को यह नहीं लिखा कि यदि मेरी सहायक महानिदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस बिंदु पर भी जांच बैठाई गई थी जिस पर जांच अधिकारी ने इसे भी सही नहीं पाया।

ऐसे ऊल-जुलूल ओछे एवं झूठे लांक्षन लगाकर चापलूस श्री सोधी सिंह अवर सचिव ने अपने आका एवं 'चौकड़ी' को प्रसन्न रखने के लिए नोटशीट में आगे लिखा कि उपरोक्त स्थिति का विश्लेषण करने पर पाया गया कि उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) द्वारा डॉ. तोमर पर आरोपित लांक्षन जो उसके कार्य करने के तरीका, व्यवहार, कार्य के प्रति दृष्टिकोण और उसके अदक्षताकारी परिणाम से सम्बद्ध हैं, सही हैं। इस कारण सुधारात्मक कार्यवाही की तुरंत आवश्यकता है। अनुशासन का प्रदर्शन हो इसलिए आवश्यक है कि डॉ. तोमर पर कड़ी कार्यवाही हो, इसलिए यह सलाह है कि पहले डॉ. तोमर को निलंबित (मुअत्तल) करके उन्हें एक बड़े दण्ड के लिए आरोप या अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाय जिसमें उपरोक्त चूक एवं गल्तियों के लिए जिम्मेवार ठहराया जाय।

सक्षम अधिकारी इन बातों पर कार्यवाही के लिए जो अधिकृत हैं वह भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व कि अध्यक्ष के पास नस्ती जाये परिषद के महानिदेशक, सचिव एवं उप महानिदेशक (इंजीनियरी) इसे देख लें।

ऐसा लिखकर सोधी सिंह ने नस्ती अपने आकाओं को खुस करने के लिये 01.05.2000 को आगे बढ़ा दी थी। यहां उसने जानबूझकर एक गलत रास्ता चुना था जिसकी सफलता में मुझ पर कार्यवाही हो सकती थी।

## एक ईमानदार अवर सचिव के कारण भ्रष्टों को अनियमितताओं से घोर अनियमितताओं की ओर बढ़ना पड़ा :



जो इस नोटशीट में भी श्री सोधी सिंह ने चतुराई दिखाई थी वह यह थी कि इस प्रस्ताव को बिना सतर्कता विभाग के मत लिए आगे भेज दिया जाय। जबकि नियमानुसार कोई ऐसा प्रस्ताव सतर्कता विभाग से ही जाता है। किंतु चापलूसी करने के लिए श्री सोधी सिंह ने मेरे निलम्बन का प्रस्ताव भेजने का सीधा रास्ता यह रखा था क्योंकि 'चौकड़ी' को डर था कि सतर्कता विभाग जो सीधे प्रमुख सतर्कता के अंतर्गत आता था उसमें कोई ऐसा मत न दे देवे जिससे मंत्री (अध्यक्ष) इसपर अपना निर्णय देने के पूर्व भ्रष्टाचार की जानकारी प्राप्त करने का यत्न करें। क्योंकि इस समय श्री नितीश कुमार की जगह श्री सुन्दरलाल पटवा कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष थे। इसी कारण 'चौकड़ी' डर-डर के पांव रख रही थी (इस नोटशीट पर आपेक्षित बिन्दुओं पर बाद में षड़यंत्र पूर्वक जांच के मुद्दे बनाकर जांच कराई गई थी और सभी 33 मुददों की जांच के निष्कर्ष से जांच अधिकारी ने चौकड़ी के गाल पर तमाचा जड़ते हुए इन्ही पर षड़यंत्र साबित किया था)। षड़यंत्र पूर्वक जांच की थी क्योंकि श्री.नितीश कुमार ने एक बिन्दु स्वीकृत किया था किंतु अन्य बिन्दु पर जांच चौकड़ी के सहयोग से चलाया गया था जिसमें नितीश ने कुछ अवरोध नहीं किया था, किंतु 33 बिन्दुओं पर जांच चौकड़ी के सहयोग से चलाया गया था जिसमें नितीश ने कुछ अवरोध नही किया। जब यह नोटशीट निदेशक (व्यैक्तिक) से होती हुई उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) तक पहुंची तो वह सीधे ही इसमें हस्ताक्षर कर सचिव तथा महानिदेशक को इंगित कर दी गई। उसका सीधा मतलब था कि वह चाहते थे कि सचिव भी हस्ताक्षर कर दे एवं यह नस्ती सीधे ही महानिदेशक को भेज दे एवं महानिदेशक मंत्रीजी से मनचाही स्वीकृति ले लें। मुझे पद से हटाने के लिए 'चौकड़ी' सतत प्रयत्न कर रही थी किंतु अध्यक्ष से अभी तक हस्ताक्षर न ले पायी थी। परिषद के सचिव के पास डॉ. आलम से नोटशीट यह इंगित करते हुए कि सीधे महानिदेशक को भेजा जाना है तो उन्होंने इसे सतर्कता विभाग को जांच कर उचित आदेश हेतु दिनांक 04.05.2000 को प्रस्तुत करने के लिए कहा। और यहीं फंस गई फांस 'चौकड़ी' की कहानी की। कहते हैं भ्रष्टाचार सभी के सहयोग से होता है। यदि एक भी ईमानदार आदमी लीक में आ जाता है तो वहां अड़ंगा लग जाता है। भ्रष्टाचार करने के लिये या तो उसे हटाया जाय या भ्रष्टाचार बंद किया जाय वाली स्थिति आ जाती है। जब अब यह मुझे निलंबित कर बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जांच कराने वाली नोटशीट सतर्कता शाखा को गई तो वहां तुरंत श्री विक्रम सिंह अवर सचिव (सतर्कता) ने 08.05.2000 को अपने मत इसमें लिखे। सतर्कता विभाग की बनी बनायी प्रक्रिया रहती हैं अतः यंह यदि कोई व्यक्ति पक्षपाती नहीं होता तो वह उनके तहत अपने मत देता है। इसी क्रम में श्री.विक्रम सिंह ने अपने नोटशीट मे लिखा-

1. वैयक्तिक विभाग ने अपने नोट पृष्ठ 1 से आगे यह प्रस्ताव दिया है कि डॉ.यस.यस.तोमर, सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प.), भा.कृ.अ.प. को निलंबित कर मेजर (बड़े) दण्ड़ के लिये कथित बिन्दुओं पर आरोप पत्र जारी किया जाय। पूर्व पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित बिन्दुओं के कथन पर कोई सतर्कता का दृष्टिकोण

नहीं है साथ ही कोई विशेष नियमों (निर्देशों) का उलंघन नही है। यद्यपि ड़ॉ.तोमर के विपरीत कार्य एवं चाल चलन के बारे में वर्णन हैं। उसके खिलाफ गलत अनुशासन पर प्रशासनिक कार्यवाही उसको नियंत्रण करने वाले अधिकारी (उपमहानिदेशक-इंजीनियरी) द्वारा की जा सकती है। यह ज्ञात नहीं है कि आरोपों पर उससे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है या नहीं। यदि ऐसा है तो क्या ड़ॉ.तोमर को कोई चेतावनी या सलाह ऐसा न करने की दी गई है। यह भी ज्ञात नहीं है कि उनके अधिकारीयों द्वारा गोपनीय चरित्रावली (1998-99 एवं 1999-2000 की हैं) में ऐसे विपरीत बिन्दु लिखे गये हैं।

2. यह भी आरोप है कि ड़ॉ.तोमर ने श्री यच.के. जोशी (निम्न श्रेणी लिपिक) को उनकी कुर्सी से भौतिक रूप से उठाकर दिनांक 21.03.2000 को कमरे से बाहर कर दिया है (फोल्ड़र संख्या 3 की शिकायत )/आरोप की जाच एक समिति जिसमें सर्वश्री आर.पी.काचरू. सहायक महानिदेशक (संसाधन इंजीनियरी) एवं जे.रवि उप संचालक (वैयक्तिक) ने जांच की। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.04.2000 से बताया कि श्री जोशी के गलत व्यवहार के आक्षेप में सच्चाई है जो एक सहायक महानिदेशक के स्तर के अधिकारी से आपेक्षित नहीं थी। यद्यपि इसमें ड़ॉ.तोमर का कथन उपलब्ध नही हैं। यद्यपि इसमे ड़ॉ. तोमर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया या नहीं यह भी ज्ञात नहीं है। इसका स्पष्टीकरण वैयक्तिक या इजीनियरी विभाग से आवश्यक है।

3. ध्यान देने योग्य बात है कि डॉ यस. यस तोमर ने दिनांक 08.02.2000 एवं 29.02.2000 को महानिदेशक को आवेदन दिये हैं जिसमें उसने परियोजना में कम्प्यूटर खरीदी पर अनियमितता के आरोप लगाये हैं। उसने यह भी लिखा है कि परिषद को रू. 1.6 करोड़ की हानि से रोकने के लिये उसके हट जाने से उसके द्वारा प्रारंभ किये गये प्रयत्न को धक्का लगेगा।

उसने कम्पयूटरो की आपूर्ति में अंतराष्ट्रीय बोलीदस्तावेज के प्रावधानों के अर्न्तगत दण्ड़ की सस्तुति की है। आदेश फर्म को केवल तभी देना चाहिये था जब 'बेंचमार्क' हो जाता, किंतु आदेश बिना 'बेंच मार्क' किये ही पारित कर दिया गया। उसने वेंड़र्स से कम्प्यूटर एवं सम्बंधित उपकरणों को समय पर देने के लिये एवं उनके परीक्षण की सुविधा न प्रदाय की बात लिखी है जिससे संविदा की शर्तो का उलंघन हुआ एवं माल प्रदाय में देरी हुई। ड़ॉ. तोमर ने अपने एक दूसरे पत्र दिनांक 29.02.2000 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को लिखा है जिसमें परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जो वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बाबद कम्प्यूटर उपकरणों खरीदी जो दोनों राष्ट्रीय कृषि परियाजनाओं (तकनीकी एवं अनुसंधान) के हैं। उसने इसकी जाच सी.बी.आई. एवं सी.बी.सी. से कराने की बात लिखी हैं।



इस पत्र में डॉ. तोमर ने जो बिंदु दिये हैं उन पर उप महानिदेशक (इंजीनियरी) ने यद्यपि बहुत से बिंदुओं पर अपना मत दिया है किंतु डॉ. तोमर द्वारा लगाये गये कम्प्यूटर खरीदी आदेश की अनियमितता के आक्षेपों पर कोई विशिष्ट मत नहीं दिया।

4. श्रीमती सरला तोमर द्वारा दिनांक 14.03.2000 को लिखा गया पत्र जिसमें डॉ. सदाचारी सिंह तोमर द्वारा विश्वबैंक के ऋण जो दोनों राष्ट्रीय कृषि परियोजनाओं (अनुसंधान एवं तकनीकी) में कम्प्यूटर खरीदी से अनियमितता के लिए लिखे गये थे संलग्न किये गये हैं। इसमें श्रीमती सरला तोमर ने जो पत्र कृषि मंत्री को लिखा है उसमें 192 पृष्ठों के दस्तावेज संलग्न करना लिखा है। किंतु यहां जो फोल्डर सं. 2 संलग्न है उसमें कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। श्रीमती सरला तोमर ने परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं। जो कम्प्यूटर उपकरणों की खरीदी के हैं, इसमें वर्णित हैं। उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने अपने नोट दिनांक 23.03.2000 से डॉ. तोमर पर गंभीर आरोप लगाये हैं। किंतु उसने (श्रीमती सरला तोमर ने) अपने पत्र में जो गम्भीर आरोप लगाये हैं उस पर मत नहीं दिया। उप महानिदेशक (इंजीनियरी) ने सलाह रूप में लिखा है कि इसका सत्यापन डॉ. तोमर को एक पत्र लिखकर कर लिया जाय कि उसकी पत्नी ने यह पत्र लिखा है और फिर डॉ. तोमर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय से बाहर हटा दिया जाय, जिससे यहां कार्य करने का वातावरण सही बन जाय। डॉ. तोमर ने यहां संकट पैदा कर दिया है, जिससे कम्प्यूटर केन्द्र में सामंजस्य में कमी आ गई है। उप महानिदेशक (इंजीनियरी) के सलाह के अनुसार, कार्मिक शाखा ने एक पत्र दिनांक 04.04.2000 को यह सत्यापित करने के लिए लिखा था कि क्या पत्र दिनांक 14.03.2000 उसकी पत्नी द्वारा लिखा गया है। इसके उत्तर में डॉ. तोमर ने 06.04.2000 को लिखा कि यह उचित होगा कि श्रीमती सरला तोमर से इस बावद पूछा जाय क्योंकि यह बात गम्भीर भ्रष्टाचार से संबद्ध है जिसकी जांच तुरंत करना आवश्यक है। यद्यपि यह नहीं ज्ञात है कि क्या कोई पत्राचार श्रीमती सरला तोमर से हुआ यदि ऐसा है तो श्रीमती सरला तोमर से क्या पत्रोत्तर मिला। यह स्पष्टीकरण कार्मिक या विषय संबंधी विभाग से लिया जा सकता है। आगे यह सलाह दी जाती है कि डॉ. तोमर और उनकी पत्नी द्वारा कम्प्यूटर खरीदी में लगाये गये भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की जांच कर लिया जाय। जिससे भविष्य में जब जांच चले तो डॉ. तोमर को यह कहने का मौका न मिले कि उसने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाये थे इसी कारण उन्हें प्रतिषोध की भावना से आतंकित किया जा रहा है।

5. उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) की संलग्न फाईल को नोट पृष्ठ 6-7 में डॉ. तोमर की कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली में कार्य की पद्धति के बारे में मत दिया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने जुड़ी हुई नस्ती के पृष्ठ 67 पर अन्य बातों के साथ यह कहा है कि डॉ. एस.एस. तोमर को लिखित में सलाह दी जाय कि भविष्य में वह ज्यादा दत्तचित एवं सहयोगी बनें। यह ज्ञात नहीं है कि अभी तक डॉ. तोमर को परिषद के महानिदेशक के निर्देशानुसार कोई सलाह या मार्गदर्शन दिया गया या नहीं।

6. उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने अपने नोट (जो फोल्डर 6 में है) से डॉ. तोमर के भ्रमण भत्ता के आरोप को अग्रेषित किया है जो उसकी मई 1999 की श्रीनगर यात्रा से सम्बद्ध है, कम्प्यूटरों के उपयोग के मुद्दों को उठाया है और डॉ. तोमर द्वारा फाइल रखने से सम्बद्ध है में लिखा है। भ्रमण भत्ता के दावे का जो आरोप है वह सतर्कता दृष्टिकोण वाला है। यद्यपि यह देखा गया है कि उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने अपनी पर्ची जो 06.10.99 के नोट में है में डॉ. तोमर द्वारा रू. 100 का दावा भ्रमण टिकट निरस्त करने का लगी है उसे ग्राह्य नहीं किया गया एवं संषोधित भ्रमण कार्यक्रम भी स्वीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) को भविष्य के लिए सलाह दी है कि यदि यात्रा में कोई परिवर्तन हुआ करे तो उसी समय सक्षम अधिकारी से अनुमति ले लिया करें। जैसा कि डॉ. तोमर के प्रकरण में उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) सक्षम अधिकारी हैं और उसने स्वतः ही भ्रमण कार्यक्रम एवं रू. 100 के दावे को ध्यान न देते हुए नियमित कर दिया है और वह रू. 100 का दावा नही ले पाये। इस लिए इस पद में इस स्थिति में उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना हमारे लिए संभव न होगा। अन्य आरोप के मुद्दों का जहां तक सम्बंध है, यह ज्ञात नहीं है कि क्या डॉ. तोमर से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया या नहीं और यदि ऐसा है डॉ. तोमर ने इस पर क्या स्टैंड (साख या रूख) अपना लिया।

उपरोक्त में वर्णित स्थिति को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि यह प्रकरण अभी इतना परिपक्व नहीं है, जिससे अनुशासनात्मक कारवाई प्रारंभ की जा सके। यह सलाह दी जाती है कि कार्मिक विभाग/इंजीनियरी विभाग और प्रमाण जुटा सकते हैं और पाये गये विभिन्न उपरोक्त बिंदुओं पर स्पष्टीकरण एवं जानकारी जुटा सकते हैं।

कार्मिक विभाग से यह निवेदन किया जा सकता है कि वे मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए प्रकरण को पुनः मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजें, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जोड़ लें जिससे आरोप दृढ़ हों एवं आरोप पत्र का मसौदा भी जिसमें बड़े दण्ड के लिए आरोप सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा कर उनका आदेश लिया जाय।

पूर्व पृष्ठ 5 पर मुख्य सतर्कता अधिकारी की टीप के संदर्भ में प्रस्तुत।

(विक्रम सिंह)

अवर सचिव (सतर्कता)/08.05.2000"



निदेशक (सतर्कता) की टीप

''प्रथम दृष्टि में सूचना विषय, संबंधी विभाग या कार्मिक विभाग द्वारा उन बिंदुओं पर जुटानी पड़ेगी जिनको चिंन्हित किया गया है।

(मो.असलम) हस्ताक्षर/15.05.2000''

''(बी.के.सिंह) हस्ताक्षर/15.05.2000''

मुख्य सतर्कता अधिकारी

यहाँ से मेरी जांच पर कार्यवाही लगभग बन्द होनी थी किन्तु अचानक अखबार का 15-5-2000 का समाचार पुनः जाँच को जालसाजी से जाँच की ओर मोड़ दिया ''सभी तथ्यों और आरोपों के साथ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिस आरोप पत्र पर आज चर्चा हुई है उन अतिरिक्त आरोपों के साथ आज ही प्रस्तुत करें।

(बी.के.सिंह)

हस्ताक्षर/15.05.2000''

यहां पर उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त ने 15.05.2000 को ही दोबारा नोटशीट लिखी वह भी अलग-अलग तरह से ही (परिषद मुख्यालय में) सभी वरिष्ठ अधिकारियों (मुझे छोड़ते हुए) की एक बैठक गोपनीय तरीके से 'चौकड़ी' के साथ उस ***'द इंडियन एक्सप्रेस'*** के समाचार पर चर्चा हुई थी जिसमें सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पड़ौदा, मंगला राय, अनवर आलम आदि के भ्रष्टाचार को खोलकर इन्हें अनावृत करते हुए चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया था। दिनांक 15.05.2000 के समाचार ने चोर को चोर भ्रष्ट को भ्रष्टाचारी कहने का साहस इस अखबार ने न केवल किया था बल्कि दृढ़ता के साथ इसे खण्डन न करके इसके प्रमाण परिषद के सम्मुख रखने और चौकड़ी को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई थी। उपरोक्त में श्री विक्रम सिंह ने जिस दृढ़ता के साथ सच्चाई को सामने लाने के कमेंट दिये थे इसे बिना आधार के बदलने के लिए दिनांक 15.05.2000 के समाचार ने 'चौकड़ी' के साथ अन्यों को एकजुट तो किया था। किंतु श्री विक्रम सिंह की दृढ़ता को देखते हुए 'चौकड़ी' ने नियमों की अनदेखी करते हुए पुनः इसकी नोटशीट को जो लौटकर श्री विक्रम सिंह के पास आकर मंत्रीजी (अध्यक्ष) की तरफ जानी थी वह सीधे ही मंत्री तरफ भेजी गई थी। बाद में भी जाँच के जितने प्रयत्न हुए उसमें श्री विक्रम सिंह के मत कभी नहीं लिये गये। इस तरह इस समाचार से खौफ खाये 'चौकड़ी' ने सभी नियमों को ताक में रखते हुए किसी सहायक महानिदेशक को निलंबित करके उसको बड़ा दण्ड (सेवा से निकालने तथा बरखास्त करने) की प्रक्रिया बिना सतर्कता विभाग की संस्तुति या मत के किया गया था। भ्रष्ट लोग यहीं तक नहीं रुके बल्कि आगे की कार्यवाही (अपने काले कारनामों को छिपाने हेतु) में फाइलों पर फाइलें (नस्तियां पर नस्तियां) बदली जिससे उनके पाप दबे रह सकें। इनके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी श्री किरण सिंह ने सभी इन

33 आरोपों को न केवल झूठा पाया था बल्कि परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों पर यह सिद्ध किया था कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इन्होंने ये झूठे 33 आरोप लगाये थे। इस 15.05.2000 की तारीख को ही बार-2 लिखकर 6 पृष्ठीय नोटशीट बनायी गई। जिसमें सर्वश्री सोधी सिंह (अवर सचिव), गया प्रसाद (निदेशक कार्मिक), वी.के. चौहान (सचिव), अनवर आलम (उपमहानिदेशक), राजेन्द्र सिंह पड़ौदा (महानिदेशक) ने लिखा किंतु किसी ने भी यह नहीं लिखा कि इसमें सतर्कता विभाग (श्री विक्रम सिंह) जिसने इनकी गल्तियों को बताते हुए नस्ती में मत मांगे थे जिससे नियमानुरूप नस्ती आगे जाये एवं औरों के मत लिये जायें। क्या यह नस्ती उसी दिन मंत्री तक भेजने के लिए बौखलाहट के कारण ऐसा हुआ था कि सतर्कता की तरफ से जाने वाली नस्ती सीधे गई थी या और अन्य कारण। इसको जानने के लिए आगे की नोटशीट्स पर ध्यान देना योग्य होगा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि श्री विक्रम सिंह (सतर्कता) को यदि मत के लिए पुनः भेजा जाता तो ये सभी भ्रष्टाचार में नंगे हो जाते, इसलिए उनके मत के बिना ही 'चौकड़ी' ने नियमों की अवहेलना की। यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनके रक्त में यह मौजूद था कि भ्रष्टाचार करें एवं इससे बचने के लिए नियमों की अवहेलना मन माफिक करते रहें। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि श्री नितीश कुमार मंत्री एवं अध्यक्ष के रूप में आगे के जो निर्णय लिये इसमें भी इन्होंने जानबूझकर इन तथ्यों की अनदेखी ही नहीं की बल्कि मुझे सेवा से हटाने (टर्मिनेट) के पूर्व उन्होंने अपने द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी श्री किरण सिंह से जांच रिपोर्ट तक नहीं मांगी या देखी। इससे स्पष्ट था कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ले रहे थे बल्कि मूल भ्रष्टाचार की जड़े भी पनपा रहे थे।

**घोर अनिमियतता करते हुए बिना सतर्कता ( अवर सचिव ) की टीप लिए मुझ पर कार्यवाही :**

15.05.2000 को ही श्री सोधी सिंह ने आज ही हुई चर्चा के अनुसार नोटशीट तैयार की जो इस प्रकार थी-

''**संदर्भ :** पूर्व पृष्ठ में सचिव के अवलोकन के अनुसार। डॉ. तोमर पर जो आरोप लगे हैं वह पृष्ठ 1 से 5 तक इसमें रखे फोल्डर में दस्तावेजों में पहले ही रखे हैं। यद्यपि सतर्कता विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था जो निम्नानुसार है-

**पैरा-1 :** इसका स्पष्टीकरण उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को देना है।

**पैरा-2 :** डॉ. तोमर को जांच समिति ने श्री हरेन्द्र कुमार जोशी, लिपिक के साथ गलत व्यवहार करने पर जांच समिति ने बुलाया था, किंतु वह निर्धारित समय पर नहीं आये। यद्यपि उन्होंने 4.45 सायं (दिनांक 03.04.2000) को सहायक को पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि उन्हें 5.00 बजे सूचना मिली थी क्योंकि वह किसी प्रशिक्षण में व्यस्त थे। जांच में पता चला था कि सहायक महानिदेशक के चपरासी ने करीब 11.30 सुबह को पत्र प्राप्त



किया था और तुरंत ही सहायक महानिदेशक (एरिस-कम्प्यूटर) को दिया था जिसे पढ़कर उन्होंने उसे अपने ड्रायर में रख दिया था। तथ्यात्मक लिखित कथन जो श्री योगेश चपरासी से सम्बद्ध है रिपोर्ट के साथ जुड़े हैं।

समिति के रिपोर्ट में लिखा है कि समिति दृढ़ता के साथ इस बात की और झुकी है एवं पाया है कि सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) या तो कतराते रहे जिसमें जांच में न जाना पड़े या उसने कुछ कहने के लिए उनके पास न होगा। सहायक महानिदेशक एवं उनके चपरासी का कथन विरोधाभाषी है। इससे वरिष्ठ अधिकारी की इमानदारी पर संदेह पैदा होता है।''

चपरासी ने डॉक कैसे ले ली यह भी नहीं पूछा। यहां सतर्कता विभाग ने चाहा था कि डॉ. तोमर की तरफ से उनको कोई स्पष्टीकरण भी है या नहीं। इसे कार्मिक विभाग या इंजीनियरी विभाग का स्पष्टीकरण देना योग्य होगा। इस पर बिना कोई मत दिये श्री सोधी सिंह ने नोटशीट लिख आगे बढ़ा दी। श्री विक्रम सिंह को न भेजते हुए चापलूस श्री सोंधी सिंह ने अपने आका को प्रसन्न करने के लिये खुद ''थूंक कर चाट गया'' था। आगे जवाब निम्नानुसार है-

''**पैरा-3 :** उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) द्वारा दिया जाना है

''**पैरा-4 :** यह इस बात से संबंधित है कि श्रीमती सरला तोमर ने अपने पत्र से कम्प्यूटरों की खरीदी में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाये हैं। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया है, डॉ. तोमर को निवेदन किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह पत्र उनकी पत्नी द्वारा लिखा गया है या नहीं। डॉ. तोमर ने उत्तर दिया था कि यह बात भ्रष्टाचार से संबंधित है एवं इसके बारे में जानकारी मेरी पत्नी से प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमती तोमर को कोई पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि तथ्य यह था कि यह पत्र डॉ. तोमर द्वारा अपनी पत्नी के नाम लिखा था। इस पत्र को एक भ्रामक शिकायती पत्र माना जा सकता है।''

पहले तो बिना पत्राचार के ही भ्रामक मान लेना श्री सोधी सिंह की चापलूसी का प्रतीक था जो अपने आका को खुस रखने के लिए किया गया था। दूसरा अपने आप यह मान लेना कि डॉ. तोमर ने ही यह पत्र लिखा यह धूर्तता थी। वास्तविकता यह थी कि यह पत्र मेरी पत्नी द्वारा ही लिखा गया था जिसका सत्यापन भी उन्हीं से कराने हेतु मैंने इन्हें पत्र भी लिखा था किंतु किसी तरह चमचागिरी करके अपने वरिष्ठों को प्रसन्न कर लाभ लेने के उद्देश्य से श्री सोधी सिंह (अवर सचिव) ने आंख मूंदकर ऐसा लिख दिया। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्री विक्रम सिंह (अवर सचिव- सतर्कता) ने यह एक षडयंत्र का कारण अपने टिप्पणी में लिखा था कि इसमें वर्णित 192 पृष्ठ के दस्तावेज यहां उपलब्ध नहीं हैं जिसे श्रीमती सरला तोमर ने संलग्न किया बताया है। उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने श्रीमती सरला तोमर द्वारा वर्णित गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं उस पर भी कोई टीप नहीं है। डॉ. तोमर ने जो अपने पत्र से कहा था कि उनकी पत्नी को पत्र लिखकर पूछा जाय कि यह पत्र उनके द्वारा लिखा गया या नहीं, यह स्पष्ट करें। यहां यह सलाह दी जाती

है कि श्रीमती सरला तोमर द्वारा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप जो कम्प्यूटर खरीदी पर लगाये हैं उनकी जांच कर दी जाय। इस पर श्री सोधी सिंह (कार्मिक) ने श्री विक्रम सिंह (सतर्कता) के किसी बिंदु पर टीप नहीं लिखी थी। क्योंकि इस पर सीधे ही भ्रष्ट लोगों को नंगा हो जाना था।

''**पैरा-5 :** डॉ तोमर को कोई सलाह नहीं दी गई, यद्यपि जब अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी तब इसे एक आरोप के रूप में जोड़ा जाने का प्रस्ताव है।''

यहां यह ध्यान देने योग्य बात थी कि नियमानुसार भी और महानिदेशक के लिखी टीप के आधार पर भी यह सतर्कता विभाग से कहा गया था कि पत्र लिखकर डॉ. तोमर को सलाह दी जाय। किंतु श्री सोधी सिंह (कार्मिक) ने सतर्कता विभाग के इस प्रस्ताव को न मानते हुए सीधे आरोप बिंदु पर इसे जोड़ने का फर्मान के प्रस्ताव को बढ़ाया। यह एक धूर्तता थी कि इसने तानाशाह जैसे व्यवहार करके मुझे फंसाने के चक्कर में ऐसी टीप दी थी जिसे पूर्णतयः नियमों के विपरीत भी कहा जाता है।

**पैरा-6 :** उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने से यहां यह कहा जा सकता है कि डॉ. तोमर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में गये हैं जो कि इसमें छपी खबर ***''वैज्ञानिक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के घोटाले को उजागर करने के कारण परिषद से बाहर कर दिया गया''।*** इस समाचार के मसाला को देखकर स्पष्ट है कि डॉ. तोमर अखबार में अनाधिकृत गये हैं। इस संदर्भ में सी.सी.एस. (कण्डक्ट नियमों) संख्या 8 जिसका विवरण लागू होने वाला नीचे दिया जा रहा है। अखबार में अनाधिकृत रूप से जाने के कारण सी.सी.एस. (कण्डक्ट नियम) 9 का उल्लंघन हुआ है। यह गम्भीर मामला है जिसमें डॉ. तोमर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही आपेक्षित है। यदि डॉ. तोमर के खिलाफ तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो इससे ऐसे कार्यों की बाढ़ आ जायेगी और इससे परिषद में अनुशासन बनाये रखने में समस्या होगी। विषेषकर संवाददाता का नाम भी इस समाचार में दिया गया है।

उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) इसे देखते हुए इस संदर्भ में भी अपनी टीप देने की कृपा करें। उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को प्रस्तुत करने के पूर्व सचिव भी कृपया देखने की कृपा करें।

(सोधी सिंह)

अवर सचिव (कार्मिक)/15.05.2000''

यह नस्ती जो सतर्कता विभाग को भेजनी थी वह चतुराई पूर्वक निदेशक (कार्मिक) एवं सचिव से होती हुई उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को भेजी गई। इस टीप में विशेष रूप से अखबार का समाचार श्री सोधी सिंह ने जोड़ा था वह न तो उसके पास किसी ने भेजा था और न ही उसके पास ऐसा कोई अधिकार था कि वह ऐसा समाचार जोड़ता। अपनी पूरी टीम में उसने सतर्कता विभाग द्वारा चाहे गये बिंदु तो दिये नहीं उल्टा अपने आप कई जगह डॉ. तोमर को दोषी मान लिया। भले ही उसने अपने आकाओं की चापलूसी, खुशामदी



की हो किंतु नियमों के विपरीत इतनी ज्यादा गलती की थी कि यदि जांच की जाती तो इसको नौकरी से बरखास्त होना पड़ता। पर यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी। उसे न केवल 'चौकड़ी' का चहेता बने रहने का अवसर मिला बल्कि मंत्री से संत्री तक उसकी खुशामद करने लगे। इसने घपलों तथा उसके दस्तावेजों को छुपाने की कोशिश कर उन्हें टीप में नहीं आने दिया जिस पर कार्यवाही होने पर उसे जेल की सीखचों के अंदर जीवन गुजारना पड़ता। इसकी टीप के साथ ही उपमहानिदेशक की टीप चाही थी और उसे यहां अगले पृष्ठ पर लिखा बताया जो इस प्रकार था-

''प्रशासन में पूर्व में ही पैरा 2,4,5 पर अपनी टीप दी है। मेरी टीप जो पैरा 1,3 एवं 6 की है वह यहां दी जा रही है-

**पैरा-1 :** उसे कई बार सलाह दी गई है। क्योंकि वह मेरा कनिष्ठ साथी है अतः पहले मैं उसे मौखिक सलाह देता रहा, किंतु जब इससे बात नहीं बनी तो मैंने उसे सीधे पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा। इस बावद लिखे गये कुछ नोट एवं पत्र यहां रखे हैं।

वर्ष 1997-98 के लिए नया होने के कारण उसे कार्यप्रणाली में छूट दी गई। वर्ष 1998-99 की प्रगति रिपोर्ट को उसके द्वारा देरी से प्रस्तुत किया गया। उसके विपरीत समावेश टीप हैं, प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होगी। वर्ष 1999-2000 की प्रगति रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं हुई। पूर्व के वर्ष की प्रगति 'केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान से प्राप्त की जा सकती हैं।''

**तथ्य :** इसमें डॉ. आलम ने कोई चेतावनी या सलाह देने के लिए टीप नहीं लिखा। क्योंकि इसके लिखने से अभी आगे की कार्यवाही रोकनी पड़ती, परंतु यहां तो अखबार का समाचार दि. 15.05.2000 का था अतः उसी दिन सभी कार्यवाही करने के यत्न हो रहे थे। उप महानिदेशक की विपरीत टीप न होते हुए इस कपटी ने विपरीत टीप मान ली।

**पैरा-3 :** लगाये गये आरोप तथ्य रूप में सही हैं। डॉ. तोमर ने श्रृंखला से सभी को एक तरफ रखते हुए एक अपनी ढपली अपना राग अलापा। वह अंतर्राष्ट्रीय बोली स्पर्धा दस्तावेज बनाने में लगा था इसमें कई कमियां रहीं, जिसके यथा इच्छा विरोध के कारण माल जलपोत से आने में देरी हुई। विश्वबैंक की सलाह के बाद भी वह 100 प्रतिशत ग्राह्यता परीक्षण पर डटा रहा जिससे कम्प्यूटरों के प्रदाय में देरी हुई। 5-12 के समूह में प्रशिक्षण दिया गया जिससे उसका प्रभाव हो तथा बोली दस्तावेज-II को पूर्ण करने में भी इसकी आवश्यकता थी एवं परियोजना प्रबंधन समिति ने इसे स्वीकार भी किया। डॉ. तोमर को कम्प्यूटरों को अच्छी तरह परीक्षण एवं प्रदाय की जिम्मेवारी दी गई थी जिससे राष्ट्रीय परियोजना के खोजकर्ता को लाभ में माल मिले। इसके बदले उसने विधा को रोकने के लिए प्रयत्न किये। जिससे वेंडर्स उसके आगे-पीछे घूमें जिससे देरी से आपूर्ति हुई''।

**तथ्य :** यहां डॉ. आलम ने पूर्णतय झूठा लिखा था। कम्प्यूटरों को बिना 'बेंचमार्क' किए क्रम आदेश न दिये जाने के कड़े निर्णय सभी विशेषज्ञों ने लिये थे जिसे न मानते हुए उन्होंने सीधे आदेश दिलवा दिये जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। प्रशिक्षण प्रत्येक साइट पर करनी थी, किंतु उन्होंने 5-12 के समूह में अन्यत्र बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया, जिससे 'साइट' के कम्प्यूटरों

को चलाने लगाने में समस्या हुई एवं नेटवर्क धारासायी हो गया। पत्र जो डॉ. तोमर ने लिखे थे उनकी सूचना उन्हें दी गई थी क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर के पत्र वह अपने पास रोक लेते थे अतः यह पत्र गंतव्य तक जाये जिससे भ्रष्टाचार रूके अतः सीधे भी पत्र भेजे गये थे। विश्वबैंक की अवधारणा का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ था। कम्प्यूटर उपकरण जब वेंडर्स से मिले ही नहीं थे तब परीक्षण पूर्ण होने का सवाल ही नहीं था, वेंडर्स देरी इसलिए कर रहे थे जिससे पुराना पेंटियम-II आधी कीमत पर उन्हें मिल जाय। हवाई जहाज की जगह जलपोत परिवहन की अनुमति देकर डॉ.आलम ने गलती की इन सभी कुकृत्यों के लिए यदि सही कार्यवाही होती तो वह (डॉ. आलम) न केवल पद से बरखास्त होते बल्कि जेल की सीखचों में अभी बंद रहते, जेल की चक्की पीसते रहते किंतु यहां मंत्री से संत्री तक मिले हुए थे। मैं वेंडर्स से कभी मिलता तक नहीं था, बैठकों में बात होने के बाद उन्हें समय पर कार्य पूर्ण करने के पत्र लिखता था फिर भी डॉ. आलम ने यहा उनसे सम्पर्क बाबद झूठा लिखा। डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने जानबूझकर रू. 1000 करोड़ को सरला तोमर द्वारा बताये गये घपलों का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वह इसमें हितग्राही थे।

रू. 100 की अनियमितता जिस पर अवर सचिव (इंजीनियरी) ने झूठ-मूठ का सहारा लेकर सही जांच का विषय बनाया था यदि सही जांच होकर इस पर कारवाई होती तो इस व्यक्ति की न केवल नौकरी चली गई होती बल्कि यह जेल मे होता। जब सतर्कता विभाग ने जो रू. 1000 करोड़ की .तकनीकी एवं रूपये 1000 करोड़ की अनुसंधान कृषि परियोजनाओं में जो मैंने उन पर पत्र से घपले उजागर किये थे, उसमें उनकी टीप मांगी थी। किंतु इन दोनों ही परियोजनाओं में 'चौकड़ी' के भ्रष्ट हाथ थे, इसी कारण टीप नहीं दी थी जो एक अपराध था।

डॉ. आलम ने नियमानुसार लगाई गई रू. 1.6 करोड़ का दण्ड, वेंडर्स द्वारा कम्प्यूटर न देना, परीक्षण सुविधा न देना, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाये गये आरोप आदि तथा इस पर सी.बी.आई. एवं सी.वी.सी. की डॉ. तोमर द्वारा की गई जांच की मांग आदि पर डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने इसलिए टीप नहीं दी क्योंकि इसमें वह खुद ही फंसे हुए थे। अपने साथ ही अपने वेंडरों को फंसने से बचाना चाहते थे। इसीलिए सतर्कता विभाग के बार-2 कहने पर इस बिंदु पर अपनी टीप नहीं दे रहे थे। जो एक अपराथ था जिसकी सजा नौकरी से हटाने के साथ जेल में डालने की थी। अगले पैरा-6 में भी उपमहानिदेशक ने अपनी ऐसी ही चालबाजी दिखाई थी और जवाब लिखा था-

''**पैरा-6 :** डॉ. तोमर ने सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण कार्यक्रमों में परिवर्तन का ध्यान नहीं रखा जिससे उसकी मुख्यालय से ज्यादा समय में अनुपस्थिति रहे एवं रू. 100 का टिकट रद्दीकरण को तथ्यों को छिपाते हुए चार्ज कर लिया। यदि अवर सचिव (इंजीनियरी) गहराई से छानबीन न करते तो यह बिंदु सामने न आ पाता। गहन जांच में ज्ञात हुआ कि यह क्लेम गलत था। पहले इस पर साधारण विचार लिया गया, किंतु अब अनुशासनात्मक कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए इसे संज्ञान में लिया जा रहा है और यह ईमानदारी पर शंका का प्रकरण है और अनुशंसा अधिकारी संज्ञान में इसलिए भी लाया जा रहा है कि इसी तरह



के प्रकरण में उच्च श्रेणी के टिकट का क्लेम करने पर भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के निदेशक को दण्ड देते हुए उन्हें कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया।

(ए. आलम)
उपमहानिदेशक (इंजीनियरी)

सचिव/निदेशक''

ऐसी एक भी घटना नहीं थी जिसके भ्रमण की अनुमति सज्ञान अधिकारी से न ली गई हो। रू. 100 का चार्ज टिकट कैंसिल करने के लिए क्लेम करने की बात बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि ये सभी जो भ्रष्ट थे ऐसा करते थे अतः मुझे भी ऐसा मान लिया था जबकि रू. 100 मैंने अपने जेब से खर्च किये थे। इस पैरा में जो टीप सतर्कता विभाग से चाही गई थी वह बिल्कुल टाल दी गई थी। कई चार्ज मेरे ऊपर लगाये गये थे उसका स्पष्टीकरण सतर्कता विभाग ने चाहा था जिसे डॉ. आलम उपमहानिदेशक जानबूझकर दवा गये थे। क्योंकि ज्यादा आक्षेप झूठे लगाने पर यह और (स्वतः) फंस रहे थे। फिर भी झूठे आरोप लगाकर फंसाना उनका उद्देश्य था। इन झूठे आरोपों को सतर्कता विभाग ने भी झूठा साबित कर दिया था, तब भी सतर्कता विभाग को छिपातं हुए'चौकड़ी' किसी तरह आक्षेप लगाकर जांच करा रही थी, जिससे कहीं भी कोई भी त्रुटि पाने पर कार्यवाही की जा सके। डॉ. आलम ने जानबूझकर चालाकी की थी कि यह नोटशीट अब सतर्कता को जो भेजनी थी उसे कार्मिकी विभाग को भेज दी। वह जानते थे कि सतर्कता विभाग फिर उन दोनों की बखिया उधेड़ेगा कि उनके द्वारा चाहे गये बिंदुओं की क्या टीप है। दूसरी तरफ चापलूसी करने वाले सर्वश्री सोधी सिंह एवं गया प्रसाद ताक मे बैंठे थे, जिससे यह नोटशीट सीधे उन्हें दी जाय। इस पर पहले सीधे दि. 15.05.2000 को अवर सचिव कार्मिक ने अपने आका सर्वश्री आलम एवं पड़ौदा का भ्रष्टाचार न लिखकर लिखा कि-

''यह नस्ती डॉ. एस.एस. तोमर सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सं.प्र.) के उन नियमों के उल्लंघन एवं दुराचरण से सम्बद्ध है जो परिषद में लागू होते हैं विशेषकर वह जो ईमानदारी पर संदेह से संबद्ध है में उपयुक्त बिंदुओं में कृपया देखें-

सतर्कता विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था जो पूर्व के पृष्ठ 6-9 में है। इनका पूर्व के पृष्ठों में स्पष्टीकरण दिया गया है। संक्षेप में यह वे दुराचरण हैं जो डॉ. तोमर स.म.नि. को तुरंत निलंबित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। जिससे परिषद में लोग अनुशासन पालन के डर से चुप रहे उन्हें नीचे दिये गया है-

1. उसका लिपिक श्री एच.के. जोशी से दुर्व्यहार। इस बाबत् हुई जांच जो कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी में श्री जोशी को शारीरिक रूप से उठाकर उसे कमरे के बाहर डॉ. तोमर द्वारा धक्का देकर किया गया था। यह एक वरिष्ठ अधिकारी डॉ. तोमर द्वारा की गई कार्यवाही थी जिसके लिए उस पर गंभीर कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

2. रू. 100 की टिकट लौटाने की राशि का चार्ज करना, वह भी तथ्यों को छुपाकर। यद्यपि यह राशि थोड़ी सी है परंतु इससे स्पष्ट होता है कि यह ईमानदारी पर शंका प्रतिपादित करता है।
3. बिना अनुमति के अखबार में जाना, जिससे कंडक्ट नियम 8 एवं 9 जो परिषद के कर्मचारियों पर लागू होते हैं का उल्लंघन होता है। माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिए इस बिंदु पर टीप बनाकर अलग से प्रस्तुत की जा रही है।
4. कार्य में लगन की कमी एवं विभाग के ही चलने पर अवरोध करना।
5. वरिष्ठ अधिकारियों पर झूठी टीप देना जिसका कोई आधार न हो।
   उसकी उस वर्ष की चरित्रावली जब वह म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रतिनियुक्ति पर था की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

(सोधी सिंह)
अवर सचिव (कार्मिकी)/15.05.2000''

इससे ज्ञात होता है कि टीप में कितनी चापलूसी, चमचागिरी, अवसरवादिता आदि थी। टीप चल रही थी रू. 1000 करोड़ के घपलों में कार्यवाही की और चापलूस श्री सोधी सिंह ने मेरी वर्षों पूर्व की चरित्रावली को इसमें जोड़ा था। सतर्कता विभाग (श्री विक्रम सिंह) की टीप का वह जवाब उन्हें दे रहा था। पर यह चापलूसी करते हुए सतर्कता विभाग को एक तरफ हटते हुए निदेशक (कार्मिक) एवं सचिव को नस्ती भेज रहा था। क्या श्री विक्रम सिंह (सतर्कता) की टीप श्री गया प्रसाद (कार्मिक) को देने से उसे उसके सही गलत का कुछ जवाब मिलेगा। क्या ऐसा करके वह अपनी सेवा, सहूलियतें मात्र ले रहा था या अपने बच्चों की भी नौकरी 'चौकड़ी' के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था या और कुछ।

श्री सोधी सिंह ने भ्रष्टाचरण की अति कर दी थी। वह कार्मिक विभाग का अवर सचिव था मुझे निलम्बित कर नौकरी से बरखास्त करने की कार्यवाही कर रहा था, किंतु भ्रष्टाचार में फंसे 'चौकड़ी' के लिए भी कुछ नहीं करना चाह रहा था। वह न केवल नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दी टीप दिनांक 15.05.2000 में (एक अखबार में समाचार आने का एवं दुबारा में मेरे दूसरे विभाग (वर्षों पूर्व) की खराब चरित्रावली को) आरोप लगाया था जिसमें वह श्री विक्रम सिंह (सतर्कता) के पास एक बार भी नस्ती नहीं भेजना चाहा क्योंकि उसे उसमें भी ऐसी टीप नोटशीट में आ जाने की आशंका थी कि वह पुनः भ्रष्ट 'चौकड़ी' को ही फंसा देती अतः उसने उसे टीप के लिए न लेते हुए फाईल सीधे निदेशक कार्मिक तथा सचिव को मार्क कर दी थी। सामान्यतः वरिष्ठ एवं एक ही अधिकारी को टीप के लिए नस्ती दी जाती है जिसमें वह अपने विवेक के अनुसार अन्य जगह भेजें, किंतु यहां उसने दोनो अधिकारियों को नस्ती मार्क की जिसमें निदेशक ने हस्ताक्षर कर सचिव को दे दिया और सचिव ने भी दागे गये आरोपों पर श्री विक्रम सिंह (सतर्कता) की टीप न लेते हुए महानिदेशक डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा को मार्क कर दिया।



और डॉ. पड़ौदा जो खुद भी इसी समाचार के कारण भ्रष्टाचार में में नंगा हो गया था, क्यों नियमानुसार अवर सचिव एवं निदेशक सतर्कता को टीप देकर खुद फंसता अतः वह सीधे ही टीप ऐसे लिखकर मंत्री को नस्ती बढ़ा दी-

''पूर्व पृष्ठ का नोट ''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के घोटाले को उजागर करने के कारण वैज्ञानिक को बाहर कर दिया गया'' जो दिनांक 15.05.2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अंक में छपा है, संलग्न है। यह परिषद की छवि को खराब करने वाला डॉ. एस.एस. तोमर का प्रेस साक्षात्कार है। इसका विस्तार से खण्डन अखबार को भेजा जा चुका है (संलग्न), जिसे कृपया देखा जाय।

डॉ. तोमर का यह कार्य कंडक्ट नियम 9 (सी.सी.एस.) जो परिषद के कर्मचारियों पर लागू है का बड़ा उल्लंघन है। भविष्य में उसके दिये गये मत से विभाग की निदां है, और इस तरह अखबार में सीधे जाने से उस पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जरूरत होती है।

इस तरह का अखबार (यद्यपि उनमें झूठ का पुलिंदा है) समाचार से विभाग की छवि जनता में धूमिल होती है। ऐसा लगता है कि उसकी आदत है कि जहां भी वह काम करता है विभाग की छवि धूमिल करता है जो उसकी म.प्र. परिषद में उपस्थिति से स्पष्ट है। जब तक उसके खिलाफ तगड़ी कार्यवाही नहीं की जाती तब तक सिस्टम (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) की छवि विपरीत रूप से प्रभावित होगी। अतः मैं पूर्व पृष्ठ में दिये प्रभाव को अनुमोदित करता हूँ जिसमें डॉ. एस.एस. तोमर को तुरंत निलंबित करते हुए उसके ऊपर बड़े दण्ड के लिए कार्यवाही के लिये प्रस्ताव मंजूर किया जाय। निलंबित अवधि में उसका मुख्यालय 'केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान' भोपाल (जहां वह यहां सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) पद पर आने के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक पद में कार्यरत था) रखा जाय।

(राजेन्द्र सिंह पड़ौदा)
महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
15.05.2000

**कृषि मंत्री''**

इस तरह में पूरी टिप्पणियां जो 6 पृष्ठों की थी एक दिन के अंदर परिषद के पूरे बड़े चहेते अधिकारियों को दिखाते-घुमाते हुए (एवं ईमानदार अधिकारियों के मत से दूर रखते हुए) डॉ. पड़ौदा ने कृषि मंत्री को बड़े आदर से प्रस्तुत किया था। उन्हें आभाष नहीं हो पाया था कि वर्तमान में थोड़े समय के लिए ही सही श्री नितीश की जगह श्री सुन्दरलाल पटवा कृषि मंत्री थे जो उसकी चिकनी-चुपड़ी एवं बदमासी वाली तथा चापलूसों जैसी टीप के बहकावे में न आने वाले थे। श्री पड़ौदा ने जो कई बिंदुओं में से दो बिंदु 'अखबार में समाचार'

एवं पूर्व के वर्षों की दूसरे विभाग की मेरी खराब चरित्रावली लिये थे उसे सतर्कता (श्री विक्रम सिंह) तक जाने भी नहीं दिया था जबकि यह निलंबन एवं बरखास्त का प्रस्ताव था। वह इस भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक समाचार से बाहर आये बिंदु पर क्या लिखते कि डॉ. पड़ौदा (परिषद के महानिदेशक एवं भारत के सचिव) एवं डॉ. आलम (तथा मंगला राय आदि) जिनके भ्रष्टाचार यहां खुले हैं उनपर भी जांच की जाय और दोषी पाये जाने पर जेल व सीखचों के अंदर रखा जाय। यह भी नहीं लिखा कि इन दोनों ने भी बिना शासन की अनुमति के अखबार से सीधे संवाद किया था अतः इनकी भी जांच हो। यहां उसने परिषद की खराब छवि की बात लिखी, जबकि छवि डॉ. आलम एवं डॉ. पड़ौदा की खराब हो रही थी न कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की । यदि मेरी पूर्व की खराब चरित्रावली के बिंदु जोड़े थे तब उन्हें यह भी जोड़ना था कि जिन अधिकारियों ने यह चरित्रावली लिखी थी उनको ही मैंने लोकायुक्त, मुख्य सचिव एवं विधानसभा जांच रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार में दोषी सिद्ध करवाया था। मुझे निलम्बन के बाद मेरा मुख्यालय भोपाल रखने का कुटिल प्रस्ताव इसलिए दिया गया था जिससे इनके और भ्रष्टाचार न खुलने पायें।

यह नोटशीट अधूरी थी सतर्कता के बिना कमेंट के मंत्री तक भेजने का दुस्साहस डॉ. पड़ौदा ने किया था। अपने पर लगे भ्रष्टाचार एवं अखबार में सीधे जाने के आरोप भी अपने ऊपर नहीं लगाये थे। इस तरह की गोलमाल नोटशीट में सही मंत्री होने पर भी न कोई कारवाई होनी थी एवं न ही हुई। किंतु जैसे ही श्री नितीश कुमार पुनः वापस कृषि मंत्री पद पर बैठे। ये अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार की जांच न कराकर मुझ पर कार्यवाही का सफल प्रयास किया। श्री नितीश कुमार ने इन पर जांच न चलाकर मेरे ऊपर अखबार में जाने की जांच के साथ और 32 मद लगाकर जांच कराई। किंतु इनके (श्री नितीश) द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने जब जांच में मुझे दोष रहित पाया तो जांच रिपोर्ट को कूड़ा रखने की टोकरी में फेंक दिया गया क्योंकि श्री नितीश तो 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार का लाभ ले रहे थे। अतः उस पर जांच भी न लगाया बल्कि उसकी अनुशंसा पर मेरे ऊपर जांच लगाया और अपने द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा सही जांच रिपोर्ट आने पर उसे पैरों तले कुचल दिया जबकि जांच जब-तक नहीं आई थी बार-बार जांच अधिकारी को लिखवाते रहे। यही नहीं षडयंत्र पूर्वक 33 मदों पर जांच कराया और उसे समर्थन देते रहे और दूसरी तरफ यह मानते रहे कि 1 मद पर जांच है।

वास्तविकता यह थी कि मुझे टर्मिनेट कर, नौकरी से बाहर करने के लिये उस बिंदु (चरित्रावाले) जिसकी अपील का निराकरण शेष था का सहारा लिया था जो जांच के 33 बिंदुओं में एक था। अतः टर्मिनेशन के बाद ये सभी भ्रष्टाचारी अब 33 बिंदुओं की जगह एक बिंदु पर जांच केन्द्रित कर रहे थे क्योंकि इस पर सतर्कता आयुक्त भारत सरकार की नजर थी। इस घालमेल में मंत्रीश्री नितीश कुमार खुद न तो फंसना चाहते था। अतः अबवह कोई टीप नहीं देकर अपने मातहतों से लिखाकर जांच प्रभावति कर रहा था। कई सूचना अधिकारी आवेदनों के बाद भी मंत्री की स्वीकृति के आदेश की जानकारी नहीं थी। इससे



स्पष्ट हुआ कि शेष 32 बिन्दुओं को मंत्री ने मात्र मौखिक स्वीकृति देकर ही 33 बिंदुओं पर जाँच कराई थी।

डॉ. पड़ौदा द्वारा एक पक्षीय (प्रकरण में) फाइल बनाकर जो मंत्री को प्रस्तुत हुई थी वह ज्यों की त्यों 10-15 दिवस पड़ी रही थी। यहां भी षड़यंत्र की बू आई थी कि इतने दिनो मंत्री को फाइल क्यों नही दी गई बल्कि छिपाई गई। जब श्री सुंदरलाल पटवा मंत्री पद से हट गये एवं श्री नितीश कुमार जी मंत्री पद पर विराज गये। तब यह नस्ती 02.06.2000 को वापस इस टीप के साथ परिषद आ गई-

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कार्यालय

यह नस्ती तत्कालीन कृषि मंत्री (श्री पटवा) के कार्यालय से कल वापस की गई है। परिषद के महानिदेशक कृपया देखें कि उसे कैसे इन नये कृषि मंत्री के पास भेजना है।

हस्ताक्षर/02.06.200''

इस नोटशीट का कृषि मंत्री जी के पास भेजकर तुरंत ही आदेश लेकर मुझे पहले पद से हटाने (निलंबित) एवं फिर जांचकर मुझे नौकरी से बरखास्त कराने की शीघ्रता डॉ. पड़ौदा में थी, किंतु वह भी बदमासी तरीके से (बिना सतर्कता के सम्पर्क किये हुए)। और यह पहला प्रस्ताव जो 'चौकड़ी' सक्षम अधिकारी (कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष) से कराना चाहती थी नहीं करवा पाई थी। उसे मुंह की खानी पड़ी थी क्योंकि उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी मार भी झेलनी पड़ेगी कि उसे भ्रष्टाचार मद में नंगा कर देने वाले व्यक्ति को बरखास्त करना तो दूर निलंबित भी नहीं करवा पाई थी। जबकि डॉ. ए.पी. सक्सेना, प्रसाद आदि जैसे बड़ी राजनीतिक पहुंच वालों को न केवल निलंबित करवा दिया था बल्कि मनमाफिक जांच अधिकारी बनाकर जांच भी बैठा दी थी। और ये सभी दौड़-दौड़ कर डॉ. पड़ौदा से क्षमा मांगकर आत्म समर्पण कर रहे थे और जैसा डॉ. पड़ौदा चाहते थे वैसा गिड़गिड़ाकर उनके पांव पर नाक रगड़ रहे थे। और यहां तो उल्टा हो रहा था कि मैं गिड़गिड़ाना तो दूर उनको न केवल उनकी सभा में भ्रष्टाचार में नंगा कर रहा था बल्कि देश भर में फैले अनुसंधान परियोजना के 231 कम्प्यूटर केन्द्रों एवं तकनीकी परियोजना के 437 कम्प्यूटर केन्द्रों में यह लिखकर कि मैं डॉ. आलम उप महानिदेशक एवं डॉ. पड़ौदा महानिदेशक के किसी भी गलत आदेश को नहीं मानता जिससे भ्रष्टाचार फैल रहा है। और इसी 'चोर को चोर' बताने वाले लेखन से इन दोनों का हृदय छलनी हो रहा था। यहां यह न केवल अखबारों में 15.05.2000 को उद्घृत हुआ था बल्कि 15.05.2000 को ही इनकी भ्रष्ट करतूत के बारे में कृषि मंत्री, राज्य मंत्री सचिव आदि को लिखा था।

## महानिदेशक एवं सचिव पर कार्यवाही करने हेतु जनहित याचिका

दिनांक 15.05.2000 को ही श्री ओ.पी. आर्य एडवोकेट से पटियाला हाउस में श्री जांगीरा के साथ जाकर मिला एवं सर्वश्री पड़ौदा, मंगला राय एवं आलम को नोटिश जारी

करने को कहा। तदोपरांत पंडित पंत मार्ग पर राजनेता श्री ब्यालर रवि से मुलाकात हुई थी और परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार पर उन्होंने चर्चा की थी। आज ही पत्रकार श्री आलोक तोमर ने मुझसे कहा था कि मैं राजनीति के पंडित श्री अर्जुन सिंह से 11.20 बजे सुबह मिल लूँ।

जनहित याचिका का प्रमुख वाद में यह हुआ था कि डॉ. पडौदा को देश छोड़कर बाहर भागना पड़ा था क्योंकि शासन ने भी समझ लिया था कि अब सरकार की किरकिरी होगी।

दिनांक 16.05.2000 (दिनांक 15.05.2000 का समाचार छपते ही) भोपाल से निदेशक केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान डॉ. जी. सिंह ने मुझे वर्ष 1997-98 की झूठी चरित्रावली खराब होने का पत्र लिखा था। यह 'चौकड़ी' की चापलूसी करने हेतु किया गया प्रयत्न था। दिनांक 16.05.2000 को समाचार मिला कि मुझे निलंबित किया जा रहा है। मैं तुरंत ही मंत्री श्री पटनायक के सहायक श्री शांताराम से तथा ठक्कर श्रीवास्तव से सम्पर्क किया। उन्होंने बताया कि श्री पड़ौदा महानिदेशक को पद से हटाने (निलम्बित) करने का प्रयत्न चल रहा है। विश्वास तो नहीं हुआ किंतु मंत्रीगण सर्वश्री सुन्दरलाल पटवा, हुकुमदेव नारायण यादव एवं पटनायक के रहते ऐसी गुंजाईस अवष्य थी। इधर दि.15.05.2000 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' के समाचार का असर यह भी हुआ था कि डॉ. पड़ौदा को मुझे हटाने का एक बड़ा बहाना मिल गया था। और 'चौकड़ी' चक्रव्यूह से मुझे न केवल घेर रही थी बल्कि उससे न निकल पाने के लिए षडयंत्र रच रही थी। इसी दिन 'चौकड़ी' सम्बंधी समाचार की खबर देशभर के अन्य केन्द्रों के साथ केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान भोपाल (जहां मैं पूर्व में पदस्थ था) में मिली थी। वहां के निदेशक डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह बड़े ही मिलनसार व्यक्तियों एवं अपने वरिष्ठों का हित संरक्षण में बड़े चतुर एवं मंजे खिलाड़ी थे। 'चौकड़ी' भी पूर्व में जब श्री विक्रम सिंह (सतर्कता विभाग) ने स्पष्ट लिखा था कि यदि डॉ. तोमर का काम ठीक नहीं है तो यह चरित्रावली में झलकना चाहिए (जिसकी खबर इनको दे दी गई थी)। ऐसे में डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह ने चापलूसी करने एवं ईमानदार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से मेरी चरित्रावली वर्ष 1998-99 जो खराब नहीं थी को दिनांक 16.05.2000 को खराब लिखते हुए मुझे पत्र लिखा एवं परिषद को इसकी प्रति दी। इस चमचागिरी के लिए उसे पता था कि परिषद की 'चौकड़ी' उसे कहीं-से-कहीं उठा सकती है। इस दो वर्ष बाद सही चरित्रावली को खराब लिखकर इस व्यक्ति ने 'चौकड़ी' को अपनी दासता दिखा दिया जबकि यदि चरित्रावलि खराब है तो 15 दिवस में बताना चाहिये था। किंतु यदि सही जांच होती तो इसे डॉ.ज्ञानेन्द्र सिंह को भ्रष्टाचार का पक्षपाती पाकर गलत कार्यवाही के लिए न केवल नौकरी से हांथ धोना पड़ता बल्कि जेल के सीखचों में जिंदगी के क्षण व्यतीत करने पड़ते। क्योंकि जब रू. 1000 करोड़ के घपले उजागर होना चालू हुए तब अपने आकाओं को इन घपलों से बचाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था और यह 'चौकड़ी' चरित्रावली खराब करके करना चाह रही थी और इस चापलूस ने उन्हें बचाने हेतु 2 वर्ष जिसे ठीक चरित्रावली मानकर रखे था उसी को अब खराब बताकर गलत कार्यवाही कर दिया था।



दिनांक 22.05.2000 को फैजाबाद विश्वविद्यालय, कुमारगंज की प्रबंधक मंडल की बैठक हेतु जो दि.04.06.2000 को थी में लखनऊ जाने का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। जिससे लखनऊ एवं आसपास में स्थित अपने कम्प्यूटर केन्द्रों को उसी अवधि में (जब काम पूरा हो जाये), भ्रमण कर जानकारी लेने का जिक्र था। किंतु जैसा 'चौकड़ी' की *'चोर की दाढ़ी में तिनका'* वाली बात थी, इस डर से भ्रमण की शेष अवधि में मुझे अपने कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण कर उनकी आई हुई शिकायतों के सत्यापन तक की अनुमति नहीं दी जाती थी। उन्हें डर रहता था कि मैं त्रुटियों को लाकर कार्यवाही करूंगा। इसी कटु सत्य को सिद्ध करे हुए मेरे भ्रमण प्रस्ताव पर वहां के कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण को अमान्य करते हुए उप महानिदेशक डॉ. आलम ने मात्र विश्वविद्यालय की बैठक की स्वीकृत करते हुए लिखा-

*''नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की प्रबंधक मंडल की बैठक हेतु स्वीकृति दी जाती है''।*

यह प्रबंधन मंडल की बैठक की अनुमति बाध्यकारी थी, क्योंकि परिषद के विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधि के रूप में मुझे प्रबंधक मण्डल में रखा गया था। यदि इसके लिए भी भ्रमण स्वीकृति नहीं देते तो इन्हीं पर समस्या आती। अतः झक मारकर इसके भ्रमण की स्वीकृति देनी पड़ती थी।

दिनांक 23.05.2000 को ***'द इंडियन एक्सप्रेस'*** समाचार का आज का अंक मिला। जिसमें खण्डन जो परिषद ने दिया था उसके बारे में खण्डन की जगह यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार भरपूर हुआ है इसलिए इसको ठीक करना उचित होगा न कि समाचार को झूठा करना। एक तरह से परिषद को चुनौती (Challenge) दी गई थी कि वह समाचार के किसी अंक को झूठा साबित करके बताये।

दिनांक 24.05.2000 को मंत्रालय में श्री लोकेन्द्र ठक्कर मंत्रालय अधिकारी से चर्चा हुई, श्री ठक्कर जी ने मुझे मिलने का समय दिया था। आज ही 10-12 अधिकारियों को सी.बी.आई. या सी.बी.सी. से जांच कराने के लिए मैंने लिखा ।

दिनांक 25.05.2000 श्री लोकेन्द्र ठक्कर गोपनीयता से मुझे वापसी की बात करने के लिए कृषि मंत्री के कार्यालय गया जहां श्री गांधी (एक अन्य अधिकारी के) पहुंच जाने से अलग कमरे में चर्चा हेतु बुलाया गया। कोई खास चर्चा नहीं हुई और मैं 12 बजे वापस आ गया।

दिनांक 26.05.2000 श्रीमती कूमी कपूर प्रेस अधिकारी *'द इंडियन एक्सप्रेस'* ने मुझे आवास पर बुलाया था। आज ही श्री नितीश कुमार कृषि मंत्री ने अपना प्रभार पुनः ले लिया था।

दिनांक 27.05.2000 को हम श्री बाबूलाल जांगीरा के साथ श्री नितीश कुमार के आवास पर उन्हें बधाईयां देने गये थे।

दिनांक 29.05.2000 को लखनऊ गया वहां भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था में कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के व्याख्यान में भी उपस्थित हुआ था तथा लखनऊ में स्थित परिषद के कम्प्यूटर केन्द्रों का मुआवजा भी किया था। वहां के व्याख्यान में मेरा लेख छपा था।

इधर श्री नितीश कुमार के कृषि मंत्री के पद पर बैठते ही 'चौकड़ी' के बल्ले-बल्ले हो गये और उनकी चतुर चाल बढ़ गई थी। और प्यादे श्री सोधी सिंह को मुझे हटाने हेतु कुछ और करने को कहा गया था। यह व्यक्ति अवर सचिव (कार्मिक) था किंतु चहेता होने के कारण बिना सतर्कता विभाग के सम्पर्क किये मुझे हटाने के षडयंत्र रच रहा था एवं दि. 29.05.2000 को मेरे विगत वर्षों की खराब चरित्रावली का विवरण देते हुए अंत में अपनी टीप में लिखा था-

''इस प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही आपेक्षित है-

1. कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (कृ.वै.च.म.) में वार्षिक प्रगति मूल्यांकन को महत्व देने की बात का समावेश किया जाये, जिसके आधार पर चयन हो सके।
2. जब परिषद, कृ.वै.च.म. के संस्तुति को चयन हेतु रिकार्ड प्रस्तुत करे तो उसमें पूर्व के 05 वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।
3. यदि अनुसंधान प्रबंधकों के पद (Research Management Position) में पुनः कम-से-कम एक टेन्योर हेतु प्रोवेशन की पद्धति चालू की जाय तो परिषद का ज्यादा भला होगा।
4. जिस व्यक्ति की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन इतने खराब हैं उसे परिषद में रखना उचित नहीं होगा। इससे वैज्ञानिक संस्कृति खराब होगी। इससे सुधार नीति लागू हो।

(सोधी सिंह)/ 29.05.2000"

यह नोटशीट मंत्री जी के पास भेजने हेतु पहले निदेशक (कार्मिक) के पास गई वहां से उपमहानिदेशक डॉ. आलम के पास जहां उन्होंने दि. 29.05.2000 को ही लिखा ''इसे उचित कार्यवाही करने हेतु देखें'' ऐसा लिखकर महानिदेशक के पास भेजा गया जहां डॉ. पड़ौदा ने सचिव को लिखा ''अपने मत तुरंत देने हेतु देखें।'' यह उसी दिन सचिव के पास भेज दी गई। यहां पर तुरत-फुरत कार्यवाही हेतु उसी दिन मंत्री जी के पास ले जाने हेतु कार्यवाही की गई थी किंतु सचिव ने इसमें अपने मत दि. 30.05.2000 को देते हुए उपरोक्त चारों बिंदुओं को मिलाकर उसे 'अ' चिन्हित करते हुए लिखा-

''मैं ऊपर चिन्हित 'अ' पर दिये गये सलाह पर सहमत हूँ। यद्यपि यह नीतिगत निर्णय सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए और मुख्यालय पर सभी 'अनुसंधान प्रबंधक पदों' पर लागू होना चाहिए।

हस्ता. 30.05.2000 /सचिव
महानिदेशक''

यह नस्ती महानिदेशक के पास प्रस्तुत हुई थी, किंतु 'चौकड़ी' को यह खटक रहा था कि ''ऐसे प्रकरण से समान रूप से सभी ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए''। जबकि प्रस्ताव एक व्यक्ति पर कार्यवाही करने का था और 'चौकड़ी' मात्र मुझे चरित्रावली खराब होने पर नौकरी से निकालना चाहती थी।



दिनांक 15.05.2000 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' का समाचार, रू. 1000 करोड़ पर घोटाला और इसमें 'चौकड़ी' की हिस्सेदारी पर 'चौकड़ी' ने अपनी साख बचाने के लिए श्री सुन्दरलाल पटवा के कृषि मंत्री रहते हुए नोटशीट विवशता में प्रस्तुत करने की हिम्मत किया था और इसमें मुझ पर कार्यवाही की मांग की थी। अपने ऊपर न कोई कार्यवाही की मांग की थी एवं न ही यह लिखा था कि भ्रष्टाचार के समाचार पर जांच हो। किंतु जैसे ही श्री नितीश कुमार ने पुनः कृषि मंत्री का पदभार संभाला तो तुरंत ही 'चौकड़ी' मुझ पर तुरत-फुरत कई आरोप लगाकर मुझे नौकरी से निलंबित एवं बरखास्त करने की नोटशीट प्रस्तुत करने लगी। ऐसा करने के लिए संभव था कि 'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार से चर्चा करके यह कार्य किया हो। अन्यथा बड़े-बड़े राष्ट्रीय अखबारों में इस रू. 1000 करोड़ पर घपलों का लगातार समाचार आ रहा था एवं अखबार लिख रहे थे कि मैंने इन घपलों को उजागर किया है तब भी 'चौकड़ी' कैसे यह हिम्मत कर सकती थी कि वह मंत्री को यह लिखे कि मुझे नौकरी से बाहर कर दो और अपनों के बारे में जांच तक करके उसे दण्डित नहीं करेंगे क्योंकि वही तो सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी थी। अन्यथा यदि कोई भी ईमानदार मंत्री होगा, उसके पास खुली न्यूज मिल रही होगी कि रू. 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है और इसे डॉ. तोमर ने उभाड़ा है और इसमें 'चौकड़ी' का हाँथ है तो बिना देर किये वह पहले 'चौकड़ी' पर जांच बैठाकर कार्यवाही करेगा। किंतु यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी। 'चौकड़ी' तो निडर थी भ्रष्ट लोग खुले घूम रहे थे और मैं अपनी जान, अपनी नौकरी खत्म होने का समाचार प्राप्त कर इसे ही अपनी नियति मानकर काम कर रहा था। श्री नितीश कुमार की यह नीति आगे के घटनाक्रमों से प्राप्त हो जायेगी कि किस तरह भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देकर ईमानदारों को रास्ते से हटाने के लिए जब इनके ही द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने 'चौकड़ी' को दोषी कहा एवं मुझे भ्रष्टाचार उजागर के कारण प्रताड़ना दी गई तो उल्टा मेरे ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही की और 'चौकड़ी' के प्रमुख कर्ताधारी डॉ. पड़ौदा के महानिदेशक पद से हटाने के बावजूद उसे बिना सी.बी.आई. जांच किए वापस पद पर बैठाया। और दबाव आने पर भ्रष्ट को पद पर बैठाकर सी.बी.आई. की जांच का नाटक किया और उसे क्लीन चिट दिलाई क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी हो जाती। ***श्री नितीश कुमार तो मात्र अपना और अपने पार्टी फंड पर ध्यान दे रहे थे।***

सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने भी भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही हेतु पत्र लिखे हैं-

दिनांक 31.05.2000 को श्री रामानंद सिंह सरकार (भारतीय जनता पार्टी) के ही लोकसभा सदस्य ने श्री नितीश कुमार जी को इस 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार बावद पत्र लिखा था जो इस प्रकार है-

''प्रिय श्री नितीश कुमार जी,

मैं इस पत्र के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हो रहे घोर आर्थिक अनियमितताओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। परिषद द्वारा पूरे देश

में अधीनस्थ संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ देने के लिए लगभग दो सौ करोड़ रूपया लगाकर कम्प्यूटर नेटवर्क की योजना बनाई गई थी। इसमें अभी तक लगभग 70 करोड़ रूपया खर्च हुआ, साथ-ही अन्य मदों में खर्च करते हुए लगभग 50 करोड़ का घोटाला हुआ। इस घोटाले को उजागर करने वाले डॉ. सदाचारी सिंह तोमर, सहायक महानिदेशक (भा.कृ.अ.प.) जो कि बहुत ही ईमानदार छवि वाले अधिकारी हैं तथा जिन्हें राष्ट्रपति पुरुस्कार, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लगभग 20 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरुस्कार प्राप्त हैं, को भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों द्वारा निरंतर परेशान किया जा रहा है। इस विषय में मैंने दिनांक 05 मई, 2000 को लोकसभा में एक प्रकरण भी उठाया था।

इसी संदर्भ में दिनांक 15 मई 2000 के इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त समाचार का खण्डन तथा प्रति उत्तर दिनांक 23 मई, 2000 तथा 27 मई, 2000 का भी गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करें। इससे स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब देना भी संभव नहीं हो पा रहा है। पूर्व में भी इन भ्रष्ट अधिकारियों ने डॉ. तोमर को परेशान किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर उनके निजी सचिव द्वारा महानिदेशक भा. कृ. अ. प. को लिखे पत्र की प्रति भी प्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे अनुरोध है, संबंधित मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सी.बी.आई. या सी.वी.सी. से कराते हुए दोषी अधिकारियों को दण्डित करें तथा डॉ. तोमर को इनकी प्रताड़ना से बचाते हुए कार्य करने का अवसर प्रदान करें एवं की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर,

आपका, (रामानंद सिंह)

श्री नितीश कुमार

कृषि मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-1

प्रतिलिपि-

1. श्री देवेन्द्र प्रधान, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-1
2. डॉ. सदाचारी सिंह तोमर ए.डी.जी. (एरिस) भा.कृ.अ.प.''

श्री रामानदं जी ने 05 मई, 2000 को लोकसभा में इस भ्रष्टाचार को जोरों से उठाया था, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। यहां इसे संलग्न में जोड़ा गया था। संलग्न में श्री अटल विहारी वाजपेयी जी जिन्होंने मेरी पुस्तक का पूर्व में विमोचन भी किया था को मैंने पत्र लिखा था कि चूंकि मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया है इसलिए मेरा चुनाव हो जाने के 6-7 माह बाद भी मुझे नियुक्ति का आदेश नहीं दे रहे है तब उनके पास से एक विस्तृत पत्र आया था जो यहां संलग्न किया गया था। बाद में लगभग 50 सांसदों ने भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हेतु पत्र लिखे किन्तु वही ढाक के तीन पात वाली बात हुई।



आज 31.05.2000 ही परिषद का कार्यालयीन आदेश जारी हुआ था जिसके अनुसार ड़ॉ. प्रेमलाल गौतम जो राष्ट्रीय पादम अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में थे, को नेशनल डायरेक्टर (एन.ए.टी.पी.) दिनांक 13.04.2000 से पांच वर्ष के लिए शर्तों के आधार पर नियुक्त किया गया था।

वर्तमान में देशभर के कम्प्यूटर केन्द्रों से 24 शिकायती पत्र मिले थे (किंतु 'चौकड़ी' वेंडरों पर दण्डारोपण नहीं करना चाहती थी, इसलिए टायपिस्ट की सुविधा छीन ली थी) जो कम्प्यूटर भेजने के बाद उन्हें चालू न करने, अधूरी आपूर्ति करने आदि से सम्बद्ध थे। इस पर वेंडर्स पर दण्डात्मक कार्यवाही करनी थी क्योंकि प्रावधान के अनुसार यह कार्यवाही समय पर होनी आवश्यक थी। अतः 04 पृष्ठीय पत्र मैंने पूर्व में दिनांक 01.06.2000 को डॉ. प्रेमलाल गौतम, राष्ट्रीय निदेशक, परियोजना को लिखा, जिसका संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है-

''प्रति,

श्री पी.एल.गौतम, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, लालबहादुर शास्त्री बिल्डिंग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा परिसर नई दिल्ली।

विषयः- रू. 04 करोड़ का दण्ड वेंडर्स से उस मद में वसूलने बावद जिसके तहत कम्प्यूटर आपूर्ति के बाद भी वे कार्यरत नहीं हैं (दस्तावेज की विभिन्न धाराओं के अनुरूप)।

महोदय,

कृपया मेरे पत्र दिनांक 25.04.2000 का अवलोकन करें, जिसमें मैंने कम्प्यूटरों के कार्य न करने के कारण वेंडरों पर रू. 1 करोड़ के दण्ड आरोपित किया था। चूंकि यह वसूली नहीं की गई इसलिए वेंडरों को यह ज्ञात हो गया है कि उनकी गलती पर उनको अभयदान मिला है, उनको कोई छू भी नहीं सकता, इस कारण नियमों का पालन न कर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। वर्तमान में जो दूसरे शिकायती प्रकरण मिले हैं उन पर दण्ड वसूली का विवरण दिया जा रहा है। यदि अभी भी दण्ड वसूल नहीं किया गया तो यह समझा जायेगा कि आपकी परियोजना में ही कोई रुचि नहीं ले रहा है। यह वसूली कम्प्यूटरों की दुरस्ती समय पर न करने, आपूर्ति किये गये कम्प्यूटरों को 05 माह बाद भी चालू न करने से सम्बद्ध है। यह दण्ड की राशि धीरे-धीरे इतनी इकट्ठा होती जा रही है कि यह दस्तावेज सुरक्षा निधि (विड सिक्यूरिटी) से, 20 प्रतिशत की शेष की भुगतान राशि (जो अभी हमारे पास है) से भी अधिक हो जायेगी तब हम वेंडर्स से वसूली भी नहीं कर सकते। यही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के फेज-1 में हुआ है। और इसके तहत हमारे नेटवर्क की तकनीकी हानि भी होगी।

जैसा मैंने पत्र दिनांक 01.10.98 से परियोजना को सूचित किया है कि वेंडर्स से लिक्वीडेटेड डैमेज आदि के मद में रू. 1.4 करोड़ वसूल किये जाने हैं (जिसमें अभी बढ़ोत्तरी आपूर्ति प्रशिक्षण आदि में देरी के कारण होगी)।

दस्तावेज के दण्ड प्रावधानों के अनुसार मैं वर्तमान में जो कम्प्यूटर उपकरण चलाये नहीं जा रहे (महीनों बीत जाने के बावजूद जो चालू ही नहीं किये गये एवं दुरुस्ती की कमी के कारण जो चल नहीं पा रहे) उनमें मैं वेंडर्स पर दण्ड लगाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अक्रिय या उपयोग में नहीं लाये जा रहे कम्प्यूटरों में दण्ड लगाने की दर रू. 500/- प्रति दिन प्रति नग है। यद्यपि ये सभी कम्प्यूटर रख-रखाव के अंतर्गत आते हैं किंतु यहां उन उपकरणों को भी लिया जा रहा है जो वेंडर्स की त्रुटि के कारण लगाये या चालू ही नहीं किये जा रहे। ये जिनमें दण्ड लगाया जा रहा है उनकी शिकायतें जो क्र. 50 से 93 तक लिखी हैं वे कासरगोड, कलकत्ता, सोलन, भीमताल, हैदराबाद, चेन्नई, परभनी, इलाहाबाद, करनाल, जोधपुर, कुरुम्बापेट, सिरोह, जींद, सोलापुर, भुवनेश्वर, अकोला, झबुआ, दौसा, जयपुर, उदयपुर, शहडोल, बूंदी, दिल्ली, रामपुर, जूनागढ़, भोपाल, बंगलौर, गोनिकोपाल, नासिक, कोटा, पालमपुर, बीकानेर, हिसार, श्रीनगर, रहमानखेड़ा, लखनऊ तथा नागपुर स्थित कम्प्यूटर केन्द्रों से मिली है। जिनमें लगाया गया दण्ड लगभग रू. 1 करोड़ है किंतु जिन केन्द्रों का विवरण अधूरा उपलब्ध है उनको मिलाकर यह दण्ड रू. 1.6 करोड़ होगा। इसमें वर्तमान में वसूली की कुल राशि लगभग रू. 4 करोड़ बैठती है किंतु यह उस दिन तक बढ़ती रहेगी जब तक दुरस्ती कर इसे चालू न कर दिया जाय। यह कुछ उन प्रकरणों में जहां 'साइट' ही तैयार नहीं थी उनको दण्ड के लिए नहीं लिखा गया क्योंकि इस स्थिति में दण्ड लगाना संभव नहीं था। इसलिए सभी कम्प्यूटर केन्द्रों से निवेदन है कि ये लोग अपने कम्प्यूटर लगाने की 'साइट' की तैयारी बनाये रखें।

हमे भेजे गये कई प्रमाण पत्रों (प्रकरणों) में यू.पी.एस. के आपूर्ति एवं लगाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। इसलिए कम्प्यूटर केन्द्रों से निवेदन है कि परियोजना द्वारा दिये गये उपकरणों की संख्या का वेंडर से आपूर्ति की संख्या का मिलान करा लें।लेजर प्रिंटर, प्रिंटर शेयरर एवं बाहरी नेटवर्क एडॉप्टर की उपलब्धता एवं प्रिंटिंग तथा मिलान के प्रकरणों की ठीक से जांच कर ली जाय। राहुरी एवं जबलपुर के प्रकरणों को इतनी लम्बी अवधि पूर्ण होने के बाद भी ठीक नहीं किया गया। कई ऐसे छोटे-छोटे दुरुस्ती के प्रकरण सीघ्र ठीक करना होगा। यह भी शिकायत मिली है कि वेंडर रू. 1000 की राशि केन्द्रों से अवैध रूप से वसूल कर रहे हैं।

यद्यपि जैसे ऊपर वर्णित है मुझे बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं पर मुझसे टायपिस्ट, क्लर्क, स्टेनों कार्यकर्ता छीनकर मुझे अपंग (पंगु) बना दिया गया है और मैं पूरी-2 शिकायतों का निपटारा नहीं कर पा रहा हूँ। अब एक आदेश दिनांक 29.02.2000 (संलग्न) के तहत मेरे आधीन काम करने वाले कम्प्यूटर केन्द्र के व्यक्तियों को सीधे उपमहानिदेशक के आधीन काम करने को कह दिया गया है, अतः सहायक महानिदेशक (मुझे) कोई सुन भी नहीं रहा है। यह कार्यवाही तब की गई है जब मैंने दण्ड लगाने की प्रक्रिया वेंडरों पर (उनकी गलती पर) चालू की है। इसलिए परियोजना से मुझे पूर्व की तरह



कम-से-कम एक क्लर्क दिया जाय। यह भी उचित होगा कि परियोजना से सीधे भी सभी कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थिति (त्रुटियों) की सूचना मंगाई जाय जैसा कि पूर्व फेज की परियोजना का मैंने पूरा किया था। यद्यपि ऐसा कार्य करने के लिए उपमहानिदेशक ने मुझे लिखा था ''यह कार्य हमको नहीं दिया गया'' (यद्यपि यह सहायक महानिदेशक की मूल ड्यूटी है)। यदि हमें सुविधायें दी जायें तो पूर्व की भांति इन्हें हम पूरा कर सकते हैं। साफ्टवेयर (एम.एस. ऑफिस) को सी.डी. मीडिया में न देने की शिकायत एक गम्भीर मामला है। प्रत्येक एम.एस. ऑफिस को सूट 97 प्रोफेसनल आधुनिकतम के विकास के साथ सी.डी.रोम मीडिया एवं स्तरीय मैनुअल के साथ देना है।

उपरोक्त डाटा का सत्यापन तथा अद्यतन सुधार की तिथि के आधार पर दण्ड सीमा निर्भर करेगी। आज मुझे उपलब्ध सुविधा की कमी के कारण मैं इसे कर नहीं पा रहा, जबकि पूर्ण विवरण एकत्रित करने की जरूरत है।

मे. सीमेंस ने अपने कम्प्यूटर डिब्बों के साथ मूल प्रमाणीकरण प्रोफार्मा की जगह एक जाली प्रोफार्मा लगाया है, इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही करने योग्य होगी। इस जाली प्रोफार्मा ने प्राप्तकर्ताओं को इस तरह पंगु बना दिया है कि वे किसी कमी (त्रुटि) में अपना मत नहीं दे सकते, उन्हें मात्र हस्ताक्षर भर करना है। इसकी सूचना मिलते ही मुझे कम्प्यूटर केन्द्रों को ई-मेल से सजग रहने को सूचित करना पड़ा।

यह निवेदन किया जाता है कि कम्प्यूटर केन्द्र सजग रहें। यदि उपलब्ध हों तो सभी पत्रों के लेटरहेड में अपना ई-मेल अवश्य लिखें जिससे मैं पत्र भेज सकूं।

वेंडरों को कोई भुगतान करने के पूर्व, सभी सुधार करा लिये जायें एवं समस्या का हल करवा लिया जाय।

आपके स्तर से तुरंत कार्यवाही आपेक्षित है।

आदर सहित, आपका सच्चा (सदाचारी सिंह तोमर)

संलग्न- यथोपरि

प्रतिलिपि :'

1. माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. माननीय कृषि राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
3. डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा महानिदेशक एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. डॉ अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
5. श्री बी.के. चौहान, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

6. सम्पूर्ण (देशभर के) सम्बंधित कम्प्यूटर (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) केन्द्र।''

इस पत्र को टाईप करके इतनी संख्या में प्रतियां बनाकर उन्हें पूरे देश के 437 कम्प्यूटर केन्द्रों एवं संबद्ध अधिकारियों को भेजना मेरे लिए 'हरकूलियन टास्क' रहता था किंतु सभी शिकायतों का निराकरण हो, भ्रष्ट वेंडरों पर दण्डात्मक कार्यवाही हो जिससे वे सुधार कार्य समय पर करते रहें एवं कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार, परिषद के महानिदेशक डॉ पड़ौदा आदि को विषय की गम्भीरता ज्ञात हो, जिससे वे अपने स्तर पर कार्यवाही कर इसे ठीक करा सकें, आदि कारणों से ये पत्र भेजे जा रहे थे। किंतु यहां तो उल्टा हो रहा था। 'चौकड़ी' तथा कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार जी मुझे ही दुश्मन नम्बर एक समझने लगे थे। इतने स्पष्ट दस्तावेज थे जो सीधे कम्प्यूटर केन्द्रों से उनके प्रभारी के हस्ताक्षर से आये थे जिनमें कुछ का सत्यापन भी मैंने किया था। इसके बाद भी श्री नितीश कुमार (कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष) ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। यद्यपि इस बावद कृषि राज्य मंत्री ने भी उन्हें लिखित में दिया था फिर भी **श्री नितीश कुमार को जूँ तक नहीं रेंगी। इसका स्पष्ट मतलब था कि वह भी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे।** किसी भी संस्था के सर्वोच्च के पास इस तरह के रू. 4 करोड़ की अनियमितता प्रस्तुत हो और वह चुपचाप रहे। इससे साफ हो जाता है कि उसकी भी इसमें हिस्सेदारी है।

आज दिनांक 01.06.2000 को श्री राकेश (जो मंत्रालय में टाईप करता था) के द्वारा समाचार मिला था कि मेरे निलम्बन की नस्ती मंत्रीजी के पास भेजी गई है। दिनांक 02.06.2000 को श्री नितीश कुमार मंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री आर.सी.पी.सिंह से मिलने का प्रयत्न किया कि उनको भ्रष्टाचार के दस्तावेज देकर मंत्रीजी तक पहुंचाऊँ किंतु वह भी मिलने को तैयार नहीं हुए।

## प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के नंगा नाच का खुला चिट्ठा :-

जब परिषद का सर्वोच्च अधिकारी (अध्यक्ष) तथा कृषि मंत्री भ्रष्टाचार की बात ही न सुन रहा हो, उल्टे वहां से निलम्बित या नौकरी से हटाने की आशंका हो। या इसकी अफवाहें फैल रही हों तब सर्वोच्च शिखर पर बैठे देश के प्रधानमंत्री पर बात आती है। यद्यपि गठबंधन सरकारों की स्थिति मैं देख रहा था, फिर भी मैंने 02.06.2000 को भारत के प्रधानमंत्री (जो पूर्व में परिषद के अध्यक्ष थे) को लिखा-

''प्रति

श्री अटलविहारी वाजपेयी जी,

माननीय प्रधानमंत्री (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष)

भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली-110001

विषयः- भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण वैज्ञानिकों को दी जा रही प्रताड़ना से बचाने बावद।



आदरणीय महोदय,

आपके द्वारा मुझे उन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जिनकी अनियमितता मैंने उजागर की थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को लिखे संलग्न पत्र दिनांक 21.01.98 के लिए कृतज्ञ हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पदस्थ होने के बाद मैंने देश में राष्ट्रीय परियोजना के प्रथम फेज के 235 कम्प्यूटर केंद्र (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) या सूचना तकनीकी केन्द्रों का अध्ययन (सर्वेक्षण) किया एवं रू. 12 करोड़ के घपलों को उजागर किया, जिसके कारण एक जिम्मेवार अधिकारी को आपकी स्वीकृति के बाद दिनांक 08.02.99 को निलंबित कर दिया गया। मेरा यह अध्ययन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष रखा गया और मुझे संलग्न अखबार समाचार दिनांक 06.05.2000 से ज्ञात हुआ कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रकरण दर्ज कर गहन अध्ययन चालू किया है। दूसरा फेज जो वर्तमान में चल रहा है जिसे राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना कहते हैं, इसमें कम्प्यूटर आपूर्ति एवं वार्षिक रखरखाव के मद में रू. 18 करोड़ और कम्प्यूटर कक्ष सुद्रढ़ीकरण एवं लोकल एरिया नेटवर्क में बड़ी राशि के खर्च में मैंनें संलग्न पत्रों से जो भ्रष्टाचार उजागर किया है उसे कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष, कृषि राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, महानिदेशक तथा उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को लिखित में बताया है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा में उठाया एवं इसकी प्रोसीडिंग भाग-II दिनांक 05.05.2000 (के) में आया है और इसके उठाने वाले सांसद ने कृषि मंत्री एवं कृषि राज्य मंत्री को दि.31.05.2000 को इस पर कार्यवाही बावद लिखा है। मेरे पास आया श्री अरूण शौरी मंत्री भारत सरकार का संलग्न पत्र दिनांक 06.12.99 श्री एन. बिट्ठल केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार दिनांक 19.01.2000 के पत्र प्राप्त हुए हैं।

मुझे वैज्ञानिक प्रताड़ना संबंधी संलग्न लेख दिनांक 30.06.98 प्राप्त हुआ है जिसने मुझे उद्वेलित किया है क्योंकि सर्वश्री आर.एस. पड़ौदा, मंगला राय, ए.आलम (मुख्य प्रशासकों श्री बी.के. चौहान, सचिव, कृषि राज्य मंत्री एवं कृषि मंत्री को छोड़कर) ने अवैध रूप से दिनांक 27.01.2000 के आदेश से मुझे मेरी ड्यूटी से हटा दिया है, जिसके खिलाफ मैंने संलग्न पत्र से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। मैं शीघ्र ही अपनी ड्यूटी वापस चाहता हूँ। महोदय मैं लगातार भ्रष्टाचार उघाड़ता रहता हूँ एवं इसके सम्बन्ध में पत्र भी लिखता रहता हूँ, इसलिए मेरी आशंका है कि जिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं आक्षेप के मामले मैंने प्रस्तुत किये हैं वह मुझे निलंबित कर देंगे। यह इस तथ्य पर आधारित है कि इन्होंने मुझे निलंबित करने की धमकी दी है जिसके बारे में मैंने सचिव परिषद के महानिदेशक, उपमहानिदेशक, कृषि राज्य मंत्री एवं कृषि मंत्री को संलग्न पत्र दिनांक 15.05.2000 से लिखा है। ये यह महसूस करते हैं कि यदि मैं निलंबित हो गया तो इनके भ्रष्टाचार के प्रकरणों को कोई उघाड़ नहीं पायेगा। अतः आपसे विनती है कि कृपया मुझे उन भ्रष्ट अधिकारियों से बचायें जो मुझे निलंबित करना चाहते हैं एवं भ्रष्टाचार के मामले को सी.बी.आई एवं सी.बी.सी. से जांच करायें।

आदर सहित,

आपका सच्चा
(सदाचारी सिंह तोमर),
सहायक महानिदेशक

प्रतिलिपि :-

1. श्री नितीश कुमार कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. श्री देवेन्द्र प्रधान कृषि राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3. डॉ. आर.एस. पड़ौदा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4. डॉ अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5. डॉ. मंगला राय पूर्व राष्ट्रीय निदेशक एवं उपमहानिदेशक (फसल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6. डॉ. प्रेमलाल गौतम, राष्ट्रीय निदेशक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
7. श्री बी.के. चौहान, आई.ए.एस. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

इन सभी पत्रों की पावती हेतु मैंने स्वतः ही प्रयत्न किया था। पत्र की मूल प्रति लेकर मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गया था, वहां से दिनांक 05.06.2000 को पावती ली थी। संलग्न किये गये पत्रों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष के पत्र दि.21.01.98 में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैंने भ्रष्टाचार उघाड़ा है इसलिए मेरा नियुक्ति पद जारी नहीं हो रहा है, इसमें मुझे न्याय दिया जाय। पूर्व परियोजना में रू. 12 करोड़ के घपलो पर सी.बी.आई. का केश रजिस्टर हुआ था। हिन्दुस्तान टाईम्स अखबार ने अपने दि.06.05.2000 के अंक में इसे निकाला था जो इस पत्र में संलग्न था। रू. 4 करोड़ के घपलों जो मैंने दि.01.06.2000 को देश भर में फैले 93 कम्प्यूटर केन्द्रों से प्राप्त किये थे, उन पर दण्डारोपण किया था, मुझे निकालने का अभ्यावेदन जिसमें घपले उघाड़ने का विवरण था, श्री अरूण शौरी मंत्री भारत सरकार जिससे उन्होंने मुझसे भ्रष्टाचार के दस्तावेज लिये थे, भारत के सतर्कता आयुक्त श्री विट्ठल का पत्र दिनांक 19.01.2000 जिसमें उन्होंने मुझे लिखा था ''प्रिय डॉ. तोमर तुम्हारे इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि उन विषिष्टकर बड़े पदों पर बैठे हुए भ्रष्ट व्यक्तियों पर दण्डात्मक कार्यवाही हो। ''

इसके साथ ही पत्रिका, अखबारों की कतरन दिनांक 30.06.90 जिसका शीर्षक था ***''प्रतिभायें दम क्यों तोड़ती हैं''*** में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ईमानदारी से काम



करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा की गई आत्महत्याओं का जिक्र था, 4 पृष्ठों का समाचार संलग्न किया गया था। इसमें वर्ष 1960 से 1990 तक की गई वैज्ञानिकों की 35 आत्महत्याओं का जिक्र था। इसमें यह भी जिक्र था कि परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल आदि में कब और कितनी आत्म हत्यायें ईमानदार वैज्ञानिकों द्वारा की गई थीं। यह पत्रिका **'माया'** के जून 1990 का अंक था। पत्र दिनांक 15.05.2000 जो मैंने भा.कृ.अ.प. के प्रमुख सतर्कता अधिकारी एवं सचिव को वर्तमान परियोजना जो रू. 1000 करोड़ की थी एवं इसके पूर्व की परियोजना जो कि रू. 1000 करोड़ के लगभग की थी में मेरे द्वारा उजागर किये गये घपलों एवं उसमें मुझे दी गई प्रताड़नाओं का विस्तृत जिक्र के साथ ही भविष्य में मुझे हानि पहुंचाने की आशंका व्यक्त की थी, वह भी संलग्न किया गया था।

किंतु गठजोड़ की सरकारों की मजबूरी कहें या श्री नितीश कुमार की 'चौकड़ी' से सांठगांव कहा जाय, मेरी आवाज ***''तूती के नक्कार खाने''*** में चली गई थी। कोई कार्यवाही होनी तो दूर उल्टे कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार मुझे मिलने तक का समय नहीं दे रहे थे।

यही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने दिनांक 23.06.96 को मेरी पुस्तक का विमोचन करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी कार्यवाही पर इसमे छपे एक लेख (अध्याय) का जिक्र करते हुए आधा घंटे का उपदेश दिया था। इन्होंने 21.01.98 को मेरे द्वारा उघाड़े गये भ्रष्टाचार के मामले को सामने रखते हुए मुझे प्रताड़ित करने पर परिषद के महानिदेशक को न्याय के लिए पत्र लिखा था, परिषद में 12 करोड़ के भ्रष्टाचार मेरे द्वारा उजागर करने पर दिनांक 08.02.99 को डॉ. सक्सेना को निलंबित किया था, मेरी पुस्तक (प्रोसीडिंग) में इनके पत्र छपे थे आदि, फिर भी श्री नितीश कुमार से न्याय नहीं दिला सके। क्योंकि यहां **''पार्टी फण्ड''** का मामला श्री नितीश कुमार के लिए इस मामले पर न्याय देने से ज्यादा महत्व का रहा होगा। 'पार्टी फण्ड' के मामले परिषद में उच्च अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों से उनको अपनी पंति में खड़ा करने के लिए जिसे वे आवश्यक सुधार कहते थे, बताये जाते थे। जिसका मतलब होता था कि भ्रष्टाचार इसलिए किया जाता है कि सर्वोच्च पदधारी से सम्बद्ध पार्टी में चुनाव लड़ने हेतु पैसा जमा किया जाय या उनको घूंस दिया जाय, इस कारण सबको ऐसी नोटिंग की हिदायत होती थी जिससे सामने वाली पार्टी का हित साधना होता था और उसे मिलने वाले अवैध राशि का हिस्सा स्वतः भ्रष्टाचारियों को देती थी और इस अस्त्र-शस्त्र से सबको झुकाने का प्रयत्न होता था। पार्टी फण्ड भ्रष्टाचार का एक शिष्टाचारी नाम इन भ्रष्टों ने खोज लिया था।

प्रश्न यह था कि जब परिषद का सर्वोच्च अधिकारी अध्यक्ष होता है तो फिर मैंने क्यों प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इसका कारण था कि मैं देख रहा था कि जबसे श्री नितीश कुमार जी परिषद में अध्यक्ष पद पर आये थे तब से मेरे द्वारा उघाड़े गये भ्रष्टाचार के प्रकरणों में

न तो कोई कार्यवाही हो रही थी और न ही उसमें कोई आगे इसके आसार दिख रहे थे। इस कार्य में मुझे कोई प्रोत्साहन के दो शब्द तो दूर प्रताड़ना पर प्रताड़ना मिल रही थी। जबकि अध्यक्ष के रूप में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और मैंने पूर्व के इसी तरह के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में ऐसे ही कम्प्यूटर के घपले उजागर किये थे तो जिम्मेवार अधिकारी डॉ. ए.पी. सक्सेना, सहायक महानिदेशक को न केवल निलंबित कर दिया गया था बल्कि उसकी जांच में मेरे द्वारा उघाड़े गये भ्रष्टाचार जो कम्प्यूटर खरीदी, स्थापना, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आदि बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें आरोप पत्र देने के प्रयत्न हुए थे। प्रधानमंत्री जी से यह भी अपेक्षा थी कि इस प्रकरण को सी.बी.आई या सी.वी.सी. को भी सीधे दे सकते थे। चूंकि पूर्व में श्री वाजपेयी जी अध्यक्ष थे और इनको कम्प्यूटर क्षेत्र में हो रहे घपलों की जानकारी अच्छी तरह दे दी गई थी और वह 'जीरो टालरेंस' या भ्रष्टाचार को मूल रूप से शून्य करने पर विश्वास करते थे, इसीलिए इन्हें मैंने पत्र लिखा था। परिषद का अध्यक्ष कृषि मंत्री होता है और वह सीधे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है तथा प्रधानमंत्री सीधे ही इनसे जवाब ले सकते थे। दूसरा कारण यह था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व में मेरे द्वारा उभाड़े गये भ्रष्टाचार के न केवल मुद्दों को जानते थे बल्कि भ्रष्टाचार पर ''जीरो टालरेंस'' की मेरी अवधारणा से भी वह वाकिफ थे, इसलिए मैंने सीधे उन्हें पत्र लिखा था। भ्रष्टाचार को दृढ़ता से मैंने उघाड़ा था, उसके पूर्व दस्तावेज मेरे पास थे इसी कारण यह खुला पत्र था न कि गोपनीय। मैं यह भी जानता था कि सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर मेरे ऊपर कार्यवाही हो सकती है, श्री नितीश कुमार (परिषद के अध्यक्ष) यह अपने ऊपर शिकायत मान लेंगे एवं मुझे नेस्तनाबूद करने पर तुल जायेंगे, फिर भी मेरे पास यही न्याय मिलने का एक उचित विकल्प था, इसी कारण यह पत्राचार किया गया था और इस पत्र की प्रतिलिपि भी सभी सम्बद्धजनों को दी गई थी। दुःखद स्थिति यह रही कि ऐसे प्रधानमंत्री को लिखे पत्रों का भी कोई प्रभावशाली परिणाम मेरे लिए नहीं मिला किंतु सचिव भारत सरकार को पद से हटाने की कार्यवाही हुई थी, परंतु यह भी भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गई।

## सतर्कता विभाग से सतर्क चौकड़ी

'चौकड़ी' को पता था कि यदि कोई आरोप पत्र या निलंबन की कार्यवाही किसी भी कनिष्ठ या वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी पर करनी है तो वह नस्ती सतर्कता विभाग से होकर जायेगी। किंतु अवर सचिव (सतर्कता) श्री विक्रम सिंह की दिनांक 08.05.2000 की टीप, निदेशक (सतर्कता) की दिनांक 11.05.2000 की टीप एवं प्रमुख सतर्कता अधिकारी की टीप दिनांक 15.05.2000 के द्वारा नियमों का हवाला, एकसार नीति, विद्वैश की भावना त्याग कर, भ्रष्टाचार से त्रसित होकर टीप देने आदि पर सुदृढ़तापूर्वक कार्यवाही करने पर ही नस्ती आगे बढ़ाने की बाध्यता कहने पर 'चौकड़ी' के नियमों की अवहेलना वाली चाल चली एवं अब सतर्कता दृष्टिकोण छोड़कर काम करने की (सतर्कता की टीप हांसिये पर रखते हुए) अवैधानिक प्रवृत्ति चालू कर दी।



इस मद में मदांध सचिव भारत सरकार एवं परिषद के महानिदेशक डॉ. आर.एस. पड़ौदा ने उसका अंधानुकरण करने वाले अवर सचिव (कार्मिकी) मेरे पूरे सेवाकाल की चरित्रावली मंगाई और इसमें जब-जब मैंने अपने मूल्यांकन एवं समीक्षा अधिकारियों को भ्रष्टाचार में पकड़कर उन्हें जांच में दोषी ठहरवाया था, उनके द्वारा लिखी खराब चरित्रावली को लेकर मुझ पर कार्यवाही (निलंबन या नौकरी से हटाने) का प्रस्ताव अध्यक्ष या मंत्री के पास भेजा था। जबकि यही यदि सतर्कता विभाग के माध्यम से आता तो वह सीधे लिखते कि वर्षों पुरानी चरित्रावली पर न तो अब निलंबन किया जा सकता और न ही अभी नियुक्ति वाले नई जगह पदस्थ व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती। यह भी जैसे सतर्कता अधिकारी ने पूर्व में लिखा था कि जो भी कार्यवाही हो वह समान रूप से परिषद में पदस्थ इस रैंक के लगभग 150 अधिकारियों पर हो, पर यह नहीं हुआ। बिना नियम के नस्ती मंत्री भी नहीं ले सकता। किंतु यहां तो श्री नितीश कुमार का जंगल राज था। जब सभी नियमों की अवहेलना करते हुए डॉ. पड़ौदा ने सीधे नस्ती लेकर दिनांक 06.06.2000 को सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (कृ.अ.शि.वि.) एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने मेरी सेवा के प्रारंभ से शुरू कर अंत तक (वर्तमान तक) देखी। इसमें वह चरित्रावली जो मेरे सेवाकाल के वे वर्ष भी थे जिसमें दूसरे विभागों में मैंने नौकरी की थी।

दिनांक 06.06.2000 को वह नोटशीट में दी गई मंत्री जी की टीप थी-

''पूर्व पृष्ठों में दिये गये तथ्यों का अवलोकन आंख खोल देने वाला है। इसलिए संस्था के हित में यह अत्यावश्यक है कि कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के स्तर पर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भी देखे जायें और कृषि मंत्री जी के समक्ष सतर्कता विवरण के साथ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की विपरीत प्रविष्ठियों को रखा जाय जिससे मण्डल के निर्णय पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

2. वर्तमान प्रकरण भी यहां प्रतिपादित करता है कि प्रबंधक के पदों पर प्रोवेशन (परिवीक्षा) अवधि परिषद में भी रखा जाय। यह वर्तमान की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्षन से जो प्रशासकीय पदों हेतु हैं से थोड़ा भिन्न है। किंतु भा.कृ.अ.प. जैसे वैज्ञानिक विभागों के लिए यह अनुसंधान प्रबंधक नियुक्त करने हेतु लम्बी अवधि हेतु हितकर होगा। अतः कृषि मंत्री की अनुमति सैद्धांतिक रूप में इस प्रकरण में भी प्रार्थनीय है।

3. पूरे मामलों को देखा जाय तो पूर्णता में यह ठीक होगा कि डॉ. तोमर को भा.कृ.अ.प. के प्रबंधन पद से मुख्यालय से हटाया जाये। अतः कृषि मंत्री इस प्रकरण को पूर्व की दी फाइल के साथ देखें जिसमें उसे निलंबित कर उसका मुख्यालय परिवर्तित कर दिल्ली से बाहर किया जाना जनहित में होगा।

(आर.एस. पड़ौदा)/06.06.2000''

यहां यह बात स्पष्ट की गई थी कि निलंबित करके दिल्ली के बाहर भेजा जाय। जिसका तात्पर्य था कि यहां रहते हुए भ्रष्टाचार की बातें मैं करता ही रहूंगा। साथ ही अखबार वाले भी इसे छापते रहेंगे। यह आश्चर्य की बात थी पूर्व के वर्षों की खराब चरित्रावली जो

इसके विभाग से संबंधित न थी उसके आधार पर कैसे किसी प्रबंधक को निलंबित किया जा सकता है। जबकि चयन के समय भी चरित्रावली देखी गई थी। यदि यही नस्ती सतर्कता विभाग के माध्यम से डॉ. पड़ौदा के पास भेजी जाती तो निश्चय ही सतर्कता वाले लिखते कि जिन अधिकारियों ने मेरी चरित्रावली लिखी है, उन्हीं को मैंने लोकायुक्त में फंसाया था एवं प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा अपराधी (भ्रष्ट) घोषित कराया था। उनके भ्रष्टाचार के पूर्व के मुद्दे जो मैंने पकड़े थे वे जांच में सही पाये गये थे। यह जरूर था कि ये दोनों ने मेरी चरित्रावली लिखे थे। अखबारों एवं जांच से दोष सिद्ध होने के बाद भी इनका कोई बाल बांका न कर सका था क्योंकि सत्ता के हीये दलाल थे और कमाई करके दुधारू गाय बने हुए थे। इस फाइल में मंत्री एवं उनके स्टॉफ ने यह तक नहीं पूछा कि यह अवैधानिक नोट क्यों भेज रहे हो।

## कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार खुलासे का खुला पत्र एवं कार्यवाही की मांग :-

दिनांक 7.6.2000 को जो पत्र मंत्री को लिखा था वह निम्नानुसार था-

''प्रति,

श्री नितीश कुमार जी,

माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली,

आदरणीय महोदय,

मेरी नियुक्ति भा.कृ.अ.परिषद की कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली (एरिस) में सहायक महानिदेशक के पद पर हुई है। जब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अपनी योजना में मुझे बड़ा भ्रष्टाचार मिला जो विभिन्न तरीकों से था जिसे मैंने भा.कृ.अ.परिषद को बताया। ऐसा ही रू. 4 करोड़ का भ्रष्टाचार संलग्न पत्र से दिनांक 01.06.2000 को दिया। मैंने कृषि मंत्री (अध्यक्ष) को भी पत्र लिखा, कृषि राज्यमंत्री (उपाध्यक्ष) एवं प्रधानमंत्री (परिषद के पूर्व अध्यक्ष) को भी सूचित किया। यदि उनके कोई मत फाइल में आये हैं तो कृपया उन्हें भी देखें। चूंकि अपनी योजना के सुधार हेतु मैं सतत मॉनीटरिंग कर रहा हूँ और पहले भी मैंने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में कम्प्यूटर आपूर्ति आदि के मामले में भ्रष्टाचार उजागर किया था जिससे एक अधिकारी माननीय कृषिमंत्री एवं प्रधानमंत्री के आदेश से 08.02.99 को निलंबित भी हुआ था। इस घपले के दस्तावेज सी.बी.आई. की मांग पर उन्हें प्रदाय भी किया गया था। इसी तरह वर्तमान की राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के फेज में कम्प्यूटर आदि में मैंने करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार पाया है। इस बार मैंने सी.बी.आई. एवं सी.वी.सी. की जांच भी कराई है। इसके कारण मुझे निलम्बन तक की धमकी दी गई है, जिसके बारे में मैंने परिषद के सचिव, मुख्य सतर्कता अधिकारी को 15.05.2000 को भी लिखा है।

आपसे विनम्र विनती है कि आप दस्तावेजों को देखें एवं अपराधियों पर समुचित कार्यवाही करें जिससे उनको दण्ड दिया जा सके। यदि आप उचित समझें तो यह प्रकरण सी.बी.आई. एवं सी.वी.सी. को देवें।



आदर सहित आपका सच्चा (सदाचारी सिंह तोमर)

संलग्न- यथोपरि

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कृषि राज्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष भा.कृ.अ.परिषद, नई दिल्ली
2. डॉ. आर.एस. पड़ौदा, सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.परिषद, नई दिल्ली
3. डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भा.कृ.अ.परिषद, नई दिल्ली
4. श्री बी.के. चौहान मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सचिव, भा.कृ.अ.परिषद, नई दिल्ली''

दिनांक 07.06.2000 को वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मिला जिसे 15 दिवस के अंदर भरकर देना था। आज (दि.07.06.2000 को) मंत्री जी के सचिव श्री आर.सी.पी. सिंह से सांयकाल मुलाकात करने के लिए गया। एक घंटे तक प्रतीक्षा की किंतु मिलने का समय नहीं मिला। इस तरह जब मंत्री का सचिव ही मिलने का समय नहीं दे रहे फिर मंत्री क्यों और कैसे देंगे। मंत्री जो सब छोटे-छोटे कर्मचारियों से मिलता है तब मुझसे मुंह चुराने का क्या कारण है वह तो स्पष्ट था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहा था तब कैसे ***''पार्टी फण्ड''*** का पैसा जायेगा और मंत्री मुझसे कैसे खुश रहेगा और क्यों मुझसे मिलेगा। आज ही श्री रामकृष्ण कुशमारिया सांसद लोकसभा से कहा गया कि वह श्री आर.सी.पी. सिंह, मंत्री के सचिव से बात करें कि वह मंत्री जी से मिलने का समय दिलायें।

दिनांक 08.06.2000 को श्री आलोक तोमर पत्रकार ने बताया कि उन्होंने दिनांक 07.06.2000 को श्री नितीश कुमार से बात की थी एवं उनसे कहा था कि मुझे निलंबित करने के पहले मुझे मंत्री से मिलकर उन्हें पूर्ण बात बताने का अवसर दिया जाय। श्री रामानंद सांसद जी ने भी मंत्री जी को पत्र लिखा था। आज ही श्री के.एल. बकोलिया उपसचिव (शिक्षा) ने उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को पत्र लिखा था कि सी.बी.आई ने पूर्व परियोजना के दस्तावेज मांगे हैं जो पूर्व में यहां भेजे गये थे, वह उन्हें दिये जायें, किंतु यह पत्र मुझको देर से दिया गया।

दिनांक 09.06.2000 को श्री रामानंद सांसद लोकसभा ने प्रधानमंत्री जी को भेजने के लिए एक पत्र में हस्ताक्षर किये। डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने मुझे बुलाया एवं हमारी कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली (एरिस) समाचार पत्र (जिसमें मेरा नाम लिखा था) से मेरा नाम हटाने की बात कही।

दिनांक 12.06.2000 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की निदेशक सुश्री मीता गोपाल से चर्चा की। श्री सोमपाल पूर्व कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही करने से पूर्व वह मंत्री मुझसे बात करेंगे।

एक पत्र से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से पूछा गया था तब उन्होंने बताया कि उनके द्वारा परीक्षण किये गये कम्प्यूटरों की रिपोर्ट हमें दी जा चुकी है। इन्होंने इसी अवधि में पेंटियम-III दिया था, लगभग उसी दर में (जबकि मे. सीमेंस नियमों का उल्लंघन कर हमें

पेंटियम-II लेने पर विवश किया था), हमारे सभी कम्प्यूटरों के बेंचमार्क (ग्राह्यता परीक्षण) में हमें कोई व्यवधान राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से नहीं होगा, ऐसा लिखित में दिया गया। जबकि मे. सीमेंस बिना माल सप्लाई किये यह बहाना बनाता रहा कि परीक्षण में देरी हो रही है जिससे दोषारोपण जांच एजेंसी पर हो।

## चापलूस निदेशकों में एक निदेशक की यथा-कथा

दिनांक 13.06.2000 को मैंने डॉ. जी. सिंह निदेशक केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान भोपाल को नियमों के विपरीत उनके द्वारा 3 वर्ष बाद खराब चरित्रावली पर अभ्यावेदन देने का पत्र लिखा था। जिसमें लिखा था कि प्रिय श्री सिंह चूंकि मैंने 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार उजागर किये वह अखबार में छपा और तुमने तुरंत ही यह खराब और गलत पत्र लिखा। इसमें चूंकि मुझे इस समयावधि में मात्र 2 कार्य (परिषद मुख्यालय का कार्य एवं वाहन प्रमाणीकरण) सीधे निदेशक एवं उपमहानिदेशक के मातहत दिया गया था। इसमें मुझे प्रशंसा मिली थी (परिषद मुख्यालय में उपमहानिदेशक के द्वारा जिनके मातहत मैंने मुख्यालय में अच्छा कार्य किया था), फिर विपरीत प्रगति रिपोर्ट कैसे हुई। तुमने यह गलत कार्य मात्र अपने आकाओं को जल्दी-2 में प्रसन्न करने हेतु किया है। इसमें कोई कारण ही न था मुझे प्रताड़ित करने हेतु यह किया गया कार्य है। जब यह चरित्रावली 3 वर्ष तक आप के पास रखी रही। आज यह खराब कैसे हो गई। इसमें खराबी के क्या बिंदु हैं। इसका मुझे उत्तर देना है वह तभी दिया जा सकता है जब इसका संलग्नक (जो इसमें संलग्न लिखा है किंतु दिया नहीं गया) दिया जाय। मैंने मुख्यालय का कार्य 3 माह से ज्यादा समय किया है उसमें रिपोर्टिंग अधिकारी का मत लिया गया या नहीं यह ज्ञात नहीं हो पा रहा। इसी तरह वाहन प्रभारी के रूप में मैंने जो कार्य निदेशक के सीधे मातहत काम किया उसके मत लिये गये या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नियमानुसार उसका कारण तो निदेशक द्वारा लिखना था, लिखा गया या नहीं।

इसका पूरा अभ्यावेदन मैं तभी प्रस्तुत कर सकता हूं जब मुझे पूरे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का विवरण दिया जाय।

हस्ताक्षर/13.06.2000

(डॉ. सदाचारी सिंह तोमर)

डॉ. जी. सिंह निदेशक केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल''

दिनांक 13.06.2000 को श्री एन. विट्ठल को फोन किया, उनके वयैक्तिक सहयोगी ने मुझे एक पत्र बनाकर शुक्रवार तक श्री विट्ठल को देने को कहा। आज ही डॉ. पंजाब सिंह, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से मिलकर बताया, उन्होंने इसे तुरंत बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने मेरे दस्तावेज किसी और को भी देने हेतु कहा। डॉ. जी. सिंह ने 15.05.2000 के एक-एक हजार करोड़ रुपये के घपले एवां डा. पड़ौदा की करतूत पर जो लेख छपा था उस पर मरहम लगाने के लिए उसने 16.05.2000 को चरित्रावली खराब करने की करतूत लिखी थी।



दिनांक 14.06.2000 को श्री बाबूलाल जांगीरा परिषद के वित्त निदेशक ने बताया कि श्री भगवान की उपस्थिति में श्री विनोद कुमार कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार के आंतरिक वैयक्तिक सहयोगी ने कहा कि यदि श्री जांहागीरा को जहां स्थानांतरित किया गया है वहां ज्वाइन (कार्य में उपस्थित) नहीं करते तो उन्हें निलंबित कर दिया जायेगा। अतः मैंने श्री जांगीरा से इस पर सोचने हेतु कहा। ये अतिरिक्त वयैक्तिक सहयोगी वे होते हैं जिन्हें सामान्यतः मंत्रीगण अपने सहयोग के लिए रखते हैं जो उनको लेन-देन, अफवाह फैलाने, बैठकें कराने, मिलाने-जुलाने आदि की व्यवस्था करते हैं। और श्री विनोद कुमार इसमें माहिर थे। वे एक शातिर इंसान थे।आज ही आकाषवाणी दिल्ली में ***''ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना क्रान्ति''*** विषय पर वार्ता दी। आज ही डॉ. पंजाब सिंह से बात हुई, उन्होंने किन्हीं श्री रमन सिंह एवं श्री दिग्विजय से चर्चा करने को कहा जो मुझे निलंबित न करने बावद मंत्री जी से कहेंगे।

यह पत्र किसी भी इमानदार कृषि-मंत्री के पास इतने खुले रूप में इतने दस्तावेजों प्रमाणों के साथ पहुंच जाता तो वह तुरंत ही मुझे बुलाकर उसका सत्यापन कराते हुए जांच बैठा देता एवं जांच अनुसार दण्ड देता। किंतु यहां तो लगभग सभी भ्रष्ट थे, मंत्री से संत्री तक अपने मद में मदमस्त थे, पूरे कुंए में भांग पड़ी थी। मुझे गले में फंसी हड्डी समझ रहे थे। यहां और मंत्रालयों में मैं देख रहा था तथा प्रदेशों में भी देख रहा था। सत्ता प्राप्ति का मतलब ही था पार्टी फण्ड या भ्रष्टाचार की राशि बढ़ाओ। कहा यह जा रहा था कि जो पार्टी जितनी ज्यादा राशि अपने फण्ड में रखेगी वह उतना ही अच्छी तरह आम चुनाव को 'मैनेज' या प्रबंधन कर सकेगी। उसे उतना ही बहुमत मिलेगा। इस तरह वह उतने ही मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगी। और इसके अपवाद नहीं थे श्री नितीश कुमार। वह भी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। मैं उनकी प्रगति में बाधक था। मेरे द्वारा ऐसे लिखे गये पत्र जब उनके पास दिये (प्रस्तुत किये) जाते थे तब वह और आग बबूला हो उठते थे। यही नहीं, उनको यदि (राज्य मंत्री) लिखित में इस भ्रष्टाचार का विवरण देते थे तो वे उन्हें भी परेशान करते एवं उनके अधिकार भी छीन लेते थे। श्री नितीश कुमार भी इसी स्पर्धा में थे कि किस तरह उनके पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो और वे अपने आने वाले आम-चुनाव पर ध्यान देवें। मेरे ऐसे पत्र उनको पीड़ादायी होते थे। यही कारण था जब भी मैं इनसे मिलने का प्रयत्न करता था, वे किसी भी तरह मुझे न मिलने की व्यवस्था कर लेते थे। चूंकि 'चौकड़ी' बनी ही ऐसी थी कि वह भ्रष्टाचार से राशि एकत्रित करे इसीलिए जब इसका (चौकड़ी का) कोई सदस्य बाहर किसी भी कारण से हो जाता तो उसकी पूर्ति बड़े ठोंक बजाकर की जाती थी। इसी कारण जब कनिष्ठ पद वाले व्यक्ति बड़े पद पर विशेष अधिकारी पर चौकड़ी के सदस्य होने के कारण मनोनीत हुए श्री कौल सेवा निवृत्त हुए तब मेरे एवज में प्रभारी के रूप में विश्वस्त डॉ. मंगला राय इस पद पर आये, इनकी जगह पर जब मंडल (कृ. वै. च. म.) से चुनाव की बात आई तो सबसे विश्वस्त डॉ. गजेन्द्र सिंह को चुना गया जबकि इन पर (डा. सिंह) परिषद में घपले की सी.बी.आई. की जांच चल

रही थी और सी.बी.आई. ने ही इसके चयन को अमान्य कर दिया, तब डॉ. पड़ौदा ने अजमाये हुए व्यक्ति डॉ. पी.एल. गौतम को चुना। चयन मण्डल तो मात्र एक माध्यम है जो डॉ. पड़ौदा चाहते थे उसी को चुना जाता था। इस तरह अवाध गति से मंत्री से मिलकर चौकड़ी भ्रष्टाचार करती रही एवं मेरे पत्र कूड़ेदान को डिब्बों में डालती रही।

मंत्री जी भ्रष्टाचार के बारे में बात ही नहीं करते थे तथा इसी कारण मिलने से भी कतराते थे। इस विषम स्थिति को देखते हुए दिनांक 16.06.2000 के लोकसभा सांसद सुश्री उमाभारती जी ने श्री नितीश कुमार जी को एक मार्मिक पत्र लिखा था जो ऐसा था-

''उमा भारती 9, त्यागराज मार्ग, नई दिल्ली
लोकसभा सांसद दिनांक 16.06.2000

यह पत्र वाहक श्री एस.एस. तोमर, सहायक महानिदेशक (एरिस), कृषि मंत्रालय में हैं। वह मूल रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हैं। वह कुछ गोपानीय सूचनायें आपको व्यक्तिगत रूप से आपके मंत्रालय के बारे में देना चाहते हैं।

मैं कृतज्ञ होऊँगी यदि आप कृपा कर अपना कुछ समय निकालकर डॉ. तोमर से मिल लें, जिससे आगे आवश्यक कार्यवाही हो सकेगी।

आदर सहित, आपके शुभेक्षु (उमा भारती)

श्री नितीश कुमार,
माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली''

यह पत्र मंत्री जी के यहां दि. 22.06.2000 को दिया गया। किंतु वह मिलने का समय तो दूर उनके वयैक्तिक सचिव से भी मुलाकात नहीं हो पाई। यह ज्ञात भी था क्योंकि मेरे द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी जो पत्र उनको दिये जाते रहे वह कोई गोपनीय न होकर खुले रहते थे और इससे संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप लगे रहते थे। मुझे ऐसा आभास होता था जैसे चौकड़ी के साथ रहने से चौकड़ी का आदेश पालन करते हुए उसे कृतार्थ करते रहते थे। मेरी समझ में परिषद में अभी तक जितने अध्यक्ष या कृषि मंत्री हुए थे उन सभी से मैं एक बार नहीं कई बार मिल चुका था। चाहे वह श्री चतुरानन मिश्र हों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर श्री सुन्दरलाल पटवा हों। ये ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए मुझे समय भी आसानी से मिल जाता था। चर्चा भी सुचारू रूप से होती थी एवं कार्यवाही भी समुचित हो जाती थी। किंतु यहां तो श्री नितीश की उल्टी गंगा बह रही थी, वे एक सहायक महानिदेशक को मिलने तक का समय नहीं दे रहे थे, कार्यवाही की बात तो दूर थी।

मुझे घोर आश्चर्य था कि क्यों श्री नितीश कुमार मंत्री जी से उस सांसद के पत्र के बाद भी मुझे मिलने तक नहीं दिया जो एक फायर ब्रांड नेत्री उस दल से थी जिसकी सत्ता थी और वह सबसे बड़ी पार्टी थी। वैसे भी सुश्री उमा भारती जी सबसे मिलनसार एवं सम्पर्क



में रहती थीं। ये दोनों ही (सुश्री भारती एवं श्री नीतिश) पिछड़े वर्ग के नेता थे। सुश्री उमाजी का श्री नितीश कुमार जी से अच्छा सम्पर्क भी था। परंतु धीरे-धीरे बात साफ होती गई कि किस तरह पैसों की लालच सब में है। श्री नितीश कुमार जी कृषि मंत्री के रूप में पदस्थ हुए थे। पूरे परिषद के कार्यक्रम के साथ रू. 1000-1000 करोड़ की दो परियोजनायें कम्प्यूटर आदि की चल रहीं थी। इसके साथ ही परिषद एवं कृषि विभाग का बड़ा फण्ड था। काम ठीक से चल रहा था, इसी बीच बिहार राज्य के चुनाव परिणाम आये जिसमें श्री नितीश की बहुमत से कुछ कम संख्या वाली पार्टी थी। फिर भी श्री नितीश कृषि मंत्रालय छोड़कर बिहार राज्य की ओर बढ़ गये थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आया राम गया राम की राजनीति करके, खरीद फरोख्त के माध्यम से 'मैनेज' या प्रबंधन कर वह बहुमत जुटा लेंगे। किंतु संभव था कि पैसे कम पड़ गये हों, वह बहुमत जुटा नहीं पाये और पुनः 'लौट के बुद्धु घर को आये' और वही कृषि मंत्री का पद ग्रहण कर लिया और पार्टी फण्ड बढ़ाने में जुट गये। कुछ दिन बाद दूसरा और मलाईदार मंत्रालय (रेलवे) उन्हें मिला और वह कृषि को छोड़कर वहां मलाई खाने पहुंच गये। क्योंकि उन्हें पैसों का महत्व ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया था। इस तरह पैसों की भूख उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाती रही।

उन्हें यह भी भय था कि सुश्री उमा भारती के पत्र के बाद भी मैंने उनसे मिलकर चर्चा किया तो आगामी पत्रों में उसका जिक्र करूंगा ही कि इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने अन्य पत्रों में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र दिया था कि मैं फलां तारीख को इस बावद किससे मिला, आपको भ्रष्टाचार किन-किन पत्रो से बताया था आदि-आदि। श्री नितीश को यह भी ज्ञात था कि उनके बिना चाहे उन्हें मंत्री परिषद से कोई बाहर नहीं निकाल सकता था क्योकि वे अधिक सांसदों वाले दल का प्रतिनिधित्व करते थे, और यदि किसी कारण उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो सत्ता (सरकार) धाराशायी हो जायेगी। इसीलिए न तो वे मुख्य सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के पत्रों को महत्व देते थे और न ही प्रधानमंत्री के पास से आये हुए निर्देशों का। सांसदों की फिर विसात ही क्या थी। सुश्री उमा भारती या श्री रामानंद सिंह (जो उनकी जाति के थे) उनकी सही सलाह पैसों के आगे नक्कार खाने की तूती बन गई थी। उनकी ही नहीं, 50 अन्य सभी दलों के सांसदों के पत्रों को श्री नितीश कुमार एक तरफ फेंक दिये थे किंतु सही कार्यवाही नहीं किये क्योंकि उससे फण्ड के आवक-जावक में खलल पड़ती।

दिनांक 15.06.2000 विजुअल बेसिक 6.0 विंडो 2000'' का विकास पर प्रशिक्षण में गया, यह मुफ्त का प्रशिक्षण एस.एस.आई, रिंगरोड, साउथ एक्टेंशन, नई दिल्ली में था।

दिनांक 16.06.2000 को देश के सतर्कता आयुक्त श्री एन बिट्ठल से आज चौथी बैठक हुई। यह बैठक उन्हीं के कार्यालय कक्ष में केन्द्रीय सतर्कता आयोग में हुई थी। उनसे मैंने कहा कि वह मुझे निलंबित होने से बचायें अन्यथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज भी दूसरे दिन विजुअल बेसिक के प्रशिक्षण में गया।

दिनांक 17.06.2000 को प्रधान मंत्री कार्यालय जाकर वहां सतर्कता के प्रमुख प्रभारी अधिकारी श्री सैकिया से मुलाकात की। यह मुलाकात श्री शर्मा (जो पूर्व में केन्द्रीय कृषि

इंजीनियरिंग संस्थान में बीज मशीन पर विक्री का काम ले रखा था) के साथ हुई थी। चर्चा बड़े अच्छे वातावरण में हुई थी, किंतु शर्माजी ने मुझे बताया था कि श्री सैकिया डॉ. पड़ौदा महानिदेशक पर कार्यवाही करने के इच्छुक नहीं है, वह तो डॉ. आलम या डॉ. मंगलाराय पर ही कार्यवाही करने के इच्छुक हैं। ऐसा उन्होंने बताया था किंतु बड़े की (डॉ. पडौदा) रक्षा करना चाह रहे हैं-यह मेरे लिए विषम स्थिति थी। बात समझ में आ रही थी कि डॉ. पडौदा सचिव एवं महानिदेशक पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाने के कारण वह निरंकुस होकर भ्रष्टाचार कर रहा है और ऊपरी हस्तियों को पटाये हुए है। अतः इस भ्रष्टाचार का नाश करना कठिन है। एक तो डॉ. पड़ौदा भारत सरकार का सचिव होने के कारण, सी.बी.आई. को दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिशमेंट एक्ट (डी.एस.पी.इ.ए.) की धारा 6 (जिसके तहत सी.बी.आई. का निर्माण हुआ था) के तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी (संयुक्त सचिव) या इससे ऊपर के कर्मचारियों (अधिकारियों) के खिलाफ सीधे जांच करने का अधिकार नहीं था। इस कारण डॉ. पड़ौदा ने ताल ठोंककर अखबार वाले को कहा था कि अधिकारी सी.बी.आई. में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं, वहां से भ्रष्टाचार की जांच करा सकते हैं। उसे ज्ञात था कि श्री सैकिया जैसे लोग उसे प्रधानमंत्री कार्यालय से बचायेंगे और नियम न होने से सी.बी.आई. की भ्रष्टाचार की जांच भी उस पर नहीं हो सकती। अतः उसको दोनों तरफ से अभयदान मिल जायेगा, और यही कारण था कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' में डॉ. पड़ौदा ने खुलकर कहा था कि उसके खिलाफ कहीं भी शिकायत की जा सकती है। मेरे समझ में भी यही आ रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने की जड़ में भी यही है कि सचिव की जांच सीधे सी.बी.आई. नहीं कर सकती, इसलिए ये लोग निरंकुश होकर भ्रष्टाचार करते रहते हैं। दूसरे डॉ. पड़ौदा के रिश्तेदार बड़े-बड़े परिचित जैसे श्री बलराम जाखड़, श्री मिर्धा आदि राजनीतिज्ञ हमेशा उसके सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। जाट लाबी भ्रष्ट लाबी आदि भी हमेशा अपनी कृपादृष्टि डॉ. पड़ौदा पर रखती ही थी, इसी कारण इसे कोई डर नहीं रहता था।

दिनांक 19.06.2000 को परिषद के श्री एम.असलम निदेशक (सतर्कता) का पत्र डॉ. आलम उपमहानिदेशक के माध्यम से मुझे मिला था जिसमें सी.बी.आई. को जानकारी देनी थी। यह वर्ष 1995 में जो विश्व बैंक से ऋण रू. 1000 करोड़ सहायता के रूप में थे मिले थे से सम्बन्धित था। इसमें काफी राशि देश भर के कृषि क्षेत्र में कम्प्यूटर का जाल बिछाने के लिए मिली थी। वर्ष 1998 में इस योजना के तहत पूरे 257 कम्प्यूटर केन्द्र (231 स्थलो में) जो देश भर में फैले थे का मैंने अध्ययन किया था एवं इसमें इतनी ज्यादा अनियमितता थी कि मैंने आपूर्तिकर्ता फर्म मे. एच.सी.एल. को ब्लैक लिस्ट या ***'काली सूची'*** में डालने का प्रस्ताव दिया था। पहले तो इस प्रस्ताव में गति मिली किंतु जैसे ही फर्म के प्रतिनिधि बार-बार आकर 'चौकड़ी' से सम्पर्क किये तो मेरे इस प्रस्ताव को ही अमान्य कर दिया गया। अतः जब यह सी.बी.आई. का पत्र आया, मैं पूरा विवरण देना चाहता था। इस पत्र को लिखने के पूर्व इस सतर्कता विभाग में पत्र आया था जिसे श्री बकोलिया ने पूर्व में हमें लिखा था। यह पत्र सी.बी.आई. को जवाब देने के लिए समयावधि



निर्धारित हुई थी। इस पत्र में ऐसेा लिखा था-

''विषयः- सी.बी.आई द्वारा विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के दिनांक 18.06.2000 के कम्प्यूटर एवं उपकरण खरीदी के मामले में पंजीकृत प्रकरण-सूचना प्रदाय बावद।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह निर्देषित किया गया है कि उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को श्री के.एल. बकोलिया द्वारा लिखे पत्र दिनांक 08.06.2000 जिसमें उपरोक्त विषय में जानकारी चाही गई है तथा विश्व बैंक द्वारा पोषित कार्य की कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरणों के क्रय से संबद्ध है के दस्तावेज/सूचना सतर्कता शाखा में दिनांक 20.06.2000 तक सी.बी.आई. को देने हेतु भेजी जाय। जिन प्रकरणों की अनुपलब्ध जानकारी है वहां अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय।

(एम. असलम)
निदेशक (सतर्कता)

प्रति,

डॉ. ए. आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) भा.कृ.अ. परिषद, नई दिल्ली''

यह पत्र उसी दिन मिलते ही आवश्यक कार्यवाही हेतु मुझे इंगित किया गया, किंतु दिया देर से गया।

दिनांक 22.06.2000 को मुझे दो पत्र परिषद के मिले थे, जिससे ज्ञात हुआ था कि मुझे सी.बी.आई. को जानकारी देनी थी। यह डॉ. आलम उपमहानिदेशक की धोखाधड़ी से देर से दिया गया था जिससे सी.बी.आई. को जवाब न देने का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाये। इसमें एक पत्र श्री के.एल. बकोलिया उपसचिव का तथा दूसरा पत्र श्री एम. असलम निदेशक (सतर्कता) का दिनांक 19.06.2000 का था। इन दोनों पत्रों के मिलते ही मैंने डॉ. आलम उप महानिदेशक को जिनसे ये पत्र मुझे मिले थे को जवाब 22.06.2000 को ही लिखा जिसका मजमून था -

''प्रति,

डॉ. अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-11

महोदय,

आज मुझे पत्र दिनांक 19.06.2000 एवं 08.06.2000 जो मुझे आवश्यक कार्यवाही करने हेतु थे अभी मिले। यहां मैं सूचित करना चाहता हूँ कि चाहा गया आवश्यक रिकार्ड आपके पास उपलब्ध होगा। विशेषकर यह उन नस्तियों में जो सी.बी.आई. से संबद्ध हैं और ये फाईलें आपके अधीनस्थ स्टॉफ में कार्यरत श्री वाय.आर.सिंह के पास हैं। दूसरे रिकार्ड भी कम्प्यूटर केन्द्र में हैं और इसके वैज्ञानिक मात्र दिनांक 27.01.2000 के कार्यालयीन आदेश के कारण मुझे न देते हुए आपके पास सीधे ही नस्तियां (फाइलें) भेजते हैं।

यद्यपि अधिकांश रिकार्ड उपमहानिदेशक (शिक्षा) एवं श्री के.एल. बकोलिया के पास उपलब्ध हैं जो इस अवधि में अधिकारी थे। मुझे पूर्व के सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) ने कोई भी प्रभार (चार्ज) नहीं दिया। यदि इच्छा हो तो मेरे अध्ययन से जो इस विश्वबैंक पोषित परियोजना (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना) के कम्प्यूटर इत्यादि की खरीदी से संबंधित है एवं पूरे देश का अध्ययन है वह आवश्यकतानुसार जैसे जब चाहें बताया जा सकता है।

आदर सहित, आपका सच्चा (सदाचारी सिंह तोमर), सहायक महानिदेशक

प्रतिलिपि :-

1) श्री एम. असलम निदेशक (सतर्कता), भा.कृ.अ. परिषद, नई दिल्ली

2) श्री के.एल. बकोलिया, उपसचिव (शिक्षा), भा.कृ.अ. परिषद, नई दिल्ली ''

पूर्व के कागजात तो मेरे पास नहीं थे। हां वर्तमान के पूरे देशभर के 237 कम्प्यूटर केन्द्रों का जो अध्ययन मैंने किया था उसका उपलब्ध भ्रष्टाचार का विवरण पूरे प्रमाण के साथ मेरे पास सभी केन्द्रों से मंगाकर, उपलब्ध कराया गया था। वह मैं देना चाहता था। किंतु 'चौकड़ी' की मर्जी के बिना यह संभव न था। इसीलिए मैंने पत्र में उनकी अनुमति हेतु लिख दिया था।

दिनांक 23.06.2000 को मैंने पुनः परिषद के सचिव को एक निवेदन पत्र कार्यालयीन सहयोग के लिए लिखा, क्योंकि बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार की शिकायत पूरे देश से आई थी और मुझे उन पर कार्यवाही करनी थी। आपूर्तिकर्ता वेंडर्स को समय पर दुरस्ती करना, स्थापित कराना, प्रशिक्षण आदि को सम्पन्न कराने हेतु लिखना था। इतनी लम्बी अवधि से जो अकार्यशील कम्प्यूटर नेट उपकरण पड़े थे और उन पर शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्यवाही नहीं की जा रही थी उस हेतु वेंडर्स पर दण्डात्मक कार्यवाही करनी थी। अतः मैंने पत्र लिखकर सभी सम्बद्धजनों को प्रतिलिपि दी थी जिससे वे कुछ तो ध्यान देकर कार्यवाही करें। इस पत्र में मैंने लिखा था -

''प्रति, दिनांक 23.06.2000

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

विषय :- स्टेनों, व्यैक्तिक सहायक, वयक्तिक सचिव प्रदाय बावद्।

महोदय,

जानबूझकर मेरे वयैक्तिक सहायक, वयैक्तिक सचिव को हटाने के बाद एक निम्न श्रेणी लिपिक मेरे पास पदस्थ किया गया था। उसने भी मेरा काम छोड़ दिया है और उसकी कहीं अन्यत्र पदस्थापना कर दी गई है।



मुझे टंकण और कार्यालयीन सहायक देना चाहिये इसलिए, मेरे पास एक स्टेनो और व्यैक्तिक सहायक (श्री राम निवास को छोड़कर) पदस्थ किया जाय।

आदर सहित, आपका सच्चा

(सदाचारी सिंह तोमर)

सहायक महानिदेशक

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. आर.एस. पड़ौदा, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय.कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय.कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3. श्री एन.एस. रंधावा, उप सचिव, भारतीय. कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4. श्री ए.सी. घोष, अवर सचिव (प्रशासन), भारतीय.कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली''

'चौकड़ी' के नायक डॉ. पड़ौदा नहीं चाहते थे कि उनकी प्रिय फर्मों पर दण्डात्मक कार्यवाही हो इसी कारण उनकी मर्जी से यह सुविधा बंद हुई थी, इसे वे चालू नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए ध्यान ही नहीं दिया, जबकि उन सभी को नोटशीट लिखकर मैंने बताया था कि यदि फर्मों पर एवं जिम्मेवार लोगों पर दण्डात्मक कार्यवाही न हुई तो इतनी सारी शिकायतें पड़ी रह जायेंगी। किंतु ये ''कान में तेल डालकर'' बैठे रहे, एवं मुझ पर व्यंग मारते रहे।

दिनांक 23.06.2000 को सी.बी.आई. के कार्यालय में जाकर पुलिस अधीक्षक श्री एम.पी. सिंह से मुलाकात कर जो कम्प्यूटर का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ उसकी जांच प्रगति जाननी चाही तो उन्होंने बताया कि वह मात्र नया प्रकरण लेते हैं, पुराने की बात भी नहीं करते।

अतः आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय (जहां मैं विश्वविद्यालय के प्रबंधन समिति का सदस्य था), वहां जाने के लिए भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

## मुझे गलत साबित करने के लिए उपनिदेशक ने खोला पत्रों का पिटारा :-

पहले तो मैं मंत्री श्री नितीश कुमार के मेरे भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रों को इनके सामने रखने पर उनका जवाब न मिलने से (उनकी संवेदन शून्यता) उन्हें संवेदनहीन मान रहा था। किंतु जब इनके मातहत 'चौकड़ी' इनके आने के बाद मुझे और परेशान करने लगी एवं मुझे ही दोषी ठहराने का षडयंत्र करने लगी तब मुझे समझ में आया था कि श्री नितीश कुमार खुद ही इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगे हैं। इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक ने दि.27.06.2000 को ऊल-जुलूल पत्र लिखकर किसी अन्य तरफ मेरा ध्यान बंटाना चाहा जिससे कम्प्यूटर केन्द्र से प्राप्त शिकायतों पर ध्यान न दूँ। इस पत्र में लिखा था-

''प्रिय डॉ. तोमर''  गोपनीय दिनांक 27.06.2000

पूरे संसार मे सूचना विस्फोट हो रहा है और इस मद में सूचना तकनालाजी को मुख्य रूप से अपना हिस्सा (रोल) अदा करना चाहिये। मैं इस बात में प्रशंसा करूंगा यदि आप दूर दृष्टि का दस्तावेज बनाये जहां मुद्दे पूर्णता से दिखे और आगामी माडल विकसित हो। मै आशा करता हूँ कि आगामी 15-20 दिन में आप एक ड्राफ्ट दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिसे विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत कर उसकी दृढता से राय ली जाय।

आदर सहित  आपका सच्चा

(अनवर आलम)

डॉ.यस.यस. तोमर, सहायक महानिदेशक,

(कृषि अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली),

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली-110001''

एक ओर तो पूरा-पूरा स्टाफ छीन लिया था,दूसरी तरफ सुविधायें न मिले इसलिये और लोगों को मेरा सहयोग करने पर डाटते रहते थे। फिर दस्तावेज कैसे तैयार होता। अपने घर मे आग लगी थी, कम्प्यूटरों पर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जा रही थी। उन्हें आगामी दस्तावेज की बात याद आ रही थी, जो कि एक छलावा था कि मैं उसको बनाने की सुविधा मांगता रहूँ और चौकड़ी इसे न बनाने का एक बहाना ढूंढकर यह कहे कि मैं कोई काम नही कर रहा हूँ। ऐसे छलावे वाले पत्र लिखना ना तो श्री चतुरानन मिश्र, न ही श्री अटल बिहारी बाजपेयी एवं न ही श्री सुन्दरलाल पटवा के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री पद पर रहने पर मुझे लिखे गये थे। किंतु अब तो पत्रों की बाढ़ आ रही थी एवं सभी सुविधायें छीनकर इन पत्रों पर कार्यवाही कैसे करूंगा इसका ध्यान भी किसी को न था। फिर भी जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था, इनको अपने यहां हो रहे भ्रष्टाचार विस्फोट का ख्याल न था संसार भर के किस विस्फोट की ये बात कर रहें थे जिसमें ये मेरे 20 दिवस लगा रहें थे जिससे तब-तक मैं व्यस्त रहूँगा और इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश रुका रहेगा। और तब इनके द्वारा प्रस्तुत नोटशीट के आधार पर श्री नितीश कुमार मुझे यहां से हटा देंगे। ऐसा करने की हिम्मत इनमें तब नहीं थी जब पूर्व में (उपरोक्त) वर्णित 3 मंत्री (सर्वश्री वाजपेई, पटवा व मिश्र) अध्यक्ष के रूप में कार्य किये थे। किंतु श्री नितीश के आते ही ये चौकड़ी खुले मदांध सांड़ की तरह घूमने लगी थी। इस चौकड़ी को यह विश्वास था की श्रीनितीश कुमार के रहते उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता एवं नितीश कुमार को विश्वास था कि गठबंधन सरकार के रहते उनके पास पर्याप्त संख्या (बल) था उससे वह वर्तमान सरकार को केवल हिला नहीं बल्कि धराशायी भी कर सकते हैं। इन सभी को यह पता नहीं था कि जब परत दर परत उनके भ्रष्टाचार के मामले खुलेंगे तो ये सभी सूखे पत्ते की तरह उड़ जायेंगे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके गोपनीय पत्रों को उघाड़ने के लिये कभी सूचना अधिकार अधिनियम-2005 भी आयेगा और उन्हें समाज के आगे नंगा खड़ा कर देगा। इन



सभी को तात्कालिक लाभ की फिक्र थी। यह वह काल (समय) था जिसमें वर्तमान में कार्यरत के पद से हटाने की बात क्या ईमानदारों की हत्यायें भी हो रही थीं। इनको तो केवल इतना पता था कि भ्रष्टाचार करके ज्यादा से ज्यादा राशि घरों में जमा करो या पार्टी का फंड़ बढाओ और सत्ता सुख भोगो। राजनेताओं को चुनाव येन-केन-प्रकारेण जीतना अधिकारियों की पद की पदोन्नति की लालसा से कुतों जैसी लार टपकती रहती थी जो उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिये प्रेरित करती थी। डॉ.अनवर आलम का यह एक पत्र भर नहीं था इनके पत्रों की श्रंखला चलती थी, जिससे वह अपने आकाओं के सामने रखकर मुझे निकालने का षड़यंत्र रखते थे। जब से सतर्कता शाखा ने यह लिखकर उनके मुह में तमाचा जड़ा था कि इनके (ड़ॉ.तोमर के) काम में कोई गड़बड़ी थी तो क्या कभी आपने इस बाबद लिखा जिसके आधार पर ड़ा. तोमर पर कार्यवाही हो। तब से ये इनके पास रखी मेरी फाइल मुझे पत्र लिखकर मोटी कर रहे थे। इस चौकड़ी को विश्वास था कि यदि श्री नितीश कुमार रहेंगे तो ये कभी-न-कभी मुझे नौकरी से हटा देंगे यदि नियमों से नहीं तो नियमों को आग लगाते हुए, इसे धता बताते हुए, इन्हें एक ओर फेंक कर श्री नितीश कुमार जिनको पूरा-पूरा लाभ ये दिला रहे थे या यों कहें कि जिनके मार्गदर्षन मे 'चौकड़ी' काम कर रही थी एवं भ्रष्टाचार बढ़ा रही थी उनको उपकृत कर देंगे।

दि. 28.06.2000 को में.सीमेंस ने परिषद के उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को एक पत्र लिखा था कि पूरे देश की कम्प्यूटरों की खराबियों की शिकायतों हेतु उन्होने दिल्ली में एक केंद्र स्थापित किया हैं, जहां शिकायतें ईमेल या टेलीग्राम से भेजी जा सकती हैं और वहां से शिकायत निवारण के लिए नम्बर दिये जायेगे। स्थानीय कार्यालयों में इस पत्र के बाद शिकायत न लेने को कहा गया । इस पत्र की प्रति भी मुझे नहीं दी गई थी। फलस्वरूप इस पत्र पर शिकायतें न तो लिखी गई, न ही निराकरण हुआ। इसमें पंजीकृत ड़ाक से पत्र भी भेजे गये किंतु हमारे केन्द्रो ने बताया की शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा। यह पत्र श्री.सुनील सूरी परियोजन के कंसलटेंट ने लिखा था। किंतु इसमें भी कोई राहत नही मिली । यह मात्र औपचारिकता निभाई गई थी कि यदि सी.बी.आई. या अन्य कोई जांच होगी तो उसके संदर्भ में यह पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। किंतु केंद्रों से जो शिकायतें आ रही थी उनसे पूछने पर भी ज्ञात हुआ कि कोई भी राहत इससे उनको नहीं दी गई । ऊपर से वहीं स्थानीय कम्प्यूटर केंद्र के प्रतिनिधि या व्यक्ति जब कम्पनी मे में.सीमेंस से मिलते थे, वे इस पत्र का हवाला देने पर भी शिकायत नही सुनते थे।

दि. 28.06.2000 को ही डॉ.आलम उपमहानिदेशक ने कई पत्र मुझे लिखकर स्पष्टीकरण मांगे थे जिनमें एक निम्नानुसार था-

दिनांक 28.06.2000

प्रिय श्री. तोमर

तुमने अपना भ्रमण कार्यक्रम दिल्ली-लखनऊ-कुमारगंज दिल्ली 27-29 जून 2000 के

लिये प्रस्तुत किया था। उसी नोटशीट में दूसरा भ्रमण दिल्ली-कुमारगंज-लखनऊ-कुमारगंज-दिल्ली भी जोड़ा गया था। उतरोत्तर तुमने यह भी उसमें जोड़ा था कि इनके आसपास के कम्प्यूटर केंद्र के भ्रमण भी करना है। प्रत्येक बार जब भ्रमण में तुम जाते हो तब वह क्लाज जोड़ते हो। मैने कभी तुम्हारी भ्रमण रिपोर्ट एवं भ्रमण में क्या कार्य किया नहीं देखा। यह प्रतीत होता है कि तुम्हारे भ्रमण मात्र व्यक्तिगत कारणों से हो रहे हैं। इसके साथ मुझे ज्ञात हो रहा है कि तुमने श्री पंचानन राय समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली है। मै तुम्हारी इस सदस्यता को स्वीकार नही करता। बिना स्वीकृति के ऐसे कार्य लेना उचित नहीं है। मै यह भी ध्यान दे रहा हूँ कि बिना उचित स्वीकृति के तुम लखनऊ गये। बिना आज्ञा स्वीकृति के किया गया भ्रमण उचित नहीं होता। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंड़ल की लखनऊ में बैठक कब है। आपने कुमारगंज की यात्रा क्यों प्रस्तावित की जो समय एवं विश्वविद्यालय के संसाधनों का अपव्यय है। यदि कोई इच्छा रखता हो तो वह इस समय की उपयोगिता मुख्यालय में कर सकता था।

आदर सहित

तुम्हारा ईमानदार
(अनवर आलम)
उपमहानिदेशक
श.कृ.अ.प.नई दिल्ली''

कितने महान थे डॉ.आलम उन्हें पता था कि दि. 28.06.2000 को मै वहां पहुंचकर बैठक में गया एवं वापस लौटकर दि. 29.06.2000 को सुबह कार्यालय पहुंच गया था। फिर भी कुछ ऊल-जलूल लिखकर दिखाना था (अपने आकाओं डॉ. पडौदा एवं श्री नितीश कुमार को) इसलिये यह पत्र लिखा गया था। उन्हें मालुम था कि प्रत्येक भ्रमण में समय बचने पर मैं तुरंत वहां स्थिति अपने कम्प्यूटर केंद्र जाकर वहां से मिली भ्रष्टाचार की शिकायत का सत्यापन करता था और इसी कारण हर भ्रमण प्रस्ताव कार्यक्रम में मैं लिखता था कि मै स्थानीय कम्प्यूटर केंद्र का भ्रमण करूगा, जिससे वे तिलमिला उठते थे और ऐसे गोपनीय पत्र देते थे। इसको गोपनीयता लिखना वे इसलिए नहीं भूलते थे क्योंकि इनके जवाब में उन्हें उन्हीं के भ्रष्टाचार से नंगा किया जाता था। इस पत्र का जवाब भी मैंने आगे दिया है। क्योंकि यदि किसी पत्र का जवाब उन्हें नहीं मिलता तो वे श्री नितीश कुमार से कहकर मुझे नौकरी से निकलवा सकते थे। उनको प्रत्येक भ्रमण की रिपोर्ट मैं देता था फिर भी यहां इस पत्र में डॉ.आलम ने झूठा लिखा कि भ्रमण रिपोर्ट कभी नहीं मिली। 'पंचानन राय' समिति में मंड़ल ने मुझे इस लिये रखा था कि प्रदेश के कई जिलों में विश्वविद्यालय के घपलों को उजागर कर मैं अच्छी तरह से सामने ला सकता था। पर ड़ॉ. आलम इसलिये डर गये थे कि इन्ही जिलों के अपने कम्प्यूटर केंद्रो का भी मैं भ्रमणकर उनके भ्रष्टाचार भी सामने ला दूंगा जिससे चौकड़ी की आफत बढ़ेगी।



दिनांक 28.06.2000 की बैठक हेतु दिनांक 27.06.2000 को लखनऊ जाकर दिनांक 28.06.2000 की विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित हुआ एवं वापस दिल्ली आया एवं 29.06.2000 को कार्यालय ज्वाईन किया।

दिनांक 28.06.2000 को भी एक और ऐसा पत्र डॉ. आलम ने मुझे लिखा था। संभवतः इनके आका डॉ. पड़ौदा महानिदेशक एवं श्री नितीश कुमार अध्यक्ष परिषद एवं मंत्री ने उन्हें कह रखा था कि कोई तीर का तुक्का ढूंढ़ते रहो जिसे लगाकर या आधार बनाकर डॉ. तोमर को नौकरी से हटा दिया जायेगा। इनमें यह बात भी हो सकती थी कि डॉ.आलम उपमहानिदेशक के किसी पत्र का जवाब मैने नहीं दिया। क्योंकि इन्हें नियमों की कोई परवाह ही नहीं थी। यह जरूर था कि श्री.नितीश कुमार कुछ नियमों के तहत कार्यवाही ऐसी कराते थे कि मैने जो भ्रष्टाचार उजागर किया उसको लिखकर इन्हें बताता रहा उसमें कोई ऐसा मुद्दा ढूढते थे कि कह सके कि मेरे द्वारा उजागर भ्रष्टाचार गलत है। और इसलिये ये ऐसा कुछ ढूढते थे किंतु न पाकर खीझ जाते थे। दिनांक 28.06.2000 के पत्र में डॉ.आलम ने लिखा था-

''गोपनीय सीधे पत्र संख्या टूर (II) दिनांक 28.07.2000

प्रिय ड़ॉ. तोमर

यह आपके उस भ्रमण कार्यक्रम से समबद्ध है जिसमें तुमने धारवाड, भुवनेश्वर, रानीपूल एवं पोर्टब्लेयर के भ्रमण की अनुमति चाही है। कम्प्यूटर स्थापना का काम वेंडर का है न कि सहायक महानिदेशक (कम्पयूटर) का। अंतराष्ट्रीय स्पर्धा दस्तावेज-(I) खरीदी यथा कीमत, स्थापना एवं चलाने में देरी एवं इस बाबद दण्ड़ को तुम्हें देखना है। सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) का कोई सीधा सम्बंध नही हैं। इसलिये तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किया जाता। यह तुम्हारी सूचना के लिये है, आदर सहित

तुम्हारा
(अनवर आलम)

प्रति,
ड़ॉ.यस.यस. तोमर
सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर/एरिस)
भा.कृ.अ.प., कृषि भवन नई दिल्ली-11''

खूब लिखा था डॉ. आलम ने, पूरे परिषद में एकमात्र चुना हुआ व्यक्ति मैं था जिसका यह कार्य न केवल विज्ञापन में उल्लेखित था बल्कि परिषद के अध्यक्ष ने इसे स्वीकृत किया था एवं प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई ने भी यही लिखा था। डॉ. आलम ने यह दस्तावेज-1 में यह कार्य का जिक्र तो किया, किंतु भ्रमण स्वीकार नहीं किया। उसका सीधे मतलब था कि यदि इन पिछड़े इलाकों में मैने भ्रमण किया तो पूरी-पूरी वेंडर्स की बदमाशी और 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार खोलकर रख दूंगा ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे थे।

सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) होने के कारण मुझे रू.1000 करोड़ की परियोजना में ज्यादा हिस्सा कम्प्यूटरीकरण का था जिनका एक मात्र चुना अधिकारी मैं प्रबंधन समिति (पी.यम.सी.) टीम मे सदस्य भी था। परिषद के दृष्टिकोण को वेबसाइट में ड़ालना था जिसकी चर्चा पी.यम.सी. में हुई थी इस पर डॉ.आलम ने लिखा-

गोपनीय/दिनांक 20.06.2000

''प्रिय ड़ॉ. तोमर

पूर्व की परियोजना प्रबंधन समिति की बैठक मे यह अपेक्षा की गई थी कि परिषद का इंजिनियरी विभाग इसमें दृष्टिकोण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वेबसाइट में ड़ालेगा जिसमें विषयवस्तु,आन्द्यातन करने की विधि, मुखपृष्ठ (होम पेज) को अन्य कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के केंद्रो को जोडना होगा।कृपया मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे एक कार्ययोजना (मसौदा के साथ) बनाकर एक सप्ताह के अंदर देवें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

आदर सहित

तुम्हारा ईमानदार
(ड़ॉ. अनवर आलम)
उपमहानिदेशक (कृषि इंजीनियरी)
कृ.अ.प. नईदिल्ली-110001

प्रति,

डॉ.यस.यस. तोमर, सहायक महानिदेशक
कृषि भवन नई दिल्ली-110001''

डॉ. आलम ने एक ओर अवैधानिक रूप से मुझे कम्प्यूटर केंद्रो से अलगकर उसकी फाइलें तथा वेब साइट से संबद्ध वैज्ञानिकों तथा ड़ाटा को अलग कर दिया था इसके बाद ऐसा पत्र दे रहे थे। मेरे पास के स्टेनो भी छीन लिये गये थे। यह सब अध्यक्ष श्री नितीश कुमार के आदेश के बिना किया गया था। श्री नितीश कुमार को बार-बार इसकी सूचना देकर मैं परेशान था, किंतु इनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। इन्होने यह भी नही लिखा कि इस बात की जानकारी उनको है किंतु भ्रष्टाचार को मेरे द्वारा उजागर कर दिये जाने से ये खफा थे और चुपचाप बिना कोई कार्यवाही के बैठ गये। जिससे उनके ऊपर यह लांक्षन न लगे कि चूकि उनका भ्रष्टाचार मैने उजागर कर दिया है इस कारण अब चौकड़ी के साथ वह भी मिलकर षडयंत्र कर रहे थे। इस पत्र को डॉ. आलम ने गोपनीय लिखकर क्यों दिया इसे सोचने पर समझ में आया की भ्रष्टाचार के उजागर हो जाने से जब मैं इस पत्र का जवाब दूंगा तो उसमें भ्रष्टाचार की चर्चा होगी और इनकी नाक कटेगी।



दिनांक 29.06.2000 को भी एक पत्रोत्तर के रूप मे डॉ. आलम ने मुझे जो पत्र लिखा था वह था-

गोपनीय

''प्रिय ड़ॉ.तोमर, क्र.29 दिनांक 29.06.2000

यह मेरे सज्ञान मे लाया गया है तुमने एक पत्र दिनांक 25.04.2000 को राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना को लिखा है जो कम्प्यूटर और उनके उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्पर्धा दस्तावेज-1 पर आधारित है, यह अपने विभागाध्यक्ष को न बताते हुए सीधे लिखा गया है जो परिषद के पत्राचार दिनांक 27.01.2000 का उल्लंघन है। यह तुम्हारी घोर अनुशासनहीनता है। कृपया ऐसी गतिविधियों में मत उलझो जो एक अधिकारी के लिए बेजा है।

आदर सहित, तुम्हारा
ईमानदार (अनवर आलम)

प्रति,

डॉ. एस.एस.तोमर, सहायक निदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली), भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली-110001''

यह डॉ. अनवर आलम की दोगली नीति का प्रतीक था जो उनके पूर्व के पत्र दिनांक 28.07.2000 के भी विपरीत था। ऐसे पत्रों को उनसे पूछकर लिखना एवं उनके माध्यम से भेजने का कोई तुक भी नहीं था। इसी बिंदु पर जांच करके श्री नितीश कुमार (अध्यक्ष) द्वारा मनोनीत जांच अधिकारी डॉ. किरण सिंह ने उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा था- ''एक बिंदु पर यह आक्षेप लगाना कि डॉ. तोमर सीधे पत्राचार करते हैं और दूसरी जगह पर कहते हैं कि सभी फाईलें, पेपर उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के माध्यम से भेजते हैं। दोनों कथन परस्पर विरोधी हैं, इस रिपोर्ट में भी यह बात आगे लिखी है, जिससे स्पष्ट होता है कि 'चौकड़ी' भ्रष्टाचार करने के लिए यह सब ऊल-जलूल पत्र लिखकर उसमें अध्यक्ष को अपने प्रभुत्व में रखते हुए इन बिंदुओं पर जांच कराई जो बेहूदे थे। जांच अधिकारी रिपोर्ट में आगे लिखते हैं : ''एक शब्द प्रयोग में लाया गया है दो व्यक्तियों के मध्य सैंडविच जो समझ से परे है। एक अन्य बिंदु पर उपमहानिदेशक इंजीनियरिंग ने लिखा है 'लेखा परीक्षा के हाथ या परिषद के दुष्मनों के हाथ आयेगा' जिससे भानुमती का पिटारा (पेंडोराबाक्स) खुल जायेगा जिससे परिषद की छवि खराब होगी, बड़े अधिकारी विवादों एवं सतर्कता के विवाद में लपेट में आयेंगे' यह स्वतः ही अपने कुकर्म की स्वीकारोक्ति है''

इतने में भी न तो 'चौकड़ी' को शर्म आई न ही नितीश कुमार को, जिन्होंने यह जांच चलाई थी। यदि ऐसे पत्र मैं न लिखता तो कौन लिखता।

डॉ. आलम के बेवसाईट निर्माण बावद दिया गया पत्र दिनांक 28.06.2000 का जवाब देते हुए मैंने उन्हें 29.06.2000 को लिखा था-

''प्रति दिनांक 29.06.2000

उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

महोदय,

मैंने आपके पत्र संख्या 81 दिनांक 28.06.2000, जो परिषद के वेब साइट निर्माण से सम्बद्ध है, प्राप्त किया और आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कुछ माह पूर्व जब मैं परिषद की वेब साइट पर प्रस्तुतीकरण या वक्तव्य दे रहा था उसमें आप और परिषद के महानिदेशक उपस्थित थे, तब यह निश्चित किया गया था कि अब यह कार्य डॉ. कुशलपाल द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इसलिए जितनी भी नस्तियां श्री हिमांशु के पास थीं उन्हें डॉ. कुशलपाल के पास स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आप सीधे ही इन सभी वैज्ञानिकों को डील करते हैं, अतः आप उन्हें कहें कि वे मुझे रिपोर्ट करें और आवश्यक जो गाइडेंस (मार्गदर्शन) की जरूरत हो वह मैं उन्हें दूंगा। मैं यह पत्र भी उन्हें दे रहा हूँ (जिससे यदि वे मेरे निर्देशों का पालन कर सकें तो यह कार्य करें)।

आदर सहित, आपका सच्चा (सदाचारी सिंह तोमर)

प्रतिलिपि :- डॉ. कुशल पाल वरिष्ठ वैज्ञानिक कम्प्यूटर केन्द्र (डॉ. अनवर आलम के पत्र के साथ प्रस्तुत)।''

दिनांक 30.06.2000 को मे. सीमेंस के श्री संजीव बोरवांकर ने एक पत्र लिखा था, माल जहाज में चढ़ाने के समय इसकी जांच क्यों नहीं की गई, बेंचमार्क के बिना जो अवैध आदेश उन्हें दिया गया, उसके बदले परीक्षण बिना माल प्रदाय के समय पर करने का जिक्र तो किया किंतु परीक्षण एजेंसी के इस बात पर कि माल नहीं मिल रहा हम परीक्षण क्या करें का उत्तर नहीं दिया। एम.एस.ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि साफ्टवेयर सी.डी. में तो दिये किंतु सी.डी. ड्राइव ही नहीं दी गई एवं कहा कि आदेश में नहीं लिखा ठीक वैसा ही जैसे पेट भरने की जिम्मेवारी की शर्त मानी किंतु खाने के लिए मुंह बनाने का अलग से आदेश न होने की बात कही। अपनी सबसे कम राशि वाली विड तो बताई किंतु यह नहीं बताया कि जब परीक्षण 'बेंचमार्क' ही नहीं हुआ तो कैसे यह निर्धारित हो सका (कि सबसे कम वाली यह विड है) जबकि बाद के परीक्षण बताते थे कि यदि 'बेंचमार्क' हो जाता तो नियमानुसार पहले स्तर पर ही यह विड स्पर्धा से बाहर हो जाती। इस कार्य में नियमानुसार पूरे देश में कार्य करने का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी न था। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात तो की, किंतु यह नहीं लिखा कि उसे अवैधानिक लाभ देने के लिए कैसे उसे खोलने में देरी कर दी गई कि माल ही पुराना होकर आधी से कम कीमत का रह गया। यह भी नहीं बताया कि जब उन्होंने यह लिखा कि दि.25.09.99 तक पूरा माल सप्लाई कर दिया गया था तब परीक्षण एजेंसी इसके बाद में पत्र पर उन्हें कैसे लिखती रही कि माल दो तो हम परीक्षण पूर्ण करें। बाद में लिखा कि सहायक महानिदेशक जो पूरे देश की शिकायतें मिलने



पर कार्यवाही हेतु आगे बढ़ाते रहे वह गलत था क्योंकि इससे उन्हें सब को ठीक करने का दबाव बढ़ता रहा यह भी नहीं लिखे।

## मुझ पर अवैधानिक कार्यवाही करने के लिए सांसद से अनैतिक एवं झूठा पत्र लिखवाने की कुकृत्य चाल :-

दिनांक 30.06.2000 को ही कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार ने श्री आर. मार्ग बंधु राज्यसभा सांसद के दि. 09.06.2000 के पत्र की पावती देते हुए लिखा था कि मैं आपके पत्र को पाया जो डॉ. एस.एस. तोमर सहायक महानिदेशक से सम्बद्ध है। इस पत्र की प्रति पर तुरंत ही मंत्री के अतिरिक्त सहयोगी श्री विनोद कुमार ने परिषद के महानिदेशक डॉ. पड़ौदा को सांसद के मूल पत्र के साथ कार्यवाही हेतु भेजी थी। तुरंत ही उसी दिन दि. 30.06.2000 को महानिदेशक ने यह कागजात उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को भेजते हुए डॉ. पड़ौदा ने लिखा था ''आवश्यक- देखें एवं निदेशक (कार्मिक) एवं अवर सचिव (सोधी सिंह) के साथ चर्चा करें''। जबकि सांसद के पत्र से स्पष्ट था कि यह भ्रष्टाचार से सम्बद्ध मामला है इस पर कार्यवाही सतर्कता शाखा से कराना चाहिए किंतु 'चौकड़ी' को पता था कि सतर्कता शाखा वाले तुरंत ही मेरे द्वारा उठाये गये 'चौकड़ी' के भ्रष्टाचार के मामले में पूछेंगे (जैसा पहले पूंछ चुके थे) जिसके कारण 'चौकड़ी' ने यह पत्र लिखवाया था, इस कारण 'चौकड़ी' सतर्कता शाखा की अनदेखी कर वहां के अवर सचिव श्री विक्रम सिंह एवं निदेशक श्री एम. असलम से बचाते हुए यह पत्र आगे बढ़ाया। इस टीप में आगे दिनांक 04.07.2000 को यह टीप लिखते हुए चर्चा की। आवश्यक कार्यवाही हेतु आगे अवर सचिव श्री सोधी सिंह को डॉ. आलम को मार्क कर दी। जबकि यह सतर्कता शाखा को भेजा जाना चाहिए था क्योंकि उनका पत्र उसी से सम्बद्ध था, इस पत्र में सांसद ने सारांश में लिखा था-''श्री नितीश जी आपके सुयोग्य मार्गदर्शन में सूचना तकनीकी अच्छी तरह से प्रगति पर है। किंतु आपके इस कार्य के लिए जिसके डॉ. एस.एस. तोमर सहायक महानिदेशक प्रभारी हैं उसकी पूर्व के वर्षों की प्रगति प्रतिवेदन देखने पर पता चलता है कि वह काम नहीं करता, अनुशासनहीन एवं भ्रष्ट है। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह अधिकारी झूठा है, अविश्वसनीय है, लेखा के हेर-फेर में विश्वास रखता है, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाला एवं अपने बड़े अधिकारियों की अवज्ञा करता है। जबकि वर्ष 1995 से 1998 की अवधि में इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस शासकीय सेवा के अयोग्य पाया था तब इसे इतने बढ़िया विश्व बैंक की परियोजना में कैसे लगाया गया एवं वह भी पदोन्नति देकर।

हम समझतें हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्द ही समझ लिया कि व्यक्ति ऐसे परियोजनाओं को चलाने मे अक्षम हैं एवं इसे इसकी अक्षमता, अलगनशीलता एवं रखरखाव के तौर तरीकों पर कारवाई किये बिना ही काम से अलग कर दिया। मैं समझता हँ कि कुछ खुद की रुचि रखने वाले व्यक्ति जो इसकी रक्षा कर रहे हैं एवं इस पर कारवाई करने से रोक रहे हैं।

देर से ज्ञात हुआ कि इस अधिकारी ने कार्यलयीन गोपनीयता को प्रेस में देकर अपनी अर्कमण्यता, अक्षमता और भ्रष्टाचार परिषद के दूसरे अधिकारियों पर ड़ालकर अपने आप को बचा रहा है। इस अधिकारी का यह गलत व्यवहार यदि यह सेवा मे रहेगा तो बड़े तादाद में अनुशासन हीनता एवं अव्यवस्था फैलेगी। यह शासकीय कर्मचारियों के सेवा के आचरण नियमों के विपरीत है।

हम इस अधिकारी के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में दिये गये रिमार्क का सारांश भेज रहे हैं। मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका पूरा विवरण मंगवाये और इस पर कारवाई करने हेतु इसे मुअत्तल (सस्पेंड) करते हुए इस पर जांच बैठायें।

मैं सांसद तथा कृषि संसदीय समिति का सदस्य हूँ जिससे मुझे सूचना तकनालॉजी की प्रगति की चिंता है। ऐसे अधिकारी को ऐसा दण्ड दिया जाय जो उदाहरण बन जाय। इस परियोजना को ऐसे अधिकारी से बचायें जो इसे बढ़ने के प्रत्येक कदम पर अवरोध पैदा करता है जिससे देश की आर्थिक क्षेत्र की प्रगति बढ़े। यह आपको सोचना चाहिए कि क्यों न ऐसे अधिकारी को सेवा से बरखास्त कर दिया जाय जो कि जनता के हित में होगा।

हस्ता. / 09.06.2000

(आर. मार्ग बंधु)

सांसद तथा राज्य सभा पटल

पर रखे जाने वाले कागजात का अध्यक्ष,

95/96 साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011''

यह पत्र जिसमें मेरे बारे में न केवल भरपूर गालियां लिखी थी बल्कि बहुत ही झूठे एवं अपमानजनक शब्द लिखे थे। वर्षों पुरानी चरित्रावली के जिक्र से स्पष्ट हो रहा था कि 'चौकड़ी' ने यह पत्र उनसे लिखवाया है। वर्ष 1995 से 98 तक के वरिष्ठ अधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि जब मैने उनके इस कृत्य को लोकायुक्त में दिया तो उसने इन्हे दोषी पाया। इन्हीं लोगों ने कुपित होकर मेरी चरित्रावली में ऐसा लिखकर अपना गुस्सा उतारा। इतना ही नहीं वर्ष 1995-1990 तक में भी ऐसी टीप दी गई। ये लोग (प्रतिवेदन एवं अवलोकन अधिकारी) चाहे लोकायुक्त हो या विधान सभा जांच मे दोषी पाये गये थे तथा इनको राजनीतिक गलियारों का संरक्षण न मिलता तो ये जेल के सीखचों के अंदर पहुंच गये होते। अतः इन भयानक त्रासदी से बचने वाले चाहे वह एन.एन.मेहता हों या फिर राम प्रसाद अथवा के. एम जौहरी रहे हों अंत में (वर्षो बाद) मेरे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वा.प्र.प्र) में ऐसे ही मत व्यक्त किये थे कि मैं शासकीय सेवा के योग्य नहीं हूँ। सुन्दरलाल पटवा कृषि मंत्री के समय इसी तरह की नोटशीट जारी करने एवं मुझे निलंबित करने की कार्यवाही करनी थी तब इन्हें नियमानुसार सतर्कता विभाग के माध्यम से ही जाना पड़ा था। और सतर्कता विभाग के अवर सचिव, निदेशक एवं प्रमुख सतर्कता अधिकारी ने वर्ष 2000 में



अपनी टीप (दिनांक 8,11 एवं 15 क्रमशः) देकर इस 'चौकड़ी' को ऐसा तमाचा जड़ा था, इनकी कोई भी नस्ती अब इनके माध्यम से प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं बची थी, कंपकपी छूटती थी और अब 'चौकड़ी' नियमों को कूड़े खाने के डिब्बे में फेंककर श्री नितीश कुमार के जंगलराज से पनप एवं बढ़ रहे थे। सतर्कता विभाग इनको भ्रष्टाचार में नंगा करते हुए पूछा था कि क्या वह बदले की कार्यवाही नही हैं। किंतु अब तो श्री सोधी सिंह अवर सचिव (कार्मिक) एवं निदेशक (कार्मिक) जिसे अधिकार ही नही था ने दिनांक 06.07.2000 को नोटशीट में लिखा ''सब में माननीय सांसद के सदस्य श्री मार्ग बंधु का माननीय कृषि मंत्री को डा.यस.यस.तोमर, सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) के बारे मे लिखा पत्र। माननीय सांसद ने लिखा है कि उनकी सूचना के अनुसार डॉ. यस.यस.तोमर अत्यधिक अक्षम असंतुष्ट, अनुशासित न रहने वाला एवं भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिसकी सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) के पद पर पदोन्नति हुई है। ऐसे अधिकारी को क्यों न जनहित में बर्खास्त कर दिया जाय। उपरोक्त संदर्भ मे डॉ.यस.यस तोमर की बहुत चूक एवं आयोग्यता के कारण दिनांक 08.05.2000 को माननीय मंत्री जी को एक नस्ती दी गई थी, जिसमें उसको तुरन्त निलम्बित कर प्रमुख दण्ड अभियोग पर देने को लिखा गया हैं। डॉ. तोमर पर कोई भी दण्ड बरखास्तगी सहित देने हेतु बताये गये नियमों के अनुसार ही की जा सकती है। माननीय कृषि मंत्री जी को अनुरोध किया जाय कि वह डॉ. तोमर को परिषद प्रस्ताव के अनुसार निलम्बित करें और उस पर बड़े दण्ड के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी करें।

सचिव एवं महानिदेशक कृषि मंत्री जी को नोट देने के पूर्व कृपया देखें।

(सोधी सिंह)

अवर सचिव (कार्मिक)

हस्ताक्षर (06.07.2000)

(हस्ताक्षर)

निदेशक (कार्मिक)

भा.कृ.अनु.परिषद

महानिदेशक

हस्ताक्षर (07.07.2000)

कृषि मंत्री''

यह नस्ती 26.07.2000 को वापस मंत्री जी के सहयोगी सहमति के साथ आई - ''कृषि मंत्री जी ने अपने आदेश दूसरे फाइल में दिया है'' इस पर डॉ. पड़ौदा महानिदेशक ने लिखा-

''इसको दूसरे फाइल के साथ जोड़कर डॉ. यस.यस. तोमर के खिलाफ जांच के लिये दे दिया जाय''

इस तरह यह नस्ती भी आरोप पत्र के रूप में जांच अधिकारी को दी गई। चापलूसो की टोली में कार्मिक विभाग के वफादार चमचे यह भी नहीं लिख सकते थे कि ऐसे मदों पर टीप देना उनका अधिकार नहीं हैं बल्कि इसमें कार्यवाही सतर्कता विभाग करेगा। ऐसा वे इसलिये भी नहीं करते थे क्योंकि अपने आकाओं का हित साधना उनका उद्देश्य होता था और उनके आका (चौकड़ी) उनके हर गलती पर उन्हें न केवल बचाती थी बल्कि आगे की पदोन्नति में उन्हे सहयोग देती थी या सेवा निवृत्ति में आसानी से उनके शेष लाभों को दिलाती थी। इस नस्ती को भी बिना सर्तकता विभाग के मत लिये डॉ. आर.यस. पड़ौदा (महानिदेशक), आर.यन. प्रसाद (सचिव) तथा श्री गयाप्रसाद निदेशक (कार्मिक) ने दिनांक 02.08.2000 को हस्ताक्षर कर जांच के लिये जांच अधिकारी के पास भेज दिया था।

दिनांक 03.07.2000 का उपमहानिदेशक डॉ. आलम का एक पत्र मिला था, जिसमें मेरे द्वारा वेबसाइट निर्माण के पत्र पर दिये गये जवाब के बारे मे था जिसमे लिखा था-

दिनांक : 03.07.2000

प्रिय डॉ. तोमर,

मुझे तुम्हारा 29 जून 2000 का पत्र मिला। तुम्हारे पत्र से स्पष्ट है कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम्हे सूचना विकास प्रणाली के कुछ अवयवों से इस लिये अलगकर दिया गया है, क्योंकि तुम अवज्ञा करते हो एवं किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं समझना चाहते। तुम्हारे कारण देरी हो रही थी, जिससे इस समयावधि मे होने वाले कार्य में समस्या होती, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। तुमसे जो कार्य पूर्ण कराने को कहा गया था उसमें फाईलों की जरूरत नहीं है। तुम्हें परिषद के वेवसाईट के लिए जो सूचना चाहिए वह पहले से ही उपलब्ध है।

आदर सहित

तुम्हारा ईमानदार

(अनवर आलम)

प्रति,

डॉ. सदाचारी सिंह तोमर,

सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर एवं सूचना प्रणाली-एरिस)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-1100012''

जैसा 'चौकड़ी' का उद्देश्य था कि किसी भी पत्र का जवाब मैं दूँ, कैसा भी दूँ उसे ये संस्तुष्टि पूर्वक नहीं मानते थे तदुपरान्त मेरे पत्रों का यह जवाब देते थे कि जिससे बाद में कह सकें कि काम संतोषजनक नहीं था। इस पत्र में इन्होंने यह भी लिखा था कि मुझे सूचना विकास प्रणाली से इसलिए हटाया गया था कि मैं काम में देरी करा रहा था जबकि



इनके द्वारा सुविधायें न दिये जाने के बावजूद देश भर के 437 केन्द्रों के कम्प्यूटरों की स्थिति मंगाकर मैं तुरत-फुरत (लगातार) दण्डारोपण भी कर रहा था। वही उनकी खुन्नस थी कि उन्हें भ्रष्टाचार क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्यों वेंडर्स पर दण्डारोपण हो रहा है। परिषद के वेवसाइट की पूरी जानकारी फाईलों में थी, जो इनके द्वारा अवैध रूप से मेरा कम्प्यूटर केन्द्र छीन लेने के कारण वहां के वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध थी। उन फाईलों को दिये बिना कैसे काम होगा। यह जानते हुए भी इन्होंने यह पत्र लिखा था। इस तरह इनका छलावा चलता था।

इसी तरह का पत्र डॉ. आलम ने दि.11.07.2000 को भी परियोजना समन्वयक केन्द्रीय शीतोष्ण बागमानी संस्थान लखनऊ को लिखा था। इससे भी स्पष्ट था कि वे मात्र 10 प्रतिषत जगहों में टीम ले जाकर प्रशिक्षण की अनुमति दी, शेष 90 प्रतिशत को लाभ विहीन किया। जब आदमी किसी फर्म को अवैध रूप से सहायता करता है तो निश्चय ही वह इसके बदले भ्रष्टाचार की कुछ राशि वसूल लेता है। फर्म ने अपनी होशियारी या सावधानी बरतनी ही होगी जिससे घूंस की राशि लेने वाला अधिकारी या समूह उसे पूरे कार्यक्रम में सहयोग करता रहे। ऐसे कुछ नियमों के तहत भी वह भ्रष्ट कर्मचारी को उलझा लेता है। जैसे वर्तमान प्रकरण में मे. सीमेंस को देरी से सप्लाई को सुगम (नियमानुकूल) बनाने हेतु 'चौकड़ी' ने अवैध रूप से लेटर ऑफ क्रेडिट देर से खोली, बिना 'बेंचमार्क' के क्रय आदेश दे दिये, आदि। इसी कारण वर्तमान पत्र से भी डॉ. आलम ने मे. सीमेंस को अवैध सहयोग देकर (कम केन्द्रों में काम कराने का) उपकृत किया था। प्रत्येक साइट में प्रत्येक कम्प्यूटर में उपयोगकर्ता को प्रशिक्षण देना था। जो मे. सीमेंस के द्वारा ज्यादा खर्च के कारण न तो प्रत्येक साइट में जाकर प्रशिक्षण देना था और न ही प्रत्येक साइट पर प्रशिक्षणकर्ता की टीम ले जाकर प्रशिक्षण देने को तैयार थी। इसी कारण इस पत्र से वह गुमराह करने वाली प्रक्रिया अपनाई। इसमें लिखा कि शर्तों के अनुसार प्रत्येक प्रयोगकर्ता जो प्रत्येक कम्प्यूटर से जुड़ा है उसे एक जगह लाकर एक साथ 10-15 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है जो कि दस्तावेज की शर्त के बिल्कुल विपरीत थी। यह अवैध कार्य अवैध वसूली के लिये थी। दस्तावेज में न तो एक अन्य जगह एकत्रित करके प्रशिक्षण देने की बात थी और न साइट से दूर जाकर प्रशिक्षण देना था। इसमें यह लिखा था कि वेंडर प्रत्येक साइट में जाकर प्रत्येक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण देगा। डॉ. आलम के इस आदेश (पत्र) से न केवल वेंडर को मनमाफिक बहुत कम केन्द्रों में प्रशिक्षण देना पड़ा बल्कि अपने कम्प्यूटरों से दूर जाकर प्रशिक्षण लेने पर उपयोगकर्ता ठीक से कम्प्यूटर चला ही नहीं पाये। इस तरह 'चौकड़ी' भ्रष्टाचार के दलदल में धंसती चली गई। इस पत्र से वहां निंधारित 190 साइट की जगह कुल 9 केन्द्रों में वहां के व्यक्तियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह कुल 190 कम्प्यूटरों के उपयोगकर्ताओं को जो लाभ उनके पास जाकर प्रशिक्षण का मिलना था वह नहीं मिला। यही नहीं मे. सीमेंस से भ्रमण भत्ता न मिलने की शिकायत बड़ी लम्बी अवधि तक मिलती रही, जिसमें यह कहा गया कि न तो मे. सीमेंस के दिये गये पते पर निर्धारित व्यक्ति मिला और न ही कई बार प्रयत्न करने पर वहां का फोन किसी ने उठाया।

इसी कारण कम्प्यूटर ठीक न चलने की शिकायतें बड़ी संख्या में लम्बी अवधि तक मिलती रहीं। उन पर मेरे द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही करने से 'चौकड़ी' के साथ श्री नितीश कुमार भी फंसते रहे। मे. सीमेंस ने बहुत लोगों को निंधारित किया गया भ्रमण भत्ता दिया ही नहीं। प्रशिक्षण का कोर्स भी वेंडर के मनमाफिक बनाया था। चूंकि इन सबको मैं जोरशोर से उखाड़ रहा था, अतः भ्रष्टाचार फलने-फूलने का अच्छा अवसर बना रहे, इस कारण मुझे वहां से हटाना ही उन्हें अच्छा लगा।

## आगे न बढ़ने देने के लिए चक्रव्यूह की रचना :-

दिनांक 12.07.2000 को कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल में अधिष्ठाता एवं संयुक्त संचालक के पद के लिए सक्षात्कार में उपस्थित हुआ। इसमें न केवल 'चौकड़ी' ने बल्कि अन्य प्यादों ने सोच रखी थी कि किसी प्रकार मेरा चयन न हो । जबसे इनको श्री नितीश कुमार का साथ मिला, ये मुझे नौकरी से निकालने की ठाने बैठे थे। इनको यह डर था कि यदि मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा तो मेरा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जो 'चौकड़ी' के प्रमुख डॉ. आलम एवं डॉ. पड़ौदा के अभी हाथ में है वह किसी अन्य के पास चला जायेगा और ये लोग मेरे काम के अनुसार अच्छा लिखेंगे तो मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिल जायेगा साथ ही मुझे पद से हटाने का अवसर हाथ से निकल जायेगा और मैं अपने साथ के अनुसंधान प्रबंधक स्थिति (Research Management Position) के व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य अनुभव एवं उपलब्धि वाला होने (जिन मुद्दों पर परिषद में पदोन्नति एवं चयन होता था) से मैं आगे बढ़कर परिषद का महानिदेशक एवं सचिव भारत सरकार न बन जाऊँ। यहां रहने से यदि मुझे 'चौकड़ी' निकाल न सकी तो कम-से-कम मेरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तो ये खराब लिख ही सकते हैं। इस तरह पदोन्नति या चयन में अवरोध हो सकता है। इसी कारण समकक्ष पद पर भी ये मेरे चुनाव होने से भयाक्रांत थे। क्योंकि चरित्रावली खराब होने पर भी वैज्ञानिक चयन मण्डल अगले पद के लिए चुन लेता है। इस कारण सेवा से मुझे निकालने को आतुर थे मैंने मण्डल में अत्यधिक पदों का आवेदन दिया था, किन्तु 15 वर्षों तक मुझे एक भी पद पर नहीं चुना गया।

मेरी अकर्मण्यता का राग अलापते हुए जब इन्होंने अपने हितैषी श्री नितीश कुमार अध्यक्ष से नियमों के तहत जांच कराई तब इनके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने मेरी उपलब्धियों की तुलना महानिदेशक डॉ. आर.एस. पड़ौदा तथा उपमहानिदेशक डॉ. आलम से करके इन दोनों को निचले पायदान पर बैठा दिया था। यद्यपि इस जांच एवं जांच अधिकारी को प्रभावित करने के लिए न केवल 'चौकड़ी' ने बल्कि श्री नितीश कुमार अध्यक्ष ने अपने ही द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी को पूर्ण जांच न करने या कम बिंदुओं पर जांच करने तथा तुरत-फुरत जांच का नाटक कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा था। किंतु जांच अधिकारी ने अपनी प्रवृत्ति अनुसार निडर, निष्पक्ष तथा अपने सेवानिवृत्ति सीध्र होने का भी भय न खाकर साथ ही 'चौकड़ी' से अपने अच्छे सम्बंध एवं नजदीकियों को दरकिनार



रखते हुए मुझ जैसे अपरिचित (जांच अधिकारी से परिषद मुख्यालय में आने के पूर्व मैं परिचित भी नहीं था) को भी न्याय दिया। एवं इनकी तथाकथित उपलब्धियां जिससे ये उपमहानिदेशक या महानिदेशक बने थे उसको तुलना कर मुझे श्रेष्ठ बता इन्हें नंगा कर दिया था।

## डा. आलम उपमहानिदेशक द्वारा मेरी जासूसी करने का कुत्सित प्रयत्न, लालच एवं धमकी :-

मैं जब मुख्यालय में सहायक महानिदेशक पद पर पदस्थ हुआ था, उसके तुरंत बाद उपमहानिदेशक डॉ. अनवर आलम आये (पदस्थ हुए) थे। ये मेरे गुरूजी भी थे। मैं इनका बहुत आदर करता था। आने के उपरान्त कई माह हम लोग पूसा कैम्पस तरफ रहते थे, तब मैं इनके वाहन में साथ लौटता था। मेरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो मध्यप्रदेश वैज्ञानिक परिषद एवं इस परिषद (भा.कृ.अ.प) के भोपाल संस्थान में हुई थी और वहां जो सफलता मिली वह भी जानते थे। वह मेरी प्रोफेसनल उपलब्धियां भी अच्छी तरह जानते थे, विशेषकर दो बार मुझे इंजीनियरी में सर्वोत्तम अनुसंधान के लिए भारत के राष्ट्रपति का पुरूस्कार जो दिया गया था वह मेरे आगे चयन में भी बहुत लाभदायक होगा। यह भी इनका कहना था कि परिस्थिति सामान्य रहीं तो मैं परिषद का महानिदेशक एवं सचिव भारत सरकार भी बन जाऊँगा। एक दिन अचानक इन्होंने मुझे पूछा था कि यदि ऐसी ही अनियमितता (भ्रष्टाचार) उनसे होगा तब मैं क्या करूंगा। मैं उनकी इस बात से दंग रह गया। मुझे अभी तक मालुम था कि डॉ. आलम एक ईमानदार व्यक्ति हैं, किंतु 2-3 माह से खोद-खोद कर मुझसे पूछने एवं भ्रष्टाचार के प्रकरणों को म.प्र. विधानसभा, लोकायुक्त म.प्र. तथा परिषद का भोपाल संस्थान में क्या कैसे और क्या कार्यवाही हुई, इसके पूछने का कारण अब मुझे पता चला था। इसी तरह प्रारंभ में जब मैं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही चालू किया था एवं उसे परिषद के देशभर के निदेशकों की कान्फ्रेन्स में प्रस्तुत किया था तब डॉ. पड़ौदा ने ऐसा न करने एवं प्रजेंटेशन बंद करने का आदेश दे दिया था। बाद में मुझे समझाया था कि मैं सरलतापूर्वक काम करता रहूँ तो एक दिन मैं अपनी उपलब्धियों के कारण परिषद का महानिदेशक एवं भारत सरकार के सचिव का पद प्राप्त कर लूंगा अन्यथा परेशानी में भी पड़ सकता हूँ। यह एक तरह धमकी थी तो दूसरी तरफ लालच दी जा रही थी। ऐसी ही स्थिति मुझे राज्य शासन में जब मैं संयुक्त संचालक कृषि (वरिष्ठ बायोगैस विशेषज्ञ) के पद पर कार्य कर रहा था तब आई थी। हम दो लोग उस समय कृषि विभाग (म.प्र.शासन) में सीधे चुने गये थे। दूसरे श्री मजूमदार थे वह पूर्व की सेवा छोंड़कर बाद में यहां (म.प्र.शासन) की सेवा उप संचालक संविलयन से ले लिये थे। मैंने बायोगैस संयंत्रों की बड़ी संख्या (लगभग 20000) का सत्यापन करके रू. 50 करोड़ में भ्रष्टाचार उजागर किया था। तब बड़े अधिकारी यहां तक कि राजनीतिज्ञ भी ऐसा न करने की बात करते थे। तब भी मुझे एक तरह से समझा जाता था कि यदि मैं सरलतापूर्वक काम करता रहूँ तो मुझे

राज्य कोटे से एक आई.ए.एस. (भारतीय प्रषासनिक सेवा) जो म.प्र. कोटे में दो पद (प्रत्येक वर्ष) होते थे, मुझे मिल सकता है और मेरी उम्र इतनी कम है (उस समय मैं प्रदेश भर के इतिहास में 33 वर्ष की आयु में संयुक्त संचालक चुना जाने वाला पहला व्यक्ति माना जाता था) कि मुझे पदोन्नति मिलते-मिलते म.प्र. का प्रमुख सचिव (Chief Secretary) भी बन सकता हूँ। दूसरी तरफ यदि मैं भ्रष्टाचार उजागर करता रहा तो समस्या होगी। इसमें भी एक तरफ प्रलोभन था तो दूसरी तरफ बड़ी धमकी दी जा रही थी। किंतु मैंने भ्रष्टाचार जो म.प्र. विधानसभा के समक्ष जाने दिया था जिसकी जांच समिति ने पाया था कि मेरे द्वारा उजागर भ्रष्टाचार में पूरा तथ्य है। और मैंने यदि ऐसा न किया होता तो घपला चलता रहता। पर अब यहां भी वही स्थिति आ रही थी। वहां तो अपनी बचत हेतु मैंने रिवाल्वर लायसेंस लेकर खरीदी और तब अपनी जान बचाई थी। पर यहां तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच सीधे सामने था।

कृ. वे. च. मं. चयन के लिये दो स्तर मूल्यांकन के बना रखे थे। एक (प्रथम) स्तर में बायोडाटा के आधारपर ग्रेडिंग होती थी फिर इसके स्तर पर साक्षात्कार के अंक मिलते थे। दोनों के अंक मिलाकर अंतिम चयन होता था।

जब भी मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल (कृ. वै. च. म.) में साक्षात्कार हेतु जाता था तब कभी-कभी मैं अपना आंकलन दूसरे वैज्ञानिकों से तुलनात्मक करता था एवं इस आंकलन भर में नहीं बल्कि वहां (मण्डल में) जो साक्षात्कार पूर्व आंकलन के अंक आते थे वह बाद में मैंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लिया था एवं पाया था कि मैं इनमें अधिकांश में सर्वाधिक अंक पाने वालों में होता था या ऐसी उच्च श्रेणी में ही रहता था। किंतु जब साक्षात्कार में मैं जाता था तब वहां सभी प्रश्नों के सही एवं सटीक जवाब देता था तब भी बाद में मुझे इतने कम अंक दिये जाते थे कि मैं चुना न जा सकूँ। जिसे चुनना होता या भले ही वह पूरे समूह में साक्षात्कार पूर्व न्यूनतम (बहुत की कम अंक) पाया होता था, उसे अत्यधिक अंक देकर, मुझसे थोड़े से अंक ज्यादा बनाकर चुन लिया जाता था। उस समय भी और आज भी मैं मूल्यांकन कर अपनी उपलब्धियों से समकक्षों की उपलब्धियों से तुलना करके यह पाता हूँ कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता था, बल्कि मैं काफी पहले ही भा.कृ.अ.प. का महानिदेशक एवं भारत सरकार का सचिव बन सकता था। इसकी तुलना हेतु मुझे जो कुछ स्तरीय आधार मिला था वह था अध्यक्ष श्री नितीश कुमार जी द्वारा नियुक्त किया गया जांच अधिकारी की प्रक्रिया। क्योंकि यह जांच इस बिंदु पर थी कि मुझमें अन्यों की तुलना में योग्यता या श्रेष्ठता नहीं है, मैं कार्य भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पूर्व की उपलब्धियां भी ठीक नहीं हैं, अनुसंधान श्रेष्ठता भी नहीं है आदि-आदि।

## परिषद में महानिदेशक तथा सचिव बनने के लिए मेरी प्रोफेशनल स्थिति तथा चुनौती :-



| वैज्ञानिक का नाम | प्रकाशित लेख (संख्या) | प्रकाशित पुस्तके (संख्या) | प्राप्त पुरुस्कार (संख्या) | प्रबंधक के रूप में अनुभव (वर्ष) | उम्र 60वर्ष की तिथि | सामान्य प्रतिशत अंक | श्रेणी (रैंक) | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यस अय्यपन | 109 | . | . | 2 | 10.12.15 | 12.34 | X | |
| पंजाब सिंह | 407 | . | . | 12 | 10.12.02 | 45.1 | III | |
| मंगला राय | 182 | 9 | 2 | 11 | 30.06.07 | 48.17 | II | |
| सदाचारी सिंह तोमर | 266 | 16 | 11 | 7.5 | 10.07.11 | 72.93 | I | राष्ट्रपति का दो बार पुरस्कार |
| पी. दास | 90 | 12 | 5 | 3 | 30.12.06 | 35.82 | V | |
| एस.एल. मेहता | 147 | 0 | 4 | 4 | 25.10.03 | 25.52 | VIII | |
| ज्ञानेन्द्र सिंह | 145 | 0 | 8 | 5 | 22.03.02 | 33.73 | VI | |
| आर.पी. कचरू | 225 | 0 | - | 4 | 18.04.04 | 25.30 | IX | |
| जे.सी. कात्याल | 82 | 6 | 11 | 7 | 12.12.07 | 44.41 | IV | |
| प्रेमलाल गौतम | 111 | . | 4 | 7 | | 27.58 | VII | |

इन बातों की जांच करने हेतु उन्होंने (जांच अधिकारी ने) परिषद द्वारा निर्मित नियम तथा चयन मण्डल द्वारा मान्य विभिन्न स्तरीय मान्यताओं का जिक्र करते हुए जिन अपेक्षाओं में चयन होता है एवं मापदण्ड जो चयन में अपनाये जाते हैं, उनका अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.05.2001 में जिक्र किया था। ये मान्यतायें मूल रूप से न केवल प्रबंधकों (निदेशकों, सहायक तथा उपमहानिदेशकों एवं महानिदेशक) के चयन के मूल मापदण्ड हैं बल्कि प्रोफसर ऑफ इमिनेंस एवं नेशनल प्रोफेसर आदि के लिये भी यही मापदण्ड़ है। इनमें जो मुख्य सर्वमान्य मापदण्ड़ है वह वैज्ञानिकों के अनुसंधान का स्तरीय जर्नलों में प्रकाशन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें तथा अपने अनुसंधान बाबद् मिले पुरस्कार हैं। अन्य बिन्दुओं के साथ ही इन तीन बिन्दुओं पर मेरी तुलना उन्होने परिषद के महानिदेशक (डॉ. पडौदा), उपमहानिदेशक (डॉ. आलम) (जिन दोनों का भ्रष्टाचार मैने उघाड़ा था) से तुलनाकर मुझे श्रेष्ठ पाया था। इसके लिये अन्य बातों के साथ ही उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों की उपलब्धियों अदि का विवरण जो एक स्तरीय प्रकाशन हैं का भी सहयोग लिया था। डायरेक्टरी ऑफ एग्रीकलचरल साइंटिस्ट इस पुस्तक का प्राकथन (Foreward) भी डॉ. राजेन्द्रसिंह पड़ौदा महानिदेशक ने लिखा हैं और वह मार्च 1999 में प्रकाशित हुई हैं। इसमें चरित्रावली या वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया । संभव है कि मेरे जैसा मैने देखा है कि यह प्रतिवेदन अधिकांश में उन्ही लोगो का अच्छा लिखा जाता है जो अपनी प्रगति लिखने वाले अधिकारियों की जी हुजूरी करते रहते है। भले ही वे कोई कार्य न करें किसी भी भले व्यक्ति ने इसी कारण वैज्ञानिक चयन मंडल में ऐसी व्यवस्था रखी हो कि चरित्रावली का कोई खास प्रभाव न रहे। यद्यपि मुझे पद से हटाने के

बाद श्री नितीश कुमार ने चौकड़ी के सहयोग से इसकी आवश्यकता बताते हुए इसके महत्व को लागू भी कराया था (जिसके कारणों में एक यह भी था कि मैं किसी प्रकार पदौन्नति न पा सकू)। इन निर्धारित मापदण्ड़ों के आधार पर पूरे परिषद के अनुसंधान प्रबंधन पद (Research Management Position) पर बैठे व्यक्तियों से उच्च शीर्ष बायोड़ाटा (जीवन वृत्त) वाले 10 व्यक्तियों को यहां तालिका बद्ध किया गया है। इसमें आगे की पदोन्नति हेतु पूर्व के प्रबंधन अवधि का अनुभव भी जोड़ दिया गया है। अति विशिष्टता के विवरण के लिये विशेष कालम दिया है। सहायक महानिदेशक या निदेशक से उपमहानिदेशक तक इंजीनियरी वाले क्षेत्र में औसतन 3-4 वर्ष तथा अन्य क्षेत्रों मे 5 वर्ष तक में पदोन्नति चयन से मिलने की संभावना रहती है। किंतु जो ज्यादा समय तक प्रबंधन के पद पर रहे उन्हें जल्द ही चयन से पदोन्नति मिल जाती थी ।

यह साक्षात्कार के अवसर कितने जल्दी मिल जाते थे उस पर निंभर होता था। क्योंकि इसके बाद उपलब्धियों के आधार पर चयन होता था। उदाहरण के लिये मुझसे सम्बंधित क्षेत्र (राष्ट्रीय कृषि तकनालाजी परियोजना) का पद (राष्ट्रीय निदेशक) विज्ञापित हुआ था जिसमे साक्षत्कार हेतु मुझे दि. 05.11.99 को बुलाया गया था। इसमें सामान्य अवस्था में मेरा ही चुनाव होना चाहिये था क्योंकि मेरे सिवाय इस परियोजना में अधिकृत रूप से किसी भी प्रत्याषी ने कार्य नहीं किया था। मैने पूरी परियोजना को खंगाल डाला था एवं सुधार किया था। किंतु चौकडी के प्रतिनिधि डॉ. राजेन्द सिंह पड़ौदा ने मेरे किसी भी तरह न चुनने के बारे में सोच बना रखी थी। साथ ही अपने एक चहेते को जो यहीं की कम्प्यूटर परियोजना के घपले में केंद्रीय अनवेषण ब्यूरों की जांच में फंसे थे, उन्हें चुनना चाहते थे जिससे अबाध गति से भ्रष्टाचार चलता रहे। इसमें यह भी महसूस हो रहा था कि श्री नितीश कुमार मंत्री एवं अध्यक्ष की पूरी सहमति भी बनी थी कि मुझे छोड़कर अन्य किसी का भी चुनाव 'मंडल' से करले। उपरोक्त वर्णित 10 शीर्ष परिषद के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को श्रेणी शीर्ष क्रम के अनुसार रखने पर मुझे प्रथम, डॉ. मंगलाराय को द्वितीय, डॉ. पंजाब सिंह को तृतीय तथा अंतिम पायदान में डॉ. प्रेमलाल गौतम को आठवी एवं डॉ. आर.पी.कचरू को नौवी तथा डॉ. यस.अयटयपन को दसवी (अंतिम) स्थान में पाया गया। ऐसे ही कुछ अन्य योग्यताओं, अनुभवों आदि पर दृष्टिपात करने पर भी इन दस व्यक्तियों की उपलब्धि इसी श्रेणी वार पाई गई। यहां ये उल्लेखित करने का उद्देष्य मात्र यह दिखाना हैं कि यदि मैं इनके भ्रष्टाचार उजागर नहीं करता तो यह चौकड़ी एवं श्री नितीशकुमार मेरे पीछे न पड़ते (तब मेरा चयन इस वरिष्ठ पद पर हो जाता) और मुझे झकमारकर भारत सरकार को एक-न-एक दिन परिषद का महानिदेशक एवं भारत सरकार का सचिव बनाना होता। क्योंकि न केवल मेरे पास उपरोक्त प्रोफशनल योग्यता थी, बल्कि मै देशभर में एक मात्र वैज्ञानिक था जिसे सर्वोत्तम अनुसंधान के लिये भारत के राष्ट्रपति ने दो बार भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा था।

किंतु दि. 05.11.99 के चयन में डॉ. पडौदा ने चयन मंडल से ऐसी नियुक्ति कराई जो विस्मयकारी थी (और इसी तरह 12.07.2000 के चयन में) सी.बी.आई प्रकरण में फसे



डा.राजेंन्द्र सिंह को चुना किंतु जब सी.बी.आई ने उसे अमान्य किया तो पुनः जो नाम लिया गया वह भी विस्मेयकारी था। वह नाम था डॉ. प्रेमलाल गौतम का जो उपरोक्त तालिका में सबसे नीचे वाले पायदान में से एक थे। उन्हें दूर-दूर तक इस परियोजना का ज्ञान नहीं था। वह जंगल स्थित संस्था के अधिष्ठाता थे, जो उस समय नये-नये राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरों प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मे निदेशक बन कर के आये थे। वह भी हमारे कम्प्यूटरीकरण का लाभ ले रहे थे, एवं परियोजनायें भी ली थी। हाँ उनकी विशेष योग्यता यह थी कि वह कुर्सी के पुजारी थे इसलिये डॉ. पडौदा की हमेशा वंदना करते थे। यही नही डॉ. पडौदा ने श्री नितीश कुमार से मिलकर इतिहास बदल दिया था,और इस वैज्ञानिक चयन मंडल में संशोधन कर चरित्रावली अच्छी होने पर ही चुनाव संभव होगा ऐसा प्रावधान कर दिया था। और भ्रष्टाचार के ऐसी लाविंग की थी कि बाद में भी किसी विज्ञापित पद के लिये मेरा चुनाव होना संभव न हो। इस तरह मेरा उपनिदेशक या इसके समकक्ष पद पर चुना जाना मुश्किल हो गया। आज भी डॉ. पडौदा परिषद में बड़े प्रभावशाली हैं, जबकि सामान्य अवस्था में यह निश्चित था कि दि. 05.11.99 को या बाद वाले विज्ञापनों से मैं उपमहानिदेशक के पद पर चुन लिया जाता, जैसे मेरे साथी या मेरे कनिष्ठ सर्व श्री यस.यम.इलियास, मदनमोहन पाड़े आदि चुने गये थे। एवं जैसे ही डॉ. पड़ौदा के अगस्त 2002 में सेवा निवृत्त होने के बाद सचिव भारत सरकार के पद उस समय जो अवसर थे उसमे प्रथम अवसर मेरा होता दूसरा डॉ. मंगलाराय या डॉ. पंजाब सिंह का। यदि उसमे मेरा सचिव पद पर चयन नही होता तो पंजाब सिंह जैसी ही दि. 31.12.2002 को सेवा निवृत होते तब पुनः चयन प्रक्रिया चालू होती और उसमें प्रथम अवसर मेरा होता फिर डॉ. मंगलाराय का जो उपरोक्त तालिका मे मेरे बाद की श्रेष्ठता मे थे। फिर भी यदि डॉ. .मंगलाराय को ही चुना जाता जैसे उनका चुनाव हुआ भी तो जब वह सेवा निवुत्त होते तो पहली संभावना परिषद के महानिदेशक या भारत सरकार के सचिव बनने की मेरी रहती। और इसके बाद के चुनाव में भी मेरी पहली ही संभावना रहती। किंतु यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी जो उपरोक्त तालिका में परिषद में सर्वश्रेष्ठ के पायदान पर था उसकी जगह तब भी सहायक महानिदेशक के सबसे नीचे के पायदान वाले डॉ.यस.अयप्पन का चयन हुआ। जबकि उस अवधि में जब मैं भ्रष्टाचार से जोरो से लड़ रहा था और यह तालिका जिस अवधि की बनी थी तब मैं 72 प्रतिशत से ज्यादा अंक के साथ प्रथम स्थान पर था और अयप्पन 12 प्रतिशत अंक लेकर सबसे नीचे के पायदान मे थे।

यह सब हुआ था डॉ. पडौदा एवं नितीश कुमार के जमाने के भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण। डॉ. अयप्पन के साथ केवल इतना ही नहीं था कि वह प्रोफेशनली बहुत कमजोर थे बल्कि यह भी था कि हम लोग हमेशा सोचते थे कि भा.कृ.अ.प. में कृषि वाला व्यक्ति ही महानिदेशक बनेगा और ये तो मछली वाले विषय से सम्बद्ध थे। इसी तरह मेरे महानिदेशक बनने में दो बातो की कमी थी। एक तो राजनीतिक प्रभाव की कमी दूसरे घूस देकर खुद आगे आ करके महानिदेशक का पद लेना। यह दोनो ही बातें अन्य पदो हेतु भी

जब-जब पद के चयन की बात चलती थी खुलकर सामने आती थी, और मैं इन दोनो पर दाव नहीं लगा सकता था। भ्रष्टाचार पर न झुकने की बात भी बहुत कम इस युग (काल) में राजनितिक गलियारों में सहनीय थी। और मैं किसी भी हालत में भ्रष्टाचार न करने देने के लिये कटिबद्ध था। एक बार ऐसी ही बात पर तात्कालीन कृषि मंत्री एवं परिषद के अध्यक्ष श्री सुंदरलाल पटवा ने मुझसे कही थी, जब मै उनके पास यह बताने पहुचा था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे कम्प्यूटरीकरण (जो गावों के छोटे-छोटे कृषि विज्ञान के केन्द्र जिसमें लघु,सीमांत कृषक भी लाभांवित होंगे) में फैला है उसे बंद करने पर मुझे काम (पद) से हटाने के प्रयत्न हो रहे हैं तब श्री पटवा ने मुझसे पूछा था कि अपने पद बचाने का रोना रोने आये हो या भ्रष्टाचार बंद कराने हेतु। तब मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपने पद की चिंता नही हैं, मैं यह चाहता हूँ कि इस गरीब तबके तक लाभ पहुचाने वाली योजना की भ्रष्टाचार के कारण भ्रूण हत्या न हो जाये। आप यही करिये कि भ्रष्टाचार बंद हो जाय और यह कृषि ग्रामीण क्षेत्र का कम्प्यूटरनेट सही-2 चलाने के प्रयत्न हों। किंतु दुःख यह कि श्री पटवा ज्यादा दिन मंत्री नहीं रह पाये।

इस तरह मुझे पदोन्नति न मिले एवं नौकरी (पद) से हटा दिया जाय। इसका षडयंत्र भर नहीं था, यह खुला चैलेंज था कि यदि तुम भ्रष्ट नहीं बनोगे तो न तो पदोन्नति होगी और न ही तुम्हे पद पर रहने दिया जायेगा। हमारा भ्रष्टाचार बंद न होगा चाहे तुम्हारी हत्या ही क्यों न करनी पड़े। ये खुलकर चैलेंज देकर भ्रष्टाचार करते रहे, इनके अपने भ्रष्टाचार की मनमानी पर न तो सतर्कता आयोग के श्री एन. बिट्ठल कुछ कर पाये, न देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, न केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं न ही न्यायालय। न्याय तो अंधा होता है यह तो मैंने सुना था किंतु जब अपने ऊपर यह बात आती है तब सच्चाई कितनी कड़वी है यह पता चलता है। वर्ष 2001 में मुझे पद से हटाने का प्रकरण आज मेरे सेवानिवृत होने के बाद भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। 18 वर्ष हो गये पेशी पर पेशी, जिरह पर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लटका पड़ा है शायद मेरे मरने के बाद निर्णय आये जिसका कोई ओर-छोर ही नहीं दिख रहा । इस तरह डॉ. पड़ौदा (महानिदेशक), डॉ. आलम उपमहानिदेशक के वे वाक्य सही हुए कि यदि भ्रष्टाचार में सहायक होगे तो सचिव भारत सरकार बन सकते हो अन्यथा पद से हटा दिये जाओगे एवं घूमते रहोगे।

यद्यपि यहां (परिषद) में यह शास्वत सत्य है कि महानिदेशक का चुनाव राजनीतिक पहुंच तथा पैसों के आधार पर होता है, उपलब्धियों पर कम ही, ध्यान दिया जाता है, और जो यहां सचिव बनता है उसके जाति, समाज, दोस्त, वर्ग से ही आगे बड़ें पदों की नियुक्तियां (चुनाव) होती हैं। यदि कोई विषम आदमी आ गया तो उसे रहने नहीं दिया जाता है, यह रिकार्ड उठाकर भी देखा जा सकता है, जाट है तो जाट, भूमिहार है तो भूमिहार, राजपूत है तो राजपूत।



## महानिदेशक तथा सचिव पद की स्पर्धा के नाम से तथा ये दोनों पद अलग-अलग व्यक्तियों को देने से भ्रष्टाचार में कमी :-

डॉ. पड़ौदा द्वारा मुझे उपमहानिदेशक न चुनने का एक और कारण था कि वह 1994 में महानिदेशक एवं सचिव के पद पर पदस्थ हुए थे। महानिदेशक का पद 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, वह 1999 में पूर्ण हो रही थी। यदि मेरा चयन दि. 05.11.99 के साक्षात्कार में हो जाता तो मैं एक तगड़ी प्रतिस्पर्धा उन्हें दे सकता था। वैज्ञानिक, व्यवसायिक उपलब्धियों में मैं उनसे वैसे ही ज्यादा था, किंतु इन सब में महत्वपूर्ण कारण था कि मैं उनके 'चौकड़ी' और मंत्री श्री नितीश कुमार के सहयोग से जो गड़बड़ियां रू. 1000 करोड़ के राष्ट्रीय तकनीकी परियोजना में हो रही थीं उन सबको अपने पत्रों से तथा परियोजना प्रबंधन समिति (Project Management Committee) द्वारा न केवल सतह पर ला रहा था बल्कि इन पर कार्यवाही हेतु भारत के सतर्कता आयुक्त श्री विट्ठल, प्रधानमंत्री श्री अटलविहारी वाजपेयी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि को लिख रहा था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उस समय श्री राघवन निदेशक थे। इन सभी से समयावधि पर कार्यवाही संभव थी। डॉ. पड़ौदा को सचिव भारत सरकार होने के कारण एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था। उनके ऊपर सीधे कोई कारवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह सचिव थे और ले-देकर प्रकरण जब नीचे आता था तब उन्हें श्री नितीश कुमार मंत्री जी का संरक्षण मिल जाता था। और उन पर सी.बी.आई. भी जांच नहीं कर सकती थी, इसी कारण वे सब अनाप-सनाप कार्य कर लेते थे। कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल से जिसका चाहे चुनाव होता था साथ ही अपने मन माफिक भी बिना चयन मण्डल के चुनाव के ही सहायक महानिदेशक, राष्ट्रीय निदेशक, विशेष कर्तव्य अधिकारी आदि को परिषद मुख्यालय में एड्हाक में रख लेते थे, उनसे उल्टे-सीधे, अनाप-सनाप निर्णय कराते थे जिससे उन्हें भ्रष्टाचार में ठीक सहयोग मिलता रहता था, फिर जब चाहे चयन मण्डल से इनको नियमित करा लेते थे या उनके मन माफिक न रहा तो उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाता था जहां से उन्हें लाया जाता था। इसीलिए जहां परिषद के कार्यों की सुविधा के लिए यह पद सचिव भारत सरकार एवं महानिदेशक परिषद (एक ही व्यक्ति) को दिया जाता था। किंतु इसका दुरुपयोग डॉ. पड़ौदा जैसा इंसान भ्रष्टाचार फैलाने में करता था। यदि नियंत्रण न हो पाये, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाये तो यह आवश्यक होगा कि परिषद के महानिदेशक के पद पर एक अन्य व्यक्ति हो एवं भारत सरकार का सचिव (कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग) दूसरा हो। क्योंकि दोनों शक्तियां एक व्यक्ति को देने से वह निरंकुष हो जाता है और पूरे विभाग एवं परिषद के कर्मचारियों अधिकारियों को अपने जकड़ में बांधे रहता है। यदि वह भ्रष्ट हुआ और उसे मंत्री का सहयोग मिला तो वह भ्रष्टाचार का रिकार्ड बना देता है और ऐसे व्यक्तियों को चुनाव कर अंदर लाता है जो प्रोफेसनल उपलब्धि पर निम्नतम पायदान पर रहते हैं किंतु उसके भ्रष्टाचार करने में सहयोगी रहते हैं। ऐसे में जांचकर चयन मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों तक की जांच कराई जानी चाहिए जिससे वे भी भ्रष्टाचार में सम्मिलत होकर गलत निर्णय का परिणाम भोगें।

**महानिदेशक, उपमहानिदेशक तथा राष्ट्रीय निदेशक पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप :-**

दिनांक 13.07.2000 को एक पत्र मैंने कई विषयों तथा उनके कई पत्रों के उत्तर देते हुए लिखा था, जिसमें रू. 5 करोड़ के दण्डारोपण के बारे में भी जिक्र था, जो इस प्रकार था-

''प्रति, दिनांक 13.07.2000

1. डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), भा.कृ.अ.प. कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. डॉ. पी.एल. गौतम, राष्ट्रीय निदेशक तकनीकी परियोजना, लालबहादुर शास्त्री बिल्डिंग, भा.कृ.अ.प. पूसा, नई दिल्ली-110012

विषय :- रू. 5 करोड़ का वेंडरों से दण्ड वसूलने (जो सप्लायर-आपूर्तिकर्ता की अक्षमता से उपकरणों, कम्प्यूटरों के न चलने लिक्वीडेटेड डैमेज आदि से सम्बद्ध है) एवं तकनीकी मार्गदर्शन तथा भ्रष्टाचार की मिली 125 केन्द्रों की शिकायतों के सत्यापन के लिए भ्रमण करने तथा पत्रों के उत्तर बावद्।

संदर्भ :- एन.ए.टी.पी. का पत्र दिनांक 12.06.2000 तथा उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) के पत्र भ्रमण-I, भ्रमण-II दिनांक 28 एवं 29 जून और 3 तथा 4 जुलाई 2000।

महोदय,

मैने यन.ए.टी.पी. एवं उपमहानिदेशक के संदर्भित पत्रों को प्राप्त किया जो मेरे भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यथा मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्र लिखने एवं कम्प्यूटर केंद्रो के भ्रमण *(जो शिकायतों के सत्यापन जो कम्प्यूटरों,उनके उपकरणों में हो रहे भ्रष्टाचार से सम्बद्ध, तकनीकी मार्गदर्शन, 2-3 घंटे का सूचना प्रोद्योगिकी के व्याख्यान, जो नेटवर्क को सफलता से चलाने के लिये हैं)* का है। इसी तरह यह प्रमाण है कि पूर्व में मैने 15 ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है किंतु इनमें से कोई भी कम्प्यूटर केंद्रो के भ्रमण कार्यक्रम उपमहानिदेशक ने स्वीकृत नहीं किये हैं, यह उनकी गलत अवधारणा का प्रतीक है। यही भर नहीं बल्कि मेरे परीक्षण भ्रमण के प्रकरणों में, संगोष्ठी में जाने के भ्रमण, विश्वविद्यालय के प्रबंधन मण्ड़ल की बैठक हेतु जब भ्रमण कार्यक्रम मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं और उनमें कम्प्यूटर केंद्रो के मुआयने के लिये समय बचने पर मैं केंद्रो का भ्रमण कार्य करना चाहता हूँ तब भी उप महानिदेशक (इंजीनियरी) ने इस कार्यक्रम के लिये अनुमति नहीं दी। इसके पीछे उनकी एक मात्र अवधारणा थी कि यदि मैंने इस बचे हुए समय में भी कम्प्यूटर केंद्रो का भ्रमण कर लिया तो वहां पनप रहे भ्रष्टाचार को सतह पर ला दूंगा और चौकड़ी का सफाया हो जायेगा। इस तरह उन्होंने केवल भ्रमण के कार्यक्रमों को अस्वीकृत नहीं किया बल्कि इस तरह के घपलों की जानकारी मांगने के पत्र भी न लिखने की हिदायत दी (जो अभी के संदर्भित पत्र से स्पष्ट हैं), इसलिये भ्रष्टाचार के प्रकरणों का सत्यापन कठिन होता जा रहा है। यद्यपि जहां भी मुझे अवसर मिल जाता



है मैं कम्प्यूटर केंद्रो का भ्रमण कर लेता हूँ। वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत का सत्यापन करता हूँ और उन्हें तकनीकी जानकारी देता हूँ, जो मेरी निर्धारित ड्यूटी है। दूसरी तरफ डॉ.आलम आदि के भ्रमण में दस लाख से ज्यादा की जो राशि खर्च हो रही है एवं उस पर लगा समय भी एक जांच का मुद्दा है। **सहायक महानिदेशक ( कम्प्यूटर ) को उसके कार्य से अलग कर देना महानिदेशक के अधिकार क्षेत्र मे नहीं आता** (कृषि वैज्ञानिक सेवा नियम अध्याय 18 धारा 1 एवं सी.सी.एस.- सी.सी.ए.आर-1965 देखें)। अब तो कम्प्यूटर केंद्रो के भ्रमण के अवसर कम हैं, क्योंकि उपमहानिदेशक ने विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंड़ल की बैठक या सब कमेटी की बैठक की स्वीकृति में इतनी देरी करते हैं कि बैठक समाप्त हो जाय और तब उस पर अपने मत देते हैं या स्पष्टीकरण देते हैं, अर्थात वहाँ पहुंच पाने का अवसर ही खत्म कर देते हैं। उपमहानिदेशक की सूचना के लिये यह बताना योग्य है कि विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल की बैठक की तिथि विश्वविद्यालय राज्य शासन की अनुमति से स्वीकृत करता है न कि सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) से। यहां उपमहानिदेशक के पत्र भ्रमण-1 दिनांक 28.06.2000 के पत्र के संदर्भ में है, प्रबंधन मंडल इसकी सब कमेटी की बैठकें तय करता है, अतः उसकी अनुमति उपमहानिदेशक या सहायक महानिदेशक से स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः तय बिंदुओं पर की बैठक कब तय करें जिनकी सूचना मैंने एक सप्ताह पहले दे दिया था, इस पर बैठक खत्म होने के उपरांत कमेंट देना कहां तक उचित हैं। जबकि इसकी मात्र सूचना ही उपमहानिदेशक को मुझे देनी होती है, क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही सक्षम अधिकारी द्वारा होती है। यदि उपमहानिदेशक इसमें कुछ अवरोध करना चाहते हैं, तो वह सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर ऐसा कर सकते हैं। इन बैठकों मे मुझे कहां रुकना है, बैठक वे कहां करते हैं, यह राज्य के विश्वविद्यालय पर निर्भर करता हैं न कि सहायक या उपमहानिदेशक पर। उपमहानिदेशक एवं राष्ट्रीय निदेशक (परियोजना) इससे बाहर चले गये हैं, उप महानिदेशक ने अपने पत्र दि.29.06.2000 और दि.03.07.2000 इत्यादि से और यन.ए.टी.पी दिनांक 12.06.2000 ने यह प्रश्न किये थे कि मैने दण्डारोपण क्यों किया। वेंड़र के रू. 1 करोड़ की भ्रष्टाचार की सूचना क्यों दी। यह मेरे द्वारा किया गया कार्य बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। मैने इसी तरह के दण्डारोपण हेतु पत्र *(दि.01.10.99 को रू.1.4 करोड़ का एवं दि. 03.01.2000 को रू.1.6 करोड़ का दण्डारोपण तथा पूर्ण प्रशिक्षण न करने का एवं प्रोफार्मा में छेड़छाड़ कर गलत परिवर्तन करने का पत्र)* लिखा और आज रू. 5 करोड़ के लगभग दण्डारोपण का पत्र है। उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) एवं राष्ट्रीय निदेशक (परियोजना) ने मुझे उन प्रशिक्षणों को लेने से रोक दिया है जो ऐसी कम्प्यूटर परियोजनाओं के लिए वर्तमान विकास की आद्यतन जानकारी की आवश्यकतायें हैं, जो कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में जरूरी होती हैं। जबकि अन्य पूरा का पूरा कम्प्यूटर स्टाफ को प्रशिक्षण हेतु (ज्ञान की आद्यतन जानकारी) भेजा गया है। यह बुरे दृष्टिकोण से किया गया है। यदि भ्रमण की राशि या खर्च की स्वीकृति भ्रष्टाचार के सत्यापन एवं भ्रमण हेतु नहीं मिलती है तो मुझे

मेरे पास से खर्च करने के सिवाय कोई विकल्प नही रहेगा कि मैं अपने जेब से यह राशि लगाकर अपनी कम्प्यूटर योजना को भ्रष्टाचार से बचाऊं। मेरी योजना या कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली (कम्प्यूटर) में कमी की कोई भी फाइल या कार्य में देरी नहीं हुई और मैं इस कार्य में भी देरी नहीं होने दूंगा। उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने मेरे इस भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम को बड़ी अवज्ञाकारिता, देरी, कोई भी जिम्मेवारी लेने में अनिच्छा इत्यादि मानते हैं (देखे उनका नोट दिनांक 03.07.2000) जिससे वे मेरी चरित्रावली को खराब कर सके। ऐसे कार्यों हेतु मुझे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। एक ओर मेरे कार्य हेतु मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार (भारत के राष्ट्रपति, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू आदि) मिल रहे हैं और दूसरी ओर चरित्रावली या वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में विपरीत प्रविष्ठियां मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रही हैं। ***यही मेरे जीवन के 25 वर्षो की सेवा का भ्रष्टाचारियों एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद का अनुभव रहा है।*** फलस्वरूप मैने भी न्यायालय एवं जांच एजेंसियों की शरण ली और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बड़ा दण्ड भी मिला। आज भी इसी तरह नस्तियां (मुझे एक तरफ करते हुए) कम्प्यूटर केंद्र के मेरे वैज्ञानिकों से सीधे ही अवैधानिक तरीकों से मांग रहें हैं, जो कि मेरे आधीन हैं और जिनकी नियुक्ति ही मुझे (सहायक महानिदेशक) सहयोग देने के लिये की गई है। इनको कम्प्यूटर केंद्र में चयन के लिये दिये गये अभ्यर्थियों के लिये दी गई सूचना में भी यही लिखा है। साथ ही जिस कम्प्यूटर केंद्र में मैं प्रभारी हूँ वहीं ये पदस्थ हैं (देखे आदेश दि.23.05.97)। अब मैं अपने कम्प्यूटर केंद्र के सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित कर रहा हूँ कि वे सभी नस्तियां मेरे माध्यम से ही भेजे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे परिणाम भुगतने के लिये एवं हो रही अनियमितता के लिये (यदि ऐसे मे कोई हुई) उत्तरदायी होंगे और जांच एजेंसियां जैसे सी.बी.आई. व सी.वी.सी. के लिये जवाब देना होगा।

यह इसलिये क्योंकि पिछली वाली (फेज-1) की कम्प्यूटर परियोजना जिसकी पूरी जांच मैने की थी और तब पाया था कि इसी तरह ही सीधे फाइलें भेजने की प्रक्रिया वहां भी अपनाई गई थी। बाद में इसमें सी.बी.आई. ने जांच करके अब प्रकरण को पंजीबद्व कर लिया है। **यहां मैं आपका ध्यान भ्रष्टाचार विरोध का एक्ट (The Prevention of Corruption Act) 1958 के बिन्दु 9 पर केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसमें यह कहा गया हैं कि ऐसा वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार उन्मूलन करने वाले व्यक्ति के रास्ते में रोड़ा बनता हैं या भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम को रोकता है वह भी दण्ड का दोषी होगा।** यदि मै जिस भ्रष्टाचार को रोक रहां हूँ और कोई मुझे अवैध रूप से इस कार्य को करने से रोक रहा है तो मेरे पास इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं होगा कि मै बड़ें अधिकारियों एवं एजेंसियों के पास इस मामले को ले जाऊँ। मैं पहले की परियोजना के फेस -1 के पूरे 235 केंद्रो का अध्ययन पूर्ण कर चुका हूँ एवं इसकी स्थिति महानिदेशक, सी.बी.आई के पास रखकर आपूर्ति एजेंसी को काली सूची में रखने के लिए दि. 08.12.98 को लिखा है। फलस्वरूप सी.बी.आई. ने इस प्रकरण को पंजीबद्ध किया है। महोदय आप



इसे भले ही बुरा कहें, किंतु यह तथ्य है कि अभ्यार्थियों की सूचना के बिंदु 8 (8) 196 नियुक्ति-1 के तहत मेरी प्रथम ड्यूटी (कर्तव्य) है कि मैं उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को सलाह दूँ, अतः मैं इन्हें सलाह देता हूँ कि मेरी योजना को ठीक करने हेतु जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, को उजागर कर रहा हूँ, उसे वह बुरा न मानें। मेरा दूसरा कर्तव्य है कम्प्यूटर नेटवर्क जो पुस्तकालयों से जुड़ा है, जिसमें यदि मुझे कोई संबंधित उपमहानिदेशक की कोई सूचना नहीं मिल पाई, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे मुझे इसका विवरण दें जिससे मैं उसकी मानीटरिंग कर सकूं। मेरा तीसरा दिया गया कर्तव्य है कि मैं विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क कर उनके कम्प्यूटर नेट को ठीक से उपयोग हो और उनसे भरपूर काम होता रहे का प्रयत्न करूं। यद्यपि आप सुन नहीं रहे, किंतु मैंने आपको लिखा है कि आप 'नान रिसपांसिव' फर्म को आदेश न दें, बेंचमार्क के किये बिना क्रय आदेश न दें, ऐसे गलत कम्प्यूटर उपकरण न स्वीकारें जिनको परीक्षणों के बाद विभाग की विशिष्टता के अनुरूप नहीं पाया गया। 2500 मदों (1442 कम्प्यूटरो) के स्थानों की जगह मात्र 75 साइट्स पर प्रशिक्षण न स्वीकारें। जो लिक्वीडेटेड डैमेज आदि के कारण कई करोड़ रू. का दण्डारोपण नियमानुसार हो रहा है उसको स्वीकारें, पुरानी तकनालाजी न स्वीकारें। मेरे पत्र टाईप करने वाले मेरे वयैक्तिक सहायक, स्टेनो, निम्नश्रेणी लिपिक की सुविधा दें जिससे मिली शिकायतों पर कार्यवाही हो। अवैध रूप से प्रमाणीकरण के प्रोफार्मा में जो बदलाव कर दिया है उसे ठीक करें। किंतु यह अभी भी ठीक नहीं किया गया। अब भी मैं अगली भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों (पूर्व में 25 अप्रैल एवं 1 जून 2000 के पत्रों से भेजी गई है) उससे आगे जोकि कम्प्यूटरों के बारे में विभिन्न केन्द्रों से मिल रही थीं ***( यहां तक कि केन्द्र यह जानकारी आपके द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें न देने की अवैध धमकी-चेतावनी के बाद भी जो सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के आपने दी थी )*** आपकी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ, यदि अब भी आपके द्वारा वेंडर्स को अवैध पक्षपात किया गया तो भ्रष्टाचार न केवल ज्यों-का-त्यों बना रहेगा जैसे पूर्व कम्प्यूटर परियोजना फेज-1 में था, बल्कि यह बहुत ही तीव्रता (बड़ा) वाला होगा। इसके साथ ही प्रशिक्षणों को पूरा न करना, 5-10 माह में देरी से कम्प्यूटरों की स्थापना (जो वर्तमान प्रकरण में है) जिसके कारण यू.पी.एस. की बैटरियां, प्रिंटर के टोनर कार्टिज, पर्सनल कम्प्यूटर आदि खराब हो जायेंगे। आगे मेरे अन्य कर्तव्य हैं उनमें जुड़े हुए परिषद के वैज्ञानिक पैनल के तकनीकी सचिव के रूप में काम करना, दस्तावेज एवं कागजात जो कम्प्यूटरों से संबद्ध हैं को देखना। किंतु मुझे दिख रहा है कि उपमहानिदेशक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुबंध सी.ए.बी.आई., इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च और कुछ अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गुप-चुप तरीके से समायोजित कर रहे हैं। इसमें वे सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) जो इसके ज्ञाता हैं से सम्पर्क भी नहीं कर रहे हैं।

इसी तरह सभी उपमहानिदेशकों से निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों / संस्थाओं/अधिकारियों से मेरे द्वारा उनसे मांगी गई जानकारी (जो पत्र दिनांक 02.06.99,

20.09.99 इत्यादि से मैंने मांगी है) मांगी जाये, जिससे उनसे प्राप्त भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), महानिदेशक तथा अन्य लोगों के पास आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिससे भ्रष्टाचार कम हो सके।

वर्तमान की भ्रष्टाचार दण्डारोपण की स्थिति में अनुमानित राशि लगभग रू. 50 लाख हो जायेगी। मेरे भ्रमण के समय एवं टेलीफोन से चर्चा करने पर यह पाया गया कि अभी भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया और कम्प्यूटर की स्थापना करना बाकी है। अतः इन सबको मिलाते हुए अब-तक का यह दण्डारोपण लगभग रू. 5 करोड़ आता है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इसे गम्भीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं।

यहां तालिका में कम्प्यूटर केन्द्रों से प्राप्त शिकायतों का श्रेणीकरण (जो मूल पत्र में है), आपूर्ति की गई कम्प्यूटर डिब्बों की तिथि, विवरण संक्षेप में जो केन्द्रों यथा कुनूर, पोर्ट ब्लेयर, खेरा, मद्रास, जालवाड़, पैक्यांग, अकोला, उमियग, हिसार, शहडोल, नउनी, रानीपूल, परिषद मुख्यालय दिल्ली, गुलवर्गा, ढौमा, सोलन, परभनी, कलकत्ता, करनाल, कासरगोड़, सीधी, बीकानेर, हैदराबाद, राजगुरू नगर, वंशवाड़ा, दीशा, श्रीनगर, बोरखेड़ा, रायचुर आदि (जो क्रम 94 से 128 तक दिये हैं) से मिला है। यहां उसके दण्ड के साथ ही अन्य का विवरण भी दिया गया है जो लगभग रू. 40 लाख का है, इनका सत्यापन करने के लिए तथा सही मार्गदर्शन के लिए मुझे इनमें कुछ कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण करना है। सहायक महानिदेशक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं वेंडर्स, परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक और अन्य लोगों को जिनकी आवश्यकता हो उन्हें लिखूं। प्रत्येक को यह नोट करना चाहिये कि देरी के छलावे में (कि जल्दी आपूर्तिकर भुगतान नहीं किया जा रहा) हमें यह समयबद्ध काम है यह कहकर भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार को उभाड़ने पर योजना में सुधार होगा एवं एक दृढ़ धरातल बनेगा।

यह भी आशंका है कि वर्तमान के कम्प्यूटर नेटवर्किंग इक्यूपमेंट (सी.एन.ई) की खरीदी जो रू. 35 करोड़ लगभग की है, वहां भी समस्या है, क्योंकि एजेंट (दलाल) मे. आर.आई.टी.ई.एस. अपनी चाह एवं इच्छानुसार काम कर रहा है, कोई भी फाइल मेरे समक्ष नहीं रखी गई। यह भी जानकारी मेरे समक्ष लाई गई है कि मे. सीमेंस ने 'साइट तैयार है' बावद पुनः एक नया प्रोफार्मा उन कम्प्यूटर केन्द्रों पर भेजा है जो पूर्व में ही इसे जमा कर चुके हैं। इसकी आवश्यकता फर्म ही जाने। किंतु यह मे. सीमेंस के लिए एक बहाना मिल जायेगा कि देरी से कम्प्यूटर केन्द्रों ने साइट तैयारी की जानकारी भेजी, इसलिए इसका उत्तर देते वक्त पूर्व में दिये गये साइट कन्फर्मेशन रिपोर्ट देने की तिथि एवं संदर्भ का जिक्र भी किया जाय। अधिकांश एरिस सेल्स (कम्प्यूटर केंद्रो) में कम्प्यूटर इक्युपमेंट को पैक एवं सील करके डिब्बों में रखा गया है और इनमें एक लेवल लगा है ***''वेंडर्स की तरफ से कोई आयेगा और वह इनकी स्थापना करेगा।''***



याददास्त के लिए मैं अपने पत्र दिनांक 01.06.2000 की प्रति भी इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ, जिससे आपके समक्ष पूर्ण स्थिति या तस्वीर रहे। आपसे प्रार्थना है कि कृपया तुरंत कार्यवाही करें, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आये (खत्म हो)। मूल रूप से शिकायतें जो हमारे केन्द्रों से हमारे पास आई हैं और जिनके आधार पर दण्डारोपण किया गया है, वह हमारे पास उपलब्ध है, इनमें कुछ का सत्यापन भी केन्द्रों में जाकर मैंने किया है। इनमें अधिकांश शिकायतें सीधे वेंडर्स के पास भेजकर हमें प्रतिलिपि दी गई हैं।

यदि आप इसमें कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते तो कृपया मुझे सूचित करें जिससे मैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई वैकल्पिक माध्यम अपना सकूं।

आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को ऐसी कार्यवाही से बचायें जो मेरी योजना से भ्रष्टाचार उन्मूलन के रास्ते में बाधक बन रही हैं, अन्यथा मुझे इसके सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा जिसमें कि मैं सीधे जांच एजेंसी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु जाऊँ।

आदर सहित

आपका सच्चा<br>
(सदाचारी सिंह तोमर)<br>
सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान एवं सूचना<br>
प्रणाली) एवं प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र,<br>
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

**प्रतिलिपि :-**

1. माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
2. माननीय कृषि राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
3. डॉ. राजेन्द्र सिंह पड़ौदा, सचिव भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
4. श्री बी.के. चौहान, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
5. वैज्ञानिक (सर्वश्री ए.के. जैन, आर.पी. जैन, कुशलपाल, हिमांशु, ) तकनीकी अधिकारी श्री बी. चक्रवर्ती एवं कम्प्यूटर केन्द्र के कर्मचारी इस निर्देश के साथ कि फाइलें/ दस्तावेज सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) के माध्यम से आगे भेजें।
6. भा.कृ.अ.प. के उपमहानिदेशक (सर्वश्री पी.दास, एस.एल. मेहता, एस.पी. घोष, मंगला राय, जी.गोपाल कुमार, किरण सिंह इत्यादि)
7. सभी (संबंधित) कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के पूरे देश के केन्द्र । ''

इस पत्र को प्राप्त करने के बाद संभवतः श्री नितीश कुमार एवं चौकड़ी को डर हो गया था कि केन्द्रों से प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर मैं पुलिस में एफ.आई.आर. कराने या सी.बी.आई. से जांच कराने का प्रयत्न कर सकता हूँ। यह भी कि यदि यहां कार्यवाही न हुई या गलत कार्यवाही हुई तो मैं इस प्रकरण को इन एजेंसियों के खिलाफ एवं श्री नितीश एवं चौकड़ी के खिलाफ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता हूँ। क्योंकि इन्हें ऐसा आभास हुआ होगा कि मैं किसी-न-किसी तरह श्री प्रशांत भूषण एडवोकेट के संपर्क में हूँ एवं कोई अन्य पी.आई.एल. या जनहित याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लगा सकता हूँ, जिससे श्री नितीश के अच्छे नेता के रूप में जो झूठी छवि बनी है वह विगड़ जायेगी। क्योंकि शिकायतें भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाती हुई सीधे देश भर के 437 कम्प्यूटर केन्द्रों से आ रही थी (इनके रोकने की धमकी या बंदर घुड़की) से भी कम्प्यूटर केन्द्र नहीं डर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि जैसे पूर्व (फेज-1) की कम्प्यूटर खरीदी के घपलों पर सी.बी.आई. केस पंजीकृत कर चुकी है, वह इस पर भी कर सकती है। यह भी स्पष्ट हो गया था कि मेरे भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही पर जो बाधा आ रही थी, उसमें श्री नितीश कुमार का भी हाथ था। शिकायतों के सत्यापन करने आदि के लिए भ्रमण बंद करना, परीक्षा लेने जाने, विश्वविद्यालयों के कार्यों से जाने, संगोष्ठियों में जाने पर बचे समय में भी अपने कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण कर उनकी भ्रष्टाचार की शिकायतों का सत्यापन करने से भी मना करना इत्यादि बातें इनके गले की हड्डी बन सकता था *(यदि प्रकरण न्यायालय में पहुंचता तो)*। भ्रमण की अनुमति तो देते नहीं साथ ही भ्रष्टाचार पर कार्यवाही के लिए अपने कम्प्यूटर केन्द्रों से लिखा-पढ़ी (पत्राचार) भी मना करना एक तानाशाही थी। जबकि महानिदेशक एवं उपमहानिदेशक ने स्वयं की इतनी हवाई यात्रायें कीं जिसके कमीशन से उनके परिवार देश-विदेश भी घूमने जायें, स्वयं भी मस्ती मारने हेतु भ्रमण करें, यह एक जांच का विषय था और मैंने इस बावद यहां लिखा था। मेरे अंतर्गत आने वाले स्टाफ को षडयंत्र करके मेरे विरुद्ध काम कराना सामान्य था जिसका जिक्र इस पत्र में है। विश्वविद्यालय के मण्डल के सदस्य बनाते ही वहां के बैठकों में जाने का अधिकार रहता है, अतः बैठकों में भी जाने हेतु दी गई सूचना भ्रमण पर मत देने से तब-तक रोकना जब-तक कि बैठक हो न जाये, जिससे मैं बैठकों में न जाऊँ। दण्डात्मक कार्यवाही एक खुली बात थी जो पूर्णतया नियमानुसार मेरे द्वारा की गयी थी। मेरे यहां पर रहते यह न केवल वेंडर्स से वसूलनी पड़ती, बल्कि चौकड़ी की भी आफत आ जाती। इसीलिए श्री नितीश कुमार का मुझे हटाना मुख्य उद्देश्य था। सही काम यथा भ्रष्टाचार का पर्दाफास करते ही अपने ऊपर के अधिकारी अपने (ब्रम्हास्त्र) चरित्रावली (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन) खराब करने का चलाते हैं। अतः ऐसा बंद करें एवं ऐसा करने वाले भ्रष्टाचारियों की कार्यवाही का नियम भी बनाया जाय। डॉ. पड़ौदा तो इस घमंड में थे कि उनकी जांच सी.बी.आई. भी नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी भ्रष्टाचार की मण्डली बनाते थे और श्री नितीश कुमार जैसे मंत्री का सहयोग लेकर भ्रष्टाचार की सीमा लांघकर और ताल ठोंककर भ्रष्टाचार करते थे। उन्होंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में खुलकर चैलेंज किया था कि जिसे शिकायत है वह सी.बी.आई.



जाये (किंतु वह अपना भ्रष्ट आचरण नहीं सुधारेंगे)। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को खूब राशि देते थे और वहां भी अपने चमचों की एवं खुद की नियुक्ति की आशा रखते थे। इसी तारतम्य में जब डॉ. पड़ौदा को देश से भागना पड़ा तब ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उन्हें काम (नौकरी) दिया था। 'चौकड़ी' ने श्री नितीश कुमार के साथ मिलकर यह षडयंत्र भी रच लिया था कि यदि किसी कारण मुझे हटाया नहीं जा सका तो कम्प्यूटर क्रय का कार्य दलालों से कराया जायेगा जो कि सीधे ही कमीशन देंगे और राज (रहस्य) भी नहीं खुलेगा, किंतु मेरे रहते यह नहीं चल पाया था। राष्ट्रीय संगठनों जैसे 'स्वामीनाथन फाउण्डेशन' को मुक्त हस्त से राशि इसी लिए दी जाती थी कि कोई चौकड़ी का प्यादा यदि न्यायालय द्वारा हटा भी दिया जाय तो भी वहां पर इन्हें कोई-न-कोई पद मिल जायेगा। इस लिखा-पढ़ी का कोई प्रभाव इन पर इसलिए भी नहीं पड़ा था क्योंकि वे तो मदांध थे। इनको यह आभास भी नहीं था कि उनपर कोई कार्यवाही भी कभी हो सकती है। यह पत्र भी ''नक्कारखाने की तूती'' बन कर रह गया। कृषि राज्य मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव जो मेरे द्वारा उठाये गये भ्रष्टाचार के प्रकरणों को मंत्री श्री नितीश कुमार को कार्यवाही हेतु भेजते थे उनके सभी महत्वपूर्ण कार्य श्री नितीश कुमार ने छीन लिये थे और उन्हें मजबूर होकर अन्य मंत्रालयों में जाना पड़ा था। **क्योंकि श्री नितीश कुमार स्वयं एक ऐसा राज्य मंत्री चाहते थे जो भ्रष्ट हो।**

## भ्रष्ट और चोर दोनों तरह के व्यक्ति अन्यों को भी ऐसा ही समझ कर पत्रों ( मेमो ) की भरमार :-

जब कार्यालयीन बातों (कार्यों) में कुछ त्रुटि नहीं मिली तो ''खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे'' वाली कहावत के तहत डॉ. अनवर आलम ने भारतीय कृषि इंजीनियरिंग सोसायटी के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे लिखा था जिसमें वे ऐसा सोच रहे थे कि यहां कुछ-न-कुछ मेरे खिलाफ मिल सकता है, इसमें लिखा था-

''प्रिय डॉ. तोमर क्र. 65 दि. 13.07.2000

मुझे तुम्हारे 14 जुलाई 2000 के पत्र को पढ़कर कष्ट हुआ जिसमें ढिठाई की रिमार्क है। तुमने **'आरेंज बुक'** हेतु जो राशि उगाही गई है और उसका लेखा-रख-रखाव का विवरण देने से दूर भागे हो। काफी प्रयत्न करने पर इसके विवरण प्राप्त हो गये हैं। इसका लेखा अभी भी तुम्हारे एवं इंजीनियर श्री राय के नाम है। तुम कृपया बैंक को सलाह दो कि बैंक में शेष राशि 'सेक्रेटरी जनरल' के नाम करें ताकि निधि के नियमों के अनुसार इसका समायोजन हो जाय।

यदि इसमें तुम्हारी कुछ राशि शेष है, कृपया उसका वाउचर देकर 'सेक्रेटरी जनरल' से नियमानुसार सेटलमेंट कर लें।

यह तुम्हारे लिए भी बाध्यकारी है कि 'आरेंज बुक' के लिए कितनी निधि मिली है यह बतायें।

आदर सहित

तुम्हारा इमानदार (अनवर आलम), अध्यक्ष,
भारतीय कृषि इंजीनियरी सोसायटी, नई दिल्ली

प्रति,

डॉ. एस.एस. तोमर, सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटरनेट)
भा.कृ.अ.प. कृषि भवन, नई दिल्ली''

इसमें भी मेरे खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिला था, (बल्कि मुझे ही एक बड़ी राशि वहां से लेनी शेष थी) इसका जवाब तुरंत ही उसी पत्र पर देते हुए मैंने लिखा-

''कृपया हिन्दी में पत्र देने की कृपा की जाय।

आप जब उस भोपाल खण्ड के अध्यक्ष थे तब उसको छोड़ने के बाद किसी को चार्ज दिया होगा, उसी तरह अध्यक्ष पद से मैंने भी वर्षों पहले उपलब्ध सबसे वरिष्ठ सभासद को चार्ज दिया। उसका आडिट भी हुआ एवं आपके पास रिपोर्ट भी है। श्री राय ने पूर्ण विवरण भी भेजा है, उनके पास रिपोर्ट है। बैंक का नामांतरण करना अभी के सभासदों का काम है न कि मेरा। जैसे डॉ. ओझा के न रहते हुए बैंक से निवेदन करके दूसरा नाम स्थापित किया गया था, इसी तरह कार्यवाही होती है। मेरे द्वारा अपने खर्च किये गये पैसे लगभग रू. 10,000/- (दस हजार) आपको देने हैं जिनका विवरण मैंने पहले ही दे रखा है। इसका निराकरण कराकर वह राशि मुझे देवें एवं जब राशि वापस होगी आप मूल रसीद ले लेवें।

कृपया अनियमितता न बरतते हुए बैंक की राशि भोपाल खण्ड से लेवें। सीधे 'सेक्रेटरी जनरल' को राशि देनी ठीक नहीं होगी फिर भी आप जैसा उचित समझें करायें।

(सदाचारी सिंह तोमर)/ 13.07.2000

प्रति,

अध्यक्ष, भा.कृ.इं.सो.-दिल्ली ''

स्वयं डॉ आलम इंजीनियरी सोसायटी भोपाल खण्ड के अध्यक्ष थे। मेरी ही तरह वह जब दिल्ली आये तब अपना चार्ज वहां की कार्यकारिणी को सौंपकर आये थे। अगली कार्यकारिणी ने वहां के बैंक खातों में अगले व्यक्ति का नाम दर्ज कराया था। इसी तरह मैंने भी नियमानुसार ही काम किया। किंतु डॉ. आलम तो यहां मेरी अनियमितता खोज रहे थे जो बैंक में राशि जमा थी। उन्होंने सोचा था कि मैंने राशि कुछ निकाली होगी। क्योंकि अपनी जैसी भावना होती है वैसी ही दूसरों के प्रति समझ भी रहती है। किंतु यहां भी डॉ. आलम को कार्यालय की तरह कोई मेरी अनियमितता न मिल सकी बल्कि मेरी खुद की रू. 10,000/- की राशि खर्च हुई थी। यह उनके लिए आश्चर्य वाली बात थी।

दिनांक 13.07.2000 को पुनः डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ने यह दूसरा पत्र छल-कपट करते हुए लिखा था कि मैं अपने केन्द्रों को सहयोग न देने को लिख रहा हूँ। इसमें लिखा-



**''गोपनीय**

क्र. 89-।। दिनांक 13.07.2000

प्रिय श्री तोमर

यह सूचना मिली है कि तुमने उन सभी जगहों पर जहां कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना (आई.सी.बी.-1) के तहत भेजे गये हैं, वहां सीधे ई-मेल भेजा है कि वे पावती देने में सहयोग न करें। तुम्हारे द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेने एवं बिना सक्षम अधिकारी के इसे सभी को भेजने से बड़ा भ्रम हुआ है, जो आगे के कार्य में बड़ा अवरोध पैदा कर रहा है। तुमसे यह स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि यह कारण बताओं कि किन परिस्थितियों में तुमने यह अवांछित कार्यवाही की है। क्यों न तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाय।

तुम्हारा जवाब इस पत्र के जारी होने के तीन दिवस में आना चाहिए।

आदर सहित

तुम्हारा सच्चा
(ए. आलम)
उपमहानिदेशक,
भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली

प्रति,

डॉ. एस.एस. तोमर, सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर),
भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001
2. अवर सचिव, एन.ए. टी.पी. उनके पत्र के संदर्भ में ''

यह एक षडयंत्रकारी एवं छद्म पत्र था। मेरे किस पत्र के बारे में पूछा गया है, वह क्या है, अवर सचिव के किस पत्र से संदर्भ में प्रतिलिपि दी गई है (सब छद्म षडयंत्र) कोई वर्णित पत्र की संख्या तिथि नहीं और तीन दिन में जवाब मांगा जा रहा है और मुझे 5 दिन बाद पत्र देरी से दिया गया था। इस पत्र के मिलते ही मैंने उसी पत्र के ऊपर लिखा-

''चूंकि मेरे टायपिस्ट/सहायक नहीं हैं, इसलिए यह हस्त लिखित जवाब प्रस्तुत है। आज यह पत्र 12 बजे श्री बलवीर ने मुझे दिया। जैसा उसके प्रथम पैरा में दिया है कि मैंने पावती देने में केन्द्रों को सहयोग न देने को कहा है, वह ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कृपया ऐसा कोई पत्र जो मेरे द्वारा लिखा गया है मुझे दिखायें। मैंने कभी नहीं लिखा कि पावती पर हस्ताक्षर नहीं करें। कृपया इस तरह न लिखें। मैं आपके द्वारा ऐसे पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही स्पष्टीकरण दे दूंगा। आपका यह पत्र दिनांक 13.07.2000 का आज दि. 18.07.2000 को दिया गया तो यह किस तिलस्म से पत्र लिखने के तीन दिन के भीतर जवाब मिलेगा। क्योंकि तीन दिवस तो दि. 16.07.2000 को खत्म हो गया। जिस लिफाफे

के अंदर यह पत्र 3 अन्य पत्रों के साथ रखा है उससे भी स्पष्ट है कि यह पत्र दिनांक 13.07.2000 का है। इसलिए अब यह उत्तर दिया जा रहा है। मेरे समझ में यह आ रहा है कि मैं वेंडर्स एवं यहां के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के प्रकरण उभार रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ षडयंत्र कर झूठे प्रकरण डाले जा सकते हैं। कृपया झूठे प्रकरण न रखें बल्कि तथ्य एवं आंकड़ों के साथ पत्र दें। कृपया वेंडर्स के कहने पर उसका हित साधने के लिए छल-कपट का साथ लेना ठीक नहीं।

(सदाचारी सिंह तोमर)/ 18.07.2000

प्रति,

उपमहानिदेशक (इंजीनियरी)

प्रतिलिपि :-

1. सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. नेशनल डायरेक्टर (एन.डी.) नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नालॉजी परियोजना (एन.ए.टी.पी.)''

इसमें मेरी आशंका सही निकली। बाद में पता चला कि इस ''पावती न देने'' के बिंदु को जांच का मुद्दा मेरे खिलाफ बनाया गया, किंतु इसमें मेरे जवाब को नहीं जोड़ा गया। क्योंकि दि. 13.07.2000 का जो पत्र मुझे दि.18.07.2000 को जानबूझ कर दिया गया था, तो दि. 16.07.2000 को जवाब देने का प्रश्न ही नहीं था। यह मुद्दा सी.बी.आई. में मेरे खिलाफ जांच के लिए भी भेजा गया। इन सबसे स्पष्ट हो गया था कि षडयंत्रकारी 'चण्डाल चौकड़ी' के साथ में श्री नितीश कुमार मंत्री कृषि का हाथ भी था, क्योंकि जांच उनकी सहमति एवं स्वीकृति के बिना नहीं चालू हो सकती थी और न ही सी.बी.आई. द्वारा (उनकी अनुमति के बिना) मेरे खिलाफ जांच की जा सकती थी। इस तरह किसी तरह का षडयंत्र कर श्री नितीश कुमार और यह चौकड़ी मुझे सेवा से निकालने के लिए इतने नीचे गिरकर काम कर रही थी जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश शासन में भ्रष्टाचार उजागर करने की वह बात भी मन में आती थी कि ये भ्रष्ट लोग कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि हत्या भी।

ये सभी जांच मेरे द्वारा दिये गये जवाब के बाद चालू हुई थीं, किंतु किसी में भी मेरे द्वारा प्रस्तुत जवाब उपलब्ध नहीं था, और न ही इस जवाब को कहीं नोटिंग में लिया गया था कि मैंने जवाब दिया है। चौकड़ी बहुत ही चालबाजी से काम करती थी। मेरे कोई गलत काम जो मैंने किया भी नहीं उसे लिखकर देती थी कि यह मैंने किया है तुरंत स्पष्टीकरण दो। और स्पष्टीकरण आने के पूर्व ही वह आगे की कार्यवाही हेतु इसे बढ़ा देती थी, यह लिखते हुए कि चूंकि मैंने जवाब नहीं दिया अतः यह स्वीकारोक्ति है, और मुझ पर कार्यवाही करें, और श्री नितीश कुमार मंत्री तो यही चाहते थे। वह कभी चौकड़ी से यह नहीं पूछते थे कि इसके जवाब की प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई या उन्होंने मुझसे न कभी लिखित या मौखिक जानकारी चाही जो उन्होंने लिखा उसी पर कार्यवाही भी वह तत्परता से कर देते



थे। क्योंकि वह खुद यही चाहते थे कि किसी तरह मैं पद से हटा दिया जाऊँ या दण्डित किया जाऊँ जिससे वह निष्कंटक भ्रष्टाचार करते-कराते रहें। वास्तविकता यह थी कि मेरे पत्रों को पढ़कर केन्द्रों के प्रभारियों का हौसला बढ़ता था और उनके केन्द्रों में वेंडरों द्वारा किये जा रहे घपलों की शिकायतें (सूचनाये) चौकड़ी के मना करने के बाद भी मुझे भेजते रहते थे।

दिनांक 13.07.2000 को उपमहानिदेशक ने मुझे एक नसीहत भरा पत्र लिखा था जिसमें लिखा था-

''प्रिय डॉ. तोमर, गोपनीय/क्र. 81-। दि. 13.07.2000

भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र 2 जून, 2000 का संदर्भ लें। यह पत्र कम्प्यूटर एवं उपकरणों के क्रय के संबंध में हैं जो कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली-राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के तहत आया हुआ था। इस पत्र की प्रतिलिपि मुझे भी इंगित की गई है। तुम्हें भूतकाल में सलाह दी गई थी कि उच्च अधिकारियों को सीधे पत्र न लिखा करो, इससे घबड़ाहट तथा विरोधाभास होता है एवं यह प्रचलित पद्धति प्रक्रियाओं के विरोध में है। तुम्हें पुनः चेतावनी दी जाती है कि राजनीतिक नेता एवं पार्टियों से सीधे पत्राचार सी.सी.एस. कंडक्ट, केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण नियम) नियमों के विपरीत है और इससे दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रेरित करता है। तुम्हें पुनः सलाह दी जाती है कि कार्यालयीन मार्गदर्शन, पद्धतियों को विषयांतर्गत मानें एवं दिये गये कार्य पर अपने को केन्द्रित करें।

आदर सहित

तुम्हारा इमानदार सच्चा

(ए.आलम) उपमहानिदेशक,

भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली

डॉ. एस.एस. तोमर,

सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली),

भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली-110001 ''

**इसका उत्तर उसी पत्र के ऊपर ही लिखते हुए मैंने लिखा-**

''प्रथम निवेदन है ऐसे पत्र हिन्दी में देने की कृपा करें। मेरे द्वारा ये पत्र पहले सीधे प्रथम उच्चाधिकारी को लिखे गये। शनैः-शनैः जब कोई जवाब नहीं मिला, न ही किंचित कार्यवाही हुई तब उत्तरोत्तर बड़े अधिकारियों को लिखते हुए प्रधानमंत्री जी तक पत्र लिखा गया, तब जाकर कम-से-कम आपने इतना लिखा। ऐसे ही केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों को समझकर लिखा जाता है जिससे दण्डात्मक कार्यवाही से बचा जाय एवं कार्य भी हो जाय। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो वह अधिनियम का उल्लेख करने की कृपा करें, जिससे सही जवाब दिया जा सके। इस समय दिया गया मेरा कार्य पूरे 'एरिस' में देश भर में बंट रहे

उपकरणों यथा कम्प्यूटर, प्रिंटर, मोडम आदि की समीक्षा एवं उसे सुचारु रूप से चलाना है, जिसके लिए भ्रष्टाचार के 5 करोड़ रूपयों के विवरण आज ही आपको दिये गये हैं। कृपया उन्हें देखें एवं आप ही उस पत्र में जो मुद्दे दिये हैं उनका निराकरण कर जवाब देने की कृपा करें। मैं न तो राजनीतिक पार्टी न नेताओं को लिखता, मिलता हूँ बल्कि माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है। कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक नेता या 'पार्टीज' न गिना जाय। वह प्रणाली के सबसे बड़े अधिकारी ही हैं। अतः सी.सी.एस. रूल (केन्द्रीय सिविल सेवा नियम) के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ नियमानुसार है।

(सदाचारी सिंह तोमर)/ 13.07.2000

प्रति,

उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) ''

दिनांक 17.07.2000 को मैंने श्री आर.पी.जैन, वैज्ञानिक एरिस यूनिट (परिषद मुख्यालय का कम्प्यूटर सेंटर) जिसे 'चौकड़ी' ने कम्प्यूटर सेंटर स्वयं-भू प्रभारी बना रखा था जबकि सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुसार मैं (सहायक महानिदेशक) प्रभारी था, को पत्र लिखा। इसी से वह केन्द्र की सभी फाइलों को सीधे (मुझे एक तरफ करते हुए) 'चौकड़ी' के पास भेजते थे। कम्प्यूटर केन्द्र में भी इससे वरिष्ठ लोग थे किंतु उन्हें प्रभारी नहीं बनाया। यह पत्र इस प्रकार था-

''प्रति,

श्री आर.पी. जैन

वैज्ञानिक (चयन श्रेणी)

कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली इकाई (कम्प्यूटर सेंटर)

भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली

महोदय,

मैंने 13.07.2000 को एक पत्र भेजा है, जिसकी पावती स्टेनों ने 13.07.2000 को दी है। आपकी तरफ से इस पत्र पर कोई भी मत नहीं मिला। चूंकि यह अनियमितता एवं नस्तियां सीधे उच्च अधिकारियों को भेजने से सम्बंधित है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत ही मुझे अपने विचार भेजिए कि आप फाइलें क्यों ऐसे सीधे भेज रहे है।

मुझे 13.07.2000 का भी पत्र मिला है जिसमें वैज्ञानिक श्री बलवीर सिंह का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दि.01.04.98 से दि.31.03.99 तक का है जो आपके पत्र दिनांक 30.03.2000 से भेजा गया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने यह पत्र 4 माह तक अपने पास रखकर क्यों भेजा या जानबूझ कर आपने दि.13.07.200 को भेजने वाले पत्र पर तिथि 30.03.2000 लिखी।



आपका सच्चा

(सदाचारी सिंह तोमर)

सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर)''

'चौकड़ी' ने न केवल मुझे काम से हटाकर श्री आर.पी. जैन को प्रभारी बनाया या माना था बल्कि कम्प्यूटर केन्द्र में भी उससे कुछ वरिष्ठ थे जिनकी वरिष्ठता का भी उल्लंघन किया था। इसी कारण 'चौकड़ी' के चाहे अनुसार 4 माह पुरानी फाइल श्री जैन मुझे दि.13.07.2000 को दे रहा था जिससे उस पर अपना मत दूँ एवं 'चौकड़ी' मेरे खिलाफ जांच का यह मुद्दा बना ले कि मैं 4 माह से फाइल अपने पास रखे था और मुझे इसी बहाने नौकरी से निकालें। यह व्यवस्था इसलिए चालू की थी कि वे भ्रष्टाचार आसानी से करते रहें और कम्प्यूटर केन्द्रों में मिलने वाली शिकायतें दबी रहें। फिर दि.31.03.2000 तक की प्रगति दि.30.03.2000 तक कैसे भेजी गई यह उससे कौन पूछता, वह तो 'चौकड़ी' का प्यादा था जवाब दे या न दे यह उसके ऊपर था।

दिनांक 07.07.2000 को 'चौकड़ी' एवं श्री नितीश कुमार मंत्री की पैंतरेबाजी के बारे में उनको मैंने लिखा-

''प्रति, दिनांक 17.07.2000

डॉ. आर.एस. पड़ौदा, महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली-11

**विषय :-** एक ओर मुझे मेरे कार्य से अलग करने का प्रयत्न, क्योंकि मैंने रू. 5 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर कर इसका सत्यापन किया।

महोदय,

मैंने आप लोगों के समक्ष वेंडर्स के द्वारा रू. 5 करोड़ के भ्रष्टाचार के 128 प्रकरण विभिन्न कम्प्यूटर केन्द्रों के प्रस्तुत किये थे (संलग्न-1)। इनमें से मैं कुछ आंकड़ों का स्वतः सत्यापन करना चाह रहा था, किंतु डॉ. अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजी.) भा.कृ.अ.प. जिनने हमेशा ऐसे में अवरोध पैदा किया है, मैंने जब-जब अपना भ्रमण कार्यक्रम (जो विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक से सम्बंध था) प्रस्तुत किया, परीक्षा लेने जाने का भ्रमण कार्यक्रम दिया, संगोष्ठी बावद कार्यक्रम इत्यादि प्रस्तुत किये और उसके साथ कम्प्यूटर केन्द्रों का भ्रमण जो वहीं पर या नजदीकी क्षेत्रों में थे प्रस्तुत किये तब-तब उन्होंने मेरे भ्रमण कार्यक्रम तो स्वीकृत किये किंतु उसी से लगे कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण के लिए मना किया। ऐसा डॉ. आलम ने इस अवधारणा से किया क्योंकि कम्प्यूटर केन्द्रों से मिली षिकायतों का मैं सत्यापन कर लूंगा जिससे उनके ( डॉ. आलम के) प्रिय वेंडरों को समस्या होगी। इस बारे में किसी भी तरह सत्यापन का प्रयत्न किया था और जब उपमहानिदेशक ने मेरा दि.15.07.2000 का लखनऊ के भ्रमण कार्यक्रम की स्वीकृति दी, परंतु वहां के

कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रमण को जिसे मैंने इसी के साथ प्रस्तावित किया था और वे लखनऊ में ही स्थित थे उन्हें भ्रमण की स्वीकृति नहीं दी (जो विश्वविद्यालय की बैठक के बाद बचे समय में होती है), तब मैंने भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ के कम्प्यूटर केन्द्र का भ्रमण कर रू. 6 लाख के भ्रष्टाचार का सत्यापन तथा अन्य त्रुटियां देखी। इसे भी मैंने भ्रमण वापसी की प्रस्तुत रिपोर्ट में भी दि.17.07.2000 को उपमहानिदेशक को दिया है (संलग्न-2)।

अब उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि मैं जब एवं जैसे भी विश्वविद्यालय के प्रबंधन मण्डल की बैठक में जाऊँगा मैं लखनऊ और आसपास स्थित अपने सब कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रष्टाचार को सत्यापित कर दूंगा। इसलिए अब वह यहां मेरा भ्रमण पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अब वह मुझे आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद (उ.प्र.) के प्रबंधन की कार्यकारणी से अलग करने का अवैधानिक प्रयत्न करेंगे। इसका संकेत भी मुझे मिल रहा है। इस तरह वह मुझे दूसरी बार वेंडर के भ्रष्टाचार के सत्यापन के अवसर को बंद कर अपने लक्ष्य में सफल होंगे और मुझे विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल से अलग कर देंगे।

चूंकि मैं वेंडर्स के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ, इसलिए ये वेंडर्स द्वारा (जिनकी लम्बी पहुंच भी है) भा.कृ.अ.प. की उच्च अधिकारियों को मिलाकर अन्य कई तरीकों से मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रस्ताव भा.कृ.अ.प. को भेजे जा सकते हैं।

क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि इसे देखें एवं उन्हें मुझे कम्प्यूटर केन्द्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के सत्यापन करने दें जिसे वे (डॉ. आलम) मुझे आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्यकारणी के प्रबंधन मंडल से हटाकर (जिससे मैं प्रबंधक मंडल हेतु भ्रमण में न जा सकूंगा और फलतः इस कारण से कम्प्यूटर केन्द्रों के भ्रष्टाचार का सत्यापन भी न होगा) पूरा करना चाहते हैं, कृपया इसे रोकें।

आदर सहित,

आपका सच्चा
(सदाचारी सिंह तोमर)
सहायक महानिदेशक
(कम्प्यूटर सूचना प्रणाली)
भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली

**प्रतिलिपि :-**

1. श्री नितीश कुमार माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली
2. श्री देवेन्द्र प्रधान जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली
3. डॉ. एस.एल. मेहता उपमहानिदेशक (शिक्षा) कृषि अनुसंधान भवन, पूसा भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली
4. डॉ. अनवर आलम उपमहानिदेशक (इंजीनियरी), कृषि भवन, भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली

को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।''



यह पत्र ऐसा प्रकरण था जो उनकी दुखती रग को पकड़ रहा था। 'चौकड़ी' श्री नितीश कुमार के सहयोग से कार्य कर रही थी। अतः श्री नितीश कुमार को पत्र तो दिया गया किंतु उनसे इसमें हस्ताक्षेप की कोई आशा नहीं की थी। क्योंकि वेंडर्स के भ्रष्टाचार से ही तो 'चौकड़ी' और श्री नितीश कुमार को भ्रष्टाचार की राशि मिल सकती थी। यदि वेंडर्स भ्रष्टाचार की राशि कमायेंगे नहीं तो इन्हें देंगे क्यों। वेंडर कम्प्यूटर उपकरणों की स्थापना नहीं कराते थे जिससे लम्बी अवधि होने पर कुछ केन्द्र अपने से व्यवस्था कर यह काम करवा लेते थे। कुछ ऐसे ही पड़े रहते थे। ये अधूरी आपूर्ति करते थे जिसमें कई केन्द्र 'चौकड़ी' के डर से ही चुप रहते थे। परीक्षण होने के बावजूद भी खराब स्तर का माल भी दे देते थे। इस तरह वेंडर्स को प्रशिक्षण में आने वाले तकनीशियनों की टीम को, टी.ए.,डी.ए. न देने एवं उनके काम के भुगतान की पूरी-पूरी राशि दबा ली जाती थी एवं इसमें भी बंदरबांट होता था। मेरे लखनऊ आने जाने के रास्ते में आसपास 40 के लगभग मेरे कम्प्यूटर केन्द्र पड़ जाते थे और उनकी जांच करके जो भ्रष्टाचार मिलता या शिकायतों का सत्यापन करता था वह सभी 437 केन्द्रों को पत्र द्वारा सूचित करता था, जिससे सभी प्रभावी एवं सतर्क रहते थे और मेरे पास शिकायतें भेजते थे। इनके आधार पर भी मैं दण्डारोपण करता था। इससे वेंडर्स तो सतर्क रहते ही थे साथ ही हमारे कम्प्यूटर केन्द्रों के प्रभारी समय पर उनसे कार्य करा लेते थे। पर हानि होती थी इन भ्रष्टाचारियों की जिनके ''हप्ते'' बंद हो जाते थे। इसलिए यह चाल चली थी कि मेरी विश्वविद्यालय की कार्यकारणी की सदस्यता ही खत्म की जाय। जो ऐसे कारण जैसे मरने पर, समयावधि खत्म होने पर, दोषारोपण सिद्ध होने पर ही खत्म होती थी, उसे बिना कारण खत्म करके ये इतिहास बना रहे थे जिससे उनका भ्रष्टाचार चलता रहे। इस पत्र की प्रति डॉ. एस.एल. मेहता, शिक्षा विभाग वालों को भी दी गई थी क्योंकि वह भी इसको करने वाले थे। शहंशाह तो श्री नितीश कुमार थे एवं उनके सेना नायक थे डॉ. आर.एस. पड़ौदा। मुझे तो ये सब चींटी की तरह समझ रहे थे, जब चाहें जैसे चाहें मसल दें, क्योंकि ये जानते थे कि न्यायालयों में भले अंधेर न हो पर देर तो इतनी की जा सकती है कि आप तो आप आपकी पीढ़ियां खत्म हो जायें पर निर्णय नहीं आयेगा।

दिनांक 17.07.2000 को ही पूर्व के पत्र के पहले (डॉ. पड़ौदा को लिखने के पहले) यह पत्र अपने भ्रमण से आने के बाद लिखा था। इसमें मैं लखनऊ में विश्वविद्यालय बैठक के बाद कम्प्यूटर केन्द्र के निरीक्षण कर डॉ. आलम को लिखा-

''प्रति,

डॉ. अनवर आलम, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) दिनांक 17.07.2000
भा.कृ.अ.प. कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

विषय :- लखनऊ से दि.15.07.2000 के भ्रमण के वापसी के बाद की भ्रमण रिपोर्ट बावद।

महोदय,

आपके अनुमति के बाद मैंने विश्वविद्यालय के प्रबंधन समिति की बैठक में एक सदस्य की हैसियत से भाग लिया और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के लाभ से चलाने हेतु कम्प्यूटर केन्द्रों का भी भ्रमण कर वहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतों का सत्यापन किया। इसमें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के कम्प्यूटर उपकरणों की स्थिति ऐसी थी-

- कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति बहुत देरी से हुई एवं ये स्तरीय नहीं है।
- आपूर्ति एवं लगाने के मध्य बहुत दिनों का अंतर रहा, इसलिए उस अवधि में कम्प्यूटर एवं उपकरण वेंडर्स की गलती से चलाये नहीं जा सके।
- स्टैंडर्ड पर्सनल कम्प्यूटर में सी.डी. ड्राईव ही नहीं थे।
- निविदा (विड) दस्तावेज के शर्तों के अनुसार किसी भी साइट पर अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
- चलाते वक्त कम्प्यूटर नेटवर्किंग इक्यूपमेंट विषेष आवाज निकालते हैं।
- इस तरह दण्ड एवं लिक्वीडेटेड डैमेज जो रू. 6 लाख का हो गया वह वेंडर्स से वसूलना होगा।
- विड दस्तावेज का सेक्शन-VII 'अ' जो कम्प्यूटर नेटवर्किंग इक्यूपमेंट से सम्बद्ध है, उसके आवश्यक योग्यता (मापदण्ड) से वेंडर्स चला नहीं रहे।
- 'विड' दस्तावेज के सेक्सन-IV जी.सी.सी.में दी गई वारंटी धारा भी नहीं मानी जा रही है।

इसके साथ अन्य कई बिंदु हैं जो आपूर्ति, स्थापना, रखरखाव आदि जो कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरणों से संबंधित हैं की समस्यायें हैं। यह देश के कई अन्य केन्द्रों में हो सकती है किंतु आप मुझे भ्रमण पर नहीं जाने दे रहे हैं इसलिए उनका सत्यापन कठिन होगा। यदि वेंडरों से दण्ड की राशि वसूली नहीं की जाती, उन्हें सीघ्र चेतावनी नहीं दी जाती और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो कम्प्यूटर एवं उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना में समय लग जायेंगा और कुछ समय बाद वेंडर उसी तरह कार्य छोड़कर चले जायेंगे जैसे पूर्व में फेज-I में किया था।

आदर सहित

आपका सच्चा
(सदाचारी सिंह तोमर)
सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर)
भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

1. डॉ. एस.एल.मेहता, उपमहानिदेशक (शिक्षा), कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।''



डॉ. मेहता को प्रति इसलिए दी गई थी कि विश्वविद्यालयों के प्रबंधन की कार्यकारणी में मनोनयन इन्हीं के माध्यम से होता है। अतः उनको यह बताना था कि उन बैठकों के साथ ही मैं अपनी अन्य ड़यूटी भी पूरी करता हूँ।

जब मैं भ्रष्टाचार को संस्थानो (जैसे लखनऊ के) से उभाड़ता था तब वहां के निदेशक एवं जिन व्यक्तियों एवं कार्यालयों को में दिये जाते थे वे अधिकारी मेरे खिलाफ खड़े हो जाते थे क्योंकि उनके ऊपर भी बड़ा दण्डारोपण हो सकता था। क्योंकि यह उन व्यक्तियों का काम था जिन कम्प्यूटर सेट उपकरणों को हमने मुख्यालय से भिजवाया था उनकी कमियां, त्रुटियां अधूरापन आदि वेडरों से पूरा करवाये तथा हमें (मुख्यालय) लिखकर सत्यता बतायें। कुछ संस्थान, अधिकारी, विभाग, वेंडरों से घूंस लेकर या चौकड़ी को प्रसन्न करने के लिये वेंडरां की त्रुटियां छिपा लेते थे। उनमें से ऐसा यह एक संस्थान भी था।

दिनांक 18.07.2000 को डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने मुझे व्यस्त करने के पत्र श्रृँखला में लिखा-

''प्रिय डॉ. तोमर,

बौधिक सम्पदा अधिकार आज की आवश्यक आवश्यकता है। वैश्विक कृषि संदर्भ में यह एक वास्तविकता है। कृपया वास्तविकता का विश्लेषण करें एवं मुझे बतायें कि कम्प्यूटर नेटवर्क में सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षात्मक आवश्यकता होगी। यह बताना योग्य है कि वैधानिकता हेतु यह तर्कसंगत भी है। जाहिर है कि एक सहायक महानिदेशक होते हुए आप एक मसौदा बनायें जिसे जल्दी ही संभव हो तो हम चर्चा कर सकें।

आदर सहित,

आपका सच्चा
(अनवर आलम)
उपमहानिदेशक (इंजीनियरी),
भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली ''

इस पत्र को पाकर इसके ऊपर ही मैंने लिखा एवं उन्हें दिया-

''मेरा टायपिस्ट, स्टेनो, पी.ए., पी.एस, सभी हटा दिये गये हैं। यदि सुविधा दी जाये तो उपरोक्त कार्य भी हाथ में लिया जा सकता है। अन्यथा जैसा आपने पिछले सप्ताह भी देखा है लगभग 30-40 पृष्ठ के पत्र आपको मैंने दिये है जिन्हें मैंने खुद टाईप किया है। स्पीड न होने से दिन-रात इतना काम ही पूरा करना मुष्किल है और यह कार्य अति आवश्यक है, जो मुझे 'अभ्यार्थी को सूचना' के हिस्से के रूप में अध्यक्ष द्वारा नियमित कार्य दिया गया है। और इसमें जिसके लिए लगभग 20 करोड़ खर्च करके 449 केन्द्रों में कम्प्यूटर सप्लाई किये जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों द्वारा जालसाजी की जा रही है, जिसको पकड़कर अभी दि.13.07.2000 को 128 केन्द्रों के रू. 5 करोड़ के घपलों की जानकारी के लगभग 14 पृष्ठ टाईप कर मैंने दिये हैं। आपने टायपिस्ट की मेरी सुविधा इसीलिए छीन ली है एवं जो वैज्ञानिक

मेरे मातहत हैं उनसे सीधे ही इसलिए फाइलें ले रहे हैं, जिससे घपले बढ़ें एवं मैं उन घपलों की जानकारी उजागर न कर सकूं। फिर भी मैं पूर्ण तन्मयता से अपनी एरिस (कम्प्यूटरनेट) योजना में जिसमें रू. 200 करोड़ खर्च होने हैं में घपले न होने देने के लिए कृत संकल्प हूँ, चाहे मुझे ही इनकी जानकारी एकत्र करके टाईप करना पड़े। फिर भी सुविधा (उपरोक्त जो हटाई गई है) दी जाय तो कार्य जो बताया गया है किया जा सकता है। अभी कुछ करोड़ रूपयों के घपले और संकलित किये हैं उनको टाईप कर प्रस्तुत करना है, जिससे मेरी स्कीम में सुधार हो।

संभव है घपलों के उजागर करने की तिलमिलाहट स्वरूप पत्राचार बढ़ाये जा रहे हैं फिर भी सुविधा देने पर कार्य होगा।

आदर सहित

भवदीय

(सदाचारी सिंह तोमर)

सहायक महानिदेशक (एरिस-कम्प्यूटर)

भा.कृ.अ.प., कृषि भवन,

नई दिल्ली-110001

प्रति,

डॉ. अनवर आलम, उप महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. कृषि भवन, नई दिल्ली-110001''

पूरे परिषद में मेरे पदधारी सहायक महानिदेशकों को 2-3 टायपिस्ट, क्लर्क, स्टेनो दिये गये पर मेरे पास जो नियमानुसार दिये गये थे वह भी छीन लिये गये थे क्योंकि रू. 1000 करोड़ की पूरी परियोजना में घपलों को मैं उभाड़ देता यदि मुझे उपरोक्त टायपिंग की सुविधा मिल जाती, और मंत्री श्री नितीश कुमार भी लक्ष्य में आ जाते।

डॉ. आलम चाह रहे थे कि मिली शिकायतों का न तो मैं सत्यापन कर पाऊँ न ही मिली शिकायतों के आधार पर दण्डारोपण वेंडर पर कर सकूँ। क्योंकि ये बहु राष्ट्रीय या मल्टी नेशनल कम्पनियां (MNC) भ्रष्टाचार तो भरपूर करती हैं, किंतु इनकी कोई बदनामी न हो इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों को नियंत्रण में रखकर उनके मातहत कोई कर्मचारी (अधिकारी) यदि उनका भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसकी भी खैर-खबर लेने में अधिकारियों एवं मंत्रियों के माध्यम से लेने में माहिर होती हैं। यह भ्रष्टाचार उजागर करने का मामला अब मात्र रू. 20 करोड़ के कम्प्यूटर मे. सीमेंस से खरीदने तक सीमित नहीं रह गया था। अब तो लोकल एरिया नेटवर्क (LAN), कम्प्यूटर कमरों की तैयारी आदि के लिए जो रू. 200 करोड़ खर्च हो रहे थे उससे बढ़कर रू. 1000 करोड़ की पूरी परियोजना में जो घपले हो रहे थे वह भी मुझे मिलने लगे थे। क्योंकि इस पूरी योजना का मैं सदस्य था।

## 437 जगहों के 449 केन्द्रों में कम्प्यूटर नेटवर्क उपकरण दिये गये थे

यद्यपि सभी अधिकारी डॉ. पड़ौदा महानिदेशक एवं मंत्री श्री नितीश कुमार से डरते थे किंतु पूर्व के फेज-1 की ऐसी ही परियोजना जो रू. 1000 करोड़ की थी उसमें मुझे सभी केन्द्रों से लगातार शिकायतें मिली थी, उसमें सी.बी.आई. जांच चालू हो गई थी।



इसलिए ये सभी अधिकारी वर्तमान फेज-II की शिकायतें भेजते थे। और उसके ये भी कारण थे कि मैं जो पत्र अपने केन्द्रों को लिखा था उनमें स्पष्ट कर देता था कि यदि किन्हीं भी केन्द्रों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें छिपाई तो उन्हीं पर उत्तरदायित्व मढ़ा जायेगा और दण्ड दिया जायेगा। इधर 'चौकड़ी' एवं इसके मठाधीस श्री नितीश कुमार चाहते थे कि भ्रष्टाचार की शिकायतें उभड़ने न पायें। विषेष रूप से तब से जब से 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने दिनांक 15.05.2000 को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर बड़ी सुर्खियों के साथ में रू. 1000 करोड़ के घपले छापे थे और उत्तरोत्तर अन्य अखबार इसका घपला छापते चले जा रहे थे।

संभव था अखबारों में समाचार न छपते तो मुझे कब का नौकरी से हटा दिया गया होता। इन मठाधीसों ने सलाह करके अब एक और तरकीब निकाली थी जिसके तहत डॉ. आलम उप महानिदेशक को कहा गया कि वह मुझे ऊल-जुलूल कार्य के लिए या स्पष्टीकरण के लिए 5-10 पत्र रोज लिखा करें और ऐसे कार्य दे दें जिन्हें करने में मुझे दिक्कतें आयें। मैं ड्राफ्ट तैयार करूं और टायपिस्ट या स्टेनों रहेगा नहीं तो अधूरा काम बना रहेगा। स्पष्टीकरण दूँ उसे वह मानेंगे नहीं और पत्र पर पत्र लिखकर मुझे किसी तरह ऊल-जुलूल कार्य पर उलझाये रखेंगे एवं मैं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं कर सकूंगा।

वे यह भी जानते थे कि मैं उनको प्रत्येक पत्र का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा और मेरा इसमें समय बरबाद होगा। दिनांक 17.07.2000 एवं इसके ढेर सारे अन्य पत्रों के साथ ही अब डॉ. आलम ने दिनांक 18.07.2000 को मुझे पत्र लिखने की अब पुनः झड़ी लगा दी। ये लगभग सभी पत्र गोपनीय लिखते थे जिससे मेरे जवाब बंद लिफाफों में मिलें जिससे भ्रष्टाचार में उनकी बदनामी न हो। अधिकारी ही नहीं मुझे 40 वर्ष की सेवाकाल में मंत्री सर्वश्री अर्जुन सिंह, श्री दिग्विजय सिंह, नितीश कुमार आदि के कृत्य ऐसे मिले जिनके कुकृत्य ऐसे दिखते थे कि वे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं किंतु अंदर तक जाने में मालूम होता था कि ये कितने शातिर हैं। मेरे द्वारा लिखने से इनकी वास्तविकता (जो भ्रष्टाचार उजागर, सीमा से ज्यादा लिखना, क्षेत्रों की तथ्यात्मक जानकारी आदि) से संबंधित जितने भी मेरे पत्र थे अधिकांश की जांच के लिए इन्होंने जांच अधिकारी नियुक्त किया था जिसने मेरे पत्रों पर सच्चाई पाते हुए भ्रष्टाचार की इस वैतरणी की आगे जांचकर कार्यवाही की आवश्यकता प्रतिपादित की थी।

दिनांक 18.07.2000 को उप महानिदेशक (इंजीनियरी) भा.कृ.अ.प. डॉ. आलम इसी तारतम्य में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक या अन्य कार्यों में मेरी त्रुटि ढूंढ़ रहे थे कि इसमें पकड़कर अपने आका श्री नितीश कुमार को बतायें कि देखो यह कैसा है और इस पर कार्यवाही करायें। इस तरह उनका पत्र दिनांक 18.07.2000 को मिला जिसमें लिखा था-

''प्रिय डॉ. तोमर, गोपनीय सेल-81-III दि. 18.07.2000

तुम्हारे भूतकाल के पत्राचार से कई उहापोह पैदा हुए हैं। ऐसे पत्राचार अब आगे की स्थिति बिगाड़ रहे हैं, जिससे आगे के कार्य करने में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फलस्वरूप प्रणाली की बहुत बड़ी हानि हो रही है। मैं उप महानिदेशक (इंजीनियरी) जो परियोजना की

सूचना विकास प्रणाली का सम्पूर्ण प्रभारी हूँ जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसे सीधे पत्राचार क्यों कर रहे हो, जिसके लिए तुम अधिकृत नहीं हो या जिसका तुम्हे काम (Man Date) नहीं है। इस संदर्भ में तुम्हारा हाल का पत्र जो राष्ट्रीय कृषि तकनीकी के राष्ट्रीय निदेशक को लिखा गया है, उसको देखो।

आदर सहित

तुम्हारा सच्चा (ए. आलम)

डॉ. एस.एस. तोमर,
सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली)
भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली-110001''

इस पत्र को पाने के बाद, इसी पत्र के ऊपर मैंने जवाब लिखा। इस पत्र के प्रारंभ (ऊपरी) हिस्से को 'अ' भाग एवं निचले तीन-चार पंतियों को 'ब', 'स' भाग अंकित करते हुए उत्तर दिया कि-

'' 'अ' भाग में कही गई बात कि हानि हो रही है। पत्रों के द्वारा या मेरे द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन से काम में हानि नहीं बल्कि घपलाकारों की हानि हो रही है, जो भ्रष्ट चाहते थे कि कभी भी सप्लाई हो जाये या न हो, इसकी स्थापना (Instalation) हो या न हो, प्रशिक्षण अपने चुने हुए जगहों पर लीपा-पोती कराकर करोड़ों रूपयों को डकार लिया जाय, वह अब संभव नहीं हो पायेगा। इसी बावद् 13.07.2000 के 14 पृष्ठीय पत्र में मैंने रू. 5 करोड़ के घपले आपको प्रस्तुत किये हैं। सीधे पत्राचार न करने के लिए (जो मैंने राष्ट्रीय परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक को रू. 5 करोड़ के घपले दिये हैं) आप मना कर रहे हैं। कृपया बतायें कि किस नियम के तहत मैं अपनी योजना में हो रहे घपलों के बारे में उन्हें नहीं लिख सकता। यदि ऐसा कोई नियम है तो मुझे दें, अन्यथा मैं समझता हूँ कि घपलों को उजागर न होने देने के लिए मुझे रोका जा रहा है। यह उपरोक्त पत्र के 'ब' भाग के बावद है और इसी के लिए मुझे चुना गया है, यही मेरा काम है, आपका नहीं। 'स' भाग का वर्तमान पत्र दि.13.07.2000 का रू. 5 करोड़ के घपलों से संबंधित है, वही मैने उनको सीधे लिखा है जो नियमानुकूल है। यदि आप ऐसा कोई नियम नहीं बताते तो घपलों की जानकारी यथावत दी जाती रहेगी।

संभव है इस घपले की राशि में से विक्रेता कमीशन बांटता हो, जो अब नहीं मिल सकेगा क्योंकि अब यह पेनाल्टी (दण्ड) भरेगा। अभी कुछ करोड़ के घपले और एकत्रित किये हैं, उन्हें टाईप करके प्रस्तुत करना है।

आदर सहित

भवदीय

(सदाचारी सिंह तोमर)''

मैं यह समझता था कि डॉ. आलम यह पत्र पाते ही झल्ला उठेंगे, क्योंकि अंधे को यदि अंधा कहा जाय, भ्रष्ट को सीधे उसके मुंह पर भ्रष्टाचारी कहा जाय तो वह खिसियानी



बिल्ली खम्भा नोचने की स्थिति में आकर काम करता है। डॉ. आलम के सीधे मातहत मैं नियुक्त नहीं हुआ था, हाँ मेरा उत्तरदायित्व उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) डॉ. ए. आलम एवं उपमहानिदेशक (शिक्षा) डॉ. मेहता को सलाह देना था। मुझे देश भर के परियोजना के अंतर्गत आने वाले कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थिति की देखभाल सीधे करना था। जिसे मेरी सम्पूर्ण संबंधित संगठनों, व्यक्तियों, अधिकारियों (यहां तक कि डॉ. आलम) से यह पूछने की ड्यूटी थी कि इस क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाय। फिर भी डॉ. आलम भर नहीं अन्य अधिकारी भी मुझसे यह पूछ रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार का सीधे पर्दाफास क्यों कर रहा हूँ। इनकी इतनी गलती नहीं थी जितनी महानिदेशक एवं मंत्री श्री नितीश कुमार की थी। ये तो मोहरे एवं प्यादे थे जो चलाये जा रहे थे शहंसाह से। डॉ. आलम को इस काम के लिए चुना ही नहीं गया था। वह तो यह 'चौकड़ी' थी जो स्वयं यह काम जिसको चाहे सौप रही थी। इनको इतनी भी लाज-शर्म नहीं थी कि वे उस व्यक्ति से जो इस कार्य के लिए अधिकृत है कैसे एवं किस हैसियत से लिख रहे थे कि भ्रष्टाचार उजागर करना तुम्हारा काम नहीं था। किंतु यहां तो ऐसा था कि ***'अंधा बांटे रेवड़ी चीन्ह-चीन्ह कर देय'***। क्या पूरी प्रणाली को मात्र भ्रष्टाचार करके ही ठीक से चलाया जा सकता था। मेरी नियुक्ति आदेश में कहीं नहीं लिखा था कि मैं कोई पत्राचार इनके माध्यम से करूंगा या मेरे केन्द्रों से मिलने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों के पहले इनको दिखाकर कहूंगा कि मैं इस पर कार्यवाही करूं या इनके इस गलत आदेश को मानूं कि भ्रष्टाचार बावद् न लिखा जाये।

यही नहीं डॉ. आलम उपमहानिदेशक ने मुझे फालतू के कार्य में उलझाने के लिए इस पत्र के पहले उसी दिन ऐसा पत्र लिखा था, जिसमें ऐसे काम के करने के लिए कहा गया था जिससे मेरी निर्धारित ड्यूटी से कोई लेना-देना ही नहीं था। और इस कार्य को करने हेतु मुझे सर्वोपरि प्राथमिकता देकर करने को कहा गया था। इन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि किस हैसियत से मुझे यह कार्य करने को कह रहे हैं। मतलब यह था कि तुम कुछ भी करो कम्प्यूटर भ्रष्टाचार को न उभाड़ो।

दिनांक 18.07.2000 के ही इस पत्र से मुझे इन्होंने लिखा-

''प्रिय डॉ. तोमर, गोपनीय क्र. 81-।। दि. 18.07.2000

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की समझौते की तरह प्रथम बार कृषि को सामान्य व्यापार एवं टेरिफ के समझौते के तहत (GATT) रखा गया है। इस समझौते में जो कहा गया है उसका विश्लेषण करो और प्रभावी सलाह इस बावद् दो कि इसमें लाभ-हानि क्या है। जिससे परिषद इसमें प्रभावी प्रावधानों से लाभान्वित हो।

इसे कृपया सर्वोपरि प्राथमिकता देवें।

आदर सहित

तुम्हारा सच्चा (ए.आलम)
उ.म.(इंजी.), भा.कृ.अ.प.

डॉ. सदाचारी सिंह तोमर, सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प्र.),
भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ''

इसके उत्तर में मैंने लिखा -

''आपके द्वारा टायपिस्ट, स्टेनों आदि सुविधायें छीन लेने से अब पत्राचार हाथ से लिखकर करना है।

मेरी स्कीम एरिस में जो घपले मैंने रू. 5 करोड़ के उजागर किये हैं उनमें और आगे उजागर न हो, इस कारण मुझे उपरोक्त कार्य दिया जा रहा है जिसकी मैं इस समय न आवश्यकता समझता हूँ न ही इसके लिए समय है। फिर भी मेरे पास का जो स्टॉफ टायपिस्ट, स्टेनो, पी.ए., पी.एस. तथा संलग्न वैज्ञानिक छीनकर सीधे उनसे कार्य आप ले रहे हैं। यदि उन्हें मेरे पास यथावत पदस्थ कर दें तो कुछ उपरोक्त कार्य के लिए समय दिया जा सकता है। अन्यथा इस क्रांतिक अवधि में जब कम्प्यूटरों को रू. 20 करोड़ की 449 केन्द्रों में सप्लाई हो रही है उस वक्त उनसे सम्बद्ध घपलों तथा घपला करने वालों से स्कीम को बचाना आवश्यक है। जिनके बारे में 128 केन्द्रों के रू. 5 करोड़ के घपले मैं दि.13.07.2000 को आपको दे चुका हूँ। अभी कुछ करोड़ रूपये के घपले और मिले हैं उन्हें टाइप कर सीघ्र देना है।

आदर सहित

भवदीय

(स.सि. तोमर)

सहायक महानिदेश (कम्प्यूटर)''

यह षडयंत्र मुझे पंगु बना देने के लिये था जिससे मैं उनके द्वारा दिये गये सर्वोपरि प्राथमिकता वाले 'बेकार' के काम में व्यस्त रहूँ और वे मेरी कम्प्यूटर योजना में भ्रष्टाचार की राशि को डकारते रहें।

रू. 1000-1000 करोड़ की राष्ट्रीय परियोजनायें जो अनुसंधान एवं तकनीकी से संबंधित थीं तथा जिसका पैसा अन्य मदों में खर्च हो रहा था और इसे मैं देख रहा था। चूंकि पूरी परियोजना में परियोजना प्रबंधन समिति के सदस्य एवं सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) के नाते मैं प्रबंधन करता था, इन्हीं उत्तरदायित्वों के कारण कोई भी खर्च होता था उसके प्रबंधन में मेरी भी जरूरत होती थी। विशेषकर जो परियोजनायें अशासकीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि में रहती थी उनकी विशेष देखरेख, प्रबंधन की आवश्यकता होती थी। समझा जाता था कि अनुसंधान परियोजनाओं व अन्य की राशि जो विशेषकर प्रशासकीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि को दी जाती थीं उनकी भी राशि का बंदरबांट चलता था। और इस भ्रष्टाचार को देखने की जरूरत थी किंतु ऐसी विडंबना थी जिसने मुझे पंगु बना दिया था एवं जिसका आनन्द 'चौकड़ी' ले रही थी। इनके पत्र भी मुझे मिलते थे और मुझे समाचार जो मिल रहा था उससे स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार वहां भी था। किंतु मुझे



कोई भी पत्र तैयार करने एवं इसका वितरण करने वाला नही होने आदि के कारण यहां की भ्रष्टाचार की शिकायतों का निराकरण भी नहीं हो रहा था। इन केन्द्रों से जो पत्र आते थे वह कार्यवाही को आगे बढ़ाने हेतु मैं उपमहानिदेशक को लिखता था तो वह पत्र ही दबाकर बैठ जाते थे। 'चौकड़ी' तथा मंत्री सभी चाहते थे कि इनके भ्रष्टाचार को मैं न उभाड़ सकूँ इसीलिए सभी सुविधायें भी छीने हुए थे। वहां से संबंधित पत्र में एक दो को यहां प्रस्तुत करके बताना योग्य है कि किस तरह व्यवस्था को चौपट किया जाता था। मात्र उद्देष्य रहता था कि भ्रष्टाचार की राशि की भरपूर उगाही की जाय। ऐसा ही एक पत्र जो रू. 52 लाख की एक अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति से सम्बद्ध था उसकी स्वीकृति का पत्र परिषद की परियोजना शाखा से दि. 18.07.2000 को राष्ट्रीय समन्वयक श्री यू.सी. शर्मा द्वारा संबद्ध संस्था के निदेशक को जारी हुआ था एवं मुझे आवश्यक कार्यवाही के लिए इंगित किया गया वह संक्षेप में ऐसा था-

''निदेशक सेल्यूलर एवं माल्वीकुल बायोलाजी
ऊपरी रोड, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश-500001

विषय :- अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति बावद ई-मेल

महोदय,

अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने आपके यहां के लिए धान-वैक्टेरिया से संबंधित अनुसंधान परियोजना रू. बावन लाख इक्तालिस हजार चार सौ छप्पन का है जो दिनांक 01.04.2000 से दिनांक 31.03.2002 तक के 9वीं योजना हेतु है। इसके प्रमुख एवं सहायक अंवेशको (अनुसंधान कर्त्ताओं) का विवरण तथा इससे सम्बंध 8 शर्तों को यहां दिया जा रहा है। इसकी अंतिम किस्त 10वीं योजना के एक हिस्से के रूप में (वित्तीय) में दी जायेगी।

इसे राष्ट्रीय तकनीकी परियोजना के राष्ट्रीय निदेशक की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(यू.सी.शर्मा),
राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लाल बहादुर
शास्त्री केन्द्र, भा.कृ.अ.सं. पूसा, नई दिल्ली-110012

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ
सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) एवं 11 अन्य को।
सूचना हेतु परिषद के महानिदेशक, वित्तीय सलाहकार एवं सचिव के वयैक्तिक सचिव''

इस तरह की परियोजनायें जो बनती थीं उसमें आवश्यक कार्यवाही आगे की मुझको (सहायक महानिदेशक-कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली को) करनी होती थी। इन पत्रों के स्वीकृतियों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उप महानिदेशक (इंजीनियरी) को भी नहीं दी

जाती थी। उन्हें तभी यह पत्र दिया जाता था जब मात्र इनकी शाखा से सम्बद्ध परियोजना की स्वीकृति होती थी। इस तरह के पत्रों से भी स्पष्ट है कि इस तरह रू. 1000 करोड़ की परियोजना में मुख्य रूप से मेरा योगदान रहता था न कि उपमहानिदेशक का। फिर भी चौकड़ी, मंत्री नितीश कुमार के सहयोग से जिसको चाहती थी उसी को प्रभारी मान लेती थी और सब कोई उसे मूर्तिवत मान लेते थे कोई चूं चपड़ नहीं करते थे भले ही यह मौखिक ही होता था।

अन्य पत्रों की तरह इस पत्र के ऊपर भी मै टीप लिखकर उपमहानिदेशक ड़ॉ.आलम के समक्ष प्रस्तुत किया था और उनका मत जानना चाहा। यहां ऐसे पत्र टीप के उद्घृत करने का एक मतलब यह भी है कि यह स्पष्ट हो की मेरी ड़यूटी इस पूरी राशि के मानिटरिग की भी थी किंतु चौकड़ी और मंत्री मिलकर सभी सुविधायें छीन लिये थे साथ ही इनके द्वारा जारी अधिकांश पत्र भी मुझसे छिपायें जा रहे थे।

जैसा मैं अन्य पत्रों का जवाब पत्र के ऊपर लिखकर देता था उसी तरह दिनांक 18.07.2000 के पत्र पर लिखा-

''कृपया कम्प्यूटर उपकरणों की इस कार्य हेतु और खरीदी के लिये उनकी आवश्यकता पूर्ती हेतु देखें। मैने ऐसे कई परियोजनाओं के पत्र कम्प्यूटर की आवश्यकता हेतु प्राप्त किये और आपको सतत् भेज भी रहा हूँ। मै आपसे इससे संबंधित कोई प्रति पुष्टी (Feed Back) भी नहीं प्राप्त कर रहा हूँ कि इनमें क्या कार्यवाही हो रही है। कृपया पावती दें (बतायें)। कृपया मुझे यह सूचित किया जाय कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की ऐसी परियोजनाओं में ज्यादा संख्या में मांग होने पर क्या किया जाय।

(सदाचारी सिंह तोमर)/21.07.2000
उपमहानिदेशक (इजीनियरी)''

इस पर उप महानिदेशक (इंजी.) डॉ. आलम ने लिखा -

''सामान्यतः कार्यवाही मूल पत्रों में ही की जाती है।

- ऐसा तसदीक (Indorsement) करके तुम मुझे अपना सहायक मानकर कर रहे हो?
- राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना में एक खरीदी हेतु दलाल (Procurement Agent) की व्यवस्था कर ली है। हम अपनी निवेष (Input) जब पूंछेंगे तब देंगे।

(अनवर आलम)/25.07.2000

प्रति,

सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर)''

डॉ. आलम का यह लिखना उनको संदेहास्पद बना देता है कि कार्यवाही मूल पत्र (प्रति) पर होती है। क्योंकि उनके समक्ष मूल पत्र ही प्रस्तुत किया गया था। किंतु वह ऐसे



पत्रों पर इसलिए कार्यवाही नहीं करते थे क्योंकि उनको डर था कि जैसे ही छोटी-छोटी परियोजनाओं मे कम्प्यूटर आदान-प्रदान चालू हुआ। वैसे ही उन कम्प्यूटरों के साथ ही पूरे परियोजना में हो रहे भ्रष्टाचार को मैं उभाड़ दूंगा। क्योंकि मेरा काम की सभी परियोजनायें देखना था न कि किसी एक उप महानिदेशक का। अभी तो परियोजनाऐं स्वीकृत होना चालू हुई थी। (इसी रु. 1000 करोड़ से देश भर में अनुसंधान परियोजनायें भी चलाई जाती थी जहां हमें कम्प्यूटर उपकरण देने थें) विश्व बैंक के मूल प्रावधान में ही सहायक महानिदेशक (एरिस) को निगरानी हेतु हमने रखा था। इसलिए जैसे ही परियोजनाऐं स्वीकृत होती थी उनकी मूल प्रति मुझे भेजी जाती थी। और ये परियोजनायें विशेषकर जो प्रायवेट सेक्टर से संबंधित थीं उनमें भ्रष्टाचार अवाध गति से चल रहा था। कागजों पर उनका खर्च, अनुसंधान, रिपोर्ट आदि सब बन जाती थी, काम बहुत कम होता था और ऐसा सुनने में आता था कि पैसे का लेनदेन भ्रष्टाचार के रूप में होता था। ऐसी ही बड़ी संख्या में परियोजनाओं के घपले मैने पूर्व में म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में भी उजागर किये थे अब यहां भी उसी तरह उजागर करने की पूरी तैयारी थी। उनके पत्र आ रहे थे तब भी डॉ. आलम लिख रहे थे कि जब पूछेंगे तब बतायेंगे।

## अग्र सोची सदा सुखी :-

कभी-2 कुछ ऐसी घटनायें घटित हो जाती हैं जो तात्कालिक रूप से महत्वहीन होती हैं किंतु बाद के जीवन के किसी पड़ाव पर उनका प्रभाव एवं महत्व अत्यधिक हो जाता है। मैं सहायक महानिदेशक बहुत ही कम उम्र में बन गया था, इसके साथ ही मुझे संचालक, संयुक्त संचालक पद पर कार्यानुभव था तथा देश भर के इन्हीं प्रबंधक पदों से ही प्रमुखतया उपमहानिदेशक एवं महानिदेशक बनने के अवसर रहते हैं। मेरे पास पूरे परिषद के वैज्ञानिकों की उपलब्धि थी जिनकी तुलना करने पर प्रबंधकीय पदों पर मेरी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां थीं। अनुकूल अवसर में मैं 1-2 वर्ष बाद ही उपमहानिदेशक के समकक्ष पद पर बैठ जाता (जैसे समकक्ष पद राष्ट्रीय निदेशक पर साक्षात्कार में बुलावा आ ही गया था) एवं बाद में पूरी 15 वर्ष की अवधि थी जिसमें मुझे महानिदेशक तथा भारत सरकार का सचिव बनने के पूरे अवसर थे। इसी बीच छोटे पद से पूर्व की सेवा काल का प्रौन्नति का भी अवसर दि.19.07.2000 आया जिसमें परिषद के निदेशक ( कार्मिक) ने विस्तार में लिखा था उसको संक्षेप में यहां दिया जा रहा है-

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली,
दिनांक 19.07.2000

प्रति,

निदेशक/परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/परिषद के ब्यूरो

विषय :- पदोन्नति योजना जो परिषद के कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के लिए बनाई गई-बावद्।

महोदय,

दिनांक 27.02.99 के पत्र से परिषद के वैज्ञानिकों के वेतनमान संसोधित किये गये हैं। इनमें पदोन्नति के लिए कहा गया था कि वह (परिषद) अपनी नियमावली बनाये जो शासन के सम्पर्क से हो और जो दिनांक 01.01.96 से लागू हुई। इस नियमावली की एक प्रति संलग्न है। इसके लिए एक प्रोफार्मा भी बनाया गया है, जो संलग्न है। अब उचित स्तर पर इस योजना के तहत पदोन्नति हेतु कार्यवाही शुरू की जा रही है और इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण भी करना है।

इस योजना को वैज्ञानिकों के बीच बांटा जाय और इस बावद् उचित कार्यवाही शुरू की जाय।

आपका सच्चा

(गया प्रसाद)

निदेशक (कार्मिक)''

यथार्थ रूप में यह पत्र ऐसा था कि मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं था क्योंकि इसमें पदोन्नति जुलाई 1998 से ही मेरी होती वह भी प्रधान वैज्ञानिक के पद पर जिसका वेतनमान 16400-22400 था जबकि मैं 15.01.98 से ही 17300-22400 के वेतनमान पर पहुंच चुका था। मेरे स्तर से इधर कहीं कोई ऐसी गल्ती की गुंजाइस भी नहीं थी जिससे यह थोड़ा भी आभास हो कि मुझे कोई नौकरी (सेवा) वावद् दण्ड भी मिल सकता है। शासकीय सेवा में 30 वर्ष व्यतीत करने के समय मैंने दोषियों को पकड़ा ही था और ऐसी कोई आशंका भी नहीं थी कि सेवा में कहीं कोई दण्ड मिले। चूंकि शासकीय सेवा के पूर्व भी मेरी हमेशाा यही प्रवृत्ति रही थी कि भ्रष्ट लोगों को दण्डित कराऊँ, इसलिए भी मैं नियमों में चौकन्ना रहता था। सामान्यतः मेरी प्रवृत्ति में ऐसा था कि नियमों का उल्लंघन करना अनुचित काम है। इन सबको देखते हुए दूर-दूर तक मेरे ऊपर शासकीय नियमों के तहत कार्यवाही होने की कोई आशंका का प्रश्न ही नहीं था। किंतु पूर्व के वर्षों में जब मैं म.प्र. विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में था तब मेरे ऊपर जांच बिना किसी कारण के लगा दी गई थी क्योंकि मैंने वहां के महानिदेशक एवं मंत्री के घपले पकड़े थे, और जांच पूर्णतयः उनके अनुरूप हो इसके लिए उन्होंने झूठे गवाहों, जांच अधिकारी आदि सब व्यवस्था भी कर ली थी। यद्यपि यह प्रकरण उच्च न्यायालय के हस्ताक्षेप से जांच पूर्ण के पहले ही खत्म हो गया था। इससे भी मुझे यह आभास हो गया था कि भ्रष्ट तंत्र इतना मजबूत होता है कि वह अपने भ्रष्टाचार उजागर करने वालों से बदला लेने के लिए ईमानदार को भी जांच में दोषी (जांच अधिकारी द्वारा) सिद्ध करा सकता है। इसके साथ यह बात भी उभरती थी कि इस पदोन्नति प्रधान वैज्ञानिक पद हेतु के साक्षात्कार जब चयन मण्डल में होगा तो मुझसे कनिष्ठ अधिकारी भी चयनकर्त्ता के रूप मे बोर्ड मे बैठ सकते हैं। सभी बातों को सोचते हुए यह बात मुझे जंच रही थी कि मैं आवेदन ही न करूं। किंतु मित्रों एवं परिजनों के कहने पर मैंने खुद सोचा एवं इस पदोन्नति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निश्चय कर इसका आवेदन भेज दिया। क्योंकि कब कैसी घटना



हो जाय यह मुझे इतने वर्षों की भ्रष्टाचार की लड़ाई में अनुभाव हो गया था। तदानुसार सर्वश्री राजेन्द्र सिंह पड़ौदा महानिदेशक, अनवर आलम उपमहानिदेशक तथा परिषद के अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अनीतिकारी कार्यवाही ने इस पद पर पदोन्नति को रोकने के लिए जो चालें चली वह परिषद के इतिहास में एक सबसे काले धब्बे के रूप में याद किया जायेगा। फिर भी बार बार कोर्ट केस, अपीलीय अधिकारी को दिये अभ्यावेदन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सेवा निवृत्त शिक्षक श्री राम रेखा निशंक आदि की प्रयत्न के कारण मुझे मिली पदोन्नति मेरा साथ दे गयी। अन्यथा बहुत छोटे पद पर ही मैं सेवानिवृत्त हो जाता।

## सबसे अमोघ अस्त्र गोपनीय चरित्रावली या वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन लेखन :-

अब वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (चरित्रावली) की बारी थी। इस बावद् मुझे पूर्व में निर्धारित प्रोफार्मा दिया गया था जिसे भरकर मैंने परिषद में प्रस्तुत किया था। इसके प्रोफार्मा के एक बिंदु जिसमें कठिनाईयों एवं इसके निराकरण का जिक्र रहता है उसे मैंने भ्रष्टाचार जो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था (जो मेरे रिपोर्टिंग एवं रिव्यू अधिकारी थे) का जिक्र करते हुए अपनी पूर्व प्रगति प्रस्तुत की थी। भ्रष्टाचार उजागर एक विषिष्ट कार्य होता था किंतु उसी में इन्हें पदस्थ पूर्व का मेरा अनुभव था कि जब-जब मैंने भ्रष्टाचार अपने रिपोर्टिंग एवं पुनरावलोकन अधिकारियों के उजागर किये तब-2 इन्होंने मेरा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वा. प्र. प्र.) खराब किया। चाहे भले ही मेरे द्वारा उजागर किये गये घपलों को विधानसभा समिति या लोकायुक्त ने भी सही पाया। इसी कारण यहां भी पूरी आशंका थी कि मेरा प्रतिवेदन जो मैंने जमा किया है वह डॉ. आलम उपमहानिदेशक एवं डॉ. पड़ौदा के समक्ष जायेगा तो वे इसे खराब ही लिखेंगे। यह आशंका निर्मूल नहीं थी और यह दि. 19.07.2000 को सच्चाई के रूप में उनके द्वारा मेरे समक्ष लाई गई जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ऐसा निम्नलिखित मेमो मुझे मिला-

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 19.07.2000

**स्मरण पत्र ( मेमोरेंडम )**

सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प्र.), डॉ. एस.एस. तोमर के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1998-99 में निम्नलिखित अवलोकन बिन्दु पाये गये जिन्हें उसे सूचित किया जाता है - **खण्ड ( पार्ट )**-III

### ( अ ) कार्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता

1. कोई उपलब्धि नहीं, अति रंजित प्रस्तुत किया गया है। कई उपलब्धियां सूचना प्रणाली वालों के साथ मिलाकर हैं। उसे मुख्य जिम्मेवारियां यथा वार्षिक रखरखाव, संदर्भ एवं ग्राहता परीक्षण की दो जिम्मेवारियां कम्प्यूटर उपकरणों हेतु इसे दी गई थीं। दोनों ही प्रकरणों में परिणाम खराब रहे।

2. **कार्य की गुणवत्ता :-** अति सक्रिय, वहिर्मुखी कार्य की निपुणता स्तर तक नहीं है, ज्यादातर उच्चाधिकारियों पर कार्य छोड़ दिया जाता रहा है। कार्यवाही प्रदर्शनात्मक रहती है, ज्यादातर अंतिम परिणाम में भुलक्कड़ी करता है।
3. **कार्य परिधि का ज्ञान :-** कार्य पूर्व की कोई पृष्ठभूमि नहीं, कार्य करके सीखने की पद्धति से अपना पद बनाये हैं। अपने वैज्ञानिक उत्कृष्ठता के लिए नहीं जाने जाते। तकनीकी टिप्पणियों ज्यादातर खराब स्तर की हैं।

## ( ब ) वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्तरीय उपलब्धियां

औसत से नीचे, पूर्व परियोजनाओं के कम्प्यूटरों का सर्वेक्षण कराया था उसे चुनौती दी गई। आंकड़े हाथ में न होते हुए भी सारांश के लिए आगे कूदने की प्रवृत्ति उसके साथ ही बलपूर्वक उसका आश्रय लेता है।

## ( स ) विशेषतायें

1. खुद के रुचि वाले कार्यों में समर्पित जो वैज्ञानिक कारणों से नहीं हैं।

वह अवसरों को उपयोग करने के लिए शुरुआत कर सकता है। अपने कार्यों को ठीक से करने के लिए मैं इसमें कोई आभाश नहीं देख रहा हूँ न ही कोई संगठित प्रयत्न देख रहा हूँ। सलाह देने का उस पर कोई प्रभाव नहीं है।

i. दिये गये कार्य में - कभी विरले ही काम करता है, पसंद न पसंद का मार्गदर्शन मांगता है एवं नकचढ़ा है।
ii कार्य देखने के लिए उचित व्यक्ति की खोज - औसत से नीचे
iii. कार्य की समीक्षा - कभी कभार कठोरता से अन्यथा दूसरों पर कार्य सौंप देता है।
iv. कार्य सम्पन्न करने में मार्गदर्शन - औसत से कम

### 3. समन्वयन की योग्यता :-

औसत से कम, पसंद न पसंद पर अपने मन के अनुरूप मार्गदर्शन मानना अपने साथ औरों को लेने में नाकाम।

### खण्ड-IV-सामान्य

1. **सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति-** अच्छा, शारीरिक रूप से ठीक, मानसिक रूप में अप्रत्यासित उत्तर मिलता है।
2. **सामान्य मूल्यांकन -** मेरा कार्यालय इसके सभी रूटीन कागजों से भरा-अटा रहता है। किंतु संवादशील मामलों में वह बिना अनुमति के पत्राचार करता है। इसकी कार्यशैली खिंचाई करने की है। वह दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है।

### खण्ड-V-

डॉ. तोमर का कार्य संतोषजनक नहीं है। वह पूर्णतयाः भ्रम में रहता है, कार्य को टाल कर देर करता है, जिम्मेवारियों से दूर भागता है एवं कार्यालयीन कार्य में सभी को संदेह में रखता है।



इस संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना है कि उपरोक्त वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दिये गये बिंदु जो वर्ष 1998-99 के लिए हैं, विपरीत प्रविष्ठियां भेजी गई हैं। इसलिए यदि डॉ. सदाचारी सिंह तोमर कोई अभ्यावेदन प्रविष्ठियों के बारे में देना चाहते हैं तो वह इसकी प्राप्ति के एक माह के अंदर दे सकता है।

इस पत्राचार की पावती दी जाने की कृपा करें।

(गया प्रसाद)
निदेशक (कार्मिक)''

**तथ्यः-** इस पत्राचार से भी स्पष्ट है कि मेरी वैज्ञानिक उपलब्धियों को पूर्व की पृष्ठभूमि लेते हुए भी लिखा था कि वे अज्ञान हैं। जबकि इन सभी को मालूम था कि देश भर के वैज्ञानिकों में मैं एक मात्र वैज्ञानिक था जिसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति जी ने सर्वोत्तम अनुसंधान के लिए ***''भारत के राष्ट्रपति का पुरुस्कार' से 'इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस'' में दो बार पुरुस्कृत किया है।*** यही नहीं इसी वर्ष (1998-99) में इन्हीं दोनो रिपोर्टिंग एवं रिव्यू अधिकारियों ने मेरी 650 पृष्ठीय इंजीनियरी पुस्तक का न केवल विमोचन किया था बल्कि उसकी प्रशंसा में नोट-टीप लिखी थी।

यह पुस्तक एक कृषि इंजीनियरी की डायरेक्ट्री थी, हैण्ड बुक थी जो 'इयर बुक' या 'डाटा बुक' के रूप में एक विशिष्ट उपलब्धि थी, जो कि 10 वर्षों बाद निकली थी और आगामी 10-20 वर्षों बाद तक चलनी थी। यह एक ऐसा प्रयत्न था जो देश भर के लिए एक माडल था। इस कार्य के लिए इस वर्ष मुझे राष्ट्रीय पुरूस्कार भी मिला था। फिर भी इन दोनों ने मेरे तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपलब्धि को जो देश भर में उत्कृष्ठ थी जिसे इन्होंने भी लिखित में माना था, इसके बावजूद भी काम को ''औसत से भी नीचे'' का काम लिखा। यहीं इन्होंने यह भी लिखा कि कम्प्यूटर घपलों से संबद्ध जो भ्रष्टाचार के सर्वे मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, किंतु न्यायालय में चुनौती देने वाला इसी के कारण हार गया, यह नहीं लिखा। यह भी लिखा कि आंकड़े हाथ में न होने पर भी तथ्यों के लिए कूदने की प्रवृत्ति है जबकि इन्हें न केवल सच्चाई ज्ञात थी कि मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के खुलासे के दिये गये आंकड़े 100 प्रतिशत सही थे बल्कि इसी के आधार पर पूर्व प्रभारी सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर) डॉ. सक्सेना को निलंबित कराने के लिए इन दोनों (डॉ. पड़ौदा एवं डॉ. आलम) ने तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री श्री सोमपाल एवं कृषि मंत्री तथा प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी की ओर मेरे यही आंकड़े देकर उसे जांच कराकर नौकरी से हटाने की व्यवस्था की थी जिसमें उन्हें निलंबित कर जांच लगाई गई थी। फिर भी यहां उस पर संशय प्रगट किया एवं प्रगति प्रतिवेदन खराब किया। भ्रष्टाचार उजागर की बात को इन्होंने संवेदनशील मुद्दे बिना स्वीकृति के आगे पत्र लिखने की बात तो इन्होंने यहीं लिखी, किंतु यह नहीं लिखा कि मैंने भ्रष्टाचार की मिलती हुई शिकायतों की फेहरिस्त देकर यह लिखता रहा कि इन पर कार्यवाही हो, वेंडर्स को दण्ड दिया जाय, उससे घपलों की फेस-I की बड़ी राशि तथा रू. 5 करोड़ की वर्तमान फेज-II में दण्ड राशि लेकर

नियमानुसार कार्यवाही की जाये। किंतु इन दोनों (डॉ. पड़ौदा एवं डॉ. आलम) के जूं तक नहीं रेंगी, तब मैं नियमानुसार ही बिना इनकी स्वीकृति के भ्रष्टाचार निवारण के लिए मुद्दे आगे बढ़ाये। इन्होंने खिंचाई की अनुभूति का जिक्र यहां किया पर यह नहीं लिखा कि इसको अपनी खिंचाई ये क्यों मान रहे थे। यह राशि तो वेंडर्स से वसूलनी थी। हां यह अवश्य था कि जब वे दण्ड भरते तो इनको भ्रष्टाचार की राशि इन्हें क्यों देते। दोषारोपण की बात तो लिखे किंतु यह नहीं लिखा कि इन दोनों ने ही मिलकर नियमों को ताक में रखते हुए इन फर्मों को बिना 'बेंचमार्क' किये क्रय आदेश दिये, उस फर्म को क्रय आदेश दिये जो स्पर्धा से बाहर रहती (यदि नियमों को या बेंचमार्क को माना जाता)।

अपनी देशी फर्म ठीक थी फिर भी बहु उद्देशीय कम्पनी (Multinational Company) को जिसकी आधारभूत संरचना (Inrfastructure) भी नहीं था, को आदेश दिया। यह नहीं बताया बल्कि दोषारोपण की बात लिख दी। इसी तरह मुझे लिखा कि मैं सभी को संदेहात्मक दृष्टि से देखता रहा किंतु यह नहीं लिखा कि जो संदेह वाले वे नाम लिखते हैं वह वास्तविकता थी, तथ्यात्मक था। लगभग सभी तो भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धो रहे थे।

इन सभी बिंदुओं पर मैंने तथ्यात्मक जवाब (इस मेमोरण्डम का स्मरण पत्र) देकर, मंत्री श्री नितीश कुमार को अभ्यावेदन दिया किंतु जब ***''बाड़ ही खेत खा रही थी''***तो खेत का रक्षक कौन होगा यह मुझे ज्ञात था। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जब मुझ जैसे पदाधिकारियों का लिखा जाता है तो नियम है कि यदि घपलों को उजागर किया गया है तो इस विशिष्ट काम को जोर देकर लिखा जाय। किंतु यहां तो मैं जो घपले उजागर कर रहा था उसमें तो रिपोर्टिंग आफीसर, रिव्यूइंग आफीसर तथा अपीलीय अधिकारी के ही तो थे फिर कैसे उसमें वे सही लिखते और अपने आप को भ्रष्ट कहते।

मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गल्ती कहीं भी पकड़ में नहीं आ रही थी और मुझे ये निकाल देना ही एक विकल्प सोच रहे थे जिससे अवाध रूप से भ्रष्टाचार चलता रहे और इनकी बहु-उद्देशीय कम्पनी भी खुस रहे। अतः इनके हाथ में पूर्णतयः मेरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को अवैध रूप से खराब करने का मौका था। इसमें भी कुछ जांच बैठाकर उस जांच से कुछ बिंदु विपरीत निकालकर मुझे नौकरी से अलग करना चाह रहे थे। इसी लिए पूर्णतया झूठी प्रगति लिखी एवं इस खराब (विपरीत) बताकर कार्यवाही की ओर अग्रसर हो रहे थे। 'चौकड़ी' का सोचना था कि इतनी मेहनत करके रू. 1000 करोड़ की परियोजना बनाकर विश्वबैंक से राशि ली है, यदि इसमें घपलों से राशि न कमाई गई तो परियोजना बनाने में लगी इतनी ज्यादा मेहनत उनके लिए निरर्थक हो जायेगी। यदि भ्रष्टाचार की राशि की कमाई न हुई तो उनके सचिव एवं महानिदेशक या मंत्री बनने का क्या फायदा, इससे अच्छा होता कि वे प्रयोगशाला में अनुसंधान करते। या मंत्री की जगह गांव-शहर के अपने काम में लगे होते। इसी गलत रिर्पोटिंग को आधार बनाकर इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया जबकि इसकी अपील का निराकरण भी नहीं होने दिया। साथ ही बाद में जांच अधिकारी के रूप में कम्प्यूटर उपकरण प्रदाय व्यक्ति, संस्था से संबंधित अधिकारी आदि व्यक्तियों को मेरे विरोध में जांच अधिकारी बनाकर इस्तेमाल किया।



कहीं-2 तो संस्था के निदेशक एवं योजना के प्रभारी, वेंडर्स से मिलकर घपले करते थे फिर भी कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी को इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती थी। प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों में कुछेक को सत्यापित करके मैं दण्डात्मक कार्यवाही कराता था। इसी तारतम्य में मैं जहां भी अन्य कार्य से भी भ्रमण का अवसर मिलता था, कार्य पूर्ण करने के उपरांत बचे समय में उसी शहर में स्थित अपने कम्प्यूटर केन्द्रों से प्राप्त शिकायतें देख लेता था, ऐसे एक लखनऊ केन्द्र की शिकायत का सत्यापन कर दि.17.07.2000 को दण्डारोपण कर इन्हें प्रस्तुत किया था। इस वेंडर के दण्ड की पीड़ा डॉ. आलम को हुई थी, अतः दि.20.07.2000 को उन्होंने लिखा-

''प्रिय डॉ. तोमर संख्या-भ्रमण रिपोर्ट दि. 20.07.2000

मुझे तुम्हारा दि.17.07.2000 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें तुमने दि.15.07.2000 को लखनऊ भ्रमण बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तुम्हारा भ्रमण केवल आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 'प्रबंधक मण्डल' की बैठक हेतु मात्र स्वीकृत हुआ था जिसके बारे में तुमने कुछ बात नहीं बताई। तुम अपने आप कम्प्यूटर केन्द्र जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से जुड़ा है का भ्रमण किया जो स्वीकृत भ्रमण कार्यक्रम का उल्लंघन है। जो तुम्हारे अपने एजेंडे के लिए है जिसमें तुमने कम्प्यूटर की विशिष्ट क्रम संख्या न लेते हुए उसकी समस्या तथा अन्य विवरण दिये हैं। यदि यह कम्प्यूटर केन्द्रों की शिकायतें हैं तो एक बयान जिसमें कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी तथा निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के हस्ताक्षर कराकर ही मान्य होगी। मुझे तुम्हारे बयान गंभीर शंकावाले दिखते हैं।

आदर सहित,

तुम्हारा सच्चा (अनवर आलम)

उपमहानिदेशक (कृषि इंजीनियरी)

भारतीय कृषि अनंसंधान परिषद, नई दिल्ली''

**तथ्य :-** कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी बनाये ही इसलिए गये थे कि वे अपने कम्प्यूटर जो मुख्यालय दिल्ली से आये थे उनकी समस्याओं को मुख्यालय को बताकर उन्हें ठीक कराये किंतु अब इसमें 'चौकड़ी' ने चालबाज नीति अपनाकर कहा था कि दोनों (केन्द्र प्रभारी तथा निदेशक) मिलकर समस्यायें मुख्यालय भेजें। इससे तात्पर्य यह था कि सामान्यतः वेंडर निदेशकों से मिलकर भी भ्रष्टाचार करते थे क्योंकि ऐसा 'चौकड़ी' चाहती थी अतः वे गड़बड़ी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे और कम्प्यूटर के प्रभारी को चुपचाप रहने को कहेंगे। वेंड़रों से कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी, निदेशक एवं जिन्हें उपकरण दिये जाते थे उनकी साठगांठ रहती थी। उदाहरण हेतु गन्ना अनुसंधान संस्थान में रू. 6 लाख का दण्डारोपण वेंड़र पर करना था तो तात्कालीन प्रभारी निदेशक एवं कम्प्यूटर प्राप्त कर्त्ता के रूप में श्री यस.आर मिश्रा को दोनों ही (तकनीकी एवं अनुसंधान) परियोजनाओं की इन गड़बड़ियों को परिषद के समक्ष लाना या सीधे वेंडर से वसूली कारवाई करनी थी जो उन्होंने नहीं की थी। डॉ. आलम के इस पत्र के ऊपर ही इनका उत्तर मैंने लिखकर तुरंत प्रस्तुत किया जो इस प्रकार था-

''टायपिस्ट की सभी सुविधायें छीन ली गई हैं, कृपया देखें। जहां की भ्रमण अनुमति आज दिये वहां के एरिस सेल देखें क्योंकि भ्रमण उद्देश्य का कार्य पूर्ण होने के बाद खाली समय था। विश्वविद्यालय (जहां का भ्रमण था) का विस्तृत विवरण जब कमेटी की बैठक की अंतिम रिपोर्ट आयेगी तब मिल जायेगा। कुछ चर्चायें जो मिनिट्स में निकलेंगी वह आने पर आपको दी जायेंगी। भ्रमण का कानून तोड़ने (Violation) का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उनके भ्रमण पर मैं अपने एरिस सेल उसी अवधि में देखकर भ्रष्टों को दण्डित करने की कार्यवाही कर रहा हूँ। ऐरिस सेल (कम्प्यूटर केन्द्र) के कम्प्यूटर उपकरणों में शिकायत के प्रकरण (जो वहां से पूर्व में मिला था) को ही मैं सत्यापित (Validate) करने गया था। शिकायतों या विवरण जो आते हैं वह एरिस सेल प्रभारी या वहां के कम्प्यूटर वैज्ञानिक, उपयोगकर्ता भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजनाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और शिकायतें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तक आपके माध्यम से भेजी गई थीं। अब इन्हें निदेशक, उपमहानिदेश या महानिदेशक के माध्यम से लेने की नई प्रक्रिया अपनानी हो तो वह मार्गदर्शन करें। वेंडर्स की गल्तियाँ उनसे सुधरवाने तथा नियमानुसार दण्ड लेने पर हमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ''गम्भीर संदेह'' को स्वतः देखकर कार्यवाही करलें। इस पत्र से कम-से-कम यह निर्धारित तो हो गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की कम्प्यूटर नेटवर्क के उपकरणों की शिकायत आप तक पहुंच रही है। इसका दण्ड तथा दुरस्ती की अब आपकी भी जिम्मेवारी है। विश्वविद्यालय के प्रबंधन मण्डल से संबंधित पूर्ण बैठक का कार्यवृत आने पर आपको प्रस्तुत किया जायेगा।

आदर सहित

(सदाचारी सिंह तोमर)

दिनांक 24.07.2000 सहायक महानिदेशक (कम्प्यूटर)

भा.कृ.अ.प., दिल्ली

प्रति,

डॉ. अनवर आलम, उप महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., दिल्ली''

यहां यह जिक्र करना उचित होगा कि फेज-1 (प्रथम खरीदी) के कम्प्यूटर घपलों को जो मैंने पूर्व में उजागर किया था उस समय निदेशक एवं परियोजना समन्वयक डॉ. एस. आर. मिश्रा थे एवं फेज-।। (वर्तमान) में निदेशक डॉ. एच.एन. शास्त्री एवं परियोजना निदेशक डॉ. एस. आर. मिश्रा थे। दोनो ही फेज में कम्प्यूटरों में घपले हुए थे और डॉ. एस.आर. मिश्रा को कम्प्यूटर दिये गये थे एवं इन्होंने त्रुटियों को छुपाया था। इसके कारण इनके ऊपर कार्यवाही करने की टीप भी मैंने की थी। स्वाभाविक था कि इन कारणों से वे मुझसे वैमन्स्य मानते थे। ये मेरे कनिष्ठ अधिकारी थे एवं एक तरह से मातहत थे। वर्षों बाद जब मेरे ऊपर विद्वेशवस श्री नितीश कुमार मंत्री ने चौकड़ी के सहयोग से जांच चलाई और जांच अधिकारी ने मुझे पूरी तरह निर्दोश पाया तब भ्रष्ट चौकड़ी ने बदला लेने की चाल चली और इस षडयंत्र में इसी डॉ. एस.आर. मिश्रा को लखनऊ से बुलाया, मेरा जांच अधिकारी



बनाया, उसे एक नया पद देकर उपकृत किया। फलस्वरूप इस डॉ. मिश्रा ने जब मैं मेडिकल अवकास पर था तब नियमों के विरोध में जाकर एक पक्षीय जांचकर मुझे दोषी घोषित किया। इसने न केवल कनिष्ठ रहकर जांच की, जांच के समय अवसर प्रस्तुति साक्ष्य का कूट परीक्षण का अवसर न देकर तथा सभी नियमों के विपरीत जाकर मेरे विरोध में रिपोर्ट दिया था। इसमें मंत्री नितीश कुमार ने षडयंत्र कर अपने द्वारा पूर्व में कराई गई जांच की रिपोर्ट जो डॉ. किरन सिंह ने दी थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी और चाहा था कि अन्य षडयंत्रों से और दूसरी जांच हो। कालातीत में जब मेरे ऊपर लगाई जांच में इनके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी सच्चाई से रिपोर्ट दी एवं इसने मुझे दोषरहित साबित कर दिया तब इन घपलाकारों को जिन संस्थानों आदि को मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया था उन अधिकारियों को मेरा जांच अधिकारी बनाकर पुनः मेरी जांच कराई एवं मुझे दोषी ठहराया।

## किसी तरह दोष ढूढ़ना :-

मुझे फंसाने के चक्कर में मेरे कार्यालयीन काम में त्रुटि ढूंढ़ते थे, मेरी त्रुटियां तो मिलती न थी लेकिन 'चौकड़ी' को ले-देकर आगे पीछे उनके खुद के भ्रष्टाचार के ही चक्कर सामने आ जाते थे। ऐसे में मेरी त्रुटियां वे अन्य प्रोफेसनल या व्यक्तिगत कार्यक्रम में ढूंढ़ रहे थे, जिसका जिक्र कर वे मुझे पद से हटाने में कर सकें या उसे बहाना बनाकर आधार बना सकें। इसी तारतम्य में डॉ. आलम जो वर्तमान में भारतीय कृषि इंजीनियरी सोसायटी (भा.कृ.इं.सं.) के अध्यक्ष ने वर्षों पूर्व जब मैं भा.कृ.इं.सो. की डायरेक्ट्री 'आरेंज बुक' तैयार किया था एवं पूर्व में इसकी भोपाल शाखा का अध्यक्ष था, तब के खर्चे के विवरण आदि को खंगालते हुए पुनः दि. 20.07.2000 को पत्र लिखा-

''प्रिय डॉ. तोमर क्र. 65 दिनांक 20.07.2000

मेरे पत्र दिनांक 13.07.2000 का तुम्हारे द्वारा दिया गया उत्तर पुनः गोलमाल है, तुमने भारतीय कृषि इंजीनियरी सोसायटी की ओर से जो 'आरेंज बुक' के लिए राशि जुटाई है उसके बारे में चाहा गया विवरण नहीं दे रहे हो।

तुम्हारा सच्चा (अनवर आलम)

अध्यक्ष भा.कृ.इं.सो.,नई दिल्ली-110008

प्रति,

स.सि. तोमर, सहायक महानिदेशक, दिल्ली''

उसी पत्र के ऊपर मैंने उत्तर लिखकर उसी दिन उन्हें भेजा-

''आरेंज बुक' के लिए जो भी फण्ड श्री राय तथा अन्य सभी सह-लेखकों के प्रयत्न से एकत्रित हुआ था वह-सब चेक के रूप में लिया गया था, वह पासबुक में जमा हुआ होगा, जिसका पूर्ण विवरण श्री राय के पास उपलब्ध होगा। विवरण उत्तर पत्र दिनांक 10.07.2000 देखें। विवरण जिसके पास होना चाहिये (जार्च जिसने लिया) उसी के पास

होगा न कि मेरे पास। संतोष के लिए उनसे स्पष्ट पूंछें एवं आडिट रिकार्ड देखें तथा चाहे तो मुझे वहां भेजें जिससे मैं विवरण लाऊं।

(स.सि. तोमर) 30.07.2000

सहायक महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. दिल्ली

प्रति,

डॉ. अनवर आलम, अध्यक्ष भा.कृ.इं.सो., दिल्ली ''

**तथ्य :-** वे वास्तविक रूप से राशि की कुछ हेरा-फेरी देखना चाह रहे थे, अतः जब मैंने लिखा कि यदि आदेशित करें तो मैं भोपाल जाकर पूर्व का पूर्ण विवरण लाऊं तो डॉ आलम पकड़ में आ गये कि अब तो विवरण भी आ जायेगा तो इसके खिलाफ कुछ लिख भी नहीं सकेंगे, अतः मुझे नहीं भेजा, जिससे पूर्व में अरेंज बुक बनाने के उस मद में मेरी खुद की खर्च रू. 10000/- की जो राशि शेष है भी देनी पड़ेगी। बाद में भी यह राशि इन्होंने मुझे नहीं दी। यद्यपि कहते रहे कि मेरे द्वारा इस मद में खर्च राशि जो वर्षों से पड़ी वह वापस कर देंगे।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से बहुत सारे दस्तावेज मिले, जिनमें वर्तमान का यह दस्तावेज जिससे प्रधानमंत्री जी को लिखे मेरे पत्र एवं उनके संलग्नकों पर टीप चौकड़ी की तरफ से बनाई गई कितनी गलत थी एवं झूठी (असत्य) जानकारी दी गई इन पर विवरण पत्रवार यहां दी जा रही है, ऐसा इसलिए किया गया था कि घपले छुपे रहें हैं।

## सूचना अधिकार अधिनियम से महाझूठ का खुलासा :-

दिनांक 27.07.2000 को श्री कन्हैया चौधरी अवर सचिव, परियोजना समन्वयन इकाई की एक टीप जारी हुई थी, जिसमें मेरे पूर्व के पत्र दिनांक 10.04.2000 जो कृषि मंत्री एवं राज्य मंत्री को दिया गया था, पर विवरण (मत) जो मांगा गया था, दिया गया। कई बिंदुओं पर पहले चौकड़ी ने अपने मत बनाकर रखे थे, इसमें क्या-क्या बदमासी थी, कैसे झूठे विवरण दिये गये थे, यह यदि सूचना अधिकार अधिनियम न आता तो यह झूठ भी दफन हो जाते। कैसे-2 हथकण्डे अपनाकर झूठ का मुलम्मा चढ़ाकर कैसे अपने चहेते मंत्रियों को दे दिया जाता था और वह बिना चू-चपड़ के इसे ग्राह्य करते थे। कैसे मिली-भगत से मंत्री, सचिव आदि मिलकर भ्रष्टाचार करते थे। यह अंदरूनी बातें मात्र सूचना अधिकार अधिनियम से ही प्राप्त हो सकीं। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि दि.15.05.2000 को ''द इंडियन एक्सप्रेस'' समाचार एवं आगे अन्य अखबार श्रृंखलायें जिनमें भ्रष्टाचार परिषद में कैसे हो रहा है यह बताया गया (प्रकाशित) था, नहीं छपता तो इसके स्पष्टीकरण की औपचारिकता भी नहीं की जाती। यह मेरा पत्र दि.10.04.2000 का था, जो कृषि मंत्री को संबोधित था और इसकी प्रतिलिपि कृषि राज्य मंत्री को दी गई थी। इस पत्र में मैंने बताया था कि करोड़ों रूपयों के भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण 27.01.2000 के आदेश (जो बिना मंत्री की अनुमति से लिखा था) से मेरी निर्धारित ड्यूटी (कार्य) से मुझे हटा दिया गया है। इसमें तुरंत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था। यह पत्र वहां बहुत दिनों तक पड़ा रहा।



दिनांक 26.06.2000 को कृषि राज्य मंत्री के सहयोगी ने लिखा कि ''कृषि राज्य मंत्री चाहते हैं कि इसकी जांच की जाय और स्थिति से उनको अवगत करा दिया जाय। भला हो अखबारों का जिन्होंने भ्रष्टाचार के समाचार को अच्छी तरह छापा था। इसी कारण मंत्री जी को कुछ-न-कुछ औपचारिकता करनी ही थी। अतः यह पत्र टीप के साथ महानिदेशक डॉ. पड़ौदा के पास गया। जहां से यह दि.28.06.2000 को डॉ. आलम उप महानिदेशक तथा डॉ. गौतम निदेशक को इंगित किया गया। इन्होंने दि. 02.07.2000 को हस्ताक्षर कर श्री कन्हैया चौधरी अवर सचिव के पास भेजा। जहां 'चौकड़ी' ने इच्छानुसार उत्तर बनाये एवं दिनांक 27.07.2000 को अन्य बातों एवं पत्रों को परिशिष्टों को संलग्न करते हुए झूठी-मूठी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की। इस दि. 27.07.2000 को लिखे पत्र में कुछ ऐसा था -

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लालबहादुर शास्त्री बिल्डिंग, पूसा नई दिल्ली-110012

**विषय :-** कार्य (कर्तव्य) की पुनः बहाली बावद् (ड़ा.सदाचारी सिंह तोमर, सहायक महानिदेशक-कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के संदर्भ में )

**संदर्भ :-** डॉ. सदाचारी सिंह तोमर सहायक महानिदेशक द्वारा माननीय कृषि मंत्री एवं कृषि राज्य मंत्री को लिखा गया पत्र दिनांक 10.04.2000 ।

कृषि राज्यमंत्री के कार्यालय से उपरोक्त संदर्भित पत्र जो कृषि राज्य मंत्री जी की जानकारी हेतु परीक्षण कर प्रस्तुत हैं। संदर्भित पत्र के साथ के सभी संलग्नकों को पूर्व में ही परीक्षण कर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। उन्ही की प्रतियां कृषि राज्य मंत्री जी की जानकारी हेतु परिशिष्टों में दी जा रही हैं (परिषिष्ट-I, II, III,IV एवं V)। यहां यह बताना समाचीन होगा कि डॉ. यस.यस. तोमर को मात्र राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना (रा.कृ.त.प.) के कार्य से ही सक्षम अधिकारी द्वारा हटाया गया हैं। तथापि वह सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प) पद पर कार्यरत हैं एवं परिषद के काम को देख रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) भा.कृ.अ.प. सूचना विकास प्रणाली के हिस्से के लिये नोडल अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय निदेशक रा.कृ.त.प, उपमहानिदेशक (इंजीनियरी) को उचित कार्यवाही करने हेतु भेजने के पूर्व देखे एवं ग्राहय करें।

(कन्हैया चौधरी)

27.07.2000

राष्ट्रीय निदेशक

(हस्ताक्षर)

27.02.2000

उपमहानिदेशक (इंजी.)

करेक्शन हो गया दिनांक 11.8.2017

माननीय कृषि राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व महानिदेशक इसे देखे एवं अग्रेषित करें। डॉ.तोमर अभी भी सहायक महानिदेशक (कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली) है एवं लगातार इस पद का वेतन ले रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त कार्य के रूप में जो सूचना विकास प्रणाली का (रा.कृ.त.प) का काम दिया गया था उससे अलग किया गया है। दुखद बात यह है कि वह अपना सहायक महानिदेशक (कृ.अ.सू.प.) का कार्य नही देख रहे।

(अनवर आलम) 10.08.2000

महानिदेशक

**तथ्य :-** महानिदेशक कार्यालय से यह नस्ती दि.16.08.2000 को दर्ज हुई। उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट हैं कि चौकड़ी (सर्व श्री.पडौदा, आलम, गौतम तथा कन्हैया) का प्रत्येक सदस्य इस बात पर जोर दे रहा था कि मैं अभी भी सहायक महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहा हूँ और वेतन लगातार ले रहा हूँ। और उनके पूर्व में भी कई अवसरो में कहा कि मैं पद पर रहते हुए वेतन लेता रहूँ, और इनके कुकृत्यों पर हस्तक्षेप न करूं। तब भी मैने इन्हें बता दिया था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूगां एवं जब-तक यहां हूँ सतत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करता रहूँगा। परिषद में भ्रष्टाचार बढ़ाने की यही पद्यति अपनाई जाती हैं। यहीं मात्र नहीं सम्बद्ध संस्थाओं में भी यही परिपाटी है कि यदि आप भ्रष्टाचारी व्यक्ति नहीं है, तो चुपचाप बनें रहो और वेतन लेते रहो। वर्षो बाद जब यही प्रक्रिया से मुझे पुनः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से गुजरना पड़ा तब तक मुझे अन्य ज्ञान भी हो चुका था। तब मै माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ वाद दायर किया था कि मुझे वेतन तो दिया जा रहा है किंतु कार्य नही दे रहे जो 'मूल अधिकारों' का हनन हैं। इस पत्र में झूठा लिखा गया था कि मुझे मात्र रा.कृ.त.प. से हटाया गया है। यह भी गलत लिखा गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा हटाया गया। मुझे दिनांक 27.01.2000 के कार्यालयीन आदेश से (बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के) मासिक समीक्षा समिति के सदस्य सचिव पद से हटाया गया था। यह समिति देशभर मे फैले 437 (वर्तमान के) एवं 321 (फेज-1) के कम्प्यूटर केंद्रो की समीक्षा करती थी। इस तरह यह कहना कि यह मात्र रा.कृ.अ.प. से हटाया गया गलत था। इसी तरह सक्षम अधिकारी (अध्यक्ष भा.कृ.अ.प.) ने चयन मंड़ल से चुने जाने पर ही मेरी नियुक्ति की एवं ड्यूटी में यह निर्धारित किया था कि मैं समीक्षा बैठकों तथा सूचना प्रणाली के टीम के सचिव के रूप मे काम करूंगा साथ ही साथ देशभर में अंतर संस्थाओं का समन्वयन करूंगा। ये सभी काम मेरी ड़यूटी के अर्न्तगत अध्यक्ष ने दिये थे और इन्हें छीनकर चौकड़ी अपने पत्र मे लिख रही हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा ये छीने गये हैं। क्या महानिदेशक एवं सचिव डॉ. आर.एस.पड़ौदा, स्वयं कृषि मंत्री (परिषद अध्यक्ष) बन गया था जो उसने यह आदेश पारित कराया था। तभी तो यह चौकड़ी लिख रही थी कि आदेश सक्षम अधिकारी के थे। सभी तकनीकी समितियों की अध्यक्षता मुझसे छीनने एवं इन्हें मेरे अधीनस्थ सभी कर्मचारी डॉ. ए.के.जैन को देने का अधिकार डॉ. पडौदा या इस चौकड़ी को था। यह बिलकुल ही उसकी सीमा से बाहर था।



श्री. कन्हैया चौधरी का यह पत्र जिसको चौकड़ी ने आगे भिजवाया उसमे जो मत देते हुए परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V दिये हैं उनका विवरण और सही मत दिये जा रहे हैं (नियमों में लिखी बात के साथ)।

यह जो परिशिष्ट I-III तक जोडे गये थे वह इन्होने प्रधानमंत्री जी को मेरे पत्रों के संदर्भ में तथ्यों के रूप मे प्रस्तुत किया था। जिसे मंत्री नितीश कुमार के माध्यम से प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के लिये था। ***इसका मतलब था न केवल चौकड़ी धोखा दे रही थी, बल्कि कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार भी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी को धोखे मे रख रहे थे।*** यहाँ यह बताना उचित होगा कि झूठे मत के साथ भ्रष्टाचारी लोग मंत्री, प्रधानमंत्री को कुछ भी मत या अभिप्राय दे देते हैं और मंत्री तथा प्रधानमंत्री इन्हें मान लेते हैं, यह गलत हैं। होना यह चाहिये कि ये जो मत सचिव या भ्रष्ट अधिकारी जिन पर आरोप हो उनसे मिलने के बाद इसमें उस अधिकारी का मत लेना चाहिये जिसने घपले पकड़े हैं, जिससे वास्तविकता सामने आये। वर्तमान प्रकरण मे मंत्री, प्रधान मंत्री, मुख्य सर्तकता आयुक्त आदि के पास इन भ्रष्टों के जो मत गये हैं वही सच मानकर निर्णय के लिये उपयोग मे लाये गये। कौन अधिकारी अपने आप को लिखेगा कि वह स्वयं भ्रष्ट हैं।

इस तरह अब चौकड़ी द्वारा दिये गये परिशिष्टों का विवरण तथा उसकी समीक्षा यहां प्रस्तुत है, जिसे इन्होंने परिशिष्ट I-V तक इस नोट में जोड़ा है। इन परिशिष्टों को (जिन्हें उन्होंने पूर्व के पत्रों के जवाब के रूप में बनाया था) उन्हीं की भाषा में देकर उनमें दी गई गलत जानकारी को नियमानुसार सही जानकारी प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया गया है कि कैसे-कैसे भ्रष्टाचार के दण्ड से बचने के लिए भ्रष्ट लोग लच्छेदार भाषा के प्रयोग करने के साथ ही तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जवाब प्रस्तुत करते हैं। और ऊपर का मंत्री यदि उनसे मिला हो तो वह बिना चूं-चपड़ किये प्रधानमंत्री की ओर यह जवाब बढ़ा देता है और भ्रष्टाचार में ***'एक तो खाज ऊपर से कोढ़'*** या **''एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा''** वाली बात चरितार्थ होती है। प्रधानमंत्री जी को ऐसे भ्रष्टाचार वाले प्रकरण के स्पष्टीकरणों को पढ़ने का समय तो होता नहीं, फिर बड़े-बड़े पत्रों के द्वारा और नियम अधिकारियों के बारे में (बिना उनको संलग्न किये) जब पत्रों में जिक्र होता है और वह भी उनके अधीनस्थ मंत्री द्वारा आता है तो वह भी इसे अपने मातहतों पर छोड़कर चुप हो जाते हैं। जबकि होना तो यह चाहिए कि जब अखबारों में समाचार आया, संसद में गूंजा एवं भ्रष्टाचार पकड़ने वाले अधिकारी ने अपनी जान एवं नौकरी की परवाह किये बिना आगे अभ्यावेदन बढ़ाया तब कम-से-कम एक नमूने के रूप में प्रधानमंत्री को इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराई जाती तो भ्रष्टाचार उजागर करने वाले व्यक्तियों या प्राणियों (जो अब उंगलियों में गिने जाते हैं) को भी प्रोत्साहन मिलता एवं भ्रष्टाचार जड़ से मिटाने में मदद मिलती और झूठा लिखने वाले अधिकारी को जब ताड़ना मिलती तो दूसरे अधिकारी झूठी नोटशीट या जवाब लिखने की हिम्मत ही न करते। पर यहां तो यह भी मजबूरी रही होगी कि यह तो मिली-जुली सरकार है, कहीं ऐसा न हो कि इसके कारण श्री नितीश कुमार अपना कुनबा लेकर एक ओर खिसक लें एवं सरकार भरभराकर गिर जाये।

## तथ्य, कृत्य से सारांश की ओर :-

श्री नितीश कुमार कृषि मंत्री के लिए बड़ी विषम स्थिति बनती जा रही थी। एक ओर उनकी चौकड़ी बदनामी से नंगी हो रही थी दूसरी ओर मैं अपने भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान से दूर नहीं हट रहा था। तीसरी तरफ श्री एन. विठ्ठल मुख्य सतर्कता आयुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार मेरे द्वारा दी गई भ्रष्टाचार की शिकायतों पर नजर गडाये छिद्रान्वेषण कर रहे थे सब ''तू डाल डाल मै पात पात' पर आगे बढ़ रहे थे। इधर श्री नितीश अपनी चौकड़ी के सहयोग से मुझे हटाना चाह रहा था तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर श्री विट्ठल, डा. पड़ौरा सचिव एवं महानिदेशक पर दंडित करने की कार्यवाही करना चाह रहे थे।

'द इंडियान एक्सप्रेस' अखबार के समाचार ने अपना प्रभाव दिखाया था। आँच प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुँच रही थी। इस अखबार के समाचार पर दो जांचे गठित हुई थी। एक जांच भ्रष्टाचार की जो श्री पवन रैना विभाग के प्रमुख सतर्कता अधिकारी को सौपी गई थी दूसरी डा. किरण सिंह को मेरे खिलाफ नियमों के उल्लंघन कर अखबार को समाचार देने की थी। दोनों (इनकी) नियुक्ति श्री नितीश ने अपने कलम से की थी। मेरी वाली जांच में जितने ज़्यादा बिंदु हो सकते थे डालकर 33 बिन्दुओं पर ऐसी जांच बैठाई गई थी जिसमें मेरा टर्मिनेशन या बरखास्त (Dismiss) करने की व्यवस्था थी। संयोगवश पहली जांच रिपोर्ट जल्द आई एवं डा. पडौदा को सचिव एवं महानिदेशक के पद से हटाकर आवश्यक प्रतिक्षा (Compusory Wait) में फेंका गया। इससे यह बात बलवती हुई कि अब तुरंत ही सर्वश्री मंगल राय, अनवर आलम एवं कन्हैया चौधरी को भी पद से हटाकर सी.बी.आई. जांच होगी। इससे निश्चित ही श्री नितीश कुमार तक आंच आयी जिससे इसकी कपकंपी बढ़ गई थी। क्योकि अब विपक्ष इस पर हावी होकर इसे मंत्री पद से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हटाने को तुल गया था। यह केस अब सी.बी.आई. को ज्यों का त्यों देने से निश्चित था जिसमें कि सी.बी.आई. ठीक से भी जांच कर सकती थी तब श्री नितीश भी जद में आता। ऐसी स्थिति में इसमें दो विकल्प सामने मिले थे, एक तो इसकी छद्म जांच कराकर इसे दोष मुक्त करें दूसरी ओर मुझे हटाकर मेरे कमरे के कागज़ात तुरत फुरत जप्त कर मुझ परिषद से बाहर कर अपने कमरे में ही न घुसने दे।

श्री नितीश ने डा. पडौदा के सहयोग से मुझे कई तरह से हटाने का प्रयत्न किया था अब डॉ. किरण सिंह की जांच की ओर देख रहा था। इसके गुर्गों एवं उनकी जासूसी से इसे आभास हो गया था डा. किरण सिंह मुझे निर्दोष होने की सही रिपोर्ट देंगे। अतः डा. पडौदा को छद्मम जांच कराकर वापस लाया गया। और अब जड़ से उखांडकर मुझे बाहर करने का षड्यंत्र चालू हुआ। श्री नितीश कुमार मंत्री शातिर किस्म का आदमी है उससे कोई भी जिम्मेवारी अपने ऊपर न लेकर दूसरे के कंधे पर बंदूक रख फायर करने की चाल खेलने की आदत है। वह चाहता था कि मुझे परिषद से बाहर करने के साथ ही मेरे कमरे के सब दस्तावेज जब्त करले। उसके मन में मुझे हटाने की धुन सवार थी। नियम अधिनियम



तो उसके पैरों तले कुचले जाते थे। जिस षड्यंत्र से उसने डा. पडौदा को वापसी पद पर बिठाया था उसी प्रकार का षड्यंत्र कर इसने डॉ. पडौदा तथा उसके गुर्गों को मिलाकर मेरे साथ कृत्य किया था।

जब उसे अपने जांच अधिकारी पर भरोसा न रहा और उसने समझ लिया कि इसके जांच की रिपोर्ट जैसी ही आयेगी मुझे हटाना कठिन हो जायेगा तब उसने एक घृणित चाल खेली थी। दोनों ही शातिर अपराधियों की तरह काम करने वाले मेरे वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा जिनको मैने भ्रष्टाचार में नंगा किया था तुरत-फुरत में चरित्रावलि या वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वा.प्र.प्र.) खराब लिखा गया। इसके गलत होने का अभ्यावेदन (Representation) मैने तुरंत ही कृषि मंत्री एवं अनुशासन अधिकारी (Disciplinary Authority) श्री नितीश कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमे पूरे साक्ष्य इसके सामने दिये जिससे स्पष्ट था कि ये दोनो आधिकारियों को मैन खूब भ्रष्टाचार में नंगा किया है। इसके कारण डॉ. पडौदा सचिव के हटने के बाद डॉ. आलम उपमहानिदेशक की बारी आ गई थी। मैने सोच रखा था कि नियमानुसार इस खराब चरित्रावलि के कारण अधिकतम जो मुझे दण्ड मिलेगा उससे आगामी पदोन्नति न मिलेगी या कुछ वेतन वृद्धि ही न मिल पायेगी। इससे अधिक कोई एक का प्रावधान ही न था। खराब चरित्राबलि से 'टर्मिनेशन' या 'डिसमिस' करके नौकरी से बाहर करने का कहीं कोई न तो प्रावधान था और नही इसका कहीं उदाहरण मिलेंगे। अतः इस बावत मैने कभी सोचा भी न था। नियमों के अन्तर्गत मुझे आगामी टेन्ये की बढोत्तरी न देने की अधिकतम शक्ति श्री नितीश के पास थी। मेरे टेन्ये को खत्म तभी किया जा सकता था जब नियमों के आधीन बनी कोई जांच मुझे दोषी साबित कर देती जिसकी कम सम्भावना थी। श्री नितीश और उसकी चौकड़ी को डॉ. किरण सिंह की जांच प्रगति प्रकृति एवं प्रवृत्ति से स्पष्ट हो गयी थी। मुझे हटाना एवं दस्तावेज छिपाना इसलिये भी आवश्यक था कि सी.बी.आई. के समक्ष (चाहे आधी अधूरी हो) जांच गई थी। इस घृणित चाल से परिषद पर एक कलंक लग गया था।

परिषद के नियमों के अनुसार परिषद का कोई वैज्ञानिक किसी टेन्यूर वाले पद पर चयनित हो पदस्थ हो जाता है तब वह टेन्यूर पूरा करने या इसके पहले भी कही पदस्थ होगा तो उसके समकक्ष पद (Matching Position) पर ही कहीं रखा जायेगा। (यदि वह किसी जांच में दोषी न पाया गया हो) इससे कम का प्रावधान न था। किन्तु श्री नितीश कुमार को अपना पद बचाना था अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा बचानी थी। उसे भ्रष्टाचार से राशि एकत्रित करनी थी जिससे वह चुनाव में जीते एवं अपनी महत्वाकांक्षा जो प्रधानमंत्री बनने की थी उसे पूर्ण करे। इसके लिये वह कोई भी षड्यंत्र, जाहिलपन आदि करने को तैयार था।

## श्री नितीश कुमार मंत्री का जाहिलपन एवं षड्यंत्रकारी कृत्य :-

चरित्राबलि या वा.प्र.प्र. का मेरा अभ्यावेदन मिलते ही श्री नितीश कुमार, मंत्री को अपनी घृणित योजना के क्रियावन्यन की धुन सवार हुई। क्योंकि जैसे-जैसे समय बीत रहा था

सी.बी.आई. के जांच शुरू करने की योजना मूर्तवत हो रही थी। दस्तावेज मेरे पास तैयार थे। यद्यपि ये भ्रष्ट सी.बी.आई. को भी कब्जे में रखे थे ऐसा बता भी रहे थे फिर भी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात थी। इन सबको मालुम था कि यदि चरित्रावलि या वा.प्र.प्र. जब अनुशासन अधिकारी (Disciplinary Authority) से निर्गत होगा तो इसका अभ्यावेदन अपीलीय अधिकारी के पास देने के लिये महीनों का समय नियमानुसार रहता है। परिषद जो शासन के नियमों के अनुसार चल रही थी उसमें भी अपीलीय अधिकारी के पास ही अभ्यावेदन देना था। इनको यह भी पता था कि जैसे ही मेरी चरित्रावलि या वा.प्र.प्र. का निराकरण मेरे खिलाफ होगा तो मै अपील प्रस्तुत कर दुंगा जिसके निराकरण में भी काफी समय लगेगा। अतः अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिये श्री नितीश एवं उसके गुर्गों ने झूठ, फरेब, षड्यंत्र, मक्कारी जाहिलपन आदि का सहारा लिया। इस योजना के तहत श्री नितीश कुमार मंत्री ने मेरा अभ्यावेदन अमान्य करने की एक और प्रक्रिया की तो दूसरी ओर डा. पडौदा सचिव एवं उनके गुर्गों ने मुझे 'टर्मिनेट' करने का प्रस्ताव श्री नितीश से पास करवाया। इसे 'टार्मिनेशन' के प्रस्ताव को भी सतर्कता शाखा के रास्ते से चलना था और वहां का एक अवर सचिव सच्चाई से टीप देता था।

ऐसी स्थिति में फिर षड्यंत्र किया गया। नोटशीट सतर्कता शाखा के टीप के लिये प्रस्तुत ही नहीं हुई। यह अपने चहेतों, चमचो, गुर्गों से होती हुई डॉ. पडौदा के पास पहुंची थी। ये सब देखते हुए अंधे बने थे। मंत्री एवं सचिव की योजना को मूर्तवत बनाये रखने के लिये इन जाहिलों ने न तो यह बात लिखी कि अभी तो अपील का समय है अभी इसे खराब वा.प्र.प्र. या चरित्रावलि पर अधारित कोई भी कार्यवाही का प्रश्न ही न उठता दूसरा मूल तथ्य यह कि चरित्रावलि या वा.प्र.प्र. खराब होने के कारण किसी भी व्यक्ति को नौकरी से हटाया (Terminate) नहीं जा सकता। सभी नोटशीट में टीप देने वाले ऐरे गैरे नत्थू खैरे सभी नकारा बन गये थे। किसी ने यह तक नही लिखा कि अभी अपील की समयावधि पड़ी है अपील आने और उसके निराकरण के बाद चरित्रावलि से सम्बंधित कुछ कार्यवाई की जाने का प्रश्न उठता है। इन सबको मालुम था कि जब भी ऐसे प्रकरण बिना अपीलीय अधिकारी के निर्णय लिये आगे बढ़ाये गये है और न्यायालय का ध्यान गया तब न्यायालय ने तमाचा जड़ा तो पुनः अपीलीय अधिकारी की टीप के लिये इन्हें मजबूर होना पड़ा। पर ये सभी यह भी जानते थे कि यदि मुझे अपील करने का समय मिला तो उस जांच अधिकारी जिसको इसी वार्षिक चरित्रावलि (वा.प्र.प्र.) की सत्यता की जांच करने को दिया गया है उसकी जांच रिपोर्ट आ जायेगी और यह गलत किसी वार्षिक चरित्रावलि अपने आप जांच अधिकारी से मान्य हो जायेगी तो इस पर कोई कार्यवाही की ही नहीं जा सकती। क्योंकि यह जांच अधिकारी डॉ. किरण सिंह खुली जांच करता था और झूठे गवाह तथा फरेवियों को जांच के समय ही नंगा कर देता था। यह न केवल मौखिक बाते पूछता था बल्कि लिखित में ऐसे जवाब मांगता था जिससे भ्रष्टाचारियों को कपकपी छूट जाती थी। जब गवाहों से सवाल जवाब (Cross Questions) करता था तो वह सच्चाई उगल देता था। साथ ही यह



भी स्वीकार करता था कि सत्ताधीशों के कहने पर वह ऊल-जलूल कह रहा है। ऐसे जांच अधिकारी के लिये भी यह बात कि जिस चरित्रावलि की जांच उसे कृषि मंत्री ने दी थी उसी की रिपोर्ट लिये बिना श्री नितीश कुमार मंत्री कैसी चालबाजी कर मुझे नौकरी से निकाल (टर्मिनेट) कर रहा है यह एक विस्मयकारी घटना थी। फिर भी यह जांच अधिकारी नियमानुसार अबाध गति से अपनी जांच करता रहा।

अब श्री नितीश कुमार मंत्री ने परिषद के भ्रष्टाचारियों की टीप के आधार पर मुझे टर्मिनेट किया, मेरी चरित्रावलि (वा.प्र.प्र.) अभ्यावेदन को अमान्य किया और बिना अपील करने और उसके निराकरण करने का अवसर दिये ही तुरत-फुरत परिषद मुख्यालय से मुझे बाहर कर दिया। यहां इतनी सांवधानी बरती गई कि पहले इन्होंने मेरे वैयक्तिक सहायक को मेरा टर्मिनेशन आदेश दिनांक 31..01.2001 दिया फिर चरित्रावलि (वा.प्र.प्र.) अमान्य का आदेश उसी दिन दिया। यह ऐसे इसलिये किया गया था कि उन्हें भय था कि यदि चरित्रावलि (वा.प्र.प्र.) अमान्य का पत्र पहले दिया गया तो कहीं मै उस पर तुरन्त अपील न प्रस्तुत कर दूं।और जब यह टर्मिनेशन का आदेश देने पहुचें तो मै उन्हें यह लिख दूंगा कि इस आदेश के पहले मेरे अपील का निराकरण करें यदि ऐसी अपील हो जाती तो इसके निराकरण में समय लगता इसी बीच डा. किरण सिंह जांच अधिकारी की रिपोर्ट आ जाती और मुझे टर्मिनेट करने के इनके किये-धरे पर पानी फिर जाता। इन्होंने दिनांक 31.01.2001 को ही एक अन्य आदेश डा. अनवर आलम उप महानिदेशक से लिखवाये कि मुझे तुरंत प्रभाव से रिलीव कर परिषद मुख्यालय से बाहर किया जाता है। इसके बाद मेरा कमरा सील कर दिया गया एवं दस्तावेज छिपा दिये गये। ये भ्रष्टाचार खोलने वाले दस्तावेज आज तक मुझे नहीं दिये गये जबकि मैने इसे सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंदर मांगे, न्यायालयों में गुहार लगाई, अधिकारिक अभ्यावेदन दिये। जबकि रिलीविंग का आदेश प्रशासन से होना चाहिए था किन्तु यहां तो जंगलराज था– डॉ. आलम खुद सब कुछ बन गया था और उसने रिलीव करने का पत्र हस्ताक्षर कर मुझे दे दिया। ऐसा तुरत फुरत इसलिये भी किया गया था क्योंकि इन्हें डर था कि मै न्यायालय से स्थगन आदेश ले लूंगा। और ऐसा हुआ भी था, जब मै प्रशासनिक ट्रिव्यूनल मं (काफी देर से भी) गया तब मुझे स्थगन आदेश दिया गया था किंतु इसे इन्होने माना नहीं और मेरे वकील ने भी इस अवज्ञा के वावद वाद दायर नहीं किया। वाद में इन्होंने डा. किरण सिंह की जांच के ऊपर दूसरा जांच अधिकारी बनाकर जांच कराना चाहा तो तब तक श्री नितीश निर्णय लेते इसके पूर्व अन्यत्र चले गये थे एवं श्री अजीत सिंह कृषि मंत्री तथा परिषद अध्यक्ष बन गये थे। उन्होंने यह न मानकर इसी जांच अधिकारी से जांच करने का आदेश दिया। तब फिर छल कपट फरेब से जांच अधिकारी बदलते हुए उस व्यक्ति को जांच अधिकारी बनाया गया जिसका पूर्व में मैने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। इस तिलस्म को पूर्व के खण्ड (पुस्तक) 'भ्रष्टाचार का बोलबाला' से शुरू कर आगामी अंको तक दिया जायेगा।

श्री अजीत सिंह ने कृषि मंत्री पद से हटने के बाद श्री राजनाथ सिंह कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष आये फिर श्री शरद पवार और अब श्री राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष के रूप में पदस्थ है। मेरे परिषद में रहते एवं मेरे क्रिया कलापों से सम्बन्धित मत देते हुए जो इन्होने किया उनका लेखा जोखा आगामी समय में भी आ सकता है। किन्तु इनमें से मुझ कुछ परिषद अध्यक्षों यथा सर्वश्री चतुरानन मिश्र, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल पटवा के समय का अनुभव जो उन्होंने कृषि मंत्री एवं परिषद अध्यक्ष के रूप में किया वह इन लोगों की तुलना में काफी सुखद था।

## कैसे हुआ और होगा समस्या ( भ्रष्टाचार ) का हल :-

दृढ़ निश्चय, सतर्कता आयुक्त, सी.बी.आई. द्वारा प्रकरणों को पंजीकृत करना, न्यायालयीन प्रकरणों आदि से भ्रष्टाचार में कमी तो आयी थी। किन्तु मुझे हटा देने से भ्रष्ट लाबी तनकर खड़ी हो गयी थी। मेरी तड़प बढती जा रही थीं मै राष्ट्रीय संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर पहुंचा दिया गया था। सामान्यतः वैज्ञानिकों को अपनी अनुसंधान परियोजना लेने की स्वतंत्रता रहती है। अतः मैने चुपचाप परिषद की एक-एक हजार करोड़ रूपयों की इन दोनों परियोजनाओं से सम्बंधित ऐसी परियोजान (प्रभाव का मूल्यांकन) ली जिससे पूरे देश में फैले कम्प्यूटर केंन्द्रों का मूल्यांकन हो सके। पहले तो कुछ न हुआ, चुपचाप परियोजना पर अनुसंधान चालू होते ही भ्रष्टाचारियों की धड़कने बढ़ गई। संस्थान की सीमा लाघते हुए परिषद तक जब हलचल एवं सुगबुगाहट हुई तो सर्वश्री पडौदा (सचिव), आलम, मंगला राय (उपमहानिदेशक दय) आदि के कान खड़े हो गयें। इन सबने परिषद एवं अन्य विभागों के एक फेज के 437 केन्द्रों के तथा दूसरे फेज के 321 केन्द्रों के लगाये गये कम्प्यूटर केन्द्रों तथा उनके प्रभारियों को एक तरह से धौंस देते हुए मुझे जानेकारी न देने का अभियान चला दिया। मेने भी सम्बंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों, प्रमुख सचिवों, कुलपतियों आदि को सम्पर्क कर जानकारी न देने पर डा. पडौदा जैसा हश्र होने की बात कही तब परियाजना पूरी हो सकी।

भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु प्रथमतः यदि कोई भी शासकीय कर्मचारी अपने से सम्बन्धित विभाग के भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है तो उसे इस कार्य में निष्ठा, लगन एवं इमानदारी से लगना होगा। उसको यह डर तो नहीं होना चाहिये कि उसकी नौकरी का क्या होगा हां यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उसे अपनी जिंदगी बचाने एवं अन्य गंभीर बातों के लिये सतर्कता बनानी हैं अगर राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार है जिसमें करोड़ो रूपयों के विश्व बैंक के ऋण एवं सहयोग की बातें हैं तो देश के (या सम्भव हो तो सम्बन्ध विदेश के) विश्व बैंक के कार्यालयों में बैठकों के समय या स्वतः प्रयत्न कर उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा करनी उचित होगी। इससे यह स्पष्ट करना चाहिये कि किसी स्तर पर विश्व बैंक के अधिकारी या कर्मचारी यदि भ्रष्ट आचरण वाले दिखें तो उनकी शिकायत उनके मुख्यालय में की जायेगी। सामान्यतयः विश्व बैंक से सहयोग में मिलने वाली राशि को उनसे सम्बद्ध



देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद को खरीदने में लगाने के प्रयत्न से अधिकारियों पर दवाब बनाया जाता है। यह दवाब ज्यादातर वित्तीय भ्रष्टाचार के माध्यम से किया जाता है। विश्व बैक के कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों से इनकी सांठ-गांठ बनी रहती है जो स्थानीय (देशों) के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पटाये रखते हैं इस कार्य के लिये बकायदा समूह बना लिये जाते हैं जिनमें जहाँ-जहाँ विश्व बैंक के सहयोग राशि आ रही होती हे उस विभाग के सचिव का अंदरूनी दायित्व रहता हे कि वह भ्रष्टों की निर्धारित टोली को ही इस कार्य समूह में सम्मिलित करे। गलती से यदि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह बीच में आ गया जो ईमानदारी की हठधर्मिता पर उतारू हो तो उन्हें या तो अन्यत्र हटा दिया जाता है या फिर योजना को ही अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह यदि निर्धारित ईमानदार व्यक्ति जो उस कार्य के लिये ही नियुक्त होता है और वहां से यदि योजना हटाकर अन्यत्र कर दिया जाता है तो यथा सम्भव अपने कार्य की ओर ध्यान देकर उसे चालू रखें कभी-कभी तो अधिकारी को कोई कार्य दिये बिना एक तरफ बैठाकर उसको मात्र वेतन भर दिया जाता है। उसके मातहत अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सीधे नस्तियां लेकर कार्यवाही की जाती है या उसे एकदम अकेला अलगकर बैठाकर वेतन देकर चुपचान बैठे रहने को कहा जाता हैं। चूंकि पद पर बने रहना, उसका वेतन देते रहने के बाद भी उसकी मूल ड्यूटी या मूल अधिकार यथा कार्य न देने पर अधिकार हनन हो रहा होता है तब वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुँच सकता है। ऐसी भी स्थिति मेरे सामने आई और मुझे एक बार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण डालना पड़ा। यह दूसरी बात थी कि इस प्रकरण में कोई निर्णय आता इसके पूर्व ही मुझे मेरा काम लौटा दिया गया था।

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि विश्व बैंक जैसे बड़े-बड़े आर्थिक सहयोग-ऋण आदि से सम्बन्धित ऐसी परियोजनायें रहती हैं जहां भ्रष्ट लाबियां स्थानान्तरण, पदोन्नति, चयन से लेकर मुअत्तिल, वरखास्त एवं टर्मिनेट तक करा देती है। अतः ऐसी स्थिति से सावधानीपूर्वक निपटते हुए भ्रष्टाचार का नियंत्रण करना होगा।

❖❖❖